भारतीय युवा वकील संघ और ओआरएस।

वी.

केरल और ओआरएस का राज्य।

(2006 की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *373)*

सितंबर *28,2018*

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, आर. एफ. नरीमन,

ए. एम. खानविलकर, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड और

इंदु मल्होत्रा, जे. जे.*]*

भारत का संविधानः

कलाएँ। *25* , *26* और *15*-केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965*-एस. एस. *3* , *4* - केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम, *1965*-आर। *3 (* ख*)* सबरीमाला मंदिर जिसमें भगवान अयप्पा की मूर्ति स्थापित की गई थी-आर *3 (*बी*)* प्रथा और उपयोग की रक्षा करना जो मासिक धर्म के जैविक आधार के आधार पर सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। *(* दीपक मिश्रा के अनुसार, सीजेआई*)* एस। *3* गैर-स्थायी खंड होने के कारण यह निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला रहेगा।

हिंदू, महिलाएं उनमें से एक हैं, चाहे कोई भी प्रथा या उपयोग इसके विपरीत हो-दोनों की भाषा। *3* और एस को परंतुक। *4 (1)* यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रथा और उपयोग से हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के प्रार्थना करने के अधिकारों को स्थान मिलना चाहिए

सार्वजनिक पूजा स्थलों पर-इसके विपरीत कोई भी व्याख्या *1965* के अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त कर देगी और वृद्धिशील रूप से

यह आधार कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है, उक्त प्रथा हिंदू महिलाओं के कला के तहत स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। *25 (1)* और उनका प्रदर्शन करें भगवान अयप्पा के प्रति भक्ति-यह इनकार उन्हें पूजा करने के उनके अधिकार से वंचित करता है-आयोजितः *(* प्रति नरीमन, जे.*)* प्रथा या उपयोग

सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना कला का उल्लंघन है। *25 (1)* , और इसका उल्लंघन

1965 ऐक्टर। *3 (ख)* जिसके तहत प्रथा और उपयोग द्वारा महिलाओं को नहीं माना जाता है।

सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति, कला का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक है। *25 (1)* और कला। *15 (1)* - रखने का अभ्यास या उपयोग

बाहर की महिलाएँ एस का उल्लंघन करती हैं। *3* और निरस्त किया जाता है-क्योंकि धारा का परंतुक मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होता है, और चूंकि उक्त अधिनियम स्पष्ट रूप से यू/आर्ट द्वारा अधिनियमित एक उपाय है। *25 (2) (ख)* किसी भी धार्मिक अधिकार का दावा प्रथा और उपयोग के आधार पर धार्मिक अभ्यास के एक आवश्यक मामले के रूप में किया जाता है। *25 (1)* , यू/बनाए गए कानून के अधीन होगा

कला. *25 (2) (ख)*-आयोजितः *(* पर चंद्रचूड़, जे.*)* दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली देवस्वम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाएं अधिकार से बाहर हैं। *3 1965* के अधिनियम के तहत और अन्यथा भी असंवैधानिक हैं-हिंदू महिलाएं हिंदुओं के एक 'वर्ग या वर्ग' का गठन करती हैं। *2* - नियम *3 (*बी*)* एस के विपरीत एक प्रथा को लागू करता है। *3* , जो एस द्वारा स्थापित मंदिर में प्रवेश के अधिकार का सीधा उल्लंघन करता है। *3* , इस प्रकार, यह *1965* के अधिनियम के अधिकार से बाहर है-धार्मिक पूजा से महिलाओं के बहिष्कार का दावा, भले ही यह धार्मिक आधार पर किया गया हो।

पाठ, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के संवैधानिक मूल्यों के अधीन है-बहिष्करण प्रथाएं संवैधानिक नैतिकता के विपरीत हैं महिलाओं को मंदिर से बाहर रखने की प्रथा

सबरीमाला एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है-मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता का एक रूप है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए एक अभिशाप है-आयोजितः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* आयु वर्ग में महिलाओं के प्रवेश से इनकार

सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* साल का होना कला का उल्लंघन नहीं है। *14* सबरीमाला मंदिर एक धार्मिक संप्रदाय है-*10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा भगवान के भक्तों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।

सबरीमाला मंदिर में अयप्पा - आर. *3 (*बी*)* इस मंदिर द्वारा पालन की जा रही पूर्व-विद्यमान प्रथा और उपयोग की वैधानिक मान्यता है। *3* .

कला. *26* धार्मिक संप्रदाय का निर्धारण -

भगवान अयप्पा के भक्त, यदि एक धार्मिक संप्रदाय हैं, तो आयोजित किए जाते हैंः *(* दीपक मिश्रा, सीजेआई के अनुसार*)* भगवान अयप्पा के भक्तों का कोई चिन्हित समूह या संप्रदाय नहीं है-उनके पास अपने लिए विशिष्ट सामान्य धार्मिक सिद्धांत नहीं हैं, जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, जो हिंदू धर्म के लिए समान हैं-इस प्रकार, भगवान अयप्पा के भक्त विशेष रूप से हिंदू हैं और एक अलग धार्मिक भारतीय युवा वकील संगठन का गठन नहीं करते हैं।

वी. केरल राज्य

मूल्यवर्ग-आयोजितः *(* प्रति नरीमन, जे.*)* सबरीमाला मंदिर के उपासकों को कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है; किसी विशेष धर्म या उसके वर्ग के लिए सामान्य विश्वास के अर्थ में कोई सामान्य विश्वास नहीं है; या सबरीमाला मंदिर के उपासकों का सामान्य संगठन ताकि उक्त मंदिर को एक धार्मिक संप्रदाय में गठित किया जा सके-इसके अलावा, एक हजार से अधिक अन्य अयप्पा मंदिर हैं जिनमें सभी प्रकार के हिंदुओं का पालन करके देवता की पूजा की जाती है-इस प्रकार, अनुच्छेद *26* आकर्षित नहीं होता है-*(*चंद्रचूड, जे।*)* पीठासीन देवता की पूजा किसी के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं है।

विशेष धर्म-पूजा के रूपों से जुड़ी प्रथाएं भक्तों को एक धार्मिक संप्रदाय में नहीं बनाती हैं क्योंकि व्यक्तियों के सामूहिक रूप से संतुष्ट करने में असमर्थता होती है।

न्यायिक रूप से व्यक्त आवश्यकताओं के अनुसार, उन व्यक्तियों के समूह को मान्यता नहीं दी जा सकती है जो खुद को 'अय्यप्पन' या भगवान अयप्पा के भक्तों को 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में संदर्भित करते हैं। *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* यदि कोई स्पष्ट विशेषता है कि कोई संप्रदाय मौजूद है, जो अपनी मान्यताओं और प्रथाओं से अलग होने के रूप में पहचाना जा सकता है, और एक ही धर्म का पालन करने वाले अनुयायियों का एक संग्रह है, तो इसे एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में पहचाना जा सकता है। तथ्यों पर, उत्तरदाताओं ने एक मजबूत और प्रशंसनीय मामला बनाया है कि सबरीमाला मंदिर के उपासकों में एक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय के गुण हैं।

कलाएँ। *25* और *26*-कला के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ। *25*

- आयु की महिलाओं के बहिष्कार की प्रथा का निर्धारण सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* साल के समूह का पालन किया जा रहा है

-

आयोजित किया गयाः *(* सीजेआई दीपक मिश्रा के अनुसार*)* ऐसा लगता है कि सबरीमाला मंदिर में अपनाई जाने वाली बहिष्करण प्रथा में कोई निरंतरता नहीं है और इसलिए, इसे एक आवश्यक प्रथा के रूप में नहीं माना जा सकता है-इसके विपरीत,

यह हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है कि हिंदू महिलाओं को हिंदू धर्म के भक्तों और अनुयायियों के रूप में मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए और

देवता को अपनी प्रार्थनाएँ अर्पित करें-मोरेसो, किसी भी धर्मग्रंथ या पाठ्य साक्ष्य के अभाव में, सबरीमाला मंदिर में पालन की जाने वाली बहिष्करण प्रथा को एक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हिंदू धर्म की अनिवार्य प्रथा-महिलाओं को पूजा करने के लिए सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देने से, यह नहीं हो सकता है

कल्पना की कि हिंदू धर्म की प्रकृति मूल रूप से होगी

किसी भी तरह से परिवर्तित या परिवर्तित-आयोजितः *(* प्रति नरीमन, जे.*)* धर्म का केवल अनिवार्य हिस्सा, जैसा कि धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से अलग है, *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या यह मौलिक अधिकार का विषय है-धार्मिक आस्था और/या विश्वास के लिए आवश्यक मामलों को अदालत के समक्ष साक्ष्य के आधार पर आंका जाना चाहिए कि समुदाय स्वयं किस धर्म का दावा करता है।

इस तरह के विश्वास की अनिवार्यता के बारे में कहना होगा-एक परीक्षा धर्म से एक आवश्यक विश्वास के रूप में बताए गए विशेष विश्वास को हटाने के लिए होगी, क्या धर्म वही रहेगा या इसे बदला जाएगा। यदि धार्मिक गतिविधियों को धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के साथ मिलाया जाता है, तो गतिविधि परीक्षण की प्रमुख प्रकृति लागू की जानी चाहिए-न्यायालय एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण लेगा और व्यावहारिक आवश्यकता के विचारों द्वारा प्रेरित होगा। *(* पर चंद्रचूड़, जे.*)* किसी प्रथा की अनिवार्यता निर्धारित करने में, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या प्रथा को अनिवार्य प्रकृति का होने के लिए निर्धारित किया गया है-यदि कोई प्रथा वैकल्पिक है, तो इसे किसी धर्म के लिए 'आवश्यक' नहीं कहा जा सकता है-यदि धर्म के चरित्र में मौलिक परिवर्तन होता है, तो ही इस तरह की प्रथा को उस धर्म का 'आवश्यक' हिस्सा होने का दावा किया जा सकता है-ग्रंथ और सिद्धांत यह इंगित नहीं करते हैं कि महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा धर्म का एक आवश्यक हिस्सा है-महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा समान नहीं है और इस दावे के खिलाफ कि ऐसी प्रथा अनिवार्य है-इसलिए, धर्म के चरित्र में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं है।

धर्म-आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का परीक्षण न्यायालय को धर्म की एक सुधारवादी दृष्टि को अपनाने में सक्षम बनाता है, भले ही यह धर्म द्वारा रखे गए विचारों के साथ संघर्ष कर सकता है। और उस भूमिका की धारणा की वैधता संदिग्ध हो सकती है-परीक्षण भविष्य में एक करीबी नज़र के लायक है-आयोजितः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* 'आवश्यक प्रथाओं की परीक्षा' को धर्म के सिद्धांतों द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए-प्राचीन काल से पालन की जाने वाली प्रथाएं, जो इस मंदिर के धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई हो सकती हैं, उन्हें 'आवश्यक' माना जाना चाहिए, और कला के तहत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। *25* इस प्रकार, *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।

सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के भक्त।

कला. *25 (1)* – अभिव्यक्ति 'सभी व्यक्ति अधीन'-जिसका अर्थ है-आयोजितः *(* सीजेआई दीपक मिश्रा के अनुसार*)* अभिव्यक्ति 'सभी व्यक्ति', यह दर्शाती है कि विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने, अभ्यास करने का अधिकार और धर्म का प्रचार उपलब्ध है, हालांकि कला में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन है। *25 (1)* स्वयं महिलाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए -

यू/आर्ट द्वारा गारंटीकृत अधिकार। *25 (1)* आयोजित लिंग से इसका कोई लेना-देना नहीं हैः *(* प्रति नरीमन, जे.*)* कला. *25* "सभी व्यक्तियों" के पक्ष में एक मौलिक अधिकार को मान्यता देता है जो प्राकृतिक व्यक्तियों भारतीय युवा वकीलों के संदर्भ में है।

वी. केरल राज्य

धार्मिक समुदाय के प्रत्येक सदस्य को धर्म का पालन करने का अधिकार है जब तक कि वह किसी भी तरह से धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है।

उसके सह-धर्मवादियों को भी ऐसा करने का अधिकार है।

कला. *25 (1)* - अभिव्यक्ति-आयोजितः *(* पर चंद्रचूड़, जे.*]* 'सभी

'के तहत व्यक्ति-सभी व्यक्तियों द्वारा, संविधान का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने, रक्षा करने और प्रचार करने का अधिकार है।

धर्म अनुच्छेद *25* के खंड *(1)* की तीन परिभाषित विशेषताएँ हैं, पहला, बिना किसी अपवाद के सभी व्यक्तियों की पात्रता; दूसरा, समान अधिकार की मान्यता; और तीसरा, विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार दोनों की मान्यता।

कला. *17* – अस्पृश्यता-महिलाओं के प्रवेश से इनकार

सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग, यदि "अस्पृश्यता" की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार, कला का उल्लंघन है। *17*

-

आयोजित किया गयाः *(* पर चंद्रचूड़, जे.*)* कला. *17* अभ्यास करने से रोकता है

"अस्पृश्यता ", जो शुद्धता और अशुद्धता की धारणाओं पर आधारित है, "किसी भी रूप में "-" शुद्धता और प्रदूषण "की धारणाएँ, जो कलंकित करती हैं

व्यक्तियों के लिए, संवैधानिक शासन में कोई जगह नहीं हो सकती-अशुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं के आधार पर महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह मासिक धर्म से जुड़ा सामाजिक बहिष्कार का प्रतीक है-यह अस्पृश्यता का एक रूप है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए अभिशाप है-आयोजितः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* अधिसूचित आयु वर्ग के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर सीमित प्रतिबंध

यह कला के दायरे में नहीं आता है। *17* – कला. *17* अस्पृश्यता की प्रथा को संदर्भित करता है जैसा कि हिंदू समुदाय में किया जाता है

हरिजन या दलित वर्गों के लोग, न कि महिलाएं-एक निश्चित आयु वर्ग के भीतर महिलाओं पर प्रतिबंध, सबरीमाला मंदिर की ऐतिहासिक उत्पत्ति और मान्यताओं और प्रथाओं पर आधारित है, जो देवता की अनूठी विशेषता पर आधारित है, और किसी भी सामाजिक बहिष्कार पर आधारित नहीं है-अधिसूचित आयु वर्ग की महिलाओं को अनुमति है।

भगवान अयप्पा के अन्य सभी मंदिरों में प्रवेश।

कला. *25 (1)* – कला में 'नैतिकता' शब्द। *25 (1)* – आयोजित किया गयाः *(* प्रति दीपक

मिश्रा, सीजेआई*)* को संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा जा सकता है ताकि इसे सीमित किया जा सके

नैतिकता की परिभाषा का क्षेत्र कि एक व्यक्ति, एक वर्ग या धार्मिक संप्रदाय इस शब्द का क्या अर्थ समझ सकता है-क्योंकि

संविधान को लोगों द्वारा अपनाया और दिया गया है।

अपने लिए देश, कला में सार्वजनिक नैतिकता शब्द। *25* इसे संवैधानिक *[2018] 9* एस. सी. आर. के पर्याय के रूप में समझा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नैतिकता-सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की धारणाओं का उपयोग स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने और *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित करके उनके साथ भेदभाव करने के लिए रंगीन उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।

कला. *25 (1)* – शब्द 'नैतिकता'-आयोजितः *(* पर चंद्रचूड़, जे.*)* नैतिक क्या है या क्या नहीं है, इसके बारे में लोकप्रिय धारणाएं वास्तव में गहरी हो सकती हैं।

व्यक्तिगत गरिमा और मानवाधिकारों के लिए अपमानजनक-व्यक्तिगत गरिमा को भीड़ की नैतिकता के अधीन होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उस समय के लोकप्रिय फैशन के अनुसार भिन्न नहीं होना चाहिए।

के लिए खोज के साथ संवैधानिक नैतिकता की व्यापक भावना

कलाएँ। *25 (2) (* ख*)* और *26 (*ख*)*-कला के तहत धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार। *26* - आयोजित किया गयाः *(* प्रति नरीमन, जे.*)* सही है। यू/कला प्रदान की गई। *26* कला के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना। *25 (2) (* ख*)*

धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार

कला. *26 (* ख*)*, यू/आर्ट द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होना। *25 (2) (* ख*)* जो सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की धार्मिक संस्थाओं को खोलता है और

हिंदुओं के वर्ग-इस प्रकार, भले ही सार्वजनिक चरित्र के हिंदू मंदिर में व्यक्तियों का प्रवेश प्रबंधन से संबंधित हो।

धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों में, फिर भी इस तरह के मंदिर में प्रवेश एक कानून के अधीन होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग के स्वामित्व और प्रबंधन वाली सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों या वर्गों के लिए खोल देगा-हालाँकि, धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग द्वारा धार्मिक प्रथाएँ, जिनका कुछ व्यक्तियों के मंदिर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रभाव नहीं है, या अन्यथा भेदभावपूर्ण नहीं हैं, यू/आर्ट को पारित कर सकते हैं। *26 (* बी*)*।

कला. *25 (2) (* ख*)* और *26 (*ख*)*-धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार। *26* - आयोजित किया गयाः *(* पर चंद्रचूड़, जे.*)* अनुपस्थिति।

अनुच्छेद *26* में अधीनता के एक खंड से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि एक धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता एक अलग तत्व के रूप में मौजूद है, जो अन्य स्वतंत्रताओं से अलग है-अनुच्छेद *26* स्वतंत्रताओं के एक बड़े समूह में से एक है जिसे संविधान ने मानव स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आंतरिक रूप से परिकल्पित किया है-धार्मिक स्वतंत्रता।

अनुच्छेद *26* के तहत संप्रदायों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो समान रूप से, अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को संरक्षित करता है-महिलाओं की गरिमा जो अनुच्छेद *15* का उद्गम है और अनुच्छेद *21* भारतीय युवा वकीलों का प्रतिबिंब है।

वी. केरल राज्य

अनुच्छेद *26* के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग से अलग नहीं किया जा सकता है।

कला. *32* – के तहत याचिका लिखें-जारी करें कि जो महिलाएँ होती हैं

10 से *50* वर्ष की आयु के बीच होना, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं-याचिका में कहा गया है कि अदालत को दोनों पक्षों के बिना किसी सबूत के इस मामले का फैसला नहीं करना चाहिए

-

आयोजित किया गयाः *(* प्रति नरीमन, जे.*)* साक्ष्य बहुत कुछ है, रिट याचिका और याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ बोर्ड द्वारा और थंथरी-रिट याचिका द्वारा दायर रिट याचिका में दायर हलफनामों के रूप में, न केवल एक अभिवचन है, बल्कि शपथ पत्र के रूप में भी साक्ष्य है।

कलाएँ। *25* और *26*-आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को शामिल करना

संवैधानिक मूल्यों के साथ-सबरीमाला मंदिर से दस से पचास वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं का बहिष्कार-आयोजितः *(* प्रति।

चंद्रचूड़, जे.*)* बहिष्करण गरिमा के लिए विनाशकारी है-एक को बाहर करना

पूजा की शक्ति से महिला मौलिक रूप से संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है-एक महिला की शारीरिक विशेषताओं का संविधान के तहत उसके समान अधिकारों के लिए कोई महत्व नहीं है।

एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति उसे होने की गरिमा और व्यक्तित्व की स्वायत्तता से वंचित करने के लिए एक वैध संवैधानिक आधार नहीं हो सकती है एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति गहरी व्यक्तिगत और उसकी गोपनीयता का एक आंतरिक हिस्सा है-संविधान को इसे एक ऐसी विशेषता के रूप में मानना चाहिए जिसके आधार पर कोई बहिष्कार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी इनकार को अंजाम दिया जा सकता है।

कला. *13* शब्द 'लागू कानून'-प्रथा या उपयोग यदि इसके अंतर्गत आता है

व्यक्तिगत गरिमा की प्रधानता सुनिश्चित करने की संवैधानिक दृष्टि-नारसु मामले में निर्णय कि प्रथा या उपयोग लागू कानूनों के दायरे में शामिल नहीं है, त्रुटिपूर्ण परिसरों पर आधारित है-प्रथा या उपयोग को 'लागू कानूनों' से बाहर नहीं किया जा सकता है-नारसु में निर्णय इस मामले में, असंकलित व्यक्तिगत कानून का टीकाकरण करने और इसे प्रथा से अलग समझने में, उस व्यापक दायरे की अनदेखी की गई जिसे 'लागू कानून' शब्द के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था।

कलाएँ। *25* और *26*-संवैधानिक अधिकारों के वाहक के रूप में देवता

आयोजित किया गयाः *(* पर चंद्रचूड, जे.*)* कुछ कानूनों में शब्द 'व्यक्तियों' के पास *[2018] 9* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूर्तियों को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई-केवल इसलिए कि एक देवता को वैधानिक कानून के तहत न्यायिक व्यक्तियों के रूप में सीमित अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि देवता को अनिवार्य रूप से संवैधानिक अधिकार हैं-देवता धार्मिक कानून के उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक व्यक्ति हो सकता है और

संपत्ति के अधिकारों का दावा करने में सक्षम-हालाँकि, भाग *III* के उद्देश्य के लिए देवता एक 'व्यक्ति' नहीं है।

कलाएँ। *32* , *25* और *14*-पी. आई. एल. की प्रथा को चुनौती देते हुए दायर किया गया

सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध-रखरखाव और न्याय्यता-आयोजितः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* सुप्रीम को स्थानांतरित करने का अधिकार

कोर्ट यू/आर्ट। *32* मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए, इस दलील पर आधारित होना चाहिए कि इस मंदिर में पूजा करने के याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है-चुनौती को बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यक आवश्यकता है-अदालतें आम तौर पर धार्मिक प्रथाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती हैं, विशेष रूप से उस विशेष धार्मिक विश्वास या संप्रदाय से पीड़ित व्यक्ति की अनुपस्थिति में-धर्म और धार्मिक प्रथाओं के मामलों में, कला। *14* इसे केवल उन व्यक्तियों द्वारा लागू किया जा सकता है जो समान रूप से स्थित हैं, यानी एक ही धर्म, पंथ या संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति-याचिकाकर्ता-संघ/हस्तक्षेपकर्ता सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के भक्त होने का दावा नहीं करते हैं, जो सबरीमाला में पालन की जाने वाली प्रथाओं से व्यथित हैं।

मंदिर।

कला. *14* धर्म और धार्मिक आचरण के मामले

कला की प्रयोज्यता। *14* – सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश से इनकार-आयोजितः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* कला का उल्लंघन नहीं है। *14* - धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं का परीक्षण केवल अनुच्छेद *14* की कसौटी पर नहीं किया जा सकता है और उसमें निहित तर्कसंगतता के सिद्धांत धार्मिक समुदाय को यह तय करना है कि आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है-धर्म के मामलों में समानता को एक ही धर्म के उपासकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए-यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे

यह निर्धारित करें कि धर्म की इनमें से किस प्रथा को निरस्त किया जाना है, सिवाय इसके कि वे हानिकारक, दमनकारी या सामाजिक बुराई हैं।

भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए लैंगिक समानता की रक्षा सभी उम्र की महिलाओं को उन मंदिरों में जाने की अनुमति देकर की जाती है जहां उन्होंने 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' के रूप में खुद को प्रकट नहीं किया है, और उन मंदिरों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

कला. *15* - धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, भारतीय युवा वकील संगठन।

वी. केरल राज्य

जाति, जाति या लिंग कला की प्रयोज्यता। *15* - प्रस्तुत करें कि

सबरीमाला मंदिर को 'सार्वजनिक स्थल' वाक्यांश में शामिल किया जाएगा। रिसॉर्ट-आयोजितः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* नहीं हो सकती है

स्वीकृत-संविधान सभा द्वारा नहीं करने का सचेत निर्णय मसौदे के दायरे में पूजा स्थल या मंदिर शामिल करें।

अनुच्छेद *9*, जिस पर उचित विचार किया जाए।

केरल सार्वजनिक पूजा के हिंदू स्थल *(*का प्राधिकरण*)*

प्रविष्टि*)* नियम, *1965:*

आर. *3 (* ख*)*-केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965*। *3*- आर. *3 ((*ख*)* जिसके द्वारा प्रथा और प्रयोग द्वारा महिलाओं को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। *3 ((*ख*)* यदि

हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला-आयोजितः *(* पर दीपक मिश्रा, सीजेआई*)* आर। *3 (* ख*) 1965* के अधिनियम के अधिकार से बाहर है-नियम *3 (*ख*)* भी अधिकार से बाहर है। *4 1965* अधिनियम-आयोजितः *(* प्रति नरीमन, जे.*)* नियम *3 (*बी*)* एस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। *3 1965* के अधिनियम के तहत, और कला द्वारा प्रभावित है। *25 (1)* और *Art.15 (1)* द्वारा क्योंकि यह नियम महिलाओं के साथ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। केवल-आयोजितः *(* पर चंद्रचूड़, जे.*)* शब्द 'में एस शामिल हैं। *2 (* ग*)* एक व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए-अभिव्यक्ति 'खंड या वर्ग'

एक धार्मिक संप्रदाय और सबरीमाला मंदिर का गठन न करें यह एक सांप्रदायिक मंदिर नहीं है-इसलिए, द्वारा जारी अधिसूचनाएँ

दस से दस वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला बोर्ड

पचास-पाँच, अल्ट्रा वायर्स हैं। *3* – नियम *3 (*बी*)* उन रीति-रिवाजों और प्रयोगों को प्राथमिकता देता है जो महिलाओं के बहिष्कार की अनुमति देते हैं "ऐसे समय में जब उन्हें सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है" -

इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन को निर्धारित करते हुए, नियम *3 (*बी*)* धारा *3* द्वारा स्थापित मंदिर में प्रवेश के अधिकार का सीधे उल्लंघन करता है। *3 (* ख*)* अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है-आयोजितः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* आर। *3 (* ख*)* अति अधिकार नहीं है। *3 1965* के अधिनियम के अनुसार, जब से परंतुक एक लाभ के लिए मंदिर में सार्वजनिक पूजा के मामले में अपवाद

उनके किसी भी धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का प्रबंधन करने के लिए

धर्म के मामलों में मामले-घोषणा कि सार्वजनिक स्थान

पूजा सभी वर्गों और वर्गों के हिंदुओं के लिए खुली होगी

निरपेक्ष, लेकिन एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के अधीन

"धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करें "- आर. *3 (*बी*)* एक पूर्व-मौजूदा प्रथा और उपयोग की वैधानिक मान्यता है जिसका पालन किया जा रहा है

यह मंदिर-आर। *3 (* ख*)* एस के परंतुक के दायरे में है। *3 .*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 9 एस सी आर।

आर. *3 (* ख*)* जिसके तहत महिलाओं को पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है-जिसे संवैधानिक नैतिकता के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई है-आयोजित किया गयाः

(इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* बहुलवादी समाज और धर्मनिरपेक्ष राजनीति में संवैधानिक नैतिकता यह दर्शाती है कि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता है। उनके धर्म के सिद्धांतों के अनुसार-समानता और गैर-भेदभाव संवैधानिक नैतिकता के पहलू हैं, जिन्हें अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है-एक ओर समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए, और दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष राजनीति में सभी धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को अनुच्छेद *25* और *26* द्वारा गारंटीकृत विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की सुरक्षा, दूसरी ओर-संवैधानिक नैतिकता के लिए ऐसे सभी अधिकारों के सामंजस्य या संतुलन की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को मिटाया या कम नहीं किया गया है-इन अधिकारों को सुसंगत बनाना न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है।

न्यायिक समीक्षाः धर्म और धर्म से संबंधित मामले

धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था के तहत अभ्यास-न्यायालयों की भूमिकाः *(* इंदू मल्होत्रा जे. के अनुसारः असहमति*)* कला के तहत सुरक्षा प्रदान करना है। *25 (1)* उन प्रथाओं के लिए जिन्हें भक्तों या स्वयं धार्मिक समुदाय द्वारा "आवश्यक" या "अभिन्न" माना जाता है-कला। *25 (2) (* ख*)* राज्य को कानून बनाकर सामाजिक असमानताओं और अन्यायों का निवारण करने की अनुमति देता है। *25 (2)* परमिट पर राज्य ने कानून बनाया

उसमें निर्दिष्ट आधार, न कि न्यायिक हस्तक्षेप-तथ्यों पर, सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के बहिष्कार की प्रथा को उस मंदिर के लिए आवश्यक या अभिन्न माना जाता है-इसमें कोई भी हस्तक्षेप कला द्वारा गारंटीकृत उनके अधिकार के साथ संघर्ष करेगा। *25 (1)* भगवान अयप्पा की पूजा 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में करना-धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक समीक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि न्यायालय

किसी देवता की पूजा के संबंध में अपनी नैतिकता या तर्कसंगतता को थोप नहीं सकते-ऐसा करने से किसी के विश्वास और मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को नकार दिया जाएगा-यह धर्म, विश्वास और मान्यताओं को तर्कसंगत बनाने के बराबर होगा, जो कि केन से बाहर है।

अदालतों से।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः दीपक मिश्रा सीजेआई के अनुसार *(*अपने और खानविलकर के लिए*)*

जे*.):*

भगवान अयप्पा के अनुयायी एक धार्मिक भारतीय युवा वकील संगठन नहीं हैं।

वी. केरल राज्य

मूल्यवर्गः

1.1 शिरूर में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए

मठ के मामले और एस. पी. मित्तल के मामले में, भगवान अयप्पा के भक्त एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं। उनके पास अपने लिए विशिष्ट सामान्य धार्मिक सिद्धांत नहीं हैं, जिन्हें वे हिंदू धर्म के लिए सामान्य सिद्धांतों के अलावा अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं। इसलिए, भगवान अयप्पा के भक्त विशेष रूप से हिंदू हैं और एक हिंदू नहीं हैं।

1.2 किसी भी धार्मिक मठ, संप्रदाय, निकाय, उप-संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक संप्रदाय के रूप में नामित करने के लिए, एक सामूहिक सामान्य विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए, एक सामान्य संगठन जो उक्त सामान्य विश्वास का पालन करता है, और अंतिम लेकिन कम से कम, व्यक्तियों के उक्त संग्रह को एक अलग नाम से लेबल, ब्रांडेड और पहचाना जाना चाहिए। एक धार्मिक संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त, यानी व्यक्तियों के संग्रह में विश्वासों या सिद्धांतों की एक प्रणाली होनी चाहिए जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं। एक धार्मिक संप्रदाय के लिए, नया होना चाहिए

एक धर्म के लिए प्रदान की गई कार्यप्रणाली। कुछ प्रथाओं का केवल पालन करना, भले ही लंबे समय से, इसे महत्वपूर्ण नहीं बनाता है।

उस खाते पर अलग धर्म। *[* पारस *94,96] [655-*ई-एफ*; 656-*ए-सी*]*

1.3 यह निवेदन कि यात्रा करने के लिए आने वाले तीर्थयात्री

सबरीमाला मंदिर को भगवान अयप्पा के भक्त होने के नाते अयप्पन के रूप में संबोधित किया जाता है और इसलिए, एक धार्मिक संप्रदाय के लिए तीसरी शर्त पूरी होती है, जो अस्वीकार्य है। अयप्पन नामक कोई चिन्हित समूह नहीं है। हर हिंदू भक्त मंदिर जा सकता है। भगवान अयप्पा के लिए अन्य मंदिर हैं और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, कोई पहचान नहीं है

संप्रदाय। इस प्रकार, सबरीमाला मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक निधि है और पंथ के कोई विशेष रूप से पहचाने गए अनुयायी नहीं हैं। *[* पैरा *95] [655-*एफ-एच*]*

एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ और अन्य *(1983) 1* एससीसी
51 [1983] 1 एससीआर *729;* द कमिश्नर हिंदू

धार्मिक दान, मद्रास बनाम। श्री लक्ष्मींद्र

श्री शिरूर मठ के त्रिथा स्वामीनार *[1954]* एससीआर *1005*

पर भरोसा किया।

- [2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नल्लोर मार्थंडम वेल्लालर और

अन्य वी।

आयुक्त, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ

बंदोबस्ती और अन्य *(2003) 10* एससीसी *712: [2003]*

1 पूरक। एस. सी. आर. *920* को संदर्भित किया गया।

कला के तहत मौलिक अधिकारों की प्रवर्तनीयता। *25 (1)* खिलाफ

देवस्वम बोर्ड

2.1 यह कहते हुए कि भगवान अयप्पा के भक्त करते हैं

धार्मिक संस्थान अधिनियम, *1950* त्रावणकोर देवस्वम में इसके निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सभी शक्तियां निहित करता है। बोर्ड, जिसे अनुच्छेद *12* के अर्थ के भीतर 'अन्य प्राधिकरण' के रूप में अनावरण किया गया है, परिणामस्वरूप अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और सबरीमाला मंदिर सहित अन्य निगमित देवस्वम के खिलाफ प्रवर्तनीय हैं। *[* पैरा *97] [656-* डी-ई*]*

2.2 अनुच्छेद *25 (1),* 'सभी व्यक्ति' अभिव्यक्ति का उपयोग करके,

यह दर्शाता है कि विवेक की स्वतंत्रता और अधिकार स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार, पालन और प्रचार करना महिलाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, हालांकि यह अनुच्छेद *25 (1)* में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन है। यह समझने की जरूरत है कि

अनुच्छेद *26* का सार 'एक धार्मिक संस्था की स्थापना' है ताकि धार्मिक संप्रदाय की स्थिति की प्रशंसा की जा सके। जबकि अनुच्छेद *25 (1)* प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है।

व्यक्ति और अभ्यास का संबंध मुख्य रूप से धार्मिक पूजा, अनुष्ठानों से है। अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अधिकार *25 (1)* इसका लिंग से कोई लेना-देना नहीं है या उस मामले के लिए, कुछ शारीरिक कारक, विशेष रूप से महिलाओं के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी आयु वर्ग की महिलाओं को पुरुषों की तरह ही प्रवेश करने का अधिकार है।

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटी के अनुसार किसी धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के लिए मंदिर। *[* पारस *98,99,100] [656-*एफ-एच*; 657-*बी*]*

रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(1977) 1 एससीसी *677 [1977] 2* एससीआर *611;* द

आयुक्त हिंदू धार्मिक दान, मद्रास

वी. श्री शिरूर के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार
मठ *[1954]* एस. सी. आर. *1005-*संदर्भित।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

भगवान अयप्पा के प्रति समर्पण। महिलाओं को इस अधिकार से वंचित करना उन्हें पूजा करने के उनके अधिकार से काफी वंचित करता है। अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकार न केवल अंतर-आस्था समानता के बारे में है, बल्कि यह अंतर-आस्था समानता के बारे में भी है। इसलिए, अनुच्छेद *25 (1)* के तहत धर्म का पालन करने का अधिकार, अपने व्यापक रूप में, एक गैर-भेदभावपूर्ण अधिकार जो एक ही धर्म का पालन करने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। *[* पारस *101] [657-*सी-ई*]*

नर हरि शास्त्री और अन्य बनाम। श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति ए. आई. आर *1952* एस. सी. *245: 1952* एससीआर *849;* आचार्य

जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्य वी।

पुलिस आयुक्त, कलकत्ता *(1983) 4* एस. सी. सी. *522:*

[1984] 1 एस. सी. आर. *447-*संदर्भित।

2.4 केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम, *1965* का विवादित नियम *3 (*बी*)*

1965 के अधिनियम के अनुसरण में, *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का बहिष्कार, अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

भगवान अयप्पा के भक्तों के रूप में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और देवता को अपनी प्रार्थना करने के उनके अधिकार पर सीमा। बहिष्करण के उक्त नियम को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि उक्त आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देना किसी भी तरह से हानिकारक होगा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे की भूमिका निभाएगा। नैतिकता, स्वास्थ्य या, उस मामले के लिए, संविधान के भाग *III* के किसी अन्य प्रावधान/प्रावधान, क्योंकि इन उपदेशों के लिए है कि अधिकार

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटी दी गई है। *[* पैरा *104,105] [658-*एफ-एच*; 659-*ए-बी*]*

2.5 अनुच्छेद *25 (1)* में आने वाले 'नैतिकता' शब्द को संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा जा सकता है ताकि *[2018] 9* एस. सी. आर. के दायरे को सीमित किया जा सके।

संवैधानिक नैतिकता और कोई भी दृष्टिकोण जो अंततः संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लिया जाता है, सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। और इस संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के बुनियादी सिद्धांत जिन्हें संविधान से समर्थन मिलता है। *[* पैरा *106] [659-*सी-डी*]*

मनोज नरूला बनाम। भारत संघ *(2014) 9* एससीसी *1: [2014] 9* एस. सी. आर. *965;* एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम। भारत संघ और अन्य *(2018) 8* स्केल *72;* नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य

(2018) 10 स्केल *386-*संदर्भित।

2.6 अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकार को अनुच्छेद के शुरुआती शब्दों से ही सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन कर दिया गया है।

नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग *III* के अन्य प्रावधान संविधान। तीनों शब्द, अर्थात् व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, 'सार्वजनिक' शब्द से योग्य हैं। सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिला भक्तों के प्रवेश की अनुमति देने से न तो सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होगा और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य को।

उनकी प्रार्थनाएँ। जहां तक सार्वजनिक नैतिकता का संबंध है, यह पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि संविधान को किसी बाहरी शक्ति द्वारा इस देश के लोगों पर नहीं डाला गया था, बल्कि इसे इस देश के लोगों द्वारा अपनाया गया था और खुद को दिया गया था, इसलिए सार्वजनिक नैतिकता शब्द को संवैधानिक नैतिकता के पर्याय के रूप में समझा जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता की धारणाएँ

10 से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करके सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने का कानूनी अधिकार इस सरल कारण से है कि सार्वजनिक नैतिकता को मान लेना चाहिए

संवैधानिक नैतिकता। *[* पारस *110,111] [661-*ए-डी*]*

क्या हिंदू धर्म के अनुसार बहिष्करण प्रथा एक आवश्यक प्रथा है

3.1 किसी भी परिदृश्य में, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी आयु वर्ग की महिलाओं के बहिष्कार को एक आवश्यक प्रथा के रूप में माना जा सकता है

हिंदू धर्म और इसके विपरीत, हिंदू महिलाओं को भारतीय युवा वकील के रूप में मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देना हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है।

हिंदू धर्म के भक्त और अनुयायी प्रार्थना करते हैं देवता के लिए। किसी भी धर्मग्रंथ या पाठ्य साक्ष्य के अभाव में, सबरीमाला मंदिर में बहिष्करण प्रथा का पालन किया गया।

इसलिए, बहिष्करण प्रथा, जिसे *1965* के अधिनियम के आधार पर बनाए गए नियम *3 (*बी*)* के रूप में एक अधीनस्थ कानून का समर्थन दिया गया है, न तो हिंदू धर्म का एक आवश्यक और न ही एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हिंदू धर्म, जिसके भगवान अयप्पा के भक्त अनुयायी हैं, जीवित नहीं रहेगा। *[*पारस *122-123] [665-D-G] 3.2* कोई भी यह नहीं कह सकता कि किसी के धर्म का आवश्यक हिस्सा या अभ्यास किसी विशेष तिथि या घटना से बदल गया है। इस तरह के परिवर्तनशील भाग या प्रथाएं निश्चित रूप से धर्म का 'मूल' नहीं हैं जहां विश्वास आधारित है और धर्म आधारित है। इसे केवल गैर-आवश्यक भाग या प्रथाओं के लिए केवल अलंकरण के रूप में माना जा सकता है। *[*पैरा *124] [665-*जी-एच*]*

3.3 जहाँ समय के प्रवाह के साथ कोई प्रथा बदलती है, वहाँ इस तरह की प्रथा को एक मूल के रूप में नहीं माना जा सकता है जिस पर एक धर्म है।

गठित किया गया। आवश्यक अभ्यास का दर्जा प्राप्त करने के लिए अभ्यास में निर्बाध निरंतरता होनी चाहिए। एस. महेंद्रन के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से यह और स्पष्ट होता है कि देवस्वम बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था कि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिला उपासक अपने बच्चों को चावल खिलाने के पहले समारोह के लिए हर महीने पांच दिनों तक मंदिर जाती थीं और पूजा करती थीं। देवस्वम बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी रुख अपनाया कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध केवल मंडलम, मकैविलक्कु और विष्णु के दिनों के दौरान था। विवादित बहिष्करण

विचाराधीन प्रथा एक 'कुछ विचलन के साथ प्रथा' है क्योंकि *1950* में अधिसूचना के पारित होने से पहले, सभी आयु वर्ग की महिलाएं पहली बार चावल खिलाने के लिए सबरीमाला मंदिर जाती थीं। उनके बच्चों का समारोह। इसलिए, सबरीमाला मंदिर में अपनाई जाने वाली बहिष्करण प्रथा में कोई निरंतरता नहीं दिखाई देती है और इसे देखते हुए, इसे एक आवश्यक प्रथा के रूप में नहीं माना जा सकता है। *[*पारस *125,126] [666-*ए-डी*] [2018] 9* एस. सी. आर.

3.4 दूसरे आनंद मार्ग मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, अपवर्जन प्रथा का पालन किया जा रहा है

सबरीमाला मंदिर को एक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता जिनका पालन करने से हिंदू धर्म की प्रकृति बदल जाएगी या बदल जाएगी। इसके अलावा, बहिष्करण प्रथा को निर्बाध निरंतरता के साथ नहीं देखा गया है क्योंकि देवस्वम बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था कि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिला उपासकियाँ मंदिर जाती थीं और अपने बच्चों को चावल खिलाने के पहले समारोह के लिए हर महीने पांच दिनों तक पूजा करती थीं। *[*पैरा *144 (viii)] [674-*एफ-एच*]*

एस. सी. सी. *770 [2004] 2* एस. सी. आर. *1019*-पर निर्भर था।

एस. महेंद्रन बनाम सचिव, त्रावणकोर देवस्वोम

बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य ए. आई. आर. *1993*

केरल *42*-स्वीकृत।

जॉन वल्लामट्टम और एक अन्य वी। भारत संघ *(2003)*

6 एससीसी *611: [2003] 1* पूरक। एससीआर *638;* द

आयुक्त हिंदू धार्मिक दान, मद्रास

वी. श्री शिरूर के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार

मठ *[1954]* एससीआर *1005;* मोहम्मद। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर *1958* एस. सी *731: [1959]* एस. सी. आर. *629;* पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम। आशुतोष लाहिरी और अन्य ए. आई. आर. *1995* एस. सी. *464: [1994] 5* पूरक। एस. सी. आर. *515;* दरगाह

समिति, अजमेर और अन्य बनाम। सैयद हुसैन अली और

अन्य ए. आई. आर *1961* एस. सी. *1402 1962* एस. सी. आर. *383;* एन.

आदित्यन वी. त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और अन्य

(2002) 8 एससीसी *106: [2002] 3* पूरक। एस. सी. आर. *76;* आचार्य

जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्य वी।

पुलिस आयुक्त, कलकत्ता *(1983) 4* एस. सी. सी. *522: [1984] 1* एस. सी. आर. *447*-संदर्भित।

फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड बनाम। ओवरटाउन *(1904)* एसी *515 -*

संदर्भित किया गया।
1965 के अधिनियम और *1965* के नियमों के नियम *3 (*बी*)* का विश्लेषण

4.1 1965 के अधिनियम की धारा *2 (*ए*)* के अनुसार, 'हिंदू' शब्द में बौद्ध, सिख या जैन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति शामिल है।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

तर्क के शुद्ध और सरल कारण के लिए उसमें आने वाले 'व्यक्ति' शब्द में सभी लिंग शामिल होने चाहिए। खंड *(*ग*)* 'वर्ग या वर्ग' को किसी भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उप-जाति, संप्रदाय या संप्रदाय के रूप में परिभाषित करता है। कहीं भी परिभाषा नहीं

अनुभाग या वर्ग पुरुष विभाजन तक सीमित होने का सुझाव देता है, उप विभाजन, जाति आदि। *[* पैरा *128] [666-ई; 667-*बी-सी*]*

4.2 अधिनियम की धारा *3* एक गैर-अबाधित खंड होने के कारण घोषित करती है कि सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान जो हिंदुओं के लिए खुला है

धारा *3* के प्रयोजनों के लिए 'धारा या वर्ग' और 'हिंदू' की परिभाषा को खंड *2 (ए)* की परिभाषा से आयात करना होगा और *2 (*ग*)* जिसमें सभी लिंग शामिल हैं, बशर्ते वे हिंदू हों। धारा *3* के तहत प्रदान किए गए अधिकार को किसी भी कानून, प्रथा या इसके विपरीत उपयोग की परवाह किए बिना प्रभावी बनाया जाना चाहिए। *[* पारस *130,131] [667-*जी-एच*; 668-*ए-डी*]*

4.3 धारा *3* के प्रावधान में कहा गया है कि यदि सार्वजनिक पूजा का स्थान किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए स्थापित मंदिर है।

धारा *3* के तहत वारंट उस धार्मिक संप्रदाय या धारा के धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के अधीन हो जाता है। यह कहते हुए कि भगवान अयप्पा के भक्त और अनुयायी एक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं और इसलिए, इस मामले में धारा *3* के प्रावधान का सहारा नहीं लिया जा सकता है। *[* पैरा *132] [668-*डी-ई*]* *4.4* इस अधिनियम की धारा *3* के तहत हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए निर्धारित अधिकार का महत्व और गंभीरता, *[2018] 9* एस. सी. आर. से बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल में सार्वजनिक पूजा स्थलों के संबंध में व्यवस्था और शिष्टाचार का रखरखाव और संस्कारों और समारोहों का प्रदर्शन। धारा *4* का प्रावधान धारा *4 (1)* का अपवाद होने के नाते एक उदाहरण है जहां अपवाद नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं। धारा *4* के परंतुक की भाषा में बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में कहा गया है कि धारा *4 (1)* के तहत बनाए गए विनियम किसी भी हिंदू के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है। एक विशेष वर्ग या वर्ग में सभी आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि किसी भी आयु वर्ग की हिंदू महिलाएं भी हिंदुओं के एक वर्ग या वर्ग का गठन करती हैं। *[* पारस

133-135] [668 - जी-एच*; 669-*बी-सी*; 670-*ए-बी*]*

4.5 कानून इस बात पर अच्छी तरह से तय है कि जब एक नियम

धारा *3* के साथ-साथ धारा *4* दोनों का कारण यह है कि धारा *3* एक अबाधित प्रावधान होने के कारण स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला रहेगा। हिंदुओं में से, महिलाएं उनमें से एक हैं, चाहे कोई भी प्रथा या उपयोग इसके विपरीत हो। इसके अलावा, नियम *3 (*बी*)* भी धारा *4* के विपरीत है क्योंकि धारा *4 (1)* का परन्तुक इस प्रभाव के लिए एक अपवाद पैदा करता है कि धारा *4 (1)* के तहत बनाए गए विनियम/नियम किसी भी तरह से किसी भी हिंदू के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे।

इस आधार पर कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है। *[* पैरा *137,141,142,144 (ix)] [670-*एफ-जी*; 675-*ए*; 672-*एफ-जी*; 673-*ए*]*

भारत संघ और ओआरएस वी। एस. श्रीनिवासन *(2012) 7* एससीसी

683 : [2012] 6 एस. सी. आर. *34;* जनरल ऑफिसर कमांडिंग
इन-चीफ वी। डॉ. सुभाष चंद्र यादव एआईआर *1988* एससी

876 : [1988] 3 एस. सी. आर. *62;* कुंज बिहारी लाई बुटैल और ओरस

वी. एच. पी. ए. आई. आर. *2000* एस. सी. *1069: [2000] 1* एससीआर

1054 ; ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और एन. आर. वी. केंद्रीय

विद्युत नियामक आयोग *(2009) 15* एस. सी. सी. *570* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य

: [2009] 9 एससीआर *22;* टी. एन. राज्य और ए. एन. आर. वी. पी. कृष्णमूर्ति और ओआरएस *(2006) 4* एससीसी *517 [2006] 3*

एस. सी. आर. *396* संदर्भित है।

4.6 दोनों प्रावधानों की भाषा, यानी धारा *3* और *1965* अधिनियम की धारा *4 (1)* के प्रावधान, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रथा और उपयोग सभी के अधिकारों के लिए जगह बनाना चाहिए।

सार्वजनिक पूजा स्थलों पर प्रार्थना करने के लिए हिंदुओं के वर्ग और वर्ग। इसके विपरीत कोई भी व्याख्या नष्ट कर देगी

1965 के अधिनियम का उद्देश्य और अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार को बढ़ाता है। यह स्पष्ट है कि *1965* के अधिनियम के प्रावधान उदार प्रकृति के हैं ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों को प्रवेश की अनुमति दी जा सके। लेकिन धारा *4 (1)* की आड़ में नियम *3 (*बी*)* का निर्माण *1965* के अधिनियम के उद्देश्य का उल्लंघन करेगा। इस प्रकार, नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

एक्ट करें। *[* पैरा *143,144 (xii)] [673-*ए-सी*; 675-*एफ*]*

भारतीय युवा वकील संघ और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य *(2017) 10* एस. सी. सी. *689;* सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बॉम्बे राज्य *[1962]* पूरक। *2* एस. सी. आर. *496;* राजा बीर किशोर देब बनाम।

उड़ीसा राज्य *(1964) 7* एससीआर *32;* शास्त्री

यज्ञपुरुषदजी और अन्य बनाम। मुलदास भुंडरदास

वैश्य और एक अन्य *(1966) 3* एससीआर *242;* दरगाह

समिति, अजमेर बनाम। सैयद हुसैन अली *(1962) 1* एससीआर *383;* श्री वेंकटरमण देवरू बनाम। मैसूर राज्य और अन्य *[1958]* एससीआर *895;* दीपक सिब्बल बनाम। पंजाब विश्वविद्यालय और दूसरा *(1989) 2* एस. सी. सी. *145: [1989] 1* एससीआर *689;* शायरा बानो बनाम। भारत संघ और अन्य

(2017) 9 एससीसी *1: [2017] 7* एस. सी. आर. *797;* अनुज गर्ग और अन्य बनाम। भारतीय होटल संघ और अन्य *(2008) 3* एस. सी. सी. *1: [2007] 12* एससीआर *991;* चारू खुराना और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *(2015) 1* एस. सी. सी. *192: [2014] 12* एस. सी. आर. *259;* राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ और अन्य *(2014) 5* एस. सी. सी. *438;* न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *(2017) 10* एस. सी. सी. *1;* विशाखा और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य *(1997) 6* एस. सी. सी. *241: [1997] 3* पूरक। एस. सी. आर. *404;* शेषम्मल और अन्य बनाम।

[2018] 9 एस. सी. आर. का राज्य

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु *(1972) 2* एस. सी. सी. *11: [1972] 3* एस. सी. आर. *815;* आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य बनाम। तमिलनाडु सरकार और अन्य *(2016) 2* एस. सी. सी. *725: [2015] 11* एससीआर *1110;* टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य *(1995) 5* एस. सी. सी. *220 [1995] 2* पूरक। एस. सी. आर. *608;* देवकी नंदन बनाम। मुरलीधर और अन्य ए. आई. आर *1957* एस. सी. *133: [1956]* एस. सी. आर. *756;* श्री राधाकांत देब और एक अन्य वी. हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा *(1981) 2* एस. सी. सी. *226 [1981] 2* एस. सी. आर. *826* का उल्लेख किया गया।
आँख और कान *1813-1887* हेनरी वार्ड बीचर द्वारा

संदर्भित किया गया।
प्रति आर. एफ. नरीमन, जे. *(सहमत):*

1. सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा या उपयोग है

संविधान के अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत बनाए गए केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* और केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* के नियम *3 (*बी*)* का उल्लंघन करता है।

नियम, *1965* असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद *25 (1)* का उल्लंघन करता है। और संविधान का अनुच्छेद *15 (1)*। *[* पैरा *32] [723-*ई*-*एफ*]*

2.1 संविधान का अनुच्छेद *25* "सभी व्यक्तियों" के पक्ष में एक मौलिक अधिकार को मान्यता देता है जिसमें प्राकृतिक अधिकार का संदर्भ है।

लोग। यह मौलिक अधिकार ऐसे सभी व्यक्तियों को उक्त मौलिक अधिकार का समान रूप से हकदार बनाता है। धार्मिक समुदाय के प्रत्येक सदस्य को धर्म का पालन करने का अधिकार है, जब तक कि वह किसी भी तरह से अपने सह-धर्मवादियों के समान अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। मौलिक अधिकार की सामग्री संविधान की प्रस्तावना में "विचार, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता" के रूप में बताई गई है। इस प्रकार, सभी

व्यक्ति विवेक की स्वतंत्रता के हकदार हैं और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार। धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार में सभी कार्य शामिल होंगे।

विचार, विश्वास, विश्वास और पूजा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अधिकार की सामग्री स्वयं "धर्म" शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ व्यक्तियों या समुदायों के साथ विश्वास के मामले होंगे। मान्यताओं या सिद्धांतों की एक प्रणाली पर आधारित जो आध्यात्मिक भारतीय युवा वकीलों को प्रेरित करती है।

वी. केरल राज्य

जो अज्ञेयवादी और नास्तिक हैं। *[* पैरा *21.1-21.5] [709-*डी-जी*]* *2.2* यह धर्म का केवल अनिवार्य हिस्सा है, जैसा कि धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से अलग है, जो धर्म का विषय है।

मौलिक अधिकार। अंधविश्वासी मान्यताएँ जो धर्म के लिए बाहरी, अनावश्यक वृद्धि हैं, उन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता है

धर्म के अनिवार्य भाग। धार्मिक आस्था और/या विश्वास के लिए आवश्यक मामलों को अदालत के समक्ष साक्ष्य के आधार पर आंका जाना चाहिए कि इस तरह के विश्वास की अनिवार्यता के बारे में धर्म का दावा करने वाले समुदाय का क्या कहना है। एक परीक्षण जो हुआ

यह धर्म से एक आवश्यक विश्वास के रूप में बताए गए विशेष विश्वास को हटाने के लिए विकसित किया जाएगा, क्या धर्म वही रहेगा या इसे बदला जाएगा। समान रूप से, यदि किसी धार्मिक समुदाय के विभिन्न समूह विभिन्न आवाजों के साथ बोलते हैं

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनिवार्यता पहलू, न्यायालय तब है

यह तय करना कि ऐसा मामला आवश्यक है या नहीं। धार्मिक गतिविधियों को धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के साथ भी मिलाया जा सकता है, इस मामले में गतिविधि परीक्षण की प्रमुख प्रकृति को लागू किया जाना है। न्यायालय को एक सामान्य ज्ञान वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इसके द्वारा प्रेरित होना चाहिए - व्यावहारिक आवश्यकता पर विचार। *[* पैरा *21.6] [709-*जी-एच*; 710* ए-सी*]*

2.3 व्यक्तिगत अधिकार के अपवाद सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य हैं। " सार्वजनिक व्यवस्था को "कानून और व्यवस्था" से अलग किया जाना है। सार्वजनिक अव्यवस्था "को बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करना चाहिए

कुछ व्यक्तियों के विपरीत। सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी से सार्वजनिक शांति में सामान्य गड़बड़ी होनी चाहिए। "नैतिकता" शब्द को परिभाषित करना मुश्किल है। वर्तमान में, यह उस चीज़ को संदर्भित करता है जिसे सभ्य समाज के लिए घृणित माना जाता है,

समय की आदतें, शोषण या क्षरण के कारण होने वाले नुकसान के कारण। स्वास्थ्य में ध्वनि प्रदूषण शामिल होगा और

रोग का नियंत्रण। *[* पैरा *21.7] [710-*सी-ई*]*

2.4 अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का एक अन्य अपवाद वे अधिकार हैं जो भाग *III* के अन्य प्रावधानों द्वारा दूसरों को प्रदान किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि यदि कोई अपने धर्म का प्रचार इस

तरह से करता है कि वह किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का धर्मांतरण करे, तो इस तरह का धर्मांतरण दूसरे व्यक्ति के विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ टकराव होगा और,

इसलिए, हस्तक्षेप करें। जहाँ धर्म का पालन *[2018] 9* एस. सी. आर. है।

राज्य द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर अनुच्छेद *14,15 (1), 19* और *21* लागू होंगे। जहाँ धर्म के आचरण में हस्तक्षेप किया जाता है

गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा अनुच्छेद *15 (2)* और अनुच्छेद *17* लागू किया जाएगा। अनुच्छेद *25 (2)* भी अनुच्छेद *25 (1)* का एक अपवाद है, जो राज्य द्वारा ऐसे कानून बनाने की बात करता है जो विनियमित या विनियमित कर सकते हैं।

धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को प्रतिबंधित करें, जिसमें आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधि शामिल है, जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है। एक अन्य अपवाद अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत प्रदान किया गया है जो दो भागों में है। समाज कल्याण और सुधार का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून

धार्मिक समुदाय अनुच्छेद *25 (1)* के तहत दिए गए मौलिक अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है और/या छीन सकता है। एक और अपवाद केवल हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के रूप में प्रदान किया गया है।

2.5 अनुच्छेद *25 (1)* में मौलिक अधिकार के विपरीत, अनुच्छेद *26* द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों या उनके वर्गों को दिया जाता है। एक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग का निर्धारण उन व्यक्तियों के आधार पर किया जाना है जिनके पास एक समान संप्रदाय है।

विश्वास, एक सामान्य संगठन, और एक विशिष्ट नाम से एक संप्रदाय या उसके खंड के रूप में नामित। एक विशेष धर्म के विश्वासियों को संप्रदाय के उपासकों से अलग किया जाना चाहिए। इस प्रकार, शैव और वैष्णव पूजा के हिंदू विश्वासी संप्रदाय के उपासक नहीं हैं, बल्कि संप्रदाय का हिस्सा हैं।

2.6 अनुच्छेद *26* द्वारा धार्मिक संप्रदायों या उनकी धाराओं को चार अलग-अलग और विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, अर्थात् धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव; धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए;

और चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण करना; और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति। अनुच्छेद *25* में केवल आवश्यक धार्मिक मामलों की रक्षा की गई है। *[* पैरा *21.12] [711-F-G; 712-A]*

2.7 अनुच्छेद *26* के तहत दिया गया मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अपवाद के अधीन है। हालाँकि, चूंकि अनुच्छेद *26* के तहत दिए गए अधिकार का अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के साथ सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना है, इसलिए विशेष रूप से अनुच्छेद *26 (*बी*)* द्वारा दिए गए धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार भारतीय युवा वकीलों का होगा।

वी. केरल राज्य

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत बनाए गए कानूनों के अधीन होना चाहिए जो सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की धार्मिक संस्थाओं को खोलते हैं और

हिंदुओं के वर्ग। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भले ही किसी सार्वजनिक चरित्र के हिंदू मंदिर में व्यक्तियों का प्रवेश धर्म के मामलों में उसके अपने मामलों के प्रबंधन से संबंधित होगा, फिर भी इस तरह के मंदिर में प्रवेश एक कानून के अधीन होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या उसकी धारा के स्वामित्व और प्रबंधन वाली सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्था को सभी वर्गों या वर्गों के लिए खोल देगा।

हिंदुओं के वर्ग। हालाँकि, धार्मिक प्रथाओं द्वारा

मूल्यवर्ग या उसकी धारा, जिसका कुछ व्यक्तियों के मंदिर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रभाव नहीं है, या अन्यथा भेदभावपूर्ण नहीं है, अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत पारित हो सकती है। उदाहरण हैं कि केवल कुछ योग्य व्यक्तियों को ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति है, या मंदिर का समय प्रबंधन जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है। *[* पारस *21.13,21.14] [712-A-E]*

एस. महेंद्रन बनाम सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य ए. आई. आर. *1993*

केरल *42*-संदर्भित।

2.8 सभी पुराने धर्म इस घटना की बात करते हैं

महिलाओं में मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है, जो इसलिए धार्मिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को मना करता है। सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिए गए कारणों को उपासक और थंथरी समान रूप से अपने विश्वास का एक अनिवार्य पहलू मानते हैं। *[* पारस *24-25] [715-G-H; 719-B-C]*

पुराना नियम, अध्याय *15*, आयत *19* लैव्यव्यवस्था *15: 19 (* राजा जेम्स संस्करण*);* धर्मसूत्र-अपस्तंब, गौतम, बौधायन और वशिष्ठ के कानून संहिताएँ

264 (पैट्रिक ओलिवेल, ऑक्सफोर्ड द्वारा अनुवाद

यूनिवर्सिटी प्रेस, *1999);* श्रीमद भागवतम-छठा

कैंटो *(*ए. सी. भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा अनुवादित*)*
प्रभुपाद, द भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, *1976);* कुरान-आधुनिक में व्याख्या के साथ

अंग्रेजी, *2: 222 (* अली उनाल, तुगरा बुक्स द्वारा अनुवाद
संयुक्त राज्य अमेरिका, *2015);* मार्क का सुसमाचार *5.25-34 (*किंग जेम्स

संस्करण*);* बुंदाहिश्न-"सृजन" या ज़ंद से ज्ञान *(*ई. डब्ल्यू. वेस्ट द्वारा अनुवाद, पूरब की पवित्र पुस्तकों से, खंड। *5* , *37* , और *46*, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय *[2018] 9* एस. सी. आर.

प्रेस, *1880,1892,* और *1897);* के चयन

ज़ादस्प्राम *(*विज़िदागिहा प्रथम ज़ादस्प्राम*) (*जोसेफ एच.

पीटरसन एड। , *1995) (* ई. डब्ल्यू. वेस्ट द्वारा अनुवाद, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट से, खंड। *5* , *37* , और *46,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *1880,1892* और *1897);* श्री गुरु ग्रंथ साहिबः मूल पाठ का अंग्रेजी अनुवाद *466-467,975 (*डॉ. गोपाल सिंह द्वारा अनुवाद, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, *2005) [*जिसका अनुवाद राग आसा, शलोका मेहला *1* है। *472* , *1022* श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मूल पाठ का*];* किताब-ए-बहाउल्लाह द्वारा अक्दास, पृष्ठ *106* पर टिप्पणी करें। *122 (* शोघी एफ़ेंदी द्वारा अनुवाद, बहाई विश्व केंद्र, *1992)*-संदर्भित।

2.9 जहां तक संबंध है, सवाल यह उठता है कि क्या

उपासक, बिना किसी भी तरह से, हिंदू, ईसाई या मुसलमान होना बंद कर देते हैं। इसलिए उन्हें हिंदू माना जा सकता है, जैसा कि श्री आदि विशेश्वर मामले में माना गया है, जो हिंदू धार्मिक पूजा के हिस्से के रूप में भगवान अयप्पा की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन सांप्रदायिक उपासकों के रूप में नहीं। वैसा ही होता है। अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों के लिए। *[* पैरा *26] [719-*सी-एफ*]*

काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के श्री आदि विशेश्वर और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। *(1997) 4* एससीसी *606: [1997] 2* एस. सी. आर. *1086-*पर निर्भर।

दरगाह समिति, अजमेर और अन्य बनाम। सैयद हुसैन अली और अन्य एआईआर *1961* एससी *1402 1962* एससीआर *383;* एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ और अन्य *(1983) 1* एस. सी. सी. *51 [1983] 1* एस. सी. आर. *729-*संदर्भित।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

2.10 उपासकों को कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया जाता है।

इस विशेष मंदिर का; किसी विशेष धर्म या उसके वर्ग के लिए सामान्य विश्वास के अर्थ में कोई सामान्य विश्वास नहीं है; या सबरीमाला मंदिर के उपासकों का सामान्य संगठन ताकि उक्त मंदिर को एक धार्मिक संप्रदाय में गठित किया जा सके। इसके अलावा, एक हजार से अधिक अन्य अयप्पा मंदिर हैं जिनमें सभी प्रकार के हिंदुओं का पालन करके देवता की पूजा की जाती है।

इसलिए, अनुच्छेद *26* आकर्षित नहीं होता है। *[* पैरा *27] [720-*डी-ई*]*

2.11 भले ही यह माना जाता है कि कोई प्रथा या उपयोग है

10 से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए, और यह कि यह प्रथा थंथ्रियों के साथ-साथ उपासकों की आस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, यह प्रथा या उपयोग स्पष्ट रूप से केरल के हिंदू स्थानों की धारा *3* द्वारा प्रभावित है। सार्वजनिक पूजा *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965*। चूँकि धारा का परंतुक इस मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं है, और चूंकि उक्त अधिनियम स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत अधिनियमित एक उपाय है, इसलिए किसी भी धार्मिक अधिकार का दावा प्रथा के आधार पर किया जाता है और

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत धार्मिक प्रथा के एक आवश्यक मामले के रूप में उपयोग, अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत बनाए गए कानून के अधीन होगा। अतः उक्त प्रथा या उपयोग को उल्लंघनकारी माना जाना चाहिए।

धारा *3* और इसलिए, निरस्त कर दिया गया। *[* पैरा *28] [720-*एफ-जी; *721-*सी-डी*]*

2.12 अन्यथा भी महिलाओं का मौलिक अधिकार

सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए *10* से *50* वर्ष की आयु के बीच निस्संदेह अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा मान्यता प्राप्त है। थंथ्रियों और संस्था के उपासकों द्वारा दावा किया गया मौलिक अधिकार, उसी अनुच्छेद *25 (1)* के तहत प्रथा और उपयोग के आधार पर, आवश्यक रूप से ऐसी महिलाओं के मौलिक अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म का पालन करने के समान रूप से हकदार हैं, जो तब तक अर्थहीन होगा जब तक कि उन्हें भगवान अयप्पा की मूर्ति की पूजा करने के लिए सबरीमाला के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह निवेदन कि सभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कोई फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, यह निवेदन कि ऐसी महिलाएं अन्य अयप्पा मंदिरों में पूजा कर सकती हैं, धर्म का पालन करने के उनके मौलिक अधिकार से इनकार करने का कोई जवाब नहीं है, जिसमें उनकी पसंद के किसी भी मंदिर में पूजा करने का अधिकार शामिल है। इस आधार पर भी, धर्म का पालन करने का अधिकार, जैसा कि थंथ्रियों और उपासकों द्वारा दावा किया गया है, को *[2018] 9* एस. सी. आर. के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10 से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के मौलिक अधिकार के लिए, जिन्हें मंदिर में प्रवेश करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सबरीमाला, मासिक धर्म के जैविक आधार पर आधारित है। केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम, *1965* का नियम *3 (*बी*)* केरल की धारा *3* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965*, और भारत के संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *15 (1)* द्वारा प्रभावित है क्योंकि यह नियम महिलाओं के साथ भेदभाव करता हैः

केवल उनका लिंग। *[* पैरा *29] [721-*डी-एच; *722-*ए, डी*]*

2.13 तत्काल मामला आम तौर पर महिलाओं से संबंधित गंभीर मुद्दों को उठाता है, जिनकी आयु *10* से *50* वर्ष के बीच होती है, और उन्हें शारीरिक या जैविक कार्य के आधार पर सबरीमाला में मंदिर में प्रवेश करने की

अनुमति नहीं है जो उन उम्र की सभी महिलाओं के लिए सामान्य है। चूंकि यह मामला संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* से संबंधित दूरगामी परिणामों को जन्म देता है

भारत में, इस मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करना आवश्यक है।

नतीजतन, तकनीकी याचिका कि तत्काल रिट याचिका, जो एक जनहित याचिका की प्रकृति में है, बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि कोई भी महिला उपासक इस याचिका के साथ आगे नहीं आई है कि उसने मंदिर में उसके प्रवेश की अनुमति नहीं देकर उसके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वह *10* से *50* वर्ष की आयु के बीच है और मामले में संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने वाली संवैधानिक अदालत के रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती है। *[* पैरा *30] [722-*ई, एच; *723-*ए-बी*]*

आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य। वी. तमिलनाडु सरकार और ए. एन. आर. *(2016) 2* एससीसी *725: [2015] 11* एस. सी. आर. *1110-*संदर्भित।

2.14 प्रत्यर्थियों की ओर से कुछ वकीलों द्वारा एक जोरदार याचिका दायर की गई थी कि अदालत को इस मामले का फैसला नहीं करना चाहिए

दोनों तरफ से कोई सबूत पेश किए बिना। रिट याचिका और रिट याचिका में दायर किए गए हलफनामों के रूप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा दोनों के रूप में साक्ष्य बहुत अधिक है। साथ ही बोर्ड द्वारा, और थंथरी के शपथ पत्र द्वारा। किसी भी अनुच्छेद के तहत दायर एक रिट याचिका। *32* या *226* अपने आप में केवल एक अभिवचन नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य भी है। *[* पैरा *31] [723-*बी-डी*]*

भरत सिंह और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य।

[1988] पूरक *2* एस. सी. आर. *1050-*पर निर्भर था।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती,

मद्रास बनाम. श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार *[1954]* एस. सी. आर. *1005;* रतिलाल पनाचंद

गांधी बनाम. द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *[1954]* एस. सी. आर. *1055;* श्री वेंकटरमण देवरू बनाम। मैसूर राज्य और अन्य *[1958]* एससीआर *895;* सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बॉम्बे राज्य *[1962]* पूरक। *2* एससीआर *496;*

तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज आदि। की स्थिति

राजस्थान और ओआरएस। *[1964] 1* एस. सी. आर. *561;* शेषम्मल और

अन्य वी। तमिलनाडु राज्य *(1972) 2* एससीसी *11: [1972] 3* एससीआर *815;* रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *(1977) 1* एस. सी. सी. *677: [1977] 2* एस. सी. आर. *611;* आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्य बनाम। पुलिस आयुक्त, कलकत्ता *(1983) 4* एस. सी. सी. *522: [1984] 1* एस. सी. आर. *447;* काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री आदि विशेश्वर, वाराणसी और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य राज्य।

(1997) 4 एससीसी *606: [1997] 2* एस. सी. आर. *1086;* एन. आदित्यन बनाम। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और अन्य

(2002) 8 एससीसी *106: [2002] 3* पूरक। एस. सी. आर. *76;* डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। टी. एन. और अन्य का राज्य। *(2014) 5* एस. सी. सी. *75 [2014] 1* एस. सी. आर. *308;* रिजु प्रसाद शर्मा और अन्य। वी. असम राज्य और अन्य। *(2015) 9* एससीसी *461;* आदि
शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य। वी.

तमिलनाडु सरकार और अन्र. *(2016) 2* एससीसी *725: [2015] 11* एस. सी. आर. *1110* संदर्भित है।

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, जे. *(*सहमत*):*

1. भगवान अयप्पा के भक्त न्यायिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत एक धार्मिक संप्रदाय के गठन की आवश्यकताएँ। धार्मिक पूजा से महिलाओं के बहिष्कार का दावा, भले ही वह धार्मिक ग्रंथ में आधारित हो, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के संवैधानिक मूल्यों के अधीन है। बहिष्करण प्रथाएं संवैधानिक नैतिकता के विपरीत हैं। किसी भी मामले में, सबरीमाला मंदिर से महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। न्यायालय को उन प्रथाओं को संवैधानिक वैधता देने से इनकार करना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा और समान नागरिकता के उनके अधिकार का अपमान करती हैं। मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता का एक रूप है जो एक अभिशाप है *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संवैधानिक मूल्यों के लिए। "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणा, जो व्यक्तियों को कलंकित करती है, का संवैधानिक क्रम में कोई स्थान नहीं है। देवस्वम बोर्ड द्वारा दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचनाएं *1965* के अधिनियम की धारा *3* के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और अन्यथा भी असंवैधानिक हैं। हिंदू महिलाएं *1965* के अधिनियम की धारा *2* के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* के तहत हिंदुओं की एक 'धारा या वर्ग' का गठन करती हैं। *1965* के नियमों का नियम *3 (*बी*)* धारा *3* के विपरीत एक प्रथा को लागू करता है। यह सीधे

धारा *3* द्वारा स्थापित मंदिर में प्रवेश के अधिकार का उल्लंघन करता है। नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। *[* पैरा *119] [839-*ई-एच*; 840-*ए-सी*]*

2.1 फ़ेमरों के सामने यह सुनिश्चित करने का कार्य था कि

व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक प्रकृति के दावों के बीच संतुलन। संविधान सभा ने माना कि वास्तव में एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की मान्यता व्यक्ति को 'राज्य की रीढ़, धुरी, सभी सामाजिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जिसकी खुशी और संतुष्टि प्रत्येक सामाजिक तंत्र का लक्ष्य होना चाहिए।' सामाजिक पिरामिड के आधार और शिखर के निर्माण में, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा संवैधानिक व्यवस्था और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए उसकी आकांक्षाओं को उजागर करती है। सामाजिक भेदभाव की मौजूदा संरचनाओं का मूल्यांकन संवैधानिक नैतिकता के चश्मे से किया जाना चाहिए। प्रभाव और

प्रयास प्रत्येक व्यक्ति के प्रति करुणा से चिह्नित समाज का निर्माण करना है। *[*पैरा *113] [837-*बी-डी*]*

2.2 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पालन करना, बिना किसी अपवाद के, सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की समान भागीदारी इस अधिकार की मान्यता है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में, निर्माताओं ने भाग *III* में समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल संवैधानिक अभिधारणाओं को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन कर दिया। महिलाओं की गरिमा को धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग से अलग नहीं किया जा सकता है। प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम में, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग भाग *III* के प्रावधानों में अंतर्निहित दृष्टि के अनुरूप तरीके से किया जाना है। बराबरी का

पूजा में महिलाओं की भागीदारी एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की संवैधानिक दृष्टि में निहित है। *[*पैरा *114] [837-*डी-एफ*]*

2.3 संविधान में स्वतंत्रता की चर्चा नहीं हो सकती

भाग *III* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. में एक अनुच्छेद का अर्थ लगाकर इसके संदर्भ को अस्वीकार किया जाए।

वी. केरल राज्य

2.4 संविधान उन लोगों के लिए समानता और न्याय पर आधारित एक परिवर्तित समाज प्राप्त करने का प्रयास करता है जो पीड़ित हैं। श्रेणीबद्ध असमानता में स्थापित पारंपरिक विश्वास प्रणालियाँ। यह उन सभी व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करने की गारंटी को दर्शाता है जिन्होंने इसका सामना किया है

व्यवस्थित भेदभाव, पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार।

इस संदर्भ में, अस्पृश्यता के खिलाफ निषेध सामाजिक संरचना के पदानुक्रम के आधार पर व्यक्तियों और समूहों के कलंक और बहिष्कार को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली गारंटी का प्रतीक है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं का उपयोग किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है। में।

प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य गरिमा और मूल्य को स्वीकार करते हुए, इन धारणाओं को अस्पृश्यता के खिलाफ गारंटी और संविधान में निहित स्वतंत्रताओं द्वारा निषिद्ध किया गया है। सामाजिक जीवन की तरह नागरिक जीवन में भी महिलाओं को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है। रूढ़िवादी और सामाजिक बहिष्कार। धार्मिक जीवन में, बहिष्कृत पारंपरिक रीति-रिवाज वैधता का दावा करते हैं जो इसकी उत्पत्ति पितृसत्तात्मक संरचनाओं से होती है। भेदभाव के ये रूप परस्पर अनन्य नहीं हैं। सामाजिक और धार्मिक जीवन में पहचानों का प्रतिच्छेदन भेदभाव का एक अनूठा रूप पैदा करता है जो महिलाओं को संविधान के तहत समान नागरिकता से वंचित करता है। परस्पर विरोधी भेदभाव के इन रूपों को पहचानना परस्पर विरोधी पहचानों से जुड़े भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। *[*पैरा *116] [838* बी-ई*]*

2.5 संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच बातचीत में, अधिकार अलग-थलग नहीं हैं। एक-दूसरे को मूल रूप से प्रभावित करने में

अंत में, वे एक सामंजस्य और एकता प्रदान करते हैं जो उन प्रथाओं के खिलाफ लड़ती है जो *[2018] 9* एस. सी. आर. के मूल्यों से अलग होती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूजा में पूर्णता पाने के लिए। संविधान के आगमन के अड़सठ साल बाद, यह माना गया है कि समानता प्रदान करने में आस्था और पूजा के मामलों में, संविधान महिलाओं के बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है। *[* पैरा *117] [838-*एफ-एच*; 839-*ए-सी*]*

2.6 आस्था, आस्था और पूजा के मामलों में स्वतंत्रता को एक दयालु और मानवीय समाज का निर्माण करना चाहिए। अपने सभी नागरिकों की स्थिति की समानता। संविधान ने सामाजिक पदानुक्रम की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करते हुए, उसने चाहा कि

स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के एक युग की शुरुआत। संविधान के उदार मूल्य प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिकता प्रदान करते हैं। यह मान्यता है कि

संविधान न केवल भेदभाव और पूर्वाग्रह की दृढ़ संरचनाओं को नष्ट करने के लिए मौजूद है, बल्कि उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी मौजूद है जो

परंपरागत रूप से समान नागरिकता से वंचित किया गया है। राष्ट्र के जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी इस आधार को कायम रखती है। *[* पैरा *118] [839-*सी-ई*]*

आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ

3.1 धार्मिक स्वतंत्रता पर अपने न्यायशास्त्र में, इस न्यायालय ने सिद्धांतों का एक निकाय विकसित किया है जो स्वतंत्रता को परिभाषित करता है

धर्म के लिए 'आवश्यक' प्रथाओं के लिए अनुच्छेद *25* और अनुच्छेद *26* के तहत धर्म। संविधान का आयोजन न केवल धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया है, बल्कि इसके अनुसरण में किए गए कार्यों के लिए भी किया गया है -

उन मान्यताओं को। जबकि एक धार्मिक संप्रदाय के विचारों को यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या एक अभ्यास आवश्यक है, वे विचार इसकी अनिवार्यता का निर्धारण नहीं करते हैं। न्यायालय ने यह निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है कि भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. क्या है।

वी. केरल राज्य

धार्मिक आस्था के लिए आवश्यक नहीं है। न्यायालय द्वारा बनाई गई भूमिका के अंतर्गत, उसने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्रथा के बीच अंतर करने की कोशिश की है, भले ही वह किसी धार्मिक गतिविधि से जुड़ी हो। आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने इस बात की जांच की है कि क्या कोई प्रथा धर्म के लिए आवश्यक है। प्रथा की

अनिवार्यता, जैसा कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या किसी धर्म के मौलिक चरित्र को बदला जाएगा, यदि इसका पालन नहीं किया गया था। इन सबसे ऊपर, संवैधानिक वैधता पर जोर दिया जाता है, जो व्यक्ति की गरिमा से जुड़े बुनियादी संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। धर्म और अंधविश्वास के बीच अल्पकालिक अंतर

3.2 एक अभ्यास की अनिवार्यता को निर्धारित करने में, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या अभ्यास एक अभ्यास के लिए निर्धारित किया गया है। उस धर्म के भीतर अनिवार्य प्रकृति। यदि कोई प्रथा वैकल्पिक है, तो यह माना गया है कि इसे किसी धर्म के लिए 'आवश्यक' नहीं कहा जा सकता है। आवश्यक होने का दावा करने वाली प्रथा ऐसी होनी चाहिए कि प्रकृति

उस प्रथा के अभाव में धर्म में परिवर्तन किया जाएगा। यदि धर्म के चरित्र में मौलिक परिवर्तन होता है, तभी इस तरह की प्रथा को उस धर्म का एक 'आवश्यक' हिस्सा होने का दावा किया जा सकता है। *[* पैरा *48] [769-*सी-ई*]*

3.3 जहां सांप्रदायिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* द्वारा प्रदत्त अधिकार को काफी कम कर देगा, वहां अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* पहले वाले के खिलाफ प्रबल होगा। यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत संवैधानिक गारंटी को बहिष्कृत दावों द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है जो व्यक्तिगत गरिमा को कम करते हैं। यह कि आवश्यक होने का दावा करने वाली प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है या धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, इसे तब तक संवैधानिक संरक्षण नहीं देता जब तक कि यह अनिवार्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरती। *[* पैरा *48] [769-*एच*; 770-*ए-बी*]*

दरगाह समिति, अजमेर और अन्य बनाम। सैयद हुसैन अली और अन्य ए. आई. आर. *1961* एस. सी. *1402 [1962]* एस. सी. आर. *383;* सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बॉम्बे राज्य *[1962]* पूरक। *2* एससीआर *496;* तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज आदि। राजस्थान राज्य और अन्य।

[1964] 1 एस. सी. आर. *561-*निर्भर।

[2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयुक्त हिंदू धार्मिक दान, मद्रास

वी. श्री शिरूर के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार

मठ *[1954]* एससीआर *1005;* रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम।
द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *[1954]* एससीआर *1055;* श्री

वेंकटरमण देवरू बनाम। मैसूर राज्य और अन्य

[1958] एस. सी. आर. *895;* मो. हनीफ कुरेशी बनाम। की स्थिति

बिहार आकाशवाणी *1958* एससी *731: [1959]* एससीआर *629;* शास्त्री

यज्ञपुरुषदजी बनाम। मुलदास भुंडरदास वैश्य और

एससीआर

एक और

(1966)

आचार्य

3

242 ;

अवधूत अवधूत और अन्य बनाम।

जगदीश्वरानंद

पुलिस आयुक्त, कलकत्ता *(1983) 4* एस. सी. सी. *522:*

[1984] 1 एस. सी. आर. *447;* काशी के श्री आदि विशेश्वर

विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और अन्य। वी. यू. पी. राज्य

और ओआरएस। *(1997) 4* एससीसी *606 [1997] 2* एससीआर *1086;* एन।

आदित्यन वी. त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और अन्य

(2002) 8 एससीसी *106: [2002] 3* पूरक। एससीआर *76;*

पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम आचार्य

जगदीश्वरानंद अवधूत और एक अन्य *(2004) 12*

एससीसी *770: [2004] 2* एससीआर *1019;* आदि शैव

शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य बनाम। सरकार
तमिलनाडु और अन्य *(2016) 2* एस. सी. सी. *725: [2015]*

11 एस. सी. आर. *1110;* शायरा बानो बनाम। भारत संघ और

अन्य *(2017) 9* एस. सी. सी. *1: [2017] 7* एससीआर *797;* जावेद बनाम

हरियाणा राज्य *(2003) 8* एससीसी *369: [2003] 1* पूरक।

एस. सी. आर. *947*-संदर्भित।

एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा 'ज़ विट्नेस इनकॉर्पोरेटेड

बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल *[1943]* एच. सी. ए. *12* -
संदर्भित किया गया।

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का जुड़ाव

संवैधानिक मूल्य

4.1 न्यायालय को संवैधानिक मंजूरी देने के खिलाफ झुकना चाहिए

ऐसे दावे का संरक्षण जो अधिकारों और सुरक्षा के समान धारकों के रूप में महिलाओं की गरिमा का अपमान करता है। संविधान के लोकाचार में, यह अकल्पनीय है कि पूजा के अधिकार की शर्त लगाने के लिए उम्र एक तर्कसंगत आधार हो सकता है। दस से पचास वर्ष की आयु को इस आधार पर अपवर्जन के लिए चिह्नित किया गया है कि उस आयु वर्ग की महिलाओं के प्रजनन की आयु में होने की संभावना है। एक महिला की शारीरिक विशेषताओं का संविधान के तहत उसके समान अधिकारों के लिए कोई महत्व नहीं है। दस वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाएँ और भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य

पचास किसी भी मामले में 'प्रजनन आयु वर्ग' में नहीं आ सकते हैं। लेकिन यह फिर से सार की बात नहीं है। इस मामले का केंद्र संविधान की इस बात पर जोर देने की क्षमता में निहित है कि पूजा से महिलाओं का बहिष्कार गरिमा के साथ असंगत है, स्वतंत्रता का विनाशकारी है और सभी मनुष्यों की समानता से इनकार है। ये संवैधानिक मूल्य एक ऐसे सिद्धांत के रूप में हर चीज से ऊपर खड़े हैं जो धार्मिक विश्वास के दावे का सामना करने पर भी कोई अपवाद नहीं है। महिलाओं को बाहर करना समान नागरिकता के लिए अपमानजनक है। *[* पैरा *54] [774-*बी-एफ*]*

4.2 एक धारणा है जो टिक नहीं सकती है

संवैधानिक जांच। इस तरह के दावे में धारणा यह है कि द्वारा देखी गई ब्रह्मचर्य और तपस्या से विचलन

अनुयायियों का कारण महिलाओं की उपस्थिति होगी। इस तरह की

दावे को संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं माना जा सकता है। तर्क। इसका प्रभाव एक महिला पर एक पुरुष के ब्रह्मचर्य का बोझ डालना और उसे एक महिला से विचलन के कारण के रूप में बनाना है।

ब्रह्मचर्य। इसके बाद इसका उपयोग उन स्थानों तक पहुंच से इनकार करने के लिए किया जाता है जहां महिलाएं समान रूप से हकदार हैं। यह सुझाव देना कि महिलाएं व्रत नहीं रख सकती हैं, उन्हें कलंकित करना और उन्हें कमजोर और कम मानव होने के रूप में रूढ़िबद्ध करना है। एक संवैधानिक न्यायालय जैसे कि

इस एक, इस तरह के दावों को पहचानने से इनकार करना चाहिए। *[* पैरा *55] [774-*जीएच*; 775-*ए-बी*]*
4.3 मानवीय गरिमा व्यक्तियों के बीच समानता का प्रतिपादन करती है। सभी मनुष्यों की समानता का अर्थ है इससे मुक्त होना

रूढ़िवादिता का प्रतिबंधात्मक और अमानवीय प्रभाव और कानून के संरक्षण के लिए समान रूप से हकदार होना। हमारे संविधान ने इच्छा व्यक्त की है कि गरिमा, स्वतंत्रता और समानता व्यक्तियों, राज्य और इस न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करती है। यद्यपि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म के लिए आवश्यक अधिकारों और प्रथाओं की रक्षा करता है, यह न्यायालय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के प्रयास द्वारा निर्देशित होगा। प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम में, ये ऐसे मूल्य हैं जिन पर संविधान की इमारत खड़ी है। वे जलाते हैं।

भविष्य के लिए एक दृष्टि के साथ संवैधानिक व्यवस्था-एक न्यायपूर्ण, समान और गरिमापूर्ण समाज। इन मूल्यों के लिए आंतरिक रूप से विरोधी बहिष्करण है।

सिद्धांत। बहिष्करण गरिमा के लिए विनाशकारी है। एक महिला को पूजा की शक्ति से अलग करना मूल रूप से इसके विपरीत है

संवैधानिक मूल्य। *[* पैरा *56] [775-*बी-डी*] [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.4 मासिक धर्म के आसपास का कलंक मासिक धर्म वाली महिलाओं की अशुद्धता के बारे में पारंपरिक मान्यताओं के इर्द-गिर्द बनाया गया है। संवैधानिक व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है। इन मान्यताओं का उपयोग महिलाओं को बांधने के लिए, उन्हें बराबरी से वंचित करने के लिए किया गया है। अधिकार प्रदान करते हैं और उन्हें पितृसत्तात्मक आदेश के आदेशों के अधीन करते हैं। एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति उसे होने की गरिमा और व्यक्तित्व की स्वायत्तता से वंचित करने के लिए एक वैध संवैधानिक आधार नहीं हो सकती है। एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति गहरी व्यक्तिगत और उसकी गोपनीयता का एक आंतरिक हिस्सा है। संविधान को इसे एक ऐसी विशेषता के रूप में मानना चाहिए जिसके आधार पर कोई बहिष्कार नहीं किया जा सकता है और कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी निकाय या समूह इसे एक महिला की खोज में बाधा के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है।

पूर्ति, जिसमें निर्माता के साथ जुड़ाव में उसे सांत्वना मिलना भी शामिल है। *[* पैरा *57] [775-*ई-जी*]*

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य *(2018) 8* स्केल *72;* एस. महेंद्रन बनाम। द.

सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड,

तिरुवनंतपुरम और अन्य ए. आई. आर. *1993* केरल *42;* आदि शैव शिवाचारियारगल बनाम। तमिलनाडु सरकार और अन्य *(2016) 2* एस. सी. सी. *725: [2015] 11* एससीआर *1110;*

पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम आचार्य

जगदीश्वरानंद अवधूत और एक अन्य *(2004) 12* एस. सी. सी. *770: [2004] 2* एस. सी. आर. *1019;* नवतेज सिंह बनाम। संघ

भारत और अन्य *(2018) 10* स्केल *386;*

आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री शिरूर के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार

मठ *[1954]* एस. सी. आर. *1005-*संदर्भित।

धार्मिक संप्रदाय

5. व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में माने जाने वाले तत्व एक सामान्य विश्वास हैं, एक सामान्य

संगठन और एक विशिष्ट नाम को धर्म के तहत एक साथ लाया गया। एक आम धागा जो उनके माध्यम से चलता है वह एक धार्मिक पहचान की आवश्यकता है, जो एक धार्मिक संप्रदाय के चरित्र के लिए मौलिक है। *[* पैरा *64] [781-*ई-एफ*]*

श्री वेंकटरमण देवरू बनाम। मैसूर राज्य और अन्य *[1958]* एससीआर *895;* हिंदू धार्मिक आयुक्त बंदोबस्ती, मद्रास बनाम।

श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

श्री शिरूर मठ के स्वामीनार *[1954]* एससीआर *1005;* एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ और अन्य *(1983) 1* एस. सी. सी. *51: [1983] 1* एस. सी. आर. *729;* आचार्य जगदीश्वरानंद

अवधूत और अन्य बनाम। पुलिस आयुक्त, कलकत्ता *(1983) 4* एस. सी. सी. *522: [1984] 1* एस. सी. आर. *447;* ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर शाई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य *(1995) 4* एस. सी. सी. *646 [1995] 1* पूरक। एस. सी. आर. *745;* नल्लोर मार्थंडम वेल्लालर और अन्य बनाम। आयुक्त, हिंदू धार्मिक

और धर्मार्थ दान और अन्य *(2003) 10* एस. सी. सी. *712: [2003] 1* पूरक। एस. सी. आर. *920-*संदर्भित।

क्या भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय हैं*?*

6. एक 'सामान्य विश्वास' के पालन का अर्थ यह होगा कि किसी विशेष संप्रदाय या संप्रदाय की अवधारणा के बाद से मान्यताओं के एक सामान्य समूह का पालन किया गया है। तीर्थयात्रा की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि सभी धर्मों के तीर्थयात्री तीर्थयात्रा में समान आधार पर भाग लेते हैं। मुसलमान और ईसाई करते हैं तीर्थयात्रा। किसी भी धर्म का सदस्य भगवान अयप्पा की पूजा करने वाले व्यक्तियों के समूह का हिस्सा हो सकता है। धर्म है

देवता की पूजा करने वाले व्यक्तियों के समूह का आधार नहीं है। धार्मिक पहचान के बिना, सामूहिक रूप से एक 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में माने जाने का दावा नहीं किया जा सकता है। तह के भीतर होना

अनुच्छेद *26,* एक संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय होना चाहिए। पीठासीन देवता की पूजा किसी विशेष धर्म के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ एक सामान्य आध्यात्मिक संगठन का अभाव है, जो एक धार्मिक संप्रदाय के गठन के लिए एक आवश्यक तत्व है। जिस मंदिर में पूजा की जाती है, वह जनता को समर्पित है और वास्तव में बहुवचन का प्रतिनिधित्व करता है।

मूल्यवर्ग। न्यायिक रूप से निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यक्तियों के समूह की असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियों का समूह जो खुद को "अयप्पन" के रूप में संदर्भित करते हैं या भगवान अयप्पा के भक्तों को 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। *[* पैरा *69] [785-*ई-एच*; 786-*ए*]*

एस. महेंद्रन बनाम सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य एआईआर *1993 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल *42;* सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बॉम्बे राज्य *[1962]* पूरक। *2* एससीआर *496*-संदर्भित

को।

फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड बनाम। ओवरटाउन *(1904)* एसी *515* -

संदर्भित किया गया।
अनुच्छेद *17*, "अस्पृश्यता" और शुद्धता की धारणाएँ

7.1 समाज संविधान द्वारा शासित होता है। संवैधानिक नैतिकता के मूल्य एक गैर-अपमानजनक अधिकार हैं।

"शुद्धता और प्रदूषण" की धारणा, जो व्यक्तियों को कलंकित करती है, का संवैधानिक शासन में कोई स्थान नहीं हो सकता है। के बारे में

मासिक धर्म के रूप में प्रदूषणकारी या अशुद्ध, और इससे भी बदतर, मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर बहिष्करण संबंधी अक्षमताओं को लागू करना, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है जिसकी गारंटी मासिक धर्म द्वारा दी जाती है।

संविधान। "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणाओं के कारण मासिक धर्म की वर्जनाओं को वैध बनाने वाली प्रथाएं, मासिक धर्म वाली महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और पूजा स्थलों में प्रवेश के अधिकार को प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करती हैं और, अंततः, सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी पहुंच। महिलाओं को अपने शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार है। एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति उसकी गोपनीयता और व्यक्ति की एक विशेषता है। महिलाओं के पास एक

संवैधानिक अधिकार कि उनकी जैविक प्रक्रियाओं को होना चाहिए

सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं से मुक्त रहें, जो अलगाव और बहिष्कार को लागू करती हैं। इन प्रथाओं के परिणामस्वरूप अपमान और गरिमा का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद *17* "अस्पृश्यता" के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है, जो "किसी भी रूप में" शुद्धता और अशुद्धता की धारणाओं पर आधारित है। अनुच्छेद *17* निश्चित रूप से अस्पृश्यता पर लागू होता है।

निचली जातियों के संबंध में प्रथाएं, लेकिन यह प्रणालीगत अपमान, बहिष्कार और अधीनता का सामना करने पर भी लागू होगी मासिक धर्म वाली महिलाएँ। अशुद्धता और मासिक धर्म से जुड़े प्रदूषण की धारणाओं के आधार पर महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह बहिष्कार का प्रतीक है। मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता का एक रूप है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए अभिशाप है। बहिष्करण विरोधी सिद्धांत की अभिव्यक्ति के रूप में, अनुच्छेद *17* को उन महिलाओं को बाहर करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जिनके खिलाफ सबसे खराब प्रकार के सामाजिक बहिष्कार का अभ्यास किया गया है और शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं पर वैध बनाया गया है। अनुच्छेद *17* को प्रतिबंधित तरीके

से नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन भले ही अनुच्छेद *17* को अस्पृश्यता के एक विशेष रूप को प्रतिबिंबित करने के लिए पढ़ा जाए, वह लेख भारतीय युवा वकीलों का होगा।

वी. केरल राज्य

सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूपों के खिलाफ गारंटी को समाप्त न करें। सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ गारंटी अनुच्छेद *15 (2)* और *21* सहित भाग *III* के अन्य प्रावधानों से निकलेगी। दस से पचास वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को उनकी मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर सबरीमाला में मंदिर में प्रवेश से बाहर रखने का स्वतंत्रता और गरिमा पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता है। *[* पैरा *81] [804-*ई-एफ*; 805-*ए-ई*]*

7.2 मंदिर में प्रवेश का मुद्दा मासिक धर्म वाली महिलाओं के स्वतंत्रता के अपने अधिकार का पालन करने के अधिकार के बारे में इतना नहीं है।

धर्म, सामाजिक उत्पीड़न से स्वतंत्रता के बारे में, जो मासिक धर्म की कलंकित समझ से आता है, जिसके परिणामस्वरूप "अस्पृश्यता" होती है। अनुच्छेद *25*, जो भाग *III* के प्रावधानों के अधीन है, इसलिए अनिवार्य रूप से अनुच्छेद *17* के अधीन है। "शुद्धता और प्रदूषण" की विचारधारा का उपयोग करना "अस्पृश्यता" के खिलाफ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। *[* पैरा *82] [805-*एफ-जी*]*

भारत *(2017) 2* एससीसी *432: [2016] 9* एससीआर *122;*
देवराजैया बनाम बी पद्मना एयर *1958* माईस *84;* जय सिंह

v भारत संघ ए. आई. आर. *1993* राज *177;* कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले *(1995)* पूरक *4* एस. सी. सी. *469: [1992] 3*

पूरक। एस. सी. आर. *284;* आदि शैव शिवचरियारगल नाला

अन्य *(2016) 2* एस. सी. सी. *725: [2015] 11* एससीआर *1110;* के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य वी. भारत संघ और अन्य
(2017) 10 एस. सी. सी. *1-*संदर्भित।

ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः आधारशिला

ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(1999),* पृष्ठ *xii-xiii* पर; भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता राजीव भागवत
*(*संस्करण*),* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

(2008) , पृष्ठ *15* पर; बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज

संविधानः ए स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक

प्रशासन *(1968),* पृष्ठ *202-205* पर; डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरः लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)* महाराष्ट्र सरकार, खंड। *1 (2014)* , पृष्ठों पर

39 , खण्ड. *12 (2014)* , पृष्ठों पर *661-691*, खंड। *5 (2014)* , पृष्ठों पर *9-18*, खंड। *1 (2014)* , पृष्ठ *5-6* पर, खंड। *1 (2014)* , पृष्ठों पर *23-96, (2014)*, खंड। *1* , *pp 3-22* पर; भारत

असहमतिः *3,000* अंतर के वर्ष, संदेह और *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवार और आधुनिक भारत का निर्माण, हार्पर
कोलिन्स *(2017)*, पृष्ठ *114* पर; डायने कॉफी और डीन स्पीयर्स, व्हेयर इंडिया गोज़ः परित्यक्त शौचालय, प्रेतवाधित विकास और जाति की लागत, हार्पर कॉलिन्स *(2017)*, पीपी *74-79* पर; राजेश रामचंद्रन, मूंछ के लिए मृत्यु, आउटलुक *(16* अक्टूबर *2017)*-- संदर्भित।

अति अधिकार सिद्धांत

8.1 भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं और सबरीमाला मंदिर एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है। सांप्रदायिक मंदिर। धारा *3* के परंतुक में नहीं है

आवेदन। सबरीमाला मंदिर में दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचनाएं जांच के दायरे में नहीं आ सकती हैं और स्पष्ट रूप से धारा *3* का उल्लंघन करती हैं। वे दस से पचास वर्ष की आयु की किसी भी महिला को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने से रोकते हैं। इस तरह का प्रतिबंध धारा *3* द्वारा मान्यता प्राप्त सभी हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाएँ निषेध करती हैं

दस से पचास-पाँच वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश, धारा *3* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। *[*पैरा *87] [810-*ई-जी*]*

8.2 हिंदू महिलाएं *1965* के अधिनियम की धारा *2* के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* के तहत हिंदुओं की एक 'धारा या वर्ग' का गठन करती हैं। धारा *4 (1)* का परंतुक किसी भी विनियमन को मना करता है जो इसके खिलाफ भेदभाव करता है।

किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित होने के आधार पर कोई हिंदू। धारा *3* का अधिदेश यह है कि यदि सार्वजनिक पूजा का स्थान आम तौर पर हिंदुओं या हिंदुओं के किसी भी वर्ग या वर्ग के लिए खुला है, तो यह हिंदुओं के सभी वर्गों या वर्गों के लिए खुला होगा। सबरीमाला मंदिर आम तौर पर हिंदुओं के लिए और किसी भी मामले में हिंदुओं के एक वर्ग या वर्ग के लिए खुला है। इसलिए, यह हिंदू महिलाओं सहित हिंदुओं के सभी वर्गों या वर्गों के लिए खुला होना चाहिए। नियम *3 (*बी*)* उन रीति-रिवाजों और उपयोगों को प्राथमिकता देता है जो इसके बहिष्करण की अनुमति देते हैं

महिलाओं को "ऐसे समय में जब उन्हें सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है"। इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन को निर्धारित करने में, नियम *3 (*बी*)* धारा *3* द्वारा स्थापित मंदिर में प्रवेश के अधिकार का सीधे उल्लंघन करता है। धारा *3* किसी भी प्रथा या उपयोग को ओवरराइड करता है इसके विपरीत। लेकिन नियम *3* एक भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. को स्वीकार करता है, मान्यता देता है और लागू करता है।

वी. केरल राज्य

महिलाओं को बाहर करने के लिए प्रथा या उपयोग। यह स्पष्ट रूप से अति अधिकार है। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदुओं के किसी भी वर्ग या वर्ग को समर्पित या उनके लाभ के लिए या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मंदिरों में हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के प्रवेश को सक्षम बनाना है। यह अधिनियम हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने के अधिकारों को मान्यता देता है।

पूजा करना और प्रार्थना करने का उनका अधिकार। यह कानून सदियों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने के लिए बनाया गया था और यह अनुच्छेद से निकला है।

25 (2) ((ख) संविधान। अधिनियम के व्यापक और उदार उद्देश्य को महिलाओं के बहिष्कार से रोका नहीं जा सकता है। *[* पैरा *90] [812*

एफ-जी*; 813*-ए-डी*]*

अर्देशिर एच भिवंडीवाला बनाम बॉम्बे राज्य *[1961] 3*
एस. सी. आर. *592;* सी. आई. टी. बनाम ताजमहल होटल, सिकंदराबाद *(1971) 3* एस. सी. सी. *550;* गीता एंटरप्राइजेज बनाम स्टेट ऑफ यू. पी. *(1983) 4* एस. सी. सी. *202: [1983] 3* एस. सी. आर. *812;* गोपाल कृष्ण अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *(1982)* सभी। एल. जे. *607;* क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. सी. बनाम पी. एफ. एक्स. सल्दान्हा का हाई लैंड कॉफी वर्क्स

सन्स *(1991) 3* एस. सी. सी. *617: [1991] 3* एस. सी. आर. *307;* भारत संघ बनाम एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड।
(2001) 4 एससीसी *139: [2001] 1* एससीआर *221;* अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बनाम सिरी राम *(2000) 5* एससीसी *451: [2000] 3* एस. सी. आर. *1019;* महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष

भुपेशकुमार सेठ*, (1984) 4* एस. सी. सी. *27* का उल्लेख किया गया है।

नरसू का भूत

9.1 नारसू में 'लागू कानून' शब्द की परिभाषा को सीमित करने का निर्णय परिवर्तनकारी दृष्टि से अलग है।

संविधान से। संवैधानिक जांच से 'प्रथा या उपयोग' को हटाना, व्यक्तिगत गरिमा की प्रधानता सुनिश्चित करने के संवैधानिक दृष्टिकोण को नकारता है। नरसू में निर्णय त्रुटिपूर्ण परिसर पर आधारित है। प्रथा या उपयोग को 'लागू कानूनों' से बाहर नहीं किया जा सकता है। निर्णय में यह भी राय दी गई कि व्यक्तिगत कानून संवैधानिक जांच से मुक्त है। यह इस धारणा से अलग है कि प्रथाओं का कोई भी निकाय सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकता है संविधान और गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की पवित्रता सुनिश्चित करने की इसकी दृष्टि। यह उस व्यापक दायरे को भी नजरअंदाज करता है जिसे इसकी समावेशी परिभाषा और संवैधानिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए 'लागू कानून' शब्द के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था। नरसू में निर्णय, असंशोधित व्यक्तिगत कानून का टीकाकरण करने और *[2018] 9* एस. सी. आर. का अर्थ लगाने में।

प्रथा से अलग के रूप में समान, विस्तृत के योग्य है किसी उपयुक्त मामले में पुनर्विचार। *[* पैरा *101] [826-*बी-सी, ई*]*

बॉम्बे राज्य बनाम नरसू अप्पा माली ए. आई. आर. *1952*

बॉम *84-*अस्वीकृत।

9.2 प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने की दिशा में, हमारे जैसे संवैधानिक न्यायालय को एक अतिरिक्त कार्य का सामना करना पड़ता है। परिवर्तनकारी निर्णय प्रदान करना चाहिए

व्यक्तिगत मामलों में उपचार जो न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, इसे उन अंतर्निहित सामाजिक और कानूनी संरचनाओं को पहचानने और बदलने का प्रयास करना चाहिए जो संवैधानिक दृष्टि के खिलाफ प्रथाओं को कायम रखते हैं। व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक जांच के दायरे में लाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समान पहुंच से इनकार करने में, यह प्रथा संविधान के तहत समान नागरिकता और मूल समानता से इनकार करती है। की प्रधानता व्यक्तिगत गरिमा एक न्यायपूर्ण और समतावादी सामाजिक व्यवस्था के संवैधानिक पाठ्यक्रम पर किराए पर ली गई नाव के पाल में हवा है। *[* पैरा *102] [826-*एफ-जी*; 827-*बी-सी*]*

ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य *[1950]* एस. सी. आर. *88;* रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ *(1970) 1* एस. सी. सी. *248: [1970] 3* एस. सी. आर. *530;* रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ *(1970) 1* एस. सी. सी. *248 [1970] 3* एस. सी. आर. *530*
मेनका गांधी बनाम भारत संघ *(1978) 1* एस. सी. सी. *248: [1978] 2* एससीआर *621;* विशेष न्यायालय विधेयक संदर्भ *(1979) 1* एससीसी *380 [1979] 2* एससीआर *476;* के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य *(2017) 10* एस. सी. सी. *1;* संयुक्त प्रांत बनाम एम. एस. टी. अतीका बेगम ए. आई. आर. *1941* एफ. सी. *16;* अर्देशिर एच. भिवंडीवाला बनाम बॉम्बे राज्य

[1961] 3 एससीआर *592;* सीआईटी बनाम ताजमहल होटल,

पी. एफ. एक्स. सल्दान्हा एंड संस *(1991) 3* एस. सी. सी. *617: [1991] 3*
एससीआर *307;* संत राम बनाम लाभ सिंह *[1964] 7* एससीआर *756;* शायरा बानो बनाम। भारत संघ और अन्य *(2017) 9*

एससीसी *1: [2017] 7* एस. सी. आर. *797-*संदर्भित।

इंदिरा जयसिंह, 'द घोस्ट ऑफ नरसू अप्पा माली'

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पीछा करना ', वकील

सामूहिक, *28* मई, *2018;* वैवाहिक कानून और भारतीय युवा वकील एएसएसएन।

ए. एम. भट्टाचार्जी द्वारा संविधान, पूर्वी लॉ हाउस *(1996)* पृष्ठ *32* पर; न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, पृष्ठ *198* पर लेक्सिस नेक्सिस *(2016);*

शिव राव द्वारा भारत के संविधान का निर्माण,

खंड *III*, पृष्ठ *520,521*, खंड *IV*, पृष्ठ *26,27* पर-संदर्भित

को।

संवैधानिक अधिकारों के वाहक के रूप में देवता

10.1 कुछ कानूनों में 'व्यक्ति' शब्द की व्याख्या मूर्तियों को शामिल करने के लिए की गई है। हालाँकि, यह दावा करना कि एक देवता संवैधानिक अधिकारों का वाहक है, एक अलग मुद्दा है, और कुछ उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में देवता की स्थिति से आवश्यक परिणाम के रूप में प्रवाहित नहीं होता है। केवल इसलिए कि एक देवता को वैधानिक कानून के तहत न्यायिक व्यक्तियों के रूप में सीमित अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि देवता को अनिवार्य रूप से संवैधानिक अधिकार हैं। *[* पैरा *105] [828-*डी-ई*]*
10.2 अनुच्छेद *26* के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। यह अधिकार व्यक्तियों के एक समूह में निहित है जो दर्शाता है *(i)* एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय का अस्तित्व*; (ii)* उन लोगों द्वारा साझा किया गया एक सामान्य विश्वास जो धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं और एक सामान्य आध्यात्मिक है।

संगठन*; (iii)* एक विशिष्ट नाम का अस्तित्व और *(iv)* धर्म का एक सामान्य धागा। अनुच्छेद *25* अधिकार प्रदान करता है -

व्यक्ति अपनी मूल इकाई के रूप में। संविधान के भाग *III* के तहत गारंटीकृत अधिकारों को मान्यता देने के लिए तैयार किया गया है व्यक्ति अपनी मूल इकाई के रूप में। व्यक्ति संविधान के भाग *III* के तहत अधिकारों का वाहक है। देवता एक न्यायवादी हो सकता है

धार्मिक कानून के उद्देश्यों के लिए और संपत्ति के अधिकारों का दावा करने में सक्षम व्यक्ति। हालाँकि, भाग *III* के उद्देश्य के लिए देवता एक 'व्यक्ति' नहीं है। कानूनी कल्पना जिसके कारण

न्यायिक व्यक्ति के रूप में किसी देवता की मान्यता को संविधान के भाग *III* के तहत अधिकारों के दायरे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। *[* पैरा *106] [829-*एफ-एच*; 830-*ए-बी*]*

10.3 किसी भी मामले में, सबरीमाला मंदिर से महिलाओं का बहिष्कार *[2018] 9* एस. सी. आर. के धार्मिक और नागरिक अधिकारों दोनों को प्रभावित करता है।

व्यक्ति को। बहिष्करण विरोधी सिद्धांत अनुच्छेद *25* और *26* पर आधारित दावे को अस्वीकार कर देगा, जिसमें महिलाओं को बहिष्कृत किया गया है।

सबरीमाला मंदिर और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अभ्यास में बाधा डालता है। यह संविधान के अतिसंवेदनशील उदार मूल्यों और एक समान नागरिकता सुनिश्चित करने के इसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए है।

[पैरा *106] [830-*बी-सी*]*

प्रमथ नाथ मलिक बनाम प्रद्युम्न कुमार मलिक *(1925) 27* बम एल. आर. *1064;* योगेंद्र नाथ नस्कर बनाम आयकर आयुक्त, कलकत्ता *(1969) 1* एस. सी. सी. *555 [1969] 3* एस. सी. आर. *742;* ए. एस. नारायण

दीक्षितुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य *1996 9* एस. सी. सी. *548 [1996] 3* एस. सी. आर. *543;* आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री लक्ष्मीन्द्र त्रिथा

श्री शिरूर मठ के स्वामीनार *[1954]* एस. सी. आर. *1005--* संदर्भित।

भविष्य के लिए एक रोडमैप

धर्म के बारे में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण स्थापित करें। यह तरीका समस्याग्रस्त है। एक धार्मिक समुदाय को यह परिभाषित करने की अनुमति देने का तर्क है कि उसके धर्म का एक आवश्यक पहलू क्या है, धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की स्वायत्तता की रक्षा करना है। उस स्वायत्तता की रक्षा करना संविधान के उदार मूल्यों को बढ़ाता है। क्या करता है और क्या नहीं के सैद्धांतिक मुद्दों पर प्रवेश करके धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा होने के कारण, न्यायालय को एक आवश्यक परिणाम के रूप में, एक धार्मिक कानून को अपनाने की आवश्यकता है।

मेंटल। न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि कोई प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। इसने न्यायालय को धर्म के बारे में एक सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाया है, भले ही यह धर्म और उस धर्म का पालन करने और उसे मानने वालों के विचारों के साथ संघर्ष कर सकता है। ऐसा करने के लिए न्यायालय की क्षमता और उस भूमिका की धारणा की वैधता संदिग्ध हो सकती है। न्यायालय न्यायनिर्णयनमे एकटा संवैधानिक *(*चर्चसँ भिन्न*)* भूमिकाक निर्वहन करैत अछि। भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. क्या करता है, इस पर निर्णय लेना।

वी. केरल राज्य

धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा धार्मिक-धर्मनिरपेक्ष विभाजन और आवश्यक/अनावश्यक दृष्टिकोण के बीच के अंतर को धुंधला नहीं करता है। पूर्व का मूल पाठ अनुच्छेद *25 (2) (*ए*)* में है। उत्तरार्द्ध एक न्यायिक रचना है। *[* पैरा *108] [831-*डी-एच*; 832-*ए-सी*]*

11.2 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद *25-28* में समझा गया है, केवल एक अधिकार नहीं है। ये लेख हैं

मौलिक अधिकारों पर पूरे अध्याय का अभिन्न अंग। मौलिक अधिकारों को मान्यता देने वाले संवैधानिक अनुच्छेदों को एक निर्बाध जाल के रूप में समझना होगा। साथ मिलकर वे संवैधानिक स्वतंत्रता की इमारत का निर्माण करते हैं। भाग *III* में मौलिक मानव स्वतंत्रताएँ असंगत या अलग-थलग नहीं हैं। वे एक साथ रहते हैं। यह केवल सामंजस्य में है कि वे मानव स्वतंत्रता के केंद्र के रूप में व्यक्ति के जीवन में एक यथार्थवादी भावना लाते हैं। ए का अधिकार

फिर मूल्यवर्ग को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए जिनके लिए इसके प्रत्येक सदस्य को भाग *III* में संरक्षित हक है। *[* पैरा *109] [832-*ई-जी*]*

11.3 एक अध्याय में एक समूह का सह-अस्तित्व

इन अधिकारों का दावा व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। समूह अधिकारों को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है ताकि उन संप्रदायों के भीतर व्यक्तियों को एक मंच प्रदान किया जा सके पूर्णता और आत्मनिर्णय का एहसास करना। *[* पैरा *110] [833-*सी, डी-एफ*]*

11.4 जो धार्मिक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, उसके प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण अदालत को धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों पर निर्णय लेने के असहनीय कार्य से मुक्त कर देगा। सम्मान,

तथापि, जिसका श्रेय धर्म को दिया जाता है, वह उन मौलिक सिद्धांतों के अधीन है जो भाग *III* में स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की खोज से उभरते हैं। अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *26* दोनों ही सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं। इन सीमाओं के तहत कार्य करना, यहां तक कि एक संप्रदाय की धार्मिक स्वतंत्रता भी बहिष्करण विरोधी सिद्धांत के अधीन है। बहिष्करण विरोधी सिद्धांत एक धर्म की क्षमता को *[2018] 9* एस. सी. आर. के प्रति उचित सम्मान की अनुमति देता है।

अपने स्वयं के धार्मिक सिद्धांतों और सिद्धांतों को निर्धारित करें। उस समय, सिद्धांत यह मानता है कि जहां कोई धार्मिक प्रथा व्यक्तियों को इस तरह से बहिष्कृत करती है जिससे उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचता है या बुनियादी वस्तुओं तक उनकी पहुंच में बाधा आती है, तो धर्म की स्वतंत्रता को एक स्वतंत्र संविधान के अति-प्राचीन मूल्यों को रास्ता देना चाहिए। भविष्य में एक उपयुक्त मामले में, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण पर बारीकी से नज़र डालनी चाहिए। *[* पारस *111 112] [835-*जी*; 836-*ए-बी, डी-एफ*]*

आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री शिरूर के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार

मठ *[1954]* एससीआर *1005;* रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *[1954]* एस. सी. आर. *1055;* दरगाह समिति, अजमेर और अन्य बनाम। सैयद हुसैन अली और अन्य ए. आई. आर *1961* एस. सी. *1402: [1962]* एस. सी. आर. *383;* तिलकायत
श्री गोविंदलालजी महाराज आदि। राजस्थान राज्य और अन्य। *[1964] 1* एस. सी. आर. *561;* शास्त्री यज्ञपुरुषजी बनाम। मुलदास भूदरदास वैश्य *[1966] 3* एस. सी. आर. *242;*

पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम आचार्य

जगदीश्वरानंद अवधूत और एक अन्य *(2004) 12*

एससीसी *770: [2004] 2* एस. सी. आर. *1019-*संदर्भित।

समुदाय से मुक्तिः भारतीय संविधान के तहत व्यक्तिगत अधिकार, सामूहिक जीवन, राज्य प्राधिकरण और धार्मिक स्वतंत्रता

गौतम भाटिया द्वारा संविधान, वैश्विक
संविधानवाद, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *(2016)*

पीपी *374,382;* में मान्यता की राजनीति

बहुसंस्कृतिवादः मान्यता की राजनीति की जाँच सी टेलर, *(*ए गुटमैन एड।*)* प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस

(1994) ; परिचय में बहुसंस्कृतिवाद

बहुसंस्कृतिवाद, उदारवाद और लोकतंत्र आर

भार्गव *(*आर भार्गव और अन्य*),* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2007);* भारत में धर्म की स्वतंत्रताः फैजान मुस्तफा और जगतेश्वर सिंह सोही ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी रिव्यू *(2017)* द्वारा पादरी के रूप में कार्य करने वाले वर्तमान मुद्दे और सर्वोच्च न्यायालय; निश्चित उलझनः धर्म और आवश्यक की परिभाषा की आलोचना

धार्मिक स्वतंत्रता निर्णय में अभ्यास परीक्षण जैक्लिन एल नियो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, वॉल्यूम। *16 (2018)* पृष्ठों पर *574-595*-संदर्भित।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

इंदू मल्होत्रा, जे. *(*असहमति*):* रखरखाव और न्यायसंगतता

1.1 लेखन याचिका स्थायी न होने के कारण विचार किए जाने के योग्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं और इसमें शामिल हस्तक्षेप करने वालों के कहने पर उठाई गई शिकायतें गैर-न्यायोचित हैं। *[*पैरा *16 (i)] [897-D]*

1.2 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद *32* के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, इस दलील पर आधारित होना चाहिए कि इस मंदिर में पूजा करने के याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता सबरीमाला मंदिर के भक्त होने का दावा नहीं करते हैं, जहां माना जाता है कि भगवान अयप्पा ने खुद को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट किया था। लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक रीति-रिवाजों और किसी संप्रदाय के प्रयोगों की वैधता निर्धारित करने के लिए, किसी संगठन/हस्तक्षेपकर्ता के कहने पर, जो "सामाजिक विकास गतिविधियों, विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने में मदद कर रहे हैं", इस न्यायालय को धार्मिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

उन व्यक्तियों के कहने पर प्रश्न जो इस विश्वास को स्वीकार नहीं करते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए पूजा के अधिकार का अनुमान इस मंदिर में देवता की विशेष अभिव्यक्ति में विश्वास की पुष्टि के आधार पर लगाया जाना चाहिए। *[*पैरा *7.2] [856*-सी-ई*]*

1.3 इस न्यूनतम आवश्यकता की अनुपस्थिति को केवल एक तकनीकीता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किसी भी धार्मिक प्रथाओं को बदनाम करने के लिए एक चुनौती बनाए रखने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए।

संप्रदाय, या संप्रदाय। धार्मिक मामलों में जनहित याचिकाओं को अनुमति देने से मध्यस्थों के लिए धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं पर सवाल उठाने के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, भले ही याचिकाकर्ता किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला या किसी विशेष मंदिर का उपासक न हो। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खतरे और भी गंभीर हैं यदि ऐसी याचिकाएं हैं

मनोरंजन किया। *[पैरा 7.3] [856-ई-एफ]*

1.4 धर्म और धार्मिक प्रथाओं के मामलों में, अनुच्छेद *14* को केवल उन व्यक्तियों द्वारा लागू किया जा सकता है जो समान रूप से स्थित हैं।

अर्थात्, एक ही विश्वास, पंथ या संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति। याचिकाकर्ता यह नहीं कहते हैं कि वे भगवान अयप्पा के भक्त हैं।

जो सबरीमाला मंदिर में अपनाई जाने वाली प्रथाओं से व्यथित हैं। धर्म और धार्मिक मान्यताओं के मामलों में अनुच्छेद *14* के तहत समानता के अधिकार को अलग तरह से देखा जाना चाहिए।

किसी विशेष धर्म या तीर्थ के उपासकों के बीच न्याय किया जाना, जो कुछ प्रथाओं से पीड़ित हैं जो दमनकारी या हानिकारक पाई जाती हैं। *[पैरा 7.4] [857-ए-बी]*

1.5 किसी व्यक्ति का किसी विशेष की पूजा करने का अधिकार

उस आस्था या मंदिर के सिद्धांतों के अनुसार देवता की अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा संरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष देवता में विश्वास करने का दावा करता है, तो उसे उस विश्वास के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्त किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में, इस मंदिर के उपासक देवता के 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट होने में विश्वास करते हैं। इस मंदिर के भक्तों ने प्रथाओं को चुनौती नहीं दी है।

इसके बाद देवता की आवश्यक विशेषताओं के आधार पर यह मंदिर बनाया गया। *[पैरा 7.5] [857-सी-डी]*
1.6 अपने धर्म का पालन करने का अधिकार संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है, इस संदर्भ के बिना कि धर्म या धार्मिक प्रथाएं तर्कसंगत हैं या नहीं। धार्मिक प्रथाओं को अनुच्छेद *25* और *26 (बी)* के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है। अदालतें आम तौर पर धार्मिक प्रथाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती हैं, विशेष रूप से किसी पीड़ित व्यक्ति की अनुपस्थिति में।

वह विशेष धार्मिक विश्वास, या संप्रदाय। *[पैरा 7.6] [857-ई-एफ]*

1.7 कला के तहत पूर्ववर्ती। *25* राज्य की कार्रवाई के खिलाफ उठे हैं और पी. आई. एल. में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। *[पैरा 7.7] [858-ए]*

न्यूरेनबर्ग बनाम के हंस मुलर। अधीक्षक, प्रेसिडेन्सी

जेल, कलकत्ता और अन्य। *[1955] 1* एससीआर *1284;* आयुक्त

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री.

श्री शिरूर मठ के लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार
[1954] एससीआर *1005;* श्री वेंकटरमण देवरू बनाम। मैसूर राज्य और अन्य *[1958]* एस. सी. आर. *895;* महंत मोती दास बनाम। एस. पी. साही, हिंदू धार्मिक न्यास और अन्य के प्रभारी विशेष अधिकारी। *[1959]* पूरक *2* एस. सी. आर. *563;* दरगाह समिति, अजमेर बनाम। सैयद हुसैन अली *[1962] 1* एससीआर *383;* सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बॉम्बे राज्य *[1962]* पूरक। *2* एस. सी. आर. *496;* बिजोए इमैनुएल और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। *(1986) 3* एससीसी *615: [1986]*

3 एस. सी. आर. *518*-संदर्भित।

भारत का संवैधानिक कानूनः एक आलोचनात्मक टिप्पणी

एच. एम. सीरवई खंड। *II (*चौथा संस्करण, पुनर्मुद्रण *1999)*-संदर्भित
को।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

धर्म और धार्मिक मामलों में अनुच्छेद *14* की प्रयोज्यता

अभ्यास करें

2.1 अनुच्छेद *14* के तहत निहित समानता का सिद्धांत अनुच्छेद *25* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर हावी नहीं होता है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास को स्वीकार करने, अभ्यास करने और प्रचार करने के लिए। *[* पैरा *16 (ii)] [897-E]*

2.2 धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं का परीक्षण केवल अनुच्छेद *14* की कसौटी और तर्कसंगतता के सिद्धांतों पर नहीं किया जा सकता है

प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार। अनुच्छेद *25* के तहत समान व्यवहार किसी भी धर्म की आवश्यक मान्यताओं और प्रथाओं द्वारा सशर्त है। धर्म के मामलों में समानता को एक ही धर्म के उपासकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। *[* पैरा *8.1] [859*-डी-ई*]* *2.3* कठिनाई अनुच्छेद *14* के तहत परीक्षणों को धार्मिक प्रथाओं पर लागू करने में है जो मौलिक रूप से भी संरक्षित हैं।

हमारे संविधान के तहत अधिकार। अनुच्छेद *14* के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया समानता का अधिकार इस मंदिर के उपासकों के अधिकारों के साथ संघर्ष करता है जो एक मौलिक अधिकार भी है।

संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* द्वारा गारंटीकृत। यह होगा।

न्यायालय को धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं की तर्कसंगतता को निरूपित करने के लिए अनुच्छेद *14* के तहत न्यायिक समीक्षा करने के लिए मजबूर करना, जो न्यायालयों के दायरे से बाहर होगी। यह निर्धारित करना अदालतों का काम नहीं है कि इनमें से किस धर्म की प्रथाओं को निरस्त किया जाना है, सिवाय इसके कि वे सती की तरह हानिकारक, दमनकारी या सामाजिक बुराई हैं। *[* पैरा *8.2] [859*-जी-एच*; 860*-ए*]* *2.4*

याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं का यह निवेदन कि *10* से *50* वर्ष का आयु वर्ग मनमाना है, और अनुच्छेद *14* की कठोरताओं को सहन नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस आयु-सीमा का प्रिस्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है कि महिलाओं के प्रवेश पर सीमित प्रतिबंध का पालन किया जाए। *[*पैरा *8.4] [860-*सी*]*

2.5 भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए लैंगिक समानता का अधिकार सभी उम्र की महिलाओं को दर्शन करने की अनुमति देकर संरक्षित है।

जिन मंदिरों में उन्होंने खुद को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट नहीं किया है, और *[2018] 9* एस. सी. आर. में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन मंदिरों को। यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में कहा है कि भगवान अयप्पा के *1000* से अधिक मंदिर हैं, जहां वे अन्य रूपों में प्रकट हुए हैं और यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं को यदि इसके वास्तविक प्रभाव में स्वीकार किया जाता है, तो यह इन शक्तियों का प्रयोग करने के बराबर है -

धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की वैधता निर्धारित करने में न्यायिक समीक्षा, जो अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी। एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन करने का मुद्दा इसके लिए है

धार्मिक समुदाय को निर्णय लेना है। *[*पैरा *8.5-8.6] [860-*डी-एफ*]*

अनुच्छेद *15* की प्रयोज्यता

3. यह निवेदन कि सबरीमाला मंदिर को "सार्वजनिक सैरगाहों के स्थानों" वाक्यांश में शामिल किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद *15 (2) (*बी*)* में होता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संविधान सभा ने 'पूजा स्थल' या 'मंदिर' को शामिल नहीं करने को उचित माना

संविधान के अनुच्छेद *9* के प्रारूप के दायरे में। द. अनुच्छेद *9 (1)* के मसौदे से "मंदिरों" और "पूजा स्थलों" को जानबूझकर हटाने पर उचित विचार किया जाना चाहिए। *[*पैरा *9.1-9.2] [860-*एच*; 862-*सी-डी*]*

भारत के संविधान का मसौदा, भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति *(*प्रबंधक भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली, *1948);* के. टी. शाह, संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर, *1948);* उपराष्ट्रपति का वक्तव्य, संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर, *1948);* श्री मोहम्मद का वक्तव्य। ताहिर, संविधान सभा में बहस

(29 नवंबर, *1948)-*संदर्भित।

धर्म से संबंधित मामलों में न्यायालयों की भूमिका

4.1 धर्म से संबंधित मामलों में न्यायालयों की भूमिका और

संविधान के अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* में विधान की प्रक्रिया। अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* एक सक्षम प्रावधान है जो राज्य को कानून बनाकर सामाजिक असमानताओं और अन्यायों का निवारण करने की अनुमति देता है।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

इसलिए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* किसी वास्तविक विधान के संदर्भ के बिना लागू करने में सक्षम है। अनुच्छेद *25 (2)* द्वारा जिसकी अनुमति दी गई है, वह राज्य द्वारा उसमें निर्दिष्ट आधारों पर बनाई गई कानून है, न कि न्यायिक हस्तक्षेप। *[* पैरा *10.8] [872-*ए-बी*]*

4.3 1965 का अधिनियम निम्नलिखित के अनुसरण में बनाया गया एक विधान है -

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* जो हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थलों को खोलने का प्रावधान करता है। *1965* अधिनियम की धारा *3* का परंतुक

धार्मिक संप्रदायों या संप्रदायों के संबंध में धारा *3* में निहित सामान्य नियम की प्रयोज्यता के लिए एक अपवाद तैयार किया गया है, ताकि बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के उनके अधिकार की रक्षा की जा सके। नियम *3 (*बी*)* धारा *3* के परंतुक को प्रभावी बनाता है क्योंकि यह ऐसे समय में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का प्रावधान करता है जब उन्हें प्रथा या उपयोग से सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उत्तरदाता सबरीमाला में पूजा करने के अधिकार का दावा करते हैं

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत उनके धर्म के सिद्धांतों के अनुसार उनकी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार मंदिर। इन प्रथाओं को उस मंदिर के लिए आवश्यक या अभिन्न माना जाता है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में भगवान अयप्पा की पूजा करने के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा गारंटीकृत उनके अधिकार के साथ संघर्ष करेगा। अन्य क्षेत्राधिकारों में भी, जहां राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर चुनौती दी गई थी, न्यायालयों ने इस आधार पर उन्हें निरस्त करने से परहेज किया है कि यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे है। धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक समीक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि न्यायालय

किसी देवता की पूजा के रूप के संबंध में अपनी नैतिकता या तर्कसंगतता को थोप नहीं सकते। ऐसा करने से स्वतंत्रता को नकार दिया जाएगा अपने विश्वास और मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करें। यह धर्म, आस्था और मान्यताओं को तर्कसंगत बनाने के बराबर होगा, जो अदालतों के दायरे से बाहर है। *[* पैरा *10.9,10.10,10.11,10.13] [872-C-G; 873 C-D]*

बिजोए इमैनुएल और ओआरएस। वी. केरल राज्य और अन्य। *(1986) 3* एससीसी *615: [1986] 3* एससीआर *518;* तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज आदि। राजस्थान राज्य और अन्य। *(1964) 1* एस. सी. आर. *561;* दरगाह समिति, अजमेर बनाम। सैयद हुसैन अली

[1962] 1 एस. सी. आर. *383;* आयुक्त हिंदू धार्मिक

बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री लक्ष्मीन्द्र त्रिथा

श्री शिरूर मठ के स्वामीनार *[1954]* एससीआर *1005;* रतिलाल *[2018] 9* एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पनाचंद गांधी बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *1954* एस. सी. आर. *1055;* शायरा बानो बनाम। भारत संघ और अन्य *(2017) 9* एससीसी *1: [2017] 7* एससीआर *797;* एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ और अन्य *(1983) 1* एस. सी. सी. *51: [1983] 1* एससीआर

729- संदर्भित किया गया।

एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा 'ज़ विट्नेस इनकॉर्पोरेटेड *v.* राष्ट्रमंडल *67* सी. एल. आर. *116;* रेजिना बनाम। सचिव

शिक्षा और रोजगार और अन्य के लिए राज्य। *[2005]* यूकेएचएल *15;* एडी सी. थॉमस बनाम। समीक्षा बोर्ड

इंडियाना रोजगार सुरक्षा प्रभाग *450* यू. एस. *707*
(1981) ; यूनाइटेड स्टेट्सवी। एडविन डी ली *455* यू. एस. *252*

(1982) ; रॉबर्ट एल. हर्नांडेज़ बनाम। आंतरिक राजस्व आयुक्त *490* यू. एस. *680 (1989);*

प्रभाग, ओरेगन का मानव संसाधन विभाग बनाम। अल्फ्रेड एल. स्मिथ *494* यू. एस. *872 (1990);* चर्च ऑफ लुकुमी बाबालु आये बनाम। हियालिया शहर *508* यू. एस. *520*

(1993) – संदर्भित किया गया।

भारत का संवैधानिक कानूनः एच. एम. सीरवई की ए क्रिटिकल कमेंटरी; जे. डंकन एम. डेरेट द्वारा धर्म, कानून और भारत में राज्य *(1968)* पी। *447 ;* भारत का संवैधानिक कानूनः ए क्रिटिकल कमेंटरी एच. एम. सीरवई वॉल्यूम।

*II (*चौथा संस्करण, पुनर्मुद्रण *1999)* पी पर अनुच्छेद *12.18*। *1267*

1268- संदर्भित किया गया।

धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के मामलों में संवैधानिक नैतिकता

5. संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा संविधान के पाठ को रेखांकित करने वाले नैतिक मूल्यों को संदर्भित करती है, जो संविधान के सही अर्थ का पता लगाने में शिक्षाप्रद हैं। संविधान, और उसमें विचार किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करें। बहुलवादी समाज और धर्मनिरपेक्ष राजनीति में संवैधानिक नैतिकता यह दर्शाती है कि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों को अपने सिद्धांतों के अनुसार अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है।

धर्म। यह अप्रासंगिक है कि अभ्यास तर्कसंगत है या तार्किक। अदालतों द्वारा धर्म के मामलों में तर्कसंगतता की धारणाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। समानता और गैर-भेदभाव निश्चित रूप से संवैधानिक नैतिकता का एक पहलू है। लेकिन, धर्म के मामलों में समानता और गैर-भेदभाव की अवधारणा को अलग से नहीं देखा

जा सकता है। हमारी संवैधानिक योजना के तहत, एक संतुलन भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. की आवश्यकता है।

वी. केरल राज्य

समानता और गैर के सिद्धांतों के बीच मारा जाना एक ओर भेदभाव, और दूसरी ओर एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में सभी धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद *25* और *26* द्वारा गारंटीकृत आस्था, विश्वास और पूजा की पोषित स्वतंत्रताओं का संरक्षण। धर्मनिरपेक्ष राजनीति में संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य मौलिक अधिकारों के सामंजस्य से होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपने विश्वास और विश्वास का पालन करने का अधिकार शामिल है, चाहे कोई भी प्रथा हो।

तर्कसंगत या तार्किक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को मिटाया या कमजोर नहीं किया जाता है। यह न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों, धार्मिक लोगों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करे।

अपने संप्रदायों या संप्रदायों को अपनी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करना। *[* पैरा *11.5-11.8] [874-*सी-एच*; 875-*एफजी*]*

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। वी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड *(2012)*

10 एससीसी *603 [2012] 12* एससीआर *256;* सुब्रमण्यम

स्वामी वी. भारत संघ, विधि और अन्य मंत्रालय। *(2016) 7* एससीसी *221: [2016] 3* एस. सी. आर. *865;* आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज और अन्य। वी. गुजरात राज्य और अन्य। *(1975) 1* एससीसी *11: [1975] 0* पूरक। एस. सी. आर. *145-*संदर्भित।
धार्मिक संप्रदाय

6.1 उत्तरदाताओं और हस्तक्षेप करने वालों ने एक प्रशंसनीय मामला बनाया है कि अय्यप्पन या सबरीमाला मंदिर के उपासक धार्मिक होने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

मूल्यवर्ग या नहीं, एक दीवानी अदालत द्वारा अधिक उचित रूप से निर्धारित किया जाएगा, जहां दोनों पक्षों को अवसर दिया जाता है उनके मामले को स्थापित करने के लिए प्रमुख सबूत। *[* पैरा *12.10,16 (iv)] [897* जी*; 881-*ए-बी*] [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.2 अनुच्छेद *26* इस बात की गारंटी देता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय को अन्य बातों के साथ-साथ अपना प्रबंधन करने का अधिकार होगा।

धर्म के मामलों में। इस अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बनाया गया है। अनुच्छेद *26* न केवल धार्मिक संप्रदायों को संदर्भित करता है, बल्कि उनके संप्रदायों को भी संदर्भित करता है। एक धार्मिक संप्रदाय या संगठन को यह तय करने के मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है कि उस धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कौन से संस्कार और समारोह आवश्यक हैं। अनुच्छेद *26* के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होने के अधिकार के प्रयोग पर एकमात्र प्रतिबंध लगाया गया है। *[* पैरा *12.2-12.3] [876-*बी-डी*]*

आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार *[1954]* एस. सी. आर. *1005;* एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ

और अन्य *(1983) 1* एस. सी. सी. *51: [1983] 1* एस. सी. आर. *729;* सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बम्बई राज्य

[1962] पूरक। *2* एस. सी. आर. *496-*संदर्भित।

जैकेट सूत्र, लेकिन एक काम करने वाला सूत्र। यह यह पता लगाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या कोई समूह किसी धार्मिक समूह के अंतर्गत आएगा। मूल्यवर्ग या नहीं। यदि इस बात की स्पष्ट विशेषताएँ हैं कि कोई संप्रदाय मौजूद है, जिसे अपनी मान्यताओं और प्रथाओं से अलग होने के रूप में पहचाना जा सकता है, और एक ही विश्वास का पालन करने वाले अनुयायियों का एक संग्रह है, तो इसे एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में पहचाना जा सकता है। *[* पैरा *12.7-12.8] [878-*सी-डी*]*

6.4 उत्तरदाताओं ने एक मजबूत और प्रशंसनीय मामला बनाया है कि सबरीमाला मंदिर के उपासकों के पास गुण हैं

किसी धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का। यह निवेदन कि चूंकि मंदिर में आने वाले लोग न केवल हिंदू धर्म के हैं, बल्कि अन्य धर्मों के भी हैं, इस मंदिर के उपासक एक अलग धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के लिए अन्य धर्मों के मंदिरों में जाना असामान्य नहीं है। यह अपने आप में इस मंदिर के उपासकों के अधिकार को नहीं खोएगा जो एक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का गठन कर सकते हैं। संविधान एक धर्मनिरपेक्ष समाज में विविध धर्मों, पंथों, संप्रदायों और संप्रदायों के सह-अस्तित्व के लिए एक स्थान सुनिश्चित करता है। यह आवश्यक है कि 'धार्मिक संप्रदाय' शब्द को भारतीय युवा वकीलों का संगठन होना चाहिए।

वी. केरल राज्य

एक ऐसी व्याख्या प्राप्त करें जो एक बहुलवादी समाज के संवैधानिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हो। *[* पैरा *12.9,12.12 12.13] 879-D; 881-F-H; 882-A]*

आर्य व्यास सभा और अन्य। वी. हिंदू के आयुक्त

धर्मार्थ और धार्मिक संस्थान और दान,

हैदराबाद और ओआरएस। *(1976) 1* एस. सी. सी. *292;* डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। टी. एन. और अन्य का राज्य। *(2014) 5* एससीसी *75: [2014]*

1 एस. सी. आर. *308*-संदर्भित।

आवश्यक अभ्यास सिद्धांत

7.1 इसके अनुप्रयोग में 'आवश्यक अभ्यास परीक्षण' को स्वयं धर्म के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित करना होगा। द.

जिन प्रथाओं और मान्यताओं को धार्मिक समुदाय द्वारा अभिन्न माना जाता है, उन्हें "आवश्यक" माना जाना चाहिए, और अनुच्छेद *25* के तहत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आवश्यक अभ्यास परीक्षण को निर्धारित करने का एकमात्र तरीका प्राचीन काल से अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संदर्भ में होगा, जो इस मंदिर के धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई हो सकती हैं। यदि किसी विशेष मंदिर में किसी भी प्रथा का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है, और यह मंदिर का अभिन्न अंग है, तो इसे उस मंदिर की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा माना जाना चाहिए। मंदिर थंथरी, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और भगवान अयप्पा के विश्वासियों ने कहा है कि *10* से *50* वर्ष की अधिसूचित आयु के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर सीमित प्रतिबंध, एक धार्मिक प्रथा है जो इस मंदिर के सिद्धांतों के लिए केंद्रीय और अभिन्न है, क्योंकि देवता ने खुद को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट किया है। *[* पैरा *13.6-13.7] [886]*

ई-एच*]*

7.2 ब्रह्मचर्य और तपस्या का अभ्यास सबरीमाला मंदिर में देवता की अनूठी विशेषता है। हिंदू देवताओं का भौतिक/लौकिक और दार्शनिक दोनों रूप होते हैं। एक ही देवता अलग-अलग भौतिक और आध्यात्मिक रूपों या अभिव्यक्तियों में सक्षम है। इनमें से प्रत्येक रूप की पूजा अद्वितीय है, और सभी रूपों की पूजा सभी व्यक्तियों द्वारा नहीं की जाती है। किसी भी मंदिर में देवता का रूप सर्वोपरि होता है। पूजा में दो तत्व होते हैं - उपासक, और उपासक। अनुच्छेद *25* के तहत पूजा के अधिकार का दावा उस विशेष रूप में देवता की अनुपस्थिति में नहीं किया जा सकता है जिसमें उसने खुद को प्रकट किया है। धर्म आस्था का विषय है, और धार्मिक मान्यताओं को समान विश्वास रखने वालों द्वारा पवित्र माना जाता है। विचार, विश्वास और विश्वास आंतरिक हैं, *[2018] 9* एस. सी. आर.

जबकि अभिव्यक्ति और पूजा इसकी बाहरी अभिव्यक्तियाँ हैं। सबरीमाला मंदिर के मामले में, अभिव्यक्ति 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में होती है। एक देवता में विश्वास, और जिस रूप में उन्होंने खुद को प्रकट किया है, वह संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। जैसा कि अनुच्छेद *25 (1)* में पाया गया है, "समान रूप से हकदार" वाक्यांश का अर्थ यह होना चाहिए कि प्रत्येक भक्त को उस धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का समान रूप से अधिकार है। ब्रह्मचारी प्रकृति

सबरीमाला मंदिर में देवता का पता उत्तरदाताओं द्वारा 'भूतनाथ गीता' में दर्ज इस मंदिर के स्थल पुराण से लगाया गया है। इन प्रथाओं के प्रमाण भी हैं - *1893* और *1901* में दो भागों में प्रकाशित लेफ्टिनेंट वार्ड और कॉनर द्वारा लिखित त्रावणकोर और कोच्चि राज्यों के सर्वेक्षण के संस्मरण में प्रलेखित। प्रतिबंध लगाने की धार्मिक प्रथा

10 से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश, एक 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' के अनुसरण में है जिसके बाद उत्तरदाताओं। सबरीमाला मंदिर में उक्त प्रतिबंध का लगातार पालन किया गया है, जैसा कि *1893* और *1901*

में दो भागों में प्रकाशित त्रावणकोर और कोच्चि राज्यों के सर्वेक्षण के संस्मरण से पता चलता है। *[* पैरा *13.9-13.13] [889-D-E; 890-A-E]*

7.3 वर्तमान मामले में, सबरीमाला में मंदिर का चरित्र सदियों पुराने धार्मिक आधार पर अद्वितीय है

देवता की अभिव्यक्ति और उससे जुड़ी पूजा को संरक्षित करने के लिए प्रथाओं का पालन किया जाता था। इस धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय की पूजा के तरीके और तरीके में कोई भी हस्तक्षेप मंदिर के चरित्र को प्रभावित करेगा और इस मंदिर के उपासकों की मान्यताओं और प्रथाओं को प्रभावित करेगा। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, प्रत्यर्थियों ने

निश्चित रूप से यह एक प्रशंसनीय मामला है कि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के भक्तों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसका पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है। *[* पारस *13.14-13.15] [891-B-D]*

आयुक्त हिंदू धार्मिक दान, मद्रास

वी. श्री शिरूर के श्री लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार
मठ *[1954]* एससीआर *1005;* दरगाह समिति, अजमेर बनाम। सैयद हुसैन अली *[1962] 1* एससीआर *383;* रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *[1954]* एससीआर *1055;* तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज आदि।

स्टेट इंडियन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

राजस्थान और अन्य। *[1964] 1* एस. सी. आर. *561;* बिजो
इमैनुएल और ओआरएस। वी. केरल राज्य और अन्य। *(1986) 3*

एससीसी *615: [1986] 3* एस. सी. आर. *518;* एस. महेंद्रन बनाम द.

बोर्ड,

सचिव, त्रावणकोर देवस्वम

तिरुवनंतपुरम और अन्य ए. आई. आर. *1993* केरल *42;*
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम टी. एन. और अन्य का राज्य। *(2014)*

5 एससीसी *75: [2014] 1* एस. सी. आर. *308;* दरियाव और अन्य। वी. राज्य

यू. पी. और अन्य। *[1962] 1* एस. सी. आर. *574*-संदर्भित।

एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा 'ज़ विट्नेस इनकॉर्पोरेटेड
वी. राष्ट्रमंडल *67* सीएलआर *116;* कार्लोस फ्रैंक बनाम।

अलास्का राज्य *604* पी. *2* डी *1068 (1979)*-संदर्भित।

अनुच्छेद *17*

8.1 अनुच्छेद *17* अस्पृश्यता के अभ्यास को इस प्रकार संदर्भित करता है -

हरिजनों या लोगों के खिलाफ हिंदू समुदाय में प्रतिबद्ध

दलित वर्गों से, और महिलाओं से नहीं। अधिसूचित आयु वर्ग के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर सीमित प्रतिबंध कला के दायरे में नहीं आता है। *17* संविधान से। *[* पैरा *14.5,16 (v)] [[893-E-F; 898-A]*

8.2 बहिष्करण के सभी रूपों की राशि नहीं होगी

अस्पृश्यता। अनुच्छेद *17* जातिगत पूर्वाग्रह पर आधारित अस्पृश्यता से संबंधित है। शाब्दिक या ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता कभी नहीं थी।

महिलाओं को एक वर्ग के रूप में लागू करने के लिए समझा जाता है। एक निश्चित आयु वर्ग के भीतर महिलाओं पर प्रतिबंध सबरीमाला मंदिर की ऐतिहासिक उत्पत्ति और मान्यताओं और प्रथाओं पर आधारित है। वर्तमान मामले में, अधिसूचित आयु वर्ग की महिलाओं को भगवान अयप्पा के अन्य सभी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति है। इस मंदिर में अधिसूचित आयु वर्ग के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध देवता की अनूठी विशेषता पर आधारित है, न कि किसी सामाजिक बहिष्कार पर। मंदिरों और महिलाओं के प्रवेश के संदर्भ में दलितों के अधिकारों की तुलना करके तुलना पूरी तरह से की जानी चाहिए।

गलत धारणा और अस्थिर। दलितों द्वारा प्रतिपादित अधिकार व्यवस्थित सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ अधिकार के अनुसरण में था और

स्वयं सामाजिक स्वीकृति। मंदिर में प्रवेश के मामले में, सामाजिक सुधार वैधानिक सुधार से पहले हुआ था, न कि इसके विपरीत। द.

सामाजिक सुधार का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महान धार्मिक और राष्ट्रीय नेताओं ने किया था। सुधार बहुत पहले सामाजिक नैतिकता पर आधारित थे।

संवैधानिक नैतिकता अस्तित्व में आई। *[* अनुच्छेद *14.2-14.3] [891* ई-एफ*; 893*-ए-बी*] [2018] 9* एस. सी. आर.

श्री वेंकटरमण देवरू बनाम। मैसूर राज्य और अन्य

[1958] एस. सी. आर. *895*-संदर्भित।

भारत का संवैधानिक कानूनः ए क्रिटिकल कमेंटरी एच. एम. सीरवई वॉल्यूम। *II (*चौथा संस्करण, पुनर्मुद्रण *1999)* पैरा *9.418* पी *691* पर; भारतीय संवैधानिक कानूनविद एम. पी. जैन *(*छठा संस्करण। , न्यायमूर्ति रूमा पाल और समरादित्य पाल द्वारा संशोधित; *2010)* पी। *1067* – संदर्भित किया गया।

1965 के नियमों का नियम *3 (*बी*)* अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।

9.1 1965 के नियमों का नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम की धारा *3* के अधिकार के बाहर नहीं है, क्योंकि परंतुक में एक अपवाद है -

धर्म के मामलों में अपने मामले। *1965* के अधिनियम की धारा *3* के प्रावधान में प्रावधान है कि ऐसा कोई भी विनियमन किसी भी हिंदू के खिलाफ इस आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है। *[* पैरा *15.1] [895-*जी-एच*; 896-*बी*]*

9.3 प्रावधान स्वयं धारा *3* के लिए एक अपवाद बनाता है। घोषणा कि सार्वजनिक पूजा स्थल खुले रहेंगे सभी वर्गों और वर्गों के हिंदुओं के लिए यह निरपेक्ष नहीं है, लेकिन "धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने" के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के अधीन है। धारा *3* में देखा जाना चाहिए

9.5 त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा *27* नवंबर*, 1956* को जारी अधिसूचना महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाती है। एक प्रथा के रूप में *10* से *55* वर्ष की आयु के बीच और डी. ए. एन. यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. का अभ्यास करें।

वी. केरल राज्य

मंदिर की पवित्रता के लिए, और शक्ति रखने के लिए

आर संविधान का अनुच्छेद *13 (3) (*ए*)*। ये अभ्यास

1965 अधिनियम की धारा *3* के परंतुक द्वारा अधिनियमित

1965 के नियमों के नियम *3 (*बी*)* द्वारा प्रभावी। *[* पैरा *15.5] [896]*

ए-बी*]*

राजा बीरा किशोर देब वंशानुगत अधीक्षक,

जगन्नाथ मंदिर, पी. ओ. और जिला पुरिव। की स्थिति

उड़ीसा *(1964) 7* एससीआर *32;* बेनेट कोलमैन एंड कंपनी एंड

ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। *(1972) 2* एससीसी *788: [1973]*

2 एससीआर *757;* रिजू प्रसाद शर्मा और अन्य। वी. की स्थिति

असम और ओआरएस। *(2015) 9* एस. सी. सी. *461;* इवानलांगकी-ई

रिंबाई वी। जयंतिया हिल्स जिला परिषद और अन्य। *(2006)*

4 एस. सी. सी*. 748 [2006] 3* एस. सी. आर*. 497;* भीमाश्य और अन्य। वी.

जानकी *(*श्रीमती*)* आलिया जनवा *(2006) 13* एस. सी. सी*. 627:*

[2006] 10 पूरक। एस. सी. आर*. 628;* सालेख चंद *(*मृत*)*

एल. आर. वी. सत्य गुप्ता और अन्य। *(2008) 13* एससीसी *119: [2008] 3* एस. सी. आर. *833;* आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम

एससीसी *725: [2015] 11* एस. सी. आर. *1110*-संदर्भित। तीर्थयात्रा की प्रक्रियाः अयप्पा संस्कृति और

राधिका सेकर द्वारा सबरीमलाई यात्रा

स्नातक अध्ययन, समाजशास्त्र विभाग और

ओंटारियो; अक्टूबर *1987);* सर्वेक्षण का संस्मरण लेफ्टिनेंट वार्ड द्वारा त्रावणकोर और कोच्चि राज्य

और कॉनर, *(*पहला पुनर्मुद्रण *1994,* सरकार केरल*)* पी. *137* – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

दीपक मिश्रा के फैसले में, जेः *(2017) 10* एस. सी. सी. *689*

संदर्भित किया गया है

पैरा *6*

मंजूरी मिल गई।

पैरा *125*

आकाशवाणी *1993* केरल *42*

[1962] पूरक। *2* एससीआर *496*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1964] 7 एससीआर *32*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1966] 3 एससीआर *242*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1983] 1 एससीआर *729*

उस पर भरोसा करें

पारस *92,*

[1954] एससीआर *1005*

उस पर भरोसा करें

पैरा

1

[1962] 1 एससीआर *383*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1958] एससीआर *895*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1989] 1 एससीआर *689*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 7 एससीआर *797*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2007] 12 एससीआर *991*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2014] 12 एससीआर *259*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2014) 5 एस. सी. सी. *438*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2017) 10 एससीसी *1*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2004] 2 एससीआर *1019*

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1997] 3 पूरक। एससीआर *404*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1972] 3 एससीआर *815*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2015] 11 एससीआर *1110*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1995] 2 पूरक। एससीआर *608*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1956] एससीआर *756*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1981] 2 एससीआर *826*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2014] 9 एससीआर *965*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2003] 1 पूरक। एससीआर *920*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1977] 2 एससीआर *611*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1952] एससीआर *849*

पैरा

संदर्भित किया गया है

(2018) 8 स्केल *72*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2018) 10 स्केल *386*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 पूरक। एससीआर *638*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[1959] एससीआर *629*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1994] 5 पूरक। एससीआर *515*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1962] एससीआर *383*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1984] 1 एससीआर *447*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2002] 3 पूरक। एससीआर *76*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2012] 6 एससीआर *34*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1988] 3 एससीआर *62*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2000] 1 एससीआर *1054*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2009] 9 एससीआर *22*

संदर्भित किया गया है

पैरा यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर *396*

पैरा *140*

· नरीमन का निर्णय, जे। *:]* एससीआर *1005*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

] एससीआर *1055*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

1 एससीआर *895*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

] एससीआर *383*

| पूरक। *2* एससीआर *496*

संदर्भित किया गया है

पैरा *9*

1 एससीआर *561*

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

| 3 एससीआर *815*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

2 एससीआर *611*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

11 एससीआर *729*

पैरा *14*

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर *447*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

] 2 एससीआर *1086*

उस पर भरोसा करें

पैरा*26*

3 पूरक। एससीआर *76*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

1 एससीआर *308*

पैरा *18*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

) 9 एस. सी. सी. *461*

संदर्भित किया गया है

11 एससीआर *1110*

संदर्भित किया गया है

पैरा *20*

1993 केरल *42*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

] पूरक *2* एस. सी. आर. *1050*

उस पर भरोसा करें

पैरा *31*

चंद्रचूड का निर्णय, जे।

पैरा *14*

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर *530*

एससीआर *88*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

2 एससीआर *621*

पैरा *14*

संदर्भित किया गया है

1993 केरल *42*

संदर्भित किया गया है

पैरा *27*

] एससीआर *1005*

संदर्भित किया गया है

पैरा *29*

] एससीआर *1055*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

] एससीआर *895*

पैरा *31*

संदर्भित किया गया है

] एससीआर *629*

संदर्भित किया गया है

पैरा *33*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

] एससीआर *383 |* पूरक। *2* एससीआर *496*

उस पर भरोसा करें

पैरा *36*

पैरा *39*

1 एससीआर *561*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों पर निर्भर

[2018] 9

[1966] 3 एससीआर *242*

संदर्भित किया गया है

पैरा -

[1984] 1 एससीआर *447*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[1997] 2 एससीआर *1086*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[2002] 3 पूरक। एससीआर *76*

पैरा =

संदर्भित किया गया है

[2004] 2 एससीआर *1019*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2015] 11 एससीआर *1110*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 7 एससीआर *797*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2003] 1 पूरक। एससीआर *947*

पैरा

संदर्भित किया गया है

(2018) 8 स्केल *72*

पैरा -

संदर्भित किया गया है

[2015] 11 एससीआर *1110*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

(2018) 10 स्केल *386*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

[1983] 1 एससीआर *729*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1995] 1 पूरक। एससीआर *745*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 पूरक। एससीआर *920*

संदर्भित किया गया है

पैरा

ए. आई. आर. *1958* माईस *84*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

आकाशवाणी *1993* राज *177*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

[1992] 3 पूरक। एससीआर *284*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2015] 11 एससीआर *1110*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2017) 10 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पारस

[1961] 3 एससीआर *592*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1971) 3 एससीसी *550*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1983] 3 एससीआर *812*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

(1982) सभी। एलजे *607*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

[1991] 3 एससीआर *307*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2000] 3 एससीआर *1019*

पैरा

संदर्भित किया गया है

(1984) 4 एससीसी *27*

संदर्भित किया गया है

पैरा *&*

[1950] एससीआर *88*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1970] 3 एससीआर *530*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1979] 2 एससीआर *476*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1961] 3 एससीआर *592*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1971) 3 एससीसी *550*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1983] 3 एससीआर *812*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1991] 3 एससीआर *307*

संदर्भित किया गया है

पैरा यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

संदर्भित किया गया है

पैरा *97*

| 7 एससीआर *756*

पैरा *101*

अस्वीकृत

1952 बम *84*

संदर्भित किया गया है

© *27* बम एलआर *1064*

पैरा *104*

पैरा *104*

3 एससीआर *742*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

| 3 एससीआर *543*

पैरा *105*

इंदु मल्होत्रा, जे का निर्णयः

पैरा *2*

एससीआर *895*

संदर्भित किया गया है

पूरक। *2* एससीआर *496*

पैरा *2*

संदर्भित किया गया है

| 7 एससीआर *32*

पैरा *2*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

| 1 एससीआर *729*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

2 एससीआर *757*

पैरा *4*

संदर्भित किया गया है

993 केरल *42*

9 एस. सी. सी. *461*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

| 3 एससीआर *497*

10 पूरक। एससीआर *628*

पैरा *5*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

3 एससीआर *833* *1* एससीआर *561*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

एससीआर *1005*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

पैरा *5*

1 एससीआर *383*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

| 1 एससीआर *308*

संदर्भित किया गया है

| 11 एससीआर *1110*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर *1284*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

एससीआर *1005*

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

एससीआर *895*

पूरक *2* एस. सी. आर. *563*

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

| 1 एससीआर *383*

संदर्भित किया गया है

पूरक। *2* एससीआर *496*

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर *518*

पैरा *7*

संदर्भित किया गया है

| एससीआर *1055*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

संदर्भित किया गया है

7 एससीआर *797*

पैरा *10.6*

संदर्भित किया गया है

| 12 एससीआर *256*

[2016] 3 एससीआर *865*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11.8*

[1975] 0 पूरक। एससीआर *145*

पैरा *11.8*

संदर्भित किया गया है

[1962] पूरक। *2* एससीआर *496*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12.3*

(1976) 1 एससीसी *292*

पैरा *12.10*

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर *1055*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13.2*

[1962] 1 एससीआर *574*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13.7*

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका *(*सिविल*)* सं. *373*

2006 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत।
राजू रामचंद्रन *(*एसी*)*, सुश्री इंदिरा जयसिंह, डॉ. के. पी.

कैलासनाथ पिल्लै, के. राममूर्ति, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, के. राधाकृष्णन, जयदीप गुप्ता, वी. गिरि, के. परासरन, डॉ. अभिषेक

मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. परमेश्वर *(*एसी*)*, ईश्वर मोहंती *(*एसी*)*, सुश्री हंसिनी शंकर *(*एसी*)*, आर. पी. गुप्ता, डॉ. लक्ष्मी शास्त्री, सुश्री प्रेरणा कुमारी, सुश्री भावना सिंह देव, भक्ति पसरीचा सेठी, सुनील फर्नांडीस, सुश्री नेहमत कौर, सुश्री अजिता शर्मा, पारस नाथ सिंह, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री अंजू थॉमस, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री प्रियांशा शर्मा, ए. वेनायगम बालन, वी. एस. लक्ष्मी, सुश्री शोभा राममूर्ति, श्री राम जे. थलपति, वी. अधिमूलम,

शिल्प विनोद, पुश्किन राजकुमार, सुश्री रीमिता आर. उपाध्याय, भुवन जयंत, वाई. लोकेश, सुश्री वी. सुजाता, सुश्री वनिता चंद्रकांत गिरि, के. वी. जगदीशवरन, सुश्री जी. इंदिरा, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, कुणाल चटर्जी, साणंद रामकृष्णन, राजीव मिश्रा, मदन मोहन बोरा, के. वी. मोहन, के. वी. बालकृष्णन, सुश्री अदिति दानी, सुश्री बीना माधवन, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री आकांक्षा मेहरा, पी. डी. टी. आचार्य, निधिराम शर्मा, अजीम सैमुअल, नरिंदर नील *(*मेसर्स के लिए। वकील एस निट एंड कंपनी*)*, श्रीगेश एम. के., भवानी शंकर वी. गडनिस, विश्वनाथ बी. गडनिस, सुश्री रादनी वी. गडनिस, कृष्ण कुमार सिंह, मैसर्स। एपी एंड जे चैम्बर्स, शाइजन सी. जॉर्ज, वैभव जोशी, रमेश पी., सुहास रत्न जोशी, वी. के. बीजू, हीरेन दासन, चंद कुरैशी, अंकुर राघव, अभय प्रताप सिंह, विजय के. वर्मा, तरुण वर्मा,

वी. के. वर्मा, पी. वी. सरवनराजा, नरेश कुमार, गौतम तालुकदार, निशे राजन शोंकर, अंजनी कुमार मिश्रा, अभिलाष एम. आर., सिमंता

कुमार, सयोज मोहनदास, रंजन कुमार, पीयूष द्विवेदी, मानव वोहरा, अमित कृष्णन, कृष्ण देव जगरलामुदी, स्वाधा शंकर, मोहम्मद सादिक टी. ए., कुरियाकोस वर्गीज, रंजीत शंकर, वी. श्यामोहन, दीपक ग्रोवर, विल्ला मैथ्यूज, गिनेश पी., देवेंद्र कुमार तिवारी, भारतीय युवा वकील ए. एस. एन.

वी. केरल राज्य

पॉल जॉन एडिसन, शाजी सेबेस्टियन, श्री पाल सिंह, जे. साई दीपक, ईशान घोष, सुविदत्त एम. एस., अविनाश के. शर्मा, आशुतोष नगर, सुश्री अंजू, योगमाया, के. वी. मुथु कुमार, अमित जे., अक्षय आर., गोपाल

शंकरनारायणन, सुश्री उषा नंदिनी वी., बीजू पी. रमन, एम. एस. विष्णु शंकर, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अंकित अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

स्वामी ओमजी *(*व्यक्तिगत रूप से आवेदक*)*।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे
दीपक मिश्रा, सीजेआई *(*स्वयं और उनके लिए*)*

ए. एम. खानविलकर, जे.*)*

परिचय

समाज द्वारा पोषित विडंबना यह है कि एक नियम लागू करना, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो, और उक्त नियम के आधार को प्रमाणित करने के लिए स्पष्टीकरण या औचित्य प्रदान करना है। मानव जाति, अनादिकाल से, मानवता को चोट पहुँचाने वाले दृष्टिकोण को प्रमाणित करने के लिए स्पष्टीकरण या औचित्य की खोज कर रही है। सैद्धांतिक मानवीय मूल्य कागज पर बने हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार किया गया है और यही कारण है कि कई लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। सुसान बी. एंथनी, जो अपनी नारीवादी गतिविधि के लिए जानी जाती हैं, संक्षेप में कहती हैं, "पुरुष, उनके अधिकार, और कुछ नहीं;

महिलाएं, उनके अधिकार और कुछ भी कम नहीं। यह एक स्पष्ट संदेश है। *2.* न तो उक्त संदेश और न ही किसी प्रकार का दर्शन खुला है।

त्याग दिया जाए। इस तरह के द्वैतवादी दृष्टिकोण और एक मजबूत मानसिकता के परिणामस्वरूप महिलाओं के प्रति अपमान और उनकी स्थिति का क्षरण होता है। समाज को केवल महिलाओं से शुद्धता और पवित्रता के अधिक सटीक मानकों की मांग करने की वर्चस्ववादी पितृसत्तात्मक धारणाओं के प्रचारक होने से समानता के संवर्धक होने के लिए एक अवधारणात्मक बदलाव से गुजरना पड़ता है, जहां महिला को किसी भी तरह से पुरुष से कमजोर, कम या हीन नहीं माना जाता है। कानून और समाज को इस रूप में कार्य करने के लिए कठिन कार्य सौंपा गया है इस संबंध में और उसी के लिए, बुद्धिमान *[2018] 9* एस. सी. आर. को याद रखना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हेनरी वार्ड बीचर का कथन जो समय के साथ दुनिया की बदलती धारणाओं से संबंधित है। वह कहता हैः

"हमारे दिन एक कैलिडोस्कोप हैं। हर पल विषय-वस्तु में बदलाव होता है। नए सामंजस्य, नए विरोधाभास, हर प्रकार के नए संयोजन। कुछ भी दो बार एक जैसा नहीं होता है। सबसे परिचित लोग हर पल एक-दूसरे के लिए, अपने काम के लिए, आसपास की वस्तुओं के लिए कुछ नए संबंध में खड़े होते हैं। सबसे शांत घर, सबसे शांत निवासियों के साथ, अत्यधिक नियमितता पर रहता है

प्रणाली अभी भी अनंत विविधताओं का उदाहरण दे रही है।

3. सृष्टिकर्ता के साथ कोई भी संबंध एक दिव्य संबंध है जो सामाजिक रूप से बनाई गई सभी कृत्रिम बाधाओं को पार करता है, न कि बातचीत के माध्यम से।

नियम और शर्तों से बंधे संबंध। भक्ति के इस तरह के संबंध और अभिव्यक्ति को कठोर सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाले जैविक या शारीरिक कारकों की हठधर्मी धारणाओं द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है जो संवैधानिक रूप से निर्धारित परीक्षणों को पूरा नहीं करते हैं। धर्म में पितृसत्ता को विश्वास और अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने की स्वतंत्रता से उत्पन्न शुद्ध भक्ति के तत्व पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैविक या शारीरिक कारकों की आड़ में महिलाओं के विध्वंस और दमन को वैधता की मुहर नहीं दी जा सकती है। जैविक विशेषताओं से संबंधित महिलाओं के भेदभाव या अलगाव पर आधारित कोई भी नियम न केवल निराधार, अक्षम्य और अक्षम्य है।

अविश्वसनीय है लेकिन संवैधानिकता को कभी भी पारित नहीं कर सकता है। *4.* यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि आस्था और धर्म भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन धार्मिक प्रथाओं को कभी-कभी स्थायी माना जाता है।

पितृसत्ता इस प्रकार आस्था और लैंगिक समानता और अधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को नकारती है। सामाजिक दृष्टिकोण भी पितृसत्तात्मक मानसिकता के इर्द-गिर्द केंद्रित और घूमता है जिससे सामाजिक और धार्मिक परिवेश में महिलाओं की स्थिति का अपमान होता है। सभी धर्म सार्वभौमिक तक पहुँचने के लिए बस अलग-अलग रास्ते हैं। धर्म मूल रूप से जीवन का एक तरीका है जिससे दिव्यता के साथ अपनी पहचान का एहसास किया जा सके। हालांकि, कुछ हठधर्मिता और बहिष्करण प्रथाओं और अनुष्ठानों के परिणामस्वरूप वास्तविक सार के बीच विसंगतियां हुई हैं। धर्म या आस्था और इसका अभ्यास जो पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों के साथ व्याप्त हो गया है। कभी-कभी, आस्था के आवश्यक और अभिन्न पहलू के नाम पर, ऐसी प्रथाओं का उत्साहपूर्वक प्रचार किया जाता है।

संदर्भ

5. ऐसा कहने के बाद, हम तथ्यात्मक अंक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत त्वरित रिट याचिका जारी करने की मांग करती है

केरल सरकार के खिलाफ निर्देश, देवस्वम बोर्ड ऑफ

1 हेनरी वार्ड बीचर, *1813-1887*-आंखें और कान भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

त्रावणकोर, सबरीमाला मंदिर और जिले के प्रमुख थंत्री

पथनमथिट्टा के मजिस्ट्रेट सबरीमाला *(*केरल*)* में भगवान अयप्पा मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिला भक्तों का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे, जिसे कुछ प्रथाओं और उपयोग के आधार पर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है; केरल के हिंदू सार्वजनिक स्थानों के नियम *3 (*बी*)* को घोषित करने के लिए

केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965 (*संक्षिप्तता के लिए, *"1965* अधिनियम*")* की धारा *4* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाया गया पूजा *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* नियम, *1965 (*संक्षेप में, *"1965* नियम*")* भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,15,25* और *51* ए *(*ई*)* का असंवैधानिक उल्लंघन है और महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्देश पारित करता है।

6. तीन-भारतीय युवा वकील संघ में न्यायाधीश पीठ और अन्य बनाम। केरल राज्य और अन्य *2* ने शामिल मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, न्यायमित्र के रूप में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन और श्री के. राममूर्ति की सहायता मांगी।

इसके बाद, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एस. महेंद्रन बनाम मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और कारणों का विश्लेषण किया। सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य *3*

जिसमें इसी तरह के विवाद उठाए गए थे। पीठ ने *13.11.2007* और *05.02.2016* दिनांकित दो हलफनामों और केरल सरकार द्वारा उसमें लिए गए विपरीत रुख पर ध्यान दिया।

7. याचिकाकर्ताओं, उत्तरदाताओं के साथ-साथ विद्वान न्यायमित्र द्वारा विद्वान वकील द्वारा आगे की गई दलीलें दर्ज करने के बाद

क्यूरी, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षों के वकील द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर विचार किया और उसके बाद, संविधान पीठ को संदर्भित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

महिला लिंग के लिए अनन्य जैविक कारक
" भेदभाव "और इस प्रकार अनुच्छेद *14* के मूल का उल्लंघन करता है,

15 और *17* और अनुच्छेद *25* में उपयोग की गई 'नैतिकता' द्वारा संरक्षित नहीं

2. क्या ऐसी महिलाओं को बाहर करने की प्रथा अनुच्छेद *25* के तहत एक "आवश्यक धार्मिक प्रथा" का गठन करती है और क्या कोई धार्मिक संस्था निम्नलिखित मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने के

अधिकार की छत्रछाया में उस संबंध में दावा कर सकती है।
धर्म?

3. क्या अयप्पा मंदिर का एक सांप्रदायिक चरित्र है और, यदि ऐसा है, तो क्या यह 'धार्मिक संप्रदाय 2 (2017) 10 एस. सी. सी. 689' की ओर से अनुमत है। 3 आकाशवाणी 1993 केरल 42 [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सांविधिक बोर्ड द्वारा प्रबंधित और केरल और तमिलनाडु की संचित निधि से भारत के संविधान के अनुच्छेद 290-ए के तहत वित्तपोषित ऐसी प्रथाओं में शामिल होने के लिए जो अनुच्छेद 14,15 (3), 39 (ए) में अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों/नैतिकता का उल्लंघन करती हैं और

51 - ए (ई)?

4. क्या केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश का प्राधिकरण) नियमों का नियम 3 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'धार्मिक संप्रदाय' की अनुमति देता है? और अगर तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (3) की अवहेलना नहीं करेगा?

लिंग के आधार पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करके?

5. क्या केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश का प्राधिकरण) नियम, 1965 का नियम 3 (बी) केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश का प्राधिकरण) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
अधिनियम, 1965 और, यदि इसे अधिकार के भीतर माना जाता है, तो क्या यह होगा

संविधान के भाग III के प्रावधानों का उल्लंघन?

8. उपरोक्त संदर्भ के कारण, मामला रखा गया है

हमारे सामने। 9. यह भी ध्यान देने योग्य है कि केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एस. महेंद्रन (उपरोक्त) मामले में वर्ष के किसी भी समय सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न पूछेः

" (1) क्या 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिला को वर्ष की किसी भी अवधि में या उसके दौरान सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

मंदिर में आयोजित कोई भी त्योहार या पूजा।

(2) क्या उस वर्ग की महिला के प्रवेश से इनकार करना भेदभाव और संविधान के अनुच्छेद 15,25 और 26 का उल्लंघन है।

(3) क्या इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए जा सकते हैं
देवस्वम बोर्ड और केरल सरकार ऐसी महिला के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाए?

10. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न पूछने के बाद कहा कि

इस प्रकारः

"40. सबरीमाला मंदिर में देवता मंदिर की तंत्री के अनुसार योगी या ब्रह्मचारी के रूप में है।

उन्होंने कहा कि डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कि अचनकोविल, आर्यंकावु और कुलाथुपुड़ा में सस्त मंदिर हैं, लेकिन वहाँ के देवता अलग-अलग रूपों में हैं। पुथुमना नारायणन नम्बूदिरी, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक थंथ्रिमुख्या, ने सी. डब्ल्यू. *1* के रूप में जांच करते हुए कहा कि सबरीमाला में भगवान एक नैष्टिक ब्रामचारी के रूप में हैं। उनके अनुसार यही कारण है कि युवा महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं।

मंदिर में पूजा करने की अनुमति। *41.* चूँकि देवता एक नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में हैं, इसलिए यह माना जाता है कि युवा महिलाओं को मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए ताकि देवता द्वारा देखी जाने वाली ब्रह्मचर्य और तपस्या से थोड़ा सा भी विचलन उनकी उपस्थिति के कारण न हो।

ऐसी औरतें।

और फिर सेः

"... इसलिए हमारी राय है कि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर और उसके परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और कोई कारण नहीं है कि उन्हें निर्दिष्ट दिनों के दौरान पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब वे शारीरिक कारणों से *41* दिनों तक तपस्या करने की स्थिति में नहीं हैं। संक्षेप में, रजोनिवृत्ति तक रजोनिवृत्ति के बाद महिला प्रवेश करने की हकदार नहीं होती हैं।

वर्ष के किसी भी समय वहाँ मंदिर बनाएँ और प्रार्थना करें।

11. इसका विश्लेषण करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया जो

इस प्रकारः

"(1) 10 वर्ष से अधिक और *50* वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियों पर चढ़ाई करने और सबरीमाला मंदिर में पूजा करने पर प्रतिबंध प्रचलित उपयोग के अनुसार है।

(2) देवस्वम बोर्ड द्वारा लगाया गया ऐसा प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद *15,25* और *26* का उल्लंघन नहीं है। *(3)* इस तरह का प्रतिबंध हिंदू लोक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं है क्योंकि मंदिर में प्रवेश के मामले में हिंदुओं के बीच एक धारा और दूसरी धारा के बीच या एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि निषेध केवल एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के संबंध में है और एक वर्ग के रूप में महिलाओं के संबंध में नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने बौद्ध धर्म के साथ-साथ भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पहलू की ओर इशारा किया है।

सबरीमाला मंदिर और भगवान अयप्पा के धार्मिक इतिहास का संबंध। सबरीमाला मंदिर के कामकाज की सराहना करने के उद्देश्य से उन्होंने हमें त्रावणकोर में देवस्वम के इतिहास के बारे में भी बताया है। देवस्वम बोर्डों के वैधानिक समर्थन के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है -

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को छोड़कर देवस्वम और अन्य हिंदू धार्मिक संस्थानों को निगमित और अनिगमित किया गया। *13.* उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम एक अवधि के दौरान विभिन्न संशोधनों के अधीन रहा है, अंतिम संशोधन वर्ष *2007* में किया गया था। सं. *694* दिनांक *12.04.2007]* जिसके कारण महिलाओं को प्रबंधन बोर्ड में शामिल किया गया। याचिकाकर्ताओं ने धारा *29* ए का भी उल्लेख किया है।

14. जहाँ तक वित्तपोषण के पहलू पर विचार किया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि संविधान को अपनाने से पहले, त्रावणकोर और तमिल दोनों तमिलनाडु देवस्वम बोर्डों को राज्य द्वारा वित्त पोषित किया गया था, लेकिन संविधान को अपनाने के छह साल बाद, संसद ने अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद *290*-ए को *7* वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा, जिसके तहत केरल राज्य की समेकित निधि पर केवल छियालिस लाख पचास हजार रुपये की राशि लेने की अनुमति है।

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को भुगतान किया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि संविधान में अनुच्छेद *290*-ए को शामिल करने और इसके परिणामस्वरूप राज्य वित्त पोषण के बाद, वैधानिक देवस्वम बोर्ड से जुड़े किसी भी मंदिर में कोई भी व्यक्तिगत दुराचार नहीं किया जा सकता है।

हिंदू मंदिर के मामले में इस संवैधानिक संशोधन को भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. बनाया गया है।

इस आधार पर कि किसी भी मंदिर में ऐसी कोई प्रथा नहीं चलाई जाएगी जो संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ हो।

अपने संप्रदाय के सदस्यों के बीच बंधन। इस तरह का मूल्यवर्ग कानून के अनुसार अपनी संपत्तियों के प्रबंधन सहित अपने स्वयं के धार्मिक संस्थानों वाले अनुष्ठानों/प्रथाओं/उपयोगों के एक विशेष समूह के बाद स्पष्ट रूप से अलग होना चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि धार्मिक संप्रदाय जो अपने सदस्यों को कुछ अनुष्ठानों/प्रथाओं से निकटता से बांधता है, उसके पास स्थायी उत्तराधिकार के साथ कुछ संपत्ति भी होनी चाहिए, जिसे याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद *26* को तैयार करते समय ध्यान में रखा और तदनुसार, धार्मिक संप्रदायों को खंडों के तहत चार अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(क) अनुच्छेद *26* के *(घ)* तक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये अधिकार असंगत और अनन्य प्रकृति के नहीं हैं, बल्कि सामूहिक रूप से उन्हें स्थापित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

संपत्ति अर्जित करने का अधिकार खंड *(ए)* में निहित है क्योंकि कोई भी धार्मिक संस्था संपत्ति के बिना नहीं बनाई जा सकती है और इसी तरह, खंड *(बी)* के तहत धर्म के मामलों में कोई भी व्यक्ति अपने मामलों का प्रबंधन कैसे कर सकता है यदि कोई धार्मिक संस्था नहीं है। इस प्रकार, अलग होने का दावा करने वाले धार्मिक संप्रदाय के लिए और विशिष्ट पहचान, इसके पास कुछ संपत्ति होनी चाहिए जिसके लिए संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता होती है।

17. याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को लागू करने के लिए दबाव डाला है।

सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बम्बई राज्य,

4 तीसरा संस्करण, खंड। *1 , 1983 pg. 931 5 [1962]* पूरक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजा बीरा किशोर देब बनाम। उड़ीसा राज्य, शास्त्री यज्ञपुरुषदजी और अन्य बनाम। मुलदास भुंडरदास वैश्य और एक अन्य और एस. पी. मित्तल बनाम। भारत संघ और अन्य जिसमें इस न्यायालय द्वारा धार्मिक संप्रदाय की अवधारणा पर चर्चा की गई थी। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि हिंदू मंदिरों में की जाने वाली प्रथाओं में कुछ अंतर है

उन्हें अलग धार्मिक संप्रदायों का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

18. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सबरीमाला मंदिर एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं है, क्योंकि 'पूजा' के समय सबरीमाला मंदिर में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान और अन्य धार्मिक समारोह किसी भी हिंदू मंदिर में किए जाने वाले किसी भी अन्य प्रथा के समान हैं। इसका अपना अलग प्रशासन नहीं है, लेकिन 'त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, *1950'* के तहत गठित एक वैधानिक निकाय द्वारा या उसके माध्यम से प्रशासित किया जाता है और आगे, उक्त अधिनियम की धारा *29 (3* ए*)* के अनुसार, देवस्वम आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

सरकार, तीन महीने में एक बार, बोर्ड के कामकाज के संबंध में।

19. उन्होंने द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडॉवमेंट्स, मद्रास बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। श्री.

श्री शिरूर मठ के लक्ष्मींद्र त्रिथा स्वामीनार ने इस प्रकार कहाः

"हम सोचते हैं कि इस तरह के व्यापक शब्दों में तैयार किया गया विवाद नहीं हो सकता है,

समर्थन करें। सबसे पहले, किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, इसका निर्धारण मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अगर किसी भी धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांत हिंदुओं में से यह निर्धारित किया गया है कि मूर्ति को दिन के विशेष समय पर भोजन का प्रसाद दिया जाना

चाहिए, वर्ष की कुछ अवधियों में आवधिक समारोह एक निश्चित तरीके से किए जाने चाहिए या पवित्र ग्रंथों का दैनिक पाठ या पवित्र अग्नि का अभिषेक किया जाना चाहिए, इन सभी को धर्म का हिस्सा माना जाएगा और केवल यह तथ्य कि उनमें धन का खर्च शामिल है या

पुरोहितों और सेवकों का रोजगार या विपणन योग्य का उपयोग

वस्तुएँ उन्हें एक वाणिज्यिक या आर्थिक चरित्र में भाग लेने वाली धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ नहीं बनाती हैं; वे सभी धार्मिक प्रथाएँ हैं और इन्हें देश के भीतर धर्म के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए।

अनुच्छेद *26 (*ख*)* का अर्थ।

7 (1966) 3 एससीआर *242:* ए. आई. आर. *1966* एस. सी. *1119 8 (1983) 1* एस. सी. सी. *51*

9 9 [1954] एससीआर *1005* भारतीय युवा वकील एएसएसएन। वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

20. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शिरूर मठ *(*उपरोक्त*)* में इस न्यायालय ने अनुच्छेद *26* के खंड *(*ए*)* और *(*बी*)* के तहत स्वतंत्रता देते हुए यह स्पष्ट किया कि जो संरक्षित है वह केवल धर्म का 'आवश्यक हिस्सा' है या दूसरे शब्दों में, किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले 'अभ्यास' का सार है। इसलिए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी भी धार्मिक प्रथा की संवैधानिक सिद्धांतों की कसौटी पर जांच करने से पहले, यह सकारात्मक रूप से पता लगाना होगा कि क्या उक्त प्रथा वास्तव में उक्त धर्म का 'सार' है।

21. याचिकाकर्ताओं ने दरगाह समिति, अजमेर बनाम में भी फैसले का हवाला दिया है। सैयद हुसैन अली *1 0* जिसमें न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने स्पष्ट किया कि खंड *(*सी*)* और *(*डी*)* धार्मिक संप्रदायों के पक्ष में कोई नया अधिकार नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसी तरह, धार्मिक मामलों के मामलों में, यह देखा जाता है कि यह भी पवित्र नहीं है क्योंकि अंधविश्वास जैसी कई बुरी प्रथाएं हो सकती हैं जो समय के साथ, उस धार्मिक संप्रदाय के मूल विषय में केवल वृद्धि हो सकती हैं। ऐसा उद्धृत करने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि भले ही किसी ऐतिहासिक कारण से जोड़ा गया कोई भी संचय उक्त धार्मिक संप्रदाय का सार बन गया हो, लेकिन वह नहीं होगा

यदि यह इतना घृणित है और हमारे संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है तो अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत संरक्षित है। *22.* याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि मंदिरों में प्रवेश के मामलों में भेदभाव न तो एक अनुष्ठान है और न ही इससे जुड़ा एक समारोह है।

इस धर्म के रूप में हिंदू धर्म महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करता है, लेकिन इसके विपरीत, हिंदू धर्म पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उच्च स्थान देता है और इस तरह का भेदभाव पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, क्योंकि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध हिंदू धर्म का सार नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भले ही सबरीमाला मंदिर को एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में लिया जाता है, लेकिन उनके मूल सिद्धांत तीर्थयात्रा की कुछ अवधि के लिए ब्रह्मचर्य की शपथ लेने तक ही सीमित नहीं हैं क्योंकि सभी तीर्थयात्रियों को मंदिर में स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति है और इस अवधि के दौरान महिलाओं को न देखने की ऐसी कोई प्रथा नहीं है।

23. इसके अलावा, केवल महिलाओं को देखना किसी के ब्रह्मचर्य को प्रभावित नहीं कर सकता है यदि किसी ने इसकी शपथ ली है, अन्यथा इस तरह की शपथ का कोई अर्थ नहीं है और

इसके अलावा, भक्त सबरीमाला मंदिर में ब्रह्मचर्य की शपथ लेने के लिए नहीं बल्कि भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। ब्रह्मचर्य बनाए रखना केवल कुछ लोगों के लिए एक अनुष्ठान है जो इसका अभ्यास करना चाहते हैं और जिसके लिए मंदिर प्रशासन ने भी कोई औचित्य नहीं दिया है।

10 (1962) 1 एससीआर *383 [2018] 9* एस. सी. आर.

इसके विपरीत, मंदिर प्रशासन के अनुसार, चूंकि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं घने जंगल में बहुत कठिन पहाड़ी इलाकों में पैदल नहीं चल सकती हैं और वह भी कई हफ्तों तक, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं देने की प्रथा शुरू हो गई है।

24. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि हालांकि कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है, फिर भी मंदिर में प्रवेश को विनियमित किया जा सकता है और कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता है

किसी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध या पूर्ण बहिष्करण नियम। इस विचार को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने शिरूर मठ *(ऊपर)* में इस न्यायालय के फैसले को लागू करने पर जोर दिया है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

"तथापि, हम धारा *21* के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। यह धारा आयुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारियों और उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति या किसी भी कर्तव्य का प्रयोग करने के उद्देश्य से किसी भी धार्मिक संस्थान या पूजा स्थल के परिसर में प्रवेश करने का अधिकार देती है। यह सर्वविदित है कि हो सकता है

सार्वजनिक मंदिर या अन्य धार्मिक संस्थान में प्रवेश का अनियंत्रित और अप्रतिबंधित अधिकार उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो इसके आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े नहीं हैं। यह सार्वभौमिक रूप से मनाया जाने वाला एक पारंपरिक रिवाज है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंदिर के विशेष रूप से पवित्र हिस्सों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाती है, उदाहरण के लिए, वह स्थान जहां देवता स्थित है। वहाँ भी निश्चित घंटे हैं

मूर्ति की पूजा करें और आराम करें जब जनता के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी की अनुमति न हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा *21* परिसर के बाहरी हिस्से में प्रवेश के अधिकार को सीमित नहीं करती है; यह आंतरिक पवित्र स्थान को भी बाहर नहीं करती है, जैसा कि कहा जाता है, जिसकी पवित्रता 'उत्साहपूर्वक संरक्षित' है। यह नहीं कहता है कि प्रविष्टि प्रमुख को उचित सूचना के बाद की जा सकती है।

संस्थान और ऐसे समय पर जो संस्थान में संस्कारों और समारोहों के उचित पालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम सोचते हैं कि जैसा कि धारा बनी हुई है, यह माथाधीपति के मौलिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के तहत गारंटीकृत मूल्यवर्ग में हस्तक्षेप करती है।

25. श्री वेंकटरमण देवरू बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। मैसूर राज्य और अन्य *1* का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक धार्मिक

मूल्यवर्ग किसी भी वर्ग या धारा को हर समय पूरी तरह से बहिष्कृत या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। एक धार्मिक संप्रदाय जो कुछ भी कर सकता है वह है प्रतिबंध लगाना

11 (1958) एससीआर *895:*

1958 एयर *55* भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कुछ अनुष्ठानों में किसी विशेष वर्ग या वर्ग का प्रवेश। देवरू *(*ऊपर*)* का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"हमने माना है कि किसी मूल्यवर्ग का पूरी तरह से बहिष्कृत करने का अधिकार
मंदिर में पूजा करने से जनता के सदस्य, हालांकि

लेकिन कुछ धार्मिक सेवाओं से बहिष्कार के कारण, वे सीमित हैं
फाउंडेशन के नियमों द्वारा संप्रदाय के सदस्यों के लिए,

, तब सवाल यह नहीं है कि कला है या नहीं। *25 (2) (* बी*)* ओवर-राइड्स जो

अधिकार ताकि इसे बुझाया जा सके, लेकिन क्या यह संभव है-ताकि विनियमित किया जा सके
कला द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के अधिकार। *25 (2) ((*ख*)* देने के लिए

दोनों अधिकारों को प्रभावित करता है। यदि सांप्रदायिक अधिकार ऐसे हैं कि

उन्हें प्रभावी बनाने से अधिकार में काफी कमी आएगी।

कला द्वारा प्रदान किया गया। *25 (2) (* ख*)*, तो निश्चित रूप से, हमारे निष्कर्ष पर कि

कला. *25 (2) (* ख*)* कला के विरुद्ध प्रचलित है। *26 (* बी*)*, मूल्यवर्ग
अधिकार समाप्त हो जाने चाहिए। लेकिन जहां वह स्थिति नहीं है, और उसके बाद

मूल्यवर्ग के अधिकारों को प्रभावी बनाना जो उनके लिए बचा है

सार्वजनिक रूप से पूजा का अधिकार कुछ महत्वपूर्ण है और नहीं

केवल इसकी भूसी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए
कला का निर्माण करें। *25 (2) ((*ख*)* कला को प्रभावी बनाने के लिए। *26 (* ख*)* और पहचानें

उन मामलों के संबंध में संप्रदाय के अधिकार जो हैं

सख्ती से सांप्रदायिक, जनता के अधिकारों को अन्य में छोड़ देना

अप्रभावित सम्मान "।

(जोर हमारा है*)*

26. केरल के हिंदू स्थानों की धारा *3* और *4* का उल्लेख करने के बाद

लोक पूजा *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* और उसके तहत बनाए गए नियम *3 (*बी*)* के तहत याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नियम *3 (*बी*)* में आने वाली 'किसी भी समय' अभिव्यक्ति किसी भी महिला के पूर्ण बहिष्कार/निषेध का कारण नहीं बनती है। दूसरे शब्दों में, यदि ऐसे समय में, जिसके दौरान किसी भी प्रथा या उपयोग से किसी महिला को अनुमति नहीं थी, तो उक्त प्रथा या उपयोग जारी रहेगा और इस दावे को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने इस उदाहरण का हवाला दिया है कि यदि देर रात के दौरान, प्रथा या उपयोग से, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, तो उक्त प्रथा या उपयोग जारी रहेगा, हालांकि, यह महिलाओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि नियम *3 (*बी*)* की कोई भी अन्य व्याख्या उक्त नियम को *[2018] 9* एस. सी. आर. के लिए खुला रखेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चुनौती क्योंकि यह न केवल केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम, *1965* का उल्लंघन होगा, बल्कि अनुच्छेद *14* और *15* के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* का भी उल्लंघन होगा।

2016 के आई. ए. सं. *10* में मध्यस्थ की ओर से प्रस्तुतियाँ

27. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि शारीरिक कारकों के आधार पर *10* से *50* वर्ष की आयु के बीच महिलाओं को रोकने की बहिष्करण प्रथा विशेष रूप से महिलाओं में पाई जाती है।

लिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस तरह के वर्गीकरण का कोई संवैधानिक उद्देश्य नहीं है। यह भी आवेदक/मध्यस्थ का मामला है कि भले ही यह कहा जाता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग-अलग वर्गों के रूप में वर्गीकरण है, मासिक धर्म जैसे शारीरिक कारकों के आधार पर महिलाओं के बीच कोई और उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, जिसके द्वारा *10* वर्ष से कम और *50* वर्ष से अधिक की महिलाओं को अनुमति दी जाती है।

28. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि

अनुच्छेद *14*, प्रकृति में भेदभावपूर्ण होने के कारण किसी भी कानून में एक बोधगम्य अंतर का अस्तित्व होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। जैसा कि दावा किया गया है कि इसका उद्देश्य देवता को प्रदूषित होने से रोकना है, जो आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता के विचार में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संवैधानिक उद्देश्य के विपरीत है जैसा कि हमारी प्रस्तावना में निहित है। संविधान। इसके अलावा, आवेदक/मध्यस्थ ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि मासिक धर्म पर आधारित वर्गीकरण समझ में आ सकता है, फिर भी उद्देश्य

सांविधानिक रूप से अमान्य होने के कारण, सांठगांठ के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

29. दीपक सिब्बल बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए। पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य *1 2*, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि बहिष्करण प्रथा स्वयं महिलाओं की समानता और कानून के समक्ष समानता के पवित्र सिद्धांत का उल्लंघन करती है और यह साबित करने का बोझ कि यह ऐसा उल्लंघन नहीं करता है, प्रतिवादी नं। *2* , देवस्वम बोर्ड, जिसे उक्त प्रत्यर्थी निर्वहन करने में सक्षम नहीं हुआ है।

30. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि फैसले को देखते हुए बहिष्करण प्रथा स्पष्ट रूप से मनमाना है।

शायरा बानो बनाम में इस न्यायालय का। भारत संघ और अन्य *1 3* क्योंकि यह पूरी तरह से शारीरिक कारकों पर आधारित है और इसलिए, न तो किसी की सेवा करता है

12 (1989) 2 एससीसी *145*

13 (2017) 9 एस. सी. सी. *1* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

वैध उद्देश्य और न ही संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत उचित वर्गीकरण की कसौटी को संतुष्ट करता है।

31. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि अपवर्जन प्रथा संविधान के अनुच्छेद *15 (1)* का उल्लंघन करती है।

जो लिंग के आधार पर भेदभाव के बराबर है क्योंकि मासिक धर्म की शारीरिक विशेषता केवल महिलाओं के लिए है। उक्त निवेदन के समर्थन में, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने अनुज गर्ग और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य *1 4* और चारू खुराना और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *1 5*, यह स्पष्ट करने के लिए कि किसी भी रूप में लैंगिक पूर्वाग्रह का विरोध किया जाता है

संवैधानिक मानदंडों के लिए।

32. यह आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता का भी मामला है कि बहिष्करण अभ्यास का मासिक धर्म की महिलाओं पर कलंक लगाने का प्रभाव पड़ता है।

इसके लिए आयु उन्हें प्रदूषित मानती है और इस तरह उन पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जो परिणामस्वरूप अनुच्छेद *17* के उल्लंघन की ओर ले जाता है क्योंकि अनुच्छेद *17* में 'किसी भी रूप में' अभिव्यक्ति में सामाजिक कारकों के आधार पर अस्पृश्यता शामिल है और महिलाओं के खिलाफ मासिक धर्म भेदभाव को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद *17* राज्य और गैर-राज्य दोनों पक्षों पर लागू होता है और इसे नागरिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में एक केंद्रीय कानून के माध्यम से लागू किया गया है।

अधिनियम, *1955*। एस. महेंद्रन *(*ऊपर*)* में उच्च न्यायालय का निर्णय, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता की दृष्टि में, *1955* के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। *33.* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों से समर्थन प्राप्त करना। भारत संघ और अन्य *1 6* और न्याय

34. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बहिष्करण प्रथा संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है क्योंकि वे जनता को समर्पित हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार है। के अनुसार

1 4 (2008) 3 एस. सी. सी *1*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता, इस न्यायालय द्वारा कई निर्णय दिए गए हैं जिसमें सभी जातियों के मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों को इस आधार पर बरकरार रखा गया है कि वे हिंदू हैं और इसी तरह, जो महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार रखती हैं, वे भी हिंदू हैं।

35. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने केरल सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* की धारा *4* और नियम का उल्लेख किया है।

3 (ख*)* उक्त धारा के तहत बनाया गया है जो कुछ श्रेणियों के लोगों को सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश करने से वंचित करता है और इसमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिन्हें प्रथा या उपयोग से सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह असंवैधानिक भी है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद *14,15,17,21* और *25* का उल्लंघन करता है क्योंकि यह महिलाओं को सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश करने से रोकता है। उक्त नियम *3 (*बी*)*, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत संरक्षित एक आवश्यक प्रथा नहीं है क्योंकि यह धर्म का हिस्सा नहीं है क्योंकि भगवान अयप्पा के भक्त केवल हिंदू हैं और वे संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत एक अलग धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करते हैं क्योंकि उनका कोई सामान्य विश्वास या अलग नाम नहीं है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने एस. पी. मित्तल *(*ऊपर*)* में फैसले की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

एक और *1 8*। *37.* देवरू *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपने मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार

अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय को प्रदान किए गए अधिकार अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत हिंदू महिलाओं को गारंटीकृत अधिकारों के अधीन हैं। आवेदक/मध्यस्थ के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* का सामंजस्यपूर्ण निर्माण। संविधान से पता चलता है कि न तो अनुच्छेद *26* राज्य को किसी भी महिला को किसी भी सार्वजनिक मंदिर में पूजा करने के अधिकार से अलग करने वाला कानून बनाने में सक्षम बनाता है और न ही यह किसी भी प्रथा की रक्षा करता है जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती है और इस प्रकार, इस तरह का बहिष्कार अनुच्छेद *25* के तहत गारंटीकृत धर्म का पालन करने के महिलाओं के अधिकारों को नष्ट करने के बराबर है।

18 (2004) 12 एस. सी. सी. *770* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

38. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है

महिलाओं के खिलाफ *(*सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू.*)* और यह तथ्य कि भारत इसमें एक पक्ष है

इस बात पर जोर देने के लिए कि रीति-रिवाजों या परंपराओं के आधार पर मासिक धर्म से संबंधित वर्जनाओं को समाप्त करना राज्य का दायित्व है और राज्य को अपने दायित्व से बचने के लिए रीति-रिवाज या परंपरा के अनुरोध को लागू करने से बचना चाहिए। विशाखा और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय *v.* राजस्थान राज्य और अन्य राज्यों को यह प्रस्तुत करने के लिए उद्धृत किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का पालन तब किया जाना चाहिए जब घरेलू कानून में कोई शून्य हो या जब घरेलू कानून का अर्थ लगाने के मानदंडों में कोई विसंगति हो।

आई. ए. सं. *34/2017* में मध्यस्थ की ओर से प्रस्तुतियाँ

39. हस्तक्षेप करने वाली ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने आई. ए. नंबर *34/2017* दायर किया है जिसमें उसने कहा है कि संविधान के अर्थ को रोका नहीं जा सकता है और इसे बदलते समय के साथ लगातार विकसित होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक प्रस्तुत करता है कि केवल इसलिए कि अनुच्छेद *26* निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह संविधान के भाग *III* या अनुच्छेद *25* के अधीन है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भाग *III* और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद *14,15,19,21* और *25* के खिलाफ है। इस पर जोर देने के लिए, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है।

देवरू मामले में जहां न्यायालय ने कहा है कि निर्माण का नियम अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब किसी अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनका एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभाव दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के इस नियम को लागू करते हुए, यदि अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो अनुच्छेद। *25 (2) (* ख*)* सांप्रदायिक मंदिरों के लिए इसके अनुप्रयोग में पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा, हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है,

उस अनुच्छेद की भाषा में वे शामिल हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो धर्म के सभी मामलों में अनुच्छेद *26 (*बी*)* को पूर्ण प्रभाव दिया जा सकता है, केवल इसके अधीन रहते हुए कि उनमें से एक पहलू के संबंध में, पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश, अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत घोषित अधिकार प्रबल होंगे और इसलिए, जबकि पूर्व मामले में, अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, बाद में, उस प्रावधान और अनुच्छेद *26 (*बी*)* दोनों को प्रभाव दिया जा सकता है और इसलिए, तदनुसार यह माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद *26 (*बी*)* को अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।

19 (1997) 6 एससीसी *241 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी संख्या *1* की ओर से प्रस्तुतियाँ

40. केरल राज्य, जो इसमें पहला प्रतिवादी था, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, ने अलग-अलग समय पर विपरीत रुख अपनाया था। एक शपथ पत्र था

13.11.2007 पर दायर किया गया जिसमें संकेत दिया गया था कि सरकार किसी भी महिला या समाज के किसी भी वर्ग के प्रति भेदभाव के पक्ष में नहीं थी।

उक्त रुख को *5.2.2016* दिनांकित हलफनामे में इस रुख को लेते हुए बदल दिया गया था कि पहले का हलफनामा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत था। न्यायालय द्वारा किए जा रहे एक प्रश्न पर *7.11.2016* पर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वह दिनांकित *13.11.2007* के मूल हलफनामे पर भरोसा करना चाहता है। केरल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि *1965* का अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के अनुरूप हैं। अधिनियम की धारा *3* का संदर्भ दिया गया है, क्योंकि उक्त प्रावधान सार्वजनिक पूजा स्थलों को आम तौर पर हिंदुओं या उसके किसी भी वर्ग या वर्ग के लिए खुला रखने से संबंधित है। निषेध की अवधारणा की कल्पना नहीं की गई है। श्री गुप्ता ने आग्रह किया है कि इस क्षेत्र में कानून को देखते हुए कोई प्रतिबंध नहीं है। संक्षेप में, राज्य का रुख यह है कि वह उस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में किसी भी भेदभाव की कल्पना नहीं करता है जहां पुरुष भक्त प्रवेश कर सकते हैं।

प्रत्यर्थी संख्या *2* की ओर से प्रस्तुतियाँ

41. प्रत्यर्थी नं. *2* निवेदन किया है कि सबरीमाला भगवान अयप्पा को समर्पित एक महान पुरातनता का मंदिर है जिसे याचिकाकर्ता ने अस्वीकार कर दिया है

पुरुष देवता शिव और मोहिनी, जहाँ मोहिनी स्त्री रूप में विष्णु हैं। " *42.* इसके बाद, प्रतिवादी नं। *2* प्रत्यर्थी सं. की प्रस्तुतियों को दोहराया। *4 41* दिनों के 'वृथुम' के पालन और इस तथ्य से संबंधित है कि सबरीमाला मंदिर में 'नैष्टिक ब्रह्मचर्य' को दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिवादी नं। *2* समाजशास्त्र विभाग में राधिका सेकर द्वारा पीएचडी थीसिस का भी उल्लेख किया है और

अक्टूबर *1987* में कार्लटन विश्वविद्यालय, ओटावा, ओंटारियो में मानव विज्ञान

शीर्षक "तीर्थयात्रा की प्रक्रियाः अयप्पा संस्कृति और सबरीमाला यात्रा "जिसने गहरी तपस्या के आधार पर सबरीमाला के सांप्रदायिक मंदिर के अस्तित्व के लिए बहुत ही कारण स्थापित किया है,

सभी आगंतुकों, पुरुष और महिला द्वारा ब्रह्मचर्य और संयम। प्रत्यर्थी नं. *2* इसने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया है कि सबरीमाला मंदिर केवल विशिष्ट परिभाषित अवधि के दौरान, यानी मलयालम महीने पर ही खुला रहता है। *17* भारतीय युवा वकीलों के लिए *26* नवंबर से *26* दिसंबर।

वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

प्रत्येक मलयालम महीने के पहले पाँच दिन जो प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर महीने के लगभग मध्य में और मकर संक्रांति की अवधि के दौरान भी शुरू होते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग *1* जनवरी से मध्य-जनवरी तक।

प्रत्यर्थी संख्या *4* की ओर से प्रस्तुतियाँ

43. शुरुआत में, प्रतिवादी नं। *4* न्यायालय का ध्यान सामान्य रूप से केरल के इतिहास और विशेष रूप से सबरीमाला की ओर आकर्षित किया है

और पत्थर के शिलालेखों के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है जिसमें कहा गया है कि पुजारी कांतारू प्रभाकरु ने एक मूर्ति का अभिषेक किया था

सबरीमाला में कई साल पहले और सबरीमाला में आग लगने के बाद, यह कांतारू शंकरु थे जिन्होंने सबरीमाला में मौजूदा मूर्ति को पवित्र किया था। प्रत्यर्थी नं. *4* उन्होंने कहा है कि तंत्री केरल में हिंदू मंदिरों के वैदिक प्रधान पुजारी हैं और किसी भी मंदिर की लोकप्रियता काफी हद तक तंत्री और संथिक्करन *(*अर्चक*)* पर निर्भर करती है जो उपासकों के बीच आध्यात्मिक सम्मान पैदा करने और समझाने में सक्षम होने चाहिए उनके द्वारा पढ़े जाने वाले मंत्रों और की जाने वाली पूजाओं का महत्व।

44. प्रत्यर्थी नं. *4* इस बात का खंडन किया गया है कि युवा महिलाओं *(10* से *50* वर्ष की आयु*)* की प्रथा और उपयोग की अनुमति नहीं दी जा रही है

'वृथम' का महत्व जो विशेष अनुष्ठान हैं जिनका आध्यात्मिक परिष्करण प्राप्त करने के लिए पालन करने की आवश्यकता है, और 'वृथम' के एक भाग के रूप में, तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति *41* दिनों के लिए खुद को सभी पारिवारिक संबंधों से अलग कर लेता है और उक्त अवधि के दौरान या तो महिला घर छोड़ देती है या पुरुष अलग होने के लिए कहीं और रहता है। स्वयं सभी पारिवारिक संबंधों से। इसके बाद, प्रतिवादी नं। *4* उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ समस्या यह है कि वे *41* दिनों की वृथम को पूरा नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी मासिक धर्म अंततः उक्त अवधि के भीतर आ जाएगी और यह सभी हिंदुओं में एक प्रथा है कि महिलाएं मंदिरों में नहीं जाती हैं या मासिक धर्म के दौरान धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती हैं और वही है

केरल तंत्र समुचायम, अध्याय *10,* श्लोक *II* में मंदिर पूजा के मूल तांत्रिक पाठ के कथन द्वारा पुष्टि की गई।

45. प्रत्यर्थी नं. *4* इस बात पर जोर दिया है कि *41* दिनों का वृथुम का पालन तीर्थयात्रा के लिए एक शर्त है जो यह एक सदियों पुरानी प्रथा रही है और कोई भी जो उक्त वृथम *[2018] 9* एस. सी. आर. को पूरा नहीं कर सकता है।

मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और इसलिए, जिन महिलाओं ने युवावस्था प्राप्त नहीं की है और जो अकेले रजोनिवृत्ति में हैं, वे सबरीमाला में तीर्थयात्रा कर सकती हैं। प्रत्यर्थी नं. *4* उन्होंने यह भी कहा है कि *41* दिनों के व्रत के पालन की उक्त शर्त अकेले महिलाओं पर लागू नहीं होती है और यहां तक कि जो पुरुष भी परिवार में जन्म और मृत्यु के कारण *41* दिनों के व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्रत टूट जाता है, उन्हें भी उस वर्ष तीर्थयात्रा करने की अनुमति नहीं है।

46. प्रत्यर्थी नं. *4* न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ-साथ पारंपरिक विज्ञान

आयुर्वेद मासिक धर्म को महिलाओं के लिए आराम और शरीर की अशुद्धता की अवधि के रूप में मानता है और इस अवधि के दौरान, महिलाएं कई असुविधाओं से प्रभावित होती हैं और इसलिए, *41* दिनों तक तीव्र आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करना संभव नहीं है। प्रत्यर्थी नं. *4* इसने यह भी संतोष व्यक्त किया है कि यह उन तीर्थयात्रियों के लिए है जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं कि युवा महिलाओं को सबरीमाला तीर्थयात्रा में अनुमति नहीं है।

47. प्रत्यर्थी नं. *4* , इसके बाद, यह तर्क देता है कि निषेध एक सामाजिक भेदभाव नहीं है, बल्कि यह केवल आवश्यक आध्यात्मिकता का एक हिस्सा है।

इस विशेष तीर्थयात्रा से संबंधित अनुशासन और स्पष्ट रूप से तीर्थयात्रियों के मन को लिंग से संबंधित व्याकुलता से दूर रखने का उद्देश्य है क्योंकि तीर्थयात्रा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक आत्म-अनुशासन के सफल अभ्यास के लिए सभी मामलों में परिस्थितियों का निर्माण करना है।

48. प्रत्यर्थी नं. *4* उन्होंने यह भी कहा है कि *18* पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, किसी को इरुमुडिकेट्टु *(*पवित्र पैकेज*)* ले जाना पड़ता है। प्रसाद*)* और तीर्थयात्रा को वास्तव में सार्थक बनाने के लिए, तपस्या

41 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाना चाहिए और इसलिए, एक सार्थक तीर्थयात्रा के लिए, यह हमेशा विवेकपूर्ण है यदि निषिद्ध आयु वर्ग की महिलाएं खुद को रोकती हैं।

49. प्रत्यर्थी नं. *4* आगे प्रस्तुत करता है कि 'देवप्रासनम' धार्मिक प्रथाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान है

जब तंत्री भी निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और अतीत में किए गए 'देवप्रासनम' से यह भी पता चलता है कि देवता नहीं चाहते कि युवा महिलाएं मंदिर के परिसर में प्रवेश करें। प्रत्यर्थी के अनुसार नं। *4* , एक मंदिर में शक्ति के एक विशेष पहलू को विकसित करने में शामिल दर्शन दिव्य शक्ति के जलसेक के दौरान निम्नलिखित मंत्र जप में अच्छी तरह से परिलक्षित होता हैः

"हे परम पूज्य स्वामी*!* यह सर्वविदित है कि आप हर चीज और हर जगह व्याप्त हैं, फिर भी मैं आपको इस भारतीय युवा वकीलों में आमंत्रित कर रहा हूं।

वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

बिंबमवरी एक पंखे की तरह है जो एक विशेष स्थान पर सभी व्याप्त हवा को इकट्ठा करता है और सक्रिय करता है। लकड़ी में छिपी आग घर्षण के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है, हे भगवान इसमें विशेष रूप से सक्रिय रहें बिंब पवित्र
कार्य का परिणाम है "।

50. प्रत्यर्थी नं. *4* यह विचार है कि यह शक्ति के क्षेत्र, इसके रखरखाव और प्रभाव की विशेष विशेषता है जो 'देवप्रासनम' और 'देवप्रासनम' इस बात की पुष्टि करते हैं कि विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में भाग नहीं लेने की प्रथा को बनाए रखा जाना चाहिए।

51. अपने रुख को मजबूत करने के लिए, प्रतिवादी नं। *4* एस. महेंद्रन में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

(ऊपर*)* जिसमें तत्कालीन तंत्री श्री नीलकंदरु ने सी. डब्ल्यू. *6* के रूप में अपदस्थ किया था और उन्होंने कहा था कि वर्तमान मूर्ति उनके चाचा कांतारू शंकरु द्वारा स्थापित की गई थी और उन्होंने पुष्टि की कि *1950* के दशक से पहले भी *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

उक्त गवाह ने यह भी कहा कि उसके चाचा ने उसे और मंदिर के अधिकारियों को पुराने रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करने का निर्देश दिया था।

52. प्रत्यर्थी नं. *4* शेषम्मल और अन्य बनाम में इस न्यायालय की राय की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। तमिल राज्य

नाडू *2 0,* जिसमें यह देखा गया था कि मंदिर में छवि के अभिषेक पर, हिंदू उपासकों का मानना है कि दिव्य आत्मा छवि में उतर गई है और तब से, देवता की छवि की पूजा करने के लिए उपयुक्त है और दिव्य आत्मा की निरंतरता को सुरक्षित करने के लिए दैनिक और आवधिक पूजा के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं और आगमों के अनुसार, पूजा से संबंधित किसी भी नियम का कोई विचलन या उल्लंघन होने पर एक छवि अशुद्ध हो जाती है।

53. प्रत्यर्थी नं. *4* यह भी प्रस्तुत किया है कि सबरीमाला में देवता 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में और वह भी एक है

युवा महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है ताकि देवता द्वारा ब्रह्मचर्य और तपस्या से थोड़ा भी विचलन न हो।

आई. ए. सं. में मध्यस्थ की ओर से प्रस्तुतियाँ। *12* और *13*

54. एक अन्य आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने आई. ए. संख्या दायर की है। *12* और *13* और उनका मुख्य निवेदन यह है कि यह न्यायालय उस प्रतिबंध को हटा सकता है जो *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश करने से रोकता है

16 नवंबर से *14* जनवरी *(60* दिन*)* के बीच की अवधि को छोड़कर सभी दिनों के लिए सबरीमाला मंदिर, जैसा कि उक्त अवधि के दौरान, भगवान अयप्पा सबरीमाला मंदिर में बैठते हैं और भगवान अयप्पा शेष दिनों के दौरान देश भर के अन्य मंदिरों में जाते हैं। आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता आगे

इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उक्त अवधि के दौरान, मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को सख्ती से अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए जिसमें *41* दिनों का वृथम लेना शामिल है।

और अनुष्ठानों में से एक बेटियों और पत्नियों सहित महिलाओं को न छूने से संबंधित है। आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने आगे कहा है कि यदि केरल हिंदू पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम, *1965* की धारा *3 (*बी*)* के तहत प्रतिबंध को केवल *60* दिनों की उक्त अवधि के लिए संचालित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह संविधान

के अनुच्छेद *14,15* और *17* का कोई उल्लंघन नहीं होगा और यह संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के दायरे में भी होगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ

55. प्रत्यर्थी के तर्क के जवाब में नं। *2* - देवस्वम बोर्ड ने कहा कि रिट अधिकार क्षेत्र वर्तमान मामले में निहित नहीं है,

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धारा *3 (*बी*)* की वैधता को मुकदमे की कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वर्तमान रिट याचिका राज्य के अधिकारियों और मुख्य तंत्री के खिलाफ दायर की गई है।

उत्तरदाता के रूप में अंकित किया गया नं। *4* एक सांविधिक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है*;* और चूंकि अब 'प्रथा और उपयोग' अनुच्छेद *13* के दायरे में आते हैं, वे भाग *III* में निहित संवैधानिक प्रावधानों के अधीन हो गए हैं जिनके उल्लंघन को केवल रिट अधिकार क्षेत्र में चुनौती दी जा सकती है।

56. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नं। *2* न्यायसंगत ठहराने के लिए केवल बोधगम्य भेद के सिद्धांत पर जोर दिया है

प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विस्तार से बताए बिना निषिद्ध आयु की महिलाओं को घेरना और क्या अंतर का वस्तु के साथ कोई संबंध है और मूर्ति को ब्रह्मचर्य के चरण से भटकने से रोकने का उद्देश्य वर्तमान वर्गीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

57. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नं। *2* गलत तरीके से कहा है कि सबरीमाला मंदिर धार्मिक है देवस्वम बोर्ड जैसे सांविधिक बोर्ड के तहत किसी भी मंदिर के लिए मूल्यवर्ग और केरल के समेकित कोष से वित्तपोषित और जिनके कर्मचारी केरल सेवा आयोग द्वारा नियोजित हैं, वे एक स्वतंत्र 'धार्मिक मूल्यवर्ग' होने का दावा नहीं कर सकते हैं।

58. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कई बुरी प्रथाएं मौजूद हैं और जो भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. द्वारा उद्धृत धर्म के दायरे में आती हैं।

वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उत्तरदाता नं। *2* यह आज स्वीकार्य नहीं हो सकता है और उक्त प्रथाएं इस न्यायालय के समक्ष नहीं आई हैं और इनका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह याचिकाकर्ताओं का विचार है कि उक्त प्रथाओं को धर्म का सार नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे धर्म से विकसित हुए थे।

यद्यपि प्रासंगिक समय पर मौजूद कुछ कारकों के कारण अस्तित्व में आया था, अब लागू नहीं होता है।
59. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यदि सबरीमाला धार्मिक संप्रदाय की श्रेणी में नहीं आता है, तो वह अनुच्छेद *26* के तहत अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और यह अनुच्छेद *12* के दायरे में आएगा जो इसे अनुच्छेद *14* और *15* के अधीन बनाता है और इसलिए, राज्य को कानून के समान संरक्षण से इनकार करने से रोका जाएगा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सबरीमाला एक धार्मिक संप्रदाय है, तो देवरू मामले के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के बीच

एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण होना चाहिए और इस प्रकार, *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से पूरी तरह से मना करना देवरू के अनुसार अस्वीकार्य होगा।

मामला। अंत में, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि कानूनी और संवैधानिक भाषा में, भारत के संविधान के प्रभाव में आने के बाद, अनुच्छेद *51* ए *(ई)* के तहत 'महिलाओं की गरिमा' संवैधानिक नैतिकता का एक आवश्यक घटक है।

आई. ए. नं. में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ।

10 2016 का

60. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश से संबंधित कानून संबंधित कानून से अलग और अलग है।

धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए। पूर्व अनुच्छेद द्वारा शासित है *25* और बाद वाला अनुच्छेद *26* द्वारा शासित है। इसके अलावा, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने बताया है कि वे संस्थान जो संप्रदाय माने जाते हैं और अनुच्छेद *26* के तहत संरक्षण का दावा करते हैं, वे भी दर्शन के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हैं और *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद *15,21* और *25* का उल्लंघन करता है।

61. इसके बाद, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि यह सवाल कि क्या सबरीमाला एक संप्रदाय है या नहीं, *[2018] 9* एस. सी. आर. के लिए अप्रासंगिक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह कारण कि भले ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सबरीमाला एक संप्रदाय है, यह अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत केवल आवश्यक प्रथाओं के संरक्षण का दावा कर सकता है और *10* से *50* वर्ष की आयु के बीच महिलाओं को प्रवेश से इनकार करना हिंदू धर्म का एक आवश्यक पहलू नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने यह भी कहा है कि सबरीमाला एस. पी. मित्तल *(*उपरोक्त*)* में निर्धारित धार्मिक संप्रदाय की कसौटी को पूरा नहीं करता है।

62. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि

उत्तरदाताओं ने इस प्रथा को विचलन के साथ एक प्रथा के रूप में संदर्भित करते हुए स्वयं सुझाव दिया है कि उक्त प्रथा की प्रयोज्यता में कोई निरंतरता नहीं रही है और उच्च न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में यह भी स्थापित किया गया है कि महिलाएं अपनी उम्र की परवाह किए बिना उन्हें अपने बच्चों के पहले चावल खिलाने के समारोह के लिए सबरीमाला में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और *1955* में अधिसूचना पारित होने के बाद पिछले *60* वर्षों से ही *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी

मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने यह भी बताया है कि भले ही उक्त प्रथा को एक प्रथा माना जाता है, फिर भी इसे संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

वैधता और आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। तमिलनाडु सरकार और अन्य *21* जिसमें यह देखा गयाः

" 48. शेषम्मल बनाम टी. एन. राज्य, *(1972) 2* एस. सी. सी. *11]* किसी भी प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि अदालत के सामने आने वाले प्रश्न के संबंध में एक आगम या मंदिरों के एक विशेष या समूह को नियंत्रित करने वाले आगमों का एक समूह क्या निर्धारित करता है, अर्थात्, क्या उपासकों या विश्वासियों के किसी विशेष संप्रदाय को पूजा करने के लिए अर्चक के रूप में नियुक्त होने का विशेष अधिकार है। बहुत कम, निर्णय में उस विशेष वर्ग या जाति पर ध्यान दिया गया है जिसके लिए एक मंदिर के अर्चकों को आगमों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। यह जो कुछ भी करता है और कहता है वह यह है कि कुछ आगमों में इसकी आवश्यकता के बारे में एक मौलिक धार्मिक विश्वास शामिल है।
एक विशेष और विशिष्ट संप्रदाय/समूह/संप्रदाय से संबंधित अर्चकों द्वारा पूजा का प्रदर्शन, ऐसा न करने पर, शुद्धिकरण समारोहों की आवश्यकता वाले देवता की अशुद्धता होगी। निश्चित रूप से, यदि

विचाराधीन आगम जाति या वर्ग के आधार पर नागरिकों के किसी भी समूह को अर्चक के रूप में नियुक्त होने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं-अनुच्छेद *17* की पवित्रता या संविधान के भाग *III* के किसी अन्य प्रावधान या यहां तक कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, *1955*

21 (2016) 2 एस. सी. सी. *725* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उल्लंघन नहीं किया जाएगा। शेषम्मल में क्या कहा गया है *[*शेषम्मल बनाम। टी. एन. राज्य, *(1972) 2* एस. सी. सी. *11] (*उपर्युक्त*)* यह है कि यदि आगमों द्वारा अर्चकों की नियुक्ति के संबंध में कोई निर्देश दिया जाता है, तो तमिलनाडु अधिनियम की धारा *28* न्यासी को इस तरह की प्रथा या उपयोग के अनुसार मंदिर के मामलों का संचालन करने के लिए अनिवार्य करती है। संवैधानिक अनुरूपता की आवश्यकता अंतर्निहित है और यदि कोई प्रथा या उपयोग अनुच्छेद *25* और *26* द्वारा प्रदत्त और परिकल्पित सुरक्षात्मक छत्र के बाहर है, तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा। संवैधानिक वैधता, स्वाभाविक रूप से, सभी धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं को हटा देनी चाहिए।

63. उत्तरदाताओं के इस तर्क के जवाब में कि महिलाओं के बहिष्कार का आधार यह है कि महिलाएं *41* दिनों के वृथम का पालन नहीं कर सकती हैं। और इस आधार पर भी कि अयप्पा एक ब्रह्मचारी भगवान हैं, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स से परहेज है और उत्तरदाताओं ने यह सुझाव देते हुए कि महिलाएं वृथम का अभ्यास नहीं कर सकती हैं, जिसके लिए सेक्स से परहेज की आवश्यकता होती है, महिलाओं को कलंकित कर रहे हैं।

और उन्हें पुरुषों की तुलना में कमजोर और कम मानव होने के रूप में रूढ़िबद्ध करना। इसलिए, आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण, बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं है।

मंदिर के लिए और इसलिए, विवाद में प्रथा 'अस्पृश्यता' के बराबर है। *65.* इसके बाद आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने इस तथ्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है कि हालांकि उत्तरदाताओं का मानना है कि वे ऐसा करते हैं।

66. आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अशुद्ध मानने की सदियों पुरानी प्रथा यह अस्पृश्यता के बराबर है और उन्हें कम मानव के रूप में कलंकित करता है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद *14,15,17* और *21* का उल्लंघन है।

22 (1995) 5 एस. सी. सी *220 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान न्यायमित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन की प्रस्तुतियाँ, श्री के. परमेश्वर की सहायता से

67. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि सबरीमाला श्री धर्म सस्थ मंदिर,

केरल एक सार्वजनिक मंदिर है जिसका उपयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता है जहां जनता के सदस्यों को अधिकार के रूप में प्रवेश दिया जाता है और इसमें प्रवेश किसी विशेष संप्रदाय या उसके हिस्से तक सीमित नहीं है। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, मंदिर का सार्वजनिक चरित्र दर्शन या पूजा के उद्देश्य से इसमें प्रवेश करने के भक्तों के अधिकार को जन्म देता है और प्रवेश का यह सार्वभौमिक अधिकार मंदिर के अधिकारियों पर निर्भर एक अनुमेय अधिकार नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति के सही अर्थ में एक कानूनी अधिकार है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, विद्वान न्यायमित्र ने देउकी नंदन बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। मुरलीधर और अन्य *23* और श्री राधाकांत देब और एक अन्य वी। हिंदू धार्मिक आयुक्त

बंदोबस्ती, उड़ीसा *2 4.*

68. याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए अधिकार की प्रकृति के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान

न्यायमित्र ने कहा है कि यह विवेक की स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत मान्यता प्राप्त है। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, इस अधिकार में विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता शामिल है, जिसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक संवैधानिक दृष्टि के रूप में घोषित किया गया है।

69. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान न्यायमित्र, प्रस्तुत करते हैं कि एक महिला का देवता के भक्त के रूप में और हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले के रूप में मंदिर जाने और प्रवेश करने का अधिकार उसके पूजा करने के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है, जिसके बिना उसकी पूजा करने का अधिकार है।

काफी बदनाम किया। अनुच्छेद *25* विशेष रूप से घोषणा करता है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने का 'समान रूप से' अधिकार है। विद्वान न्यायमित्र की दृष्टि में इसका तात्पर्य केवल अंतर-विश्वास ही नहीं बल्कि अंतर-विश्वास समानता भी है। इसलिए, अनुच्छेद *25 (1)* के तहत प्राथमिक अधिकार एक गैर-भेदभावपूर्ण अधिकार है और इस प्रकार, एक ही धर्म को मानने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए उपलब्ध है।

70. इसके अलावा, यह सामने रखा गया है कि अनुच्छेद *17* में अस्पृश्यता की समझ को बनाए रखने का संवैधानिक इरादा खुला है। शुद्धता और प्रदूषण की धारणा के आधार पर सभी प्रथाओं को समाप्त करना था। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को 'किसी भी रूप में' निषिद्ध बताता है और

23 ए. आई. आर *1957* एस. सी *133*

24 (1981) 2 एस. सी. सी. *226* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

मासिक धर्म वाली महिलाओं को धार्मिक स्थानों और प्रथाओं से बाहर करना उत्पीड़ित जातियों के बहिष्कार से कम भेदभाव नहीं है। नागरिक अधिकार अधिनियम, *1955* की धारा *7 (*सी*)* का उल्लेख करने के बाद, जो 'किसी भी रूप में' अस्पृश्यता का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहन और उकसाने को अपराध मानता है और उक्त धारा के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण *II*, विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया है कि अस्पृश्यता को पांडित्यपूर्ण अर्थों में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं के आधार पर किसी भी बहिष्करण को शामिल करने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

71. यह विद्वान न्यायमित्र का भी विचार है कि वाक्यांश 'समान रूप से'

अनुच्छेद *25 (1)* में नागरिक अधिकार अधिनियम, *1955* की धारा *3 (*ए*)* में प्रतिध्वनि पाया गया है जो उन स्थानों पर लोगों के बहिष्कार को अपराध मानता है जो "एक ही धर्म या उसके किसी भी खंड को मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हैं" और पूजा की रोकथाम "उसी तरीके से और उसी हद तक जो अन्य व्यक्तियों के लिए अनुमेय है। एक ही धर्म या उसके किसी भी वर्ग को ऐसे व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करना। इसके अलावा, विद्वान न्यायमित्र ने *1955* के अधिनियम की धारा *2 (*डी*)* की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो 'सार्वजनिक पूजा स्थल' को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, 'किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग से संबंधित किसी भी नाम से, किसी भी धार्मिक सेवा के प्रदर्शन के लिए' और इसलिए, न्यायमित्र प्रस्तुत करता है कि एक मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और इसके सांप्रदायिक चरित्र की परवाह किए बिना, यह प्रवेश को रोक नहीं सकता है

प्रवेश करने और पूजा करने के इच्छुक किसी भी भक्त का।

72. के. एस. पुट्टास्वामी *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखने के बाद, न्यायमित्र ने कहा है कि इसके कार्यान्वयन में बहिष्करण प्रथा के परिणामस्वरूप महिलाओं द्वारा अपनी मासिक धर्म की स्थिति और उम्र दोनों का अनैच्छिक खुलासा किया जाता है जो जबरन खुलासा करने के बराबर है जो परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* में निहित गरिमा और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

73. न्यायमित्र द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* केवल एक सक्षम प्रावधान नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह सामाजिक सुधार या निष्कासन के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों के लिए एक अपवाद बनाता है।

हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलना और इस तरह बहिष्कृत प्रथाओं का तिरस्कार करने के संवैधानिक इरादे को मूर्त रूप देता है। इसके अलावा, देवरू *(*ऊपर*)* में

इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया है कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* केवल संविधान के भाग *III [2018] 9* एस. सी. आर. के तहत अधिकारों के लिए जाति के आधार पर बहिष्करण प्रथाओं को रोकने का प्रयास नहीं करता है।

इसका एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और किसी भी अपवाद को एक संकीर्ण संरचना दी जानी चाहिए।

74. इसके अलावा, विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में बहिष्करण प्रथा को दोनों में से किसी पर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

नरूला बनाम। भारत संघ *2 5 25* और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण *(* उपर्युक्त*)* पर न्यायमित्र द्वारा इस बात पर जोर देने के लिए दबाव डाला गया है कि अनुच्छेद *25* के संदर्भ में 'नैतिकता' शब्द का कोई भी व्यक्तिपरक अध्ययन आस्था और पूजा की स्वतंत्रता को अनुचित बना देगा और वर्तमान मामले में महिलाओं का बहिष्कार संस्थागत अभ्यास का मामला है न कि नैतिकता का।

75. न्यायमित्र ने इस आदेश को प्रस्तुत करने के लिए आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय के फैसलों का भी हवाला दिया है।

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत के संरक्षण का दावा करने के लिए, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से बाहर करने की प्रथा को उत्तरदाताओं द्वारा धार्मिक विश्वास के लिए इतना मौलिक दिखाया जाना चाहिए जिसके बिना धर्म जीवित नहीं रहेगा। इसके विपरीत, कोई धर्मग्रंथ नहीं

यहाँ उत्तरदाताओं द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि महिलाओं का बहिष्कार उनके धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है।

76. केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* की धारा *3* का उल्लेख करने के बाद, जो सभी वर्गों और वर्गों के लिए एक पूजा स्थल को खुला बनाता है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन का विचार है कि उक्त धारा कुछ और नहीं बल्कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत सन्निहित अधिकारों का एक वैधानिक प्रतिपादन है और इसी तरह, धारा *3* में 'जैसे' शब्द पर जोर देना अनुच्छेद *25 (1)* में पाए जाने वाले वाक्यांश 'समान रूप से' का वैधानिक प्रतिबिंब है। इसके अलावा, यह विद्वान न्यायमित्र का मामला है कि अभिव्यक्ति 'अनुभाग' या *'1965* के अधिनियम की धारा *2 (*सी*)* में 'वर्ग' में सभी लिंगों को शामिल करना आवश्यक है यदि धारा *3* को महिला के पूजा के अधिकार के अनुरूप होना है।

अनुच्छेद *25* के तहत और अनुच्छेद *15* के अनुरूप। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, *10* से *50* वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं हिंदुओं का एक वर्ग या वर्ग हैं जो धारा *3* के समावेशी प्रावधान के भीतर हैं और धारा *3* का परंतुक अनुच्छेद *26* में प्रदत्त अधिकार लाता है।

25 (2014) 9 एस. सी. सी. *1* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

धारा *3* और परंतुक के बीच के अंतर-खेल को इस बात से नियंत्रित किया जाना चाहिए कि कैसे इस न्यायालय के देवरू *(*उपरोक्त*)* में निर्णय द्वारा अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* और *26* का मिलान किया जाता है।

77. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन ने यह कहा है कि केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक का नियम *3 (*बी*)* पूजा *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम, *1965* धारा *3* के अधिकार से बाहर है।

और *1965* अधिनियम का *4*, इस कारण से कि यह 'प्रथा और उपयोग' की रक्षा करता है जो धारा *3* द्वारा स्पष्ट रूप से प्रथा को ओवरराइड करने पर प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकता है।

और उपयोग करें। विद्वान न्यायमित्र को ध्यान में रखते हुए उक्त नियम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है जब धारा *4* यह स्पष्ट करती है कि इसके तहत बनाए गए नियम किसी भी वर्ग या वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

1965 के अधिनियम के तहत धार्मिक अधिकारों और समारोहों के उचित पालन के लिए नियम बनाने की शक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद *25* के तहत एक भक्त के पूजा के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए है, जबकि इसके विपरीत, नियम *3 (*बी*)*, 'प्रथा और उपयोग' को बचाकर, *1965* के अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है, जो गारंटीकृत पूजा के अधिकार की रक्षा करना है।

78. यह भी बताया गया है कि *1950* के अधिनियम के तहत बनाए गए नियम *6 (*सी*)* के रूप में नियम *3 (*बी*)* के समान एक और नियम है, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था और इस नियम *6 (*सी*)* को लागू नहीं किया गया है। वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, लेकिन विद्वान न्यायमित्र को देखते हुए, यह नियम *6 (*सी*)* भी उसी कारण से असंवैधानिक होगा कि नियम *3 (*बी*)* असंवैधानिक है।

79. विद्वानों के अनुसार, यह साबित करने का बोझ कि भगवान अयप्पा के भक्त अनुच्छेद *26* के अर्थ के भीतर एक संप्रदाय बनाते हैं।

न्यायमित्र, उत्तरदाताओं पर है, जिसे वे निर्वहन करने में विफल रहे हैं क्योंकि संप्रदाय की स्थिति के निर्धारण के लिए तीन परीक्षणों में से कोई भी, यानी *(i)* सामान्य विश्वास, *(ii)* सामान्य संगठन और *(iii)* एक विशिष्ट नाम से पदनाम, उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा, न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया है कि एस. महेंद्रन *(*ऊपर*)* में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय एक सांप्रदायिक स्थिति के निष्कर्ष का संकेत नहीं देता है।

80. विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि देवस्वम बोर्ड ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एस.

महेंद्रन *(*ऊपर*)* ने कहा था, जैसा कि फैसले के पैरा *7* में दिखाया गया है, कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था और किसी भी बाध्यकारी धार्मिक सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था।

अभ्यास और, इसी तरह, उच्च न्यायालय ने पैरा *34* के माध्यम से अपने फैसले में पाया *[2018] 9* एस. सी. आर.

बहिष्कृत प्रथा केवल एक उपयोग के रूप में और एक धार्मिक प्रथा या आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में नहीं। *81.* विद्वान न्यायमित्र ने यह भी कहा कि भले ही हम यह मान लें कि भगवान अयप्पा के भक्त एक अलग संप्रदाय का गठन करते हैं,

अनुच्छेद *26* के तहत प्रदत्त अधिकार नैतिकता के संवैधानिक मानक के अधीन होने के कारण, महिलाओं को प्रवेश से बाहर रखने से नैतिकता के इस मानक का उल्लंघन होगा क्योंकि अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने का एक संप्रदाय का अधिकार अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के अधीन है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देवरू *(*उपरोक्त*)* में संक्षेप में समझाया गया है।

इस प्रकार ध्यान दें:

"और अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि जहां अनुच्छेद *25* व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद *26* संप्रदायों के अधिकारों की रक्षा करता है, और जैसा कि अपीलकर्ता दावा करते हैं कि गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों का उन लोगों को बाहर करने का अधिकार है जो इससे संबंधित नहीं हैं। मूल्यवर्ग, जो अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* से अप्रभावित रहेगा। यह विवाद द्वारा प्रदत्त अधिकार की वास्तविक प्रकृति की अनदेखी करता है

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)*। यह एक सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश करने के लिए "हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों" को दिया गया अधिकार है, और उस अनुच्छेद की अयोग्य शर्तों पर, वह अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, चाहे इसका उपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद *25 (1)* या अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत किसी संप्रदाय के खिलाफ। तथ्य यह है कि यद्यपि अनुच्छेद *25 (1)* व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है, कला। *25 (2)* इसकी सामग्री बहुत व्यापक है और इसमें समुदायों के अधिकारों का संदर्भ है, और यह अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *26 (*बी*)* दोनों को नियंत्रित करता है।

विद्वान न्यायमित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ

श्री के. राममूर्ति *82.* विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राममूर्ति, विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह कहा गया है कि भारत के सभी प्रमुख हिंदू मंदिरों में धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कुछ धार्मिक प्रथाएं थीं, जो हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा हैं, जैसा कि लोग मानते हैं।

लंबे समय तक। यह प्रस्तुत किया गया है कि भगवान अयप्पा के भक्तों को धार्मिक संप्रदाय के दायरे में भी लाया जा सकता है जो विवादित धार्मिक प्रथा का पालन कर रहे हैं जो धर्म का अनिवार्य हिस्सा रहा है। *83.* विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राममूर्ति ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि विवादित धार्मिक भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

सबरीमाला मंदिर में प्रथा कई शताब्दियों से धार्मिक विश्वास पर आधारित धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने केवल यह तर्क दिया है कि इस तरह की प्रथा संविधान के अनुच्छेद *25* का उल्लंघन है। श्री के. राममूर्ति द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय में, यह सवाल कभी नहीं उठा कि धार्मिक विश्वास के आधार पर धार्मिक प्रथा क्या है और तदनुसार, यह सवाल कि क्या सभी प्रमुख धार्मिक मान्यताओं पर आधारित धार्मिक प्रथाएं हैं। भारत में मंदिर संविधान के अनुच्छेद *14,15,17,21* और *25* का उल्लंघन करते हैं।

84. श्री के. राममूर्ति द्वारा यह कहा गया है कि अनुच्छेद *25* और *26* का संरक्षण सिद्धांत या विश्वास के मामलों तक सीमित नहीं है।

बल्कि वे धर्म के अनुसरण में किए गए कार्यों तक फैले हुए हैं और इसलिए, अनुष्ठानों, टिप्पणियों, समारोहों और पूजा के तरीकों की गारंटी होती है जो धर्म के अभिन्न अंग हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि धार्मिक प्रथा का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है, यह उन प्रथाओं के संदर्भ में तय किया जाना है जिन्हें समुदाय के एक बड़े वर्ग द्वारा कई शताब्दियों से माना जाता है और इसलिए, इसे धर्म का एक हिस्सा मानना होगा।

85. यह भी कहा गया है कि अयप्पा मंदिर अपने आप में एक

अनुच्छेद *26* के तहत विचार किए गए मूल्यवर्ग के संबंध में

लाखों हिंदुओं द्वारा इतने लंबे समय तक पुरुषों और महिलाओं के प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप काम करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमित्र श्री के. राममूर्ति का यह भी मामला है कि इस तरह की धार्मिक प्रथा को प्राकृतिक कानून के विपरीत होने के रूप में पेश करना न्यायपालिका के फैसले के लिए एक झटका है। समुदाय, इस तरह की धार्मिक प्रथा को मौलिक अधिकारों के विपरीत कहना दिव्य की आज्ञा का ईमानदारी से पालन करने में हमारे पूर्वजों की सामान्य ज्ञान और ज्ञान को आहत करने के बराबर है। इसके अलावा, कोई भी समूह या व्यक्ति अन्य हिंदुओं को अपने विचार का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

धार्मिक आस्था का क्षेत्र। *87.* केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(2018) 9* एस. सी. आर. का प्राधिकरण*)* के नियम *3 (*बी*)* के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती के संबंध में।

प्रविष्टि*)* नियम, *1965*, श्री के. राममूर्ति द्वारा यह कहा गया है कि जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या राज्य सरकार ऐसी धार्मिक प्रथा के संदर्भ में एक नियम बना सकती है ताकि आम जनता को मंदिर के सांप्रदायिक चरित्र और मंदिर द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक प्रथा के बारे में पता चल सके।

भगवान अयप्पा के अनुयायी धार्मिक नहीं हैं।

मूल्यवर्ग

88. भारत के संविधान का अनुच्छेद *26* प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को *(*ए*)* धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने के अधिकार की गारंटी देता है*; (*बी*)* धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए*; (*सी*)* चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए*;* और *(*डी*)*

कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने के लिए। हालाँकि, ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं।

89. महत्वपूर्ण सवाल जो उभरता है वह यह है कि एक धार्मिक संप्रदाय क्या है। उक्त प्रश्न विषय बना हुआ है।

शिरूर मठ *(ऊपर)* से शुरू होने वाले इस न्यायालय के कई निर्णयों में से जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"जहां तक अनुच्छेद *26* का संबंध है, पहला सवाल यह है कि "धार्मिक संप्रदाय" अभिव्यक्ति का सटीक अर्थ या अर्थ क्या है और क्या एक मठ इस अभिव्यक्ति के भीतर आ सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में "मूल्यवर्ग" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "एक ही नाम के तहत एक साथ वर्गीकृत व्यक्तियों का संग्रह:

एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय जिसका एक समान विश्वास और संगठन है और एक विशिष्ट नाम से नामित है। यह सर्वविदित है कि तार्किक शिक्षण के केंद्रों के रूप में गणित की स्थापना की प्रथा श्री शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी और तब से विभिन्न शिक्षकों द्वारा इसका पालन किया जाता रहा है। शंकर के बाद धार्मिक आकाशगंगा आई

शिक्षक और दार्शनिक जिन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों और उप-संप्रदायों की स्थापना की जो हम वर्तमान समय में भारत में पाते हैं। ऐसे संप्रदायों या उप-संप्रदायों में से प्रत्येक को निश्चित रूप से एक धार्मिक संप्रदाय माना जा सकता है, क्योंकि इसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाता है-कई मामलों में यह संस्थापक का नाम है, और इसका एक सामान्य नाम है।

विश्वास और सामान्य आध्यात्मिक संगठन। के अनुयायियों

रामानुज, जिन्हें श्री वैष्णव के नाम से जाना जाता है, निस्संदेह एक धार्मिक संप्रदाय हैं; और इसी तरह मध्वाचार्य और अन्य धार्मिक शिक्षकों के अनुयायी भी हैं। यह परंपरा द्वारा अच्छी तरह से स्थापित एक तथ्य है कि आठ उडिपी मठ भारतीय युवा वकील थे।

वी. केरल राज्य *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

इन गणित के लाभार्थी उस शिक्षक के अनुयायी होने का दावा करते हैं। उच्च न्यायालय ने पाया है कि विचाराधीन मठ शिवल्ली ब्राह्मणों का प्रभारी है जो मध्वाचार्य के अनुयायियों का एक वर्ग है। जैसा कि अनुच्छेद *26* में न केवल एक धार्मिक संप्रदाय बल्कि उसके एक खंड पर भी विचार किया गया है, मठ या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली आध्यात्मिक बिरादरी वैध रूप से इसके भीतर आ सकती है।
इस लेख का कार्यक्षेत्र "।

90. एस. पी. मित्तल *(ऊपर)* में, चुनौती के संबंध में था

संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के उल्लंघन के रूप में ऑरोविले *(आपातकालीन)* प्रावधान अधिनियम, *1980* की वैधता। श्री अरबिंदो ने ब्रह्मांडीय मोक्ष के दर्शन को प्रतिपादित किया और शिष्यों के साथ मिलकर श्री की शिक्षाओं के प्रचार और प्रचार के लिए अरबिंदो सोसायटी की स्थापना की। अरविंदो और द मदर भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अपने केंद्रों के माध्यम से। श्री अरबिंदो की मृत्यु के बाद, माँ ने तत्कालीन पांडिचेरी में एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक बस्ती, ऑरोविले का प्रस्ताव रखा। ओरोविल में बस्ती के विकास के

लिए सोसायटी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत के साथ-साथ भारत के बाहर के अन्य संगठनों से अनुदान के रूप में धन प्राप्त हुआ। माता की मृत्यु के बाद,

सरकार को समाज के कुप्रबंधन के बारे में शिकायतें मिलने लगीं और तदनुसार, ऑरोविले *(*आपातकालीन*)* प्रावधान अधिनियम, *1980* लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय, *4* के बहुमत से: *1* , यह निर्णय दिया कि न तो समाज और न ही ऑरोविले की बस्ती एक धार्मिक संप्रदाय का गठन करती है, क्योंकि श्री अरविंदो की शिक्षाओं और उच्चारणों से धर्म का गठन नहीं होता है और इसलिए, सरकार द्वारा ऑरोविले का अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के तहत समाज के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

91. न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ श्री अरबिंदो सोसायटी के नियमों और विनियमों के नियम *9* के साथ सोसायटी के एम. ओ. ए. को संदर्भित किया जो सदस्यता से संबंधित था और इस प्रकार पढ़ा गया:

"9. भारत या विदेश में संगठन के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सोसायटी के उद्देश्यों और उद्देश्यों की सदस्यता लेती है, और
जिसकी सदस्यता के लिए आवेदन कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित है, वह सोसायटी का सदस्य होगा। सदस्यता राष्ट्रीयता के किसी भी भेद के बिना हर जगह के लोगों के लिए खुली है।

धर्म, जाति, पंथ या लिंग। *"[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:

"सदस्यता के लिए एकमात्र शर्त यह है कि जो व्यक्ति सदस्यता की मांग कर रहा है

सोसायटी की सदस्यता को सोसाइटी के उद्देश्यों और उद्देश्यों की सदस्यता लेनी चाहिए। यह भी आग्रह किया गया कि जो सार्वभौमिक है वह धार्मिक संप्रदाय नहीं हो सकता है। एक अलग मूल्यवर्ग का गठन करने के लिए, दूसरे से कुछ अलग होना चाहिए। वकील का तर्क है कि एक मूल्यवर्ग वह है जो दूसरे से अलग है और यदि सोसायटी एक धार्मिक मूल्यवर्ग थी, तो संस्थान में प्रवेश पाने वाला व्यक्ति अपना पिछला मूल्यवर्ग खो देगा।

धर्म। वह एक ही समय में दो धर्मों का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन सोसायटी और ऑरोविले का सदस्य बनने में यह स्थिति नहीं है। एक धार्मिक संप्रदाय अनिवार्य रूप से एक नया होना चाहिए और एक धर्म के लिए नई कार्यप्रणाली प्रदान की जानी चाहिए। काफी हद तक, श्री अरविंद द्वारा लिया गया दृष्टिकोण हिंदू दर्शन का एक हिस्सा बना हुआ है। उनके दर्शन में कुछ नवान्वेषण हो सकते हैं, लेकिन इससे यह धर्म नहीं बन पाएगा।

92. एस. पी. मित्तल *(*उपरोक्त*)* मामले में अदालत ने 'धार्मिक संप्रदाय' की परिभाषा को दोहराया और सहमति व्यक्त की जिसे भी स्वीकार कर लिया गया।

शिरूर मठ *(*ऊपर*)* में और निम्नानुसार मनाया गया:

"संविधान के अनुच्छेद *26* में 'धार्मिक संप्रदाय' शब्दों को 'धर्म' शब्द से उनका रंग लेना चाहिए और यदि ऐसा है, तो 'धार्मिक संप्रदाय' अभिव्यक्ति को भी तीन शब्दों को संतुष्ट करना चाहिए।

शर्तें:

(1) यह उन व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए जिनके पास मान्यताओं या सिद्धांतों की एक प्रणाली है जिसे वे अपने आध्यात्मिक के लिए अनुकूल मानते हैं।

कल्याण, अर्थात, एक सामान्य विश्वास;

(2) सामान्य संगठन, और
(3) एक विशिष्ट नाम से पदनाम "।

93. नल्लोर मार्थंडम वेल्लालर और अन्य के मामले में *v.* आयुक्त, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती और

अन्य *26,* न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या मार्तंडम के वेल्लाला समुदाय के स्वामित्व वाला नेल्लोर का मंदिर संविधान के अनुच्छेद *26* के अर्थ के भीतर एक 'धार्मिक संप्रदाय' का गठन करता है। इस मामले में यह तर्क दिया गया था कि वेल्ला समुदाय विशेष धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं का पालन करता है जो अभिन्न अंग हैं।

26 (2003) 10 एस. सी. सी. *712* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उनके धर्म और यह कि गर्भगृह का सामने का मंडपम केवल उनके समुदाय के सदस्यों के लिए खुला है और कोई और और बाहरी व्यक्ति बाहरी परिसर से पूजा नहीं कर सकता है। अदालत ने कहा कि नेल्लोर में मार्तंडम के वेल्लाला समुदाय के स्वामित्व वाला मंदिर एक धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करता है क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वेल्लाला समुदाय के सदस्यों में समान धार्मिक संबंध थे

साबित करें उन सिद्धांतों के अलावा अपने लिए विशिष्ट सिद्धांत जो पूरे हिंदू समुदाय के लिए समान हैं और आगे, न्यायालय, सिद्धांत का पालन करते हुए

एस. पी. मित्तल *(ऊपर)* में निर्धारित, टिप्पणी की गई:

"विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह कानून में तय स्थिति है।

इस न्यायालय के शब्द कि

"धार्मिक संप्रदाय 'अपना रंग' धर्म 'शब्द से लेते हैं। "धार्मिक संप्रदाय" अभिव्यक्ति को तीन को संतुष्ट करना चाहिए।

आवश्यकताएँ-*(1)* यह उन व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए जिनके पास एक

विश्वास या सिद्धांत की प्रणाली जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, अर्थात। *(2)* एक सामान्य संगठन; और *(3)* एक विशिष्ट नाम का पदनाम। यह.

अनिवार्य रूप से यह माना जाता है कि समुदाय का सामान्य विश्वास धर्म पर आधारित होना चाहिए और इसमें उनके समान धार्मिक सिद्धांत होने चाहिए और मूल सूत्र जो उन्हें जोड़ता है, वह धर्म होना चाहिए न कि केवल जाति या समुदाय या सामाजिक विचार।

स्थिति "।

94. जैसा कि इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से समझ में आता है, किसी भी धार्मिक मठ, संप्रदाय, निकाय, उप-संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक संप्रदाय के रूप में नामित करने के लिए, यह व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए।

एक सामूहिक सामान्य विश्वास रखने वाला, एक सामान्य संगठन जो उक्त सामान्य विश्वास का पालन करता है, और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, व्यक्तियों के उक्त संग्रह को एक अलग नाम से लेबल, ब्रांडेड और पहचाना जाना चाहिए।

95. हालांकि, उत्तरदाताओं ने आग्रह किया है कि सबरीमाला मंदिर जाने के लिए आने वाले तीर्थयात्री भगवान अयप्पा के भक्त हैं

अय्यप्पन के रूप में संबोधित और इसलिए, एक धार्मिक संप्रदाय के लिए तीसरी शर्त संतुष्ट है, अस्वीकार्य है। अयप्पन नामक कोई चिन्हित समूह नहीं है। हर हिंदू भक्त मंदिर जा सकता है। हमें यह भी बताया गया है कि भगवान अयप्पा के लिए अन्य मंदिर हैं और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, कोई चिन्हित संप्रदाय नहीं है। तदनुसार, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि सबरीमाला मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक निधि है और इसकी कोई विशेष पहचान नहीं है

पंथ के अनुयायी।

96. धार्मिक संप्रदाय के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त पर आते हुए, अर्थात व्यक्तियों के संग्रह में विश्वासों या सिद्धांतों की एक प्रणाली होनी चाहिए जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, यह दिखाने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं है कि भक्त

भगवान अयप्पा के कोई भी समान धार्मिक सिद्धांत हैं जो उनके लिए विशिष्ट हैं, जिन्हें वे हिंदू धर्म के लिए समान सिद्धांतों के अलावा अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं। इसलिए, भगवान अयप्पा के भक्त केवल हिंदू हैं और एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं। एक धार्मिक संप्रदाय के लिए, एक धर्म के लिए नई कार्यप्रणाली प्रदान की जानी चाहिए। कुछ प्रथाओं का केवल पालन करना, भले ही लंबे समय से, इसे एक विशिष्ट प्रथा नहीं बनाता है। उस खाते पर धर्म।

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के खिलाफ अनुच्छेद *25 (1)* के तहत मौलिक अधिकारों की प्रवर्तनीयता

97. यह कहने के बाद कि भगवान अयप्पा के भक्त अनुच्छेद *26* के अर्थ के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करते हैं और यह कि सबरीमाला मंदिर इस तथ्य के आधार पर एक सार्वजनिक मंदिर है कि *1950* के अधिनियम की धारा *15* त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड में इस पर निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सभी शक्तियां

निहित करती है, जिसे हमारे पूर्वगामी विश्लेषण में, अनुच्छेद *12* के अर्थ के भीतर 'अन्य प्राधिकरण' के रूप में उजागर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटी वाले मौलिक अधिकार त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और अन्य निगमित देवस्वमों के खिलाफ लागू किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं -

सबरीमाला मंदिर। हमने भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ-साथ अनुच्छेद *25 (1)* सहित संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में धर्म शब्द को दिए गए व्यापक अर्थ पर भी चर्चा की है।

98. अब संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकारों की ओर इशारा करते हुए, यह स्पष्ट किया जाए कि अनुच्छेद *25 (1),*

अभिव्यक्ति 'सभी व्यक्ति', दर्शाती है कि विवेक की स्वतंत्रता

और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार महिलाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, हालांकि यह अनुच्छेद *25 (1)* में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन है। *99.* यह समझने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद *26* का सार 'एक धार्मिक संस्था की स्थापना' है ताकि धार्मिक संप्रदाय की स्थिति की प्रशंसा की जा सके। जबकि, अनुच्छेद *25 (1)* प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है और अभ्यास के कार्य का संबंध मुख्य रूप से धार्मिक पूजा, अनुष्ठानों और टिप्पणियों से है जैसा कि रेव.

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

स्टेनिस्लॉस वी। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *27.* इसके अलावा यह शिरूर मठ *(*ऊपर*)* में यह माना गया है कि धर्म के 'अभ्यास' के संबंध में संवैधानिक गारंटी में अंतर्निहित तर्क यह है कि धार्मिक प्रथाएं धार्मिक विश्वास या सिद्धांतों के रूप में धर्म का एक हिस्सा हैं।

100. अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकार का लिंग या उस मामले के लिए कुछ शारीरिक कारकों से कोई लेना-देना नहीं है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए जिम्मेदार। अनुच्छेद *25 (1)* के तहत किसी भी धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के लिए किसी भी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर जाने और प्रवेश करने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है। जब हम ऐसा कहते हैं, तो हम इस तथ्य पर पूरी तरह से जीवित हैं कि क्या महिलाओं का ऐसा कोई प्रस्तावित बहिष्कार है।

धार्मिक स्थानों में प्रवेश एक धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसकी जांच बाद के चरण में की जाएगी।

101. हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तरह की बहिष्करण प्रथा महिलाओं के मंदिर जाने और स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने के अधिकार का उल्लंघन करती है

हिंदू धर्म और भगवान अयप्पा के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना। महिलाओं को इस अधिकार से वंचित करना उन्हें पूजा करने के उनके अधिकार से काफी वंचित करता है। हम न्यायमित्र, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजू रामचंद्रन के दृष्टिकोण से सहमत हैं कि अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकार न केवल अंतर-आस्था समानता के बारे में है, बल्कि यह अंतर-आस्था समानता के बारे में भी है। इसलिए, अनुच्छेद *25 (1)* के तहत धर्म का पालन करने का अधिकार, अपने व्यापक रूप में, एक गैर-भेदभावपूर्ण अधिकार को शामिल करता है जो सभी आयु समूहों के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। धर्म।

102. हालांकि पुरुषों या महिलाओं के संदर्भ में नहीं, फिर भी किसी भी हिंदू उपासक के मंदिर में प्रवेश करने के संदर्भ में जो एक सार्वजनिक मंदिर है।

हिंदुओं के लिए पूजा स्थल, नर हरि शास्त्री और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ *v.* श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति *28* काफी शिक्षाप्रद है जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार राय दी है:

"हमें ऐसा लगता है कि मामले के इस पहलू पर निचली अदालत का दृष्टिकोण बिल्कुल उचित नहीं रहा है, और किसी भी संभावित गलत धारणा से बचने के लिए, हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि सही कानूनी स्थिति क्या है। एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि वास्तव में स्वीकार किया गया है

वर्तमान मामले में, कि मंदिर हिंदुओं का सार्वजनिक पूजा स्थल है, के उद्देश्यों के लिए मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार

'दर्शन या पूजा एक ऐसा अधिकार है जो संस्था की प्रकृति से ही आता है, और ऐसे अधिकारों के अधिग्रहण के लिए, कोई प्रथा नहीं है।

27 (1977) 1 एस. सी. सी. *677* *28* ए. आई. आर *1952* एस. सी. *245 [2018] 9* एस. सी. आर.

या प्राचीन उपयोग पर जोर देने या साबित करने की आवश्यकता है।

और फिर से: "
इसलिए, सही स्थिति यह है कि वादी का अपने यज्ञों के साथ मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार अनिश्चित या अनिश्चित नहीं है।

मंदिर के अधिकारियों के मनमाने विवेक पर इसके अस्तित्व के आधार पर अनुमेय अधिकार; यह अभिव्यक्ति के सही अर्थों में एक कानूनी अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग उन प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है जो मंदिर समिति मंदिर के भीतर व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने और प्रथागत पूजा के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सद्भावना से लगा सकती है। हमारी राय में,

वादी इस प्रपत्र में घोषणा के हकदार हैं।

103. बिना किसी काल्पनिक और अस्पष्टता के स्वतंत्र रूप से किसी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के संबंध में एक और आधिकारिक घोषणा बाधा आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत *(*उपरोक्त*)* का मामला है, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी अवधारणा और दायरा यह है कि किसी की अंतरात्मा के आदेशों के अनुसार धर्म के स्वतंत्र अभ्यास पर या राज्य की पुलिस शक्ति और संविधान के भाग *II* के अन्य प्रावधानों के तहत लगाए गए अधिकारों को छोड़कर धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान की पूजा करने का अधिकार

अपने विवेक के आदेश। अपने भगवान के साथ मनुष्य के संबंध को राज्य के लिए कोई चिंता नहीं बनाया जाता है। हालाँकि, विवेक और धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को उन कर्तव्यों से बचने के लिए स्थापित नहीं किया जा सकता है जो प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रति करता है। उदाहरण के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना, सैन्य सेवा करने की इच्छा व्यक्त करने की शपथ लेना आदि।

104. इसलिए, यह बिना किसी हिचकिचाहट या आरक्षण के कहा जा सकता है कि *1965* के अधिनियम के अनुसरण में बनाए गए *1965* के नियमों के विवादित नियम *3 (*बी*)*, जो उम्र की महिलाओं के प्रवेश के बहिष्कार को निर्धारित करता है।

10 से *50* वर्ष का समूह, ऐसी महिलाओं के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है

अपने धार्मिक विश्वास का पालन करें, जो परिणामस्वरूप, अनुच्छेद *25 (1)* के तहत उनके मौलिक अधिकार को एक मृत पत्र बनाता है। यह स्पष्ट है कि जब तक भक्त, चाहे वे किसी भी लिंग और/या आयु वर्ग के हों, किसी भी जाति के मंदिर में प्रवेश करने के लिए हिंदू हैं, यह उनका कानूनी अधिकार है।

मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने का अधिकार। इस मामले में महिलाएं भी हिंदू हैं और इसलिए न तो कोई व्यवहार्य है और न ही कोई कानूनी भारतीय युवा वकील है।

वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

भगवान अयप्पा के भक्तों के रूप में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और देवता को अपनी प्रार्थना करने के उनके अधिकार पर सीमा।

105. जब हम ऐसा कहते हैं, तो हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि बहिष्करण के उक्त नियम को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि

उक्त आयु वर्ग की महिलाएँ, किसी भी तरह से, हानिकारक होंगी या सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य या उस मामले के लिए, संविधान के भाग *III* के किसी अन्य प्रावधान/प्रावधानों के लिए खतरे की भूमिका निभाएंगी, क्योंकि यह इन लोगों के लिए है।

नियम है कि अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकार बनाया गया है

विषय में।

106. संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* में आने वाले 'नैतिकता' शब्द को संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा जा सकता है ताकि इसे सीमित किया जा सके।

नैतिकता की परिभाषा का क्षेत्र कि एक व्यक्ति, एक वर्ग या धार्मिक संप्रदाय इस शब्द का क्या अर्थ समझ सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो स्वाभाविक रूप से 'नैतिकता' शब्द का प्रयोग किया जाता है इसका तात्पर्य संवैधानिक नैतिकता से है और कोई भी दृष्टिकोण जो अंततः संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लिया जाता है, वह इस संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के सिद्धांतों और बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए जिसे समर्थन मिलता है।

संविधान से।

107. मनोज नरूला *(ऊपर)* में, इस न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा की प्रमुख भूमिका पर विचार किया है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस प्रकार की रायः

"संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का मूल रूप से अर्थ है संविधान के मानदंडों के आगे झुकना और इस तरह से कार्य नहीं करना जो कानून के शासन का उल्लंघन करता हो या मनमाने तरीके से कार्रवाई को प्रतिबिंबित करता हो। यह वास्तव में आधार पर काम करता है और संस्थान भवन में लेजर बीम के रूप में मार्गदर्शन करता है। ऐसी नैतिकता के मूल्य को बनाए रखने के लिए परंपराओं और परंपराओं को विकसित करना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य जीवित रहते हैं और सफल हो जाते हैं जहां बड़े पैमाने पर लोग और संस्थान के प्रभारी व्यक्ति विचलन का मार्ग प्रशस्त किए बिना और संस्थागत अखंडता और आवश्यक संवैधानिक प्रतिबंधों को बनाए रखने के लिए प्राथमिक चिंता को कार्रवाई में प्रतिबिंबित किए बिना संवैधानिक मानकों द्वारा सख्ती से निर्देशित होते हैं। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता संवैधानिक नैतिकता का एक पहलू है।

108. इसके अलावा, यह न्यायालय, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम. भारत संघ और अन्य *2 9* ने इस प्रकार कहाः

"अपने कठोरतम अर्थों में संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य है

दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों में निहित संवैधानिक सिद्धांतों का सख्त और पूर्ण पालन। जब किसी देश को संविधान दिया जाता है, तो उसके साथ एक वादा होता है जो यह निर्धारित करता है कि देश के नागरिकों से लेकर उच्च संवैधानिक कार्यकर्ताओं तक देश के प्रत्येक सदस्य को संवैधानिक मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। संविधान द्वारा लगाया गया यह कर्तव्य इस तथ्य से उपजा है कि संविधान एक अनिवार्य मूलभूत आधार है जो सुरक्षा के लिए मार्गदर्शक बल के रूप में कार्य करता है

और यह सुनिश्चित करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने वादा किया था नागरिक वर्ग अबाधित रहता है "।

109. आगे विस्तार से बताते हुए, नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम। भारत के एन और अन्य *3 0*, इस न्यायालय ने कहाः

"संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा केवल संविधानवाद के मूल सिद्धांतों के पालन तक ही सीमित नहीं है।

संवैधानिक नैतिकता का विस्तार और विस्तार केवल उन प्रावधानों और शाब्दिक पाठ तक ही सीमित नहीं है जो एक संविधान में शामिल हैं, बल्कि यह अपने भीतर एक बहुलतावादी और समावेशी समाज की शुरुआत करने जैसे व्यापक गुणों को शामिल करता है, साथ ही साथ संवैधानिकता के अन्य सिद्धांतों का पालन करता है। यह आगे संवैधानिक नैतिकता को मूर्त रूप देने का परिणाम है कि संविधानवाद के मूल्य नीचे गिरते हैं और इसके माध्यम से फैलते हैं

प्रत्येक राज्य की बेहतरी के लिए राज्य का तंत्र

अलग-अलग, अलग-अलग चीजों की तरह, इत्यादि, बशर्ते कि उनके अलग-अलग स्वाद और पसंद उनके कानूनी ढांचे के भीतर रहें और न तो किसी क़ानून का उल्लंघन करें और न ही किसी अन्य नागरिक के मौलिक अधिकारों को कम करें। हमारे संविधान के प्रारंभिक लक्ष्य, जिनमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान उद्देश्य शामिल हैं, केवल इस सिद्धांत के प्रति राज्य के अंगों की प्रतिबद्धता और निष्ठा के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता "

18) 10 स्केल *386* भारतीय युवा वकील। वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

110. अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकार को अनुच्छेद के शुरुआती शब्दों द्वारा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के भाग *III* के अन्य प्रावधानों के अधीन कर दिया गया है। तीनों ही

शब्द, अर्थात व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य 'सार्वजनिक' शब्द द्वारा योग्य हैं। प्रवेश की अनुमति देने से न तो सार्वजनिक व्यवस्था और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ेगा। *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिला श्रद्धालु सबरीमाला मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश करती हैं। जहाँ तक सार्वजनिक नैतिकता का संबंध है, हमें यह पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए कि चूंकि संविधान को किसी बाहरी शक्ति द्वारा इस देश के लोगों पर नहीं डाला गया था, बल्कि इसे इस देश के लोगों द्वारा अपनाया गया था और खुद को दिया गया था, इसलिए सार्वजनिक नैतिकता शब्द को संवैधानिक नैतिकता के पर्याय के रूप में समझा जाना चाहिए।

111. ऐसा कहने के बाद, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की धारणाओं का उपयोग स्वतंत्रता को स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित करने के लिए रंगीन उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।

धर्म का पालन करें और *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें प्रवेश करने के कानूनी अधिकार से वंचित कर दें।

सबरीमाला मंदिर में प्रार्थना इस साधारण कारण से की जाती है कि सार्वजनिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता के अधीन होना चाहिए।

क्या बहिष्करण अभ्यास एक आवश्यक अभ्यास है

हिंदू धर्म के अनुसार

112. हमने इस फैसले के पहले भाग में यह निर्धारित किया है कि भगवान अयप्पा के भक्त, जो हालांकि एक अलग धार्मिक होने का दावा करते हैं

मूल्यवर्ग, इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित परीक्षणों के अनुसार, उनमें से सबसे प्रमुख एस. पी. मित्तल *(ऊपर)*, संविधान के अनुच्छेद *26* के अर्थ के भीतर एक अलग धार्मिक मूल्यवर्ग का गठन नहीं करते हैं।

संविधान। यह हमें एक गणितीय निश्चितता की ओर ले जाता है कि भगवान अयप्पा के भक्त हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अब, यह देखा जाना बाकी है कि क्या *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं का बहिष्कार

सबरीमाला मंदिर की विशिष्ट उपस्थिति परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में हिंदू धर्म के तहत एक आवश्यक प्रथा है। उक्त प्रश्न का पता लगाने के लिए, हमें पहले यह समझने की आवश्यकता है कि किसी विशेष धर्म के लिए एक आवश्यक प्रथा क्या है जो इस न्यायालय के कई निर्णयों का विषय रहा है। अनुच्छेद *25* केवल उन अनुष्ठानों, समारोहों आदि का पालन करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो एक धर्म का एक अभिन्न अंग हैं जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जॉन में कहा गया है।

वल्लामट्टम और एक अन्य वी। भारत संघ *3 1.* ऐसा कहते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि धर्मार्थ या धार्मिक के लिए उपहार देने की दिशा में एक प्रवृत्ति

31 (2003) 6 एस. सी. सी. *611 [2018] 9* एस. सी. आर.

उद्देश्य को किसी व्यक्ति के पवित्र कार्य के रूप में नामित किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी भी धर्म का अभिन्न अंग नहीं कहा जा सकता है।

113. स्कॉटलैंड के फ्री चर्च में लॉर्ड हैल्सबरी द्वारा एक विशेष धर्म के लिए आवश्यक प्रथाओं की भूमिका को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है।

वी. ओवरटाउन *3 2* जिसमें यह देखा गया थाः

"आवश्यक वस्तुओं के अनुरूपता के अभाव में, मूल्यवर्ग राय की सामंजस्यपूर्ण एकरूपता द्वारा दृढ़ता में दृढ़ होने वाली इकाई नहीं होगी, यह केवल रेत के कणों का एक असंगत ढेर होगा, जो एकजुट हुए बिना एक साथ फेंके गए थे, इन बौद्धिक और अलग-अलग कणों में से प्रत्येक एक दूसरे से अलग है, और पूरा एक लेकिन नाममात्र रूप से एकजुट जबकि वास्तव में असंबद्ध द्रव्यमान का निर्माण करता है; आंतरिक विषमता, और आपसी और पारस्परिक विरोधाभास और मतभेद के अलावा कुछ भी नहीं।

114. इस न्यायालय ने शिरूर मठ *(ऊपर)* में पहली बार यह निर्णय दिया कि धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है, इसका पता लगाया जाएगा।

उस धर्म के सिद्धांतों और सिद्धांतों के संदर्भ में। न्यायालय ने इस प्रकार राय दी थीः

"सबसे पहले, किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, इसका निर्धारण मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

115. मोहम्मद में। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य *3 3,* इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बकरीद पर गाय की बलि दी जाती है यह मुसलमान धर्म की एक अनिवार्य प्रथा थी और उसने फैसला सुनाया कि इसे अनुच्छेद *25* के खंड *2 (ए)* के तहत राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

116. इसी तरह, पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में *v.* आशुतोष लाहिड़ी और अन्य *34,* यह न्यायालय, के निर्णय को मंजूरी देते हुए

उच्च न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने गलत तरीके से पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, *1950* की धारा *12* को इस आधार पर लागू किया था कि मुस्लिम समुदाय को स्वस्थ गायों को मारने से छूट देने की आवश्यकता है। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार राय दीः

"..... इससे पहले कि राज्य छूट की शक्ति का प्रयोग कर सके

अधिनियम द्वारा कवर किए गए किसी भी स्वस्थ जानवर के वध के संबंध में धारा *12*, यह दिखाया जाना चाहिए कि ऐसी छूट है

32 (1904) एसी *515*

33 आकाशवाणी *1958* एससी *731*

34 ए. आई. आर. *1995* एस. सी. *464* भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

एक आवश्यक धार्मिक उप-सेवा के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक है,
औषधीय या अनुसंधान उद्देश्य। यदि इस तरह की छूट देना इस तरह के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या आवश्यक नहीं है तो ऐसी कोई छूट नहीं दी जा सकती है ताकि मुख्य उद्देश्य पर जोर दिया जा सके।

अधिनियम के प्रावधान "।

117. दरगाह समिति में, अजमेर और अन्य बनाम। सैयद हुसैन अली और अन्य *3*, न्यायालय, हालांकि अनुच्छेद के संदर्भ में बोलते हुए

26 , चेतावनी दी कि कुछ प्रथाएं, हालांकि धार्मिक हैं, केवल अंधविश्वास से उत्पन्न हो सकती हैं और उस अर्थ में, स्वयं धर्म के लिए बाहरी और अनावश्यक वृद्धि हो सकती हैं और जब तक कि ऐसी प्रथाओं को लागू नहीं किया जाता है। यह पाया जाता है कि यह धर्म का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है, आवश्यक प्रथाओं के रूप में सुरक्षा के उनके दावे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए; दूसरे शब्दों में, सुरक्षा ऐसी धार्मिक प्रथाओं तक ही सीमित होनी चाहिए जो धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग हैं और कोई अन्य नहीं।

118. इस मामले में न्यायालय ने ऐसी प्रथाओं को संरक्षण से बाहर कर दिया है, जो भले ही धार्मिक प्रथाओं की विशेषताओं को प्राप्त कर चुकी हों, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने पर, कुछ अंधविश्वासों का परिणाम पाई जाती हैं जो उन्हें अनावश्यक बना सकते हैं और धर्म का अभिन्न अंग नहीं बना सकते हैं।

119. आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्य बनाम। पुलिस आयुक्त, कलकत्ता ", जिन्हें पहले पुलिस आयुक्त के रूप में जाना जाता है।

आनंद मार्ग मामले में, इस अदालत ने माना कि घातक हथियार ले जाने वाले आनंद मार्गियों द्वारा जुलूसों में या सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य और

आनंद मार्ग के अनुयायियों के लिए मानव खोपड़ी एक आवश्यक धार्मिक संस्कार नहीं था और इसलिए, धारा *144 Cr.PC* के तहत आदेश. सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में इस तरह के जुलूसों को प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के तहत आनंद मार्ग संप्रदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं था, इसलिए जब धारा *144 Cr.PC* के तहत आदेश ने सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस या सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन केवल खंजर, त्रिशूल और खोपड़ी ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए खतरा पैदा किया।

120. एन. आदित्यन बनाम। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और अन्य *3 7,* न्यायालय ने बहुत संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया कि किसी धर्म की अनिवार्य प्रथा क्या है, यह तय करने के लिए न्यायालय का दृष्टिकोण निम्नलिखित शब्दों में होना चाहिए:

36 (1983) 4 एस. सी. सी. *522* *37 (2002) 8* एससीसी *106 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"कानूनी स्थिति कि अनुच्छेद *25* और *26* के तहत संरक्षण

अनुष्ठानों और अनुष्ठानों, समारोहों के लिए गारंटी का विस्तार करना और पूजा के तरीके जो धर्म के अभिन्न अंग हैं और

वास्तव में धर्म या धार्मिक का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है प्रथा का निर्णय न्यायालयों द्वारा संदर्भ के साथ किया जाना है

किसी विशेष धर्म या प्रथाओं के सिद्धांत को इसके भागों के रूप में माना जाता है धर्म "।

(जोर हमारा है*)*

121. पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम। आचार्य

दिश्वरानंद अवधूत और अन्य *(ऊपर),* दूसरा दा मार्ग मामला होने के कारण, न्यायालय ने वास्तविक प्रकृति पर विस्तार से चर्चा की है।

आवश्यक अभ्यास और आगे निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया है

एक निश्चित अभ्यास को किसी विशेष के लिए आवश्यक माना जा सकता है।

संविधान के तहत सुरक्षा की गारंटी देने के लिए। अदालत ने

बंधी हुई:

"संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के तहत गारंटीकृत संरक्षण संविधान सिद्धांत या विश्वास के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि

अनुष्ठानों, अनुष्ठानों, समारोहों के लिए एक गारंटी शामिल है और पूजा के तरीके जो धर्म के अनिवार्य या अभिन्न अंग हैं।

जो धर्म का एक अभिन्न या अनिवार्य हिस्सा है, वह होना चाहिए

इसके सिद्धांतों, प्रथाओं, सिद्धांतों के संदर्भ में निर्धारित, दिए गए धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि। *(* आम तौर पर देखें

आयुक्त बनाम में संविधान पीठ के निर्णय। एल. टी. स्वामीयर श्रीरूर मठ *1954* एस. सी. आर. *1005,* एस. एस. टी. एस. साहब बनाम। बम्बई राज्य

1962 (उदाहरण के लिए*) 2* एससीआर *496,* और शेषम्मल बनाम। तमिलनाडु राज्यः

[1972] 3 एस. सी. आर. *815,* उन पहलुओं के बारे में जिन पर गौर किया जाना चाहिए।

ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई भाग या अभ्यास आवश्यक है या नहीं।

नहीं*)*। 'किसी धर्म के अनिवार्य भाग या प्रथाओं' का क्या अर्थ है*?*

यह अब स्पष्टीकरण का विषय है। एक धर्म के अनिवार्य भाग का अर्थ है

मूल मान्यताएँ जिन पर एक धर्म की स्थापना की जाती है। आवश्यक अभ्यास उन प्रथाओं का अर्थ है जो किसी धार्मिक प्रथा का पालन करने के लिए मौलिक हैं।

विश्वास करते हैं। यह आवश्यक भागों या प्रथाओं की आधारशिला पर है।

धर्म की अधिरचना का निर्माण किया गया है। जिसके बिना, एक धर्म कोई धर्म नहीं होगा। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें कि क्या एक भाग या अभ्यास है

धर्म के लिए आवश्यक है-यह पता लगाना कि धर्म की प्रकृति क्या है

उस भाग या अभ्यास के बिना बदला जाएगा। अगर छीन लिया जाए उस भाग या अभ्यास के परिणामस्वरूप भारतीय युवा वकीलों के संगठन में मौलिक परिवर्तन हो सकता है।

वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उस धर्म के चरित्र या उसके विश्वास में, तो ऐसे हिस्से को एक आवश्यक या अभिन्न अंग के रूप में माना जा सकता है। ऐसे भाग में परिवर्धन या घटाव नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यह उस धर्म का सार है और परिवर्तन इसके मौलिक चरित्र को बदल देंगे। यह ऐसे स्थायी आवश्यक भाग हैं जो संविधान द्वारा संरक्षित हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि किसी के धर्म का आवश्यक हिस्सा या अभ्यास किसी विशेष तिथि या घटना से बदल गया है। इस तरह के परिवर्तनशील भाग या प्रथाएं निश्चित रूप से धर्म का 'मूल' नहीं हैं जहां विश्वास आधारित है और धर्म आधारित है। इसे केवल गैर-आवश्यक के लिए केवल अलंकरण के रूप में माना जा सकता है।

भाग या अभ्यास "।

वर्ष हिंदू धर्म के एक सिद्धांत या एक ऐसी प्रथा के बराबर है जिसे हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा माना जा सकता है और क्या हिंदू धर्म की प्रकृति को उक्त बहिष्करण प्रथा के बिना बदला जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर, हमारी सुविचारित राय में, निश्चित रूप से नकारात्मक है। किसी भी परिदृश्य में, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी आयु वर्ग की महिलाओं के बहिष्कार को हिंदू धर्म की एक आवश्यक प्रथा माना जा सकता है। धर्म और इसके विपरीत, हिंदू महिलाओं को हिंदू धर्म के भक्तों और अनुयायियों के रूप में मंदिर में प्रवेश करने और देवता को अपनी प्रार्थना करने की अनुमति देना हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी धर्मग्रंथ या पाठ्य साक्ष्य के अभाव में, हम सबरीमाला मंदिर में अपनाई जाने वाली बहिष्करण प्रथा को हिंदू धर्म की एक आवश्यक प्रथा का दर्जा नहीं दे सकते।

1965 के अधिनियम के आधार पर बनाए गए *1965* के नियमों के नियम *3 (*बी*)* के रूप में अधीनस्थ विधान न तो आवश्यक है और न ही अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म, जिसके बिना भगवान अयप्पा के भक्त हैं, जीवित नहीं रह पाएगा।

124. कोई भी यह नहीं कह सकता कि किसी के धर्म का आवश्यक हिस्सा या अभ्यास किसी विशेष तिथि या घटना से बदल गया है। ऐसे परिवर्तनशील भाग

या प्रथाएं निश्चित रूप से धर्म का 'मूल' नहीं हैं जहां विश्वास आधारित है और धर्म आधारित है। इसे केवल गैर-आवश्यक भाग या प्रथाओं के लिए केवल अलंकरण के रूप में माना जा सकता है।

125. हमारा यह दृष्टिकोण इस तथ्य से और अधिक पुष्ट होता है कि जहां समय के प्रवाह के साथ कोई प्रथा बदलती है, वहां पुलिस आयुक्त और अन्य में निर्धारित कानून को देखते हुए ऐसी प्रथा नहीं हो सकती है।

(ऊपर*),* एक मूल के रूप में माना जाता है जिस पर एक धर्म का निर्माण होता है। वहाँ आवश्यक अभ्यास का दर्जा प्राप्त करने के लिए अभ्यास में निर्बाध निरंतरता होनी चाहिए। एस. महेंद्रन *(*उपरोक्त*)* मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से यह और स्पष्ट होता है कि देवस्वम बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था कि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिला उपासक अपने बच्चों को चावल खिलाने के पहले समारोह के लिए हर महीने पांच दिनों के लिए मंदिर जाती थीं और पूजा करती थीं। देवस्वम बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी रुख अपनाया कि महिलाओं के लिए प्रवेश का प्रतिबंध केवल मंडलम, मकैविलक्कू और

विष्णु के दिन। विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री इंदिरा जयसिंह द्वारा भी यही बताया गया है कि विवादित बहिष्करण प्रथा एक 'कुछ विचलन के साथ प्रथा' है क्योंकि *1950* में अधिसूचना पारित होने से पहले, सभी आयु वर्ग की महिलाएं अपने बच्चों को चावल खिलाने के पहले समारोह के लिए सबरीमाला मंदिर जाती थीं।

126. इसलिए ऐसा लगता है कि सबरीमाला मंदिर में अपनाई जाने वाली बहिष्करण प्रथा में कोई निरंतरता नहीं है और इसे देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता है एक आवश्यक अभ्यास के रूप में माना जाए।

1965 के अधिनियम और *1965* के नियमों के नियम *3 (*बी*)* का विश्लेषण

127. हम वर्तमान में केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों पर विचार कर सकते हैं।

1965. उक्त अधिनियम की धारा *2* परिभाषा खंड है और निम्नानुसार हैः

"2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,
*(*क*)* "हिन्दू" में बौद्ध, सिख या जैन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति शामिल है।

*(*ख*)* "सार्वजनिक पूजा स्थल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो किसी भी नाम से ज्ञात हो या जिससे कोई भी संबंधित हो, जो हिंदुओं या उसके किसी वर्ग या वर्ग को किसी धार्मिक सेवा के लिए या उसमें प्रार्थना करने के लिए समर्पित है, या उसके लाभ के लिए, या आम तौर पर उपयोग किया जाता है, और इसमें सभी भूमि और सहायक मंदिर, मठ, देवस्थानम, नमस्कार मंडपम और नालंबलम, जो ऐसे किसी स्थान से संबंधित या संलग्न हैं, और भारतीय युवा कानून भी शामिल हैं।

वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

कोई भी पवित्र तालाब, कुएँ, झरने और जलमार्ग जिनकी पूजा की जाती है या स्नान या पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन

इसमें "श्रीकोइल" शामिल नहीं है; *(*ग*)* "वर्ग या वर्ग" में कोई भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उप-जाति, संप्रदाय या संप्रदाय शामिल हैं।

128. धारा *2* के खंड *(*ए*)* के अनुसार, 'हिंदू' शब्द में बौद्ध, सिख या जैन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति शामिल है। 'व्यक्ति' शब्द इस खंड में होने वाले तर्क के शुद्ध और सरल कारण के लिए, सभी लिंगों को शामिल करना चाहिए। खंड *(*ग*)* 'वर्ग या वर्ग' को किसी भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उप-जाति, संप्रदाय या संप्रदाय के रूप में परिभाषित करता है। कहीं भी अनुभाग या वर्ग की परिभाषा पुरुष विभाजन तक सीमित होने का सुझाव नहीं देती है,

उप-विभाजन, जाति आदि।

129. अधिनियम की धारा *3* में कहा गया है कि सार्वजनिक पूजा स्थल

यह हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला रहेगा और इस प्रकार पढ़ता हैः

सार्वजनिक पूजा के ऐसे स्थान में प्रवेश करने या वहां पूजा करने या प्रार्थना करने या उसमें कोई धार्मिक सेवा करने से रोका जाएगा, बाधित किया जाएगा या हतोत्साहित किया जाएगा, उसी तरह और उसी हद तक जैसे किसी भी वर्ग या वर्ग का कोई अन्य हिंदू प्रवेश कर सकता है, पूजा कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है या कर सकता हैः
बशर्ते कि किसी सार्वजनिक पूजा स्थल के मामले में, जो किसी धार्मिक संप्रदाय या उसकी धारा के लाभ के लिए स्थापित एक मंदिर है, इस धारा के प्रावधान उस धार्मिक संप्रदाय या धारा के अधिकार के अधीन होंगे, जो धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए हो।

130. अधिनियम की धारा *3* एक गैर-स्थायी खंड होने के कारण घोषित करती है कि सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान जो आम तौर पर हिंदुओं के लिए खुला है या

किसी भी धारा या वर्ग के लिए हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला रहेगा और किसी भी धारा या वर्ग के किसी भी हिंदू को रोका नहीं जाएगा, *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक पूजा के ऐसे स्थान में प्रवेश करने, या सार्वजनिक पूजा के ऐसे स्थान पर पूजा करने, प्रार्थना करने या कोई धार्मिक सेवा करने से बाधित या हतोत्साहित किया गया है, जैसे किसी भी वर्ग या वर्ग का कोई अन्य हिंदू प्रवेश करने, पूजा करने, प्रार्थना करने या प्रदर्शन करने के लिए पात्र हो सकता है।

131. धारा *3* के सावधानीपूर्वक विच्छेदन से पता चलता है कि सार्वजनिक स्थान

केरल राज्य में पूजा, किसी भी विपरीत कानून, रीति-रिवाज, उपयोग या ऐसे किसी भी कानून या किसी भी साधन के आधार पर प्रभावी होने के बावजूद।

न्यायालय की डिक्री या आदेश सभी धाराओं और वर्गों के लिए खुला रहेगा। हिंदू। धारा या वर्ग 'और' हिंदू 'की परिभाषा को आयात करना होगा,

धारा *3* के प्रयोजनों के लिए, परिभाषा खंड *2 (ए)* और *2 (सी)* से, जिसमें हमारे पूर्वगामी विश्लेषण के अनुसार, सभी लिंग शामिल हैं, बशर्ते वे हिंदू हों। इसके अलावा इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि धारा *3* के तहत प्रदान किए गए अधिकार को किसी भी कानून, प्रथा या इसके विपरीत उपयोग की परवाह किए बिना प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

132. धारा *3* के प्रावधान में कहा गया है कि यदि सार्वजनिक पूजा का स्थान किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लाभ के लिए स्थापित मंदिर है

इस निर्णय के पहले भाग में, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान अयप्पा के भक्त और अनुयायी एक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं और इसलिए, इस मामले में धारा *3* के प्रावधान का सहारा नहीं लिया जा सकता है।
133. इस अधिनियम की धारा *3* के तहत हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए निर्धारित अधिकार का महत्व और गंभीरता इस तथ्य से बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है कि इसका उल्लंघन किया गया है।

1965 के अधिनियम की धारा *5* के तहत दंडित किया गया है जो निम्नानुसार हैः

"खंड *5:* दंड

जो कोई भी, धारा *3* का उल्लंघन करते हुए,

(क) हिंदुओं के किसी भी वर्ग या वर्ग के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने, पूजा करने या प्रार्थना करने, कोई धार्मिक सेवा करने से रोकता है या रोकने का प्रयास करता है।

पूजा; या डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(बी*)* बाधा, या कारण या बाधा पैदा करने का प्रयास करता है, या द्वारा

बाधा डालने या अन्यथा हतोत्साहित करने की धमकी, ऐसा कोई भी व्यक्ति

उपर्युक्त कार्यों में से किसी को करने या करने से, कारावास के साथ प्रकाशनीय जो छह महीने तक हो सकता है, या

जुर्माने के साथ जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां केवल जुर्माने की सजा दी जाती है,

ऐसा जुर्माना पचास रुपये से कम नहीं होगा।

134. आगे बढ़ते हुए, *1965* के अधिनियम की धारा *4* प्रदान करती है -

व्यवस्था और शिष्टाचार के रखरखाव के लिए नियम बनाने के लिए

सार्वजनिक स्थानों के संबंध में संस्कारों और समारोहों का विघटन

केरल में कूल्हः

"भाग *4:* रखरखाव के लिए विनियम बनाने की शक्ति

व्यवस्था और शिष्टाचार और संस्कारों का उचित प्रदर्शन और

सार्वजनिक पूजा स्थलों पर समारोह

(1) न्यासी या किसी भी सार्वजनिक स्थान का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति पूजा में शक्ति होगी, जो सक्षम लोगों के नियंत्रण के अधीन होगी।

प्राधिकरण और कोई भी नियम जो उस प्राधिकरण द्वारा बनाए जा सकते हैं,

व्यवस्था और शिष्टाचार के रखरखाव के लिए नियम बनाएँ

सार्वजनिक पूजा का स्थान और धार्मिक अनुष्ठान का उचित पालन

उसमें किए जाने वाले संस्कार और समारोहः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत बनाया गया कोई विनियमन नहीं होगा

किसी भी तरह से किसी भी हिंदू के खिलाफ भेदभाव करना

यह आधार कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है। *(2)* उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी

होना,

त्रावणकोर का कौन सा भाग-कोच्चि हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, *1950 (1950* का त्रावणकोर-कोचीन अधिनियम *XV)* का विस्तार,

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड; *((ii)* किसी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में -

उक्त अधिनियम के किस भाग *II* का विस्तार है, कोचीन देवस्वम बोर्ड; और

((ग) में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में

कोई अन्य

केरल राज्य का क्षेत्र, सरकार। "

135. धारा *4* का प्रावधान धारा *4 (1)* का अपवाद होना उस स्थिति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां अपवाद अधिक महत्वपूर्ण है।

स्वयं नियम की तुलना में। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि *1965* के अधिनियम की धारा *4* के परंतुक की भाषा में बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में कहा गया है कि धारा *4* के खंड *(1)* के तहत बनाए गए विनियम किसी भी हिंदू के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि वह किसी विशेष धारा या वर्ग से संबंधित है। जैसा कि पहले कहा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विशेष धारा या वर्ग में सभी आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि किसी भी आयु वर्ग की हिंदू महिलाएं भी हिंदुओं के एक वर्ग या वर्ग का गठन करती हैं।

136. केरल राज्य ने धारा *4* के खंड *(1)* के आधार पर केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*केरल के लिए अधिकृत*)* बनाए हैं।

प्रविष्टि*)* नियम, *1965*। सुसंगत नियम जो वर्तमान मामले में विवाद का सबसे प्रमुख आधार भी है, नियम *3 (*बी*)* है। नियम *3* का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"नियम *3.* यहाँ उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान पर पूजा करने या स्नान करने या किसी भी पवित्र तालाब, कुएं, झरने या जलमार्ग के पानी का उपयोग करने के हकदार नहीं होंगे, जो सार्वजनिक पूजा के स्थान से जुड़ा हो, चाहे वह उसके परिसर के भीतर या बाहर स्थित हो, या कोई पहाड़ी या पहाड़ी ताला, या सड़क, सड़क या मार्ग सहित कोई पवित्र स्थान जो सार्वजनिक पूजा के स्थान तक पहुँच प्राप्त करने के लिए आवश्यक है:

एक्स एक्स एक्स

(ख*)* महिलाओं को ऐसे समय में सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसके दौरान उन्हें प्रथा और उपयोग द्वारा प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

कानून की सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जाना और इसका कोई उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में, हम भारत संघ और अन्य बनाम में निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। एस. श्रीनिवासन *3 8* जिसमें यह किया गया है शासन कियाः

"इस स्तर पर, प्रत्यायोजन प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्तियों के बारे में बताना उचित है। यदि कोई नियम क़ानून द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे जाता है, तो उसे अल्ट्रा घोषित किया जाना चाहिए।

वायर्स। यदि कोई नियम किसी ऐसे प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है जिसके लिए शक्ति नहीं है

प्रदान किया जाता है, यह अल्ट्रा वायर्स बन जाता है। मूल परीक्षण शक्ति के स्रोत को निर्धारित करना और उस पर विचार करना है जो नियम से संबंधित है। इसी तरह, एक नियम मूल क़ानून के अनुरूप होना चाहिए।

क्योंकि यह इससे आगे नहीं जा सकता है।

138. जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ *v.* डॉ. सुभाष चंद्र यादे *3 9 39,* न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक नियम के लिए एक वैधानिक प्रावधान का प्रभाव होना चाहिए, इसे दो शर्तों को पूरा करना चाहिए, पहला यह कि इसे उस क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत इसे बनाया गया है और दूसरा, यह भी नियम बनाने की शक्ति के दायरे और दायरे में आना चाहिए।

नियम बनाने वाले प्राधिकारी का और यदि इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं होती है, तो इस प्रकार बनाया गया नियम शून्य होगा। कुंज बिहारी लाई बुटैल और अन्य बनाम। एच. पी. और अन्य राज्यों के लिए, यह निर्धारित किया गया है कि किसी नियम को वैध ठहराने के लिए, पहले यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है और फिर यह देखा जाना चाहिए कि क्या बनाए गए नियम इस तरह से बनाए जाने की कसौटी को पूरा करते हैं कि वे ऐसी सामान्य शक्ति के दायरे में आते हैं और यदि नियम बनाने की शक्ति ऐसे सामान्य रूप में व्यक्त नहीं की जाती है, तो यह देखना होगा कि क्या बनाए गए नियम मूल अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं द्वारा संरक्षित हैं। एक अन्य प्राधिकरण जो उन सीमाओं और सीमाओं को परिभाषित करता है जिनके भीतर नियम बनाने वाला प्राधिकरण अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगा, वह है ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और दूसरा *v*। केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग *+ 1,* जहां न्यायालय के समक्ष प्रश्न केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमन *6*-ए के खंड *(*बी*)* और *(*एफ*)* की वैधता के बारे में था। व्यापार अनुज्ञप्ति और अन्य संबंधित मामले*)* विनियम, *2004*। न्यायालय ने निम्नलिखित राय दीः

"यह अब कानून का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि शासन बनाने की शक्ति
"अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सामान्य प्रतिनिधि मंडल है। इस तरह के एक सामान्य प्रतिनिधिमंडल को कोई दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, केवल इस तरह के प्रावधान के कारण, विनियमन बनाने की शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि वे ऐसे मौलिक अधिकारों या दायित्वों या अक्षमताओं को अस्तित्व में ला सकें जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है।

139. इस मामले में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम बनाने की शक्ति, जो एक क़ानून के तहत प्रदान की जाती है,

कानून के कार्यान्वयन, किसी भी प्राधिकरण को शक्ति प्रदान नहीं करता है

39 ए. आई. आर *1988* एस. सी *876*

40 ए. आई. आर *2000* एस. सी. *1069*

41 (2009) 15 एससीसी *570 [2018] 9* एस. सी. आर.

ऐसे मूल अधिकार या दायित्व या अक्षमताएँ अस्तित्व में लाना जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है। अदालत ने आगे कहा किः

"इस ढांचे से निकलने वाली कानून की छवि इसकी तटस्थता और वस्तुनिष्ठता हैः सामान्य निर्णय लेने के क्षेत्र को उन लोगों की विवेकाधीन शक्ति से बाहर रखने की कानून की क्षमता

सरकारी शक्ति। कानून को "कानूनी" का एक बुनियादी स्तर प्रदान करना होगा

जो वे प्रक्रियाएँ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं। सवाल यह है
यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या प्रत्यायोजित कानून तर्कसंगत और जवाबदेह नीति कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। जबकि हम ऐसा कहते हैं,

हम विधायी अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा से अनजान नहीं हैं। लेकिन, हमने इसे बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं

हम स्वयं प्रसिद्ध मानदंडों के भीतर सीमित हैं।

140. इस स्तर पर, हम स्टेट ऑफ टी. एन. और एक अन्य वी. में की गई टिप्पणियों से भी लाभान्वित हो सकते हैं। पी. कृष्णमूर्ति और अन्य *2*

जिसमें यह कहा गया था कि जहां कोई नियम क़ानून के अनिवार्य प्रावधान के साथ सीधे असंगत है, तो निश्चित रूप से, न्यायालय का कार्य सरल और आसान है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई नियम सक्षमकारी क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सीधे तौर पर प्रभावित होता है, तो न्यायालयों को किसी अन्य

दिशा में देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उक्त नियम को केवल उक्त आधार पर अमान्य घोषित करना होगा।

141. नियम *3 (*बी*)* महिलाओं, हिंदू महिलाओं को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देकर प्रथा और उपयोग की रक्षा करने का प्रयास करता है।

ऐसे समय में जब उन्हें उक्त प्रथा या उपयोग द्वारा प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। नियम *3 (*बी*)* के सरसरी पढ़ने से पता चलता है कि यह अति है।

1965 के अधिनियम की धारा *3* के साथ-साथ धारा *4* दोनों का अधिकार है, इसका कारण यह है कि धारा *3* एक गैर-अबाधित प्रावधान होने के कारण स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला होगा, महिलाओं को उनमें से एक होने के नाते, चाहे कोई भी प्रथा या उपयोग इसके विपरीत हो।

142. इसके अलावा, नियम *3 (*बी*)* भी *1965* अधिनियम की धारा *4* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि धारा *4 (1)* का परंतुक इस प्रभाव के लिए एक अपवाद पैदा करता है कि

धारा *4 (1)* के तहत बनाए गए विनियम/नियम भेदभाव नहीं करेंगे।

42 (2006) 4 एस. सी. सी. *517* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

किसी भी तरह से, किसी भी हिंदू के खिलाफ इस आधार पर कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है।

143. दोनों प्रावधानों की भाषा, यानी *1965* के अधिनियम की धारा *3* और धारा *4 (1)* के प्रावधान, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रथा और उपयोग से हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के सार्वजनिक पूजा स्थलों पर प्रार्थना करने के अधिकारों को स्थान मिलना चाहिए। इसके विपरीत कोई भी व्याख्या *1965* के अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त कर देगी और

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार की गारंटी है। यह स्पष्ट है कि *1965* के अधिनियम के प्रावधान उदार प्रकृति के हैं ताकि हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों को प्रवेश की अनुमति दी जा सके।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। लेकिन धारा *4 (1)* की आड़ में *1965* के नियमों के नियम *3 (*बी*)* को तैयार करना *1965* के अधिनियम के उद्देश्य का उल्लंघन करेगा।

निष्कर्ष

144. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष दर्ज करते हैं

सीरियातिम में:

(i) शिरूर मठ *(*ऊपर*)* और एस. पी. मित्तल *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, भगवान अयप्पा के भक्त एक अलग धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करते हैं। उनके पास अपने लिए विशिष्ट सामान्य धार्मिक सिद्धांत नहीं हैं, जिन्हें वे हिंदू धर्म के लिए सामान्य सिद्धांतों के अलावा अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं। इसलिए, भगवान अयप्पा के भक्त विशेष रूप से हिंदू हैं और करते हैं

यह एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं है।

(ii) अनुच्छेद *25 (1),* 'सभी व्यक्ति' अभिव्यक्ति का उपयोग करके, यह दर्शाता है कि विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार उपलब्ध है, हालांकि अनुच्छेद *25 (1)* में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन है।

स्वयं, महिलाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत अधिकार का लिंग या उस मामले में कुछ शारीरिक कारकों से कोई लेना-देना नहीं है।
महिलाएँ।

(iii) 1965 के नियमों के नियम *3 (*बी*)* के आधार पर सबरीमाला मंदिर में अपवर्जन प्रथा का पालन करना हिंदू महिलाओं के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने और भगवान अयप्पा के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह इनकार उन्हें *[2018] 9* एस. सी. आर. को नकारता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनकी पूजा करने का अधिकार। धर्म का पालन करने का अधिकार अनुच्छेद *25 (1)* एक ही धर्म का पालन करने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

डब्ल्यू*) 1965* के अधिनियम के तहत बनाए गए *1965* के नियमों का विवादित नियम *3 (*बी*),* जो *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

हिंदू महिलाओं को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए, जिसमें

परिणामस्वरूप, उनके धर्म के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद *25 (1)* एक मृत पत्र।

) संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* में आने वाले 'नैतिकता' शब्द को संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा जा सकता है ताकि नैतिकता की परिभाषा के क्षेत्र को किसी व्यक्ति, वर्ग या वर्ग तक सीमित किया जा सके।

धार्मिक संप्रदाय इस शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। तब से

संविधान को इस देश के लोगों ने अपनाया है और खुद को दिया है, अनुच्छेद *25* में सार्वजनिक नैतिकता शब्द को संवैधानिक नैतिकता के पर्याय के रूप में समझा जाना चाहिए।

i) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की धारणाओं का उपयोग स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने और *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार से वंचित करके उनके साथ भेदभाव करने के लिए रंगीन उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।

सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करें और प्रार्थना करें।

ii) सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के बहिष्कार की प्रथा को एक आवश्यक प्रथा के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि प्रतिवादी बोर्ड द्वारा दावा किया गया है।

iii) दूसरे आनंद मार्ग मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, सबरीमाला मंदिर में पालन की जा रही बहिष्करण प्रथा को एक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।

जिनका पालन न करने से हिंदू धर्म की प्रकृति बदल जाएगी या बदल जाएगी। इसके अलावा, बहिष्करण प्रथा को निर्बाध निरंतरता के साथ नहीं देखा गया है क्योंकि देवस्वम बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था कि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिला उपासक मंदिर जाती थीं और पहले चावल के लिए हर महीने पांच दिनों तक पूजा करती थीं

उनके बच्चों का भोजन समारोह।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

(ix) अपवर्जनकारी प्रथा, जिसे *1965* के अधिनियम के आधार पर बनाए गए *1965* के नियमों के नियम *3 (*बी*)* के रूप में एक अधीनस्थ कानून का समर्थन दिया गया है, न तो एक अधिनियम है।

अनिवार्य और न ही धर्म का अभिन्न अंग।

(x) 1965 के नियमों के नियम *3 (*बी*)* को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह *1965* के अधिनियम की धारा *3* के साथ-साथ धारा *4* दोनों के अधिकार से बाहर है, क्योंकि धारा *3* एक गैर-अबाधित प्रावधान होने के कारण स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला रहेगा, चाहे कोई भी प्रथा हो।

या इसके विपरीत उपयोग करें।

(xi) नियम *3 (b)* भी *1965* के अधिनियम की धारा *4* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि धारा *4 (1)* का परंतुक इस प्रभाव के लिए एक अपवाद पैदा करता है कि धारा *4 (1)* के तहत बनाए गए विनियम/नियम किसी भी तरह से किसी भी हिंदू के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि वह किसी विशेष धारा या वर्ग से संबंधित है।
(xii) दोनों प्रावधानों की भाषा, यानी धारा *3* और *1965* के अधिनियम की धारा *4 (1)* के प्रावधान से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रथा और उपयोग से हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थना करने के अधिकारों को स्थान मिलना चाहिए।

पूजा करते हैं। इसके विपरीत कोई भी व्याख्या *1965* के अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त कर देगी और अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार को कम कर देगी। इसलिए, हम मानते हैं कि *1965* के नियमों का नियम *3 (*बी*)* है
1965 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

145. उपरोक्त विश्लेषण और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर. एफ. नरीमन, जे. *(*सहमति*) 1.* वर्तमान रिट याचिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* में निहित मौलिक अधिकारों के दायरे पर दूरगामी सवाल उठाते हैं। ये सवाल सबरीमाला में एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर की पृष्ठभूमि में उठते हैं जिसमें भगवान अयप्पा की मूर्ति स्थापित है। के अनुसार

प्रत्यर्थियों, उक्त मंदिर, हालांकि जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना जनता के सभी सदस्यों के लिए खुला है, एक सांप्रदायिक मंदिर है जो धर्म से संबंधित मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के मौलिक अधिकार का दावा करता है। सवाल यह उठता है कि क्या *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश से पूरी तरह से बाहर रखा गया है, और *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नतीजतन, इस मंदिर में पूजा, एक जैविक कारक पर आधारित है जो केवल महिलाओं के लिए अनन्य है, और जो कथित रूप से धर्म का एक आवश्यक हिस्सा होने की प्रथा पर आधारित है, को अनुच्छेद *25* के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है। नतीजतन, क्या ऐसी महिलाएं केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* की धारा *3* के अंतर्गत आती हैं और क्या केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* नियम, *1965* के नियम *3 (*बी*)* के तहत आती हैं*?*

3. धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित सबसे शुरुआती निर्णयों में से एक, अर्थात् नर हरि शास्त्री और ओआरएस। वी. श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति, *1952* एस. सी. आर. *849,* यह न्यायालय बद्रीनाथ के मंदिर से संबंधित था, जो एक प्राचीन मंदिर है, जो हिंदुओं के लिए एक सार्वजनिक पूजा स्थल है। सभी देवप्रयागी पांडाओं की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* के आदेश *I* नियम *8* के तहत एक प्रतिनिधि मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शक या सहायक के रूप में यह घोषणा करने की मांग की थी कि उन्हें मंदिर के अंदर देवताओं के दर्शन के लिए अपने "ग्राहकों" के साथ मंदिर के परिसर में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। इस न्यायालय ने कहाः

"हमें ऐसा लगता है कि मामले के इस पहलू पर निचली अदालत का दृष्टिकोण बिल्कुल उचित नहीं रहा है, और किसी भी संभावित गलत धारणा से बचने के लिए, हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि सही कानूनी स्थिति क्या है। एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि वास्तव में स्वीकार किया गया है

वर्तमान मामले में, कि मंदिर हिंदुओं का सार्वजनिक पूजा स्थल है, 'दर्शन' या पूजा के उद्देश्यों के लिए मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो संस्था की प्रकृति से ही प्रवाहित होता है, और ऐसे अधिकारों के अधिग्रहण के लिए, कोई प्रथा नहीं है।

या प्राचीन उपयोग पर जोर देने या साबित करने की आवश्यकता है। चूँकि पांडा और उनके मुवक्किल दोनों हिंदू उपासक हैं, इसलिए एक के साथ दूसरे के साथ रहने में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है।

मंदिर और हम वर्तमान में जो कुछ भी कहेंगे, उसके अधीन, यह तथ्य कि तीर्थयात्री, उस स्थान के लिए एक अजनबी होने के नाते, की सहायता लेता है
पांडा 'दर्शन' या देवताओं की पूजा के मामले में या कि पांडा को अपने मुवक्किल से अपनी सेवाओं के लिए

पारिश्रमिक मिलता है, किसी भी तरह से किसी भी युवा वकील के कानूनी अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उन्हें। कानून में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रदर्शन करता है या नहीं स्वयं पूजा का कार्य या किसी अन्य द्वारा सहायता या मार्गदर्शन किया जाता है

उनका प्रदर्शन। यदि पांडा किसी विशेष अधिकार का दावा करते हैं जो

हिंदू जनता के सदस्यों द्वारा आम तौर पर आनंद नहीं लिया जाता है, वे

निस्संदेह इस आधार पर ऐसे अधिकारों को स्थापित करना होगा

कस्टम, उपयोग या अन्यथा।

हालाँकि, सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश का यह अधिकार एक अधिकार नहीं है।

अनियमित या अप्रतिबंधित अधिकार। यह न्यासियों के लिए खुला है सार्वजनिक यात्राओं के समय को विनियमित करने और कुछ निश्चित करने के लिए सार्वजनिक मंदिर

दिन के वे घंटे जिनके दौरान केवल जनता के सदस्य ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। जनता को भी अस्वीकार किया जा सकता है

मंदिर के कुछ विशेष रूप से पवित्र हिस्सों तक पहुंच, उदाहरण के लिए,

आंतरिक अभयारण्य या जैसा कि कहा जाता है 'परमपवित्र' जहाँ

देवता वास्तव में स्थित है। इनके अलावा, यह हमेशा है

मंदिर के अधिकारियों को नियम बनाने और लागू करने के लिए सक्षम

पूजा की अच्छी व्यवस्था और शालीनता सुनिश्चित करें और रोकें एक मंदिर में भीड़। अच्छा आचरण या व्यवस्थित व्यवहार है

मंदिर में प्रवेश की हमेशा एक अनिवार्य शर्त

[कालिदास जीवराम बनाम। गोर परजाराम, आई. एल. आर. *15* बम। पी। *309 ;*

ठाकरे बनाम। हरबम, आई. एल. आर. *8* बम। पी। *432]* , और यह सिद्धांत

श्री बद्रीनाथ मंदिर द्वारा स्वीकार किया गया है और मान्यता प्राप्त है

अधिनियम, जिसकी धारा *25* द्वारा उप-कानून बनाने का प्रावधान है - मंदिर समिति अन्य बातों के अलावा अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए

मंदिर और इसके भीतर व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित करना *[*खंड के माध्यम से *25 (1) (एम)]*।

इसलिए, सही स्थिति यह है कि वादी को प्रवेश करने का अधिकार है।

उनके यज्ञों के साथ मंदिर अनिश्चित या अनिश्चित नहीं है। अपने अस्तित्व के आधार पर अनुज्ञात्मक अधिकार

मंदिर के अधिकारियों का विवेकाधिकार; यह सही मायने में एक कानूनी अधिकार है

अभिव्यक्ति की भावना लेकिन इसका प्रयोग इसके अधीन किया जा सकता है

प्रतिबंध जो मंदिर समिति सद्भावना से लगा सकती है मंदिर के भीतर व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए और

प्रथागत पूजा का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करना। हमारी राय में,

वादी इस प्रपत्र में घोषणा के हकदार हैं।

(पीपी में। *860-862)*

4. कालानुक्रमिक अनुक्रम में, अगला प्रसिद्ध शिरूर आता है।

एक मामला, अर्थात। , आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मद्रास बनाम. श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, *1954* एससीआर *1005*। यह मामला शिरूर मठ के रूप में जाने जाने वाले मठ के संबंध में एक योजना के निपटारे से संबंधित था, जिसमें मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, *1951* के रूप में कानून ने हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इतिहास में, शिरूर मठ को दक्षिण कनारा जिले के उडिपी में स्थित आठ मठों में से एक कहा जाता है और इसकी स्थापना श्री मध्वाचार्य द्वारा की गई थी, जो दोहरे ईश्वरवाद के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे।

हिंदू धर्म। यह निर्णय अनुच्छेद *25* और *26* के तहत आने वाले कई पहलुओं के लिए एक मौलिक प्राधिकरण होने के कारण इसे विस्तार से उद्धृत करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने सबसे पहले अनुच्छेद *25* में निहित व्यक्तिगत अधिकार के बारे में निम्नलिखित तरीके से विचार किया:

"अब हम अनुच्छेद *25* पर आते हैं जो, जैसा कि इसकी भाषा से पता चलता है,

सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है,

या दूसरों की उन्नति के लिए अपने विचारों का प्रसार करें। सवाल यह है कि
यह पूछा गया कि क्या यहाँ "व्यक्ति" शब्द का अर्थ व्यक्ति है।

केवल या इसमें निगमित निकाय भी शामिल हैं। सवाल, हमारे अंदर

निश्चित रूप से एक निगमित निकाय नहीं है; वह एक आध्यात्मिक निकाय का प्रमुख है। बंधुत्व और अपने पद के आधार पर एक के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है

धार्मिक शिक्षक। धर्म का पालन और प्रचार करना उसका कर्तव्य है।

अनुच्छेद *25* के तहत। इस तरह के संस्थान अभ्यास या प्रचार नहीं कर सकते हैं। धर्म; यह केवल व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है और क्या

ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों या सिद्धांतों का प्रचार करते हैं

संस्थान किस उद्देश्य के लिए खड़ा है, यह वास्तव में महत्वहीन है अनुच्छेद *25*। यह विश्वास का प्रचार है जो संरक्षित है, नहीं

चाहे प्रचार किसी चर्च में हो या

मठ में, या किसी मंदिर या पार्लर की बैठक में। *' 9 1*

(जोर दिया गया*)*

(पी पर। *1021)*

1 1 भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। *, (1964) 4* एस. सी. आर. *99,9* न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि एस. टी. सी., जो भारतीय कंपनी अधिनियम, *1956* के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, डी. आई. ए. एन. यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. के अर्थ में नागरिक नहीं है।

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस संबंध में कि क्या एक गणित अभिव्यक्ति के भीतर आ सकता है

इस न्यायालय ने अनुच्छेद *26* के तहत "पवित्र मूल्यवर्ग" निर्धारित किया

पंखों का परीक्षणः

"जहां तक अनुच्छेद *26* का संबंध है, पहला सवाल यह है कि सटीक क्या है*?*

एक समान आस्था और संगठन रखने वाला एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय और एक विशिष्ट नाम से नामित "।

यह सर्वविदित है कि गणित को केंद्रों के रूप में स्थापित करने की प्रथा धर्मशास्त्रीय शिक्षा की शुरुआत श्री शंकराचार्य ने की थी और

तब से विभिन्न शिक्षकों ने उनका अनुसरण किया। शंकर के बाद आया

धार्मिक शिक्षकों और दार्शनिकों की एक आकाशगंगा जिन्होंने इसकी स्थापना की

हम हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों और उप-संप्रदायों में पाए जाते हैं

वर्तमान में भारत। ऐसे संप्रदायों या उप-संप्रदायों में से प्रत्येक कर सकता है

निश्चित रूप से एक धार्मिक संप्रदाय कहा जाता है, जैसा कि इसे नामित किया गया है एक विशिष्ट नाम,-कई मामलों में यह संस्थापक का नाम है,

और एक आम विश्वास और आम आध्यात्मिक संगठन है। द.

रामानुज के अनुयायी, जिन्हें श्री के नाम से जाना जाता है

वैष्णव, निस्संदेह एक धार्मिक संप्रदाय हैं; और

मध्वाचार्य और अन्य धार्मिक गुरुओं के अनुयायी भी ऐसा ही करते हैं।

यह परंपरा द्वारा अच्छी तरह से स्थापित एक तथ्य है कि आठ उडुपी मठ

इसकी स्थापना स्वयं मध्वाचार्य और न्यासियों ने की थी और

इन मठों के लाभार्थी इसके अनुयायी होने का दावा करते हैं।

शिक्षक। उच्च न्यायालय ने पाया है कि विचाराधीन मठ में है

शिवल्ली ब्राह्मणों का प्रभार जो एक खंड का गठन करते हैं

मठ या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली आध्यात्मिक बिरादरी वैध रूप से कर सकती है। इस लेख के दायरे में आएं।

(जोर दिया गया*)*

(पीपी में। *1021-1022)*

भारत के संविधान का *19.* हिदायतुल्ला, जे. द्वारा एक सहमति निर्णय में,

न्यायाधीश ने इस परिणाम पर पहुँचते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *15,16,18* और *29 (1)* स्पष्ट रूप से प्राकृतिक व्यक्तियों, अर्थात व्यक्तियों *(*पृ. *127)*। विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया

अनुच्छेद *14,20,27* और *31,* "व्यक्ति" शब्द व्यक्तियों पर भी लागू होगा।

निगम *(*पी. देखें। *147)*। इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह है अनुच्छेद *25 (1),*

"व्यक्ति" शब्द का भी उपयोग किया जाता है, जैसा कि ऊपर शिरूर मठ *(*उपरोक्त*)* में कहा गया है,

केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए। नतीजतन, यह तर्क कि एक मूर्ति व्यायाम कर सकती है

अनुच्छेद *25 (1)* में निहित मानसिक अधिकार, जैसा कि कुछ उत्तरदाताओं द्वारा आग्रह किया गया है,

अस्वीकार किया जाता है।

"धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं" के विपरीत "धर्म", "धार्मिक प्रथा", आवश्यक धार्मिक प्रथाओं "का गठन करने के संबंध में, न्यायालय ने कहाः

"यह देखा जाएगा कि धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने के अधिकार के अलावा, जो खंड *(बी)* द्वारा दिया गया है, अनुच्छेद *26* के अगले दो खंड एक धार्मिक संप्रदाय को संपत्ति प्राप्त करने और उसके मालिक होने और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देते हैं। ए द्वारा अपनी संपत्ति का प्रशासन इस प्रकार धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने के अधिकार से अलग आधार पर रखा गया है। उत्तरार्द्ध एक मौलिक अधिकार है जिसे कोई भी विधायिका छीन नहीं सकती है, जबकि पूर्व को कानूनों द्वारा विनियमित किया जा सकता है जो

विधायिका वैध रूप से लागू कर सकती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सवाल

केवल एक से संबंधित संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित धार्मिक समूह या संस्था धर्म के मामले नहीं हैं जिनके लिए

अनुच्छेद का खंड *(ख)* लागू होता है। फिर धर्म के विषय क्या हैं? "धर्म" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है और यह एक ऐसा शब्द है जो शायद ही किसी कठोर परिभाषा के लिए अतिसंवेदनशील है। एक अमेरिकी मामले में *[*डेविड डेविस बनाम। बेन्सन, *133* यू. एस. *333* एट *342]*, यह कहा गया है कि *'*धर्म*'* शब्द अपने निर्माता के साथ अपने संबंध के बारे में किसी के विचारों और उनके अस्तित्व और चरित्र के प्रति सम्मान और उनकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता के दायित्वों का संदर्भ देता है। यह अक्सर रूप या पूजा के पंथ के साथ भ्रमित होता है

विशेष संप्रदाय, लेकिन बाद वाले से अलग है। हमे नहीं लगता कि उपरोक्त परिभाषा को सटीक माना जा सकता है।

या पर्याप्त। हमारे संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* ज्यादातर आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद *44 (2)* पर आधारित हैं और

हमें बहुत संदेह है कि क्या ऊपर दी गई "धर्म" की परिभाषा हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में हो सकती थी जब उन्होंने संविधान बनाया था। धर्म निश्चित रूप से व्यक्तियों या समुदायों के साथ आस्था का विषय है और यह आवश्यक नहीं है आस्तिक। भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे प्रसिद्ध धर्म हैं जो ईश्वर या किसी भी बुद्धिमान प्रथम कारण में विश्वास नहीं करते हैं। एक धर्म का आधार निस्संदेह मान्यताओं या सिद्धांतों की एक प्रणाली में होता है जिसे वे लोग मानते हैं जो उस धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि धर्म एक सिद्धांत या विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है।

एक धर्म डायन युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

धर्म, और ये रूप और पालन भोजन और पोशाक के मामलों तक भी फैल सकते हैं। हमारे संविधान के तहत गारंटी न केवल धार्मिक राय की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, बल्कि यह एक धर्म के अनुसरण में किए गए

कार्यों की भी रक्षा करती है और यह अनुच्छेद *25* में "धर्म का पालन" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट होता है। लाथम, उच्च न्यायालय के सी. जे.

ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा *116* के प्रावधान पर विचार करते हुए, जो अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल को "किसी भी धर्म के स्वतंत्र अभ्यास" को प्रतिबंधित करने के लिए मना करता है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं *[*वीडियो एडिलेड कंपनी बनाम।

राष्ट्रमंडल, *67* सी. एल. आर. *116,127]:*

धारा *116* की व्याख्या के लिए प्रासंगिक भेद। यह धारा स्पष्ट रूप से धर्म के अभ्यास को संदर्भित करती है, और इसलिए इसका उद्देश्य किसी भी राष्ट्रमंडल कानून अधिनियम के संचालन से बचाना है जो धर्म के अभ्यास में किए जाते हैं। इस प्रकार यह धारा राय की स्वतंत्रता की रक्षा करने से बहुत आगे जाती है। यह धार्मिक अनुसरण में किए गए कार्यों की भी रक्षा करता है। धर्म के हिस्से के रूप में विश्वास "।

ये टिप्पणियां भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत धर्म की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से लागू होती हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर अनुच्छेद *25* और *26* दोनों के तहत धर्म के स्वतंत्र अभ्यास पर राज्य द्वारा प्रतिबंधों की अनुमति है। अनुच्छेद *25* का खंड *(2) (*ए*)* किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने का राज्य का अधिकार सुरक्षित रखता है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हो सकती हैं और

उपखंड *(*ख*)* द्वारा राज्य को और अधिकार दिया गया है जिसके तहत राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है, भले ही ऐसा करने से वह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है।

महान्यायवादी अनुच्छेद के खंड *(2) (*ए*)* पर जोर देते हैं और उनका तर्क है कि सभी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ, जो धर्म से जुड़ी हो सकती हैं लेकिन वास्तव में इसका एक अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं, राज्य विनियमन के लिए उत्तरदायी हैं।

हम सोचते हैं कि इस तरह के व्यापक शब्दों में तैयार किया गया विवाद नहीं हो सकता है,

समर्थन करें। सबसे पहले, किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, इसका निर्धारण मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यदि हिंदुओं के किसी भी धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि मूर्ति को दिन के विशेष समय पर भोजन का प्रसाद दिया जाना चाहिए, तो वर्ष की कुछ अवधियों में आवधिक समारोह एक निश्चित तरीके से किए जाने चाहिए या पवित्र ग्रंथों का दैनिक पाठ या पवित्र अग्नि की बलि चढ़ाई होनी चाहिए, इन सभी को धर्म का हिस्सा माना जाएगा।

और केवल यह तथ्य कि उनमें धन का खर्च या पुजारियों और नौकरों का रोजगार या विपणन योग्य वस्तुओं का उपयोग शामिल है, उन्हें एक वाणिज्यिक या आर्थिक चरित्र में भाग लेने वाली धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ नहीं बना देगा; वे सभी धार्मिक प्रथाएं हैं और अनुच्छेद *26 (*बी*)* के अर्थ के भीतर धर्म के मामलों के रूप में

माना जाना चाहिए। अनुच्छेद *25 (2) (ए)* जिस पर विचार करता है वह धार्मिक प्रथाओं के राज्य द्वारा विनियमन नहीं है,

जिसकी स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है सिवाय इसके कि कब वे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के विपरीत हैं, लेकिन उन गतिविधियों का विनियमन जो उनके चरित्र में आर्थिक, वाणिज्यिक या राजनीतिक हैं, हालांकि वे धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हैं। हम इस संबंध में कुछ अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई मामलों का उल्लेख कर सकते हैं, जो सभी "जेहोवा के गवाहों" के रूप में जाने जाने वाले धार्मिक संगठन से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से उत्पन्न हुए थे। पूरे ऑस्ट्रेलिया, यू. एस. ए. और अन्य देशों में शिथिल रूप से संगठित व्यक्तियों का यह संघ इसकी शाब्दिक व्याख्या को मानता है

बाइबल उचित धार्मिक मान्यताओं के लिए मौलिक है। बाइबिल के सर्वोच्च अधिकार में यह विश्वास उनके कई राजनीतिक विचारों को रंग देता है।

वे राजा या अन्य गठित मानव प्राधिकरण के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार करते हैं और यहां तक कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाने से भी इनकार करते हैं, और वे राष्ट्रों के बीच सभी युद्धों और सभी प्रकार की युद्ध गतिविधियों की निंदा करते हैं। *1941* में ऑस्ट्रेलिया में निगमित "जेहोवा के गवाहों" की एक कंपनी ने उन मामलों की घोषणा और शिक्षण शुरू किया जो युद्ध गतिविधियों और राष्ट्रमंडल की रक्षा के लिए प्रतिकूल थे और उनके खिलाफ कदम उठाए गए थे।

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

सरकार की कार्रवाई पर एक के माध्यम से सवाल उठाया गया था उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में कहा गया है कि

सरकार की कार्रवाई उचित थी और वह धारा *116,*

जो ऑस्ट्रेलियाई के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है

संविधान, किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया था

विनियम *[*एडिलेड कंपनी बनाम। राष्ट्रमंडल, *67*

सी. एल. आर. *116,127]*। हालाँकि ये निस्संदेह राजनीतिक गतिविधियाँ थीं।

एक विशेष समुदाय द्वारा मनोरंजन किए गए धार्मिक विश्वास से उत्पन्न होता है।

ऐसे मामलों में, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश लाथम ने बताया, प्रावधान धर्म की रक्षा के लिए एक पूर्ण सुरक्षा नहीं थी

अन्य प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से व्याख्या और लागू किया गया संविधान। इन विशेषाधिकारों का अधिकार के साथ मिलान किया जाना चाहिए

शांति, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संप्रभु शक्ति का उपयोग करने के लिए राज्य

और व्यवस्थित रूप से रहना जिसके बिना नागरिक की संवैधानिक गारंटी हो। स्वतंत्रता एक उपहास होगी। "

(जोर दिया गया*)*

(पीपी में। *1023-1026)*

एक धार्मिक संप्रदाय के लिए क्या मायने रखता है, इसका पूरा लाभ मिलता है।

ओमी ओवर, इस अदालत ने कहाः

... . जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, हमारे देश में धर्म की स्वतंत्रता

संविधान केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है।

धार्मिक प्रथाओं के साथ-साथ प्रतिबंधों के अधीन जो

संविधान ने स्वयं निर्धारित किया है। इसलिए अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत, ए

धार्मिक संप्रदाय या संगठन को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।

यह तय करने के मामले में कि संस्कार और समारोह क्या हैं

उनके धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक है और नहीं

बाहरी प्राधिकारी के पास उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र है

ऐसे मामलों में। बेशक, किए जाने वाले खर्चों का पैमाना

इन धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में एक मामला होगा धार्मिक संपत्ति के प्रशासन का

एक सक्षम विधायिका द्वारा निर्धारित किसी भी कानून के अनुसार; क्योंकि इसे नष्ट करने के लिए किसी भी धर्म का आदेश नहीं हो सकता है

संस्था और व्यर्थ खर्च करके उसके दान

संस्कारों और समारोहों पर। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

अनुच्छेद *26 (*डी*)*, यह एक धार्मिक संप्रदाय का मौलिक अधिकार है। या उसके प्रतिनिधि को *[2018] 9* एस. सी. आर. के अनुसार अपनी संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए।

कानून के साथ; और कानून, इसलिए, का अधिकार छोड़ना चाहिए

स्वयं धार्मिक संप्रदाय का प्रशासन इस तरह के अधीन है

जो प्रशासन के अधिकार को एक के हाथों से छीन लेता है धार्मिक संप्रदाय पूरी तरह से और इसे किसी अन्य प्राधिकरण में निहित करता है

खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होगा

((घ) अनुच्छेद *26* का।

(पीपी में। *1028-1029)*

5. इस फैसले के बाद, फैसले का पालन किया गया

अल पनाचंद गांधी बनाम। बॉम्बे राज्य और ओआरएस। , *1954* एससीआर

. इस मामले में, दो जुड़ी हुई अपीलें-एक प्रबंधक द्वारा

एम्बर जैन सार्वजनिक मंदिर और एक पारसी न्यासियों द्वारानईत ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट *1950* की संवैधानिक वैधता पर हमला किया। अनुच्छेद *25* और *26* में निहित स्वतंत्रताओं से निपटना,

अदालत ने कहाः

"संविधान का अनुच्छेद *25* प्रत्येक व्यक्ति को और

न केवल भारत के नागरिकों के लिए विवेक की स्वतंत्रता और

स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार। यह है।

अनुच्छेद के खंड *(2)* द्वारा इस अधिकार पर अपवाद अंकित किए गए हैं। खंड *(2)* का उपखंड *(ए)* राज्य की शक्ति को बचाता है

किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाले कानून।

अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि जो धार्मिक से जुड़ी हो सकती है

अभ्यास; और उपखंड *(*बी*)* राज्य की शक्ति को सुरक्षित रखता है सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए कानून भले ही

प्रतिबंध जो यह अनुच्छेद लगाता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास है हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार न केवल प्राप्त करने के लिए

ऐसा धार्मिक विश्वास जो उसके निर्णय से अनुमोदित हो या

विवेक लेकिन इस तरह के स्पष्ट कार्यों में अपने विश्वास और विचारों का प्रदर्शन करना

उनके धर्म द्वारा आदेशित या स्वीकृत हैं और आगे प्रचार करने के लिए

दूसरों की उन्नति के लिए उनके धार्मिक विचार। यह महत्वहीन है।

यह भी कि क्या प्रसार किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्ति में किया जाता है

क्षमता या किसी चर्च या संस्था की ओर से। निःशुल्क व्यायाम

धर्म का जिसके द्वारा बाहरी कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है

धार्मिक विश्वास का पालन, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य के अधीन है व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता को सुरक्षित करने के लिए लगाया गया विनियमन

लोगों को। अनुच्छेद *25* के खंड *(2)* का कौन सा उपखंड *(ए)* युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विचार उन धार्मिक प्रथाओं का राज्य विनियमन नहीं है जो तब तक संरक्षित हैं जब तक कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन गतिविधियों का है जो वास्तव में आर्थिक, वाणिज्यिक या राजनीतिक चरित्र की हैं, हालांकि वे धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हैं।

जहाँ तक अनुच्छेद *26* का संबंध है, यह एक विशेष पहलू से संबंधित है।

धार्मिक स्वतंत्रता का विषय। इस अनुच्छेद के तहत, किसी भी धार्मिक संप्रदाय या इसके एक हिस्से को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का गारंटीकृत अधिकार है और

धर्म के मामलों में सभी मामलों को अपने तरीके से प्रबंधित करना। इस तरह के मूल्यवर्ग या इसके एक हिस्से को चल और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने और उनका स्वामित्व रखने और कानून के अनुसार ऐसी संपत्तियों का प्रशासन करने का अधिकार भी दिया जाता है। अनुच्छेद *26* के दो खंडों *(*बी*)* और *(*डी*)* की भाषा दोनों के बीच के अंतर को तुरंत सामने लाएगी। धर्म के मामलों के संबंध में, एक धार्मिक निकाय को दिए गए प्रबंधन का अधिकार एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है जिसे कोई भी कानून छीन नहीं सकता है। दूसरी ओर, संपत्ति के प्रशासन के संबंध में, जिसके स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार एक धार्मिक संप्रदाय को है,

निस्संदेह ऐसी संपत्ति को प्रशासित करने का अधिकार लेकिन केवल

कानून के अनुसार। इसका मतलब है कि राज्य वैध रूप से अधिनियमित कानूनों के माध्यम से न्यास संपत्तियों के प्रशासन को विनियमित कर सकता है।

लेकिन यहाँ फिर से यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद *26 (*डी*)* के तहत, यह धार्मिक संप्रदाय ही है जिसे दिया गया है

किसी भी कानून के अनुसार अपनी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार जिसे राज्य वैध रूप से लागू कर सकता है। एक कानून, जो धार्मिक संप्रदाय से प्रशासन के अधिकार को पूरी तरह से छीन लेता है और इसे किसी अन्य या धर्मनिरपेक्ष प्राधिकरण में निहित करता है, संविधान के अनुच्छेद *26 (*डी*)* द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होगा।

इसलिए, विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि धर्म के मामले क्या हैं और क्या नहीं हैं, इसके बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? हमारे संविधान निर्माताओं ने 'धर्म' को परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं किया है और 'धर्म' शब्द की एक विस्तृत परिभाषा तैयार करना निश्चित रूप से संभव नहीं है जो सभी वर्गों के व्यक्तियों पर लागू होगी। जैसा कि मद्रास मामले में संकेत दिया गया है ऊपर उल्लिखित,

फील्ड्स, जे. द्वारा डेविस बनाम के अमेरिकी मामले में दी गई 'धर्म' की परिभाषा। बीसन *[133* यू. एस. *333]*, हमें पर्याप्त या सटीक नहीं लगता है। 'धर्म' शब्द, इस प्रकार *[2018] 9* एस. सी. आर.

और जैन धर्म जो ईश्वर के अस्तित्व या किसी बुद्धिमान प्रथम कारण में विश्वास नहीं करता है। निस्संदेह एक धर्म का अपना आधार होता है - मान्यताओं और सिद्धांतों की एक प्रणाली जिसे वे लोग मानते हैं जो उस धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं

लेकिन यह कहना सही नहीं होगा, जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने सुझाव दिया है, कि धर्म के मामले धार्मिक विश्वास और धार्मिक विश्वास के मामलों के अलावा और कुछ नहीं हैं। धर्म केवल एक राय, सिद्धांत या विश्वास नहीं है। कृत्यों में भी इसकी बाहरी अभिव्यक्ति होती है। हम उद्धृत कर सकते हैं

इस संबंध में एडिलेड कंपनी बनाम के मामले में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के सी. जे. लैथम की टिप्पणियाँ।

राष्ट्रमंडल *[67* सी. एल. आर. *116,124]*, जहाँ धारा *116* द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को दिए गए संरक्षण की सीमा ऑस्ट्रेलियाई संविधान विचार के लिए आया।

"कभी-कभी धर्म की स्वतंत्रता के विषय पर चर्चाओं में यह सुझाव दिया जाता है कि यद्यपि नागरिक सरकार को धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, फिर भी यह किसी भी कार्य के साथ व्यवहार कर सकती है जो इसके अनुसरण में किए जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना धार्मिक विश्वास। मुझे इसे बनाए रखना मुश्किल लगता है।

धारा *116* की व्याख्या के लिए प्रासंगिक भेद। यह खंड स्पष्ट रूप से धर्म के अभ्यास को संदर्भित करता है, और इसलिए इसका उद्देश्य किसी भी धर्म के संचालन से रक्षा करना है।

राष्ट्रमंडल कानून अधिनियम जो धर्म के अभ्यास में किए जाते हैं। इस प्रकार यह धारा स्वतंत्रता की रक्षा करने से बहुत आगे जाती है।

राय दें। यह धार्मिक अनुसरण में किए गए कार्यों की भी रक्षा करता है।

धर्म के हिस्से के रूप में विश्वास "।

हमारी राय में, जैसा कि हम मद्रास मामले में पहले ही कह चुके हैं, ये टिप्पणियां हमारे संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान पर पूरी तरह से लागू होती हैं।

डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

धार्मिक मान्यताओं के अनुसरण में धार्मिक प्रथाओं या कार्यों का प्रदर्शन उतना ही धर्म का हिस्सा है जितना कि विशेष सिद्धांतों में विश्वास या विश्वास। इस प्रकार यदि जैन या पारसी धर्म के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि कुछ संस्कार और समारोह यह नहीं कहा जा सकता है कि ये धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ हैं जो वाणिज्यिक या आर्थिक चरित्र में भाग लेती हैं क्योंकि इनमें धन का खर्च या पुजारियों का रोजगार या विपणन योग्य वस्तुओं का उपयोग शामिल है। किसी भी बाहरी प्राधिकारी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये

ये धर्म के अनिवार्य अंग नहीं हैं और यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष प्राधिकरण के लिए ट्रस्ट एस्टेट के प्रशासन की आड़ में उन्हें किसी भी तरह से प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने के लिए खुला नहीं है। बेशक, इसके संबंध में किए जाने वाले खर्चों का पैमाना

ये धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक संस्थानों से संबंधित संपत्ति के प्रशासन का मामला हो सकते हैं और हैं; और यदि इन शीर्षों पर होने वाले खर्चों से संपन्न संपत्तियों के नष्ट होने या संस्था की स्थिरता प्रभावित होने की संभावना है, तो राज्य एजेंसियों द्वारा निश्चित रूप से उचित नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि कानून प्रदान करता है। हम इस संबंध में जमशेद जी बनाम के मामले में जे. डावर के अवलोकन का उल्लेख कर सकते हैं। सूनाबाई *[33* बम। *122]* , और हालांकि वे

एक ऐसे मामले में बनाया गया था जहां सवाल यह था कि क्या एक पारसी वसीयतकर्ता द्वारा संपत्ति का वसीयत स्थायी उद्देश्य के लिए किया गया था। मुक्ताद बाज, वैजश्री आदि जैसे समारोहों का उत्सव, जो

ज़ोरोस्ट्रियन धर्म द्वारा स्वीकृत वैध धर्मार्थ उपहार थे, अवलोकन, हम सोचते हैं, हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए काफी उपयुक्त हैं। यदि यह समुदाय का विश्वास है "इस प्रकार विद्वान न्यायाधीश ने कहा", और यह निस्संदेह साबित होता है ज़ोरोस्ट्रियन समुदाय का विश्वास, एक धर्मनिरपेक्ष न्यायाधीश उस विश्वास को स्वीकार करने के लिए बाध्य है-उस विश्वास पर निर्णय में बैठना उसके लिए नहीं है, उसे एक दाता के विवेक में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो उसके पक्ष में उपहार देता है जिसे वह मानता है

धर्म के मामलों और धार्मिक संपत्तियों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के बीच का अंतर, कभी-कभी, ऐसा प्रतीत हो सकता है एक पतली। लेकिन संदेह के मामलों में, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश लैथम ने *[2018] 9* एस. सी. आर. की ओर इशारा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले में बाहर *[*एडिलेड कंपनी बनाम। राष्ट्रमंडल,

67 ऊपर निर्दिष्ट सी. एल. आर. *116,129]*, न्यायालय को एक

सामान्य ज्ञान का दृष्टिकोण और व्यावहारिक विचारों से प्रेरित होना आवश्यकता है। इन सिद्धांतों के आलोक में हम आगे बढ़ेंगे।

अधिनियम, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है याचिकाकर्ता "।

(पीपी में। *1062-1066)*

6. अब हम प्रसिद्ध मुल्की मंदिर मामले पर आते हैं। इसमें

निर्णय, अर्थात्, श्री वेंकटरमण देवरू और ओआरएस। वी. की स्थिति

मैसूर और ओआरएस। , *1958* एस. सी. आर. *895, ("*श्री वेंकटरमण देवरू*")*, श्री वेंकटरमण को समर्पित एक प्राचीन मंदिर, जो अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, मद्रास मंदिर को एक चुनौती में अदालत के समक्ष था।

प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम *(1947* का *5)*। यह देखा गया कि इस मंदिर के सभी न्यासी गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों के नाम से जाने जाने वाले संप्रदाय के सदस्य थे। भले ही मंदिर की स्थापना मूल रूप से गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों के कुछ अप्रवासी परिवारों के लाभ के लिए की गई थी, लेकिन समय के साथ, उपासकों में सभी वर्गों के हिंदू शामिल थे। यह पाते हुए कि उक्त मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, यह आगे कहा गया कि कुछ धार्मिक समारोहों के दौरान, गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों के अलावा अन्य व्यक्तियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप, मंदिर को अनुच्छेद *26* के अर्थ के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय माना गया था। न्यायालय ने तब पाया कि यदि मंदिर में कुछ व्यक्तियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप कोई छवि दूषित हो जाती है या पूजा से संबंधित किसी भी नियम का कोई विचलन या उल्लंघन होता है, तो एक आवश्यक धार्मिक प्रथा को प्रभावित कहा जा सकता है। न्यायालय ने कहाः

पूजा से संबंधित किसी भी नियम का कोई प्रस्थान या उल्लंघन,
और शुद्धिकरण समारोह *(*जिसे संप्रोक्षण के रूप में जाना जाता है*)* को करना पड़ता है

मंदिर की पवित्रता बहाल करने के लिए किया जाए। फैसले के माध्यम से

[(1914) 27 एमएलजे *253]*। शंकरलिंग नादान बनाम। राजा।
राजेश्वर दोराई *[(1908)* एल. आर. *35* आई. ए. *176],* द्वारा आयोजित किया गया था

प्रिवी काउंसिल ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की
कि एक न्यासी जो मंदिर में व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए सहमत हुआ जो

और मंदिर की प्रथा विश्वासघात का दोषी था। इस प्रकार,
मंदिरों से संबंधित औपचारिक कानून के तहत, जो डी. ए. एन. यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. के हकदार हैं।

वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

पूजा के लिए उनमें प्रवेश करना और जहाँ वे हकदार हैं

धर्म के मामले। निष्कर्ष कला में भी निहित है। *25* जो यह घोषणा करने के बाद कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से दावा करने के हकदार हैं,

धर्म का पालन और प्रचार करना, यह अधिनियमित करता है कि यह प्रभावित नहीं होना चाहिए

हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने वाले किसी भी कानून का संचालन हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए एक सार्वजनिक चरित्र। हम.

इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कुछ समय तक निपटा है विद्वान महान्यायवादी का तर्क कि व्यक्तियों का बहिष्कार

अनुच्छेद *26 (*बी*)* के संदर्भ में, फिर *1947* के अधिनियम *V* की धारा *3,* इसे उल्लंघन के रूप में बुरा माना जाना चाहिए "।

(जोर दिया गया*)*

(पीपी में। *910-911)*

महत्वपूर्ण सवाल जो तब तय करना था वह यह था कि क्या

खनिज संस्थान अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* की पहुंच के भीतर थे। सकारात्मक जवाब दिया गया। तब यह कहा गया था:

तथ्य यह है कि हालांकि कला। *25 (1)* अधिकारों से संबंधित

व्यक्ति, कला। *25 (2)* इसकी सामग्री में बहुत व्यापक है और है

समुदायों के अधिकारों का संदर्भ, और दोनों कला को नियंत्रित करता है। *25 (1)* और कला। *26 (* बी*)*।

तब परिणाम यह होता है कि समान अधिकार के दो प्रावधान हैं,

उनमें से कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। सवाल यह है कि कैसे

उनके बीच स्पष्ट संघर्ष को हल किया जाना है। का नियम

निर्माण अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब एक अधिनियम में हैं

दो प्रावधान जिनका एक दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, वे इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो तो प्रभाव दिया जा सकता है

दोनों। इसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है।

इस नियम को लागू करना, यदि अपीलार्थियों का तर्क होना है -

स्वीकार किया, फिर कला। *25 (2) (* ख*)* इसमें पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा।

हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संप्रदाय के मंदिरों के लिए आवेदन,

उस अनुच्छेद की भाषा में वे शामिल हैं। दूसरी ओर, यदि उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, फिर पूर्ण प्रभाव हो सकता है

कला को दिया जाए। *26 (* ख*)* धर्म के सभी मामलों में, केवल इसके अधीन कि उनके एक पहलू के संबंध में, पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश,

कला के तहत घोषित अधिकार। *25 (2) (ख)* प्रबल होगा।

जबकि, *[2018] 9* एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरार्द्ध, उस प्रावधान और कला दोनों को प्रभाव दिया जा सकता है। *26 (* बी)। हमें तदनुसार उस कला को बनाए रखना चाहिए। *26 (ख)* विषय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए

कला. *25 (2) (ख) "*।

(पीपी में। *917-918)*

जब सदस्यों का कोई सामान्य या पूर्ण बहिष्कार नहीं होता है

सी मंदिर में पूजा से, लेकिन केवल कुछ धार्मिक से बहिष्कार

सीज़, यह आयोजित किया गया थाः

"हमने माना है कि किसी मूल्यवर्ग का पूरी तरह से बहिष्कृत करने का अधिकार

कला में शामिल। *26 (* ख*)* घोषित अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। कला द्वारा। *25 (2) (* ख*)* किसी मंदिर में प्रवेश करने के लिए जनता के पक्ष में

पूजा करते हैं। लेकिन जहां दावा किया गया अधिकार सामान्य नहीं है और

हर समय मंदिर में पूजा से जनता का पूर्ण बहिष्कार

फाउंडेशन के नियमों द्वारा संप्रदाय के सदस्यों के लिए, तब सवाल यह नहीं है कि कला है या नहीं। *25 (2) (* बी*)* उस अधिकार को ओवरराइड करता है

ताकि इसे बुझा दिया जाए, लेकिन क्या यह संभव है-ताकि इसे विनियमित किया जा सके

कला द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के अधिकार। *25 (2) (ख)* प्रभाव देने के लिए

दोनों के अधिकार। यदि सांप्रदायिक अधिकार ऐसे हैं कि -

उन्हें प्रभावी बनाने से प्रदान किए गए अधिकार में काफी कमी आएगी

कला द्वारा। *25 (2) (ख),* तो निश्चित रूप से, हमारे निष्कर्ष पर कि कला।

25 (2) (ख) कला के विरुद्ध प्रचलित है। *26 ((b)* सांप्रदायिक अधिकार

गायब हो जाना चाहिए। लेकिन जहां वह स्थिति नहीं है, और देने के बाद मूल्यवर्ग के अधिकारों का प्रभाव जो जनता के लिए छोड़ दिया गया है

इसके अलावा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें कला का इतना अर्थ क्यों नहीं निकालना चाहिए।
25 (2) ((ख) कला को प्रभावी बनाने के लिए। *26 (* ख*)* के अधिकारों को मान्यता दें

उन मामलों के संबंध में मूल्यवर्ग जो सख्ती से हैं

सांप्रदायिक, अन्य मामलों में जनता के अधिकारों को छोड़ना

अप्रभावित "।

(पीपी में। *919-920)*

7. दरगाह समिति में, अजमेर और अन्र। वी. सैयद हुसैन

एन. डी. ओआरएस. , *(1962) 1* एस. सी. आर. *383, ("*दरगाह समिति*"),* इस न्यायालय को दरगाह ख्वाजा साहब के अधिकारों के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ा।*1955.* अजमेर के ख्वाजा मोइन-उद-दीन चिश्ती का प्रसिद्ध मकबरा

चिश्ती ऑर्डर इंडियन यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. से संबंधित व्यक्तियों के एक समूह द्वारा खनन किया गया।

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

सूफियों का। यह तर्क कि सभी धार्मिक आस्थाओं के लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, और इसलिए, इसे किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मंदिर नहीं कहा जा सकता था, को निम्नानुसार नकार दिया गयाः

..... इस प्रकार सैद्धांतिक विचारों पर यह आसान नहीं हो सकता है

मान लीजिए कि संत के अनुयायी और भक्त जो यहाँ आते हैं

दरगाह और इसे तीर्थस्थल के रूप में माना जा सकता है

किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग का गठन करना।

चिश्तिया संप्रदाय जिसका उत्तरदाता प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं
जिनकी ओर से-*(*साथ ही उनके अपने*)*-वे चुनौती देना चाहते हैं

अधिनियम के अधिकार एक धारा या एक धार्मिक संप्रदाय है। यह
ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में पद ग्रहण किया गया है और हम

लेन-देन में उस ओर से कोई विचलन करने का प्रस्ताव न रखें।

वर्तमान अपील के साथ "।

(जोर दिया गया*)*

(पी पर। *401)*

8. शिरूर मठ *(*ऊपर*)* में फैसले का पालन किया गया, जैसा कि था

श्री वेंकटरमण देवरू *(*ऊपर*)*, यह निर्धारित करने के लिए कि "धार्मिक संप्रदाय" का गठन क्या होगा और जिसे विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष के विपरीत धर्म का आवश्यक और अभिन्न अंग कहा जा सकता है

अभ्यास। इन दो निर्णयों में जो पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, उसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य जोड़ा गया हैः

इसी तरह, धार्मिक होने के बावजूद प्रथाएं भी पनपी होंगी।

केवल अंधविश्वासों से और उस अर्थ में हो सकता है

स्वयं धर्म में बाहरी और अनावश्यक वृद्धि। .....

" 9

(पी पर। *412)*

9. सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बम्बई राज्य,

1962 सप. *(2)* एस. सी. आर. *496,* इस न्यायालय ने बॉम्बे प्रेवेंशन ऑफ एक्सकॉम्युनिकेशन एक्ट, *1949* को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने असहमति जताई।

हालाँकि विद्वान मुख्य न्यायाधीश का निर्णय एक असहमत निर्णय है, लेकिन विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धांत, जो बहुमत के फैसले से असहमत नहीं हैं, उपयुक्त हैं और इसलिए हैं - इसे नीचे दिया गया हैः

यह उल्लेखनीय है कि कला द्वारा अधिकार की गारंटी दी गई है। *25* एक है

एक संगठित *[2018] 9* एस. सी. आर. के अधिकार से अलग व्यक्तिगत अधिकार।

एक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी खंड की तरह निकाय, कला द्वारा निपटाया जाता है। *26.* इसलिए, समुदाय के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है, जब तक कि वह किसी भी तरह से इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरों के अनुरूप अधिकार, अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के लिए, और हर किसी को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी है। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्माता के साथ अपने संबंध के मामले में स्वतंत्र छोड़ दिया है, अगर वह एक में विश्वास करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है

उसकी अंतरात्मा के आदेश, और यह कि उसकी इच्छा के अनुसार पूजा करने का अधिकार तब तक निरंकुश है जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में राज्य द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंधों के साथ संघर्ष में नहीं आता है। एक व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों की सत्यता के लिए जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, और उससे उसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में राज्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सवाल नहीं किया जा सकता

है। इस प्रकार, हालाँकि उनकी धार्मिक मान्यताएँ पूरी तरह से उनकी अपनी हैं और उन मान्यताओं को रखने की उनकी स्वतंत्रता पूर्ण है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से कार्य करने का पूर्ण अधिकार नहीं है।

वह अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने में प्रसन्न था। उन्हें उपरोक्त सीमाओं के अधीन अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी दी गई है। अपने धर्म का पालन करने का उसका अधिकार भी देश के आपराधिक कानूनों के अधीन होना चाहिए, जो वैध रूप से पारित किए गए हैं।

बड़े पैमाने पर समुदाय का होना। राज्य इस तरह की हानिकारक प्रथाओं को पूरी तरह से रोकने की सीमा तक प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के लिए कानून द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए खुला है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को विवेक की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है ताकि वह अपनी पसंद के किसी भी विश्वास को धारण कर सके, उन विश्वासों के अनुसरण में उसके कार्य हित में प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। व्यापक रूप से समुदाय का, जैसा कि आम सहमति से निर्धारित किया जा सकता है, अर्थात एक सक्षम विधानमंडल द्वारा। मानवतावादी आधार पर और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से ही किसी विधवा को उसके मृत पति की चिता में जला देना, या किसी कुंवारी लड़की को देवदासी के रूप में कार्य करने के लिए भगवान को समर्पित करना, या भारतीय युवा कानून के कारण किसी व्यक्ति को सभी सामाजिक संपर्कों और धार्मिक समुदाय से बहिष्कृत करना जैसी तथाकथित धार्मिक प्रथाएं थीं।

उसके द्वारा वर्जित भोजन या वर्जित खाना खाने से रोक दिया गया था

कानून "।

(जोर दिया गया*)*

(पीपी में। *518-520)*

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने उक्त अधिनियम को बरकरार रखते हुए कहा कि अधिनियम

इसका उद्देश्य विवेक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी को पूरा करना है

संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा, और इसके अपमान में नहीं। इसके अलावा, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिनियम ने वास्तव में सख्त नियमों का पालन किया

भारत के संविधान के अनुच्छेद *17* का निषेधाज्ञा जिसके द्वारा अस्पृश्यता

समाप्त कर दिया गया है, और माना गया है कि, बहिष्कार के रूप में एक रूप है

अस्पृश्यता, अधिनियम अनुच्छेद *17* द्वारा संरक्षित है और इसलिए होना चाहिए

बरक़रार रखा।

तथापि, के. सी. दास गुप्ता, जे. के बहुमत निर्णय में कहा गया कि

अधिनियम को संवैधानिक रूप से कमजोर होना चाहिए क्योंकि यह निम्नानुसार अनुच्छेद *26 (*बी*)* का उल्लंघन करता हैः

दाई द्वारा किसी भी आधार पर बहिष्कार का मामला
यह धर्म का मामला है। लेकिन जो बात स्पष्ट दिखाई देती है वह यह है कि

जहाँ एक बहिष्कार स्वयं धार्मिक आधार पर आधारित होता है
जैसे कि रूढ़िवादी धार्मिक पंथ या सिद्धांत से चूक *(*समान*)*

कानून*)* या कुछ प्रथाओं का उल्लंघन जिसे एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है
सामान्य रूप से दाउदी बोहराओं द्वारा धर्म का बहिष्कार

लेकिन ताकत बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है

धर्म से। यह जरूरी है कि इस शक्ति का प्रयोग

धार्मिक आधार पर बहिष्कार का हिस्सा है

अपने धार्मिक प्रमुख के माध्यम से समुदाय द्वारा प्रबंधन
धर्म के मामलों में अपने मामले "। विवादित अधिनियम समान बनाता है

इस तरह के बहिष्कार अमान्य हैं और इसकी शक्ति छीन लेते हैं

दाई समुदाय के प्रमुख के रूप में यहां तक कि बहिष्कृत करने के लिए

धार्मिक आधार। इसलिए यह स्पष्ट रूप से अधिकार में हस्तक्षेप करता है

कला के खंड *(*बी*)* के तहत दाउदी बोहरा समुदाय। *26* में से

संविधान। "

(पी पर। *535)*

यह मानते हुए कि उक्त कानून अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के लिए संदर्भित नहीं है,

टी तब आयोजित किया गयाः

"यह विचार करना बाकी है कि क्या विवादित अधिनियम इसके दायरे में आता है।

कला के खंड *2* में सन्निहित बचत प्रावधान। *25.* खंड इन शब्दों में हैः

"इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी भी मौजूदा के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

कानून बनाना या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकना

(क) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि जो धार्मिक से जुड़ी हो सकती है

अभ्यास;

(ख) समाज कल्याण और सुधार या खुले में फेंकने के लिए प्रावधान सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्था

और हिंदुओं का वर्ग "।

स्पष्ट रूप से, विवादित अधिनियम को कानून नहीं माना जा सकता है

किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य को विनियमित या प्रतिबंधित करना। धर्मनिरपेक्ष गतिविधि। वास्तव में, इसकी ओर से सुझाव भी नहीं दिया गया था

प्रतिवादी राज्य। हालाँकि यह सुझाव दिया गया था कि

अधिनियम को सामाजिक कल्याण का प्रावधान करने वाला कानून माना जाना चाहिए।

और सुधार "। केवल यह तथ्य कि कुछ नागरिक अधिकार जो हो सकते हैं

परिणामस्वरूप दाउदी बोहरा समुदाय के सदस्यों द्वारा खो दिया जाना

भले ही धार्मिक आधार पर बहिष्कार किया गया हो और

कि अधिनियम ऐसे नुकसान को रोकता है, इसके लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करता है

एक निष्कर्ष कि यह एक कानून है जो सामाजिक कल्याण के लिए प्रदान करता है और

सुधार "। इसके अलावा अन्य आधारों पर बहिष्कार का प्रतिबंध धार्मिक आधार, मान लीजिए, कुछ अप्रिय सामाजिक उल्लंघन पर

नियम या व्यवहार सामाजिक सुधार और कानून का एक उपाय हो सकता है।

धार्मिक आधार पर बहिष्कार का शुद्ध और सरल, नहीं कर सकते तथापि समाज कल्याण और सुधार को बढ़ावा देने के लिए विचार किया जाए और

धार्मिक सहित किसी भी आधार पर बहिष्कार इस आधार पर कि यह अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन माना जाना चाहिए

कला के तहत दाउदी बोहरा समुदाय। *26 ((ख)* संविधान का।

(पीपी में। *536-537)*

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एक स्पष्ट सहमति वाले निर्णय में, एन. राजागोपाला अय्यंगार, जे. ने इस आधार पर अधिनियम को बरकरार रखा कि बहिष्कार इतना अधिक नहीं है

लेकिन वास्तव में इसका उपयोग दाउदी बोहरा समुदाय की अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुशासन के उपाय के रूप में किया जाता है। इसलिए यह अनुच्छेद *25 (1)* और *26* द्वारा गारंटीकृत धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि यह धार्मिक प्रमुख-दाई-के न्यासी के रूप में, संप्रदाय की संपत्ति का प्रशासन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है ताकि बहिष्कृत व्यक्तियों को बाहर रखा जा सके। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के दो भागों के बीच एक अंतर बताते हुए कहा कि "सामाजिक कल्याण और सुधार" अभिव्यक्ति धार्मिक अभ्यास के आवश्यक हिस्सों को निम्नानुसार प्रभावित नहीं कर सकती हैः

"लेकिन जब किसी को निपटना पड़ता है तो बहुत अलग विचार उत्पन्न होते हैं
कानून के साथ जो केवल "सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए एक उपाय" होने का दावा किया जाता है। शुरू करने के लिए, यह स्वीकार करना होगा कि यह वाक्यांश कला के दूसरे भाग के विपरीत है। *25 (2) (* बी*)*, सटीक से बहुत दूर है और इसकी सामग्री में लचीला है। इस संबंध में यह ध्यान में रखना होगा कि इन पर सीमाएं लगाई गई हैं -

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक प्रथाओं को कला के शुरुआती शब्दों द्वारा पहले ही बचाया जा चुका है। *25 (1)* और

विचार करें कि जिस संदर्भ में वाक्यांश आता है, उसका उद्देश्य केवल उन कानूनों की वैधता को बचाना है जो आक्रमण नहीं करते हैं
धर्म की बुनियादी और आवश्यक प्रथाएं जिनकी गारंटी दी जाती है

कला का सक्रिय भाग। *25 (1)* दो कारणों सेः *(1)* बचत को धर्म की बुनियादी आवश्यक प्रथाओं को भी शामिल करने के रूप में पढ़ना, वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी को रद्द कर देगा और अर्थहीन कर देगा-न केवल स्वीकार करने की स्वतंत्रता, बल्कि धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, क्योंकि धार्मिक प्रथाओं को निरस्त करने के लिए बहुत कम कानून "सामाजिक कल्याण या सुधार के प्रावधान" के शीर्षक के तहत शामिल किए जाने में विफल हो सकते हैं। *(2)* यदि अभी-अभी उद्धृत वाक्यांश का उद्देश्य कला द्वारा गारंटीकृत आवश्यक वस्तुओं में भी कटौती करने के रूप में इतना व्यापक संचालन करना था। *25 (1)*, इस बारे में विशेष प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि

हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान क्योंकि इस प्रावधान द्वारा विचार किया गया कानून समान होगा।

सामाजिक सुधार की उत्कृष्टता।
मेरे विचार में "सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करने वाले कानून" वाक्यांश का उद्देश्य विधायिका को "सुधार" *[2018]* करने में सक्षम बनाना नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्तित्व या पहचान से बाहर एक धर्म। कला. *25 (2) ((a)* प्रदान किया गया है

"आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष" से संबंधित कानून के लिए
ऐसी गतिविधि जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हो ",

अनुवर्ती खंड धार्मिक गतिविधियों से संबंधित है

समूह और ये भी वे होने चाहिए जो इसके साथ जुड़े हैं

धर्म। जैसे कला में उल्लिखित गतिविधियाँ। *25 (2) (ए)* हैं।

कला. *25 (2) (ख)* मूल आवश्यकताओं को शामिल करने का इरादा नहीं है
एक धर्म का पंथ जो कला द्वारा संरक्षित है। *25 (1) . "*

(पीपी में। *552-553)*

10. चूंकि यह दृष्टिकोण केवल एक विद्वान न्यायाधीश का दृष्टिकोण है, और जैसा कि यह है

वर्तमान मामले में निर्णय के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि इस दृष्टिकोण की वैधता के लिए भविष्य के किसी मामले में परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। यह याद रखना शिक्षाप्रद है कि शिरूर मठ *(*उपरोक्त*)* में विशेष रूप से एक वाक्य था जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* द्वारा राज्य को एक और अधिकार दिया गया है, जिसके तहत राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है "भले ही ऐसा करने से यह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है"। इसलिए, हम अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के इस भाग को भविष्य के किसी मामले में ध्यान केंद्रित करने और विचार-विमर्श करने के लिए छोड़ देते हैं।

11. तिलकायत में श्री गोविंदलालजी महाराज बनाम। राजस्थान राज्य

और ओआरएस। *, (1964) 1* एस. सी. आर. *561,* अन्यथा नाथद्वारा मंदिर मामले के रूप में संदर्भित, यह न्यायालय की वैधता से संबंधित था

नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, *1959*। पहले ही निर्दिष्ट किए गए कुछ निर्णयों का उल्लेख करते हुए और उनका पालन करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि नाथद्वारा मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर था और अधिनियम ने तिलकायत के धर्मनिरपेक्ष कार्यालय को समाप्त कर दिया, जिसके द्वारा वह संपत्तियों का प्रबंधन कर रहे थे।

यह कहा जा सकता है कि मंदिर पर अनुच्छेद *26* के तहत कोई अधिकार नहीं था। एक निर्देशात्मक अंश में, इस न्यायालय ने कुछ परीक्षणों को निर्धारित किया कि विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथा के विपरीत धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग क्या कहा जा सकता है, और यह निर्धारित किया कि जो हमेशा तेल नहीं हो सकता है उसे पानी से अलग करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं, परीक्षा हमेशा होगी
क्या इसे निम्नलिखित समुदाय द्वारा ऐसा माना जाता है

धर्म हो या न हो। यह सूत्र कुछ मामलों में कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है।

अपने संचालन में। भोजन या डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. के संबंध में अभ्यास का मामला लें।

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कपड़े पहनें। यदि किसी कार्यवाही में, समुदाय का एक वर्ग दावा करता है कि कुछ संस्कार करते समय सफेद पोशाक एक अभिन्न अंग है

स्वयं धर्म का हिस्सा है, जबकि एक अन्य वर्ग का तर्क है कि सफेद पोशाक नहीं बल्कि पीले रंग की पोशाक इसका अनिवार्य हिस्सा है।

धर्म, न्यायालय इस प्रश्न का निर्णय कैसे करने जा रहा है*?* समान।

भोजन के संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां परस्पर विरोध हो प्रतिद्वंद्वी विवादों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि प्रतिस्पर्धी धार्मिक प्रथाओं के बारे में न्यायालय विवाद को हल करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

समुदाय एक से अधिक आवाज और सूत्र के साथ बोल सकता है इसलिए यह टूट जाएगा। यह सवाल हमेशा रहेगा।

न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए और ऐसा करने में, न्यायालय को करना पड़ सकता है

पता लगाएँ कि क्या विचाराधीन प्रथा धार्मिक है

और यदि ऐसा है, तो क्या इसे धर्म का अभिन्न या अनिवार्य हिस्सा माना जा सकता है, और ऐसे मुद्दे पर न्यायालय का निष्कर्ष

हमेशा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा

समुदाय की अंतरात्मा और उसके धर्म के सिद्धांत। इसमें है।

इस संभावित जटिलता का प्रकाश जो कुछ में उत्पन्न हो सकता है जिन मामलों में इस न्यायालय ने इस मामले में सावधानी बरतने की बात कही

दरगाह समिति अजमेर बनाम। सैयद हुसैन अली *[(1962) 1* एससीआर

383 , 411] , और यह देखा कि इस क्रम में कि विचाराधीन प्रथाएं

उन्हें धर्म के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए

उक्त धर्म अपने अनिवार्य और अभिन्न अंग के रूप में*;* अन्यथा भी

विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथाएं जो एक आवश्यक या अभिन्न नहीं हैं

धर्म का एक हिस्सा धार्मिक रूप से पहने जाने के लिए उपयुक्त है और हो सकता है

के भीतर धार्मिक प्रथाओं के रूप में माने जाने का दावा करें

कला के तहत। *25 (1)* और *26 (*बी*)* क्रमशः धार्मिक प्रथाएं और धर्म के मामलों में मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार हैं। यदि विचाराधीन प्रथा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष है या मामला जो नियंत्रित है कानून अनिवार्य रूप से और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, यह

उस कला का आग्रह नहीं किया जा सकता है। *25 (1)* या कला। *26 (* ख*)* उल्लंघन किया गया है।

संरक्षण धर्म के अभ्यास को दिया जाता है और

धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने का संप्रदाय का अधिकार।

इसलिए, जब भी किसी व्यक्ति की ओर से कोई दावा किया जाता है

नागरिक कि विवादित क़ानून उसके मौलिक अधिकार *[2018] 9* एस. सी. आर. का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस बात पर विचार करें कि क्या विचाराधीन प्रथा धार्मिक है या वे मामले जिनके संबंध में प्रबंधन के अधिकार का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, धर्म के मामलों में हैं। यदि प्रथा एक धार्मिक प्रथा है या मामले हैं धर्म, फिर, निश्चित रूप से, कला द्वारा गारंटीकृत अधिकार। *25 (1)* और कला। *26 ((ख)* इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

यह सच है कि इस सवाल का निर्णय कि क्या एक निश्चित प्रथा एक धार्मिक प्रथा है या नहीं, साथ ही यह सवाल कि क्या विचाराधीन संबंध धर्म के मामलों में एक मामला है या नहीं, कठिनाइयाँ पेश कर सकता है क्योंकि कभी-कभी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्रथाएं अटूट रूप से मिश्रित होती हैं। यह हिंदू धर्म के संबंध में अधिक विशेष रूप से है क्योंकि जैसा कि सर्वविदित है, प्राचीन स्मृतियों के प्रावधानों के तहत, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी मानवीय कार्यों और दिन-प्रतिदिन के अधिकांश व्यक्तिगत कार्यों को माना जाता है।

अभ्यास, और यदि धर्म के मामलों में मामलों के प्रबंधन का अधिकार धर्म के मामलों में मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, तो यह आवश्यक है कि उस ओर से किए गए दावे के गुण-दोष के बारे में निर्णय लेने में न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अभ्यास धार्मिक है और मामला धर्म के मामले के संबंध में है। कला के तहत इस समस्या से निपटने के लिए। *25 (1)* और *26 (*बी*)*, एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा विट्नेस इनकॉर्पोरेटेड में लैथम सी. जे. का अवलोकन *v.* द. राष्ट्रमंडल *[67* सी. एल. आर. *116,123]*, कि "जो एक के लिए धर्म है वह दूसरे के लिए अंधविश्वास है", जिस पर श्री पाठक भरोसा करते हैं, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि एक स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष मामले को धर्म का मामला होने का दावा किया जाता है, या यदि एक स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथा को एक धार्मिक प्रथा होने का आरोप लगाया जाता है, तो न्यायालय इस दावे को अस्वीकार करने में उचित होगा क्योंकि कला द्वारा गारंटीकृत संरक्षण है। *25 (1)* और कला। *26 (* ख*)* सांप्रदायिक मामलों के संबंध में धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं और मामलों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है जो धर्म के मामले नहीं हैं, और भारतीय युवा वकील।

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इसलिए, एक नागरिक द्वारा किया गया दावा कि एक विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष मामला है

एक धार्मिक प्रथा, या की ओर से किया गया एक समान दावा

धर्म का, इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है कि यह आधारित है
अतार्किक विचारों पर और के प्रावधानों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं

कला. *25 (1)* या अनुच्छेद *26 (*बी)। इस मामले के इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए

कला के वास्तविक दायरे और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। *25 (1)* और

कला. *26 (* ख*)* "।

(पीपी में। *620-623)*

12. शेषम्मल और ओआरएस में। वी. तमिलनाडु राज्य, *(1972) 2*

एस. सी. सी. *11,* तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती *(*संशोधन*)* अधिनियम, *1970* की वैधता पर तमिलनाडु के कुछ प्राचीन मंदिरों के वंशानुगत अर्चकों और माथाधीपतियों द्वारा सवाल उठाया गया था, क्योंकि संशोधन अधिनियम ने अर्चक के पद पर उत्तराधिकार के वंशानुगत अधिकार को समाप्त कर दिया था, भले ही अर्चक अन्यथा योग्य थे। इस न्यायालय ने इस तरह की चुनौती को खारिज कर दिया, लेकिन ऐसा करते हुए, हिंदू मंदिर में एक मूर्ति के अभिषेक के महत्व और उससे जुड़े अनुष्ठानों के बारे में बताया, जो इस प्रकार हैं:

"11. . ..... मंदिर में प्रतिमा के अभिषेक पर

हिंदू उपासक मानते हैं कि दिव्य आत्मा अवतरित हुई है

मूर्ति में और तब से देवता की छवि होने के लिए उपयुक्त है

पूजा की। दैनिक और आवधिक पूजा के संबंध में नियम

दिव्यता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं

आत्मा। अनुष्ठानों में एक दो गुना वस्तु होती है। एक ले को आकर्षित करना है

पुजारी द्वारा की जाने वाली पूजा में भाग लेने के लिए उपासक

या अर्चक। ऐसा माना जाता है कि जब उपासकों की एक सभा होती है

पूजा में आकांक्षा का एक विशेष दृष्टिकोण शामिल करता है और

दूसरा उद्देश्य छवि को प्रदूषण, अशुद्धता से बचाना है।
या अपमान। यह हिंदू उपासक की धार्मिक आस्था का हिस्सा है।

कि जब छवि प्रदूषित या अशुद्ध हो जाती है तो दिव्य आत्मा

छवि कम हो जाती है या गायब भी हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर

भक्त या उपासक भय से देखता है। प्रदूषण या

अशुद्धि विभिन्न तरीकों से हो सकती है। इसके अनुसार

अगर कोई प्रस्थान होता है तो एक छवि अशुद्ध हो जाती है या
पूजा से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन। वास्तव में, शुद्धिकरण

पवित्रता बहाल करने के लिए समारोह किए जाने चाहिए

मंदिर *[1958* एससीआर *895 (910)]*। उपासक *[2018] 9* एस. सी. आर. तक बहुत अच्छा भंडार रखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुष्ठान और जो भी अन्य लोग, आस्था के नहीं, इन अनुष्ठानों और समारोहों के बारे में सोच सकते हैं, वे हिंदू धार्मिक विश्वास का एक हिस्सा हैं और इन्हें तर्कहीन या अंधविश्वासी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।

अंततः, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अर्चक की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है, इसलिए संशोधन अधिनियम को वैध माना जाना चाहिए।

13. अब हम रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम में निहित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। , *(1977) 2* एससीआर

611. यह निर्णय मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम, *1968* और उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, *1967* की संवैधानिक वैधता से संबंधित था, जिनमें से दोनों कानूनों को अदालत ने यह कहते हुए बरकरार रखा था कि वे "सार्वजनिक व्यवस्था" के अपवाद के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे दोनों बल, प्रलोभन या अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करते हैं। एक निर्देशात्मक परिच्छेद में, इस न्यायालय ने अपीलार्थियों की ओर से इस तर्क को खारिज कर दिया कि

अनुच्छेद *25 (1)* में "प्रचार" शब्द में धर्मांतरण शामिल होगा। न्यायालय ने कहाः

"हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इस अर्थ में है कि अनुच्छेद *25 (1)* में 'प्रचार' शब्द का उपयोग किया गया है, जिसके लिए अनुच्छेद किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि इसके सिद्धांतों की व्याख्या करके अपने धर्म को प्रसारित या फैलाना है। यह याद रखना होगा कि अनुच्छेद *25 (1)* स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

प्रत्येक नागरिक के लिए, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए, और यह कि, बदले में, यह मानता है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करता है, जैसा कि संचारित करने के उसके प्रयास से अलग है।

या उनके धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करें, जो देश के सभी नागरिकों को समान रूप से "विवेक की स्वतंत्रता" की गारंटी पर अतिक्रमण करेगा।

संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत गारंटी का अर्थ इस न्यायालय में रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम में विचार के लिए आया। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *[1954* एस. सी. आर. *1055,1062*

63] और यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

"इस प्रकार, इस अनुच्छेद में लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति को हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार है कि वह न केवल ऐसे धार्मिक विश्वास को स्वीकार करे जिसे उसके निर्णय या विवेक द्वारा अनुमोदित किया जा सके, बल्कि अपने विश्वास और भारतीय युवा वकीलों को प्रदर्शित करे।

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

ऐसे प्रत्यक्ष कृत्यों में विचार जो उसके द्वारा आदेशित या स्वीकृत किए जाते हैं

धर्म और आगे के लिए अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए

दूसरों की उन्नति "।

इस न्यायालय ने अनुच्छेद का सही अर्थ दिया है, और हम
इस दृष्टिकोण के लिए कोई औचित्य नहीं मिलता है कि यह एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है

लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करना। इसकी सराहना करनी चाहिए।

केवल एक धर्म के संबंध में, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से शामिल करता है, और यह
एक व्यक्ति द्वारा ठीक से आनंद लिया जा सकता है यदि वह एक में अपने अधिकार का प्रयोग करता है

लोगों की समान स्वतंत्रता के अनुरूप तरीका

अन्य धर्म। जो किसी के लिए स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता है

अन्य, समान माप में, और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है
किसी भी व्यक्ति को अपने में परिवर्तित करने के मौलिक अधिकार के रूप में

धर्म "।

(पीपी में। *616-617)*

14. एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ और ओआरएस। *, (1983) 1* एससीसी *51,*

("एस. पी. मित्तल*)*, इस न्यायालय ने ऑरोविले *(*आपातकालीन प्रावधान*)* अधिनियम, *1980* की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। शिरूर मठ *(*ऊपर*)* और दरगाह समिति *(*ऊपर*)* का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए तीन परीक्षण निर्धारित किए कि क्या एक मंदिर को निम्नलिखित रूप से एक धार्मिक संप्रदाय माना जा सकता हैः

संविधान को 'धर्म' शब्द से अपना रंग लेना चाहिए और यदि
इस प्रकार, 'धार्मिक संप्रदाय' अभिव्यक्ति को भी संतुष्ट करना चाहिए।

तीन शर्तेंः

" (1) यह उन व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए जिनके पास एक प्रणाली है

विश्वास या सिद्धांत जिन्हें वे अपनी आध्यात्मिकता के लिए अनुकूल मानते हैं

कल्याण, अर्थात, एक सामान्य विश्वास; *(2)*
सामान्य संगठन; और

(3) एक विशिष्ट नाम से पदनाम। "
के नियमों और विनियमों के नियम *9* का संदर्भ दिया गया था

श्री अरबिंदो सोसायटी, और एक महत्वपूर्ण तर्क के लिए, कि एक धार्मिक संप्रदाय होने के लिए, वह व्यक्ति जो इसका सदस्य है संप्रदाय को संप्रदाय द्वारा घोषित धर्म से संबंधित होना चाहिए और अपने पिछले धर्म को छोड़ देना चाहिए। पैराग्राफ *106* में तर्क का उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः

[2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 106. श्री अरबिंदो सोसायटी के नियमों और विनियमों के नियम *9* का संदर्भ दिया गया था, जो इसकी सदस्यता से संबंधित है।

समाज और प्रदान करता हैः

" 9. भारत या विदेश में कोई भी व्यक्ति या संस्था या संगठन जो सोसायटी के उद्देश्यों और उद्देश्यों की सदस्यता लेता है,

और जिनका सदस्यता के लिए आवेदन कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, वे सोसायटी के सदस्य होंगे। सदस्यता राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, पंथ या लिंग के किसी भी भेद के बिना हर जगह लोगों के लिए खुली है।

सदस्यता के लिए एकमात्र शर्त यह है कि जो व्यक्ति सदस्यता की मांग कर रहा है

सोसायटी की सदस्यता को सोसाइटी के उद्देश्यों और उद्देश्यों की सदस्यता लेनी चाहिए। यह भी आग्रह किया गया कि जो सार्वभौमिक है वह धार्मिक संप्रदाय नहीं हो सकता है। एक अलग मूल्यवर्ग का गठन करने के लिए, दूसरे से कुछ अलग होना चाहिए। एक संप्रदाय का तर्क है कि वकील वह है जो दूसरे से अलग है और यदि सोसायटी एक धार्मिक संप्रदाय थी, तो संस्थान में प्रवेश पाने वाला व्यक्ति अपना पिछला दर्जा खो देगा। धर्म। वह एक ही समय में
दो धर्मों का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन सोसायटी और ऑरोविले का सदस्य बनने में यह स्थिति नहीं है। एक धार्मिक संप्रदाय अनिवार्य रूप से एक नया होना चाहिए और एक धर्म के लिए नई कार्यप्रणाली प्रदान की जानी चाहिए। काफी हद तक, श्री अरविंद द्वारा लिया गया दृष्टिकोण हिंदू दर्शन का एक हिस्सा बना हुआ है। उनके दर्शन में कुछ नवान्वेषण हो सकते हैं, लेकिन इससे यह धर्म नहीं बन पाएगा।

दोनों पक्षों की दलीलों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या श्री अरबिंदो सोसायटी एक

धार्मिक संप्रदाय, लेकिन इस धारणा पर आगे बढ़े कि यह था, और फिर यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम अनुच्छेद *25* या अनुच्छेद *26* का उल्लंघन नहीं करता है। चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. की एक अलग

राय में, जे. के फैसले, मिश्रा के पैराग्राफ *106* में निहित तर्क को स्वीकार किए बिना, विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि "अरबिंदोवाद" को हिंदू धर्म के एक नए संप्रदाय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसलिए श्री अरबिंदो के अनुयायियों को एक धार्मिक संप्रदाय कहा जा सकता है। यह इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि श्री अरबिंदो ने खुद इस बात का खंडन किया था कि वह एक नए धर्म की स्थापना कर रहे थे

और यह कि सोसायटी ने खुद को एक "गैर-राजनीतिक, गैर-धार्मिक संगठन" के रूप में प्रस्तुत किया था और आधार पर आयकर से छूट का दावा किया था

कि यह शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा हुआ था।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

15. फिर हम आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और ओआरएस के पास आते हैं। वी. पुलिस आयुक्त, कलकत्ता और अन्न। *, (1983) 4* एससीसी *522*। यह निर्णय इस बात से संबंधित था कि क्या "आनंद मार्ग" एक अलग धार्मिक संप्रदाय है। शिरूर मठ *(*ऊपर*),* दरगाह समिति *(*ऊपर*)* और एस. पी. मित्तल *(*ऊपर*)* में निर्धारित परीक्षणों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने माना कि आनंद मार्गी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, विशेष रूप से, शैव होने के नाते, और इसलिए, माना जा सकता है

वे व्यक्ति जो तीनों परीक्षाओं को पूरा करते हैं-अर्थात्, वे उन व्यक्तियों का एक समूह हैं जिनके पास विश्वासों की एक प्रणाली है जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं; उनका एक सामान्य संगठन है; और एक विशिष्ट नाम है। यह मानते हुए कि तांडव नृत्य को आनंद मार्गियों का एक आवश्यक धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता है, इस न्यायालय ने

पैराग्राफ *14* में कहा गया हैः

आनंद मार्गियों के एक आवश्यक धार्मिक संस्कार के रूप में जब *1955* में पहली बार आनंद मार्ग आदेश की स्थापना की गई थी। यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि श्री आनंद मूर्ति ने बाद में *1966* में आनंद मार्गिस के धार्मिक संस्कारों के एक भाग के रूप में तांडव की शुरुआत की। एक धार्मिक क्रम के रूप में आनंद मार्ग हाल ही में उत्पन्न हुआ है और तांडव नृत्य है।
उस क्रम के धार्मिक संस्कारों के एक हिस्से के रूप में अभी भी अधिक हाल ही में है। यह संदेहपूर्ण है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में तांडव नृत्य को आनंद मार्गियों के एक आवश्यक धार्मिक संस्कार के रूप में लिया जा सकता है। यह स्वीकार करते हुए भी कि ऐसा है, श्री तारकुंडे के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि तांडव नृत्य के साथ धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं।

यह आनंद मार्गिस का एक आवश्यक धार्मिक संस्कार है। रिट याचिका के पैराग्राफ *17* में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि "तांडव नृत्य कुछ मिनटों तक चलता है जहां दो या तीन व्यक्ति उठाकर नृत्य करते हैं।

एक पैर छाती के स्तर तक, उसे नीचे लाते हुए और दूसरे को उठाते हुए। पैराग्राफ *18* में यह दलील दी गई है कि "जब आनंद मार्गिस हवाई अड्डे आदि पर अपने आध्यात्मिक गुरु का अभिवादन करते हैं, तो वे

तांडव के एक संक्षिप्त स्वागत नृत्य की व्यवस्था करें जिसमें एक या

दो व्यक्ति खोपड़ी और प्रतीकात्मक चाकू का उपयोग करते हैं और दो या तीन मिनट तक नृत्य करते हैं। पैराग्राफ *26* में यह दलील दी गई है कि "तांडव संप्रदाय के सदस्यों के बीच एक प्रथा है और यह एक प्रथागत प्रदर्शन है और इसकी उत्पत्ति चार हजार साल से अधिक पुरानी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

[2018] 9 एस सी आर।

यह आनंद मार्गिस का नया आविष्कार नहीं है। आनंद मार्ग संप्रदाय के साहित्य के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि आनंद मार्ग के प्रत्येक अनुयायी द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन का निर्देश दिया गया है। यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि तांडव नृत्य को प्रत्येक अनुयायी के लिए एक धार्मिक संस्कार के रूप में निर्धारित किया गया है

आनंद मार्ग यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में पालन नहीं करता है

सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाने वाला तांडव नृत्य धार्मिक संस्कार का विषय है। वास्तव में, श्री आनंद मूर्ति के किसी भी लेखन में कोई औचित्य नहीं है कि तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक। इस संबंध में हमारे द्वारा पूछताछ के बावजूद श्री तारकुंडे ने हमें कम से कम कुछ नहीं दिखाया। इसलिए हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं।

श्री तारकुंडे के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए कि जुलूस में या सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य अनिवार्य है।

प्रत्येक आनंद मार्गी द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया जाना चाहिए।

16. काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री आदि विशेश्वर में,

नासी और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। , *(1997) 4* एस. सी. सी. *606, ("श्री विशेश्वर")*, इस न्यायालय ने संविधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, *1983*। ऐसा करते हुए, इस न्यायालय के अपने निर्णयों में निर्धारित एक धार्मिक संप्रदाय के परीक्षणों का उल्लेख किया, और फिर अभिनिर्धारित कियाः

" 33. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक हिंदू, चाहे वह शैव पूजा में विश्वास रखता हो या पंचरत्न पूजा में विश्वास रखता हो, को हिंदू मंदिर में प्रवेश करने और देवता की पूजा करने का अधिकार है। इसलिए, शैव पूजा में विश्वास करने वाले हिंदू संप्रदाय के उपासक नहीं हैं। वे हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। पूजा का रूप। यह अधिनियम स्थापित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार पूजा, अनुष्ठान या समारोह करने के अधिकार की रक्षा करता है। प्रत्येक हिंदू को मंदिर में प्रवेश करने, भगवान श्री विश्वनाथ के लिंग को छूने और स्वयं पूजा करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत राज्य को भगवान विश्वनाथ की पूजा के हिंदू रूप की धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करने की आवश्यकता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, मंदिर में प्राप्त रीति-रिवाजों या प्रयोगों के अनुसार। यह किसी विशेष तक सीमित नहीं है।

संप्रदाय या संप्रदाय। शैव पूजा में विश्वास करने वाले हैं -

कोई सांप्रदायिक संप्रदाय या हिंदुओं का कोई वर्ग नहीं, बल्कि वे हिंदू हैं। वे संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के तहत संरक्षण के हकदार हैं। हालाँकि, वे विशेष रूप से, अनुच्छेद *26* के खंड *(*बी*)* और *(*डी*)* के संरक्षण के हकदार नहीं हैं।

वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

प्रबंधन के मामले में एक धार्मिक संप्रदाय, अधिनियम के तहत मंदिरों का प्रशासन और शासन। द.

अतः अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के अधिकार के बाहर नहीं है। संविधान "।

(जोर दिया गया*)*

17. एन. आदित्यन बनाम। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और

(2002) 8 एस. सी. सी. *106,* इस न्यायालय ने एक व्यक्ति की नियुक्ति का निर्णय दिया

ला में पुजारी या मंदिर के पुजारी के रूप में एक मलयाला ब्राह्मण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। विभिन्न प्राधिकरणों को संदर्भित करने के बाद

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 16. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुच्छेद *25* प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करता है,

बेशक सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता और अन्य के अधीन

भाग *III* के प्रावधान, जिसमें अनुच्छेद *17* सहित मनोरंजन की स्वतंत्रता शामिल है

और बाहरी कृत्यों द्वारा प्रदर्शित करने के साथ-साथ प्रचार और प्रसार करें अपने निर्णय और विवेक के अनुसार ऐसी धार्मिक मान्यता

दूसरों की उन्नति। राज्य का ऐसा अधिरोपित करने का अधिकार जनता के आधार पर वांछित या आवश्यक पाए जाने वाले प्रतिबंध

व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता अनुच्छेद *25* और *26* में ही अंतर्निहित है।

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* राज्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। खुले में फेंकने के अलावा सामाजिक कल्याण और सुधार का प्रावधान करना

सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाएं और

हिंदुओं की धाराएँ और राज्य या राज्य के ऐसे कोई अधिकार समाज के समुदायों या वर्गों को भी आवश्यकता माना जाता था।

विभिन्न अधिकारों के सामंजस्य की प्रक्रिया में उचित विनियमन।

संविधान के संस्थापकों की स्वतंत्रता की दृष्टि

समाज अंधे और अनुष्ठानिक पालन से लेकर केवल पारंपरिक तक

बिना किसी कारण या तर्कसंगत आधार के अंधविश्वास पाए गए हैं

अनुच्छेद *17* के रूप में अभिव्यक्ति। कानूनी स्थिति है कि अनुच्छेद *25* और *26* के तहत संरक्षण अनुष्ठानों के लिए गारंटी देता है।

और पालन, समारोह और पूजा के तरीके जो हैं धर्म के अभिन्न अंग और वास्तव में क्या आवश्यक है

धर्म या धार्मिक प्रथा का हिस्सा अदालतों द्वारा तय किया जाना है।

किसी विशेष धर्म या प्रथाओं के सिद्धांत के संदर्भ में धर्म के अंगों के रूप में माने जाने वाले, समान रूप से दृढ़ता से निर्धारित किए गए।

17. जहाँ एक मंदिर का निर्माण और अभिषेक किया गया है

आगमों के अनुसार, दैनिक अनुष्ठान करना आवश्यक माना जाता है, *[2018] 9* एस. सी. आर. की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक पूजा और पाठ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूर्ति और ऐसा नहीं है कि किसी भी और हर मंदिर के संबंध में ऐसा कोई है

अनुष्ठानों की समान कठोरता को लागू करने की कोशिश की जा सकती है, इसकी उत्पत्ति, निर्माण के तरीके या अभिषेक की विधि को कम किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल एक योग्य व्यक्ति जो इस उद्देश्य के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, ही मंदिर में पूजा कर सकता है क्योंकि उसे न केवल गर्भगृह में प्रवेश करना है, बल्कि उसमें स्थापित मूर्ति को भी छूना है। इसलिए यह बिना कहे चला जाता है कि अनुष्ठान करने और पूजा करने के लिए किसी से जो आवश्यक और अपेक्षित है वह यह है कि उस विशेष देवता के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों और आवश्यकतानुसार मंत्रों का पाठ और पूजा करने की विधि को जानना।

पूजा इसके लिए नियत या नियत की गई है। उदाहरण के लिए, शैव मंदिरों या वैष्णव मंदिरों में, केवल एक व्यक्ति जो आवश्यक सीखता है

संबंधित मंदिरों में किए जाने और पाठ किए जाने के लिए अनुकूल और विशेष देवता की पूजा के लिए उपयुक्त संस्कार और मंत्रों को अर्चक के रूप में लगाया जा सकता है। यदि पारंपरिक रूप से या

परंपरागत रूप से, किसी भी मंदिर में, केवल एक ब्राह्मण होता था

पूजा करना या संथीकरण का कार्य करना, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अन्य लोग उस स्थिति में नहीं थे और वास्तव में, वैदिक साहित्य, संस्कारों या अनुष्ठानों के प्रदर्शन को सीखने, पाठ करने या

महारत हासिल करने और आदेश में दीक्षा लेकर पवित्र धागा पहनने से प्रतिबंधित थे और इस तरह सार्वजनिक या निजी मंदिरों में होम और अनुष्ठानिक रूपों की पूजा करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। नतीजतन, इस बात पर जोर देने का कोई औचित्य नहीं है कि इस मामले में एक ब्राह्मण या मलयाला ब्राह्मण, अकेले मंदिर में संस्कार और अनुष्ठान कर सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में है।

इस मामले में संस्थापक द्वारा विशेष रूप से बनाई गई किसी विशिष्ट प्रथा या उपयोग का कोई उचित अनुरोध या पर्याप्त सबूत नहीं रहा है। मंदिर या जिनके पास भारतीय युवा वकीलों के संगठन का प्रशासन करने का विशेष अधिकार है।

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विचाराधीन मंदिर के धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष मामलों, संविधान और अधिनियमित कानून द्वारा लाई गई बदली हुई कानूनी स्थिति में इसकी वैधता, औचित्य और वैधता को छोड़ दें।

संसद द्वारा। यह मंदिर भी किसी का नहीं है।

इस तरह के संप्रदाय या इसके श्रेय के लिए विशिष्ट पूजा के किसी भी विशेष रूप के साथ सांप्रदायिक श्रेणी। उक्त कारण से, एक अर्थ में, इस तरह की किसी भी प्रथा की अयोग्यता को संवैधानिक का उल्लंघन करने वाला कहना भी अनावश्यक हो जाता है।

संविधान के अनुच्छेद *14* से *17* और *21* में निहित जनादेश

भारत का "।

अंत में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 18. ... . पूर्व-संवैधानिक दिनों में उनके अस्तित्व के किसी भी प्रमाण के बावजूद किसी भी प्रथा या उपयोग को किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए कानून के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है जब यह मानवाधिकारों, गरिमा, सामाजिक समानता और संविधान के विशिष्ट जनादेश और संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है। ऐसा कोई भी उपयोग जो विनाशकारी पाया जाता है और जिसे देश के कानून का अपमान माना जाता है या जो सार्वजनिक नीति या सामाजिक शालीनता का विरोध करता है, उसे देश की अदालतों द्वारा स्वीकार या बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

18. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। तमिलनाडु राज्य और

ओआरएस। *, (2014) 5* एस. सी. सी. *75,* इस न्यायालय ने एक समर्पित मंदिर की संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए पोधु दीक्षितरों *(*स्मृति ब्राह्मणों*)* के दावे पर विचार किया। चिदम्बरम में श्री सबनायगर मंदिर में भगवान नटराज को। इस न्यायालय ने पैराग्राफ *24* में कहा कि अनुच्छेद *26* के तहत प्रदत्त अधिकार संविधान के भाग *3* के अन्य प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। तब यह

उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के एक हिस्से को निकाला, जिसमें कहा गया था कि पोधु दीक्षितर एक धार्मिक संप्रदाय, या किसी भी मामले में, इसका एक वर्ग हैं, क्योंकि वे एक बंद निकाय हैं, और क्योंकि कोई अन्य स्मार्त ब्राह्मण जो दीक्षितर नहीं है, वह प्रशासन या भगवान की पूजा में भाग लेने का

हकदार नहीं है। यह उनका अनन्य और एकमात्र विशेषाधिकार है जिसे कई शताब्दियों से मान्यता दी गई है और स्थापित किया गया है। इस न्यायालय का एक और दिलचस्प अवलोकन यह था कि अनुच्छेद *26* के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों को माफ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रतिस्थापित करने की शक्ति

एक धार्मिक संप्रदाय का प्रशासन, यदि केवल एक निश्चित उद्देश्य के लिए हो

और एक सीमित अवधि के लिए, इसे नियामक के रूप में पढ़ना होगा, अन्यथा, यह अनुच्छेद *26* में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. रिजु प्रसाद सरमा और ओआरएस में। वी. असम राज्य और

ओआरएस। *, (2015) 9* एस. सी. सी. *461,* यह न्यायालय धार्मिक विश्वास पर आधारित रीति-रिवाजों से निपटता था जो माँ नामक मंदिर के पुजारियों के परिवारों से निपटता था। कामाख्या मंदिर। इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने निर्णय दिया:

" 61. अनुच्छेद *25* और *26* के संबंध में सभी मामलों के कानूनों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तक यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुच्छेद *25 (2) (*ए*)* और अनुच्छेद *26 (*बी*)* प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने के अधिकार की गारंटी देते हैं।

अधीन और एक कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जिसके तहत विचार किया गया है

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के रूप में दोनों अनुच्छेदों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि सामाजिक सुधार या अनुच्छेद *25 (2)* द्वारा विचारित विनियमों की आवश्यकता आवश्यक धार्मिक प्रथाओं या उनके प्रदर्शन को समाप्त नहीं कर सकती है और उस धर्म के सिद्धांत के संदर्भ में ही यह पता लगाया जा सकता है कि किसी धर्म का आवश्यक हिस्सा क्या होगा। उपरोक्त स्थापित प्रस्तावों के समर्थन में, उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया है

दान *v.* श्री शिरूर के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी
मठ *[*ए. आई. आर *1954* एस. सी. *282: 1954* एस. सी. आर. *1005]* और श्री वेंकटरमण देवरू बनाम पर भी। मैसूर राज्य *[*ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *255*

: 1958 एससीआर *895] "*।

यह अवलोकन कि अनुच्छेद *25* द्वारा अनुध्यात विनियम आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं, विनियमों के रूप में समझने योग्य है।

प्रतिबंध नहीं हैं। हालांकि, सामाजिक सुधार कानून, जैसा कि ऊपर देखा गया है, धार्मिक प्रथा को खत्म करने की हद तक जा सकता है, अगर ऐसा किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर पाया जाता है। समान रूप से, धार्मिक आस्था को प्रभावित करने वाले सुधारों को लागू करने का कार्य अनुच्छेद *25 (2)* द्वारा राज्य के हाथों में छोड़ दिया गया है *(*पैराग्राफ *66* देखें*)*।

20. आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य में। वी.

तमिलनाडु सरकार और अन्र. , *(2016) 2* एस. सी. सी. *725, ("*आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम*"),* यह न्यायालय एक

तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू है और जिसके पास आवश्यक योग्यता और प्रशिक्षण है, उसे हिंदू में अर्चना के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

मंदिर। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद *16 (5)* का उल्लेख करते हुए कहा कि समानता के सिद्धांत से बनाए गए अपवाद में मंदिर का एक कार्यालय शामिल होगा, जिसके लिए धार्मिक भारतीय युवा वकीलों के संगठन के प्रदर्शन की भी आवश्यकता होती है।

वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कार्य। इसलिए, एक अर्चक, कानून द्वारा, किसी विशेष धर्म का पालन करने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हो सकता है। अदालत ने

उन्होंने कहा कि हालांकि आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन क्या है, यह इस संदर्भ में तय किया जाना चाहिए कि धार्मिक समुदाय स्वयं क्या कहता है, फिर भी, आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन क्या है, इसका अंतिम संवैधानिक मध्यस्थ न्यायालय होना चाहिए, जो संवैधानिक आवश्यकता का विषय है। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालयों द्वारा तय की गई संवैधानिक वैधता को सभी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का स्थान लेना चाहिए, और स्पष्ट किया कि आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन करने के लिए एक संप्रदाय की "पूर्ण स्वायत्तता" को संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* द्वारा परिकल्पित धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में राज्य की सीमित भूमिका के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि न्यायालयों को संवैधानिक अधिकारों और सिद्धांतों के मध्यस्थ के रूप में।

21. अतः इन निर्णयों का अवलोकन निम्नलिखित प्रस्तावों की ओर ले जाता हैः *21.1 .* अनुच्छेद *25* "सभी व्यक्तियों" के पक्ष में एक मौलिक अधिकार को मान्यता देता है जो प्राकृतिक व्यक्तियों के संदर्भ में है।

21.2 . यह मौलिक अधिकार ऐसे सभी व्यक्तियों को समान रूप से हकदार बनाता है -

21.3 . मौलिक अधिकार की सामग्री संविधान की प्रस्तावना में "विचार की स्वतंत्रता" के रूप में बताई गई है। विश्वास, विश्वास और पूजा "। इस प्रकार, सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है।

21.4 . धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार में विचार, विश्वास, विश्वास और पूजा को आगे बढ़ाने के लिए किए गए सभी कार्य शामिल होंगे।

21.5 . अधिकार की सामग्री स्वयं "धर्म" शब्द से संबंधित है। इस अनुच्छेद में धर्म का अर्थ व्यक्तियों या समुदायों के साथ विश्वास के मामले होंगे, जो विश्वासों या सिद्धांतों की एक प्रणाली पर आधारित हैं जो आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उपरोक्त का आस्तिक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो अज्ञेयवादी और नास्तिक हैं।

21.6. यह केवल धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, जैसा कि धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से अलग है, जो मौलिक अधिकार का विषय है।

अंधविश्वासी विश्वास जो *[2018] 9* एस. सी. आर. के लिए बाहरी, अनावश्यक वृद्धि हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनिवार्यता पहलू पर अलग-अलग आवाजों के साथ बात करते हुए, न्यायालय को यह तय करना है कि ऐसा मामला आवश्यक है या नहीं। धार्मिक गतिविधियों को धर्मनिरपेक्षता के साथ भी मिलाया जा सकता है। गतिविधियाँ, जिस स्थिति में गतिविधि परीक्षण की प्रमुख प्रकृति को लागू किया जाना है। न्यायालय को एक सामान्य ज्ञान वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यावहारिक आवश्यकता के विचारों से प्रेरित होना चाहिए।

21.7. इस व्यक्तिगत अधिकार के अपवाद सार्वजनिक व्यवस्था हैं,

नैतिकता और स्वास्थ्य "। सार्वजनिक व्यवस्था को "कानून और व्यवस्था" से अलग किया जाना है। सार्वजनिक अव्यवस्था "को कुछ व्यक्तियों के विपरीत बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी एक सामान्य स्थिति का कारण बननी चाहिए

सार्वजनिक शांति को बाधित करना। "नैतिकता" शब्द को परिभाषित करना मुश्किल है। वर्तमान में, यह कहना पर्याप्त है कि यह उस चीज़ को संदर्भित करता है जिसे सभ्य समाज के लिए घृणित माना जाता है, उस समय की आदतों को देखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, शोषण या पतन के कारण होने वाले नुकसान के कारण। *2* "स्वास्थ्य" में ध्वनि प्रदूषण और रोग का नियंत्रण शामिल होगा।

21.8. द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का एक और अपवाद

अनुच्छेद *25 (1)* वे अधिकार हैं जो भाग *III* के अन्य प्रावधानों द्वारा दूसरों को प्रदान किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि अगर किसी को प्रचार करना है

एक व्यक्ति का धर्म इस तरह से कि वह दूसरे धर्म के व्यक्ति का धर्मांतरण करे, इस तरह का धर्मांतरण दूसरे व्यक्ति के विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ टकराव होगा और इसलिए, इसे बाधित किया जाएगा। जहाँ अभ्यास

राज्य द्वारा धर्म के अनुच्छेद *14,15 (1), 19* और *21* में हस्तक्षेप किया जाता है।

2 विद्वान न्यायमित्र, श्री राजू रामचंद्रन ने हमें "नैतिकता" शब्द को "संवैधानिक नैतिकता" के रूप में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, जैसा कि हमारे हाल के कुछ निर्णयों में समझाया गया है। यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो यह नहीं भुलाया जा सकता है कि यह पिछले दरवाजे से संविधान के भाग *III* के अन्य प्रावधानों को लाएगा, जो अनुच्छेद *25 (1)* के विपरीत अनुच्छेद *26* के अधीन नहीं है। किसी भी मामले में, अनुच्छेद *26* के तहत मौलिक अधिकार को इन अधिकारों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के मामले के रूप में भाग *III* में निहित अन्य अधिकारों के साथ संतुलित करना होगा जैसा कि श्री वेंकटरमण देवरू *(*उपरोक्त*)* में माना गया था। लेकिन यह केवल

मामले-दर-मामले के आधार पर होगा, आवश्यक रूप से अनुच्छेद *26* के तहत मौलिक अधिकार को भाग *III* में निहित अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन किए बिना।

21.9 . अनुच्छेद *25 (2)* भी अनुच्छेद *25 (1)* का एक अपवाद है, जो राज्य द्वारा ऐसे कानून बनाने की बात करता है जो धर्मनिरपेक्षता को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकते हैं। गतिविधि, जिसमें आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधि शामिल है, जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है-अनुच्छेद *25 (2) (ए)* देखें।

21.10 . एक अन्य अपवाद अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत प्रदान किया गया है जो दो भागों में है। समाज कल्याण और सुधार का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून धार्मिक समुदाय अनुच्छेद *25 (1)* के तहत दिए गए मौलिक अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है और/या छीन सकता है। एक और अपवाद केवल हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रदान किया गया है, जो सार्वजनिक चरित्र की सभी हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी के लिए खुला रखना है।

हिंदुओं के वर्ग और वर्ग।

यह व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों या उनके वर्गों को दिया जाता है। एक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग का निर्धारण एक समान विश्वास, एक सामान्य संगठन रखने वाले व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है, और एक विशिष्ट नाम से एक संप्रदाय या उसके अनुभाग के रूप में नामित किया जाता है। एक विशेष धर्म के विश्वासियों से अलग किया जाना है सांप्रदायिक उपासक। इस प्रकार, शैव और वैष्णव पूजा के हिंदू विश्वासी सांप्रदायिक उपासक नहीं हैं, बल्कि पूजा के सामान्य हिंदू धार्मिक रूप का हिस्सा हैं।

21.12 . अनुच्छेद *26* द्वारा धार्मिक संप्रदायों या उनकी धाराओं को चार अलग-अलग और विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, अर्थात्:

> *"(*क*)* धार्मिक और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना।
>
> धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए;
>
> *(*ग*)* चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना; और
> *(*घ*)* कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना। "

3 हमें विद्वान न्यायमित्र श्री राजू रामचंद्रन ने अनुच्छेद *17* का व्यापक अर्थ निकालने के लिए आमंत्रित किया था, न कि केवल उन लोगों को शामिल करने के लिए जो संविधान के निर्माण के समय ऐतिहासिक रूप से अछूत थे। हमने ऐसा करने से परहेज किया है क्योंकि अनुच्छेद *25 (1)* के आधार पर हमारे निष्कर्ष को देखते हुए, यह सीधे तौर पर इस मामले के तथ्यों पर निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होगा।

21.13 . अनुच्छेद *26* के तहत दिया गया मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अपवाद के अधीन है। हालाँकि, चूंकि अनुच्छेद *26* के तहत दिए गए अधिकार को अनुच्छेद के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना है *25 (2) (* ख*)*, विशेष रूप से अनुच्छेद *26 (*ख*)* द्वारा प्रदत्त धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार, अनुच्छेद *25 (2) (*ख*)* के तहत बनाए गए कानूनों के अधीन होगा जो हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की धार्मिक संस्थाओं को खोलते हैं।

21.14 . इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भले ही किसी सार्वजनिक चरित्र के हिंदू मंदिर में व्यक्तियों का प्रवेश उसके प्रबंधन से संबंधित होगा।

धर्म के मामलों में अपने मामले, फिर भी इस तरह के मंदिर में प्रवेश एक कानून के अधीन होगा जो एक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग के स्वामित्व और प्रबंधन वाली सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों या वर्गों के लिए खोल देगा। हालाँकि, धार्मिक प्रथाओं द्वारा

धार्मिक संप्रदाय या उसकी धारा, जिसका कुछ व्यक्तियों के मंदिर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रभाव नहीं है, या अन्यथा भेदभावपूर्ण नहीं है, अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत पारित हो सकती है। इस तरह की प्रथाओं के उदाहरण हैं कि केवल कुछ योग्य व्यक्ति हैं - एक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति, या एक मंदिर का समय प्रबंधन जिसमें सभी व्यक्तियों को निश्चित रूप से बंद कर दिया जाता है

अवधियाँ।

22. इस स्तर पर, एस. महेंद्रन बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। द.

सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य। , ए. आई. आर. *1993* केर *42*। श्री एस. महेंद्रन द्वारा दायर एक याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया गया था। याचिका में युवा महिलाओं द्वारा सबरीमाला मंदिर में पूजा करने की शिकायत की गई थी। प्रभाग

पीठ ने तीन प्रश्न रखे जो इस प्रकार उत्पन्न हुए:

"12. जिन प्रश्नों के लिए इस मूल याचिका में उत्तर की आवश्यकता है
ये हैं:

(1) चाहे *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को वर्ष की किसी भी अवधि में या मंदिर में आयोजित किसी भी त्योहार या पूजा के दौरान सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) क्या उस वर्ग की महिलाओं के प्रवेश से इनकार करना भेदभाव के बराबर है और इसका उल्लंघन है
भारत के संविधान के अनुच्छेद *15,25* और *26* और भारतीय युवा वकील एएसएसएन।

वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(3) क्या इस अदालत द्वारा देवस्वम बोर्ड और केरल सरकार को ऐसी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया जा सकता है*?*

डिवीजन बेंच ने सभी महत्वपूर्ण *"*व्रत*" (41* दिन का तपस्या*)* का उल्लेख किया, जो डिवीजन बेंच के अनुसार, महिलाओं के बीच है।

10 और *50* वर्ष की आयु शारीरिक रूप से अवलोकन करने में सक्षम नहीं होगी। पैराग्राफ *7* में, डिवीजन बेंच ने कहा कि जबकि पुराने रीति-रिवाज प्रचलित थे, महिलाएं मंदिर जाती थीं, हालांकि शायद ही कभी, जिसके परिणामस्वरूप कोई प्रतिबंध नहीं था। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि हाल के वर्षों में भी कई महिलाएं

शारीरिक कारणों से *41* दिनों की अवधि में उन्हें सबरीमाला की तीर्थयात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह भी माना जाता था कि देवता एक नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में हैं, जिसके परिणामस्वरूप, युवा महिलाएं मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, ताकि देवता द्वारा ब्रह्मचर्य और तपस्या से थोड़ा भी विचलन ऐसी महिलाओं की उपस्थिति के कारण न हो। इसलिए, पैराग्राफ *44* में डिवीजन बेंच का निष्कर्ष इस प्रकार था:

" 44. हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(1) 10 वर्ष से अधिक और *50* वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियों पर चढ़ाई करने और *9* एस. सी. आर. चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सबरीमाला मंदिर में पूजा उपयोग के अनुसार होती है।

अनादिकाल से प्रचलित है।

(2) देवस्वम बोर्ड द्वारा लगाया गया ऐसा प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद *15,25* और *26* का उल्लंघन नहीं है।

(3) इस तरह का प्रतिबंध भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है

हिंदू लोक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* क्योंकि मंदिर में प्रवेश के मामले में हिंदुओं के बीच एक धारा और दूसरी धारा के बीच या एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि
निषेध केवल एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के संबंध में है।

और महिलाओं को एक वर्ग के रूप में नहीं।

23. इस अदालत के समक्ष दायर वर्तमान रिट याचिका में, सबरीमाला मंदिर के एक थांथ्री द्वारा दिनांक *23.04.2016* पर दायर एक हलफनामे में कहा गया है पढ़ना दिलचस्प है। हलफनामे के अनुसार, दो ब्राह्मण भाई

मंदिर केवल हर मलयालम महीने के पहले पांच दिनों के दौरान और मंडलम, मकरविलक्कु और विशु के त्योहारों के दौरान खुला रहता है। उल्लेखनीय है कि उक्त मंदिर में कोई दैनिक पूजा नहीं की जाती है। यह कहा गया है इस हलफनामे में कि भगवान अयप्पा ने स्वयं समझाया था कि सबरीमाला की तीर्थयात्रा केवल व्रत के प्रदर्शन से की जा सकती है, जो धार्मिक तपस्याएं हैं जो मनुष्य को आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए प्रशिक्षित करती हैं।

हलफनामे का पैराग्राफ *10* महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार कहता हैः

"10. मेरा कहना है कि "वृथम" के पालन के हिस्से के रूप में, व्यक्ति

सबरीमाला की तीर्थयात्रा पर जाना खुद को सभी पारिवारिक संबंधों से अलग करता है और एक छात्र ब्रह्मचारी बन जाता है जो शास्त्रों के तहत उपजाऊ आयु वर्ग की महिलाओं के साथ किसी भी संपर्क पर प्रतिबंध लगा देता है। हर जगह जब कोई "वृथम" लेता है, तो या तो महिलाएं घर छोड़कर कहीं और निवास करती हैं या पुरुष अलग हो जाते हैं।

परिवार से स्वयं ताकि घर में सामान्य असौच उनके "वृथम" को प्रभावित न करें। महिलाओं के साथ समस्या यह है कि भारतीय युवा वकील एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

वे *41* दिनों के वृथम को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि मासिक धर्म का असौचम निश्चित रूप से *41* दिनों के भीतर गिर जाएगा। यह केवल एक शारीरिक घटना नहीं है। यह सभी हिंदुओं में प्रथा है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिरों में नहीं जाती हैं या धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती हैं। यह मूल तांत्रिक के कथन के अनुसार है।

केरल में मंदिर की पूजा का पाठ थंत्र समुचायम, अध्याय *10*, श्लोक *II*। थंत्र समुच्छय के प्रासंगिक पृष्ठ की एक वास्तविक प्रति इसके साथ संलग्न है और इसे अनुलग्नक ए-*1* के रूप में चिह्नित किया गया है।

(पृष्ठ *30-31) "*।

इसके बाद हलफनामे में कहा गया है कि शास्त्र मासिक धर्म वाली महिलाओं द्वारा धार्मिक तपस्या को मना करते हैं, यही कारण है कि उम्र से ऊपर की महिलाएं

10 और *50* वर्ष से कम आयु के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हलफनामे में पैराग्राफ *15* में कहा गया हैः

" 15. ... . इस अवधि के दौरान, कई महिलाएं सिरदर्द, शरीर में दर्द, उल्टी आदि जैसी शारीरिक असुविधाओं से प्रभावित होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में इकतालीस दिनों तक गहन और पवित्र आध्यात्मिक अनुशासन संभव नहीं हैं। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए है कि युवा महिलाओं को सबरीमाला तीर्थयात्रा में जाने की अनुमति नहीं है।

शपथ पत्र में गैर-प्रविष्टि के उपयोग के लिए दिया गया दूसरा कारण

इन आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या इस प्रकार हैः

"*24.* कि सबरीमाला में देवता एक 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में हैं और यही कारण है कि युवा महिलाएं नहीं हैं मंदिर में प्रार्थना करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि देवता द्वारा ब्रह्मचर्य और तपस्या से थोड़ा भी विचलन ऐसी महिलाओं की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। .....

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जैविक या शारीरिक घटना के कारण महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है।

मासिक धर्म, जो धार्मिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को मना करता है। दूसरा कारण यह दिया गया है कि युवा महिलाओं को किसी भी तरह से देवता, जो एक नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में हैं, को ब्रह्मचर्य और तपस्या से विचलित नहीं करना चाहिए।

24. सभी पुराने धर्म महिलाओं में मासिक धर्म की घटना को अशुद्ध बताते हैं, जो इसलिए, मासिक धर्म में उनकी भागीदारी को मना करता है।

धार्मिक गतिविधि। इस प्रकार, पुराने नियम में, लैव्यव्यवस्था की पुस्तक के अध्याय *15*, श्लोक *19* में, यह कहा गया है:

"*19.* और अगर एक महिला को कोई समस्या है, और उसके शरीर में उसका मुद्दा है

वह शाम तक अशुद्ध रहेगी। *4* इसी तरह वशिष्ठ के धर्मसूत्र में एक दिलचस्प कथा है।

जिन महिलाओं को मासिक धर्म हुआ था, उन्हें इस प्रकार बताया गया है:

"मासिक धर्म वाली महिला तीन दिन तक अपवित्र रहती है। उसे करना चाहिए।

उसकी आँखों पर कोलिरियम या उसके शरीर पर तेल न लगाएं, या नहाने से बचें। पानी; उसे फर्श पर सोना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए;

उसे आग को नहीं छूना चाहिए, रस्सी नहीं बनानी चाहिए, दाँत ब्रश नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। मांस, या ग्रहों को देखो; उसे हँसना नहीं चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, या

भागना; और उसे एक बड़े बर्तन से या अपने कप से पीना चाहिए हाथ या तांबे का बर्तन। क्योंकि यह कहा गया है: 'इंद्र, उसके बाद

त्वास्त्र के तीन सिर वाले बेटे को मार डाला, पाप द्वारा पकड़ा गया, और वह

उन्होंने खुद को इस तरह से देखा: एक बहुत बड़ा अपराध

मुझसे जुड़ता है "। और सभी प्राणियों ने उसके खिलाफ शिकायत की: " ब्राह्मण

इसका एक तिहाई हिस्सा एक ब्राह्मण की हत्या करने का मेरा अपराध है। उन लोगों ने पूछाः क्या? क्या हम प्राप्त करेंगे? "उन्होंने जवाब दियाः एक इच्छा कीजिए "। उन्होंने कहाः आओ हम।

हमारे मौसम के दौरान संतान प्राप्त करें, और आइए हम यौन संबंध का आनंद लें

हम जन्म देने तक स्वतंत्र रूप से संभोग करते हैं। "उन्होंने जवाब दियाः तो ऐसा ही हो! "और

उन्होंने अपना दोष अपने ऊपर ले लिया। ब्राह्मण को मारने का वह अपराध

हर महीने प्रकट होता है। इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए।

एक ब्राह्मण की हत्या के अपराध का पहलू '। 5 इसी तरह के प्रभाव के लिए कैंटो 6 के अध्याय 9 और 13 हैं

अवतार पुराण जो इस प्रकार हैः

" 6.9. 9 . भगवान इंद्र के आशीर्वाद के बदले में कि वे होंगे

गर्भावस्था के दौरान भी लगातार कामुक इच्छाओं का आनंद लेने में सक्षम

जब तक सेक्स भ्रूण के लिए हानिकारक नहीं है, महिलाओं ने स्वीकार किया पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं का एक चौथाई। उन प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप,

" 6.13. 5 . राजा इन्द्र ने उत्तर दियाः जब मैंने विश्वरूप को मारा, तो मुझे मिला व्यापक पापपूर्ण प्रतिक्रियाएँ, लेकिन मुझे महिलाओं द्वारा पसंद किया गया, भूमि,

टीका 15: 19 (राजा जेम्स संस्करण)। मसुत्रस-अपस्तम्ब, गौतम, बौधायन और वशिष्ठ के कानून संहिताएँ

(पैट्रिक ओलिवेल द्वारा अनुवाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999)।

सद भागवतम-छठा कैंटो (ए. सी. भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा अनुवादित)

हुपाड़ा, द भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, 1976)।

डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

पेड़ और पानी, और इसलिए मैं पाप को विभाजित करने में सक्षम था उन्हें। लेकिन अब अगर मैं एक और ब्राह्मण वृत्रासुर को मार दूंगा, तो मैं कैसे मारूंगा?

पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से खुद को मुक्त करें? ?

इसके अलावा, कुरान के अध्याय 2, आयत 222 में इस प्रकार कहा गया हैः

"222. वे आपसे मासिक धर्म (संबंधित आदेशों) के बारे में भी पूछते हैं। कहोः "यह चोट (और अनुष्ठान अशुद्धता) की स्थिति है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं से दूर रहें और ऐसा न करें।

जब तक वे साफ नहीं हो जाते, तब तक उनके पास जाएँ। जब वे शुद्ध हो जाएँ, तो *(*आप*)* उनके पास जाएँ क्योंकि अल्लाह ने आपको आदेश दिया है *(*आपके स्वभाव में दिए गए आग्रह के अनुसार, और आपकी शर्तों के अनुसार*)*। निश्चय ही अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो *(*पिछले पापों और गलतियों के*)* पश्चाताप में उसकी ओर मुड़ते हैं।

और वह उन लोगों से प्यार करता है जो खुद को शुद्ध करते हैं। *8*

मार्क के सुसमाचार में, कहा जाता है कि यीशु ने एक ऐसी महिला को ठीक किया था जो *12* साल से रक्त की समस्या से पीड़ित थी, जो वास्तव में अशुद्ध थी।

वीएसः

" 25. और एक औरत, जिसे खून की समस्या थी बारह

वर्षों से, *26.* और कई डॉक्टरों से बहुत कुछ झेला था, और अपना सब कुछ खर्च कर दिया था, और कुछ भी बेहतर नहीं था, बल्कि बढ़ गया था

इससे भी बदतर,

27. जब उसने यीशु के बारे में सुना, तो पीछे प्रेस में आई, और

उसके कपड़े को छुआ।

28. क्योंकि उसने कहा, अगर मैं उसके कपड़ों को छू सकती हूं, तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी।
29. और तुरंत उसके खून का फव्वारा सूख गया; और

उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वह उस प्लेग से ठीक हो गई है।

30. और यीशु, तुरंत अपने आप में जानते हुए कि उनमें से सद्गुण निकल गए हैं, उन्हें प्रेस में घुमाया, और कहा, कौन*?*

मेरे कपड़ों को छुआ*?*

31. और उसके चेलों ने उससे कहा, तू बहुत कुछ देख रहा है।

आप भीड़, और आप कहते हैं, मुझे किसने छुआ*?*

32. और उसने उसे देखने के लिए चारों ओर देखा जिसने यह काम किया था।

कुरान-आधुनिक अंग्रेजी में किसी भी तरह की दखलअंदाजी के साथ, *2: 222 (* अनुवाद

अली उनल, तुगरा बुक्स यूएसए, *2015)*।

उस में किया, आया और उसके सामने गिर गया, और उसे सब कुछ बताया
सच।

34. और उस ने उस से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ किया है।

शांति से जाओ, और अपनी महामारी से मुक्त रहो। कोई
तुरंत देख सकता है कि जिस महिला ने यीशु को छुआ था

यीशु के ज्ञान के बिना, क्योंकि महिला के बारे में पता चलने पर

लेकिन, यीशु "अपने आप में जानते थे कि उनमें से सद्गुण निकल गया था"।

समान रूप से, बुंदाहिश्न में, सृष्टि से संबंधित एक पाठ

ओरोस्ट्रियनवाद, यह कहा जाता है कि एक आदिम वेश्या जेह को अपने कुकर्मों के कारण मासिक धर्म के कारण बुलाती है। अध्याय *3*, आयत *6*

8 बुंदाहिश्न इस प्रकार हैं:

"*6.* और, फिर से, दुष्ट जेह इस प्रकार चिल्लाया: 'उठो, पिता।

हम में से*!* क्योंकि उस संघर्ष में मैं इस पर इतना गुस्सा बहाऊंगा

वांछित नहीं होगा, और मैं उनकी जीवित आत्माओं को नष्ट कर दूंगा *(*निस्मो*);* मैं करूँगा
मैं पानी को लूंगा, मैं पौधों को लूंगा, मैं ओहरमाज़द की आग को लूंगा,

मैं ओहर्माज़द की पूरी रचना को परेशान कर दूंगा। '

7. और उसने दूसरी बार उन बुरे कामों का वर्णन किया, कि

उसने जेह को सिर पर चूमा, और प्रदूषण जिसे वे कहते हैं
जेह में मासिक धर्म स्पष्ट हो गया।

8. उसने जेह को इस प्रकार चिल्लाया: 'तेरी क्या इच्छा है*?* ताकि मैं दे सकूं

यह आप हैं। 'और जेह दुष्ट आत्मा को इस प्रकार चिल्लाया: 'एक आदमी एक इच्छा है,

तो मुझे दे दो। " " *10*

ज़ादस्प्राम, अध्याय *34*, श्लोक *31* के चयनों में यह कहा गया है:

उसे, ताकि वह महिलाओं को अशुद्ध कर सके; और महिलाओं, क्योंकि वे
अपवित्र थे, पुरुषों को अपवित्र कर सकते थे, और *(*पुरुष*)* मुड़ जाते थे

उनके उचित काम के अलावा "। *11*

निशान *5: 25-34 (* राजा जेम्स संस्करण*)*।

द बुंडाहिशन-"क्रिएशन" या नॉलेज फ्रॉम द जैंड *(*ई. डब्ल्यू. वेस्ट द्वारा अनुवाद, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट से, वॉल्यूम। *5* , *37* , और *46*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,

1880 , 1892 , और *1897)*।

ज़ादस्प्राम की चयन *(*विज़िदागिहा *I* ज़ादस्प्राम*) (*जोसेफ एच. पीटरसन एड। *, 1995) (* ई. डब्ल्यू. वेस्ट द्वारा अनुवाद, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट से, खंड। *5 , 37 ,* और *46,*

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *1880,1892* और *1897)*।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

हालाँकि, हाल के धर्मों जैसे सिख धर्म और

बहाई धर्म, मासिक धर्म के बारे में एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण लिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई अनुष्ठानिक अशुद्धता शामिल नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब मासिक धर्म को अशुद्धता से मुक्त एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं। प्रजनन के लिए आवश्यक। *1 3* इसी तरह, बहाई धर्म में, अनुष्ठान अशुद्धता की अवधारणा को बहाउल्लाह द्वारा समाप्त कर दिया गया है। *1 4*

25. इस मामले के उद्देश्य के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिए गए कारण सबरीमाला मंदिर को उपासक और थंथरी समान रूप से अपने विश्वास का एक अनिवार्य पहलू मानते हैं।

26. पहला सवाल यह उठता है कि क्या सबरीमाला मंदिर को अनुच्छेद *26* के उद्देश्य के लिए एक धार्मिक संप्रदाय कहा जा सकता है।

सभी प्रकार के मुसलमान, ईसाई आदि, बिना किसी भी तरह से हिंदू, ईसाई या मुसलमान बने, उपासक के रूप में मंदिर जाते हैं। इसलिए उन्हें हिंदुओं के रूप में माना जा सकता है, जैसा कि श्री आदि विशेश्वर *(*उपरोक्त*)* में माना गया है, जो भगवान अयप्पा की मूर्ति की पूजा हिंदू धार्मिक पूजा के हिस्से के रूप में करते हैं, लेकिन सांप्रदायिक उपासकों के रूप में नहीं। यही बात अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों के लिए भी लागू होती है। हमें याद होगा कि दरगाह समिति *(*उपरोक्त*)* में, इस न्यायालय ने कहा था कि चूंकि सभी धार्मिक आस्थाओं के व्यक्ति तीर्थस्थल के रूप में दरगाह जाते हैं, इसलिए यह मानना आसान नहीं होगा कि वे एक धार्मिक संप्रदाय या उसका एक खंड हैं। हालांकि, के उद्देश्य के लिए *12 2* श्री गुरु ग्रंथ साहिबः मूल पाठ का अंग्रेजी अनुवाद *466-467 (*डॉ. गोपाल सिंह, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुवाद। लिमिटेड, *2005) [*जिसका अनुवाद राग आसा, शलोका मेहला *1* पृष्ठ पर है। *472* श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मूल पाठ का*]*। *13 4* श्री गुरु ग्रंथ साहिबः मूल पाठ का अंग्रेजी अनुवाद *975 (*डॉ. गोपाल सिंह द्वारा अनुवाद, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, *2005) [*जो राग मारू का अनुवाद करता है, पी पर मेहला *1*। *1022* श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मूल पाठ का*]*।

14 किताब-*I*-बहाउल्लाह द्वारा ए. क्यू. डी. ए. एस., पृष्ठ *106* पर टिप्पणी करें। *122 (* शोघी एफ़ेंदी द्वारा अनुवाद, बहाई विश्व केंद्र, *1992)*।

अपील करते हुए, उन्होंने पक्षों के बीच विवाद से इस आधार पर निपटने का प्रस्ताव रखा कि चिश्तिया संप्रदाय, जिसका उत्तरदाताओं ने प्रतिनिधित्व किया था,

एक अलग धार्मिक संप्रदाय, जो सूफियों का एक उप-संप्रदाय है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हमें यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एस. पी. मित्तल *(ऊपर)* में, बहुमत के फैसले में यह नहीं माना गया था, और इसलिए, यह माना गया कि "अरविंदोवाद" एक धार्मिक संप्रदाय था, इस तथ्य को देखते हुए कि ऑरोविले फाउंडेशन सोसाइटी ने इस आधार पर आयकर से छूट का दावा किया था कि यह एक धर्मार्थ संगठन था, न कि एक धार्मिक संगठन, और खुद को एक गैर-धार्मिक संगठन माना। इसके अलावा, बहुमत के फैसले के पैराग्राफ *106* में जिस शक्तिशाली तर्क को संबोधित किया गया था, कि ऑरोविले सोसायटी में शामिल होने वाले व्यक्तियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसने इस तथ्य में भी बहुत सार जोड़ा कि ऑरोविले सोसाइटी को अनुच्छेद *26* के उद्देश्य के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में नहीं माना जा सकता है। चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. अकेले, असहमति में, इस तथ्य पर जोर दिए बिना कि जो व्यक्ति समाज का हिस्सा हैं, वे अपने धर्म का पालन करना जारी रखते हैं, ऑरोविले सोसायटी को एक धार्मिक संप्रदाय मानते हैं। *27.* इन परिस्थितियों में, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस विशेष मंदिर के उपासकों को कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है।

जिसकी पूजा सभी प्रकार के हिंदुओं द्वारा की जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *26* इसके तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं होता है। मामला।

28. इस मामले में, भले ही हम यह मान लें कि *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश से बाहर रखने का एक रिवाज या उपयोग है।

सबरीमाला मंदिर, और यह कि यह प्रथा थंथ्रियों के साथ-साथ उपासकों की आस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, यह प्रथा या उपयोग है

केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(प्रवेश प्राधिकरण)* अधिनियम, *1965* की धारा *3* स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है, जिसमें कहा गया है:

"*3.* सार्वजनिक पूजा स्थल सभी वर्गों और हिंदुओं के वर्गों के लिए खुले रहेंगे: - तत्काल लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद या किसी प्रथा या उपयोग या किसी ऐसे कानून या अदालत के किसी डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी साधन के बावजूद, जनता का हर स्थान

ऐसी पूजा जो आम तौर पर हिंदुओं या उनके किसी भी वर्ग या वर्ग के लिए खुली हो, हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुली होगी; भारतीय युवा वकील।

और किसी भी धारा या वर्ग का कोई भी हिंदू, किसी भी तरह से,

सार्वजनिक पूजा के ऐसे स्थान में प्रवेश करने या वहां पूजा करने या प्रार्थना करने या उसमें कोई धार्मिक सेवा करने से रोका जाएगा, बाधित किया जाएगा या हतोत्साहित किया जाएगा।

जिस हद तक किसी भी वर्ग या वर्ग का कोई अन्य हिंदू प्रवेश कर सकता है, पूजा कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है या प्रदर्शन कर सकता हैः

बशर्ते कि सार्वजनिक पूजा की जनता के मामले में, जो कि किसी धार्मिक संप्रदाय या उसकी धारा के लाभ के लिए स्थापित एक मंदिर है, इस धारा के प्रावधान, उस धार्मिक संप्रदाय या धारा के अधिकार के अधीन होंगे, जो धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए हो।

चूँकि धारा का परंतुक इस मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं है, और चूंकि उक्त अधिनियम स्पष्ट रूप से इसके तहत अधिनियमित एक उपाय है

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)*, अनुच्छेद *25 (1)* के तहत धार्मिक अभ्यास के एक आवश्यक मामले के रूप में प्रथा और उपयोग के आधार पर दावा किया गया कोई भी धार्मिक अधिकार, अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत बनाए गए उपरोक्त कानून के अधीन होगा। अतः उक्त प्रथा या उपयोग को धारा *3* का उल्लंघनकारी माना जाना चाहिए।

और इसलिए, मारा गया।

29. अन्यथा भी, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के मौलिक अधिकार को निस्संदेह अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा मान्यता दी गई है। प्रथा और उपयोग के आधार पर थंथ्रियों और संस्था के उपासकों द्वारा दावा किया गया मौलिक अधिकार उसी अनुच्छेद *25 (1)* के तहत, अनिवार्य रूप से ऐसी महिलाओं के मौलिक अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म का पालन करने के समान रूप से हकदार हैं, जो तब तक अर्थहीन होगा जब तक कि उन्हें भगवान अयप्पा की मूर्ति की पूजा करने के लिए सबरीमाला के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह तर्क कि सभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से मना नहीं किया गया है, कोई फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, यह तर्क कि ऐसी महिलाएं अन्य अयप्पा मंदिरों में पूजा कर सकती हैं, धर्म का पालन करने के उनके मौलिक अधिकार से इनकार करने का कोई जवाब नहीं है, जिसमें उनकी पसंद के किसी भी मंदिर में पूजा करने का अधिकार शामिल है। इस आधार पर भी, धर्म का पालन करने का अधिकार, जैसा कि थंथ्रियों और उपासकों द्वारा दावा किया गया है, *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए और उन्हें मासिक धर्म के जैविक आधार के आधार पर सबरीमाला में मंदिर में प्रवेश करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थलों का नियम *3 (*बी*)*

(प्रविष्टि प्राधिकरण*)* नियम, *1965* में निम्नानुसार कहा गया हैः

"3. यहाँ उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग नहीं होंगे -

सार्वजनिक पूजा या स्नान के किसी भी स्थान पर पूजा करने का अधिकार

या किसी पवित्र टंकी, कुएँ, झरने या जलमार्ग के पानी का उपयोग करना।

सार्वजनिक पूजा के स्थान से संबंधित, चाहे वह उसके भीतर स्थित हो या

उसके परिसर के बाहर, या कोई पवित्र स्थान जिसमें कोई पहाड़ी या स्थान भी शामिल हो।

पहाड़ी ताला, या एक सड़क, सड़क या मार्ग जो प्राप्त करने के लिए आवश्यक है

सार्वजनिक पूजा स्थल तक पहुँचः

XXX XXX XXX

सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति।
XXX XXX "

उपर्युक्त नियम केरल की धारा *3* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* और

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *15 (1)* द्वारा प्रभावित है क्योंकि यह नियम महिलाओं के साथ केवल उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करता है।

30. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उन्होंने कहा कि वर्तमान रिट याचिका, जो एक जनहित याचिका की प्रकृति में है, विचारणीय नहीं है क्योंकि कोई भी महिला उपासक इस याचिका के साथ आगे नहीं आई है कि उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं देकर उसके साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि वह *10* से *50* वर्ष की आयु के बीच है। इसी तरह का तर्क आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम *(*ऊपर*)* में भी उठाया गया था जिसे निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया थाः

" 12. ..... यह तर्क कि वर्तमान रिट याचिका आधारित है
सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति से संबंधित कारण पर और इसलिए

जो बड़ी संख्या में लोगों की धार्मिक आस्था और व्यवहार से संबंधित है
देश के नागरिकों और सदियों पुरानी परंपराओं के दावे उठाते हैं

और कानून का बल रखने वाला उपयोग। उपरोक्त दूसरा है

जमीन,

अर्थात्, उत्पन्न होने वाले मुद्दों की गंभीरता, जो हमें बनाने के लिए प्रेरित करती है
रिट में उठाए गए और उत्पन्न होने वाले मुद्दों का जवाब देने का प्रयास

उसके गुण-दोषों के निर्धारण के लिए याचिकाएँ।

वर्तमान मामला आम तौर पर महिलाओं से संबंधित गंभीर मुद्दों को उठाता है।

जिनकी आयु *10* से *50* वर्ष के बीच होती है और जिन्हें भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. की अनुमति नहीं है।

वी. केरल राज्य

सबरीमाला के मंदिर में एक शारीरिक या जैविक कार्य के आधार पर प्रवेश जो उन उम्र की सभी महिलाओं के लिए सामान्य है। चूँकि यह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* से संबंधित दूरगामी परिणामों को उठाता है, इसलिए हमने इसे आवश्यक पाया है -

इस मामले को योग्यता के आधार पर तय करें। नतीजतन, यह तकनीकी याचिका संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले संवैधानिक न्यायालय के रास्ते में नहीं आ सकती है।

हाथ में मामला।

31. प्रत्यर्थियों की ओर से कुछ वकीलों द्वारा एक जोरदार याचिका दायर की गई थी कि अदालत को इस मामले का फैसला बिना किसी निर्णय के नहीं करना चाहिए।

दोनों तरफ से सबूत पेश किए जा रहे हैं। रिट याचिका और रिट याचिका में दायर किए गए हलफनामों के रूप में, याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ बोर्ड द्वारा और थंथरी के हलफनामे के रूप में बहुत कुछ है। यह नहीं भूलना चाहिए कि अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *226* के तहत दायर एक रिट याचिका अपने आप में केवल एक अभिवचन नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य भी है। *(* भरत सिंह और ओआरएस देखें। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *, 1988* उदाहरण के लिए *(2) 1059* पर एससीआर *1050)*।

32. तथ्य, जैसा कि वे रिट याचिका और उपरोक्त हलफनामों से सामने आते हैं, हमारे लिए इस रिट याचिका का निपटारा करने के लिए पर्याप्त हैं।

हमारे सामने उठाए गए बिंदुओं पर। इसलिए, मैं रिट याचिका को अनुमति देने में भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश के फैसले से सहमत हूं, और घोषणा करता हूं कि *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने की प्रथा या उपयोग अनुच्छेद *25 (1)* का उल्लंघन है, और संविधान के अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत बनाए गए केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह भी घोषित किया जाता है कि केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम, *1965* का नियम *3 (*बी*)* है -

असंवैधानिक होना भारत के संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *15 (1)* का उल्लंघन है।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

संविधान के भीतर एक परिचर्चाः धर्म, गरिमा और नैतिकता

बी इतिहासः भगवान अयप्पा और सबरीमाला मंदिर
ग. मंदिर में प्रवेश और महिलाओं का बहिष्कार

ई-प्रस्तुतियाँ एफ
आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ

जी संवैधानिक के साथ आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का जुड़ाव

मूल्यों

एच धार्मिक संप्रदाय
एच. *1* क्या भगवान अयप्पा के भक्त धार्मिक हैं*?*

मूल्यवर्ग*?*

1 अनुच्छेद *17*, "अस्पृश्यता" और शुद्धता की धारणाएँ
जे अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत

के. नारसू का भूत

एल देवता संवैधानिक अधिकारों के वाहक के रूप में
एम भविष्य के लिए एक रोडमैप

एन निष्कर्ष

संविधान के भीतर एक परिचर्चाः धर्म, गरिमा

और नैतिकता

1. संविधान की प्रस्तावना इस बात को दर्शाती है कि

सिद्धांतः न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन सिद्धांतों की विषय-वस्तु को परिभाषित करते हुए, मसौदा तैयार करने वालों ने एक व्यापक प्रचार किया, जिस पर हमारे समाज की विविधता को पोषित किया जाएगा। बयालीस साल पहले, संविधान को प्रस्तावना में इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के एक विशिष्ट संदर्भ को समायोजित करने के लिए संशोधित किया गया था। *1* निर्विवाद रूप से, यह केवल एक ऐसी अवधारणा की औपचारिक मान्यता थी जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न पहलुओं में हुई, जैसा कि उन्हें संविधान के जन्म के समय तैयार किया गया था। धर्मनिरपेक्षता कोई नया विचार नहीं था, बल्कि यह एक औपचारिक पुनरावृत्ति थी जिसका संविधान ने हमेशा सम्मान किया और स्वीकार कियाः सभी धर्मों की समानता। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए एक विशिष्ट संदर्भ को शामिल करने के अलावा, प्रस्तावना धर्म के इंटरफेस और एक संवैधानिक व्यवस्था के मौलिक मूल्यों पर निर्माताओं द्वारा रखी गई स्थिति का खुलासा करती है। संविधान धर्म से अनजान नहीं है-जैसा कि यह नहीं हो सकता था। धर्म ने आधुनिक भारत के इतिहास में दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है। इसलिए, स्वतंत्रता की सामग्री को परिभाषित करते हुए, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की बात की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पहचानते हुए और उसकी रक्षा करते हुए, प्रस्तावना स्थिति और अवसर दोनों के संदर्भ में समानता के महत्व को रेखांकित करती है। इन सबसे ऊपर, यह सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना चाहता है जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगा।

1 संविधान *(*बयालीसवां*)* संशोधन, *1976* भारतीय युवा वकील संगठन।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

2. प्रस्तावना का महत्व संविधान के संस्थापक सिद्धांतों को निर्धारित करने के साथ-साथ उनकी सामग्री के व्यापक विस्तार दोनों में निहित है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन की देखरेख के लिए संविधान को अस्तित्व में लाया गया था। औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक शक्ति का परिवर्तन होगा। में एक परिवर्तन होना था

शासन की संरचना। इन सबसे ऊपर संविधान एक न्यायपूर्ण समाज के केंद्र बिंदु के रूप में व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन की परिकल्पना करता है। जिन संस्थानों के माध्यम से राष्ट्र को शासित किया जाएगा, उन्हें एक लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल किया जाएगा, जहां वास्तविक शक्ति दोनों में होगी।

कानूनी और राजनीतिक शर्तें लोगों को सौंपी जाएंगी। लोकतांत्रिक संविधान को अपनाने का उद्देश्य औपनिवेशिक शक्ति से गृह शासन में शांतिपूर्ण परिवर्तन की अनुमति देना था। संविधान के मौलिक सिद्धांतों को समझने में, जो प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण उन उद्देश्यों में से एक था जिन्हें निर्माताओं ने प्राप्त करना चाहा था। राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण ने एक मसौदा तैयार करने के लिए अनिवार्यता प्रदान की शासन का मौलिक पाठ। लेकिन जिस कार्य को निर्माताओं ने माना था वह असीम रूप से अधिक संवेदनशील था। उन्होंने सबसे बढ़कर दलितों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ सदियों से हो रहे भेदभाव को दूर करके भारतीय समाज को बदलने का काम अपने हाथों में लिया। उन्होंने स्वतंत्रता का दावा करने के लिए अधिकारों की संस्कृति और राजनीतिक वातावरण बनाकर उन्हें एक आवाज प्रदान करने की मांग की। इन सबसे ऊपर, संविधान के आने से पहले जिन लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित किया गया था-चाहे वे जाति, पितृसत्ता या अन्यथा के लिबास में हों-उन्हें कानून के समान संरक्षण के आश्वासन द्वारा अपने भाग्य के नियंत्रण में रखा जाना था। उनकी दूरदर्शिता का मूल आधार संविधान की आगे बढ़ने की क्षमता थी

सामाजिक परिवर्तन। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को इसके सभी आयामों में सुरक्षित करने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका सामाजिक परिवर्तन के लिए आंतरिक है।

3. चार संस्थापक सिद्धांत असंगत नहीं हैं। जिन मूल्यों को वे प्रत्येक सिद्धांत के भीतर शामिल करते हैं, वे एक साथ मिलकर उन्हें प्राप्त करने में मदद करते हैं मानव सुख की पूर्ति। ब्रह्मांड से घिरा हुआ है

चार संस्थापक सिद्धांत इसके कुल भागों के योग से बड़े हैं। संविधान को जटिलता को समझे बिना नहीं समझा जा सकता है। उन मूल्यों के बीच संबंध जो यह बढ़ाता है। इसलिए, आस्था, आस्था और पूजा के मामलों में स्वतंत्रता को एक दयालु और मानवीय समाज का निर्माण करना चाहिए जो अपने सभी नागरिकों के बीच स्थिति की समानता से चिह्नित हो। द.

9 एस. सी. आर. में विश्वास करने, आस्था रखने वाला व्यक्ति बनने और इंसान बनने की स्वतंत्रता।

प्रार्थना को एक ऐसे समाज के संदर्भ में पूरा किया जाना चाहिए जो अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता है। स्थिति और अवसर के सभी मामलों में उनकी समानता विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता को सही अर्थ देती है। आखिरकार, नागरिकों के बीच समानता धर्म के मामलों सहित नागरिकों के बीच स्वतंत्रता के एक सामान्य ब्रह्मांड को संरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा है। संयुक्त रूप से, नागरिकों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं जिसमें व्यक्ति की गरिमा का एहसास होता है। संविधान के बारे में हमारी समझ तभी पूरी हो सकती है जब हम न्याय की खोज, स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच के जटिल संबंध को स्वीकार करें।

समानता की प्राप्ति और बंधुत्व का आश्वासन। एक मानवीय समाज के लिए व्यक्ति के मूल्य को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

4. शासन के एक मौलिक दस्तावेज के रूप में संविधान

समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। इसके प्रावधानों को अर्थ देते हुए और वर्तमान की जटिल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, प्रत्येक अवसर पर खुद को याद दिलाना अच्छा है कि इस मूल दस्तावेज का उद्देश्य जो हमारे समाज को नियंत्रित करता है, एक संवैधानिक परिवर्तन लाना है। संवैधानिक परिवर्तन में साधन उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने हमारे उद्देश्य। साधन यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया मूल्यों द्वारा निर्देशित है। लक्ष्य, या परिवर्तन, संविधान के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। भारतीय समाज को बदलने के लिए संविधान की खोज में निहित होने से ही हम उन द्विआधारी प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं जिन्होंने हमारे समाज का ध्रुवीकरण किया है। इस मामले में संघर्ष के बीच

धार्मिक प्रथाएं और आस्था और पूजा के मामलों में महिलाओं के लिए गरिमा का दावा, अनिवार्य रूप से उन ध्रुवीकरणों को हल करने के बारे में है।

5. अनिवार्य रूप से, इस मामले का महत्व उन मुद्दों में निहित है जो सीमाओं को परिभाषित करने में इस न्यायालय की न्यायिक भूमिका के लिए प्रस्तुत करते हैं। हमारे सार्वजनिक स्थानों के बारे में एक संवाद में धर्म। क्या संविधान, धार्मिक आस्था को जो संरक्षण देता है, वह जनता को समर्पित मंदिर से एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं को बाहर करने की अनुमति देता है*?*

यदि संविधान सार्वजनिक मंदिर में महिलाओं को पूजा से बाहर रखने को स्वीकार करता है तो क्या मानव गरिमा की खोज अधूरी रहेगी या रेत में एक लेख के रूप में रह जाएगी*?* क्या समानता और बंधुत्व की खोज को इसकी सामग्री से वंचित किया जाएगा जहां महिलाओं को विश्वास, विश्वास और पूजा के मामलों में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में एक छोटे भगवान की संतान के रूप में माना जाता है*?* अगर हम महिलाओं को उनके अस्तित्व के शारीरिक पहलू के आधार पर आस्था और पूजा के मामलों में समान अधिकारों से वंचित करते हैं तो क्या व्यक्तिगत गरिमा की खोज हासिल करने में सक्षम होगी*?* ये प्रश्न केंद्रीय भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. हैं।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

संविधान के उद्देश्य को समझना, क्योंकि वे संगठित धर्म की बंद सीमाओं को नियंत्रित करने में संविधान की भूमिका को परिभाषित करने के लिए हैं।

6. मौलिक अधिकारों के अध्याय में *(i)* समानता *(*अनुच्छेद *14* से *18); (ii)* स्वतंत्रता *(*अनुच्छेद *19* से *24); (iii)* धर्म की स्वतंत्रता *(*अनुच्छेद *25* से *28); (iv)* सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं। अधिकार *(*अनुच्छेद *29* और *30);* और *(v)* संवैधानिक उपचार *(*अनुच्छेद *32)*।

अनुच्छेद *25* इस प्रकार प्रदान करता हैः

"25. (1) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन और

इस भाग के अन्य प्रावधानों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने, अभ्यास करने का अधिकार है।

और धर्म का प्रचार करें।
(2) इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी भी मौजूदा के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

कानून बनाना या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकना

(क) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या

अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि जो धार्मिक से जुड़ी हो सकती है

अभ्यास;

((ख) समाज कल्याण और सुधार या खुली छूट प्रदान करना।

सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं का गठन

स्पष्टीकरण *I.* कृपाण पहनना और ले जाना होगा -
सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाता है।

स्पष्टीकरण *II*। - खंड *(2)* के उपखंड *(*ख*)* में हिंदुओं के संदर्भ का अर्थ व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा।

सिख, जैन या बौद्ध धर्म का पालन करने और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संदर्भ का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।

खंड *(1)* में, अनुच्छेद *25* सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार करने, उसकी रक्षा करने और प्रचार करने के लिए समान अधिकार की रक्षा करता है। सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान करके, संविधान

अधिकार की सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर देता है। सभी व्यक्तियों के लिए, संविधान का अर्थ ठीक वही है जो यह कहता हैः समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अधिकार का हकदार है। समान अधिकार की बात करके, संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एक समान मंच पर रखता है। कानून के समक्ष समानता की गारंटी होना और

अनुच्छेद *14* में कानूनों का समान संरक्षण, मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से *[2018] 9* एस. सी. आर.

विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार के एक आंतरिक तत्व के रूप में एक समान अधिकार के विषय को जारी रखा। खंड *(1)* की तीन परिभाषित विशेषताएं हैं -

अनुच्छेद *25:* पहला, बिना किसी अपवाद के सभी व्यक्तियों का हक, दूसरा, एक समान हक की मान्यता; और तीसरा, विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने, अभ्यास करने के अधिकार दोनों की मान्यता।

7. फिर भी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। क्योंकि संविधान ने स्पष्ट रूप से इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और नैतिकता के अधीन कर दिया है। एक ओर स्वास्थ्य और दूसरी ओर भाग *III* के प्रावधान। धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन करना अनुच्छेद *14,15,19* और *21* में मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता के अन्य अधिकारों द्वारा कब्जा की गई स्थिति से एक सूक्ष्म विचलन है। अनुच्छेद *14* में समानता और कानूनों के समान संरक्षण और इसके उद्भव की गारंटी देते हुए, अनुच्छेद *15* में, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, संविधान

समानता के इन बुनियादी मानदंडों को भाग *III* के अन्य प्रावधानों के लिए शर्त नहीं देता है। अनुच्छेद *19 (1)* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता या अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार के मामले में भी ऐसा ही है। अनुच्छेद *25 (1)* के तहत धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को भाग *III* के अन्य प्रावधानों के अधीन करना मूल सामग्री के बिना मामला नहीं था। जाहिर है, प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम में, धार्मिक स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार प्रबल होने का इरादा नहीं था, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल संवैधानिक अभिधारणाओं के अधीन था। भाग *III* के अन्य प्रावधानों में मान्यता प्राप्त।

8. अनुच्छेद *25* का खंड *(2)* उन कानूनों की रक्षा करता है जो संविधान को अपनाने के समय मौजूद थे और भविष्य में कानून बनाने की राज्य की शक्ति, दो श्रेणियों से संबंधित है। उन श्रेणियों में से पहली में आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाले कानून शामिल हैं जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद *25 (2)* के उपखंड *(ए)* में, संविधान ने धार्मिक प्रथाओं के मामलों को धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से अलग किया है, जिसमें एक

आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक प्रकृति। अभिव्यक्ति "अन्य धर्मनिरपेक्ष भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

"गतिविधि" जो "आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक" अभिव्यक्ति का अनुसरण करती है, इंगित करती है कि धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के मामलों को कानून द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। तथ्य यह है कि ये धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ धार्मिक प्रथाओं के साथ जुड़ी हुई हैं या, दूसरे शब्दों में, उन्हें विधायी विनियमन के

दायरे से बाहर नहीं रखेंगी। दूसरी श्रेणी में *(i)* सामाजिक कल्याण और सुधार; या *(ii)* सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करने वाले कानून शामिल हैं।

और हिंदुओं के वर्ग। "सामाजिक कल्याण और सुधार" अभिव्यक्ति केवल हिंदू धर्म के मामलों तक ही सीमित नहीं है। हालाँकि, मंदिर में प्रवेश के मामलों में, संविधान ने उन अक्षमताओं को मान्यता दी जिन्हें हिंदू धर्म ने सदियों से लागू किया था, जो दलितों और हिंदू समाज के भीतर विभिन्न समूहों तक पहुँच के अधिकारों को प्रतिबंधित करते थे। अनुच्छेद *25* के खंड *(2)* का प्रभाव कानून बनाने की राज्य की क्षमता की रक्षा करना और उपखंड *(ए)* और *(बी)* द्वारा शासित मामलों पर मौजूदा कानूनों को बचाना है। अनुच्छेद *25* का खंड *(2)* सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के मामलों पर राज्य की नियामक शक्ति का स्पष्टीकरण है जो खंड *(1)* में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। खंड *1* प्रदत्त अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बनाता है। खंड *2* खंड *1* में 'सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के अधीन' की सीमा को सीमित नहीं करता है। खंड *2* जो इंगित करता है वह यह है कि श्रेणियों पर कानून बनाने का राज्य का अधिकार अनुच्छेद *25* द्वारा कुचला नहीं जाता है।

9. अनुच्छेद *26*, जैसा कि इसके सीमांत नोट से संकेत मिलता है, "धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता" से संबंधित है:

"*26.* सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी खंड को अधिकार होगा

*(*क*)* धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना।

उद्देश्य;

*(*ख*)* धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना;
*((*ग*)* चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना; और

*(*घ*)* कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना। "

अनुच्छेद *26* धार्मिक संप्रदायों और उनके वर्गों पर अधिकार प्रदान करता है। इस लेख में चार अलग-अलग पहलू शामिल हैं: *((i)* धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव।
प्रकृति; *(ii)* धर्म के मामलों में मूल्यवर्ग के मामलों का प्रबंधन; *(iii)* अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण; और *(iv)*

कानून के अनुसार संपत्ति का प्रशासन। अनुच्छेद *26*, जैसा कि *[2018] 9* एस. सी. आर में है।

अनुच्छेद *25 (1)* के मामले को "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन" शर्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद *26 (1)* में अतिरिक्त प्रावधान शामिल नहीं हैं।

अनुच्छेद *25 (1)* में पाई जाने वाली शर्त; अर्थात्; और इस भाग के अन्य प्रावधानों के लिए। जल्द ही इसके महत्व का पता लगाया जाएगा।

10. सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य ऐसे आधार हैं जिन पर संविधान अनुच्छेद *25 (1)* में धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार और अनुच्छेद *26* के तहत धार्मिक संप्रदायों के अधिकार दोनों को प्रतिबंधित करने के आधार के रूप में विचार करता है। परेशान करने वाला मुद्दा अनुच्छेद *25* और *26* में नैतिकता की सामग्री के बारे में है। 'नैतिकता' अभिव्यक्ति की सामग्री का क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए, यह संवैधानिक क्षण का विषय है। व्यक्तिगत अधिकार के साथ-साथ धार्मिक अधिकार के मामले में संप्रदायों, नैतिकता की सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के समान एक व्यापक स्थिति है क्योंकि दोनों अनुच्छेदों द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार उन शर्तों के अधीन हैं। अनुच्छेद *25 (2)* में विचार किया गया है कि यह अनुच्छेद न तो मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करेगा और न ही उपखंड *(ए)* और *(*बी*)* में निर्धारित उद्देश्यों के लिए राज्य को कानून बनाने से रोकेगा।

11. नैतिकता की सामग्री को परिभाषित करने में, क्या मसौदा तैयार करने वाले लोग शामिल थे

समाज में प्रचलित नैतिकता के साथ*?* या नैतिकता का संदर्भ कुछ अधिक बुनियादी चीज़ को संदर्भित करता है*?* उद्देश्यों के लिए नैतिकता अनुच्छेद *25* और *26* का अल्पकालिक अस्तित्व नहीं हो सकता है। क्या नैतिक है और क्या नहीं है, इसके बारे में लोकप्रिय धारणाएँ क्षणिक और क्षणभंगुर हैं। लोकप्रिय

नैतिक क्या है या क्या नहीं है, इस बारे में धारणाएं वास्तव में व्यक्तिगत गरिमा और मानवाधिकारों के लिए गहरी आक्रामक हो सकती हैं। व्यक्तिगत गरिमा को भीड़ की नैतिकता के अधीन नहीं होने दिया जा सकता है। न ही समाज की असहिष्णुता व्यक्तिगत आत्म को नियंत्रित करने के लिए एक अपमानजनक नैतिकता के रूप में काम कर सकती है। अपने प्रकट रूप में अभिव्यक्ति। संविधान अधिकारों के अस्तित्व को इतना अनिश्चित नहीं बनाएगा कि उन्हें पारित कल्पनाओं या लोकप्रिय राय की नैतिकता के विचलन के अधीन कर दिया जाए। संविधान के मसौदा तैयार करने वालों का यह मतलब नहीं था कि नैतिकता की सामग्री उस समय के लोकप्रिय फैशन के अनुसार भिन्न होनी चाहिए। इस अभिव्यक्ति को एक संवैधानिक पाठ में अपनाया गया है और यह होगा

इसे ऐसी सामग्री देना अनुचित है जो क्षणिक या अस्थायी हो। एक बार फिर, 'नैतिकता' अभिव्यक्ति की तुलना प्रचलित सामाजिक अवधारणाओं या उन अवधारणाओं से नहीं की जा सकती जिन्हें किसी निश्चित समय में समाज में मुख्यधारा की सोच में शामिल किया जा सकता है। संविधान को बहुवचन संस्कृतियों के समाज के लिए अपनाया गया है और यदि इसके प्रावधान कोई संकेत हैं, तो यह स्पष्ट है कि पाठ या तो धार्मिक धर्मतंत्र या एक प्रमुख विचारधारा का अनुसरण नहीं करता है। एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाने में, भारतीय युवा कानून निर्माता एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

इस तथ्य के प्रति सचेत रहा होगा कि बहुमत से शासन है

यह सब राजनीतिक शक्ति के संचय के बारे में है। संवैधानिक लोकतंत्रों का परिणाम अनिवार्य रूप से संवैधानिक उदारवाद नहीं होता है। जबकि हमारे संविधान ने शासन के एक लोकतांत्रिक रूप को अपनाया है, इसने साथ ही संवैधानिक उदारवाद पर आधारित मूल्यों को भी अपनाया है। उन मूल्यों के केंद्र में व्यक्ति की स्थिति होती है। मौलिक स्वतंत्रताएँ जो भाग *III* प्रदान करता है, संवैधानिक उद्देश्य की देखरेख के लिए केंद्रीय

हैं गरिमा, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाज का परिवर्तन। अतः अनुच्छेद *25* और *26* के प्रयोजनों के लिए नैतिकता का अर्थ यह होना चाहिए कि

मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा शासित।

12. नैतिकता की सामग्री उन चार उपदेशों पर आधारित है जो प्रस्तावना से निकलते हैं। उनमें से पहला यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि

अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में न्याय। दूसरा यह है कि

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा के मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिधारणा। तीसरा सभी नागरिकों के बीच स्थिति और अवसर की समानता है। चौथा सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना है जो मानव जीवन की गरिमा को सुनिश्चित करती है। इन चार उपदेशों के साथ धर्मनिरपेक्षता का मौलिक अभिधारणा जोड़ा गया है जो सभी धर्मों को एक समान मंच पर मानता है और प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास करने या न करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। यह याद रखना चाहिए कि विवेक पर उसी प्रावधान द्वारा जोर दिया जाता है। संविधान अज्ञेयवादियों के लिए उतना ही है जितना उपासकों के लिए। यह नास्तिक के विवेक को महत्व देता है और उसकी रक्षा करता है। जिस मूलभूत विश्वास पर संविधान आधारित है, वह यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा में ही सुख की खोज की नींव रखी जाती है। व्यक्तिगत गरिमा केवल उस शासन में प्राप्त की जा सकती है जो प्रत्येक व्यक्ति में विरासत में मिली स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। मानवीय गरिमा व्यक्तियों के बीच समानता का प्रतिपादन करती है। समानता अनिवार्य रूप से लिंगों और लिंगों के बीच समानता है। समानता भेदभाव से मुक्त होने और कानून की सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार को उसी तरह स्वीकार करती है जैसे प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध है। समानता सबसे ऊपर किसी भी प्रकार के अधिकार की मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक कवच है। इन संस्थापक सिद्धांतों को नैतिकता की हमारी संवैधानिक धारणाओं को नियंत्रित करना चाहिए।

संवैधानिक नैतिकता में स्थायित्व का एक ऐसा मूल्य होना चाहिए जो हर समय और उम्र की क्षणभंगुर कल्पनाओं के अधीन न हो। अगर दृष्टि जो

अपनाए गए संविधान के संस्थापकों को जीवित रहना होगा, संवैधानिक नैतिकता की एक ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो मानव स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गरिमा के मौलिक अभिधारणाओं में दृढ़ता से निहित हो। ये प्रत्येक नागरिक के लिए अपने सभी आयामों में न्याय सुनिश्चित करने के साधन हैं।

मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की खोज प्रबल होनी चाहिए। ये, सब से ऊपर, ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान ने इच्छा व्यक्त की है कि इसके मूल्यों को सर्वोच्च होना चाहिए। *13.* अभिव्यक्ति "के अधीन" एक शर्त या परंतुक की प्रकृति में है। किसी प्रावधान को दूसरे के अधीन करने से यह संकेत मिल सकता है कि

पूर्व दूसरे द्वारा नियंत्रित या अधीनस्थ है। अनुच्छेद *25* के खंड *1* को भाग *III* के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाए बिना

यह सिद्धांत कि किसी धार्मिक संप्रदाय का अपने मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार एक स्वतंत्र अधिकार है जो अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं से अनियंत्रित या अप्रभावित है? इसका जवाब नकारात्मक होना चाहिए। यह कहना एक बात है कि अनुच्छेद *26* भाग *III* में अन्य स्वतंत्रताओं के अधीन *('*अधीन' नहीं*)* नहीं है। लेकिन यह मान लेना बिल्कुल अलग बात है कि अनुच्छेद *26* का अन्य स्वतंत्रताओं से कोई संबंध नहीं है या धार्मिक संप्रदायों का अधिकार उनसे असंबद्ध है। व्याख्या के रूप में यह कहना कि कानून में एक प्रावधान दूसरे के अधीन नहीं है, एक बात है। लेकिन अधीनता के शब्दों की अनुपस्थिति आवश्यक रूप से प्रावधान को अन्य अधिकारों के समूह से स्वतंत्र स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है, विशेष रूप से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर आधारित हैं। जहाँ एक भी प्रावधान विषय नहीं है एक दूसरे के लिए अभी भी दोनों को एक साथ पढ़ने का आधार होगा ताकि वे सद्भाव में रहें। संवैधानिक व्याख्या एक भारतीय युवा वकील को लाने के बारे में है।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं के अधीनस्थ प्रावधान न तो धार्मिक संप्रदायों को दिए गए अधिकार को प्राथमिकता देते हैं जो अन्य स्वतंत्रताओं को ओवरराइड करता है और न ही यह किसी धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता को एक अलग जगह में मौजूद रहने की अनुमति देता है। वास्तविक जीवन में प्रयोगशाला में नियंत्रित प्रयोग की स्थितियों को दोहराना मुश्किल है। वास्तविक जीवन सब कुछ है समाज में विभिन्न रंगों के समूहों के बीच अधिकारों के दावे और हितों के टकराव से उत्पन्न होने वाली जटिलताएं और अनिश्चितताएं। जिन स्वतंत्रताओं का भाग *III* में विस्तार पाया गया है, उनका उपयोग एक ऐसे समाज के भीतर किया जाता है जो व्यवस्थित है। स्वतंत्रताओं में स्वयं संबंध हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अनुच्छेद *26* के प्रावधानों को अलग-थलग करने की अनुमति नहीं देने का एक ठोस कारण है। अनुच्छेद *26* स्वतंत्रताओं के एक बड़े समूह में से एक है जिसे संविधान ने मानव स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आंतरिक रूप से परिकल्पित किया है। एक समूह के भीतर अनुच्छेद *26* के तहत स्वतंत्रता का पता लगाने में-धार्मिक संप्रदाय-वास्तव में पाठ हमें इसमें मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार को एक स्वतंत्र समाज में स्वतंत्रता के समग्र घटकों के एक पहलू के रूप में मानने की अनुमति देता है।

14. संवैधानिक व्याख्या के लिए यह दृष्टिकोण जिसका मैं प्रस्ताव और पालन करता हूं, एक अन्य कारण से संवैधानिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार्य है। रुस्तम कावासजी में ग्यारह न्यायाधीशों के फैसले के बाद से

कूपर बनाम भारत संघ *2*, अब यह सिद्धांत स्थापित हो गया है कि भाग *3* में निहित मौलिक अधिकार, जैसा कि कहा गया है, जल-तंग खंड नहीं हैं। ए. के. में पहले के न्यायशास्त्र से दूर विकसित होना

गोपालन बनाम मद्रास राज्य *3* स्वतंत्रताओं की हमारी व्याख्या अब यथार्थवाद की भावना से नियंत्रित होती है जो उनकी खुली बनावट वाली सामग्री और वास्तव में, उनकी तरल प्रकृति को नोटिस करती है। एक स्वतंत्रता दूसरे में विलीन हो जाती है। मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी के रूप में निष्पक्षता के तहत जीवन के अभाव के लिए प्रक्रिया की सामग्री को प्रभावित करता है।

2 (1970) 1 एस. सी. सी. *248*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *21.* यद्यपि अनुच्छेद *21* केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की बात करता है, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ *(*मेनका*)* के निर्णयों की व्याख्या की गई है।

कि कानून में ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो उचित हो। अभाव की प्रक्रिया मनमाना होने के दाग से मुक्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता के ब्रह्मांड से निकलने वाले नक्षत्रों के रूप में मौलिक अधिकारों का यह अध्ययन और ऐसे मार्ग होने के रूप में जो एक दूसरे को काटते हैं और विलय करते हैं, स्वतंत्रता के मूल्य को बढ़ाता है। यद्यपि कानून के समक्ष समानता से संबंधित प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद *14* में सन्निहित है, चार

इसके बाद आने वाले लेख इसके मूल सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हैं। अनुच्छेद *15* में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया गया है, लेकिन यह समानता की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद *16* के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता समानता के मूल अभिधारणा का एक पहलू है। अनुच्छेद *17* समानता को समाप्त करने की अभिव्यक्ति देता है।

अस्पृश्यता: एक समान समाज की धारणा के विपरीत मौलिक रूप से एक अभ्यास। कुछ नागरिकों को दूसरों से ऊपर रखने वाली उपाधियों को अनुच्छेद *18* द्वारा समानता के एक और पहलू को प्रकट करते हुए समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि हमने देखा है, समानता की एक मौलिक धारणा अनुच्छेद *25 (1)* में ही सन्निहित है जब यह स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने, स्वीकार करने और प्रचार करने के लिए समान अधिकार की बात करता है। समानता की यह भावना मौलिक स्वतंत्रताओं की अन्य गारंटी में भी व्याप्त है। अनुच्छेद *19* छह स्वतंत्रताओं को "सभी नागरिकों" की पात्रता के रूप में मान्यता देता है। यह स्वीकार करना कि सभी नागरिकों में एक अधिकार निहित है, एक संवैधानिक पुष्टि है कि प्रत्येक नागरिक, बिना किसी अपवाद के या किसी भी प्रकार का भेदभाव उन स्वतंत्रताओं का हकदार है। फिर से, अनुच्छेद *19 (2)* से *(6)* द्वारा प्रतिबिंबित स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध उचित होने चाहिए। तर्कसंगतता समानता का एक पहलू है। समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए कानून का समान अनुप्रयोग एक मौलिक बात है।

अनुच्छेद *20,21* और *22* द्वारा प्रदत्त संरक्षणों का अभिधारणा। इस प्रकार बैंक राष्ट्रीयकरण के निर्णय के बाद जो सिद्धांत हमारे संवैधानिक सिद्धांत का एक मजबूत हिस्सा बन गया है, वह एक निश्चित आधार पर आधारित है। हमारे पास जो स्वतंत्रताएँ हैं और जिनका हम प्रयोग करते हैं, वे एक-दूसरे से अलग, अलग-अलग अंग नहीं हैं। समाज में व्यक्ति एक नहीं बल्कि कई स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति एक समग्र भाग के रूप में कई स्वतंत्रताओं का प्रयोग करता है

मानव व्यक्तित्व। एक एकल अधिनियम अपने भीतर कई विकल्पों के अभ्यास का प्रतीक है जो कई स्वतंत्रताओं के दावे को दर्शाता है। इसी से

इस दृष्टिकोण से, यह मानने के लिए एक छोटा कदम है कि सभी स्वतंत्रताएं सद्भाव में मौजूद हैं। हमारी स्वतंत्रताएँ संविधान द्वारा बनाए गए गर्भ में छिपी हुई हैं

4 (1978) 1 एस. सी. सी. *248* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए। इसलिए, अनुच्छेद *26* में अधीनता के खंड की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि एक धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता एक असतत तत्व के रूप में मौजूद है, जो दूसरों से अलग है। यह दृष्टिकोण इस विचार से बिल्कुल स्वतंत्र है कि अनुच्छेद *25 (1)* जैसा अनुच्छेद *26* भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। एक बार जब हम पकड़ लेते हैं, तो उस रेखा का पालन करते हैं जो अब पारंपरिक सिद्धांत का हिस्सा है,

कि सभी स्वतंत्रताओं के संबंध हैं और वे आपसी सह-अस्तित्व की स्थिति में मौजूद हैं, अनुच्छेद *26* के तहत धार्मिक संप्रदायों की स्वतंत्रता को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को समान रूप से संरक्षित करता है जो

स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से वंचित होगा। कुछ भी जो व्यक्तिगत गरिमा के लिए विनाशकारी है, वह हमारे संवैधानिक लोकाचार के लिए कालातीत है। लिंगों के बीच समानता और लिंग की समान सुरक्षा अनुच्छेद *15* का एक उद्गम है। अनुच्छेद *15* अधिकारों के आक्रमण के किसी विशेष स्रोत की ओर आकर्षित होता है या नहीं, इसका इस सरल कारण से व्यापक महत्व नहीं है कि प्रस्तावना से उभरने वाले मौलिक सिद्धांत, जैसा कि हमने पहले देखा है, इसकी सामग्री में संवैधानिक नैतिकता का संचार करते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों के हमारे सार्वजनिक विमर्श में, न तो धार्मिक स्वतंत्रता और न ही संगठित धर्म को एक प्रतिरक्षा का दावा करते हुए सुना जा सकता है। गरिमा और मानव स्वतंत्रता पर आधारित मौलिक संवैधानिक उपदेशों का पालन करें। समानता का अभिधारणा यह है कि मनुष्यों को समान बनाया गया है। अभिधारणा यह नहीं है कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, बल्कि यह है कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। पुरुषों को पूजा करने के अधिकार की अनुमति देकर महिलाओं को पूजा से बाहर करना महिलाओं को अधीनता की स्थिति में रखना है।

[2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान को पितृसत्ता को कायम रखने का साधन नहीं बनना चाहिए। विश्वास करने की स्वतंत्रता, विश्वास का व्यक्ति बनने की स्वतंत्रता और पूजा करने की स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता के गुण हैं। उस स्वतंत्रता के पहलुओं को अनुच्छेद *25* में संरक्षण मिलता है। धर्म तब महिलाओं की पूजा में पूर्ति पाने के मूल अधिकार को बाहर करने और अस्वीकार करने के लिए एक आवरण नहीं बन सकता है। न ही एक महिला से जुड़ी कोई शारीरिक विशेषता उसे पूजा के अधिकार से वंचित करने के लिए एक संवैधानिक तर्क प्रदान कर सकती है जो दूसरों के लिए उपलब्ध है। जन्म के निशान और शरीर विज्ञान अप्रासंगिक हैं संवैधानिक अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। पूजा से बाहर रहना, महिलाओं के लिए मानवीय गरिमा के सबसे बुनियादी अभिधारणाओं में से एक को नकारना है। न तो संविधान इस तरह के बहिष्कार को स्वीकार कर सकता है और न ही एक स्वतंत्र समाज इसे धार्मिक मान्यताओं के लिबास में स्वीकार कर सकता है।

16. धर्म पर हमारा अधिकांश न्यायशास्त्र विकसित हुआ है, जैसा कि हम देखेंगे, जो एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन करता है। एक निश्चित स्तर पर धार्मिक प्रथा क्या है, इसका निर्णय ऐसा प्रतीत होता है

अनुच्छेद *25* के खंड *2 (ए)* में धार्मिक प्रथा और आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के बीच किए गए अंतर से उभरे हैं जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हैं। जहां राज्य ने एक कानून अधिनियमित किया है जिसके द्वारा वह धार्मिक प्रथा से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने का दावा करता है, लेकिन धार्मिक प्रथा को नहीं, तो इस मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है, जहां कानून की वैधता को चुनौती दी जाती है। इसी तरह, अनुच्छेद *26 (*बी*)* "धर्म के मामलों" की बात करता है जब यह उन्हें प्रबंधित करने के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद *26 (*बी*)* के संदर्भ में, इस न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में यह तय करने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया है कि क्या, जिसे राज्य द्वारा विनियमित कहा गया था, वह धर्म का मामला था जो संप्रदाय को गारंटीकृत स्वतंत्रता के भीतर आता है। इन मजबूरियों ने फिर भी अदालत को एक धार्मिक कवच पहनने के लिए प्रेरित किया है। जाँच यह तय करने से आगे बढ़ गई है कि क्या अनिवार्य रूप से धार्मिक है और क्या एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। इस तरह की भूमिका निभाना एक आसान काम नहीं है जब अदालत को यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या कोई प्रथा धार्मिक विश्वास का एक अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। शास्त्र और रीति-रिवाज विस्मयकारी जटिलता के साथ अंधविश्वास और हठधर्मिता में मिल जाते हैं। भूसी से अनाज को अलग करने में एक जटिल निर्णयात्मक कार्य शामिल होता है। न्यायालय के निर्णयों ने यह अभिनिर्धारित करके वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया है कि न्यायालय ने

स्वयं धर्म के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने का आह्वान किया। लेकिन यह भी एक सुसंगत मानक नहीं है।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

17. संविधान के साथ हमारी बातचीत का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि स्वतंत्रता और गरिमा की विषय-वस्तु को व्यापक बनाया जा सके

और संवैधानिक सिद्धांत को लागू करने वाले के रूप में न्यायालय की भूमिका। इस क्षेत्र में किसी भी विश्लेषण का मार्गदर्शन करने वाला मूल सिद्धांत व्यक्तिगत गरिमा प्राप्त करने के साधन के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का प्रभुत्व है। एक बार जब व्यक्तिगत गरिमा मौलिक अधिकारों के तारामंडल में एक चमकते सितारे का चरित्र ग्रहण कर लेती है, तो सार्वजनिक स्थानों पर धर्म का स्थान मानव गरिमा पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता से निर्धारित होना चाहिए। जो प्रथाएँ स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी हैं और जो कुछ नागरिकों को दूसरों की तुलना में कम समान बनाती हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को एक छोटे भगवान की संतान के रूप में मानना संविधान पर ही पलक झपकाना है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से एक है "त्याग करना"।

महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाएं "। आजीविका, स्वास्थ्य और काम के लिए पारिश्रमिक के मामलों में व्यक्तियों के बीच समानता की बात करते हुए, निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा की बात करते हैं। आस्था और पूजा के मामलों में एक महिला की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं की अनुमति देना प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के सचेत उल्लंघन की अनुमति देगा। हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं

संवैधानिक सिद्धांत का मामला हमें ढोंग या, इससे भी बदतर, पाखंड की स्थिति की ओर ले जाने के लिए उत्तरदायी है। दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक सहयोगी हैं। अगर हम वास्तव में भयंकर छाया से बाहर निकलते हैं एक ऐसा समाज जिसने सदियों से हमारे नागरिकों के समूहों को भेदभाव के बोझ तले दबाया है, अब समय आ गया है कि संविधान को बोलने की अनुमति दी जाए जो वह केवल कर सकता हैः आज और भविष्य के लिए शासन के एक समझौते के रूप में स्पष्ट तरीके से।

18. अब इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक होगा कि

उन सिद्धांतों का पता लगाएं जो इस न्यायालय के उदाहरणों से उभरते हैं जो अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *26* की सामग्री की व्याख्या करते हैं।

बी इतिहासः भगवान अयप्पा और सबरीमाला मंदिर

मूल बातें

19. भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर एक मंदिर है।

महान पुरातनता। यह मंदिर पश्चिमी घाट पर फैले अठारह पहाड़ों में से एक पर स्थित है जिसे सन्निधानम के नाम से जाना जाता है। केरल के पठाननथिट्टा जिले में स्थित यह मंदिर समुद्र तल से *1260* मीटर *(4135* फीट*)* की ऊंचाई पर स्थित है। विश्वास करने वाले विश्वास करते हैं

5 अनुच्छेद *51* ए *(ई),* भारत का संविधान *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि भगवान अयप्पा की शक्तियाँ उनके तपस्वी होने से उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से उनके ब्रह्मचारी होने से। ब्रह्मचर्य तीर्थयात्रा से पहले और उसके दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। जो लोग भगवान अयप्पा में विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे चालीस दिनों की अवधि में एक सख्त 'व्रत' या व्रत का पालन करें जो प्रथाओं का एक समूह निर्धारित करता है। *20.* भगवान अयप्पा की किंवदंती और सबरीमाला मंदिर के जन्म को इस मामले में विद्वतापूर्ण प्रस्तुतियों में समझाया गया है।

हालाँकि भारत में कई अयप्पा मंदिर हैं, सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को "नैश्तिका ब्रह्मचर्य" के रूप में दर्शाया गया हैः उसकी शक्तियाँ विशेष रूप से यौन गतिविधियों से परहेज से उत्पन्न होती हैं। भगवान अयप्पा का जन्म भगवान शिव और भगवान विष्णु *(*मोहिनी का रूप*)* के मिलन से हुआ है। दिव्य प्राणियों ने लड़के को पम्पा नदी के पास एक जंगल में छोड़ दिया। पंडलम राजा,

पम्पा नदी के किनारे जंगल में शिकार यात्रा पर जाते समय राजसेकरा ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा नदी के तट पर पहुंचे और बच्चे अयप्पा को पाया। राजा बच्चे को अंदर ले गया और उसे महल में ले गया, जहाँ राजा ने रानी को घटना के बारे में जानकारी दी। दंपति के साथ-साथ राज्य के लोग भी नए बच्चे के आने से खुश थे। अयप्पा, जिन्हें 'मणिकांत' भी कहा जाता है, महल में पले-बढ़े और मार्शल आर्ट और वेदों में प्रशिक्षित

थे। मणिकांत की शिक्षा के लिए जिम्मेदार गुरु ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी।

इस बीच, रानी ने राजा राजन नाम के एक लड़के को जन्म दिया। मणिकांत की प्रतिभा से प्रभावित होकर, राजा राजसेकर ने उन्हें बड़े बच्चे के रूप में मानते हुए उन्हें ताज पहनने का फैसला किया। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि

राज्याभिषेक की व्यवस्था करें। हालाँकि, मंत्री ने अपने लिए सिंहासन की इच्छा रखते हुए, इसे रोकने के लिए योजनाओं को निष्पादित करने का प्रयास किया

राज्याभिषेक, जो सभी विफल रहे। असफल होने के बाद, मंत्री ने रानी से संपर्क किया ताकि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए राजी किया जा सके कि उनके अपने जैविक बच्चे को राजा का ताज पहनाया जाए। मंत्री ने सुझाव दिया कि रानी नाटक करे कि वह एक गंभीर सिरदर्द से पीड़ित है, जिसके बाद वह चिकित्सक से यह निर्धारित कराएगा कि उसे ठीक करने के लिए एक बाघिन का दूध लाया जाए। इसे प्राप्त करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि मणिकांत को जंगल में भेजा जाना चाहिए।

21. मणिकांत राजा से वादा करने के बाद जल्द ही जंगल के लिए रवाना हो गए कि वह एक बाघिन का दूध लेकर लौटेंगे। मणिकांत ने अपनी

"लिखित प्रस्तुतियाँ: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. परासरन, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी; प्रतिवादी संख्या *2* के लिए अधिवक्ता द्वारा दायर गैर-मामला कानून सुविधा संकलन; याचिकाकर्ता भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. के लिए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और विद्वान वकील आर. पी. गुप्ता।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

राजा द्वारा अपने साथ जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के अनुरक्षण से इनकार करने के बाद यात्रा। राजा ने मणिकांत के साथ भोजन भेजा था और

भगवान शिव के स्मरण में तीन आँखों वाले नारियल। जंगल में, भगवान शिव मणिकांत के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि हालांकि उन्होंने देवताओं के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन उनके पास राजा के आराम को सुनिश्चित करने का कार्य बचा है। भगवान शिव ने मणिकांत से कहा कि वह बाघ के रूप में भगवान इंद्र के साथ महल में वापस जा सकते हैं।

जब मणिकांत बाघ पर बैठा हुआ था, और सभी महिला देवताओं ने बाघिनों के भेष में महल की ओर अपनी यात्रा शुरू की, तो षड्यंत्रकारी अपनी साजिश को स्वीकार करने से डर गए। वे आश्वस्त थे कि उनके

दिव्य उत्पत्ति और अपने स्वयं के मोक्ष और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। मणिकांत गायब हो गया। राजा ने लौटने तक कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। मणिकांत राजा के सामने एक दर्शन के रूप में प्रकट हुए। सुख, दुःख, भय, आश्चर्य और भक्ति की भावनाओं से भरे राजा खड़े होकर दया और मणिकांत के आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे थे। वह. मणिकांत के सामने अपनी दिव्य शक्ति का एहसास नहीं होने और उसे केवल अपनी संतान के रूप में मानने के लिए पश्चाताप किया। भगवान ने प्यार से राजा को गले लगा लिया जिन्होंने

उन्हें अहंकार और पुनर्जन्म के सांसारिक चक्र से मुक्त करके आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। मणिकांत ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उसने राजा को बताया कि वह वापस आने के लिए नियत था। राजा ने मणिकांत से एक मंदिर बनाने और उसे समर्पित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान ने सहमति दी। मणिकांत ने तब राजा को मोक्ष के मार्ग पर प्रबुद्ध किया।

22. भगवान ने एक तीर मारा जो सबरीमाला के शिखर पर गिरा और राजा से कहा कि वह उत्तर में सबरीमाला में एक मंदिर का निर्माण कर सकते हैं।

पवित्र नदी पम्पा की पूजा करें और वहाँ अपने देवता की स्थापना करें। भगवान अयप्पा ने यह भी समझाया कि सबरीमाला तीर्थयात्रा कैसे की जाएगी, तपस्या या 'व्रत' के महत्व पर जोर देते हुए और भक्त उनके 'दर्शन' से क्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान के जाने से पहले, राजा ने भगवान से एक वादा किया कि हर साल *14* जनवरी को थाई पोंगल पर, उनके व्यक्तिगत गहने सबरीमाला में उनके देवता पर सजाए जाएंगे।

तीर्थयात्रा

23. सबरीमाला निम्नलिखित के लिए खुला रहने की प्रणाली का पालन करता है:

1. मंडलम का महीना। *17* नवंबर से *26* दिसंबर तक

प्रत्येक वर्ष के सामान्य कैलेंडर वर्ष;

2. प्रत्येक मलयालम महीने के पहले पाँच दिनों के लिए जो

प्रत्येक कैलेंडर महीने के लगभग मध्य में कम्यून करता है;

3. मकर संक्रांति की अवधि के लिए, अर्थात। से लगभग

हर साल जनवरी से मध्य जनवरी तक।

भगवान अयप्पा के अनुयायी एक पवित्र तीर्थयात्रा करते हैं जो पवित्र मंदिर में एक प्रार्थना में समाप्त होती है। तीर्थयात्रा चार चरणों में होती है। सबसे पहले, एक औपचारिक दीक्षा समारोह होता है जो एकतालीस दिन के व्रत से शुरू होता है। इसके बाद व्रतम अवधि के अंत में एक और औपचारिक समारोह होता है, जिसे इरुमुती कट्टल *(*बंडल बांधना*)* कहा जाता है, जिसके बाद तीर्थयात्री सबरीमाला में अयप्पा मंदिर की अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं। इस चरण में तीर्थस्थल की शारीरिक यात्रा, साबरी पर्वत की तलहटी में पवित्र नदी पम्पा में स्नान करना और

सबरी पर्वत पर चढ़ें। इसमें पम्पा नदी से *3000* फीट की चढ़ाई के साथ सन्निधानम तक जाना शामिल है, जो लगभग *13* किलोमीटर की चढ़ाई है, या जंगलों के माध्यम से जो *41* किलोमीटर की चढ़ाई है। यह तीर्थयात्री के पहले दर्शन या देवता की झलक के लिए मंदिर में पवित्र अठारह सीढ़ियों पर चढ़ने के साथ समाप्त होता है। चौथा चरण वापसी यात्रा और जीवन में अंतिम समावेश है।

आधुनिक संचार ने इस कार्य को कम कठिन बना दिया है। *1960* में, वाहनों के लिए एक प्रवेश सड़क का निर्माण किया गया था, ताकि एक तीर्थयात्री सबरीमाला की तलहटी तक गाड़ी चला सके। यहाँ से पवित्र शिखर सिर्फ *8* किलोमीटर दूर है। केरल राज्य परिवहन निगम तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान विशेष बसें चलाता है। ये बसें पम्पा को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के लगभग सभी मुख्य शहरों से सीधे जोड़ती हैं।

24. तीर्थयात्रा की तीन विशिष्ट विशेषताएं हैं: *(i)* यह लगभग विशेष रूप से एक पुरुष केंद्रित तीर्थयात्रा है जो महिलाओं को उम्र के बीच प्रतिबंधित करती है।

अक्सर और अनुष्ठानों में भाग लेने से पचास; *(ii)* हालांकि भगवान अयप्पा के उपासक व्यापक रूप से हिंदू परंपरा के अंतर्गत आते हैं, फिर भी सभी उम्र के पुरुष जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना समान आधार पर भाग ले सकते हैं।

धर्म। मुसलमान और ईसाई भी समान समानता का आनंद लेते हुए इस तीर्थयात्रा को करने के लिए जाने जाते हैं; और *(iii)* तीर्थस्थल की वास्तविक यात्रा से पहले *41* दिनों की तैयारी की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान, तीर्थयात्रियों को काले कपड़े और 'माला' पहनने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके साथ उन्हें दीक्षा दी जाती है, और उन्हें ब्रह्मचर्य, मांस और मादक पदार्थों से परहेज करना चाहिए। *25.* परंपरागत रूप से हालांकि व्रतम अवधि इकतालीस दिनों तक फैली हुई थी, लेकिन आजकल छोटी अवधि की अनुमति है। जबकि यह उम्मीद की जाती है कि पहली बार दीक्षा लेने वाले चालीस-एक दिन का व्रत मनाते हैं, अन्य इस अवधि को दो सप्ताह या छह दिनों तक भी कम कर देते हैं।

भारतीय युवा वकीलों के ए. एस. एस. एन. की एक प्रमुख आवश्यकता। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

व्रतम एक साथविक जीवन शैली और ब्रह्मचर्य है। माना जाता है कि यह एक शुद्ध शरीर और मन की दिशा में एक कदम है-इससे अलग रहने का प्रयास। भौतिकवादी दुनिया, भक्ति के मार्ग की ओर एक कदम बढ़ाते हुए।

व्रत या तपस्या में शामिल हैं:

((i) जीवनसाथी के साथ शारीरिक संबंध से दूर रहना।

((ii) मादक पेय, धूम्रपान और तामसिक भोजन से परहेज;
((ग) परिवार के बाकी सदस्यों से अलग रहना।

((iv) परिवार सहित दैनिक जीवन में महिलाओं के साथ बातचीत करने से बचना।

(v) अपना खाना खुद पकाना; *(vi)* दिन में दो बार स्नान करने सहित स्वच्छता बनाए रखना।

प्रार्थना;

(vii) काला मुंडू और ऊपरी वस्त्र पहनना;
(viii) दिन में एक बार भोजन करना; और

(ix) नंगे पैर चलना।
प्रायश्चित्त निर्धारित तरीके से किया जाना है।

ऐसा माना जाता है कि खुद को 'शुद्ध और अप्रदूषित' के रूप में बनाए रखने से भगवान को प्राप्त करने या भगवान अयप्पा के साथ एक होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

ग. मंदिर में प्रवेश और महिलाओं का बहिष्कार

इस संदर्भ में प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, मामले के इतिहास की रूपरेखा तैयार करना आवश्यक होगा। विवाद।

26. त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा दो अधिसूचनाएँ जारी की गईं जो इस प्रकार हैं:

अधिसूचना दिनांक *21* अक्टूबर *1955*

" अंतर्निहित मौलिक सिद्धांत के अनुसार

पूज्य, पवित्र और प्राचीन सबरीमाला मंदिर का प्रतिष्ठा *(*स्थापना*)*, अयप्पन जिन्होंने नहीं देखा था सामान्य व्रतों के साथ-साथ जो महिलाएं परिपक्व हो चुकी थीं, उन्हें दर्शन *(*पूजा*)* के लिए उपरोक्त मंदिर में प्रवेश करने की आदत नहीं थी। लेकिन हाल ही में, इस प्रथा *[2018] 9* एस. सी. से एक विचलन प्रतीत होता है।

इस महान मंदिर का और पिछली परंपराओं को बनाए रखना, यह है एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि अय्यप्पन जो सामान्य का पालन नहीं करते हैं

वृथमों को कदम रख कर मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता है।

पथिनेत्तम्पडी और दस साल की उम्र के बीच की महिलाएं

और पचास-पाँच को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता है। *7*

अधिसूचना दिनांक *27* नवंबर *1956*

" अंतर्निहित मौलिक सिद्धांत के अनुसार

पूज्य, पवित्र और प्राचीन सबरीमाला मंदिर का प्रतिष्ठा *(*स्थापना*)*, अयप्पन जिन्होंने नहीं देखा था

ऊपर बताए गए मंदिर में दर्शन *(*पूजा*)* के लिए पथिनेतमपाड़ी पर कदम रख कर प्रवेश करने की आदत नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है कि हाल ही में इस प्रथा से विचलन हुआ है

और अभ्यास करें। पवित्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए

पथिनेटटाम्पडी और महिलाओं को उम्र के बीच कदम रखना दस पचास में से पाँच को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया है।

1965 में, केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्राधिकरण*)*

प्रयास*)* अधिनियम *19658* अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है

के प्रवेश के लिए बेहतर प्रावधान करने के लिए अधिनियम बनाया गया है

एस और हिंदू के वर्गों को सार्वजनिक पूजा के स्थानों में। सेक्टिक इन्स परिभाषाएँ:

"खंड *2.* परिभाषाएँ: - इस अधिनियम में, जब तक कि अन्य संदर्भ

आवश्यकता है, -

*(*क*)* "हिंदू" में बौद्ध धर्म मानने वाला व्यक्ति, सिकल शामिल है।

जैन धर्म; *(*ख*)* "सार्वजनिक पूजा स्थल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो हिंदुओं या किसी वर्ग को समर्पित है या उसका लाभ उठाता है या आम तौर पर उपयोग किया जाता है।

केरल उच्च न्यायालय ने एस महेंद्रन बनाम सचिव, त्रावणकोर देवास तिरुवनंतपुरम में दर्ज किया कि सबरीमाला मंदिर को छोड़कर दस से पचास के बीच की महिलाएं थीं। वर्तमान में याचिकाकर्ता और उत्तरदाता

कि दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं को बाहर रखा गया है।

"1965 डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

*[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

उसका वर्ग, किसी भी धार्मिक सेवा के प्रदर्शन या उसमें प्रार्थना करने के लिए, और इसमें सभी भूमि और सहायक शामिल हैं।

ऐसे किसी भी स्थान से जुड़े मंदिर, मठ, देवस्थानम, नमस्कार मंडपम और नालंबलम, और कोई भी पवित्र तालाब, कुएं, झरने और जलमार्ग जिनकी पूजा की जाती है, या स्नान या पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें "श्रीकोइल" शामिल नहीं है;

*(*ग*)* "वर्ग या वर्ग" में कोई भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उप-जाति, संप्रदाय या संप्रदाय शामिल हैं। धारा *3* में सार्वजनिक पूजा स्थलों को सभी के लिए खुला रखने का प्रावधान है।

हिंदुओं और उनके वर्गों के बारे में:

"खंड *3.* सार्वजनिक पूजा स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे और

हिंदुओं के वर्ग:

उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी प्रथा या उपयोग या किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद।

ऐसी किसी विधि या न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी साधन, सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान जो आम तौर पर हिंदुओं या उसके किसी वर्ग या वर्ग के लिए खुला है, हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला रहेगा और किसी भी वर्ग या वर्ग के किसी भी हिंदू को किसी भी तरह से सार्वजनिक पूजा के ऐसे स्थान में प्रवेश करने, या वहां पूजा करने या प्रार्थना करने या उसमें कोई धार्मिक सेवा करने से, उसी तरह और उसी हद तक रोका, बाधित या हतोत्साहित नहीं किया जाएगा जैसे किसी भी वर्ग या वर्ग का कोई अन्य हिंदू प्रवेश कर सकता है, पूजा कर सकता है।

प्रार्थना करें या करें - बशर्ते कि किसी सार्वजनिक पूजा स्थल के मामले में, जो किसी धार्मिक संप्रदाय या उसकी धारा के लाभ के लिए स्थापित एक मंदिर है, इस धारा के प्रावधान, उस धार्मिक संप्रदाय या धारा के अधिकार के अधीन होंगे, जैसा भी मामला हो।

धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए "।

4 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित हैः

"खंड *4.* रखरखाव के लिए विनियम बनाने की शक्ति

आदेश और शिष्टाचार और संस्कारों का उचित प्रदर्शन और

सार्वजनिक पूजा स्थलों पर समारोहः

(1) न्यासी या किसी भी स्थान की सार्वजनिक पूजा के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के पास सक्षम *[2018] 9* एस. सी. आर. के नियंत्रण के अधीन शक्ति होगी।

प्राधिकरण और कोई भी नियम जो उस प्राधिकरण द्वारा बनाए जा सकते हैं, सार्वजनिक पूजा के स्थान पर व्यवस्था और शिष्टाचार के रखरखाव और इसके उचित पालन के लिए विनियम बनाने के लिए

उसमें किए जाने वाले धार्मिक संस्कार और समारोहः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत बनाया गया कोई भी विनियम किसी भी तरह से किसी भी हिंदू के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी विशेष धारा या वर्ग से संबंधित है।

(2) उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी

होना, *(i)* किसी भी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में जिसमें त्रावणकोर-कोच्चि हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, *1950 (*त्रावणकोर*-1930* का कोच्चि अधिनियम *XV)* का भाग *I,* त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का विस्तार करता है;

((ii) किसी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में -

उक्त अधिनियम के किस भाग *II* का विस्तार है, कोचीन देवस्वम

बोर्ड; और

((ग) किसी अन्य स्थान में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में।

केरल राज्य का क्षेत्र, सरकार। " धारा *4* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केरल राज्य

केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*का प्राधिकरण*)*

) नियम *1965*। *9 1965* के नियमों का नियम *3* नीचे दिया गया है:

" नियम *3.* यहाँ उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान पर पूजा करने या स्नान करने या सार्वजनिक पूजा के स्थान से सटे किसी भी पवित्र तालाब, कुएं, झरने या जलमार्ग के पानी का उपयोग करने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वे सार्वजनिक पूजा के स्थान के भीतर या उसके भीतर स्थित हों।

उसके परिसर के बाहर, या कोई पवित्र स्थान जिसमें कोई पहाड़ी या स्थान भी शामिल हो। पहाड़ी ताला, या एक सड़क, सड़क या मार्ग जो सार्वजनिक पूजा स्थल तक पहुँच प्राप्त करने के लिए आवश्यक है

(क*)* ऐसे व्यक्ति जो हिंदू नहीं हैं।

(ख*)* महिलाओं को ऐसे समय में सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसके दौरान उन्हें प्रथा और उपयोग द्वारा प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

(ग*)* अपने परिवार में जन्म या मृत्यु से उत्पन्न प्रदूषण के अधीन व्यक्ति।

" *1965* नियम "भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

(घ*)* नशे में धुत या अव्यवस्थित व्यक्ति।

(ई*)* किसी भी घृणित या संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति।
(च*)* अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, सिवाय इसके कि जब उन्हें पूजा के लिए ले जाया जाता है

उचित नियंत्रण और कार्यकारी प्राधिकरण की अनुमति से

(छ*)* पेशेवर भिखारी जब उनका प्रवेश केवल इस उद्देश्य के लिए होता है
भीख माँगना "।

(जोर दिया गया*)*

27. आयु से अधिक महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की वैधता

सबरीमाला मंदिर में पूजा करने के लिए दस और पचास वर्ष से कम आयु के लोगों को *1992* में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा एस महेंद्रन बनाम सचिव, त्रावणकोर देवस्वम मामले में जवाब देने की मांग की गई थी।

बोर्ड, तिरुवनंतपुरम *("*महेंद्रन*")*। एस. महेंद्रन द्वारा संबोधित एक याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका पर विचार किया गया था। महिलाओं के बहिष्कार को बनाए रखना मंदिर में समारोहों और प्रार्थना से, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

"44. हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(1) 10 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु की महिलाओं पर लगाया गया प्रतिबंध

50 सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियों पर चढ़ाई करने और पूजा करने से लेकर

सबरीमाला मंदिर में प्रचलित उपयोग के अनुसार है
अनादिकाल से।

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद *15,25* और *26* का उल्लंघन है।
(3) इस तरह का प्रतिबंध हिंदू धर्म के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं है।

लोक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965*

एक धारा और दूसरी धारा के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है या
हिंदुओं में एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच

मंदिर में प्रवेश का मामला जबकि निषेध केवल संबंध में है

एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं का, न कि एक वर्ग के रूप में महिलाओं का। *1 1*

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

प्रतिवादी, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, अनुमति नहीं देने के लिए
10 वर्ष से अधिक आयु की और *50* वर्ष से कम आयु की महिलाओं को ट्रेक करने के लिए

10 एयर *1993* केर *42*

11 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *57 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सबरीमाला मंदिर की तीर्थयात्रा और वर्ष की किसी भी अवधि के दौरान सबरीमाला मंदिर में पूजा करने के संबंध में सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियाँ। हम केरल सरकार के तीसरे प्रतिवादी को पुलिस सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और यह देखने का भी निर्देश देते हैं कि हमने जो निर्देश जारी किया है, वह पुलिस को भी दिया जाए।

देवस्वोम बोर्ड को लागू और अनुपालन किया जाता है। "

डी संदर्भ

28. जब वर्तमान मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ की अदालत के समक्ष आया, तो *13* अक्टूबर *2017* के एक आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए:

एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया गया:

"1 क्या बहिष्करण अभ्यास जो एक पर आधारित है

महिला लिंग के लिए अनन्य जैविक कारक

" भेदभाव "और इस प्रकार अनुच्छेद *14,15* और *17* के मूल का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद *25* में उपयोग की गई 'नैतिकता' द्वारा संरक्षित नहीं है।

और संविधान के *26?* *2.* क्या ऐसी महिलाओं को बाहर करने की प्रथा एक

धार्मिक संस्था इस संबंध में दावा कर सकती है के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार

3. क्या अयप्पा मंदिर का एक सांप्रदायिक चरित्र है और, यदि ऐसा है, तो क्या यह एक वैधानिक बोर्ड द्वारा प्रबंधित और केरल की संचित निधि से भारत के संविधान के अनुच्छेद *290*-ए के तहत वित्तपोषित 'धार्मिक संप्रदाय' की ओर से अनुमत है। और तमिलनाडु अनुच्छेद *14,15 (3), 39 (*ए*)* और *51* में अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों/नैतिकता का उल्लंघन करने वाली ऐसी प्रथाओं में लिप्त हो सकता है।

ए *(ई)?*

4. क्या केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल का नियम *3 (* प्रवेश का प्राधिकरण*)* नियम *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'धार्मिक संप्रदाय' की अनुमति देते हैं*?* और यदि ऐसा है, तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद *14* और *15 (3)* की अवहेलना नहीं करेगा*?*

लिंग के आधार पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करके*?*

5. क्या केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* नियम, *1965* का नियम *3 (*बी*)* केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और,

यदि आंतरिक अधिकार माना जाता है, तो क्या यह उल्लंघनकारी होगा संविधान के भाग *III* के प्रावधान*?* डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन.

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

ये वे सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए हमें कहा गया है। ई-प्रस्तुतियाँ

याचिकाकर्ता सबरीमाला मंदिर से दस से पचास रुपये के बीच महिलाओं के बहिष्कार को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देते हैं।

श्री रवि प्रकाश गुप्ता, *1 2* विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दस से पचास वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या

इमाला मंदिर निम्नलिखित आधारों पर असंवैधानिक हैः

आई. भगवान अयप्पा के भक्त धार्मिक नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत मूल्यवर्ग;

ii. सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध

एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन नहीं करता है;

iii. अनुच्छेद *26* और अनुच्छेद *25* के तहत अधिकार को पढ़ा जाना चाहिए।

जैसा कि देवरू में सुसंगत रूप से निर्धारित किया गया है; और

iv. 1965 के नियमों का वह नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है

और संविधान का अनुच्छेद *14* और *15*।

सुश्री इंदिरा जयसिंह, *1 3* विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करती हैं कि

सबरीमाला मंदिर से सायन असंवैधानिक हैः

आई. बहिष्करण अभ्यास शारीरिक कारकों पर आधारित है।

केवल महिला लिंग के लिए और यह अनुच्छेद *14,15* का उल्लंघन करता है।

और संविधान का *21;*

ii. मासिक धर्म के आधार पर बहिष्कार का अभ्यास अस्पृश्यता का एक रूप है और अनुच्छेद *17* द्वारा निषिद्ध है।

संविधान;

iii. भगवान अयप्पा के भक्त धार्मिक नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत मूल्यवर्ग;

iv. सबरीमाला मंदिर से महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा

एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन नहीं करता है;

v. महिलाओं को बाहर रखने की विवादित प्रथा अनुच्छेद *13* में 'लागू कानूनों' के दायरे में आती है और संवैधानिक रूप से अमान्य है; और

vi. 1965 के नियमों का वह नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

याचिकाकर्ताओं के लिए सुनवाई-भारतीय युवा वकील संघ

हस्तक्षेप करने वालों के लिए-निकिता आजाद अरोड़ा और सुखजीत सिंह *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने

न्यायमित्र के रूप में न्यायालय ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीः

आई. कि एक महिला का पूजा करने का अधिकार एक अनिवार्य पहलू है

अनुच्छेद *25* के तहत पूजा करने का अधिकार;

ii. कि सबरीमाला मंदिर से महिलाओं को बाहर रखने के बराबर है

अनुच्छेद *15 (1)* के तहत निषिद्ध भेदभाव

संविधान;

iii. महिलाओं द्वारा मासिक धर्म की स्थिति का अनिवार्य प्रकटीकरण संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

संविधान;

iv. अनुच्छेद *25* और *26* में 'नैतिकता' शब्द संवैधानिक है।

नैतिकता;

वी. *1965* के नियमों का वह नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

vi. भगवान अयप्पा के भक्त धार्मिक नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत मूल्यवर्ग;

vii. सबरीमाला मंदिर से महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा

एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन नहीं करता है;

viii. अनुच्छेद *17* में अस्पृश्यता के खिलाफ निषेध दस और दस वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश से वंचित करने तक फैला हुआ है।

पचास;

ix. एक देवता निहित अधिकारों के उद्देश्य के लिए एक न्यायिक व्यक्ति नहीं है।

संविधान के भाग *III* में; और

x. कि अभिलेखों के रूप में परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है

महेंद्रन में उच्च न्यायालय पर्याप्त हैं।

श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ, *1 4* विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत कियाः

आई. महिलाओं को बाहर रखने की कोई सिद्ध प्रथा नहीं है।

सबरीमाला मंदिर;

ii. बहिष्करण की प्रथा संविधान के अनुच्छेद *14,15,25* और *51* का उल्लंघन करती है।

संविधान; और

iii. मौलिक अधिकारों और रीति-रिवाजों के बीच टकराव के मामले में, अनुच्छेद के अनुसार पहला प्रबल होगा।

13 संविधान से।

हस्तक्षेप करने वालों के लिए-अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ डी. आई. ए. एन. युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

श्री जयदीप गुप्ता, *15 1 5* विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत कियाः

आई. केरल राज्य सरकार *13* नवंबर *2007* को दायर हलफनामे पर कायम है जिसमें राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव के पक्ष में नहीं थी।

ii. कि महिलाएँ अनुभाग में 'अनुभाग या वर्ग' के दायरे में आती हैं

3 1965 के अधिनियम का;

iii. अनुच्छेद *17* को एक व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए जो निषेध करती है।

महिलाओं का बहिष्कार;

iv. 1965 के नियमों का वह नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वी. भगवान अयप्पा के भक्त धार्मिक नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत मूल्यवर्ग;

vi. सबरीमाला मंदिर से महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा

एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन नहीं करता है; और

vii. कि महिलाओं को बाहर रखने की विवादित प्रथा इसके दायरे में आती है

अनुच्छेद *13* की सीमा और संवैधानिक रूप से अमान्य है।

प्रत्यर्थियों ने कहा कि सबरीमाला मंदिर से दस और पचास वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा कानूनी रूप से स्वीकार्य है।मनु सिंघवी, *1,6* विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दस वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर से बाहर रखने की प्रथा संवैधानिक और वैध है:

आई. महिलाओं का बहिष्कार लिंग पर आधारित नहीं है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए बोधगम्य अंतर और संबंध के परीक्षण को संतुष्ट करता है।

ii. वह अनुच्छेद *17* वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि अनुच्छेद जाति और धर्म आधारित अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करने तक ही सीमित है। *iii.* सबरीमाला मंदिर एक सांप्रदायिक मंदिर है और

महिलाओं का बहिष्कार मूल्यवर्ग के अधिकारों के तहत है

संविधान का अनुच्छेद *26;*

iv. संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* धार्मिक मामलों की रक्षा करते हैं।

जिसमें औपचारिक मुद्दे और महिलाओं का बहिष्कार शामिल है

इस अधिकार का प्रयोग;

केरल राज्य के लिए तैयारीप्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई-त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड *[2018] 9* एस. सी. आर.

वी. कि संविधान का अनुच्छेद *13* वर्तमान पर लागू नहीं होता है।

मामला; और

vi. कि निर्धारण के लिए एक अलग परीक्षण की आवश्यकता होगी

तथ्यों से।

श्री के. परासरन, *1 7* विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सबरीमाला मंदिर से सायन संवैधानिक रूप से अनुमत है:

आई. एक स्वतंत्र प्रथा मौजूद है जो बहिष्कार की अनुमति देती है।

सबरीमाला मंदिर की महिलाओं की;

ii. मंदिर से एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं को बाहर करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत भक्तों के धार्मिक अधिकारों और देवता के चरित्र से बाहर आता है।

एक नैष्टिक ब्रह्मचर्य;

iii. यह प्रथा नियम *3 (*बी*) 1965* नियमों के तहत संरक्षित है; और

iv. कि समानता की धारणा अनुच्छेद *25* में निहित है, और इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद *14* और *15* वर्तमान में लागू नहीं होते हैं।

मामला।

श्री के. राममूर्ति, विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने सहायता की

एमिकस क्यूरी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

आई. कि दस वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं का बहिष्कार और

पचास अनुच्छेद के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है

25 ; और

ii. अपवर्जन की प्रथा अनुच्छेद *25* के तहत संरक्षित है।

श्री के राधाकृष्णन, *18* और *8* विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दस से पचास वर्ष की आयु के बीच महिलाओं का गुट बनाने की अनुमति है:

आई. विवादित प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।

अभ्यास करें; और

ii. अनुच्छेद *17* में निहित अस्पृश्यता का निषेध है -

अप्रयोज्य।

श्री वी. गिरि, *1 9* विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत किया:

प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई-नायर सर्विस सोसाइटी

मध्यस्थ की ओर से सुनना-पंडालम के राजा

प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई-तंत्री डायन युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

आई. महिलाओं का बहिष्कार एक आवश्यक धार्मिक कार्य है।

अभ्यास करें और एक नैष्टिक ब्रह्मचर्य के रूप में देवता के चरित्र के अनुसार है।

श्री जे साई दीपक, *20* विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि देवता के पास कानूनी अधिकार हैं और सबरीमाला मंदिर में पूजा से दस से पचास के समूह की महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा है।

निषेधात्मक और अनुज्ञेयः

आई. विवादित प्रथा देवता के चरित्र पर आधारित है।

नैष्टिक ब्रह्मचर्य के रूप में;

ii. देवता के रूप को देखते हुए, अभ्यास एक आवश्यक रूप है।

धार्मिक अभ्यास;

iii. भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक समूह हैं।

संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत मूल्यवर्ग;

iv. कि सबरीमाला मंदिर के पीठासीन देवता संविधान के अनुच्छेद *21* और *25* के तहत संवैधानिक अधिकारों के वाहक हैं; *v.* संविधान के अनुच्छेद *17* की कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि यह लागू होता है

केवल जाति और धर्म के आधार पर अस्पृश्यता के लिए; और

vi. विवादित नियम और अधिनियम के अधिकार से प्रवाहित होते हैं

अनुच्छेद *26* के तहत मूल्यवर्ग और संवैधानिक रूप से मान्य हैं।

श्री वी. के. बीजू, *2 1* विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बहिष्करण कानूनी रूप से अनुमेय हैः

आई. कि एक न्यायवादी व्यक्ति के रूप में देवता का अधिकार एक नैश्तिका के रूप में बैठा है

ब्रह्मचर्य पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

ii. कि अपवर्जन अनुच्छेद *25* और *26* के तहत संरक्षित है

संविधान; और

iii. इस मुद्दे को दृढ़ संकल्प के बिना हल नहीं किया जा सकता है।

उन तथ्यों के बारे में जो मुकदमे में होंगे।

श्री गोपाल शंकरनारायणन, *22* विद्वान वकील ने बनाया

विंग प्रस्तुतियाँः

आई. कि अनुच्छेद *25* वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है; *ii.* कि भगवान अयप्पा के भक्त धार्मिक हैं

संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत मूल्यवर्ग; और

के. के. साबू की ओर से सुनना और भगवान अयप्पा के भक्तों की ओर से धर्म के लिए सुननाइंटरवेनर-उषा नंदिनी *[2018] 9* एस. सी. आर.

iii. 1965 का अधिनियम सबरीमाला मंदिर पर लागू नहीं होता है।

मामले में, *1965* के नियमों के नियम *3* का परंतुक रक्षा करता है

धार्मिक संप्रदायों के अधिकार।

एफ आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ

29. आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत को सबसे पहले व्यक्त किया गया था

1954 में, आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम शिरूर मठ *2,3 ("*शिरूर मठ*")* के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर में। इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम *1951* को एक चुनौती पर विचार किया, जिसने एक वैधानिक आयुक्त को एक योजना तैयार करने और निपटाने का अधिकार दिया। उनके पास यह मानने का कारण था कि धार्मिक संस्था धन का कुप्रबंधन कर रही थी। याचिकाकर्ता, शिरूर मठ मठ के माथाधीपति *(*वरिष्ठ*)* ने दावा किया कि कानून मठ के धार्मिक मामलों के प्रबंधन के उनके अधिकार में हस्तक्षेप करता है, और इसलिए संविधान के अनुच्छेद *26 (*बी*)* का उल्लंघन करता है।

न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने न्यायालय के लिए लिखते हुए कहा कि लेख

26 (ख*)* एक धार्मिक संप्रदाय को 'धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने' की अनुमति दी और धर्म के मामलों के दायरे पर एक प्रश्न तैयार कियाः

" 16. भाषा निस्संदेह बताती है कि अन्य भी हो सकते हैं।

किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के मामले जो -

धर्म का मामला नहीं है और जिसके लिए इस द्वारा गारंटी दी गई है

खंड लागू नहीं होगा। सवाल यह है कि रेखा कहाँ है*?*

धर्म के मामले क्या हैं और क्या के बीच खींचा जाना चाहिए

नहीं हैं*? "*

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी के साथ उद्धृत किया

एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया-यहोवाह के गवाहों की कंपनी निगमित बनाम ऑस्ट्रेलिया *24* का राष्ट्रमंडल, जिसमें कहा गया था कि

संविधान ने न केवल "राय की स्वतंत्रता" की रक्षा की, बल्कि "धर्म के हिस्से के रूप में धार्मिक विश्वास के अनुसरण में किए गए कार्यों" की भी रक्षा की। अदालत ने कहा कि

धार्मिक विश्वास और उससे उत्पन्न होने वाली प्रथा दोनों का महत्व, और 'धर्म' की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान कीः

"एक धर्म का आधार निस्संदेह मान्यताओं की एक प्रणाली में होता है या

उन सिद्धांतों को जो उस धर्म का पालन करने वालों द्वारा माना जाता है

23 1954 एससीआर *1005*

24 [1943] एच. सी. ए. *12* भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल, लेकिन यह सही नहीं होगा

यह कहना कि धर्म एक सिद्धांत या विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। द.

हमारे संविधान के तहत गारंटी न केवल रक्षा करती है

धार्मिक राय की स्वतंत्रता लेकिन यह किए गए कार्यों की भी रक्षा करती है
एक धर्म के अनुसरण में और यह उपयोग द्वारा स्पष्ट किया जाता है

अनुच्छेद *25* में "धर्म का पालन" अभिव्यक्ति का।

(जोर दिया गया*)*

धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं के बीच अंतर करते हुए,

अदालत ने कहाः

"..... धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है

मुख्य रूप से सिद्धांतों के संदर्भ में पता लगाया जाना है

उस धर्म के बारे में। यदि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांत

हिंदू निर्धारित करते हैं कि मूर्ति को भोजन चढ़ाया जाना चाहिए।

दिन के विशेष घंटों में. इन सभी को माना जाएगा
धर्म के कुछ भाग और केवल यह तथ्य कि उनमें व्यय शामिल है

पुरोहितों और सेवकों के धन या रोजगार का या उपयोग का

विपणन योग्य वस्तुएँ उन्हें धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ नहीं बनाती थीं।
एक वाणिज्यिक या आर्थिक चरित्र में भाग लेना; वे सभी हैं

धार्मिक प्रथाओं और उन्हें धर्म के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए

अनुच्छेद *26 (*बी*)* के अर्थ के भीतर। "

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी

संविधान धार्मिक विश्वास और आचरण दोनों की स्वतंत्रता पर लागू होता है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के बीच अंतर करने के लिए, न्यायालय ने स्वयं धर्म की ओर देखा और कहा कि धर्म के 'आवश्यक' पहलुओं के विश्लेषण के लिए अनुयायियों के विचार महत्वपूर्ण थे।

30. इस दृष्टिकोण का पालन रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम में किया गया था।

बॉम्बे राज्य *25 ("*रतिलाल*")*, जहाँ इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, *1950* की संवैधानिकता पर विचार किया। इस अधिनियम ने बॉम्बे राज्य में सार्वजनिक और धार्मिक न्यासों के प्रशासन के लिए विनियमन और प्रावधान करने का प्रयास किया। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि यह उनकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने, अभ्यास करने और करने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के तहत अपने धर्म और अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के अपने अधिकार का प्रचार करें। न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी,

इस न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए उन्होंने अनुच्छेद *25* के अर्थ और दायरे के बारे में बताया:

" 10 ..... इस लेख में लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, प्रत्येक
हमारे संविधान के तहत व्यक्ति को मौलिक अधिकार है न कि केवल

ऐसी धार्मिक आस्था का मनोरंजन करना जिसे उसके द्वारा अनुमोदित किया जा सके

निर्णय या विवेक लेकिन अपने विश्वास और विचारों को प्रदर्शित करने के लिए

प्रत्यक्ष कार्य जो उसके धर्म द्वारा आदेशित या स्वीकृत हैं और आगे

दूसरों की उन्नति के लिए अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करना।

अनुच्छेद *26* के संदर्भ में बोलते हुए न्यायमूर्ति मुखर्जी ने दोहराया

शिरूर मठ में न्यायालय द्वारा लिया गया व्यापक दृष्टिकोण-कि धार्मिक संप्रदायों को यह तय करने के लिए 'पूर्ण स्वायत्तता' थी कि उनके लिए कौन सी धार्मिक प्रथाएं आवश्यक थीं:

"के अनुसरण में धार्मिक प्रथाओं या कार्यों का प्रदर्शन

धार्मिक मान्यताएँ धर्म का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि धर्म में आस्था या विश्वास।

विशेष सिद्धांत।

23 ..... किसी भी बाहरी प्राधिकारी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये नहीं हैं।

धर्म के आवश्यक भाग और यह धर्मनिरपेक्ष प्राधिकरण के लिए खुला नहीं है

न्यास संपदा के प्रशासन की आड़ में "।

हालाँकि, न्यायालय ने न्यायालय की सीमित भूमिका को मान्यता दी

इस तरह के प्रश्न का निर्धारण:

"धर्म और धर्मनिरपेक्ष मामलों के बीच का अंतर

धार्मिक संपत्तियों का प्रशासन, कभी-कभी, एक प्रतीत हो सकता है

एक पतली। लेकिन संदेह के मामलों में. अदालत को एक लेना चाहिए

सामान्य ज्ञान का दृष्टिकोण और विचारों द्वारा प्रेरित किया जाए

(जोर दिया गया*)*

व्यावहारिक आवश्यकता "।

31. 1950 के दशक के अंत में दो मामले देखे गए जो मुख्य थे

प्राधिकरण अधिनियम, *1947*, जिसमें धार्मिक प्रथा में सुधार की मांग की गई थी गौड़ा सारस्वत ब्राह्मणों द्वारा स्थापित एक सांप्रदायिक मंदिर से दलितों का बहिष्कार। अदालत ने इस दावे को स्वीकार कर लिया कि मंदिर था

गौड़ा सरस्वती के लाभ के लिए स्थापित एक सांप्रदायिक मंदिर, और यह जांचने के लिए आगे बढ़ा कि क्या किसी धार्मिक व्यक्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है।

अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत, वे 'अन्य समुदायों को इस आधार पर पूजा के लिए इसमें प्रवेश करने से बाहर करने के हकदार थे कि यह धर्म का मामला था।'

26 (1958) एससीआर *895* भारतीय युवा वकील एएसएसएन। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

धार्मिक संप्रदाय को पूर्ण होने देने के बजाय

यह तय करने के मामले में स्वायत्तता कि कौन से संस्कार और समारोह आवश्यक हैं, न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए शास्त्र और पूर्ववर्ती की जांच की कि क्या किसी व्यक्ति को पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करने से बाहर करना हिंदू औपचारिक कानून के तहत धर्म का मामला था। न्याय

वेंकटरामा अय्यर ने प्राचीन साहित्य, हिंदुओं की प्रथा और उस प्रथा में मंदिरों की भूमिका की समीक्षा की और न्यायालय की ओर से निष्कर्ष निकाला किः

" 18 ..... इस प्रकार, मंदिरों से संबंधित औपचारिक कानून के तहत,
जो पूजा के लिए उनमें प्रवेश करने के हकदार हैं और वे कहाँ खड़े होने और पूजा करने के हकदार हैं और पूजा कैसे की जानी है, ये सभी धर्म के मामले हैं। *(* जोर दिया गया*)*

इसने यह निर्धारित करने में न्यायालय की भूमिका को दृढ़ता से स्थापित किया कि क्या

'आवश्यक' धार्मिक प्रथाओं का गठन किया। लेकिन, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। गौड़ा सारस्वतों ने अपने प्रबंधन के अधिकार का दावा किया

जबकि राज्य ने दावा किया कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत 'हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों' के लिए हिंदू मंदिरों को खोलने का संवैधानिक जनादेश था। यह देखते हुए कि दोनों "स्पष्ट रूप से संघर्ष में हैं", अदालत ने विचार किया कि क्या एक

अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत गारंटीकृत धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए धार्मिक संप्रदाय अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* द्वारा संरक्षित एक कानून के अधीन था और उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था, जिसमें सभी वर्गों और हिंदुओं के वर्गों के लिए एक हिंदू सार्वजनिक मंदिर खोला गया थाः

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सार्वजनिक संस्थानों का अर्थ न केवल समग्र रूप से जनता को समर्पित मंदिर होंगे, बल्कि उनके वर्गों के लाभ के लिए स्थापित मंदिर भी होंगे और उनमें सांप्रदायिक मंदिर शामिल होंगे। अनुच्छेद की भाषा सरल और असंदिग्ध होने के कारण, यह हमारे लिए इसकी सीमाओं को पढ़ने के लिए खुला नहीं है जो
विधानमंडल के संभावित इरादे के रूप में एक प्राथमिक तर्क के आधार पर नहीं हैं। इस तरह के इरादे को केवल क़ानून में वास्तव में उपयोग किए गए शब्दों से एकत्र किया जा सकता है; और कानून की अदालत में,
[2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो अप्रकटित है उसका मूल्य वही है जो अनपेक्षित है। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि सांप्रदायिक संस्थान कला के दायरे में आते हैं। *25 (2) (* ख*) "*।

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत संरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है यदि यह माना जाता है कि अनुच्छेद *26 (*बी*)* किसी भी अपवाद की अनुमति नहीं देता है या अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के अधीन नहीं है:

"यदि सांप्रदायिक अधिकार ऐसे हैं कि उन्हें प्रभावी बनाने से कला द्वारा प्रदत्त अधिकार में काफी कमी आएगी। *25 (2) (* ख*),* तो निश्चित रूप से, हमारे निष्कर्ष पर कि कला। *25 (2) (* ख*)* कला के विरुद्ध प्रचलित है। *26 (* ख*)* सांप्रदायिक अधिकार समाप्त हो जाने चाहिए। लेकिन जहां वह स्थिति नहीं है, और संप्रदाय के अधिकारों को प्रभावी बनाने के बाद जनता के लिए पूजा के अधिकार का क्या बचा है यह कुछ महत्वपूर्ण है और केवल इसका भूसा नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है कि हमें कला का ऐसा अर्थ क्यों नहीं निकालना चाहिए। *25 (2) ((*ख*)* कला को प्रभावी बनाने के लिए। *26 (* ख*)* और उन मामलों के संबंध में संप्रदाय के अधिकारों को मान्यता देते हैं जो सख्ती से सांप्रदायिक हैं, जिससे अन्य मामलों में जनता के अधिकार अप्रभावित रहते हैं।

32. यह मामला शिरूर मठ में निर्धारित आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत की एक बारीकियों को चिह्नित करता है, जहां एक संप्रदाय को 'पूर्ण' प्रदान किया गया था।

स्वायत्तता 'यह निर्धारित करने के लिए कि यह किन प्रथाओं को आवश्यक मानता है। में।

शिरूर मठ, यह तय करने की स्वायत्तता कि धर्म के लिए क्या आवश्यक है, स्वयं धर्म की परिभाषा के साथ जोड़ा गया था, जो विश्वास और व्यवहार को समझने के लिए था। देवरू में, न्यायालय ने ऐसी प्रथाओं की अनिवार्यता की जांच करने में अपनी भूमिका को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश की। जबकि न्यायालय यह निर्धारित करने में एक धार्मिक समुदाय के विचारों को ध्यान में रखेगा कि क्या एक प्रथा आवश्यक के रूप में योग्य है, यह निर्धारक नहीं होगा। देवरू से पहले, इस न्यायालय ने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं के बीच अंतर करने के लिए 'आवश्यक' शब्द का उपयोग किया था ताकि

धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की सीमा। न्यायिक दृष्टिकोण में बदलाव तब हुआ जब 'अनिवार्य रूप से धार्मिक' *(*धर्मनिरपेक्ष से अलग*)* को 'धर्म के लिए आवश्यक' के साथ जोड़ा गया। विचाराधीन प्रथा की अनिवार्यता में न्यायालय की जांच ने परीक्षण में बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, जिसने अब न्यायालय को यह तय करने का कर्तव्य दिया कि किन धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक संरक्षण दिया जाएगा।

यह निर्धारित करना कि एक आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

33. मोहम्मद में। हनीफ कुरेशी बनाम बिहार राज्य *2 7 ("*कुरैशी*"),*

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या कानून निषेध करते हैं

पशु वध याचिकाकर्ताओं के धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो मुस्लिम कुरैशी समुदाय के सदस्य थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद *25* का उल्लंघन करते हैं क्योंकि मुसलमानों को उनके धर्म के कारण बकरीद पर गायों की बलि देने के लिए मजबूर किया गया था। अदालत ने

यह निर्धारित करने के लिए इस्लामी धार्मिक ग्रंथों पर भरोसा रखा कि बकर-ईद पर गायों की बलि देना मुसलमानों के लिए एक आवश्यक प्रथा नहीं थीः

"13 ..... याचिका में किसी विशेष सूरह का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है

एक व्यक्ति के लिए बकरी या सात के लिए गाय या ऊंट की बलि देना।
लोग। यह अनिवार्य प्रतीत नहीं होता है कि एक व्यक्ति

एक गाय की बलि देनी चाहिए। एक विकल्प का तथ्य ऐसा प्रतीत होता है कि

एक अनिवार्य कर्तव्य की धारणा के विपरीत भागें।

(जोर दिया गया*)*

इस दावे के जवाब में कि मुसलमान गायों की बलि दे रहे थे

अनादिकाल से और यह कि इस प्रथा को उनके धर्म द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए अनुच्छेद *25* द्वारा संरक्षित किया गया था, न्यायालय ने कहा किः

"13 ..... यह भारत के ज्ञात इतिहास का हिस्सा है कि मुगल

सम्राट बाबर ने वध पर प्रतिबंध लगाने का विवेक देखा।
गायों को धार्मिक बलि के रूप में और अपने बेटे को निर्देशित किया

हुमायूँ इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे। हालाँकि, हमारे पास नहीं है

हमारे सामने अभिलेख पर सामग्री जो हमें सक्षम बनाएगी

कहते हैं, पूर्वगामी तथ्यों के बावजूद, कि एक का बलिदान

उस दिन गाय मुसलमान के लिए एक अनिवार्य कार्य है।

अपने धार्मिक विश्वास और विचार का प्रदर्शन करना। परिसर में, यह है

याचिकाकर्ताओं के इस दावे को बरकरार रखना हमारे लिए संभव नहीं है।

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों को देखा

समुदाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि आवश्यक होने का दावा करने वाली प्रथा धार्मिक सिद्धांतों द्वारा समर्थित नहीं थी।

34. दरगाह समिति में, अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली *28*

("दरगाह समिति *")*, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने विचार किया

27 (1959) एससीआर *629*

28 (1962) 1 एससीआर *383 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, *1955* को चुनौती थी, जिसमें एक मुस्लिम दरगाह के प्रबंधन के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान था। प्रतिवादियों, जो दरगाह के खदीम *29* थे, ने तर्क दिया कि अधिनियम उन्हें दरगाह का प्रबंधन करने और प्रसाद प्राप्त करने से रोकता है

तीर्थयात्रियों से, और इसलिए सूफी चिश्तिया आदेश से संबंधित मुसलमानों के रूप में अनुच्छेद *26* के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया। धर्मग्रंथों का संदर्भ देने के बजाय, न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने अदालत के लिए लिखते हुए, अजमेर मंदिर के इतिहास पर विचार किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार कभी भी प्रत्यर्थियों में निहित नहीं थाः

"22. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि *16* वीं शताब्दी के मध्य से

20 वीं शताब्दी के मध्य तक प्रशासन और
दरगाह बंदोबस्ती का प्रबंधन उसी के लिए सही रहा है

पैटर्न। उक्त प्रशासन को एक मामले के रूप में माना गया है

जिसका संबंध राज्य से है और उसे इसका प्रभारी छोड़ दिया गया है

मुतावल्ली जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाता था

और यहाँ तक कि हटा दिया गया जब उन्हें दुराचार का दोषी पाया गया
या जब यह महसूस किया गया कि उनका काम असंतोषजनक था।

फैसला देने से पहले न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने आदेश जारी किया

एक महत्वपूर्ण "सावधानी का नोट":

"33 ..... ताकि विचाराधीन प्रथाओं को होना चाहिए

धर्म को इसके अनिवार्य और अभिन्न अंग के रूप में कहा; अन्यथा
यहां तक कि विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथाएं जो आवश्यक नहीं हैं या

धर्म का एक अभिन्न अंग कपड़े पहनने के लिए उपयुक्त है

अनुच्छेद *26* के अर्थ के भीतर धार्मिक प्रथाएँ। इसी तरह,
यहां तक कि धार्मिक प्रथाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं

स्वयं धर्म में बाहरी और अनावश्यक वृद्धि।
जब तक कि ऐसी प्रथाओं को आवश्यक नहीं पाया जाता है और

एक धर्म का अभिन्न अंग अनुच्छेद के तहत संरक्षण के लिए उनका दावा

26 सावधानीपूर्वक जाँच करनी पड़ सकती है; दूसरे शब्दों में,

संरक्षण ऐसी धार्मिक प्रथाओं तक ही सीमित होना चाहिए जो एक

आवश्यक और इसका एक अभिन्न अंग है और कोई अन्य नहीं।

(जोर दिया गया*)*

29 खादिमों के अनुसार, वे बारहवीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो अनुयायियों के वंशज थे, जिनकी अजमेर में कब्र को दरगाह ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। खादिमों ने यह भी दावा किया कि वे एक धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं जिसे चिश्तिया सूफियों के नाम से जाना जाता है।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

35. इस कथन ने आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।

एक नई दिशा में। न्यायालय ने पहली बार 'अंधविश्वास' और धार्मिक प्रथाओं के बीच अंतर किया। यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक जांच में शामिल होने के अलावा कि क्या आवश्यक होने का दावा करने वाली प्रथा वास्तव में धार्मिक ग्रंथों, मान्यताओं और सिद्धांतों पर आधारित थी, न्यायालय 'सावधानीपूर्वक जांच' करेगा कि संवैधानिक होने का दावा करने वाली प्रथा

संरक्षण अंधविश्वास को अपना आधार नहीं मानता है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक सुरक्षा माना गया था कि अंधविश्वासी विश्वासों का उल्लंघन न हो।

एक आवश्यक धार्मिक प्रथा की आड़ में संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि धार्मिक रूप से पहने गए विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष मामलों को धर्म के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में सुरक्षा नहीं मिलती है।

36. सरदार सैयदना ताहिर में परीक्षण को और कम कर दिया गया था।

सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे राज्य *("*सैफुद्दीन*"), 3 0* जहां इस न्यायालय ने *4-1* के बहुमत से बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बॉम्बे को खारिज कर दिया।

बहिष्कृत अधिनियम, *1949*, जिसने इस प्रथा को प्रतिबंधित किया

धार्मिक समुदायों के भीतर बहिष्कार। अदालत ने कहा कि धार्मिक आधार पर दाउदी बोहरा धर्म के भीतर बहिष्कार की प्रथा अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत 'धर्म के मामलों' के भीतर आती है और इस प्रकार इसे संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया था। न्यायमूर्ति दास गुप्ता ने बहुमत के लिए लिखते हुए इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक होने का दावा करने वाली प्रथा संवैधानिक संरक्षण का दावा करने के लिए धार्मिक आधारों पर सख्ती से आधारित होनी चाहिए:

"43 ..... इसके अलावा अन्य आधारों पर बहिष्कार का प्रतिबंध

धार्मिक आधार कहते हैं, कुछ अप्रिय के उल्लंघन पर
सामाजिक शासन या व्यवहार सामाजिक सुधार का एक उपाय हो सकता है।

और एक कानून जो इस तरह के बहिष्कार को प्रतिबंधित करता है केवल हो सकता है

2 ((ख) कला। *25.* लेकिन धार्मिक बहिष्कार पर प्रतिबंध
शुद्ध और सरल आधार, हालांकि माना नहीं जा सकता है

सामाजिक कल्याण और सुधार को बढ़ावा देना और इसके परिणामस्वरूप कानून

जहाँ तक यह धार्मिक आधार पर बहिष्कार को अमान्य करता है और

इस तरह के बहिष्कार को लागू करने के लिए दाई की शक्ति को छीन लेता है

इसे यथोचित रूप से सामाजिक कल्याण का उपाय नहीं माना जा सकता है

(जोर दिया गया*)*

और सुधार "।

इसलिए, न्यायालय ने बहिष्कार के आधार की जांच कीः

यदि इसका आधार पूरी तरह से धार्मिक था, तो यह प्रथा संवैधानिक होगी।

30 1962 पूरक *(2)* एससीआर *496 [2018] 9* एससीआर।

संरक्षण। हालाँकि, यदि यह प्रथा किसी अन्य आधार पर आधारित थी, तो इस तरह की प्रथा को प्रतिबंधित करना विधानमंडल के लिए खुला होगा।

37. एक मजबूत असहमति में, मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने निष्कर्ष निकाला कि बहिष्कार का मामला विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रकृति का नहीं था। यह स्पष्ट करते हुए कि उनका विश्लेषण समुदाय के सदस्यों के नागरिक अधिकारों तक ही सीमित था, न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहाः

" 11 ..... इस प्रकार, विवादित अधिनियम ने व्यक्तिगत जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता की आधुनिक धारणाओं को पूरा प्रभाव दिया है और उन सभी अनुचित और पुराने हस्तक्षेपों को दूर किया है।

विवेक, विश्वास और विश्वास की स्वतंत्रता। इसका उद्देश्य मानवीय गरिमा सुनिश्चित करना और उन सभी प्रतिबंधों को हटाना भी है जो किसी व्यक्ति को अपना जीवन जीने से रोकते हैं जब तक कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है।

दूसरों के समान अधिकार।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत संरक्षित 'धर्म के मामलों' और धर्म से जुड़ी गतिविधियों के बीच अंतर बताया, हालांकि वे उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े नहीं हैंः

धर्म से जुड़े अन्य मामले, जैसे इसके सदस्यों के आचरण के लिए नियम और विनियम निर्धारित करना और दंड उन नियमों के उल्लंघन, धार्मिक समुदाय के स्वामित्व और स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रबंधन, आदि से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अभ्यासों के बीच सीमांकन की एक रेखा खींचनी होगी।

विशेष प्रकार की पूजा से जुड़े संस्कारों और समारोहों से युक्त, जो धार्मिक समुदाय का सिद्धांत है, और अन्य मामलों में अभ्यास करता है जो कई बिंदुओं पर धार्मिक संस्थानों को छू सकते हैं, लेकिन जो संस्कारों और समारोहों से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं हैं, जिनका प्रदर्शन एक आवश्यक कार्य है।

धर्म का हिस्सा "।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने इसके बाद होने वाले चरम परिणामों पर ध्यान दिया

बहिष्कारः

"*24.* बहिष्कार के सामाजिक पहलू पर, कोई यह सोचने के लिए इच्छुक है कि एक बहिष्कृत व्यक्ति की स्थिति उसके समुदाय में अछूत की हो जाती है, और यदि ऐसा है, तो इस तरह की प्रथाओं को शून्य घोषित करने वाले अधिनियम ने केवल

कला का सख्त निषेधाज्ञा। *17* संविधान, जिसके द्वारा

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध कर दिया गया है। अनुच्छेद में आगे यह प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना एक अपराध होगा।

कानून के अनुसार दंडनीय। अधिनियम, इस अर्थ में, इसका है

तार्किक परिणाम और इसलिए, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। "

सैफुद्दीन मामले में निर्णय वर्तमान में एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

38. दरगाह समिति और सैफुद्दीन ने धर्म के लिए आवश्यक प्रथाओं के दावों की जांच करने में इस न्यायालय की भूमिका स्थापित की ताकि उन प्रथाओं को संवैधानिक संरक्षण से वंचित किया जा सके जो धर्म में सख्ती से आधारित नहीं थीं। "अपने स्वयं के सिद्धांतों के अनुसार" एक धार्मिक संप्रदाय के लिए "आवश्यक" क्या था, यह निर्धारित करने के लिए इसके धार्मिक ग्रंथों की जांच की आवश्यकता थी। दरगाह समिति ने निर्धारित किया कि अदालत उन दावों को संवैधानिक संरक्षण से वंचित करने के दावों की 'सावधानीपूर्वक जांच' करेगी जो धार्मिक हैं लेकिन अंधविश्वास से उत्पन्न होते हैं और धर्म के लिए आवश्यक नहीं हैं। सैफुद्दीन ने निर्धारित किया कि एक अप्रिय सामाजिक शासन या प्रथा पर आधारित एक प्रथा सामाजिक सुधार के दायरे में हो सकती है जिसे राज्य कर सकता है। यह दृष्टिकोण धार्मिक संप्रदायों के दावों के खिलाफ एक सुरक्षा के साथ सिद्धांत को प्रभावित करता है कि धार्मिक आधार के साथ कोई भी अभ्यास उनके द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण के भीतर आएगा।

अनुच्छेद *26 (*बी*)* उन्हें 'धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने' के लिए।

39. तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज बनाम राजस्थान राज्य

("तिलकायत*) 3 1*, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने नाथद्वारा मंदिर अधिनियम *1959* को चुनौती दी, जो मंदिर और उसकी संपत्ति के मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड की नियुक्ति का प्रावधान करता है। याचिकाकर्ता, मंदिर के आध्यात्मिक प्रमुख ने दावा किया कि मंदिर और इसकी संपत्तियां निजी हैं और राज्य विधायिका कानून पारित करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही मंदिर को एक माना जाता था सार्वजनिक मंदिर, अधिनियम ने अनुच्छेद *25,26 (*बी*)* और *26 (*सी*)* का उल्लंघन किया क्योंकि मंदिर का प्रबंधन तिलकायत द्वारा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख के रूप में किया जाता था।

न्यायालय ने पूर्ववर्ती मुगल साम्राज्य के सम्राटों द्वारा जारी फरमानों *(*आदेशों या प्रशासनिक आदेशों*)* पर भरोसा किया कि मंदिर सार्वजनिक था और तिलकायत "केवल मंदिर का संरक्षक, प्रबंधक और ट्रस्टी" था। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने पीठ के लिए लिखते हुए रेखांकित किया कि उनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में एक समुदाय के दावों को बिना जांच के स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है:

3 1 (1964) 1 एससीआर *561 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

*"57.*यह सवाल तय करने में कि क्या कोई दी गई धार्मिक प्रथा धर्म का एक अभिन्न अंग है या नहीं, परीक्षा हमेशा यह होगी कि धर्म का पालन करने वाले समुदाय द्वारा इसे ऐसा माना जाता है या नहीं। यह सूत्र कुछ मामलों में इसके संचालन में कठिनाइयाँ पेश कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां प्रतिस्पर्धी धार्मिक प्रथाओं के संबंध में प्रतिद्वंद्वी विवादों के संबंध में परस्पर विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं

न्यायालय एक अंधे व्यक्ति द्वारा विवाद को हल करने में सक्षम नहीं हो सकता है

उस सूत्र का अनुप्रयोग जो समुदाय तय करता है कि कौन सा

अभ्यास इसके धर्म का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि समुदाय

एक से अधिक आवाज के साथ बोल सकते हैं और सूत्र होगा
इसलिए टूट जाते हैं। सवाल का फैसला हमेशा करना होगा।

अदालत द्वारा "।

इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि:

"58 ..... अनुच्छेद *25 (1)* और *26 (*बी*)* के तहत क्रमशः धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामलों में मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार संरक्षित है। यदि विचाराधीन प्रथा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष है या मामला है

जो कानून द्वारा नियंत्रित है वह अनिवार्य रूप से और पूरी तरह से है

चरित्र में धर्मनिरपेक्ष, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद *25 (1)* या अनुच्छेद

26 (ख*)* इसका उल्लंघन किया गया है।
तिलकायत ने इस प्रस्ताव के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता निर्धारित की

शिरूर मठ में निर्धारित, जिसमें कहा गया था कि अनुयायियों को स्वयं यह निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि उनके धर्म के लिए क्या आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि जहां 'प्रतिस्पर्धी धार्मिक प्रथाओं के संबंध में प्रतिद्वंद्वी विवादों के संबंध में परस्पर विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं', वहां शिरूर मठ सूत्र का 'अंधा अनुप्रयोग' किसी विवाद का समाधान नहीं कर सकता है, क्योंकि एक समुदाय के भीतर व्यक्तियों की विभिन्न और विपरीत अवधारणाएं हो सकती हैं।

जो उनके धर्म के लिए आवश्यक है। इसलिए यह न्यायालय का दायित्व माना गया कि वह न केवल यह निर्धारित करे कि कोई प्रथा धार्मिक है या नहीं, बल्कि यह भी कि क्या इसे धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा माना जा सकता है। शिरूर मठ के सूत्र से शुरू करते हुए कि क्या आवश्यक है धर्म का निर्धारण आस्था के अनुयायियों द्वारा किया जाएगा, न्यायालय इस सिद्धांत की ओर बढ़ा कि जो आवश्यक है वह हमेशा न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। वास्तव में, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या कोई क़ानून "अनिवार्य रूप से और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष" को विनियमित करने की मांग करता है। धार्मिक क्या है और धर्मनिरपेक्ष क्या है और दोनों की सीमाओं पर तब न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना था।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

40. शास्त्री यज्ञपुरुषदजी बनाम। मुलदास भूदरदास वैश्य *3 2 32*

("शास्त्री यज्ञपुरुषजी*)*, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को इस मुद्दे पर विचार करना पड़ा कि क्या स्वामीनारायण संप्रदाय को बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1956* के आवेदन से छूट दी जा सकती है, जो दलितों को उन सभी मंदिरों में पूजा करने की अनुमति देता है जिन पर अधिनियम लागू होता है। याचिकाकर्ता, जो थे

स्वामीनारायण संप्रदाय के सदस्यों ने तर्क दिया कि एक गैर-हिंदू पंथ होने के कारण, संप्रदाय से संबंधित मंदिर अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने न्यायालय के लिए लिखते हुए इस दावे को खारिज कर दिया:

*"55.*यह स्वीकार किया जा सकता है कि सूट की उत्पत्ति वास्तविक है।
अपीलार्थियों द्वारा दी गई आशंका, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है

इन मामलों में उक्त आशंका इस पर आधारित है -

अंधविश्वास, अज्ञानता और पूरी तरह से गलतफहमी

हिंदू धर्म और वास्तविक धर्म की सच्ची शिक्षाएँ

द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों और दर्शन का महत्व
स्वयं स्वामिनारायण "।

(जोर दिया गया*)*

तिलक का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने कहा कि

हिंदू धर्म की विशिष्ट विशेषताएं:

*"40.*तिलक को परिभाषित करने की इस जटिल और कठिन समस्या का सामना करना पड़ा या

कम से कम पर्याप्त रूप से हिंदू धर्म का वर्णन करते हुए उन्होंने एक

कार्य सूत्र जिसे काफी पर्याप्त माना जा सकता है और

संतोषजनक है। तिलक ने कहा: वेदों की स्वीकृति
सम्मान; इस तथ्य की मान्यता कि साधन या तरीके

मोक्ष के लिए विविध हैं और इस सत्य का अहसास है कि

पूजा किए जाने वाले देवताओं की संख्या बहुत अधिक है, जो वास्तव में है

हिंदू धर्म की विशिष्ट विशेषता "।

(जोर दिया गया*)*

41. आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम। कमिश्नर

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, पुलिस, कलकत्ता *3 3 ("*अवधूत *I")* ने विचार किया कि क्या पुलिस आनंद मार्गियों को ऐसा करने से रोक सकती है।

सार्वजनिक रूप से 'तांडव नृत्य' करते हुए, जिसमें अनुयायी चाकू, जीवित सांप, त्रिशूल और खोपड़ी लेकर सार्वजनिक जुलूस में नृत्य करते हैं। द.

अदालत ने पूछा कि क्या तांडव नृत्य का प्रदर्शन धार्मिक है

32 (1966) 3 एससीआर *242*

33 (1983) 4 एससीसी *522 [2018] 9* एस. सी. आर.

आनंद मार्गियों की धार्मिक आस्था के सिद्धांतों के लिए आवश्यक संस्कार या अभ्यास। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने न्यायालय के लिए लिखते हुए कहा कि चूंकि आनंद मार्ग एक हालिया धार्मिक व्यवस्था थी, और तांडव नृत्य एक और भी हालिया नवाचार था, इसलिए इसे आवश्यक नहीं माना जा सकता है।

धार्मिक आचरण:

*"14.*एक धार्मिक क्रम के रूप में आनंद मार्ग हाल ही में उत्पन्न हुआ है और उस क्रम के धार्मिक संस्कारों के एक भाग के रूप में तांडव नृत्य अभी भी हाल ही में है। इस बात पर संदेह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में तांडव नृत्य को आनंद के एक आवश्यक धार्मिक संस्कार के रूप में लिया जा सकता है।

मार्जिस।

"यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि तांडव नृत्य को आनंद मार्गिस के प्रत्येक अनुयायी के लिए एक धार्मिक संस्कार के रूप में निर्धारित किया गया है, यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं आता है कि तांडव नृत्य एक धार्मिक अनुष्ठान है।

सार्वजनिक रूप से किया जाना धार्मिक संस्कार का विषय है। वास्तव में, श्री आनंद मूर्ति के किसी भी लेखन में ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि

तांडव नृत्य सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए। " *3 4*
42. काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री आदि विशेश्वर में,

वाराणसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *3-5 ("*आदि विशेश्वर*")*, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, *1983* को चुनौती दी, जिसने पांडाओं *(*पुजारियों*)* के विपरीत मंदिर का प्रबंधन राज्य को सौंपा था। पादरियों ने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *26 (*बी*)* और *(*डी*)* के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। इस दावे को खारिज करते हुए और यह मानते हुए कि मंदिर का प्रबंधन एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है, इस न्यायालय ने कहा

कि श्री विश्वनाथ मंदिर एक सांप्रदायिक मंदिर नहीं है और अपीलकर्ता सांप्रदायिक उपासक नहीं हैं। तिलकायत में न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़कर द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के समान, न्यायालय ने धार्मिक रूप से पहनी गई विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को संवैधानिक संरक्षण देने के खिलाफ आगाह कियाः

"28 ..... कभी-कभी, प्रथाएं, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष,

अटूट रूप से मिश्रित। हिंदू धर्म के संबंध में यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि प्राचीन स्मृति के प्रावधानों के तहत, जन्म से लेकर मृत्यु तक के मानव कार्यों और आज के अधिकांश व्यक्तिगत कार्यों को किसी न किसी रूप में धार्मिक माना जाता है। वे कभी-कभी धार्मिक प्रणाली या अभयारण्य का दावा करते हैं और उनके द्वारा गारंटीकृत संवैधानिक संरक्षण की पोशाक चाहते हैं।
अनुच्छेद *25* और *26*। एक संवैधानिक धार्मिक मॉडल पर निर्भर करता है

34 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *532-533*

35 (1997) 4 एस. सी. सी. *606* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

और पारंपरिक दृष्टिकोण से एक और अधिक। द.

सही श्रेणियों की वैधता पर निर्णय लेना आवश्यक है।

एकता "। *936 (*जोर दिया गया*)* *43.* एन.
आदित्यन बनाम त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड *3 7*

("त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड*)*, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड एक गैर-मलयाला ब्राह्मण को कोंगोरपिल्ली नीरिकोड शिव मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। न्यायमूर्ति दोराईस्वामी राजू ने अदालत के लिए लिखते हुए कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही पुजारी के रूप में सेवा करने के हकदार हैं। इस दावे को खारिज करते हुए कि शिरूर मठ ने यह प्रस्ताव रखा है कि धर्म से उत्पन्न होने वाली सभी प्रथाएं

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है:

"18 ..... विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रयास किया गया अभ्यास

शिरूर में इस न्यायालय के निर्णयों को पढ़ने के लिए अपीलार्थी

मठ का मामला *(*ऊपर*)* और अन्य वास्तव में उससे कुछ अधिक है
रखने का तात्पर्य है जैसे कि वे दावा करने या रक्षा करने के लिए समर्थन देते हैं

धार्मिक अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में दावा किया गया कोई भी और सब कुछ,

संस्कार, अनुष्ठान और पूजा की विधि और इस तरह के दावे करना
दूसरे के आधार पर किसी भी प्रतिबंध या विनियमन से अपरिवर्तनीय

संविधान के प्रावधान या लागू करने के लिए अधिनियमित कानून

इस तरह के संवैधानिक जनादेश को केवल इस रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए
एक सतही दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य उपहास करना है जो अन्यथा है

घोषित अधिकारों की योजना में वास्तव में एक प्रबल प्रभाव डालने के लिए

पूर्व संवैधानिक दिनों में अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता है
किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए कानून के स्रोत के रूप में जब यह पाया जाता है

मानवाधिकारों, गरिमा, सामाजिक समानता और विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन

संसद द्वारा बनाए गए संविधान और कानून का अधिदेश।

ऐसा कोई उपयोग नहीं जो हानिकारक पाया जाए और माना जाए

देश के कानून का अपमान करना या इसका विरोध करना

सार्वजनिक नीति या सामाजिक शालीनता को स्वीकार या बरकरार रखा जा सकता है।

9938

(जोर दिया गया*)*

देश में अदालतों द्वारा।

36 इबिद, पृष्ठ *630* पर

37 (2002) 8 एस. सी. सी. *106* *38* उदाहरण के लिए, पृष्ठों पर *124-125 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. तांडव की आवश्यक धार्मिक प्रकृति का सवाल

2004 में पुलिस आयुक्त बनाम में नृत्य पर फिर से विचार किया गया था। आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत *3* *("*अवधूत द्वितीय*")*। अवधूत प्रथम के बाद, आनंद मार्गियों की धार्मिक पुस्तक, कार्यकार्य, को आनंद तांडव को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया था। दावा की गई प्रथा की 'आवश्यक' प्रकृति पर जोर देते हुए, बहुमत ने *2-1* से विभाजित फैसले में कहा कि प्रथा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि इसकी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उस धर्म के चरित्र में मौलिक परिवर्तन होगाः

*" 9.*धर्म के अनिवार्य भाग का अर्थ है मूल विश्वास जिन पर

एक धर्म की स्थापना की जाती है। आवश्यक अभ्यास का अर्थ है उन प्रथाओं से

जो एक धार्मिक विश्वास का पालन करने के लिए मौलिक हैं। इस पर

आवश्यक भागों या प्रथाओं की आधारशिला जो अधिरचना

एक धर्म का निर्माण होता है, जिसके बिना कोई धर्म नहीं होगा।

यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें कि क्या कोई भाग या अभ्यास आवश्यक है
एक धर्म यह पता लगाने के लिए है कि धर्म की प्रकृति क्या है

उस भाग या अभ्यास के बिना बदला जाएगा। अगर लेना है

उस धर्म के चरित्र या उसके विश्वास में परिवर्तन, फिर
ऐसे भाग को एक आवश्यक या अभिन्न अंग माना जा सकता है।

क्योंकि यह उस धर्म और परिवर्तनों का सार है
यह अपने मूल चरित्र को बदल देगा। यह स्थायी है।

आवश्यक भाग जो संरक्षित हैं

संविधान। इस तरह के परिवर्तनशील भाग या प्रथाएं हैं -

निश्चित रूप से धर्म का 'मूल' नहीं है जहां विश्वास आधारित है

और धर्म इस पर आधारित है। यह केवल के रूप में इलाज किया जा सकता है
गैर-आवश्यक भाग के लिए केवल अलंकरण या

अभ्यास। *" 40*

(जोर दिया गया*)*

अनिवार्यता परीक्षण को "मौलिक" से जोड़ा गया

धर्म का चरित्र। यदि किसी प्रथा को निरस्त करने से धर्म की मौलिक प्रकृति नहीं बदलती है, तो अभ्यास स्वयं आवश्यक नहीं है।

आनंद मार्गियों के दावे को खारिज करते हुए, बहुमत ने माना कि

तांडव नृत्य के अभ्यास के बिना भी आनंद मार्गी क्रम *(1955-66)* अस्तित्व में था। इसलिए, ऐसी प्रथा नहीं होगी।

39 (2004) 12 एससीसी *770*

4o आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *782-783* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन.। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

यह धर्म का 'मूल' है। इसके अलावा, धार्मिक समूहों को कुछ धार्मिक प्रथाओं को मान्यता देने के लिए अपने धार्मिक सिद्धांत को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, ताकि उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिल सके।

45. आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम बनाम। सरकार

तमिलनाडु *41 '1 ('* आदि शैव *')* की दो न्यायाधीशों की पीठ ने तमिलनाडु राज्य द्वारा जारी एक सरकारी आदेश को चुनौती देने पर विचार किया, जिसमें 'किसी भी योग्य हिंदू 'को मंदिर के अर्चक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि यह आगमों के अनुसार अपने स्वयं के संप्रदाय से अर्चकों को नियुक्त करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। सरकारी आदेश की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी धार्मिक विश्वास या प्रथा को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से पारित किया जाना चाहिए:

स्वयं का पाठ्यक्रम। स्वाभाविक रूप से संवैधानिक वैधता होनी चाहिए।
सभी धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं को हटा दें। *42*

(जोर दिया गया*)*

46. शायरा बानो बनाम भारत संघ *43 '3 ("*शायरा बानो*")* में, ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या तीन तलाक की प्रथा सुन्नी मुसलमानों के हनाफी स्कूल के लिए एक आवश्यक प्रथा थी। इस्लामी न्यायशास्त्र की परीक्षा के आधार पर जो

यह स्थापित किया कि तीन तलाक तलाक की एक अनियमित प्रथा है, बहुमत की राय में, तीन-तीन विभाजन में, यह माना गया कि तीन तलाक एक आवश्यक प्रथा नहीं थी। न्यायमूर्ति नरीमन ने अपने और न्यायमूर्ति ललित के लिए बोलते हुए कहा कि कि "एक प्रथा केवल इसलिए धर्म की स्वीकृति प्राप्त नहीं करती है

क्योंकि इसकी अनुमति है" और जावेद बनाम हरियाणा राज्य *44* और अवधूत द्वितीय में निर्धारित आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण को ट्रिपल के अभ्यास पर लागू किया।

तलाकः

" 54 ..... यह स्पष्ट है कि तीन तलाक केवल तलाक का एक रूप है जो

कानून में अनुज्ञेय, लेकिन साथ ही, द्वारा पापपूर्ण कहा गया

बहुत ही हनफी स्कूल जो इसे सहन करता है। जावेद *(ऊपर)* के अनुसार,

इसलिए, यह किसी भी आवश्यक धार्मिक का हिस्सा नहीं होगा।

441 (2016) 2 एस. सी. सी. *725*

42 इबिद, पृष्ठ *755* पर *43 43 (2017) 9* एससीसी *1*

44 (2003) 8 एससीसी *369 [2018] 9* एस. सी. आर.

अभ्यास करें। आचार्य जगदीश्वरानंद *(उपरोक्त)* में बताए गए परीक्षण को लागू करते हुए, यह समान रूप से स्पष्ट है कि इस्लामी धर्म की मौलिक प्रकृति, जैसा कि एक भारतीय सुन्नी मुसलमान की नज़रों से देखा जाता है, इस प्रथा के बिना नहीं बदलेगी। *45*

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने न्यायमूर्ति नरीमन और न्यायमूर्ति ललित के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि कुरान और इस्लामी कानूनी विद्वता की जांच पर,

तीन तलाक की प्रथा को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि "केवल इसलिए कि एक प्रथा लंबे समय तक जारी रही है, वह अपने आप में इसे वैध नहीं बना सकती है यदि इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य घोषित किया गया है।" अल्पसंख्यक निर्णय देने वाले मुख्य न्यायाधीश खेहर ने कहा कि तीन तलाक की प्रथा हनफी मुसलमानों के धर्म का अभिन्न अंग है। उन्होंने तर्क दिया किः

" [टी] यहाँ दो मुद्दों पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। सबसे पहले, 'तलाक-ए-बिद्दत' की प्रथा उमर के समय से प्रचलित है, जो लगभग *1400* साल पहले की है। दूसरा, उस 'तलाक-ए-बिद्दत' को धर्मशास्त्र में भले ही बुरा माना जाता था, लेकिन इसे धर्मशास्त्र में 'अच्छा' माना जाता था।

कानून "।

इतिहास और व्यवहार में तीन तलाक की व्यापकता के आधार पर, न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि भले ही तीन तलाक को उस धार्मिक संप्रदाय के भीतर अधार्मिक माना जाता है जिसमें यह प्रथा प्रचलित है, फिर भी यह संप्रदाय इसे कानून में वैध मानता है।

जबकि बहुमत ने अपना निष्कर्ष इस्लाम के मूल सिद्धांतों और तीन तलाक की धार्मिक पवित्रता की जांच पर आधारित किया,

अल्पसंख्यक अपनी अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए तीन तलाक की व्यापक प्रथा पर निर्भर थे। हालाँकि, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इस बात पर सहमत थे कि किसी विशेष प्रथा के आवश्यक होने का दावा करने वाले धार्मिक संप्रदाय के विश्वास को उस प्रथा की अनिवार्यता के निर्धारण में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

47. धार्मिक स्वतंत्रता पर अपने न्यायशास्त्र में, इस न्यायालय ने सिद्धांतों का एक निकाय विकसित किया है जो अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। *25* और अनुच्छेद *26* धर्म के लिए 'आवश्यक' प्रथाओं के लिए। संविधान का आयोजन न केवल धार्मिक आस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया है, बल्कि उन मान्यताओं के अनुसरण में किए गए कार्यों की भी रक्षा के लिए किया गया है। जबकि एक धार्मिक संप्रदाय के विचारों को यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या

एक अभ्यास आवश्यक है, वे विचार इसकी अनिवार्यता को निर्धारित नहीं करते हैं।

45 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *69* पर भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

न्यायालय ने यह निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है कि धार्मिक विश्वास के लिए क्या आवश्यक है या क्या नहीं। न्यायालय द्वारा बनाई गई भूमिका के अंतर्गत, इसने धार्मिक और धार्मिक के बीच अंतर करने की कोशिश की है।

एक धर्मनिरपेक्ष प्रथा क्या है, भले ही वह किसी धार्मिक गतिविधि से जुड़ी हो। आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने इस बात की जांच की है कि क्या कोई प्रथा धर्म के लिए आवश्यक है। प्रथा की अनिवार्यता, जैसा कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, इस बात पर निर्भर करती है कि किसी धर्म के मौलिक चरित्र को बदला जाएगा या नहीं। यदि इसका पालन नहीं किया गया। इन सबसे ऊपर, संवैधानिक वैधता पर जोर दिया जाता है, जो व्यक्ति की गरिमा से जुड़े बुनियादी संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अल्पकालिक मानव स्वतंत्रता से जुड़े मौलिक संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता के संदर्भ में धर्म और अंधविश्वास के बीच का अंतर अधिक सुसंगत हो जाता है।

48. अभ्यास की अनिवार्यता को निर्धारित करने में, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या अभ्यास को अनिवार्य प्रकृति का होने के लिए निर्धारित किया गया है।

उस धर्म के भीतर। यदि कोई प्रथा वैकल्पिक है, तो यह माना गया है कि इसे किसी धर्म के लिए 'आवश्यक' नहीं कहा जा सकता है। आवश्यक होने का दावा करने वाली प्रथा ऐसी होनी चाहिए कि उस प्रथा के अभाव में धर्म की प्रकृति बदल जाए। यदि धर्म के चरित्र में मौलिक परिवर्तन होता है, तभी इस तरह की प्रथा को उस धर्म का एक 'आवश्यक' हिस्सा होने का दावा किया जा सकता है।

तिलकायत में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि 'क्या विचाराधीन मामला धर्म के मामलों में एक मामला है या नहीं, कठिनाइयाँ पेश कर सकता है क्योंकि

कभी-कभी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को अटूट रूप से मिश्रित किया जाता है। " अनुच्छेद *25* और अनुच्छेद *26 (*बी*)* में आधारित दावों पर निर्णय लेने के लिए उन्हें अलग करने की प्रक्रिया अंततः न्यायिक संतुलन का अभ्यास बन जाती है। दरगाह समिति ने स्थापित किया कि इस दावे की जांच करते हुए कि एक प्रथा धर्म के लिए आवश्यक है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उसके सामने रखे गए दावों की 'सावधानीपूर्वक जांच' करनी चाहिए कि जो प्रथाएं धर्म के आधार पर 'अंधविश्वास' से उत्पन्न हुई हैं, उन्हें संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सैफुद्दीन ने माना कि जहां एक कथित रूप से आवश्यक प्रथा एक 'अप्रिय सामाजिक शासन या प्रथा' पर आधारित है, तो यह सामाजिक सुधार के एक उपाय के लिए उत्तरदायी होगा।

देवरू में टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण महत्व की हैं, जहाँ न्यायालय ने व्यक्तिगत अधिकार के बीच अंतर्निहित तनाव को सुसंगत बनाया है।

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* और अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत सांप्रदायिक अधिकार। जहां सांप्रदायिक अधिकारों का संरक्षण काफी हद तक कम हो जाएगा

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* द्वारा प्रदत्त अधिकार, बाद वाला *[2018] 9* एस. सी. आर. के खिलाफ प्रबल होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25 (2) (ख*)* अपवर्जन संबंधी दावों द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है जो व्यक्तिगत गरिमा। यह कि आवश्यक होने का दावा करने वाली प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है या धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, इसे तब तक संवैधानिक संरक्षण नहीं देता जब तक कि यह अनिवार्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरती।

जी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का जुड़ाव

संवैधानिक मूल्य

49. दशकों से, इस न्यायालय ने एक ऐसी प्रथा की अनिवार्यता पर आधारित दावों को देखा है जो संविधान के तहत गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण के खिलाफ है। अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो संरक्षित है वह उसके अनुरूप है।

मौलिक संवैधानिक मूल्य और गारंटी और संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप। जबकि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सांप्रदायिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इच्छुक है, यह होना चाहिए

यह समझिए कि गरिमा, स्वतंत्रता और समानता वह त्रिमूर्ति है जो संविधान के विश्वास को परिभाषित करती है। एक साथ, ये तीन मूल्य प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम को परिभाषित करने के लिए संयुक्त हैं। ऐसी प्रथाएँ या विश्वास जो इन मूलभूत मूल्यों से अलग होते हैं, वे वैधता का दावा नहीं कर सकते। एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ "में, हम में से एक *(*जे. चंद्रचूड़*)* ने एक शासी आदर्श के रूप में संवैधानिक नैतिकता के महत्व को देखाः

"संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह सिर्फ शामिल नहीं है

संविधान के रूप और प्रक्रियाएँ, लेकिन एक "सक्षम ढांचा प्रदान करता है जो एक समाज को आत्म नवीकरण की संभावनाओं की अनुमति देता है"। यह लोकतंत्र की संस्थाओं का शासी आदर्श है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग और समन्वय करने की अनुमति देता है।

संवैधानिक आकांक्षाएँ जिन्हें अकेले हासिल नहीं किया जा सकता है।

हमारा संविधान व्यक्तियों को अधिकारों पर चर्चा के केंद्र में रखता है। कानून के शासन की विशेषता वाली एक संवैधानिक व्यवस्था में, समतावाद और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता

व्यक्ति न्यायालय को धार्मिक संप्रदायों को दी जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी और व्यक्तियों को दी जाने वाली गरिमा और समानता की संवैधानिक गारंटी के बीच अंतर्निहित तनाव को हल करने का कर्तव्य देता है। अनिवार्यता को निर्धारित करने में शामिल संवैधानिक मूल्यों और हितों की अनेकता है।

46 1 6 (2018) 8 स्केल *72* भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

धार्मिक प्रथाओं का। प्रतिस्पर्धी अधिकारों और हितों के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए, अनिवार्यता की परीक्षा इन आवश्यक सीमाओं से भरी हुई है।

50. क्या दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं को सबरीमाला में तीर्थयात्रा करने और प्रार्थना करने से बाहर रखने की प्रथा है*?*

धार्मिक दस्तावेज। सबसे अच्छा, ये दस्तावेज़ सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी स्वभाव का संकेत देते हैं। इसके और महिलाओं के बहिष्कार के बीच संबंध सामग्री पर ही स्थापित नहीं होता है।
51. संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि इस मामले में तथ्य और कानून के निर्धारण की आवश्यकता है और इसे मुकदमे के लिए भेजा जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि महेंद्रन में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का खंडन करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष कोई नई सामग्री नहीं रखी गई है। उच्च न्यायालय ने

इसमें प्रत्यर्थियों की दलीलें, इस मामले में मुकदमे के लिए मामले को वापस भेजने का सवाल नहीं उठता है। वर्तमान जनहित याचिका की स्थिरता के संबंध में, इस मुद्दे का उत्तर आदि शैव शिवाचारियारगल बनाम तमिलनाडु सरकार, *47* में इस न्यायालय के फैसले से मिलता हैः

" 12 ..... यह तर्क कि वर्तमान रिट याचिका एक सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति से संबंधित एक कारण पर आधारित है और इसलिए एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार्य नहीं है, उन मुद्दों का जवाब देने के लिए अपनाए जाने वाला एक बहुत ही सरल समाधान होगा जिन्हें सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त किया गया है।

जो धार्मिक आस्था और व्यवहार से संबंधित है, उस पर प्रकाश डाला गया

देश के नागरिकों की एक बड़ी संख्या और सदियों पुरानी परंपराओं और कानून के बल वाले उपयोग के दावे करते हैं। उपरोक्त

दूसरा आधार है, अर्थात्, उत्पन्न होने वाले मुद्दों की गंभीरता, जो हमें जवाब देने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है

रिट याचिकाओं में उठाए गए और उत्पन्न होने वाले मुद्दे

उसके गुणों पर निर्धारण "। *(* जोर दिया गया*)*

47 (2016) 2 एस. सी. सी. *725 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महेंद्रन में केरल उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं उच्च न्यायालय ने कहा कि जब पुराने रीति-रिवाज प्रचलित थे, तब भी महिलाओं को मंदिर जाने की अनुमति थी। *48* इसमें एक घटना का उल्लेख किया गया है जिसमें त्रावणकोर के महाराजा ने महारानी और दीवान के साथ *1115* ईस्वी में मंदिर का दौरा किया था। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि मंदिर में अपने बच्चों के पहले चावल खिलाने के समारोह में दस से पचास वर्ष की आयु की महिला उपासकों की उपस्थिति देखी गई है। *49* अयप्पा सेवा संघम के सचिव ने पदच्युत किया था कि पिछले दस से पंद्रह वर्षों के दौरान सबरीमाला में युवा महिलाओं को देखा गया था। *50* एक पूर्व देवस्वोम आयुक्त ने स्वीकार किया कि उनके पोते का पहला चावल खिलाने का समारोह सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि बीस वर्षों के दौरान

52. उच्च न्यायालय ने अभ्यास की अनिवार्यता निर्धारित करने में अनुयायियों की 'पूर्ण स्वायत्तता' के आधार पर कार्यवाही की। इसके बाद पूर्ववर्ती के विकास पर ध्यान दिए बिना, शिरूर मठ में इस उक्ति का पालन किया गया, जिसने निर्धारण में न्यायालय की भूमिका को मजबूत किया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। व्यक्तिगत, गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की त्रिमूर्ति द्वारा प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है। उच्च न्यायालय ने धार्मिक ग्रंथ में इसके आधार की जांच किए बिना पूरी तरह से थंथ्रियों की गवाही पर भरोसा किया या क्या यह प्रथा दावा करती है।

48 उदाहरण के लिए, पैरा *7* में

52 इबिद, पैरा *43* पर

53 आई. बी. आई. डी., पैरा *22* इंडियन यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. में। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

संवैधानिक संरक्षण ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य दिशानिर्देशों को पूरा किया। इस तरह का दृष्टिकोण मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में संवैधानिक न्यायालय की मौलिक भूमिका के खिलाफ है। केवल एक उपयोग *54* स्थापित करने से इसे संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा।

आवश्यक धार्मिक अभ्यास। यह साबित किया जाना चाहिए कि यह प्रथा धर्म के लिए 'आवश्यक' है और इसके मौलिक चरित्र के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। यह बात सिद्ध नहीं हुई है।

यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि अपवर्जन का अभ्यास

सबरीमाला की महिलाएं एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं हैं। हालाँकि, चूंकि इस मामले में दावे का महिलाओं की गरिमा और मौलिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए सिद्धांत के मुद्दे का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

53. इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि पहले के दिनों में महिलाओं पर प्रतिबंध गैर-धार्मिक कारणों से था। *55* द. 'महेंद्रन में उच्च न्यायालय द्वारा देखे गए मुख्य कारण 'यात्राओं की कठिन प्रकृति है जो न्यायालय के अनुसार महिलाओं द्वारा शारीरिक कारणों से पूरी नहीं की जा सकी। यह दावा गलत है।

यह आवश्यकता कि संवैधानिक संरक्षण का दावा करने वाली प्रथा सख्ती से धार्मिक आधार पर होनी चाहिए। महत्वपूर्ण महत्व यह है कि इस तरह का दावा एक रूढ़िवादी *(*और संवैधानिक रूप से*)* में गहराई से निहित है।

त्रुटिपूर्ण*)* धारणा है कि महिलाएं 'कमजोर' लिंग हैं और हो सकता है कि वे ऐसे कार्य न करें जो उनके लिए 'बहुत कठिन' हों। यह पितृत्ववादी दृष्टिकोण है

महिलाओं को समानता और गरिमा की संवैधानिक गारंटी के विपरीत। संविधान को प्रभावित करने वाले मूल्यों के अनुसार इसकी व्याख्या करना। यह आवश्यक है कि महिलाओं की गरिमा, जो अनुच्छेद *15* का एक उद्गम है और अनुच्छेद *21* में स्थापित है, को धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग से अलग नहीं किया जा सकता है। यह मानते हुए कि लिंग की रूढ़िवादी समझ हमारे संविधान के तहत कोई वैध दावा नहीं करती है, हम में से एक *(*जे चंद्रचूड़*)* ने नवतेज सिंह बनाम भारत संघ, *57* में कहाः

"संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्य का परीक्षण किया जाएगा। एक भेदभाव संवैधानिक जांच से बच नहीं पाएगा जब यह अनुच्छेद *15 (1)* में निषिद्ध आधारों द्वारा गठित वर्ग के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं को कायम रखता है। यदि भेदभाव का कोई आधार, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष

54 इबिद, पैरा *37* पर

55 उदाहरण के लिए, पैरा *7* में

56 आई. बी. आई. डी., पैरा *38,43 57* पर *2016 [2018] 9* एस. सी. आर. की रिट याचिका *(*आपराधिक*)* सं. *76*।

लिंग की भूमिका की एक रूढ़िवादी समझ पर आधारित, यह भेदभाव से अलग नहीं होगा जो है

अनुच्छेद *15* द्वारा केवल लिंग के आधार पर निषिद्ध। यदि रूढ़ियों पर आधारित कुछ विशेषताओं को किसी भी आधार द्वारा समूहों के रूप में गठित लोगों के पूरे वर्गों के साथ जोड़ा जाना है

अनुच्छेद *15 (1)* में निषिद्ध, जो एक अनुमेय कारण स्थापित नहीं कर सकता है

भेदभाव करना "।

54. न्यायालय को ऐसे दावे को संवैधानिक संरक्षण देने के खिलाफ झुकना चाहिए जो समान धारक के रूप में महिलाओं की गरिमा का अपमान करता है

अधिकार और संरक्षण। संविधान के लोकाचार में, यह अकल्पनीय है कि पूजा के अधिकार की शर्त लगाने के लिए उम्र को एक तर्कसंगत आधार मिल सकता है। दस से पचास वर्ष की आयु को बहिष्करण के लिए चिह्नित किया गया है।

इस आधार पर कि उस आयु वर्ग की महिलाओं के प्रजनन की उम्र में होने की संभावना है। क्या संविधान महिलाओं को पूजा से बाहर रखने के आधार के रूप में इसकी अनुमति देता है*?* क्या यह तथ्य कि एक महिला की शारीरिक विशेषता है-मासिक धर्म की उम्र में होने की-किसी को या समूह को अधिकार देता है

उसे धार्मिक उपासना से बहिष्कृत करना*?* एक महिला की शारीरिक विशेषताओं का उसके समान अधिकारों के लिए कोई महत्व नहीं है संविधान। दस और पचास वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाएं किसी भी आयु वर्ग में नहीं हो सकती हैं।

मामला 'प्रजनन आयु वर्ग' में आता है। लेकिन मेरे विचार से यह फिर से सार की बात नहीं है। इस मामले का केंद्र संविधान की इस बात पर जोर देने की क्षमता में निहित है कि महिलाओं को पूजा से बाहर रखा गया है गरिमा के साथ असंगत, स्वतंत्रता का विनाशकारी और सभी मनुष्यों की समानता से इनकार। ये संवैधानिक मूल्य एक ऐसे सिद्धांत के रूप में हर चीज से ऊपर खड़े हैं जो धार्मिक विश्वास के दावे का सामना करने पर भी कोई अपवाद नहीं है। महिलाओं को बाहर करना समान नागरिकता के लिए अपमानजनक है।

55. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि सबरीमाला में देवता एक नैष्टिक ब्रह्मचर्य के रूप में है: भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं। यह. प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि सभी अनुयायियों के लिए ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसलिए दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं को सबरीमाला में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ एक धारणा है, जो कायम नहीं रह सकती।

संवैधानिक जांच। इस तरह के दावे में यह धारणा है कि अनुयायियों द्वारा देखी गई ब्रह्मचर्य और तपस्या से विचलन होगा महिलाओं की उपस्थिति के कारण। इस तरह के दावे को संवैधानिक रूप से स्थायी तर्क के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है। इसका प्रभाव एक महिला पर पुरुष के ब्रह्मचर्य का बोझ डालना और उसे ब्रह्मचर्य से विचलन के कारण के रूप में बनाना है। इसके बाद इसका उपयोग उन स्थानों तक पहुंच से इनकार करने के लिए किया जाता है जहां भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. हैं।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

महिलाओं को भी समान अधिकार हैं। यह सुझाव देना कि महिलाएं व्रत नहीं रख सकती हैं, उन्हें कलंकित करना और उन्हें कमजोर और कम मानव होने के रूप में रूढ़िबद्ध करना है। इस तरह की संवैधानिक अदालत को इस तरह के दावों को मान्यता देने से इनकार करना चाहिए।

56. मानवीय गरिमा व्यक्तियों के बीच समानता का प्रतिपादन करती है। सभी मनुष्यों की समानता का अर्थ है प्रतिबंधों से मुक्त होना और

रूढ़िवादिता के अमानवीय प्रभाव और कानून के संरक्षण के लिए समान रूप से हकदार होना। हमारे संविधान ने इच्छा व्यक्त की है कि गरिमा, स्वतंत्रता और समानता व्यक्तियों, राज्य और इस न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करती है। यद्यपि हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म के लिए आवश्यक अधिकारों और प्रथाओं की रक्षा करता है, यह न्यायालय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के प्रयास द्वारा निर्देशित होगा। प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम में, ये ऐसे मूल्य हैं जिन पर संविधान की इमारत खड़ी है। वे हमारी संवैधानिक व्यवस्था को एक न्यायपूर्ण, समान और गरिमापूर्ण समाज के भविष्य के लिए एक दृष्टि प्रदान करते हैं। इन मूल्यों का आंतरिक सिद्धांत अपवर्जन विरोधी है। बहिष्करण गरिमा के लिए विनाशकारी है। एक महिला को पूजा की शक्ति से बाहर रखना मौलिक रूप से संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।

57. संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी 'अशुद्धता' के आधार पर तीर्थयात्रा करने या सबरीमाला में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मासिक धर्म के आसपास का कलंक मासिक धर्म वाली महिलाओं की अशुद्धता में पारंपरिक मान्यताओं के इर्द-गिर्द बनाया गया है। संवैधानिक व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है। इन मान्यताओं का उपयोग महिलाओं को बांधने, उन्हें समान अधिकारों से वंचित करने और उन्हें पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आदेशों के अधीन करने के लिए किया गया है। एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति उसे होने की गरिमा और व्यक्तित्व की स्वायत्तता से वंचित करने के लिए एक वैध संवैधानिक आधार नहीं हो सकती है। एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति गहरी व्यक्तिगत और उसकी गोपनीयता का एक आंतरिक हिस्सा है। संविधान को इसे एक ऐसी विशेषता के रूप में मानना चाहिए जिसके आधार पर कोई बहिष्कार नहीं किया जा सकता है और कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी निकाय या समूह इसे एक महिला की पूर्ति की खोज में बाधा के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है, जिसमें निर्माता के साथ जुड़ाव में उसे सांत्वना देना भी शामिल है।

एच धार्मिक संप्रदाय

58. याचिका के जवाब के प्रमुख पहलुओं में से एक यह है कि सबरीमाला एक सांप्रदायिक मंदिर है और संविधान के अनुच्छेद *26* द्वारा 'धार्मिक संप्रदायों' को दिए गए अधिकारों का हकदार है।

59. अनुच्छेद *26* द्वारा प्रदत्त अधिकार अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वे अनुच्छेद *25* द्वारा गारंटीकृत अधिकारों से अलग हैं। देवरू में, इस न्यायालय ने इस तरह के अधिकार के आवेदन पर स्पष्ट किया और कहा कि

जहां सांप्रदायिक अधिकार अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* को काफी हद तक कम कर देंगे, वहां पहले वाले को बाद वाले के अधीन होना चाहिए। हालांकि, जब अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* का दायरा काफी हद तक प्रभावित नहीं होता है, तो " "जनता के अधिकारों से अलग" मूल्यवर्ग दिया जा सकता है।

प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, ऐसे अधिकार प्रकृति में "सख्ती से" सांप्रदायिक होने चाहिए।

वर्षों से न्यायिक मानदंड उभर कर सामने आए हैं

इस न्यायालय की घोषणाएँ कि क्या व्यक्तियों का एक समूह एक 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में योग्य है। निर्धारण करते समय, इस न्यायालय की पीठों ने सांप्रदायिक स्थिति की मांग करने वाले सामूहिक के इतिहास और संगठन का उल्लेख किया है।

60. शिरूर मठ हिंदू धर्म में द्वैतवादी ईश्वरवाद के प्रतिपादक श्री माधवाचार्य द्वारा स्थापित आठ मठों में से एक की स्थिति से संबंधित है। न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने "धार्मिक संप्रदाय" अभिव्यक्ति के सटीक अर्थ और क्या "मठ" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, इसकी जांच की:

" 15 ..... ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में "मूल्यवर्ग" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "एक ही नाम के तहत एक साथ वर्गीकृत व्यक्तियों का संग्रह: एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय जिसका एक सामान्य विश्वास और संगठन है और जिसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों से एक तीन गुना परीक्षण उभरता है: *((i)* एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय का अस्तित्व; *(ii)* एक साझा विश्वास

जो धार्मिक संप्रदाय और एक सामान्य आध्यात्मिक संगठन से संबंधित हैं; और *(iii)* एक विशिष्ट नाम का अस्तित्व।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "आध्यात्मिक बंधुत्व" का प्रतिनिधित्व

श्री माधवाचार्य के अनुयायी, एक धार्मिक संप्रदाय का गठन करते हैं:

*" 15.*यह सर्वविदित है कि गणित को केंद्रों के रूप में स्थापित करने की प्रथा

धर्मशास्त्रीय शिक्षा की शुरुआत श्री शंकराचार्य ने की थी और

तब से विभिन्न शिक्षकों ने उनका अनुसरण किया। शंकर के बाद, धार्मिक शिक्षकों और दार्शनिकों का एक समूह आया जिन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों और उप-संप्रदायों की स्थापना की जो हम वर्तमान समय में भारत में पाते हैं। ऐसे संप्रदायों या उप-संप्रदायों में से प्रत्येक

निश्चित रूप से एक धार्मिक संप्रदाय कहा जा सकता है, क्योंकि यह है

एक विशिष्ट नाम से नामित, कई मामलों में यह है
संस्थापक का नाम,-- और एक सामान्य विश्वास और सामान्य *[*डी. आई. ए. एन. यंग लॉयर्स ए. एस. एन.*]* है।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

आध्यात्मिक संगठन। रामानुज के अनुयायी, जो हैं

श्री वैष्णव के नाम से जाना जाता है, निस्संदेह एक

धार्मिक संप्रदाय; और माधवाचार्य के अनुयायी भी करते हैं। और अन्य धार्मिक शिक्षक। यह परंपरा द्वारा अच्छी तरह से स्थापित एक तथ्य है।

कि आठ उडुपी मठों की स्थापना मध्वाचार्य ने की थी स्वयं और न्यासी और इन मठों के लाभार्थी

उस शिक्षक के अनुयायी होने का दावा करें। *"(*जोर दिया गया*)*

61. देवरू में, न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर ने विचार किया कि क्या

श्री वेंकटरमण से जुड़े ओवड सरस्वती ब्राह्मण

ले, को एक धार्मिक संप्रदाय माना जा सकता है। ऐसा करते हुए,

टी ने एक तथ्यात्मक जांच कीः

" 14 ..... अब तथ्य यह है कि इस समुदाय के सदस्य गौड़ा देसा से पहले गोवा क्षेत्र में प्रवास किया और फिर

दक्षिण, कि वे अपनी मूर्तियों को अपने साथ ले गए, और जब

वे पहले मूल्की में बसे थे, एक मंदिर की स्थापना की गई थी और ये

उसमें मूर्तियाँ स्थापित की गई थीं। इसलिए हम चिंतित हैं

गौड़ा सरस्वती ब्राह्मण एक वर्ग के रूप में नहीं

समुदाय लेकिन नींव से जुड़े एक संप्रदाय के रूप में और

श्री वेंकटरमण मंदिर का रखरखाव, अन्य में

शब्द, केवल एक संप्रदाय के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक के रूप में

मूल्यवर्ग। पीडब्लू *1* के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि

गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों के तीन गुरु हैं।

मूल्की पेटाह काशी मठ के प्रमुख के अनुयायी हैं, और कि वह वह है जो कुछ महत्वपूर्ण समारोहों में प्रदर्शन करता है

मंदिर। प्रदर्शनी ए वर्ष *1826-27* का एक दस्तावेज है। यह दिखाता है कि काशी मठ के प्रमुख ने दोनों के बीच के विवादों का निपटारा किया

अर्चक, और वे उनके आदेश पर पूजा करने के लिए सहमत हुए।

पीडब्लू *1* के निर्विवाद साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि

कुछ धार्मिक समारोह, गौड़ा के अलावा अन्य व्यक्ति

सरस्वती ब्राह्मणों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। यह

साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मंदिर

एक संप्रदाय है, जैसा कि द्वारा तर्क दिया गया है

याचिकाकर्ता "।

(जोर दिया गया*)*

यह, दूसरे शब्दों में, केवल एक संप्रदाय से जुड़ा नहीं था

एकता लेकिन नींव और रखरखाव से जुड़ा हुआ एक

म्पल। यह एक आध्यात्मिक प्रमुख के साथ जोड़ा गया था जो जिम्मेदार था ई धार्मिक पूजा का प्रदर्शन।

अदालत ने नोट किया कि दान के एक विलेख से साबित होता है कि मंदिर की स्थापना गौड़ा सरस्वती समुदाय के लाभ के लिए की गई थी, और

यह निष्कर्ष निकाला कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर एक संप्रदाय मंदिर के रूप में योग्य है।

" 15 ..... जब किसी मंदिर के समर्पण की प्रकृति और विस्तार के बारे में कोई प्रश्न होता है, तो उसे दान के विलेख की शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, यदि वह उपलब्ध है और जहां नहीं है,

कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य सामग्री और लंबे समय तक चलने का प्रमाण

निर्बाध उपयोगकर्ता इसकी शर्तों का ठोस प्रमाण होगा। इसलिए, जहां दान का मूल विलेख उपलब्ध नहीं है और यह पाया जाता है कि सभी व्यक्ति बिना किसी बाधा के मंदिर में स्वतंत्र रूप से पूजा कर रहे हैं, तो यह एक उचित निष्कर्ष होगा कि वे ऐसा अधिकार के रूप में करते हैं, और यह कि मूल आधार उनके लाभ के लिए भी था। लेकिन जहां यह उत्पादन द्वारा साबित होता है
विलेख, दान या अन्यथा कि मूल समर्पण किसी विशेष समुदाय के लाभ के लिए था, यह तथ्य कि

अन्य समुदायों के सदस्यों को पूजा करने की स्वतंत्रता दी गई थी

यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि समर्पण उनके लाभ के लिए भी था। न्यायालय के निष्कर्षों पर कि नींव मूल रूप से गौड़ा सरस्वती ब्राह्मण के लाभ के लिए थी
समुदाय, यह तथ्य कि हिंदुओं के अन्य वर्गों को मंदिर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश दिया गया था, समर्पण के दायरे को आम तौर पर जनता के लिए एक में बढ़ाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साक्ष्य पर विचार करने पर, हम अदालत में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निष्कर्ष से अलग होने का कोई आधार नहीं देखते हैं कि वाद मंदिर एक सांप्रदायिक मंदिर है जिसकी स्थापना उनके लिए की गई थी।

गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों का लाभ "।

मंदिर का समर्पण विशेष रूप से गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों के लिए किया गया था। यह मंदिर सभी समुदायों के अनुयायियों के लिए समर्पित नहीं था। *62.* एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ *("*मित्तल*") 58* में,
न्यायालय की राय देने वाले न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि श्री अरबिंदो के अनुयायी एक धार्मिक

संप्रदाय नहीं हैं। न्यायालय ने 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को तैयार किया:

"*80.* संविधान के अनुच्छेद *26* में "धार्मिक संप्रदाय" शब्द
संविधान को "धर्म" शब्द से अपना रंग लेना चाहिए और यदि

58 1983 1 एस. सी. सी. *51 [*डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन.। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

इस प्रकार, "धार्मिक संप्रदाय" अभिव्यक्ति को भी संतुष्ट करना चाहिए।

तीन शर्तें:

"*(1)* यह उन व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए जिनके पास एक प्रणाली है

विश्वास या सिद्धांत जिन्हें वे अपनी आध्यात्मिकता के लिए अनुकूल मानते हैं

कल्याण, अर्थात, एक सामान्य विश्वास; *(2)* सामान्य संगठन; और

(3) एक विशिष्ट नाम से पदनाम।

9959

ये परीक्षण, जैसा कि हमने देखा है, शिरूर का एक पुनर्कथन है।

सूत्रीकरण।

न्यायालय ने अरबिंदो के संगठन और गतिविधियों पर ध्यान दिया

और इस बात पर जोर दिया कि एक सामूहिक जो एक धार्मिक स्थिति की मांग कर रहा है

खनन एक धार्मिक संस्था होनी चाहिए:

"*120.* यह आगे तर्क दिया गया कि एक धार्मिक संप्रदाय को अनिवार्य रूप से

अपने संविधान में "धर्म" शब्द को छोड़ दिया है। समाज दानदाताओं के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन होने का दावा किया

और इस आधार पर आयकर छूट प्राप्त की कि यह एक नहीं था

धार्मिक संस्था। सोसायटी ने छूट का दावा किया है

दानदाताओं के लिए धारा *80* के तहत और धारा *35* के तहत आयकर

उस जमीन पर अपने लिए। आश्रम ट्रस्ट ऑरोविले से अलग था। आश्रम। आश्रम ट्रस्ट ने भी आयकर छूट के लिए आवेदन किया था

और इसे उसी जमीन पर पाया। अरबिंदो सोसायटी ने भी यही दावा किया

इस आधार पर छूट कि यह एक धार्मिक संस्था नहीं थी और

मिल गया। उन्होंने सरकार को यह भी बताया कि वे नहीं थे

वित्तीय सहायता के लिए उनके आवेदन में एक धार्मिक संस्था

स्वैच्छिक हिंदुओं के लिए सहायता की केंद्रीय योजना के तहत संगठन। *60*

121. हमारे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर। द.

सोसायटी के संगठन का ज्ञापन, कई आवेदन

सोसायटी द्वारा धारा *35* के तहत छूट का दावा किया गया और

आयकर अधिनियम की धारा *80*, श्री के बार-बार उच्चारण

अरविंदो एंड द मदर द सोसाइटी एंड ऑरोविले थे

धार्मिक संस्थान और कई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

सन्देह की गुंजाइश है कि न तो सोसायटी और न ही ऑरोविले एक

, पृष्ठ *85* पर

, पृष्ठ *98 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धार्मिक संप्रदाय और केवल श्री अरबिंदो की शिक्षाएँ

उन्होंने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व किया न कि किसी धर्म का।

यह संप्रदाय एक साझा दर्शन पर आधारित था न कि धार्मिक मान्यताओं या आस्था के एक सामान्य समूह पर। इसलिए, संप्रदाय को धार्मिक संप्रदाय होने के योग्य नहीं माना गया था।

63. अन्य निर्णयों में उपरोक्त परीक्षणों का पालन किया गया है। अवधूत प्रथम में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि आनंद

पश्चिम बंगाल के मार्गी अनुच्छेद *26* के तहत एक धार्मिक संप्रदाय का गठन करते हैं, क्योंकि वे तीनों शर्तों को पूरा करते हैं:

"*11.* ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद मार्ग तीनों शर्तों को पूरा करता है। यह उन व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके पास विश्वासों की एक प्रणाली है जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं; उनका एक सामान्य संगठन है और इन व्यक्तियों के संग्रह का एक विशिष्ट नाम है। इसलिए, आनंद मार्ग को हिंदू धर्म के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में उचित रूप से माना जा सकता है।
ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर शाई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य *6 3* में, ए

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मित्तल में फिर से बताए गए परीक्षणों को स्वीकार करते हुए कहा कि रामकृष्ण के अनुयायी एक धार्मिक संप्रदाय का गठन करते हैं:

द्वारा परिकल्पित और प्रचारित वेदांत के सिद्धांत
शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, जो पहले हिंदू धर्म के प्रतिपादक थे। इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सही कहा है, रामकृष्ण के अनुयायी, जो व्यक्तियों का एक समूह हैं, जो एक प्रणाली का पालन करते हैं।

उनकी आध्यात्मिक भलाई के लिए अनुकूल मान्यताओं का, जो
स्वयं को सामूहिक रूप से संगठित किया है और जिनके पास है

62 इबिद, पृष्ठ *530* पर

63 (1995) 4 एस. सी. सी. *646* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

रामकृष्ण मठ के रूप में निश्चित नाम का संगठन या

रामकृष्ण मिशन, हमारे विचार में, एक के रूप में माना जा सकता है

हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक संप्रदाय '।

(जोर दिया गया*)*

नल्लोर मार्थंडम वेल्लालर बनाम आयुक्त, हिंदू

धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती *65* दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु में वेल्ला समुदाय एक धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करता है। न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि समुदाय की आम आस्था का आधार "धर्म" में होना चाहिए:

"*7.* विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह कानून में तय स्थिति है।
इस न्यायालय का कहना है कि "धार्मिक संप्रदाय" शब्द उनके

"धर्म" शब्द का रंग। अभिव्यक्ति "धार्मिक"

मूल्यवर्ग "को तीन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए: *(1)* यह एक होना चाहिए

उन व्यक्तियों का संग्रह जिनके पास विश्वास या सिद्धांत की प्रणाली है

जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं-अर्थात
सामान्य विश्वास; *(2)* एक सामान्य संगठन; और *(3)* पदनाम

एक विशिष्ट नाम। यह अनिवार्य रूप से निम्नलिखित है कि आम

समुदाय की आस्था धर्म पर आधारित होनी चाहिए और
कि उनके पास समान धार्मिक सिद्धांत और बुनियादी सिद्धांत होने चाहिए

जो डोर उन्हें जोड़ती है, वह धर्म होना चाहिए न कि
केवल जाति या समुदाय या सामाजिक विचार

स्थिति *". 66*

(जोर दिया गया*)*

यद्यपि एक त्रि-आयामी परीक्षण के रूप में तैयार किया गया है, एक चौथा तत्व

कथा से उभरता है। यह धार्मिक सिद्धांतों के एक सामान्य समूह की स्थिति है। धर्म वह है जो एक धार्मिक संप्रदाय को बांधता है। जाति, समुदाय और सामाजिक स्थिति धार्मिक स्थिति नहीं लाती है।

मूल्यवर्ग।

64. ये उदाहरण उन सामग्रियों को इंगित करते हैं जो होनी चाहिए

व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में माना जाता है। ये एक आम आस्था, एक आम संगठन और एक विशिष्ट नाम है जो धर्म के तहत एक साथ लाया गया है। एक आम धागा जो उनके माध्यम से चलता है वह एक धार्मिक पहचान की आवश्यकता है, जो एक धार्मिक संप्रदाय के चरित्र के लिए मौलिक है।

64 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *648-649 65 (2003) 10* एस. सी. सी. *712 66* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *716 [2018] 9* एस. सी. आर.

प्र. *1* क्या भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय हैं*?*

65. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो भक्त इकतालीस दिन का तपस्या करते हैं, वे

"अय्यप्पास्वामी" नामक संप्रदाय या खंड और सामान्य संगठन "अय्यप्पों" का संगठन है। वे प्रस्तुत करते हैं कि 'अयप्पा' एक समान विश्वास में विश्वास करते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि यदि वे निर्धारित तरीके से *41* दिनों की तपस्या करते हैं, तो खुद को शुद्ध और अप्रदूषित रखते हुए, वे भगवान अयप्पा के साथ एक हो जाएंगे। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. परासरन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि भगवान अयप्पा के भक्त एक पवित्र धार्मिक विश्वास रखते हैं कि सबरीमाला में देवता ब्रह्मचारी हैं-एक नैश्तिका ब्रह्मचारी-जो सख्त तपस्या और ब्रह्मचर्य के सख्त रूप का अभ्यास करते हैं, जिसमें वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।

युवा महिलाओं की उपस्थिति में खुद को नहीं पा सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि भगवान अयप्पा में महिला भक्त हैं। इसलिए, दस साल से कम उम्र की लड़कियां और पचास साल से अधिक उम्र की महिलाएं

मूल्यवर्ग के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें एक संप्रदाय के सदस्य के रूप में कैसे माना जा सकता है जो उन्हें बाहर करने की मांग करता है। इस न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि व्यक्तियों के समूह में एक समान विश्वास और मान्यताओं का समूह होना चाहिए जो उनके आध्यात्मिक कल्याण में सहायता करते हैं। यह असंभव है कि महिलाओं को एक आम आस्था की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए, जो चालीस साल की अवधि के लिए उनके आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल है और पचास साल की उम्र में सदस्यता फिर से शुरू करनी चाहिए। इस तरह की आवश्यकता संप्रदाय के आध्यात्मिक चरित्र से दूर ले जाती है।

66. महेंद्रन में केरल उच्च न्यायालय के फैसले ने कई पहलुओं को दर्ज किया जो वास्तव में यह स्थापित करेंगे कि अयप्पन एक धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करते हैं। जबकि विवादित अधिसूचना में कहा गया है कि दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं को प्राचीन काल से पालन की जाने वाली प्रथा के रूप में मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया है, केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा लिया गया रुख काफी हद तक अलग है। बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया थाः

"*7.* पुराने दिनों में उपासक *41* दिनों तक तपस्या करने के बाद ही मंदिर जाते थे। चूँकि सबरीमाला मंदिर के तीर्थयात्रियों को *41* दिनों के लिए 'व्रत' या तपस्या करनी चाहिए, आमतौर पर *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाएं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होंगी।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

शारीरिक आधार पर *41* दिनों तक व्रत का पालन करना। द.

जहाँ पुराने रीति-रिवाज प्रचलित थे, वहाँ औरतें जाती थीं। मंदिर हालांकि बहुत कम होता है। त्रावणकोर के महाराजा

महारानी और दीवान के साथ आए थे

1115 ई. में मंदिर के लिए इस प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं था

पुराने दिनों में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर नहीं जा रही थीं। कि

यह हिंदुओं द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध के कारण नहीं था

धर्म लेकिन अन्य गैर-धार्मिक कारकों के कारण। हाल ही में

वर्षों से, कई उपासक महिला के साथ मंदिर गए थे

पहले चावल के लिए *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग के उपासक

उनके बच्चों को खिलाने का समारोह *(*चोट्टोनू*)*। बोर्ड

भुगतान पर ऐसे अवसरों पर रसीदें जारी करने के लिए उपयोग किया जाता था

निर्धारित शुल्क। पुरानी प्रथा और व्यवहार में बदलाव

में एक ध्वज कर्मचारी *(*ध्वजम*)* स्थापित करके लाया गया था

1969. परिचय द्वारा एक और बदलाव लाया गया था

पदिपुजा का। ये थंथ्री की सलाह पर किए गए थे।

अन्य प्रथाओं में भी परिवर्तन किए गए। अभ्यास

18 सीढ़ियों पर नारियल तोड़ना बंद कर दिया गया था और

उपासकों को केवल नारियल फोड़ने की अनुमति थी

अठारह पवित्र सीढ़ियों के नीचे रखा गया पत्थर *(*पथिनेतम*)* पदी*)*। इन परिवर्तनों को संरक्षित करने के लिए लाया गया था

मंदिर और परिसर अपने सभी उल्लास और पवित्रता में। *67*

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त उद्धरण के अनुसार, "पुराने दिनों" में कोई नहीं था

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध।

महिलाओं ने 'गैर-धार्मिक' होने के कारण कम संख्या में मंदिर का दौरा किया

एनएस। उच्च न्यायालय के समक्ष बोर्ड की प्रस्तुति से पता चलता है

के बाद भी निषेध का लगातार पालन नहीं किया गया है

केशन जारी किया गया था।

" *8.* पिछले *20* वर्षों से महिलाएं चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो

मासिक रूप से खुलने पर मंदिर जाने की अनुमति थी पूजा करते हैं। इस दौरान उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

मंडलम, मकरविलक्कु और विशू ऋतुएँ। नियम यह है कि

, पृष्ठ *45 [2018] 9* एस. सी. आर. पर

इन मौसमों के दौरान *10* वर्ष से अधिक और *50* वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। *68*

9. दूसरे प्रतिवादी, पूर्व देवस्वम आयुक्त श्रीमती. एस. चंद्रिका ने अपने जवाबी-हलफनामे में स्वीकार किया कि उनके पोते का पहला चावल खिलाने का समारोह *1* तारीख को आयोजित किया गया था।

सबरीमाला मंदिर में चिंगम *1166* जब वह देवस्वम आयुक्त का पद संभाल रही थीं। *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध केवल मंडलम, मकरविलक्कु और विशू के दौरान है। देवस्वम बोर्ड द्वारा की गई शर्तों के अनुसार इस दौरान कोई प्रतिबंध नहीं है

शेष अवधि। जब मासिक पूजा की जाती है, तो सभी आयु वर्ग की महिलाएं सबरीमाला जाती थीं। चिंगम *1166* की पहली तारीख को मंदिर में अन्य बच्चों को चावल खिलाने का पहला समारोह भी आयोजित किया गया था। उस दिन उनके पोते को कोई वी. आई. पी. उपचार नहीं दिया गया था। यही सुविधा दूसरों को भी दी जाती थी। उनकी बेटी की शादी *13-7-1984* पर हुई थी और वह काफी लंबे समय से बच्चे को जन्म नहीं दे रही थी। उन्होंने शपथ ली कि अगर ऐसा हुआ तो सबरीमाला में पहला चावल खिलाने का समारोह किया जाएगा।

वह एक बच्चे को जन्म देती है। यही कारण है कि उनके द्वारा दिए गए बच्चे का पहला चावल खिलाने का समारोह उस मंदिर में किया गया था। मासिक पूजा के दौरान मंदिर में युवा महिलाओं का प्रवेश मंदिर में पालन किए जाने वाले रीति-रिवाजों और प्रथाओं के खिलाफ नहीं है।

(जोर दिया गया*)*

67. बोर्ड के रुख से पता चलता है कि एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा का लगातार पालन नहीं किया गया है। इस दावे का आधार कि अयपनों का एक धार्मिक संप्रदाय मौजूद है, यह है कि पीठासीन देवता ब्रह्मचारी हैं और पूजा के लिए इकतालीस दिनों का सख्त शासन निर्धारित किया गया है। दस से पचास वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं शारीरिक कारणों से *(*यह दावा किया जाता है*)* पूजा से जुड़ी तपस्या करने में सक्षम नहीं होंगी और इसलिए उनकी बहिष्करण एक आम विश्वास के लिए आंतरिक है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, दस से पचास वर्ष की आयु के बीच महिलाओं के बहिष्कार को एक समान प्रथा या सिद्धांत नहीं दिखाया गया है। महेन्द्रन में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सामग्री वास्तव में इंगित करती है कि सदियों से ऐसा कोई समान सिद्धांत नहीं था। इसलिए, यह दावा कि महिलाओं का बहिष्कार देवता की पूजा करने वालों द्वारा आयोजित धार्मिक मान्यताओं के एक सामान्य समूह का हिस्सा है

68 इबिद, पृष्ठ *45* पर

69 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों *45-46* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. पर। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

स्थापित नहीं। इन सबसे ऊपर, एक धार्मिक संप्रदाय के लिए जो महत्वपूर्ण है वह एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय है। एक समान आस्था और आध्यात्मिक संगठन वह राग होना चाहिए जो अनुयायियों को एकजुट करता है।

68. न्यायमूर्ति राजागोपाला अयंगर ने सैफुद्दीन में अपने सहमति वाले फैसले में 'धार्मिक संप्रदाय' में सिद्धांतों, पंथों और सिद्धांतों की पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया:

"*52 .....* एक धार्मिक संप्रदाय की पहचान उसके सिद्धांतों, पंथों और सिद्धांतों की पहचान में होती है और इनका उद्देश्य उस विश्वास की एकता सुनिश्चित करना है जिसे उसके अनुयायी मानते हैं और धार्मिक विचारों की पहचान संघ के बंधन हैं जो उन्हें बांधते हैं।

एक समुदाय के रूप में एक साथ "।

फैसले में फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलंडी ओवरटाउन *70* में लॉर्ड हैल्सबरी के फैसले का हवाला दिया गया:

"आवश्यक वस्तुओं के अनुरूपता के अभाव में, मूल्यवर्ग राय की सामंजस्यपूर्ण एकरूपता द्वारा दृढ़ता में मजबूत एक इकाई नहीं होगी, यह केवल एक असंगत ढेर होगा, जैसा कि यह था,
रेत के दाने, बिना एकजुट हुए एक साथ फेंके जाते हैं, इनमें से प्रत्येक बौद्धिक और अलग-अलग अनाज एक दूसरे से अलग होते हैं, और पूरे एक लेकिन नाममात्र रूप से एकजुट होते हुए वास्तव में असंबद्ध द्रव्यमान बनाते हैं; आंतरिक विषमता के अलावा कुछ भी नहीं, और आपसी

और पारस्परिक विरोधाभास और मतभेद "।

69. एक 'सामान्य विश्वास' का पालन करने के लिए यह आवश्यक होगा कि विशेष विश्वास की अवधारणा के बाद से मान्यताओं के एक सामान्य समूह का पालन किया गया है।

संप्रदाय या संप्रदाय। तीर्थयात्रा की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि सभी धर्मों के तीर्थयात्री तीर्थयात्रा में समान आधार पर भाग लेते हैं। मुसलमान और ईसाई तीर्थयात्रा करते हैं। किसी भी धर्म का सदस्य कर सकता है

भगवान अयप्पा की पूजा करने वाले व्यक्तियों के समूह का हिस्सा बनें। धर्म देवता की पूजा करने वाले व्यक्तियों के समूह का आधार नहीं है। धार्मिक पहचान के बिना, सामूहिक रूप से एक 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में माने जाने का दावा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद *26* के दायरे में आने के लिए, एक संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय होना चाहिए। की पूजा पीठासीन देवता किसी विशेष धर्म के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ एक सामान्य आध्यात्मिक संगठन का अभाव है, जो एक धार्मिक संप्रदाय के गठन के लिए एक आवश्यक तत्व है। जिस मंदिर में पूजा की जाती है, वह जनता को समर्पित है और वास्तव में समाज के बहुवचन चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर कोई, चाहे वह किसी भी धर्म का हो

70 (1904) ए. सी. *515*, पृष्ठ *616 [2018] 9* एस. सी. आर.

विश्वास, देवता की पूजा कर सकते हैं। रूपों से जुड़ी प्रथाएँ

पूजा एक धार्मिक संप्रदाय में भक्तों का गठन नहीं करती है।

न्यायिक रूप से निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यक्तियों के समूह की असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, हम उन व्यक्तियों के समूह को मान्यता नहीं दे सकते हैं जो खुद को "अयप्पन" या भगवान अयप्पा के भक्तों को "धार्मिक संप्रदाय" के रूप में संदर्भित करते हैं।

1 अनुच्छेद *17*, "अस्पृश्यता" और शुद्धता की धारणाएँ

70. याचिकाकर्ताओं और न्यायमित्र श्री राजू रामचंद्रन ने आग्रह किया कि सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में रीति-रिवाजों के आधार पर महिलाओं को प्रवेश से वंचित करना "अस्पृश्यता" की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद *17* का उल्लंघन है। इस तर्क का विरोध इस तर्क से किया गया है कि अनुच्छेद *17* विशेष रूप से जाति-आधारित अस्पृश्यता तक सीमित है और लिंग-आधारित बहिष्कार को शामिल करने के लिए इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। इन प्रतिद्वंद्वी स्थितियों को समझने के लिए न्यायालय को संविधान में अनुच्छेद *17* को शामिल करने के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और निर्माताओं के इरादे पर विचार करने की आवश्यकता है।

71. अनुच्छेद *17* हमारी संवैधानिक योजना में एक अनूठा स्थान रखता है। अनुच्छेद, जो एक सामाजिक प्रथा को प्रतिबंधित करता है, मौलिक अधिकारों पर अध्याय में स्थित है। निर्माताओं ने अनुच्छेद *17* पेश किया, जो भेदभावपूर्ण और अमानवीय सामाजिक प्रथा को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद *14* और *15*, जो समानता और गैर-भेदभाव का प्रावधान करते हैं। जबकि संवैधानिक कानून पर पाठ्यपुस्तकों में अनुच्छेद *17* के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है, यह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें एक सर्वोपरि सामाजिक प्रावधान है।

अतीत को स्वीकार करने और वर्तमान और भविष्य के लिए संविधान के दृष्टिकोण को परिभाषित करने दोनों के संदर्भ में इसका महत्व है। अनुच्छेद *17* प्रदान करता हैः

" " " " अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता का प्रवर्तन

" अस्पृश्यता "के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

कानून के साथ "।

पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद *17*, के अन्य प्रावधानों के बीच संविधान में समाज की मुख्यधारा में उन व्यक्तियों और समूहों को लाने की परिकल्पना की गई है जो अन्यथा समाज के भारतीय युवा वकीलों के संगठन में बने रहते।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

नीचे या इसके किनारों पर "*7 1.* अनुच्छेद *17* उन लोगों के लिए समानता और न्याय का संवैधानिक वादा है जो श्रेणीबद्ध असमानता में स्थापित पारंपरिक विश्वास प्रणाली के सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। अनुच्छेद *17* सभी राज्य, समूहों, व्यक्तियों, कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठित धर्म के खिलाफ लागू करने योग्य है- और एक लागू करने योग्य कानून का प्रतीक है।

संवैधानिक जनादेश। इसे केवल एक निर्देशात्मक सिद्धांत से परे, लागू करने योग्य मौलिक अधिकारों के संवैधानिक आधार पर रखा गया है। दो कारणों से। पहला, "अस्पृश्यता" सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों और उनकी गरिमा का उल्लंघन है। दूसरा, फ्रेमर्स

अन्य मौलिक अधिकारों के साथ, "कमजोर लोगों को सामूहिक भलाई प्राप्त करने की शक्ति देने" के लिए डिज़ाइन किया गया था। अनुच्छेद *17* संविधान के परिवर्तनकारी आदर्श का प्रतिबिंब है, जो अभिव्यक्ति देता है - सामाजिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और समुदायों की आकांक्षाएं, और कट्टरपंथी सामाजिक परिवर्तन के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। अनुच्छेद *17,* अन्य संवैधानिक प्रावधानों *7 3* के साथ, हाशिए पर पड़े समुदायों और व्यक्तियों के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा की मान्यता और समर्थन के रूप में देखा जाना चाहिए, जिन्होंने सामंती और जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था द्वारा अपने भाग्य को कुचल दिया है।

72. संविधान निर्माताओं ने "अस्पृश्यता" शब्द को परिभाषित नहीं किया। संविधान सभा की कार्यवाही से पता चलता है कि

यह जानबूझकर किया गया था। बी. शिव राव ने मौलिक अधिकारों पर उप-समिति की कार्यवाही का वर्णन किया है, जो इस कार्य को कर रही थी।

मौलिक अधिकारों पर मसौदा प्रावधान तैयार करना। के. एम. मुंशी के मौलिक अधिकारों के मसौदे में "अस्पृश्यता" के उन्मूलन का प्रावधान करने वाला एक खंड शामिल था। उनके मसौदे के अनुच्छेद *III* के खंड *4 (ए)* में प्रावधान किया गया हैः

> "अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसकी प्रथा दंडनीय है।
>
> संघ के कानून द्वारा "।

डॉ. अम्बेडकर के मसौदे के अनुच्छेद *2* के खंड *1* में प्रावधान किया गया है किः

> "पद, जन्म, व्यक्ति, परिवार से उत्पन्न कोई विशेषाधिकार या अक्षमता,
>
> धर्म या धार्मिक उपयोग और प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है।

71 ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस *(1999),* पृष्ठ *xii-xiii* पर

72 भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता राजीव भागवत *(संस्करण),* ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस *(2008),* पृष्ठ *15* पर

73 अनुच्छेद *15 (2)* और *23,* भारत का संविधान *74* बी. शिव राव, भारत के संविधान का निर्माणः एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968),* पृष्ठ *202 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29 मार्च *1947* को "अस्पृश्यता" पर खंड पर चर्चा करते हुए, मौलिक अधिकारों पर उप-समिति ने मुंशी के मसौदे को स्वीकार कर लिया। एक मौखिक संशोधन कि शब्द "संघ के कानून द्वारा दंडनीय है" अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना "एक अपराध होगा"। *75* मसौदे पर विचार करते हुए, संवैधानिक सलाहकार, बी एन राउ ने टिप्पणी की कि "अस्पृश्यता" के अर्थ को कानून में परिभाषित करना होगा जो प्रावधान को लागू करने के लिए भविष्य में अधिनियमित किया जाएगा। अंदर घुसना।

प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने जब *14* अप्रैल *1947* को अपनी मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बैठक की, तो "अस्पृश्यता" शब्द के बाद "किसी भी रूप में" शब्दों को जोड़ने का फैसला किया। यह विशेष रूप से किया गया था *[अस्पृश्यता]* प्रथा के निषेध को व्यापक बनाने का आदेश।

इसके बाद, *21* अप्रैल *1947* को, मौलिक अधिकारों पर उप समिति द्वारा प्रस्तावित खंड पर सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया। समिति, जहाँ जगजीवन राम के पास एक तीखा प्रश्न था। नोट करते हुए

आमतौर पर "अस्पृश्यता" शब्द हिंदू समाज में प्रचलित एक प्रथा को संदर्भित करता है, उन्होंने पूछा कि क्या समिति का इरादा हिंदुओं, ईसाइयों या अन्य समुदायों के बीच अस्पृश्यता को समाप्त करना था या क्या यह "अंतर-सांप्रदायिक" अस्पृश्यता पर भी लागू होता है। शिव राव ने बताया कि समिति इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंची है कि "खंड का उद्देश्य अस्पृश्यता को उसके सभी रूपों में समाप्त करना था-चाहे वह किसी समुदाय के भीतर अस्पृश्यता हो या दोनों के बीच। विभिन्न समुदायों के *77.* कार्यवाही में, के. एम. पणिक्कर ने इस बात को विस्तार से बताते हुए कहा कि खंड का उद्देश्य विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करना है।

अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली अक्षमताएँ, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। *78* उन्होंने टिप्पणी कीः

"अगर कोई कहता है कि वह मुझे छूने नहीं जा रहा है, तो यह एक नागरिक अधिकार नहीं है जिसे मैं अदालत में लागू कर सकता हूं। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा से कुछ प्रकार की अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं। वे अक्षमताएँ नागरिक दायित्वों या नागरिक अक्षमताओं की प्रकृति में हैं और हमने जो प्रदान करने का प्रयास किया है वह यह है कि

75 आई. बी. आई.

76 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968)*, पृष्ठ *202* पर

77 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968)*, पृष्ठ *202* पर

78 बी. शिव राव ने टिप्पणी की है कि पणिक्कर का संदर्भ उन दलित वर्गों के लिए था जो त्रावणकोर-कोचीन और मालाबार में ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन देखें। एक अध्ययन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान *(1968)*, पृष्ठ *202* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. पर।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

ये अक्षमताएँ जो व्यक्ति के संबंध में मौजूद हैं, चाहे वह ईसाई हो, मुसलमान हो या कोई और हो, अगर वह इन से पीड़ित है
अक्षमताओं को कानून की प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए। *79.*

राजगोपालाचारी ने खंड में एक मामूली संशोधन का सुझाव दिया, जिसमें "किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की अक्षमता को लागू करने" की मांग की गई थी।

'अस्पृश्यता' की प्रथा एक अपराध है। व्यक्त किए गए सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए, सलाहकार समिति की अंतरिम रिपोर्ट में खंड *6* के रूप में खंड को निम्नानुसार फिर से तैयार किया गया था:

" " " " किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाता है और लागू किया जाता है

उस कारण से कोई भी अक्षमता एक अपराध होगा।

29 अप्रैल *1947* को वल्लभभाई पटेल द्वारा अंतरिम रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष पेश की गई थी। खंड *6* पर टिप्पणी करते हुए, एक

सदस्य, प्रोमाथ रंजन ठाकुर ने कहा कि जाति व्यवस्था को समाप्त किए बिना "अस्पृश्यता" को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि "अस्पृश्यता"

यह इसका लक्षण है। श्रीजुत रोहिणी कुमार चौधरी, एस. सी. बनर्जी और धीरेंद्र नाथ दत्ता ने "अस्पृश्यता" शब्द की परिभाषा पर स्पष्टीकरण मांगा। चौधरी ने "अस्पृश्यता" शब्द को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन का भी सुझाव दिया:

" 'अस्पृश्यता' का अर्थ है प्रयोग में किया गया कोई कार्य

खंड *4* में उल्लिखित धर्म, जाति या जीवन के वैध व्यवसाय के आधार पर भेदभाव।

संशोधन का विरोध करते हुए, के. एम. मुंशी ने कहा कि "अस्पृश्यता" शब्द को "जानबूझकर उल्टे अल्पविराम के भीतर रखा गया है ताकि यह इंगित किया जा सके कि संघ विधानमंडल जब 'अस्पृश्यता' को परिभाषित करता है तो वह इससे उस अर्थ में निपटने में सक्षम होगा जिसमें इसे सामान्य रूप से समझा जाता है"। इसके बाद, केवल तीन संशोधन पेश किए गए। एच. वी. कामत ने "अस्पृश्यता" शब्द के बाद "अप्राप्य" शब्द और "कोई भी" शब्द के बाद "और" प्रत्येक "शब्द डालने की कोशिश की। एस. नागप्पा शब्दों के साथ "किसी भी विकलांगता को लागू करना" शब्दों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। "किसी भी अक्षमता का पालन "। पी कुन्हीरमन "अपराध" शब्द के बाद "कानून द्वारा दंडनीय" शब्द जोड़ना चाहते थे। वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने खंड पेश किया था, ने संशोधनों को अनावश्यक माना

और देखा:

79 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन: एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968)*, पृष्ठ *203* पर

80 संविधान सभा की बहस *(29* अप्रैल *1947)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"पहला संशोधन श्री कामत द्वारा किया गया है। वह 'अप्राप्य' शब्द को जोड़ना चाहते हैं। यदि मौलिक अधिकारों में अस्पृश्यता को अपराध के रूप में प्रदान किया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने वाले कानून में सभी आवश्यक समायोजन किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आवश्यक परिणामों का प्रावधान करना सही या बुद्धिमानी है और इसलिए, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।
दूसरा संशोधन श्री नागप्पा द्वारा किया गया है जिन्होंने सुझाव दिया है कि "किसी भी अक्षमता को लागू करने" शब्दों के स्थान पर "किसी भी अक्षमता का पालन" शब्द रखे जा सकते हैं। मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ।

बिन्दु। मैं एक व्यक्ति को दूसरे पर अक्षमता थोपते हुए देख सकता हूं, और मैं दोषी रहूंगा मैंने इसे देखा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चरम चीजों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। अस्पृश्यता को हटाना मुख्य विचार है, और यदि अस्पृश्यता को अवैध या अपराध बनाया जाता है,

यह काफी है।

अगला संशोधन श्री कुन्हीरमन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने 'कानून द्वारा दंडनीय' को शामिल करने का सुझाव दिया है। हमने प्रावधान किया है कि अस्पृश्यता थोपना एक अपराध होगा। शायद उनका विचार यह है कि एक अपराध क्षमा योग्य हो सकता है, या कभी-कभी एक अपराध को पुरस्कृत किया जा सकता है। अपराध एक अपराध है; यह प्रावधान करना आवश्यक नहीं है कि अपराध कानून द्वारा दंडनीय होना चाहिए। साहब, मैं नहीं

इस संशोधन को भी स्वीकार करें।
फिर, यह प्रस्ताव दिया गया कि 'किसी भी रूप' के लिए, 'सभी रूप' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए। अस्पृश्यता किसी भी रूप में कानूनी है।

वाक्यांश विज्ञान, और कोई और जोड़ आवश्यक नहीं है "। *81*

पटेल के स्पष्टीकरण के बाद, एच. वी. कामत और पी. कुन्हीरमन

उनके संशोधनों को वापस ले लिया गया, जबकि नागप्पन द्वारा पेश किए गए संशोधन को खारिज कर दिया गया। खंड *6* को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हालाँकि, संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राउ द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे *(*दिनांक अक्टूबर *1947)* में, कुन्हीरमन द्वारा पेश किए गए तीसरे संशोधन को प्रभावी रूप से अपनाया गया और "अपराध" शब्द के बाद "जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा" शब्द जोड़े गए। *82* अक्टूबर *1947* को प्रारूप समिति ने "अस्पृश्यता" प्रावधान पर विचार किया और इसे अनुच्छेद *11* के रूप में फिर से तैयार किया। डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा के समक्ष यह निम्नलिखित रूप में प्रस्तावित किया गया था:

81 संविधान सभा की बहस *(29* अप्रैल *1947) 82* बी. शिव राव, भारत के संविधान की रचना: एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968),* पृष्ठ *204* पर

83 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968)*, पृष्ठ *205* पर भारतीय युवा वकील एएसएसएन।

वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

" " " " अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास है

वर्जित है। उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता का प्रवर्तन

" अस्पृश्यता "निम्नलिखित के अनुसार दंडनीय अपराध होगा -

कानून "।

संविधान के मसौदे पर प्राप्त टिप्पणियों और अभ्यावेदनों के जवाब में, बी एन राउ ने दोहराया कि संसद को कानून बनाना होगा, जो "अस्पृश्यता" की परिभाषा प्रदान करेगा। *84* जब अनुच्छेद *11* का मसौदा संविधान के समक्ष चर्चा के लिए आया

29 नवंबर *1948* को विधानसभा के एक सदस्य, नजीरुद्दीन अहमद ने इसे निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग कीः

"किसी को भी उसके धर्म या जाति के कारण 'अछूत' नहीं माना जाएगा और किसी भी रूप में इसका पालन नहीं किया जाएगा।

कानून द्वारा दंडनीय बनाया जा सकता है। " *9 85*

प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता को उसकी धार्मिक और जाति-आधारित अभिव्यक्तियों तक सीमित कर देगा। नजीरुद्दीन अहमद

उनके तर्क का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया अनुच्छेद *11* का मसौदा अस्पष्ट था, क्योंकि यह "अस्पृश्यता" शब्द का कोई कानूनी अर्थ प्रदान नहीं करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि यह शब्द "अपेक्षाकृत ढीला" था, अहमद चाहते थे कि मसौदा अनुच्छेद को "एक बेहतर आकार" दिया जाए। प्रोफेसर के. टी. शाह की भी ऐसी ही चिंता थी। उन्होंने कहाः

"..... मैं यह बताना चाहूंगा कि 'अस्पृश्यता' शब्द है -

कहीं भी परिभाषित नहीं है। इस संविधान में एक परिभाषा खंड में बहुत कमी है और इसके परिणामस्वरूप हम यह समझने में बहुत नुकसान में हैं कि दिए गए खंड का क्या अर्थ है और इसे कैसे प्रभावी किया जा रहा है। आप अस्पृश्यता को समाप्त करने के बारे में सामान्य प्रस्ताव का पालन करते हुए कहते हैं कि यह किसी भी रूप में अपराध होगा और कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। अब मैं सदन को मान्यता प्राप्त और अनुमत अस्पृश्यता के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

जिसके तहत विशेष समुदायों या व्यक्तियों को कुछ समय के लिए विकलांगता के तहत रखा जाता है, जो वास्तव में अस्पृश्यता है। हम.

सभी जानते हैं कि कुछ अवधियों में महिलाओं को माना जाता है

अछूत। क्या ऐसा माना जाता है, क्या इसे इस अनुच्छेद के तहत अपराध माना जाएगा? मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं स्मृति से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं सही हूं कि कुरान में एक निश्चित 'सुरा' में इसका विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

84 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968)*, पृष्ठ *204* पर

85 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *205 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या आप उनके धर्म का पालन उनके अनुयायियों द्वारा करेंगे?

पैग़म्बर अपराध? फिर भी कई समारोह हैं

इस सदन में मानवशास्त्रीय या संबंधित विषयों पर व्याख्यान दें।
मामला; लेकिन मैं चाहूंगा कि यह ध्यान में लाया जाए कि

'अस्पृश्यता' शब्द की किसी भी परिभाषा का अभाव इसे बनाता है।

व्यस्त निकायों और वकीलों के लिए एक से पूंजी बनाने के लिए खुला

इस तरह का खंड, जिसका मुझे यकीन है कि इरादा नहीं था

बनाने के लिए मसौदा समिति। " *86*

(जोर दिया गया*)*

डॉ. अम्बेडकर ने न तो नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन को स्वीकार किया

न ही के. टी. शाह द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब दिया। अहमद द्वारा प्रस्तावित संशोधन को संविधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया गया। प्रारूप अनुच्छेद *11* को संविधान के वर्तमान अनुच्छेद *17* के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

संविधान सभा द्वारा कोई निश्चित प्रावधान करने से इनकार

जिसका अर्थ है "अस्पृश्यता" *(*विशिष्ट संशोधनों और परिभाषा की आवश्यकता को व्यक्त करने वाले प्रस्तावों के बावजूद*)* इंगित करता है कि निर्माता इस शब्द को प्रतिबंधात्मक नहीं बनाना चाहते थे। मौलिक अधिकारों पर उप-समिति द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक मसौदे में "किसी भी रूप में" शब्दों को जोड़ना इस आशय का एक स्पष्ट कथन है कि मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति "अस्पृश्यता" शब्द को एक व्यापक दायरा देना चाहते थे। संविधान सभा की कार्यवाही के पुनर्निर्माण से पता चलता है कि सदस्य संवैधानिक सलाहकार के इस आग्रह पर सहमत थे कि "अस्पृश्यता" पर प्रावधान को लागू करने के लिए जो कानून बनाया जाना है, वह शब्द की परिभाषा प्रदान करेगा। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन की अस्वीकृति एक

अधिनियमित किए जाने वाले विधान के दायरे को सीमित न करने का सचेत प्रयास।

73. संवैधानिक दर्शन को पूरी तरह से समझने के लिए

अनुच्छेद *17* के समावेशन के अंतर्गत, इस न्यायालय को संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान एक विशिष्ट उदाहरण पर भी विचार करना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जबकि प्रोफेसर के. टी. शाह ने विशिष्ट उदाहरण दिए हैं। महिलाओं को "कुछ अवधियों में अछूत" माने जाने सहित "अस्पृश्यता" के कृत्यों और एक विशिष्ट परिभाषा के लिए तर्क देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह सवाल उठता है कि डॉ. अम्बेडकर ने नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन को स्वीकार क्यों नहीं किया और अस्वीकार कर दिया।

86 संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर *1948)*

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

केटी शाह की टिप्पणी का जवाब देने के लिए। संविधान सभा के एक सदस्य, मोनोमोहन दास ने "अस्पृश्यता" पर मसौदा अनुच्छेद पर बहस के दौरान टिप्पणी की:

..... यह भाग्य की विडंबना है कि जिस व्यक्ति को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भगाया गया था, जिसे कक्षा के बाहर अपना पाठ पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था, उसे स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का यह महान काम सौंपा गया है, और यह वही है जिसने आखिरकार अस्पृश्यता की इस प्रथा को मौत का झटका दिया है, जिसका वह खुद अपने युवा दिनों में शिकार हुआ था। *87*

इसका जवाब सामाजिक मुक्ति और न्याय के संघर्ष में निहित है जो आंदोलन के साथ युग का परिभाषित प्रतीक था। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लेकिन समाज के आमूल-चूल परिवर्तन में भी। बाद वाले को समझे बिना पहले वाले पर ध्यान केंद्रित करना राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए एक समझौते के रूप में दस्तावेज़ की अंतर-संबंधित प्रकृति को याद करना होगा।

74. डॉ. अम्बेडकर को पढ़ना हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे पक्ष को देखने के लिए मजबूर करता है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के अलावा, सदियों से एक और संघर्ष चल रहा था और जो आज भी जारी है। वह संघर्ष सामाजिक मुक्ति के लिए रहा है। यह एक असमान सामाजिक व्यवस्था के प्रतिस्थापन के लिए संघर्ष रहा है। यह ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और उन्हें सही करने के लिए लड़ाई रही है

मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक गलतियाँ। भारत का संविधान

यह इन दोनों संघर्षों का अंतिम परिणाम है। यह एक मूलभूत दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन अर्थात् एक समान सामाजिक व्यवस्था का निर्माण और संरक्षण करना है। संविधान उन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें गरिमापूर्ण अस्तित्व के बुनियादी तत्वों से वंचित रखा गया था। इसमें सामाजिक न्याय का एक दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए लगातार सरकारों के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। द.

दस्तावेज़ एक नैतिक प्रक्षेपवक्र निर्धारित करता है, जिसे नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। यह एक हाशिए पर पड़े लोगों को मानव अस्तित्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने का आश्वासन। संविधान सभा अपने सदस्यों द्वारा वर्तमान समय से एकत्र किए गए साझा ज्ञान और अनुभवों से समृद्ध थी।

समानता और न्याय के लिए सामाजिक संघर्ष। विशेष रूप से, मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अम्बेडकर अपने साथ विचार, मूल्य और विद्वता लाए, जो उन अनुभवों और संघर्षों से प्राप्त हुए जो अकेले उनके अपने थे। उन्होंने अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी आकर्षित किया।

87 संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर *1948)*

[2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपने आंदोलनों में सुधारक। संविधान के दर्शन और विशेष रूप से अनुच्छेद *17* के पीछे की दृष्टि को समझने के लिए इनमें से कुछ अनुभवों और साहित्य पर चर्चा की जानी चाहिए।

स्वयं को भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ा, डॉ।

अम्बेडकर ने "अस्पृश्यता" के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के विनाश की वकालत करते हुए अपने गहन कार्य, "जाति का उन्मूलन" में कुछ उल्लेख किए हैं - "अस्पृश्यता "प्रथाएँ जिनके द्वारा अस्पृश्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता थाः

"मराठा देश में पेशवाओं के शासन के तहत,
अछूत को सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी अगर कोई हिंदू था

साथ आ रहा था, ऐसा न हो कि वह हिंदू को अपनी छाया से प्रदूषित कर दे।

अछूत को या तो काला धागा लगाना पड़ता था

उसकी कलाई या उसकी गर्दन के आसपास, हिंदुओं को गलती से उसके स्पर्श से खुद को प्रदूषित होने से रोकने के लिए एक संकेत या निशान के रूप में। पेशवा की राजधानी पूना में अछूत को झाड़ू लगाने के लिए अपनी कमर से झाड़ू बांधकर ले जाना पड़ता था।

अपने पीछे वह धूल जिस पर वह चल रहा था, ऐसा न हो कि कोई हिंदू उस पर चले।

वही धूल प्रदूषित होनी चाहिए। पूना में अछूत था

जहाँ कहीं भी उसकी गर्दन में मिट्टी का घड़ा लटकाए रखना पड़ता था
वह अपना थूक पकड़ने के लिए चला गया, ऐसा न हो कि उसका थूक धरती पर गिरने से एक हिंदू प्रदूषित हो जाए जो अनजाने में उस पर चल सकता है। *9 88*

उनकी आत्मकथात्मक टिप्पणियाँ उनकी मृत्यु के बाद शीर्षक के साथ प्रकाशित हुईं।

"वीजा की प्रतीक्षा में डॉ. अम्बेडकर द्वारा "अस्पृश्यता" के साथ अपने स्वयं के अनुभवों पर खींची गई यादें हैं। डॉ. अम्बेडकर अपने बचपन के कई अनुभवों का उल्लेख करते हैं। कोई भी नाई इसके लिए सहमति नहीं देगा

88 डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरः लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)* सरकार की

महाराष्ट्र, वॉल्यूम। *1 (2014)* , पृष्ठ *39* पर

89 डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरः लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)* सरकार की

महाराष्ट्र, वॉल्यूम। *12 (2014)* , पृष्ठ *661-691* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. पर।

वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

एक अछूत हो। बड़ौदा राज्य में एक अधिकारी के रूप में उनके दिनों के दौरान, उन्हें क्वार्टरों में रहने के लिए जगह से वंचित कर दिया गया था। एक अन्य नोट में, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने लिखा था और बाद में शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था

निराशा ", उन्होंने लिखाः

"अछूत सबसे थके हुए, सबसे घृणित और सबसे दुखी लोग हैं जिनका इतिहास गवाह हो सकता है। वे एक खर्चीले और बलिदान देने वाले लोग हैं। सरल भाषा में कहें तो अछूत।

पूरी तरह से निराशा की भावना से अभिभूत हो गए हैं।
जैसा कि मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, "जीवन किसी की पहचान की पुष्टि करने के प्रयास में निहित है।

अपना सार; इसका अर्थ है, अपने अस्तित्व को विकसित करना।

पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से। अपने स्वयं के सार की पुष्टि करने में विफलता सरल है
कुंठा का एक और नाम। "कई लोग इस तरह से पीड़ित होते हैं।

उनके इतिहास में निराशाएँ। लेकिन वे जल्द ही बीमारी से उबर जाते हैं।

और नए कंपनों के साथ फिर से महिमा की ओर बढ़ते हैं। का मामला

अछूत एक अलग पायदान पर खड़े हैं। उनकी हताशा है

हमेशा के लिए निराशा। यह स्थान या समय से अप्रभावित है। इस संबंध में

अछूतों की कहानी यहूदियों की कहानी से विचित्र रूप से विपरीत है। *9 90*

"गुलाम और अछूत" शीर्षक वाले अपने लेखन में उन्होंने इसका वर्णन किया है।

अस्पृश्यता "गुलामी से भी बदतर है। उनके शब्दों मेंः

".....अस्पृश्यता अनिवार्य है। एक व्यक्ति को दूसरे को अपने गुलाम के रूप में रखने की अनुमति है। यदि वह नहीं चाहता है तो उस पर कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अछूत के पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार जब वह अछूत पैदा हो जाता है, तो वह अछूत की सभी अक्षमताओं के अधीन हो जाता है।

[U] अस्पृश्यता एक अप्रत्यक्ष रूप है और इसलिए इसका सबसे बुरा रूप है
गुलामी। यह अछूतों को बनाए बिना गुलामी है।

उनकी गुलामी के प्रति सचेत "। *9 92* डॉ. अम्बेडकर के विचारों और
विचारों का प्रभाव अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर भी पड़ता है।

उनसे पहले के रचनाकार, विशेष रूप से ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई

हूल। *1873* में, उनकी पुस्तक "गुलामगिरी" *(*दासता*)* की प्रस्तावना में,

योतिराव फुले ने "अस्पृश्यता" के कारण पर तीखी आलोचना कीः

"*[ ]* शूद्रों और अतिशूद्रों को सर्वोच्च घृणा और तिरस्कार के साथ माना जाता था, और मानवता के सामान्य अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था।

आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *733-735*

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरः लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)* सरकार की

महाराष्ट्र, वॉल्यूम। *5 (2014)* , पृष्ठों पर *9-18*। उदाहरण के लिए, पृष्ठ *15 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[उन्हें। उनका स्पर्श, नहीं, यहां तक कि उनकी छाया को भी प्रदूषण माना जाता है। उन्हें केवल संपत्ति माना जाता है, और उनका जीवन

नीचतम सरीसृप से अधिक मूल्य नहीं। ब्राह्मण कितने दूर हैं*?*

के मन को गुलाम बनाने के अपने प्रयासों में सफल हुए हैं

शूद्र और अतिशूद्र। पिछली पीढ़ियों के लिए *[*शूद्र और अतिशूद्र।

अतिशूद्र*]* ने गुलामी और बंधन की इन जंजीरों को सहन किया है।

गुलामी की यह प्रणाली, जिसके लिए ब्राह्मणों ने निचले स्तर को कम कर दिया

वर्ग किसी भी मामले में अमेरिका में कुछ साल पहले प्राप्त किए गए वर्ग से कम नहीं हैं। कठोर ब्राह्मण प्रभुत्व के दिनों में, जैसे कि हाल ही में पेशवा के समय में, मेरे शूद्र भाइयों को और भी अधिक कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

यहाँ तक कि अमेरिका के दासों को भी पीड़ा उठानी पड़ी। स्वार्थी अंधविश्वास और कट्टरता की इस व्यवस्था के लिए हम ठहराव और उन सभी बुराइयों को जिम्मेदार ठहराते हैं जिनके कारण भारत कई शताब्दियों से कराह रहा है

अतीत "। *93*

सावित्रीबाई फुले ने लोगों के बीच असंतोष की भावना व्यक्त की

एक कविता के रूप में असंबद्धः

"उठो भाइयों, निम्नतम शूद्रों में से

जागो, उठो।

उठो और बेड़ियों को फेंक दो

हम पर प्रथा के अनुसार रखें।

भाइयों, उठो और सीखो।

हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे।

और खुद को भी सिखाएँ।

हम ज्ञान प्राप्त करेंगे।

धर्म और धार्मिकता।

किताबों और सीखने की प्यास लगने दें।

हमारी हर नस में नृत्य करें।

हर एक को संघर्ष करने दें और हमेशा के लिए मिट जाने दें।

हमारा निम्न जाति का दाग"। *94*

एक असहमतिः *3,000* इयर्स ऑफ डिफरेंस, शक और तर्क, *(*अशोक वाजपेयी स्पीकिंग टाइगर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड *(2017),* पृष्ठों पर *86-88*

, पृष्ठ *88* पर भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

75. इन लेखनों के माध्यम से प्रवाहित निरंतर प्रवचन प्रतिबिंबित करता है

एक असमान समाज के पीड़ितों द्वारा किए गए दमन और अत्याचारों के खिलाफ एक दीर्घकालिक लड़ाई। अनुच्छेद *17* इन असंतोषों की संवैधानिक मान्यता है। संविधान में अनुच्छेद *17* का समावेश समाज सुधारकों के सदियों पुराने संघर्ष को महत्व देने का प्रतीक है और

क्रांतिकारी। यह संविधान निर्माताओं द्वारा ऐतिहासिक भयावहता का सामना करने के लिए एक कदम है। यह उन लोगों को मुआवजा देने का प्रयास है, जिनकी पहचान समाज द्वारा कम कर दी गई थी। अनुच्छेद *17* सामाजिक मानदंडों के खिलाफ एक विद्रोह है, जो व्यक्तियों को कलंकित कर देता है पदानुक्रम।

"अस्पृश्यता" को समाप्त करके, अनुच्छेद *17* उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र में इतिहास की पुनरावृत्ति से बचाता है। इस प्रकार अनुच्छेद *17* की पृष्ठभूमि उन लोगों की गरिमा की रक्षा करने में निहित है जो इसके शिकार हुए हैं।

भेदभाव, पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार।

अनुच्छेद *17* को उसकी स्थिति के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए।

मानव गरिमा को संरक्षित करने और सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर व्यक्तियों और समूहों के कलंक और बहिष्कार के खिलाफ एक शक्तिशाली गारंटी के रूप में। अनुच्छेद *17* और अनुच्छेद *15 (2)* और *23* सामाजिक न्याय के लिए सहायक आधार प्रदान करते हैं। गरिमा की रक्षा और कलंक और सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए अनुच्छेद *17* का आधार खोजना, शायद प्रोफेसर के. टी. शाह के अनुत्तरित प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर होगा। संविधान ने अस्पृश्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। कलंक का कोई भी रूप जो सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाता है मानव गरिमा का उल्लंघन और "अस्पृश्यता" का एक रूप होगा। प्रारूपण समिति ने अनुच्छेद *17* के दायरे को सीमित नहीं किया। द.

"अस्पृश्यता" का निषेध, गरिमा की रक्षा करने और कलंक और बहिष्कार को रोकने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, व्यापक धारणा है, जिसे यह न्यायालय इन अनुच्छेदों के ढांचे के अंतर्निहित रूप में अपनाना चाहता है। *76.* "अस्पृश्यता" की प्रथा, जैसा कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बताया गया है, जाति व्यवस्था का एक लक्षण है। जड़।

"अस्पृश्यता" का कारण जाति व्यवस्था है। *95* जाति व्यवस्था समाज द्वारा लागू शुद्धता और प्रदूषण के एक पदानुक्रमित क्रम का प्रतिनिधित्व करती है।

9 5 "भारत में जातियाँः" पर अपने लेख में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास *(1916)*, डॉ. अम्बेडकर ने लिखाः " सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से जाति की समस्या बहुत बड़ी है। व्यावहारिक रूप से, यह एक ऐसी संस्था है जो जबरदस्त परिणामों को दर्शाती है। यह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन यह बहुत व्यापक शरारत करने में सक्षम है, क्योंकि जब तक भारत में जाति मौजूद है, हिंदू शायद ही विवाह करेंगे या बाहरी लोगों के साथ कोई सामाजिक संबंध रखेंगे; और अगर हिंदू पृथ्वी पर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो भारतीय जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को देखिएः लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)* महाराष्ट्र सरकार, खंड। *1 (2014)* , पृष्ठ *5-6 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मजबूरी। शुद्धता और प्रदूषण जाति का मूल है। जबकि जाति पिरामिड के शीर्ष को शुद्ध माना जाता है और अधिकार प्राप्त होता है, नीचे को प्रदूषित माना जाता है और इसका कोई अधिकार नहीं होता है। "शुद्धता और प्रदूषण" के विचारों का उपयोग इस अंतर को सही ठहराने के लिए किया जाता है जो कि आत्म-शाश्वतता है। उच्च जातियाँ ऐसे अनुष्ठान करती हैं जो, उनका मानना है, निचली जातियों पर अपनी शुद्धता का दावा करती हैं और बनाए रखती हैं। शुद्धता और प्रदूषण के नियमों का उपयोग जाति पदानुक्रम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणा इस बात को प्रभावित करती है कि लोग किसके साथ जुड़ते हैं, और वे कैसे व्यवहार करते हैं और अन्य लोगों द्वारा उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। डॉ. अम्बेडकर

द्वारा "जाति उन्मूलन" *9 7* में जाति से जुड़े विशेषाधिकारों की अस्वीकृति, इसलिए मानव गरिमा के लिए एक लड़ाई है। डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को व्यक्ति का उल्लंघन करने वाला माना

गरिमा। *98* संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने कहा कि

जाति व्यवस्था देश की एकता और अखंडता के विपरीत है, और इसे "सामाजिक जीवन में अलगाव" लाने के रूप में वर्णित किया। *9 9 99* व्यक्तिगत गरिमा शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं पर आधारित नहीं हो सकती है। निचली जातियों के खिलाफ अस्पृश्यता इन धारणाओं पर आधारित थी, और उनकी गरिमा का उल्लंघन करती थी। यही कारण है कि अनुच्छेद *17* "अस्पृश्यता" को समाप्त करता है, जो जाति पदानुक्रम से उत्पन्न होती है। अनुच्छेद *17* "शुद्धता और प्रदूषण" के बारे में धारणाओं की नींव पर प्रहार करता है।

77. जाति में निहित "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणाएँ

व्यवस्था, अभी भी समाज पर हावी है। यद्यपि संविधान ने अस्पृश्यता और सामाजिक उत्पीड़न के अन्य रूपों को समाप्त कर दिया हाशिए पर पड़े और दलितों के लिए गरिमा की खोज अभी भी एक दैनिक संघर्ष है। "अस्पृश्यता" को पुनः उत्पन्न करने वाली स्थितियाँ अभी भी मौजूद हैं।

यद्यपि संविधान प्रत्येक मनुष्य की गरिमा की गारंटी देता है जो अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है, लेकिन दलितों को जिस अपमान और सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, वह उनके जीवन को परेशान करता है। आजादी के सत्तर साल बाद, ए

दलितों के वर्ग को हाथ से मैला साफ करने के अपमान को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया है। हाल के एक काम में, "हाथियों के बीच चींटियाँः एक अछूत परिवार और आधुनिक भारत का निर्माण ", सुजाता गिडला एक हाथ से सफाई करने वाले के अपमानित जीवन का वर्णन करती हैंः

"जैसे-जैसे उनके झाड़ू खराब हो जाते हैं, उन्हें झाड़ू लगाने के लिए अपनी पीठ को नीचे और नीचे झुकाना पड़ता है। जब उनकी टोकरी से रिसाव होने लगता है, तो *[*मानव*]*

96 डायने कॉफी और डीन स्पीयर्स, भारत कहाँ जाता हैः परित्यक्त शौचालय, प्रेतवाधित विकास और जाति की लागत, हार्पर कॉलिन्स *(2017)*, पृष्ठों *74-79 97* पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को देखें। लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)* सरकार

महाराष्ट्र, खंड। *1 (2014)* , पृष्ठों पर *23-96*

9 8 डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को देखिएः लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)* सरकार

महाराष्ट्र, खंड। *12 (2014)* , पृष्ठों पर *661-691*।

9 9 संविधान सभा की बहस *(25* नवंबर *1949)*

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

उनके चेहरे पर गंदगी टपकती है। बरसात के मौसम में सारी गंदगी बह जाती है।

इन लोगों पर, उनके बालों पर, उनकी नाक पर, उनके पतंगों पर।

उनमें से तपेदिक और संक्रामक रोग स्थानिक हैं। *1 00*
हाथ से सफाई करने वालों के अपमानजनक जीवन का वर्णन डायने ने किया है।

कॉफी और डीन स्पीयर्स "व्हेयर इंडिया गोज़: परित्यक्त शौचालय, बाधित विकास और जाति की लागत *"101*। भारत की सामाजिक वास्तविकता यह है कि हाथ से मैला ढोने वाली जातियों को दो तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है-एक, समाज द्वारा और दूसरा, दलितों के भीतर:

" [एम*]* वार्षिक सफाई करने वालों को सबसे कम माना जाता है -

दलित जातियाँ। वे जिस भेदभाव का सामना करते हैं वह आम तौर पर समान होता है।

इससे भी बदतर जिसका सामना गैर-सफाई करने वाली जातियों के दलितों को करना पड़ता है। *102*
हाथ से सफाई करने वाले इस प्रणाली के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं

" शुद्धता और प्रदूषण "। अनुच्छेद *17* निचली जातियों के लिए एक वादा था कि वे सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त होंगे। फिर भी वंचितों के लिए

समुदाय, थोड़ा बदल गया है। दलितों के खिलाफ दैनिक अत्याचारों की सूची अंतहीन है। दलितों को मूंछ उगाने, उच्च जाति के लोक नृत्य देखने का साहस करने, कथित रूप से घोड़े के मालिक होने और उस पर सवार होने के लिए और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की सभी प्रकार की अवज्ञा के लिए मारा जा रहा है जो उन्हें आवश्यक मानवता से वंचित करती है। *103* दलित और समाज के अन्य उत्पीड़ित वर्ग गरिमा की खोज को पूरा करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उत्पीड़न से सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अस्तित्व का मुद्दा है। पोस्ट स्वतंत्र रूप से, संसद ने उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के साथ किए गए अन्याय को पूर्ववत करने के लिए विधान *04* अधिनियमित किए। फिर भी कानून के खराब कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एक निरंतर इनकार होता है जिसे कानून ने सुधारने का प्रयास किया।

78. अनुच्छेद *17* एक सामाजिक क्रांतिकारी प्रावधान है। यह निश्चित है

विशेषताएँ। पहला यह है कि अनुच्छेद "अस्पृश्यता" को समाप्त करता है। इसे समाप्त करने में, संविधान संस्था की जड़ पर हमला करता है

100 सुजाता गिडला, हाथियों के बीच चींटियाँ: एक अछूत परिवार और निर्माण

आधुनिक भारत, हार्पर कॉलिन्स *(2017)*, पृष्ठ *114* पर

101 डायने कॉफी और डीन स्पीयर्स, भारत कहाँ जाता है: परित्यक्त शौचालय, प्रेतवाधित विकास और जाति की लागत, हार्पर कॉलिन्स *(2017)*, पृष्ठ *74-79 102* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *78* पर

103 राजेश रामचंद्रन, डेथ फॉर मूंछ, आउटलुक *(16* अक्टूबर *2017)*, उपलब्ध है।

*HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. आउटलुक इंडिया। कॉम/पत्रिका/कहानी/मूंछ के लिए मौत*/299405*

104 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *(*अत्याचार निवारण*)* अधिनियम, *1989;*

हाथ से मैला साफ करने का निषेध अधिनियम, *2013*

105 जैसा कि दलित मानवाधिकारों के लिए राष्ट्रीय अभियान बनाम में देखा गया है। भारत संघ, *(2017)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का उन्मूलन केवल उन धारणाओं से निपटने से पूरा किया जा सकता है जो इसमें शामिल हैं। "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणाएँ इसकी स्थायी शक्ति रही हैं। "अस्पृश्यता" को समाप्त करने में, संविधान सामाजिक व्यवस्था में एक गतिशील बदलाव का प्रयास करता है जिस पर पूर्वाग्रह और भेदभाव को संस्थागत बनाया गया था। पहली विशेषता मानव गरिमा और उसके द्वारा शासित समाज की नैतिक पुष्टि है।

निषेध। बिना किसी अपवाद के अस्पृश्यता की प्रत्येक अभिव्यक्ति निषेध के दायरे में आती है। अनुच्छेद *17* की चौथी विशेषता यह है कि "अस्पृश्यता" पर आधारित अक्षमताओं का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। आपराधिक कानून की लंबी भुजाएँ निषेध को लागू करने में मदद करेंगी।

79. संविधान ने सावधानीपूर्वक एक परिभाषा को छोड़ दिया है -

"अस्पृश्यता "। मसौदा तैयार करने वालों ने महसूस किया कि एक व्यापक रूप से जोड़ी गई परिभाषा भी प्रतिबंधात्मक हो सकती है। एक परिभाषा प्रतिबंधात्मक हो जाएगी यदि उपयोग किए गए शब्द या चित्रित उदाहरण हमारे सामाजिक जीवन की कई जटिलताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जिनके माध्यम से पूर्वाग्रह और भेदभाव प्रकट होता है। इसलिए, भले ही निर्माताओं का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि "अस्पृश्यता" केवल जाति क्रम में सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए संदर्भित एक प्रथा नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ भी प्रचलित है *(*और परिभाषा के अभाव में, निषेध इसके सभी रूपों को शामिल करेगा*)*, अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से अनिर्धारित छोड़ दिया गया था। संविधान उल्टा कोमा में "अस्पृश्यता" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। विराम चिह्न के उपयोग को घेरने के इरादे के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

अभिव्यक्ति की संवैधानिक चौड़ाई। प्रावधान को शामिल करने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सदियों के अधीनता, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार द्वारा प्रदान की गई थी। अनुच्छेद *17* सामाजिक परिवर्तन का एक आंतरिक हिस्सा है जिसे संविधान प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इसका अर्थ लगाने में, संविधान की भाषा को एक संकुचित अर्थ नहीं माना जाना चाहिए जो इसके वास्तविक उद्देश्य को मिटा देगा। अस्पृश्यता "किसी भी रूप में वर्जित है। द्वारा प्रयुक्त शब्दों का संचालन

संविधान को किसी विशेष रूप या "अस्पृश्यता" की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। संविधान एक निरंतर विकसित होने वाले साधन के रूप में भारतीय युवा वकीलों का संगठन है।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

अस्पृश्यता के किसी भी रूप या अभिव्यक्ति के आधार पर अन्याय तक पहुंचने के लिए लचीला होना चाहिए। अनुच्छेद *17* इसके खिलाफ एक शक्तिशाली गारंटी है।

बहिष्करण। बहिष्करण विरोधी सिद्धांत की अभिव्यक्ति के रूप में, इसे उन महिलाओं को बाहर करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जिनके खिलाफ सबसे खराब प्रकार के सामाजिक बहिष्कार का अभ्यास किया गया है और शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं पर वैध बनाया गया है।

80. न्यायिक निर्णयों में अनुच्छेद *17* के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देवराजिया बनाम बी पद्मना *1* में, एक विद्वान एकल न्यायाधीश

मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में "अस्पृश्यता" अभिव्यक्ति की परिभाषा का अभाव और उल्टे अल्पविराम का उपयोग इंगित करता है कि "उस अनुच्छेद का विषय-वस्तु नहीं है।

अपने शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थों में अस्पृश्यता लेकिन इस देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई प्रथा "। विद्वान एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया किः

"*18.* अधिनियम में 'अछूत' शब्द के रूप में व्यापक है

ऐसा होने के इरादे से, यह केवल उन लोगों को संदर्भित कर सकता है जिन्हें ऐतिहासिक विकास के दौरान अछूत माना जाता है। इस शब्द के शाब्दिक निर्माण में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें अस्थायी रूप से या अन्यथा विभिन्न कारणों से अछूत माना जाता है, जैसे कि वे किसी महामारी या संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं या जन्म या मृत्यु जैसे सामाजिक अनुष्ठानों के कारण या जाति या अन्य के परिणामस्वरूप सामाजिक बहिष्कार के कारण। विवाद "। *107*

जय सिंह बनाम भारत संघ *08* में, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने देवराजैया मामले में मैसूर उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *(*अत्याचार निवारण*)* अधिनियम *1989* की संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए।

कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले *1 0 9 109* में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति का पता लगाया। अदालत ने कहा कि "अस्पृश्यता गुलामी का एक अप्रत्यक्ष रूप है और केवल जाति व्यवस्था का विस्तार है। अदालत ने कहाः

"*36.* अनुच्छेद *17* और अधिनियम का जोर समाज को अंधे और अनुष्ठानिक पालन और पारंपरिक मान्यताओं से मुक्त करना है जो सभी कानूनी या नैतिक आधार खो चुके हैं। यह समाज के लिए एक नया आदर्श स्थापित करना चाहता है-दलितों के लिए समानता, आम जनता के बराबर, अनुपस्थिति।

106 ए. आई. आर. *1958* माईस *84* *107* इबिद, पृष्ठ *85* पर

108 आकाशवाणी *1993* राज *177* *109 1995* एस. सी. सी. *469 [2018] 9* एस. सी. आर.

जाति या धर्म के आधार पर अक्षमता, प्रतिबंध या निषेध, अवसरों की उपलब्धता और एक होने की भावना

राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में भागीदार "। *110*

आदि शैव शिवचरियारगल नाला में एक और हालिया निर्णय में

संगम बनाम तमिलनाडु सरकार *1 1 1 111*, दो न्यायाधीशों की पीठ ने बहिष्करण जाति आधारित प्रथाओं के संदर्भ में अनुच्छेद *17* का अर्थ निकालाः

"*47.*संविधान के अनुच्छेद *17* के तहत उठाया गया अस्पृश्यता का मुद्दा पेंडुलम के एकदम विपरीत छोर पर खड़ा है।

संविधान का अनुच्छेद *17* अंधविश्वासों और मान्यताओं पर आधारित जाति-आधारित प्रथाओं पर हमला करता है जिनका कोई तर्क या तर्क नहीं है।

हालाँकि ये निर्णय जाति आधारित प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली "अस्पृश्यता" पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद *17* के प्रावधान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम *1955 (*जिसे पहले अस्पृश्यता *(*अपराध*)* अधिनियम के रूप में जाना जाता था*)* के माध्यम से लागू किए गए थे। धारा *3* के खंड *(*ए*)* और *(*बी*)* किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने और पूजा करने या प्रार्थना करने से रोकने के कार्य को दंडित करते हैं।

ऐसी जगह। धारा *3* इस प्रकार हैः

"धारा *3*-धार्मिक अक्षमताओं को लागू करने के लिए दंडः

जो कोई भी "अस्पृश्यता" के आधार पर किसी को भी रोकता है

व्यक्ति

*(*क*)* सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश करने से जो किसी भी वर्ग के समान धर्म का पालन करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुला है।

उस व्यक्ति के रूप में; या

*(*ख*)* पूजा करने या प्रार्थना करने या किसी भी कार्य को करने से
सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान पर धार्मिक सेवा, या किसी भी पवित्र तालाब, कुएं, झरने या जलमार्ग *(*नदी या झील या ऐसे तालाब, जलमार्ग, नदी या झील के किसी भी घाट पर स्नान*)* में स्नान करना या उसका उपयोग करना।

जिस हद तक अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय है

समान धर्म या उसका कोई वर्ग, जैसे कि ऐसा व्यक्ति,
*[*कम से कम एक महीने और छह महीने से अधिक की अवधि के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा जो एक सौ रुपये से कम और पांच रुपये से अधिक नहीं होगा।

सौ रुपये*]*।

110 इबिद, पृष्ठ *486* पर

111 (2016) 2 एस. सी. सी. *725* युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

व्याख्याः इस धारा और धारा *4* व्यक्तियों के प्रयोजनों के लिए

बौद्ध, सिख या जैन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति या

हिंदू धर्म अपने किसी भी रूप या विकास में

वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्मो, प्रार्थना के अनुयायी, आर्य समाज और स्वामीनारायण संप्रदाय को माना जाएगा।

हिंदू होना "। *(* जोर दिया गया*)*

धारा *4* में सामाजिक अक्षमता को लागू करने के लिए दंड दिया गया हैः "धारा *4*-सामाजिक अक्षमताओं को लागू करने के लिए दंडः

जो कोई भी "अस्पृश्यता" के आधार पर किसी के खिलाफ प्रवर्तन करता है व्यक्ति के संबंध में कोई अक्षमता

((v) धर्मार्थ कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान का उपयोग या उस तक पहुंच।

पूर्णतया या आंशिक रूप से राज्य निधि से बाहर रखे गए सार्वजनिक उद्देश्य या

आम जनता या *[*किसी भी अनुभाग के उपयोग के लिए समर्पित

); या *(x)* किसी सामाजिक या धार्मिक प्रथा का पालन, उपयोग या

समारोह या *[*किसी भी धार्मिक कार्य में भाग लेना या बाहर निकालना,

सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस*];* या

[स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अक्षमता में इस आधार पर कोई भेदभाव शामिल है -

" अस्पृश्यता "। . "

(जोर दिया गया*)*

धारा *7* में उत्पन्न होने वाले अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है।

स्पर्शनीयता। धारा *7 (1) (*सी*)* प्रोत्साहन को अपराध घोषित करती है और

"किसी भी रूप में" अस्पृश्यता के अभ्यास को बढ़ावा देना।

एनाशन *II* निर्धारित करता है किः

" *[* स्पष्टीकरण *II*। खंड *(*ग*)* के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति होगा -

"अस्पृश्यता" के अभ्यास को उकसाने या प्रोत्साहित करने वाला माना जाता है।

(i) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "अस्पृश्यता" का उपदेश देता है या

किसी भी रूप में अभ्यास; या

((ii) यदि वह ऐतिहासिक, दार्शनिक या दार्शनिक आधार पर न्यायसंगत ठहराता है।

धार्मिक आधार पर या किसी भी परंपरा के आधार पर

जाति व्यवस्था या किसी अन्य आधार पर, "अस्पृश्यता "किसी भी रूप में।*]* "

(जोर दिया गया*)*

"अस्पृश्यता "को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, "अस्पृश्यता" के संदर्भ का अर्थ इन प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए -

"शुद्धता और प्रदूषण" की धारणाओं के आधार पर सामाजिक बहिष्करण को शामिल करने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम। राजनीतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, अनुच्छेद *14,19* और *21* स्वतंत्रता के एक सुनहरे त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अलग स्तर पर, बहिष्कार या भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का सामना करने में

सार्वजनिक पूजा स्थल, अनुच्छेद *15 (2) (*बी*), 17* और *25 (2) (*बी*)* नींव का गठन करते हैं। धारणाओं के आधार पर सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ गारंटी

"शुद्धता और प्रदूषण" प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य गरिमा की स्वीकृति है। के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ *("*पुट्टास्वामी*") 1 1 2* में नौ न्यायाधीशों के निर्णय के बाद अनुच्छेद *21* के एक पहलू के रूप में गरिमा मजबूती से स्थापित है।

81. जाति व्यवस्था विशिष्ट रूपों द्वारा संचालित की गई है

महिलाओं का अधीनता। *1 1 3 113* "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणा भारतीय समाज में महिलाओं के मासिक धर्म को कलंकित करती है। प्राचीन धर्म में ग्रंथ *1 1 4* और रीति-रिवाजों, मासिक धर्म वाली महिलाओं को आसपास के वातावरण को प्रदूषित करने वाला माना गया है। एक महिला की स्थिति के बावजूद, मासिक धर्म को अशुद्धता के साथ जोड़ा गया है, और अशुद्धता के विचार का उपयोग प्रमुख सामाजिक गतिविधियों से उनके बहिष्कार को सही ठहराने के लिए किया जाता है।

हमारा समाज संविधान द्वारा शासित है। के मूल्य

संवैधानिक नैतिकता एक गैर-अपमानजनक अधिकार है। "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणा, जो व्यक्तियों को कलंकित करती है, का संवैधानिक शासन में कोई स्थान नहीं हो सकता है। मासिक धर्म के प्रदूषणकारी या अशुद्ध होने के संबंध में,

और इससे भी बदतर, मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर बहिष्कृत अक्षमताओं को लागू करना, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है जिसकी संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। "शुद्धता और प्रदूषण" की धारणाओं के कारण मासिक धर्म की वर्जनाओं को वैध बनाने वाली प्रथाएं, मासिक धर्म वाली महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और मासिक धर्म में प्रवेश के अधिकार को प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करती हैं।

112 (2017) 10 एससीसी *1*

1 1 3 अपने *1916* के पेपर में, "भारत में जातियाँः उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास ", डॉ. अम्बेडकर जाति व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से महिलाओं को वश में करने और अपमानित करने की प्रथा के बारे में बोलते हैं। वे आगे कहते हैं कि सती *(*अपने मृत पति की चिता पर विधवा को जलाने की प्रथा*)*, विधुरता लागू करने जिसके द्वारा एक विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है, और लड़कियों के युवावस्था से पहले विवाह के विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया गया है। उनका मानना था कि निचली जातियों और महिलाओं के उत्पीड़न के पीछे जाति-लिंग की सांठगांठ मुख्य दोषी थी और इसे उखाड़ फेंकना होगा। डॉ. देखें। बाबासाहेब अम्बेडकरः लेखन और भाषण, *(*वसंत मून संस्करण*)*, महाराष्ट्र सरकार *(2014)*, खंड। *1* , पृष्ठों पर *3-22*

114 मनुस्मृति भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

पूजा स्थल और अंततः सार्वजनिक क्षेत्र तक उनकी पहुंच। महिलाओं को अपने शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार है। एक महिला की मासिक धर्म की स्थिति उसकी गोपनीयता और व्यक्ति की एक विशेषता है। महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार है कि उनकी जैविक प्रक्रियाएं स्वतंत्र होनी चाहिए।

सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं से, जो अलगाव को लागू करते हैं और

बहिष्करण। इन प्रथाओं के परिणामस्वरूप अपमान और गरिमा का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद *17* "अस्पृश्यता" के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है, जो "किसी भी रूप में" शुद्धता और अशुद्धता की धारणाओं पर आधारित है। अनुच्छेद *17* निश्चित रूप से निचली जातियों के संबंध में अस्पृश्यता प्रथाओं पर लागू होता है, लेकिन यह

महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले प्रणालीगत अपमान, बहिष्कार और अधीनता पर लागू होता है। अशुद्धता और मासिक धर्म से जुड़े प्रदूषण की धारणाओं के आधार पर महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह बहिष्कार का प्रतीक है। मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता का एक रूप है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए अभिशाप है। बहिष्करण विरोधी सिद्धांत की अभिव्यक्ति के रूप में, अनुच्छेद *17* को उन महिलाओं को बाहर करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जिनके खिलाफ सबसे खराब प्रकार के सामाजिक बहिष्कार का अभ्यास किया गया है और शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं पर वैध बनाया गया है।

अनुच्छेद *17* को प्रतिबंधित तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन भले ही अनुच्छेद *17* को अस्पृश्यता के एक विशेष रूप को प्रतिबिंबित करने के लिए पढ़ा जाए, वह लेख सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूपों के खिलाफ गारंटी को समाप्त नहीं करेगा। सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ गारंटी अन्य प्रावधानों से निकलेगी। अनुच्छेद *15 (2)* और *21* सहित भाग *III* का। दस से पचास वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को उनकी मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर,

सबरीमाला में मंदिर में प्रवेश करने की स्वतंत्रता और गरिमा पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं हो सकती है।

32. मंदिर में प्रवेश का मुद्दा मासिक धर्म वाली महिलाओं के धार्मिक स्वतंत्रता के अपने अधिकार का पालन करने के अधिकार के बारे में उतना नहीं है, जितना कि

सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति के बारे में, जो मासिक धर्म की एक कलंकित समझ से आती है, जिसके परिणामस्वरूप "अस्पृश्यता" होती है। अनुच्छेद *25*, जो भाग *III* के प्रावधानों के अधीन है, इसलिए अनिवार्य रूप से अनुच्छेद *17* के अधीन है। "शुद्धता और प्रदूषण" की विचारधारा का उपयोग करना "अस्पृश्यता" के खिलाफ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

जे अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत

83. केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम *1965* की धारा *2* इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 2. परिभाषाएँ-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

(क*)* "हिन्दू" में बौद्ध, सिख या जैन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति शामिल है*; [2018] 9* एस. सी. आर.

(ख*)* "सार्वजनिक पूजा स्थल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो किसी भी नाम से जाना जाता हो या जिससे कोई भी संबंधित हो, जो हिंदुओं या उनके किसी वर्ग या वर्ग को समर्पित है या उनके लाभ के लिए या आम तौर पर किसी धार्मिक सेवा के प्रदर्शन के लिए या उनके लिए उपयोग किया जाता है।

उसमें प्रार्थना करना, और इसमें सभी भूमि और सहायक शामिल हैं

मंदिर, मठ, देवस्थानम, नमस्कार मंडपम और

नालम्बलम, जो ऐसे किसी स्थान के निकट या उससे जुड़े हों, और कोई भी पवित्र तालाब, कुएँ, झरने और जलमार्ग जिनकी पूजा की जाती है या स्नान या पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन

इसमें "श्रीकोइल" शामिल नहीं है*;*

(ग) "वर्ग या वर्ग" में कोई भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उप-जाति, संप्रदाय या संप्रदाय शामिल हैं।

धारा *2 (सी)* अभिव्यक्ति "खंड या वर्ग" की एक समावेशी परिभाषा प्रदान करती है। वैधानिक व्याख्या के एक सिद्धांत के रूप में, "शामिल" शब्द का उपयोग उन शब्दों या वाक्यांशों के दायरे को बढ़ाने के लिए किया जाता है जो इसके साथ आते हैं। जब परिभाषा खंड में "शामिल" का उपयोग किया जाता है, तो विधायी आशय को प्रभावी बनाने के लिए अभिव्यक्ति की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। " "शामिल" इंगित करता है कि परिभाषा को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

84. अर्देशिर एच भिवंडीवाला बनाम बॉम्बे राज्य में, *1 15* ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता के नमक के कार्यों को कारखाने अधिनियम, *1948* की धारा *2 (*एम*)* में 'कारखाने' की परिभाषा के भीतर शामिल किया जा सकता है। धारा *2 (*एम*)* 'कारखाना' को "उसके परिसरों सहित किसी भी परिसर" के रूप में परिभाषित करती है। इस अदालत ने खारिज कर दिया

अपीलार्थी का दावा है कि नमक के कार्यों में परिसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे खुली भूमि हैं और परिसर नहीं हैं:

" *6.*अभिव्यक्ति "परिसर सहित परिसर" नहीं है

अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि परिसर में हमेशा परिसर होना चाहिए।

यहाँ तक कि इमारतों में भी किसी भी परिसर की आवश्यकता नहीं है। वह शब्द।

" "सम्मिलित" शब्द के अर्थ को सीमित करने वाला शब्द नहीं है

शब्द "परिसर" लेकिन एक ऐसा शब्द है जो इसके दायरे को बढ़ाता है

"परिसर" शब्द। इसलिए हमारा मानना है कि
यह तर्क सही नहीं है और केवल इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि "परिसर" शब्द का अर्थ इमारतों तक ही सीमित होना चाहिए।

और खुली जमीन को भी ढकने के लिए नहीं ले जाया जाएगा।
(जोर दिया गया*)*

115 (1961) 3 एससीआर *592* भारतीय युवा वकील एएसएसएन। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

सी. आई. टी. बनाम ताजमहल होटल, सिकंदराबाद *1 1 6* में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या स्वच्छता और पाइपलाइन फिटिंग आयकर अधिनियम, *1922* की धारा *10 (5)* के तहत 'संयंत्र' की परिभाषा के भीतर आएगी। अधिनियम की धारा *10 (5)* में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान

किया गया है कि धारा *10 (2)* में "संयंत्र" शब्द में "व्यवसाय के उद्देश्य से खरीदे गए वाहन, किताबें, वैज्ञानिक उपकरण और शल्य चिकित्सा उपकरण" शामिल हैं।

पेशा या व्यवसाय "। उपरोक्त प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"*6.*"शामिल" शब्द का उपयोग अक्सर व्याख्या में किया जाता है।

शब्दों के अर्थ को बढ़ाने के लिए खंड या

उन शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग इस रूप में किया जाना चाहिए
न केवल ऐसी चीजों को समझना जो वे अपनी प्रकृति और महत्व के अनुसार दर्शाती हैं, बल्कि उन चीजों को भी समझना जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि वे शामिल करेंगे। *117 (* जोर दिया गया*)*

गीता एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, *1 1 8 118* में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या संयुक्त प्रांतों की धारा *2 (3)*

मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम, *1937* जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि

"मनोरंजन में कोई भी प्रदर्शनी प्रदर्शन, मनोरंजन, खेल या खेल शामिल है जिसमें व्यक्तियों को भुगतान के लिए प्रवेश दिया जाता है।

वीडियो शो जो याचिकाकर्ता के परिसर में वीडियो मशीनों पर चलाए जा रहे थे। उपरोक्त स्थिति की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, "शामिल" शब्द की निम्नलिखित व्याख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोपाल कृष्ण अग्रवाल बनाम यू. पी. *1 1 9* मामले में कहाः

"जिस संदर्भ में अधिनियम के खंडों की परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग किया गया है, उससे यह संकेत नहीं मिलता है कि विधायिका का इरादा इस तरह के शब्दों पर प्रतिबंध या सीमा लगाने का है।

'मनोरंजन 'या' मनोरंजन में प्रवेश 'या' भुगतान '

प्रवेश के लिए '। " "

क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. सी. बनाम पी. एफ. एक्स. सल्दान्हा की हाई लैंड कॉफी वर्क्स मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भी यही विचार व्यक्त किया। बेटे *1 20*

116 (1971) 3 एससीसी *550*

117 7 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *552-553*

118 (1983) 4 एससीसी *202*

1 1 9 9 (1982) सभी। एलजे *607*

120 (1991) 3 एससीसी *617 [2018] 9* एस. सी. आर.

85. धारा *2 (*सी*)* में 'शामिल' शब्द का उपयोग इंगित करता है कि 'खंड या वर्ग' शब्दों का दायरा केवल इन तक ही सीमित नहीं हो सकता है -

'विभाजन ','उप-विभाजन ','जाति ','उप-जाति ','संप्रदाय 'या' संप्रदाय '। खंड या वर्ग ', एक व्यापक व्याख्या के लिए अतिसंवेदनशील होगा कि

इसके दायरे में 'महिलाओं' को शामिल किया गया है। धारा *2 (*बी*)* अभिव्यक्ति का उपयोग करता है

सार्वजनिक पूजा "। लंबा शीर्षक अधिनियम का एक हिस्सा है और निर्माण के लिए एक अनुमेय सहायता है। *1 2 1 121* यह अधिनियम मंदिरों में सभी हिंदुओं के प्रवेश के अधिकार और उनमें पूजा करने के उनके अधिकार पर प्रतिबंध को दूर करने के लिए बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य सामाजिक सुधार लाना है। द. विधायिका ने बहिष्करण की सामाजिक बुराई के केंद्र पर प्रहार करने का प्रयास किया और अनुच्छेद *25* के तहत स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने के प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार को मान्यता और संरक्षण की एक और परत देने की मांग की। परिभाषा में महिलाओं का समावेश

धारा *2 (*सी*)* में 'धारा और वर्ग' का प्रावधान कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, और प्रत्येक हिंदू के मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह चारों ओर बनी काल्पनिक सामाजिक संरचनाओं को भेदने का एक प्रयास है।

पूजा का अभ्यास, जिसका अंतिम प्रभाव बहिष्कार है। धारा *2 (*सी*)* के न्यायसंगत और उचित निर्माण के लिए महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता है।

'खंड या वर्ग' की परिभाषा के भीतर।

86. 21 अक्टूबर *1955* और *27* नवंबर की अधिसूचनाएँ

1956 1965 के अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे। बोर्ड द्वारा त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम *1950 ("1950* अधिनियम*")* की धारा *31* के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। *1950* के अधिनियम की धारा *31* में कहा गया है:

121 भारत संघ बनाम एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, *(2001) 4* एस. सी. सी. *139 [*डी. आई. ए. एन. यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन.।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

"देवस्वोमों का प्रबंधन। - इसके प्रावधानों के अधीन

भाग और उसके तहत बनाए गए नियम बोर्ड का प्रबंधन करेंगे

देवस्वोमों की संपत्तियाँ और मामले, दोनों निगमित और

गैर-निगमित, जैसा कि पहले किया गया है, और इसके संचालन की व्यवस्था करें

दैनिक पूजा और समारोह और हर मंदिर में त्योहारों की इसके उपयोग के अनुसार "।

21 अक्टूबर *1955* और *27* नवंबर की दोनों अधिसूचनाएँ

एक ही प्रभाव है, जो के प्रवेश पर कुल निषेध है

दस से पचास वर्ष की आयु के बीच सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया।

अधिसूचनाओं के अनुसार, उम्र के बीच महिलाओं का प्रवेश

पचासवाँ मंदिर के रीति-रिवाजों और प्रथाओं का उल्लंघन है।

धारा *3* सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक पूजा के स्थानों को खुला रखती है और

हिंदुओं के बारे में:

"*3.* सार्वजनिक पूजा स्थल सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुले रहेंगे

हिंदुओं का -

इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

उस समय लागू अन्य कानून या कोई प्रथा या उपयोग या ऐसा कोई साधन जो ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभावी हो या

न्यायालय का कोई आदेश या आदेश, सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान जो

हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुला रहेगा और कोई हिंदू नहीं होगा। किसी भी धारा या वर्ग को किसी भी तरह से रोका जाएगा,

ऐसे सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से बाधित या हतोत्साहित किया गया

पूजा करने से, या वहाँ पूजा करने या प्रार्थना करने से, या

उसमें किसी भी धार्मिक सेवा को उसी तरह से करना और

किसी भी वर्ग या वर्ग के किसी भी अन्य हिंदू के समान सीमा

प्रवेश कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं:

बशर्ते कि सार्वजनिक पूजा के स्थान के मामले में जो एक है किसी भी धार्मिक संप्रदाय के लाभ के लिए स्थापित मंदिर या

इसकी धारा, इस धारा के प्रावधानों के अधीन होंगे -

उस धार्मिक संप्रदाय या धारा का अधिकार, जैसा भी मामला हो धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करना हो सकता है।

(जोर दिया गया*)*

धारा *3* एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है, जो किसी भी खंड को ओवरराइड करती है।

एम या उपयोग या ऐसे किसी भी साधन के आधार पर प्रभाव डालने वाला कोई उपकरण

सार्वजनिक पूजा का प्रत्येक स्थान, जो हिंदुओं या आम तौर पर हिंदुओं के किसी भी वर्ग के लिए खुला है, सभी वर्गों और *[2018] 9* एस. सी. आर. के लिए खुला रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक पूजा के उस स्थान पर धार्मिक सेवा। इसलिए, सार्वजनिक पूजा के सभी स्थान जो हिंदुओं या हिंदुओं के किसी भी वर्ग या वर्ग के लिए खुले हैं, आम तौर पर हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों *(*महिलाओं सहित*)* के लिए खुले होने चाहिए। हिंदू महिलाएं धारा *2 (सी)* के तहत एक 'अनुभाग या वर्ग' का गठन करती हैं। धारा *3* का परंतुक यह प्रावधान करके एक अपवाद पैदा करता है कि यदि सार्वजनिक पूजा का स्थान एक मंदिर है जिसकी स्थापना लाभ के लिए की गई है।

किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसकी धारा की धारा *3* उस धार्मिक संप्रदाय या धारा के धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के अधीन होगी। परंतुक धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार को मान्यता देता है। हालांकि, परंतुक केवल तभी आकर्षित होता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

((i) सार्वजनिक पूजा का स्थान एक मंदिर है*;* और
((ii) मंदिर की स्थापना किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लाभ के लिए की गई है।

मूल्यवर्ग या उसका खंड।

87. हमने माना है कि भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं और सबरीमाला मंदिर एक सांप्रदायिक मंदिर नहीं है। परंतुक का कोई अनुप्रयोग नहीं है। सबरीमाला मंदिर में दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचनाएं जांच के दायरे में नहीं आ सकती हैं और स्पष्ट रूप से धारा *3* का उल्लंघन करती हैं। वे दस से पचास वर्ष की आयु की किसी भी महिला को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने से रोकते हैं। इस तरह का प्रतिबंध सभी हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करेगा जिन्हें धारा *3* द्वारा मान्यता प्राप्त है। बोर्ड द्वारा दस से पचास-पाँच वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचनाएँ धारा *3* के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। *88.* अगला सवाल यह है कि क्या *1965* के नियमों का नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नियम *3* प्रदान करता है:

"यहाँ उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान पर पूजा करने या स्नान करने या किसी भी पवित्र तालाब, कुएं, झरने या जलमार्ग के पानी का उपयोग करने के हकदार नहीं होंगे, जो सार्वजनिक पूजा के स्थान से जुड़ा हो, चाहे वह उसके भीतर स्थित हो या युवा वकील संगठन के अंतर्गत।

वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

पहाड़ी ताला, या एक सड़क, सड़क या मार्ग जो सार्वजनिक पूजा स्थल तक पहुँच प्राप्त करने के लिए आवश्यक है *(क)* ऐसे व्यक्ति जो हिंदू नहीं हैं।

(ख) महिलाएँ ऐसे समय में जब वे प्रथा के अनुसार नहीं होती हैं।

और सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

(घ) नशे में धुत या अव्यवस्थित व्यक्ति। *(ई)* किसी भी घृणित या संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति।

(च) अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति, सिवाय तब जब उन्हें उचित नियंत्रण में और संबंधित सार्वजनिक पूजा स्थल के कार्यकारी प्राधिकरण की अनुमति से पूजा के लिए ले जाया जाता है।

भीख माँगना "। *(जोर दिया गया)*

नियम *3 (*बी*)* के अनुसार, महिलाओं को किसी भी सार्वजनिक पूजा में पूजा करने की अनुमति नहीं है, जिसमें पहाड़ी, पहाड़ी या सार्वजनिक पूजा के लिए जाने वाली सड़क या सार्वजनिक पूजा के स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, यदि उन्हें प्रथा या उपयोग से ऐसी पूजा के स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

धारा *4* इस प्रकार प्रदान करती हैः

सार्वजनिक पूजा स्थल - *(1)* न्यासी या सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रण और उस प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, व्यवस्था के रखरखाव के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी और

सार्वजनिक पूजा के स्थान पर शिष्टाचार और इसका उचित पालन

उसमें किए जाने वाले धार्मिक संस्कार और समारोहः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत बनाया गया कोई भी विनियमन किसी भी तरह से किसी भी हिंदू के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। यह आधार कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है।

(2) उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी

होना, *(i)* किसी भी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में, जिस पर त्रावणकोर-कोच्चि हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, *1950 (*त्रावणकोर-*1950* का कोच्चि अधिनियम *XV)* की धारा *I* का विस्तार है,

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड; *(ii)* किसी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में -

उक्त अधिनियम के किस भाग *II* का विस्तार है, कोचीन देवस्वम

बोर्ड; और

((ग) किसी अन्य स्थान में स्थित सार्वजनिक पूजा स्थल के संबंध में।

केरल राज्य में क्षेत्र, सरकार "।

धारा *4 (1)* न्यासी या सार्वजनिक पूजा स्थल के प्रभारी व्यक्ति को व्यवस्था बनाए रखने के लिए विनियम बनाने का अधिकार देती है। और शिष्टाचार और सार्वजनिक पूजा के स्थानों में संस्कार और समारोहों के पालन के लिए। विनियमन बनाने की शक्ति निरपेक्ष नहीं है। धारा *4 (1)* का प्रावधान किसी भी हिंदू के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को इस आधार पर प्रतिबंधित करता है कि वह किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित है।

89. जब नियम बनाने की शक्ति किसी प्रतिनिधि को कानून द्वारा प्रदान की जाती है, तो प्रतिनिधि मूल कानून के प्रावधानों के विपरीत नियम नहीं बना सकता है। नियम बनाने वाले प्राधिकारी के पास सक्षम कानून के दायरे से परे या कानून के साथ असंगत नियम बनाने की शक्ति नहीं है। *1 22* क्या प्रत्यायोजित विधान शक्ति से अधिक है

प्रतिनिधि को दिए गए अधिकार का निर्धारण कानून के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों से प्राप्त शक्ति और उद्देश्य को प्रदान करते हैं। *123*

90. हिंदू महिलाएं *1965* के अधिनियम की धारा *2* के खंड बी और सी के तहत हिंदुओं का एक 'वर्ग या वर्ग' हैं। धारा का परंतुक

4 (1) किसी भी ऐसे विनियमन को प्रतिबंधित करता है जो किसी विशेष वर्ग या वर्ग से संबंधित होने के आधार पर किसी भी हिंदू के साथ भेदभाव करता है। सबसे बढ़कर, जनादेश

धारा *3* में कहा गया है कि यदि सार्वजनिक पूजा का स्थान आम तौर पर हिंदुओं या हिंदुओं के किसी भी वर्ग या वर्ग के लिए खुला है, तो यह हिंदुओं के सभी वर्गों या वर्गों के लिए खुला रहेगा। सबरीमाला मंदिर आम तौर पर हिंदुओं के लिए खुला है। और किसी भी मामले में हिंदुओं के किसी वर्ग या वर्ग के लिए। इसलिए इसे खोला जाना चाहिए।

122 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बनाम सिरी राम, *(2000) 5* एससीसी *451*

123 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष

भुपेशकुमार सेठ, *(1984) 4* एस. सी. सी. *27* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन.

वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

हिंदू महिलाओं सहित हिंदुओं के सभी वर्गों या वर्गों के लिए। नियम *3 (*बी*)* उन रीति-रिवाजों और प्रयोगों को प्राथमिकता देता है जो महिलाओं के बहिष्कार की अनुमति देते हैं "ऐसे समय में जब उन्हें सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है"। इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन को निर्धारित करने में, नियम *3 (*बी*)* धारा *3* द्वारा स्थापित मंदिर में प्रवेश के अधिकार का सीधे उल्लंघन करता है। धारा *3* किसी भी प्रथा या उपयोग को इसके विपरीत करती है। लेकिन नियम *3*

महिलाओं को बाहर करने के लिए एक प्रथा या उपयोग को स्वीकार करता है, पहचानता है और लागू करता है। यह स्पष्ट रूप से अति अधिकार है।

अधिनियम का उद्देश्य सभी धाराओं के प्रवेश को सक्षम बनाना है और

हिंदुओं के किसी भी वर्ग या वर्ग को समर्पित या उनके लाभ के लिए या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मंदिरों में हिंदुओं के वर्ग। यह अधिनियम हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश करने के अधिकारों और प्रार्थना करने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। यह कानून सदियों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने के लिए बनाया गया था और यह संविधान के अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* से निकला है। अधिनियम के व्यापक और उदार उद्देश्य को महिलाओं के बहिष्कार से रोका नहीं जा सकता है। नियम *3 (*बी*)* अधिकार से परे है।

के नारसू का भूत *1 24*

91. उत्तरदाताओं ने आग्रह किया है कि महिलाओं को बाहर रखा जाए

सबरीमाला मंदिर एक प्रथा है, जो अधिनियम और *1965* के नियमों से स्वतंत्र है। *25* यह तर्क दिया गया कि यह बहिष्कार 'संस्थागत पूजा' का हिस्सा है और एक नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में देवता के चरित्र से बहता है। कार्यवाही के दौरान, अनुच्छेद *13* के दायरे और उस अनुच्छेद के खंड *1* में 'लागू कानूनों' की परिभाषा पर एक प्रस्तुति को संबोधित किया गया था।

संविधान का अनुच्छेद *13* इस प्रकार हैः

"13. (1) भारत के क्षेत्र में तुरंत लागू सभी कानून

इस संविधान के प्रारंभ से पहले, जहाँ तक वे

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार और उल्लंघन में बनाई गई कोई कानून
इस खंड का उल्लंघन, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगा।

124 इंदिरा जयसिंह, 'द घोस्ट ऑफ नरसू अप्पा माली सुप्रीम कोर्ट का पीछा कर रहा है

भारत ', लॉयर्स कलेक्टिव, *28* मई, *2018*

125 वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. परासरन की लिखित दलीलें, पैरा *4,6,10,15,29* पर,

39 , 41 ; त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का पैरा *1 [2018] 9* एस. सी. आर. में अतिरिक्त शपथ पत्र।

(3) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,
(क*)* "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियम शामिल हैं।

(ख) "प्रवृत्त कानून" में विधानमंडल द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं।
या भारत के क्षेत्र में अन्य सक्षम प्राधिकारी

इस संविधान का प्रारंभ और जो पहले निरस्त नहीं किया गया था,

इसके बावजूद कि ऐसा कोई कानून या उसका कोई हिस्सा नहीं हो सकता है

फिर या तो बिल्कुल या विशेष क्षेत्रों में संचालन में।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी अनुच्छेद *368* के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।

92. राज्य में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

बॉम्बे बनाम नरसू अप्पा माली *("नरसू"), 1 2 6* ने अनुच्छेद *13* के दायरे पर विचार किया, विशेष रूप से प्रथा, उपयोग और व्यक्तिगत कानून के संदर्भ में। बॉम्बे हिंदू विवाह विवाह निवारण अधिनियम *1946* की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया। यह तर्क दिया गया था कि व्यक्तिगत कानून का एक प्रावधान जो बहुविवाह की अनुमति देता है, अनुच्छेद *15* के तहत गैर-भेदभाव की गारंटी का उल्लंघन करता है, और यह कि संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद *13 (1)* के तहत ऐसी प्रथा अमान्य हो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या अनुच्छेद *13 (1)* में दिखाई देने वाले 'सभी लागू कानूनों' 'व्यक्तिगत कानूनों' को शामिल किया गया था। मुख्य न्यायाधीश चागला ने कहा कि 'प्रथा या उपयोग' को अनुच्छेद *13 (1)* में 'लागू कानूनों' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहाः

"कानून "केवल अनुच्छेद *13 (2)* पर लागू होता है और अनुच्छेद *13 (1)* पर नहीं। उनके अनुसार यह केवल "लागू कानूनों" की परिभाषा है जो अनुच्छेद *13 (1)* पर लागू होती है। इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है। क्योंकि प्रथा या
उपयोग का कोई अर्थ नहीं होगा यदि इसे अनुच्छेद *13 (2)* में "कानून" अभिव्यक्ति पर लागू किया गया था। राज्य ऐसा नहीं कर सकता।

केवल अनुच्छेद *13 (1)* में "कानून" अभिव्यक्ति पर लागू होता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि कोई प्रथा या उपयोग है जो लागू है
भारत, जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, वह प्रथा या उपयोग शून्य है।

126 ए. आई. आर. *1952* बम *84;* दक्षिण सतारा के सत्र न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में, आरोपी को बरी कर दिया गया और बॉम्बे हिंदू विवाह विवाह निवारण अधिनियम *1946* को अमान्य घोषित कर दिया गया। ये मामले भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. की इन कार्यवाहियों से उत्पन्न होते हैं।

इसलिए, किसी प्रथा या उपयोग की वैधता का परीक्षण भाग *III* के अनुरूपता के लिए किया जा सकता है। हालांकि, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया

यह तर्क कि व्यक्तिगत कानून 'प्रथा या उपयोग' हैः

"15 ..... प्रथा या उपयोग व्यक्तिगत कानून से विचलन है न कि व्यक्तिगत कानून से। कानून कुछ संस्थानों को मान्यता देता है जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नहीं हैं या यहां तक कि उनका विरोध भी करते हैं क्योंकि उन्हें प्रथा या उपयोग द्वारा पवित्र किया गया है, लेकिन व्यक्तिगत कानून और प्रथा या उपयोग के बीच अंतर स्पष्ट है।

और असंदिग्ध। "

इस प्रकार, न्यायमूर्ति चागला ने निष्कर्ष निकाला कि "व्यक्तिगत कानून अनुच्छेद *13 (1)* में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति" लागू कानून "में शामिल नहीं है। "

93. न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर *(*उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में*)* मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से भिन्न थे कि प्रथा या उपयोग इसके दायरे में आता है। अनुच्छेद *13 (1)* की सीमा। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर के अनुसार, 'प्रथा या उपयोग' अनुच्छेद *13 (1)* में 'लागू कानून' अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता हैः

अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को मना करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता जैसा कि हिंदुओं के बीच प्रचलित था, इसकी उत्पत्ति प्रथा और उपयोग के कारण हुई थी, और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सिद्धांत और व्यवहार में यह हिंदुओं के एक बड़े वर्ग के साथ केवल जन्म के आधार पर भेदभाव करता था। यदि अस्पृश्यता इस प्रकार अनुच्छेद *15 (1)* के प्रावधानों के खिलाफ स्पष्ट रूप से आहत होती है और यदि इसे "लागू कानून" अभिव्यक्ति में शामिल किया जाता है, तो यह अनुच्छेद *13 (1)* के तहत अमान्य होता। उस दृष्टिकोण से अनुच्छेद *17* द्वारा इसे समाप्त करने का प्रावधान करना पूरी तरह से अनावश्यक होता। यही कारण है कि मुझे इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि प्रथा या उपयोग कानून का बल रखने वाले को इसमें शामिल माना जाना चाहिए

अभिव्यक्ति "लागू कानून"।

विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि अस्पृश्यता की प्रथा की उत्पत्ति प्रथा और उपयोग से हुई है। यदि इसका उद्देश्य 'प्रथा' को शामिल करना था या अनुच्छेद *13 (3) (*बी*)* में 'लागू कानूनों' की परिभाषा में 'का उपयोग, प्रथा *[2018] 9* एस. सी. आर.

अनुच्छेद *15* और अनुच्छेद *13 (1)* के तहत अमान्य होगा। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि यह अनुच्छेद *17* को अप्रचलित कर देता है। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार अनुच्छेद *13 (3) (*बी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *13 (1)* में 'प्रचलित कानूनों' के दायरे में 'प्रथा या उपयोग' को शामिल करने का इरादा नहीं था। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने कहा कि "भले ही यह दृष्टिकोण गलत है, लेकिन यह इस बात का पालन नहीं करता है कि व्यक्तिगत कानून अभिव्यक्ति कानूनों में शामिल हैं"

बल में "" ":

"26 ..... मुझे यह मानना असंभव लगता है कि हिंदू या मुसलमान कानून प्रथा या उपयोग के बल पर आधारित है। कानून "।

विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद *13 (1)* के तहत 'लागू कानूनों' के लिए एक वैधानिक आवश्यकता को पढ़ा।

"23 ..... इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि व्यक्तिगत कानून सामान्य अर्थों में लागू हैं; वे वास्तव में न्यायालयों द्वारा प्रशासित हैं।

उनके दायरे में आने वाले मामलों में भारत। लेकिन अभिव्यक्ति "लागू कानून", मेरी राय में, अनुच्छेद *13 (1)* में उपयोग किया जाता है उस सामान्य अर्थ में नहीं। यह अभिव्यक्ति संदर्भित करती है कि क्या समग्र रूप से हो सकता है वैधानिक कानूनों के रूप में वर्णित किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अभिव्यक्ति में शामिल कानून किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाए गए होने चाहिए, और जब तक यह परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है, तब तक इस अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत कानूनों को केवल इस आधार पर शामिल करना वैध नहीं होगा कि वे उनके द्वारा प्रशासित हैं।

भारत में न्यायालय "।

विद्वान न्यायाधीशों ने इस बात पर मतभेद व्यक्त किया कि क्या अनुच्छेद *13 (3) (*बी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *13 (1)* में 'लागू कानूनों' में 'प्रथा या उपयोग' शामिल हैं। इस निष्कर्ष को दर्ज करने में उच्च न्यायालय का तर्क अधिक निकटता के योग्य है।

देखिए।

94. ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, *27* में सात न्यायाधीशों की पीठ ने निवारक निरोध अधिनियम *1950* की संवैधानिकता पर विचार किया। बहुमत ने संविधान के भाग *III* में अनुच्छेदों के असंवेदनशील पठन पर अधिनियम को बरकरार रखा। अपनी प्रसिद्ध असहमति में, न्यायमूर्ति फजल अली ने बताया कि संविधान के भाग *III* की योजना ने अनुच्छेद *19,21* और *22* के बीच कुछ हद तक अतिव्याप्त के अस्तित्व का सुझाव दिया। असहमति ने यह विचार अपनाया कि मौलिक अधिकार अलग-थलग और अलग नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के एक सामान्य धागे की रक्षा करते हैं:

127 1950 एससीआर *88* भारतीय युवा वकील एएसएसएन। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

इसका श्रेय दिया जाता है, अर्थात्, कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में एक कोड है और दूसरों से स्वतंत्र है। मेरी राय में, यह नहीं हो सकता है

यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद *19,20,21* और *22* कुछ हद तक नहीं हैं।

एक-दूसरे को ओवरलैप करें। एक व्यक्ति का मामला जिसे दोषी ठहराया गया है

एक अपराध अनुच्छेद *20* और *21* के तहत आएगा और इसके तहत भी अनुच्छेद *22* जहाँ तक उसकी गिरफ्तारी और मुकदमे से पहले हिरासत में हिरासत

वे चिंतित हैं। निवारक निरोध, जिसके बारे में अनुच्छेद में बताया गया है

अनुच्छेद *21* में, और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है
अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में वर्णित आंदोलन।

(जोर दिया गया*)*

न्यायमूर्ति फजल अली की असहमति में अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ। एक ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या बैंकिंग कंपनी *(*उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण*)* अध्यादेश, *1969* और बैंकिंग कंपनी *(*उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण*)* अधिनियम, *1969* ने संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *31* के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों को बाधित किया है। इस अधिनियम को असंवैधानिक ठहराते हुए न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने कहाः

" 52 ..... अधिकारों का उच्चारण या तो व्यक्त या निहितार्थ द्वारा

एक समान पैटर्न का पालन नहीं करता है। लेकिन एक धागा गुजरता है

वेः वे व्यक्तियों या समूहों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं

उनके आवंटित क्षेत्रों में उन अधिकारों के बारे मेंः वे उच्चारण करने की कोशिश नहीं करते हैं
विशिष्ट अधिकार "। *129.*

इसी तरह, मेनका में, सात न्यायाधीशों की पीठ का सामना एक

पासपोर्ट अधिनियम *1967* की धारा *10 (3) (*सी*)* को संवैधानिक चुनौती। इस धारा को संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन बताते हुए न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने कहाः

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इसलिए, अभिव्यक्ति 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' में
अनुच्छेद *21* उस विशेषता को बाहर करता है। हमारी राय में, यह एक नहीं है

128 (1970) 1 एस. सी. सी. *248*

129 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *289 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सही दृष्टिकोण। दोनों स्वतंत्र मौलिक अधिकार हैं, हालांकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई सवाल ही नहीं

दूसरे से तराशा जा रहा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के कई गुण हैं और उनमें से कुछ अनुच्छेद *19* में पाए जाते हैं। यदि अनुच्छेद *21* के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य कार्रवाई को बनाए रखने के लिए एक कानून पर भरोसा कर सकता है, लेकिन यह एक पूर्ण उत्तर नहीं हो सकता है जब तक कि उक्त कानून अनुच्छेद *19 (2)* में निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है जहां तक अनुच्छेद *19 (1)* में शामिल विशेषताओं का संबंध है। *130 (* जोर दिया गया*)*

विशेष न्यायालय विधेयक संदर्भ में, *131* सात न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय का, इस प्रश्न पर अनुच्छेद *143 (1)* के तहत एक संदर्भ माना जाता है कि क्या विशेष न्यायालय विधेयक, *1978* या इसके किसी भी प्रावधान को यदि अधिनियमित किया जाता है, तो वह संवैधानिक रूप से अमान्य होगा। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ *(*अपने लिए लिखते हुए, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती, न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया और न्यायमूर्ति मुर्तजा फजल अली*)* ने कहा कि "संविधान के विभिन्न प्रावधानों को सुसंगत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए और इसके किसी भी हिस्से को अनावश्यक या अनावश्यक नहीं माना जाना चाहिए।" विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया:

" 49 ..... हमारे जैसे संविधान में कुछ मात्रा में पुनरावृत्ति या अतिव्यापी होना अपरिहार्य है, जो अमेरिकी संविधान के विपरीत, विस्तृत रूप से तैयार किया गया है और सूक्ष्म विवरणों में चलता है। वहाँ है,

इसलिए, इससे भी बड़ा कारण यह है कि हमारे संविधान का अर्थ लगाते समय, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके विभिन्न प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उनके पूर्ण उपयोग की अनुमति दी जाए।

प्रावधान, निर्माण द्वारा, दूसरे के अस्तित्व और प्रभाव को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाता है। *132*

पुट्टास्वामी में, नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक सर्वसम्मत फैसले में स्वतंत्रता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के एक पहलू के रूप में गोपनीयता को संवैधानिक रूप से संरक्षित घोषित किया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निजता का संबंध संविधान के अनुच्छेद *21* में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के साथ-साथ स्वतंत्रता और गरिमा के अन्य पहलुओं से है।

भाग *III* में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा गारंटीकृत। चार न्यायाधीशों का निर्णय इस प्रकार था:

" 259 ..... अनुच्छेद *14,19* और *21* के एकीकरण ने एक ऐसा न्यायशास्त्र अस्तित्व में लाया है जो अंतर-संबंधों को मान्यता देता है।

131 (1979) 1 एससीसी *380*

132 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *413* डी. आई. ए. एन. यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. पर। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

अधिकारों के बीच। इस प्रकार निष्पक्षता और गैर-भेदभाव की आवश्यकताएँ मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं को जीवंत करती हैं। अनुच्छेद *21.133*

260 ..... मूल स्तर पर, अंतर्निहित संवैधानिक मूल्य

मौलिक अधिकारों पर अध्याय का प्रत्येक अनुच्छेद दूसरों का अर्थ। कानून के इस विकास ने एक प्राकृतिक विकास का अनुसरण किया है। आखिरकार इस विकास का आधार यह है कि मौलिक अधिकारों की विविध गारंटी का हर पहलू संबंधित है।

मनुष्यों के साथ। प्रत्येक तत्व दूसरों के साथ मिलकर मानव व्यक्तित्व की संरचना में योगदान देता है। चीजों की प्रकृति में, किसी भी तत्व को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि

समग्र "। *134*

नरसू में प्रयुक्त तर्क का जवाब देते हुए, ए. एम.

तचरजी ने अपनी कृति 'वैवाहिक कानून और संविधान' में, *135*

एसः

..... अनुच्छेद *15 (3)* के प्रावधान भी प्रतीत हो सकते हैं -

यह इस हद तक अनावश्यक है कि यह "बच्चों" को संदर्भित करता है। अनुच्छेद *15 (1)* धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

उम्र के आधार पर। और, इसलिए, यदि आयु इस प्रकार निषिद्ध नहीं है

भेदभाव के लिए आधार, किसी भी प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं था

अनुच्छेद *15 (3)* में बचत खंड को इस प्रभाव से व्यक्त करें कि "कुछ भी नहीं"

इस अनुच्छेद में राज्य को कोई विशेष कार्य करने से रोका जाएगा।

बच्चों के लिए प्रावधान ", क्योंकि अनुच्छेद *15 (1)* या अनुच्छेद *15 (2)* में कुछ भी इस तरह के विशेष प्रावधान को मना नहीं करेगा। वहाँ, केवल यह तथ्य कि कुछ मामले को भाग *III* या कहीं और एक या अधिक अनुच्छेदों द्वारा विशेष रूप से निपटाया गया है, अपने आप में इस निष्कर्ष की गारंटी नहीं देगा कि इसे किसी अन्य अनुच्छेद या अनुच्छेदों में शामिल या शामिल या फिर से नहीं किया गया है या नहीं किया जा सकता है।

भाग *III* में या कहीं और।

95. संविधान के भाग *III* के तहत गारंटीकृत अधिकारों में व्यक्तिगत गरिमा का सर्वोपरि धागा है। वहाँ है।

संविधान के अनुच्छेदों में ओवरलैप की री जो मान्यता देते हैं

मानसिक मानव स्वतंत्रताएँ और उनका व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए

घ, पृष्ठ *477* पर

घ, पृष्ठ *478* पर

✓ भट्टाचार्य, वैवाहिक कानून और संविधान, ईस्टर्न लॉ हाउस

96) पृष्ठ *32 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

संभव महसूस करें। तब यह कहना कि संविधान में किसी अनुच्छेद का समावेश गारंटीकृत अधिकारों के व्यापक दायरे को प्रतिबंधित करता है, कायम नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद *17* को निर्माताओं द्वारा अस्पृश्यता के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने के लिए पेश किया गया था। लेख का परिचय

17 यह संविधान की परिवर्तनकारी भूमिका और दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सामाजिक संरचना में सदियों के भेदभाव पर ध्यान केंद्रित करता है और उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए संविधान की भूमिका को दर्शाता है। स्वतंत्रता के एक विशिष्ट पहलू से संबंधित भाग *III* में किसी विशेष लेख का उपाख्यान भाग *III* में कहीं और मौजूद हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी स्वतंत्रताएँ एक अविभाज्य संबंध साझा करती हैं। वे एक साथ मौजूद हैं और यह उनके सह-अस्तित्व में है कि गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की दृष्टि साकार होती है। जैसा कि पुट्टास्वामी में उल्लेख किया गया है, "संविधान सभा ने सोचा कि स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं के लिए अधिक जोरदार घोषणा की आवश्यकता है ताकि राज्य के अधिकार को कम करने या कम करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके"। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर द्वारा अनुच्छेद *13 (3) (*बी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *13 (1)* के तहत 'लागू कानूनों' से प्रथा और उपयोग को बाहर करने के लिए नारसु में अपनाया गया तर्क सैद्धांतिक रूप से और इस न्यायालय की मिसाल के दृष्टिकोण से अस्थिर है। *96.* नरसू में दोनों न्यायाधीशों ने भारत सरकार अधिनियम *1915* की धारा *112* के वाक्यांश पर भरोसा किया, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को व्यक्तिगत कानून या मुकदमे के पक्षों की प्रथा के अनुसार अपने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कुछ मामलों का निर्णय लेने का आदेश दिया गया था, और प्रतिवादी, जहां वादी और प्रतिवादी अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों या प्रथाओं के अधीन हैं:

> "*112.* कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय, यथास्थिति, कलकत्ता, मद्रास या बम्बई के निवासियों के विरुद्ध मुकदमों में अपनी मूल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, भूमि, किराए और वस्तुओं के उत्तराधिकार और उत्तराधिकार के मामलों में, और अनुबंध और पक्ष और पक्ष के बीच व्यवहार के मामलों में, जब दोनों पक्ष कानून के बल वाले एक ही व्यक्तिगत कानून या प्रथा के अधीन होते हैं, तो उस व्यक्तिगत कानून या प्रथा के अनुसार निर्णय लेते हैं, और जब पक्ष कानून के बल वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों या प्रथा के अधीन होते हैं, तो उस कानून या प्रथा के अनुसार निर्णय लेते हैं जिसके अधीन प्रतिवादी होता है।
>
> *(* जोर दिया गया*)*

व्यक्तिगत कानून 'और' कानून की शक्ति रखने वाली प्रथा *'('* या 'शब्द के उपयोग से अलग*)* के असंगत उपयोग पर भरोसा करते हुए, मुख्य न्यायाधीश चागला ने कहा कि *1915* के अधिनियम की विधायी मिसाल के बावजूद, भारतीय युवा वकील ए. एस. एन.

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

संविधान सभा ने जानबूझकर अनुच्छेद *13* में 'व्यक्तिगत कानून' के संदर्भ को हटा दिया। मुख्य न्यायाधीश चागला ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट संकेत है।

व्यक्तिगत कानून को अनुच्छेद *13* के दायरे से बाहर करने के लिए संविधान बनाने वाली संस्था के इरादे के लिए।

संविधान सभा में भारत सरकार अधिनियम *1935* का एक विधायी उदाहरण भी था, जिसमें से संविधान के कई प्रावधान थे -

संविधान तैयार किया गया है। उस अधिनियम की धारा *292*, जो मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद *372 (1)* से मेल खाती है, इस प्रकार हैः

"292. भारत सरकार अधिनियम के इस अधिनियम द्वारा निरस्तीकरण के बावजूद, लेकिन इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी
ब्रिटिश भारत में तुरंत पहले लागू कानून

इस अधिनियम के भाग *III* का प्रारंभ ब्रिटिश भारत में तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है।
विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी।

(जोर दिया गया*)*

अधिनियम की धारा *292* ने उस अधिनियम के भाग *III* के प्रारंभ से ठीक पहले ब्रिटिश भारत में 'सभी लागू कानून' को सुरक्षित रखा। द.

उस धारा में "लागू कानून" अभिव्यक्ति की व्याख्या संघीय न्यायालय द्वारा संयुक्त प्रांत बनाम *Mst.Atiqa* बेगम में की गई थी। *1 36* सवाल

न्यायालय के समक्ष यह था कि क्या संयुक्त प्रांतों की विधायिका छूट अधिनियम *1938* के नियमितीकरण को लागू करने के लिए सक्षम थी।

भारत सरकार अधिनियम *1935* की धारा *292* का अर्थ लगाते हुए और प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति सुलेमान ने कहाः

" भले ही हम ज्ञान से चिंतित नहीं हैं
विधायिका, कोई यह कहने में मदद नहीं कर सकता है कि ऐसा कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि किसी को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति क्यों दी जाए

नए विधान को कम, सीमित या न्यूनतम किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब धारा *292* न केवल उस समय लागू वैधानिक अधिनियमों पर लागू होती है, बल्कि व्यक्तिगत कानूनों, प्रथागत कानूनों सहित सभी कानूनों पर भी लागू होती है।

और सामान्य कानून "। *137*

(जोर दिया गया*)*

अनुच्छेद *13 (3) (*ए*)* और *13 (3) (*बी*)* में परिभाषित शब्द 'कानून' और 'लागू कानून' की एक समावेशी परिभाषा है। यह वैधानिक व्याख्या की एक स्थिर स्थिति है, कि 'शामिल' शब्द का उपयोग के अर्थ को बढ़ाता है

136 ए. आई. आर. *1941* एफ. सी. *16*

137 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *31 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

उपयोग किए गए शब्द या वाक्यांश। *38* न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने मौलिक कार्य 'सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत' में लिखा है किः जहाँ परिभाषित शब्द को इस तरह के और इस तरह के 'शामिल' घोषित किया जाता है, परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है। *139*

97. संत राम बनाम लाभ सिंह *1 40* में, इस मामले की एक संविधान पीठ

न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या संविधान के लागू होने के बाद, पूर्व-समावेशन का अधिकार अनुच्छेद के प्रावधानों के विपरीत है। *19 (1) (* च*)* कला के साथ पढ़ें। *13* संविधान '। यह तर्क दिया गया कि 'कानून' और 'लागू कानून' शब्दों को अलग से परिभाषित किया गया था और 'कानून' की परिभाषा में 'प्रथा या उपयोग' को 'लागू कानून' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने परिभाषा खंडों में 'शामिल' के उपयोग द्वारा आयातित विस्तृत अर्थ पर भरोसा कियाः

"*4 .....* सवाल यह है कि क्या समग्र वाक्यांश को परिभाषित करके
"लागू कानूनों का उद्देश्य पहली परिभाषा को बाहर करना है। द.

या प्रारम्भ होने से पहले अन्य सक्षम प्राधिकारी
संविधान इस तथ्य के बावजूद कि कानून या उसका कोई हिस्सा विशेष क्षेत्रों में या बिल्कुल भी लागू नहीं था। दूसरे शब्दों में, कानून, जो लागू नहीं थे, हालांकि क़ानून की पुस्तक में,

"लागू कानून" वाक्यांश में शामिल किए गए थे। लेकिन दूसरा

परिभाषा किसी भी तरह से पहले खंड में "कानून" शब्द की सीमा को प्रतिबंधित नहीं करती है जैसा कि उस शब्द की परिभाषा द्वारा विस्तारित किया गया है। यह.
केवल कुछ शामिल करके इसे बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन इसके लिए

दूसरी परिभाषा, पहले द्वारा शामिल नहीं की जाएगी

परिभाषा। भारत के क्षेत्र में कानून की शक्ति रखने वाली प्रथा और उपयोग को अभिव्यक्ति द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
"सभी कानून लागू हैं।

'कानून' और 'लागू कानून' अभिव्यक्ति की परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग इस प्रकार दोनों के लिए एक व्यापक अर्थ रखता है। भारत के क्षेत्र में कानून की शक्ति रखने वाली प्रथाओं को "लागू कानूनों" के भीतर समझा जाता है। वर्तमान रूप में अनुच्छेद *13* को अपनाने से पहले,

138 अर्देशिर एच. भिवंडीवाला बनाम बॉम्बे राज्य *(1961) 3* एस. सी. आर. *592;* सी. आई. टी. बनाम ताजमहल होटल, सिकंदराबाद *(1971) 3* एस. सी. सी. *550;* गीता एंटरप्राइजेज बनाम यूपी राज्य *(1983) 4* एस. सी. सी. *202;* क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. सी. बनाम पी. एफ. एक्स. की हाई लैंड कॉफी वर्क्स। सल्दान्हा एंड संस

(1991) 3 एस. सी. सी. *617 139* न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, पृष्ठ *198* पर लेक्सिस नेक्सिस *(2016)*

140 ओ *(1964) 7* एससीआर *756* भारतीय युवा वकील एएसएसएन। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

अनुच्छेद *8* के मसौदे में केवल 'कानून' की परिभाषा शामिल थी। *141* अक्टूबर *1948* में, मसौदा समिति ने 'लागू कानूनों' की परिभाषा लाई। इस संशोधन का प्रस्ताव करने का कारण मसौदा समिति के नोट *1 42* से निकलता हैः

इस अनुच्छेद का खंड *(1)*। तदनुसार यह सुझाव दिया जाता है कि अनुच्छेद *307* के स्पष्टीकरण *I* की तर्ज पर "प्रवृत्त विधि" की परिभाषा इस अनुच्छेद के खंड *(3)* में जोड़ी जानी चाहिए।
'लागू कानूनों' के लिए एक अलग परिभाषा का कारण महत्वपूर्ण है।

'लागू कानूनों' की परिभाषा को यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था कि कानून पारित हों

विधायिका द्वारा, लेकिन बिल्कुल भी या विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होने पर, अनुच्छेद *13 (1)* का संचालन आकर्षित करेगा। हालांकि, न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने कहा कि अनुच्छेद *13 (1)* में 'लागू कानून' वैधानिक कानूनों के लिए एक समग्र अभिव्यक्ति है। ऐसा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने व्यापक दायरे की अनदेखी की

जिसे समावेशी परिभाषा के कारण 'लागू कानून' शब्द के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था। संत राम में संविधान पीठ का निर्णय ठीक इसी पहलू पर जोर देता है। अतः न्याय का दृष्टिकोण

नरसू में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में गजेंद्रगडकर को सही नहीं माना जा सकता है।

98. हाल ही में शायरा बानो मामले में एक संविधान पीठ ने विचार किया

चाहे तलाक-उल-बिद्दत हो या 'तीन तलाक', जिसने एक मुसलमान पुरुष को तीन बार 'तलाक' शब्द का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अधिकृत किया था। *141* शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, खंड *III*, पृष्ठ *520* पर, *521.* मसौदा अनुच्छेद *8* में कहा गया हैः

"*8 (1)* भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, ऐसी विसंगति की सीमा तक शून्य होंगे।

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन ले या कम कर दे और इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाई गई कोई विधि - उल्लंघन की सीमा, शून्य होः

*** बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी राज्य को उत्पन्न होने वाली किसी भी असमानता, असमानता, नुकसान या भेदभाव को दूर करने के लिए कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा।

किसी भी मौजूदा कानून से बाहर। *(3)* इस अनुच्छेद में, "कानून" अभिव्यक्ति में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से में कानून का बल रखता है।

142 शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन, खंड *IV*, पृष्ठ *26,27 [2018] 9* एस. सी. आर.

कानूनी रूप से अमान्य। *3-3* के फैसले में, बहुमत ने फैसला सुनाया कि तीन तलाक कानूनी रूप से वैध नहीं है। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन *(*अपने और न्यायमूर्ति ललित के लिए लिखते हुए*)* ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ *(*शरीयत*)* आवेदन अधिनियम, *1937* ने तीन तलाक की प्रथा को संहिताबद्ध किया। विद्वान न्यायाधीश इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या यह संविधान का उल्लंघन करता है:

"*47.*इसलिए, यह स्पष्ट है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किए गए तलाक के सभी रूपों को *1937* के अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई है और लागू किया गया है। इसमें अनिवार्य रूप से तीन तलाक शामिल होगा जब सुन्नी लोगों पर लागू होने वाले मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की बात आती है। भारत. *143*

*48.*जैसा कि हमने निष्कर्ष निकाला है कि *1937* का अधिनियम संविधान लागू होने से पहले विधायिका द्वारा बनाया गया एक कानून है।

अनुच्छेद *13 (3) (*बी*)* में "लागू कानून" अभिव्यक्ति के भीतर और अनुच्छेद *13 (1)* द्वारा प्रभावित होगा यदि संविधान के भाग *III* के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता है, तो इस हद तक कि

असंगतता "। *144*

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि *1937* के अधिनियम ने तीन तलाक की प्रथा को संहिताबद्ध किया और यह कि कानून परिणामस्वरूप निम्नलिखित के दायरे में आएगा:

'संविधान के अनुच्छेद *13 (1)* में लागू कानूनों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "यह तय करना अनावश्यक था कि नारसु अप्पा *(*उपरोक्त*)* में निर्णय अच्छा कानून है या नहीं।" *145* हालाँकि, न्यायमूर्ति नरीमन ने निम्नलिखित टिप्पणी में नारसु की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया:

"हालाँकि, एक उपयुक्त मामले में, इस निर्णय पर फिर से विचार करना आवश्यक हो सकता है क्योंकि "कानून और" लागू कानूनों "की परिभाषा दोनों समावेशी परिभाषाएँ हैं, और यह कि कम से कम एक भाग पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे., *(*पैरा *26)* का निर्णय जिसमें विद्वान न्यायाधीश का विचार है कि "कानून" अभिव्यक्ति को अनुच्छेद *13 (3)* में "लागू कानून" अभिव्यक्ति में नहीं पढ़ा जा सकता है, स्वयं नहीं है।

लंबा अच्छा कानून "।

99. प्रथा, उपयोग और व्यक्तिगत कानून का व्यक्तियों की नागरिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे गतिविधियाँ जो स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों की नागरिक स्थिति से जुड़ी हैं, उन्हें केवल इसलिए संवैधानिक प्रतिरक्षा नहीं दी जा सकती है क्योंकि उनमें कुछ सहयोगी विशेषताएं हो सकती हैं जो

धार्मिक प्रकृति। उन्हें संवैधानिक जांच से बचाना संविधान की प्रधानता से इनकार करना है।

143 इबिद, पृष्ठ *65* पर

144 इबिद, पृष्ठ *65* पर

145 आई. बी. आई. डी., पैरा *51* इंडियन यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन. में। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

हमारा संविधान सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह अतीत से एक विराम का प्रतीक है-एक गहराई से विभाजित समाज की विशेषता

सामाजिक पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादिता, अधीनता और भेदभाव पर आराम करना।

व्यक्ति की गरिमा का विनाशकारी। यह एक ऐसी दृष्टि के भविष्य की बात करता है जो वास्तव में प्रकृति में मुक्तिदायी है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के संदर्भ में, यह देखा गया है कि इस तरह की दृष्टि होगीः

"राज्य और समाज के पूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता है,

समतावादी आधार पर शक्ति और संसाधनों का पुनर्वितरण। इस परिवर्तन परियोजना के भीतर समानता प्राप्त करने की चुनौती में नस्ल, लिंग, वर्ग और असमानता के अन्य आधारों के आधार पर प्रभुत्व और भौतिक नुकसान के प्रणालीगत रूपों का उन्मूलन शामिल है। इसका विकास भी होता है

अवसर जो लोगों को सकारात्मक सामाजिक संबंधों के भीतर अपनी पूरी मानवीय क्षमता का एहसास करने की अनुमति देते हैं। *146*

कानून और प्रथाओं के निकाय जो एक अतीत की निरंतरता का दावा करते हैं जो एक न्यायपूर्ण समाज की अपनी दृष्टि के खिलाफ है। परिवर्तनकारी संविधानवाद के केंद्र में परिवर्तन की मान्यता है। संविधान सामाजिक संबंधों में कौन-सा परिवर्तन लाना चाहता था*?* संविधान समाज के किस दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है*?* इन प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति को संविधान की मूल इकाई के रूप में मान्यता देने में निहित है। यह दृष्टिकोण मांग करता है कि मौजूदा संरचनाओं और कानूनों को इस दृष्टिकोण से देखा जाए व्यक्तिगत गरिमा का प्रिज्म।

क्या संविधान का इरादा किसी भी प्रथा को इससे बाहर करने का था*?*

जाँच*?* क्या इसका इरादा यह था कि व्यक्ति की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता के उसके दृष्टिकोण के खिलाफ बोलने वाली प्रथाओं को जांच से छूट दी जाए*?* क्या इसका उद्देश्य यह था कि संविधान के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से हटने वाली प्रथाओं को उस पर सर्वोच्चता दी जाए*?* मेरे विचार से इन सब का उत्तर नकारात्मक है। व्यक्ति, मूल इकाई के रूप में, संविधान के केंद्र में है। संविधान के सभी अधिकार और गारंटी लागू हैं और हैं -

व्यक्ति के आत्म-बोध की दिशा में लक्षित। यह अपवर्जन विरोधी सिद्धांत को परिवर्तनकारी दृष्टि में दृढ़ता से निहित करता है

संविधान, और न्यायिक जांच के केंद्र में। चाहे जो भी हो

146 कैथी अल्बर्टिन और बेथ गोल्डब्लैट, परिवर्तन की चुनौती का सामना करते हुए: समानता के स्वदेशी न्यायशास्त्र के विकास में कठिनाइयाँ, खंड। *14* ,

साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स *(1988),* पृष्ठ *249 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस स्रोत से एक प्रथा वैधता का दावा करती है, यह सिद्धांत न्यायालय को उन प्रथाओं के संरक्षण से इनकार करने का आदेश देता है जो एक समान नागरिकता की संवैधानिक दृष्टि से विचलित होती हैं।

101. नारसू में निर्णय, 'लागू कानूनों' शब्द की परिभाषा को सीमित करने में परिवर्तनकारी दृष्टि से अलग है

संविधान। संवैधानिक जांच से 'प्रथा या उपयोग' को हटाना, व्यक्तिगत गरिमा की प्रधानता सुनिश्चित करने के संवैधानिक दृष्टिकोण को नकारता है। नरसू में निर्णय त्रुटिपूर्ण परिसर पर आधारित है। प्रथा या उपयोग को 'लागू कानूनों' से बाहर नहीं किया जा सकता है। नरसू में निर्णय ने यह भी राय दी कि व्यक्तिगत कानून संवैधानिक जांच से मुक्त है। यह इस धारणा से अलग है कि प्रथाओं का कोई भी निकाय सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकता है। संविधान और गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की पवित्रता सुनिश्चित करने की इसकी दृष्टि पर। यह उस व्यापक दायरे को भी नजरअंदाज करता है जिसे इसकी समावेशी परिभाषा और संवैधानिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए 'लागू कानून' शब्द के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था। जैसा कि एच. एम. सीरवई ने नोट किया *1 47:*

" "मौजूदा कानून" अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं है।
और "लागू कानून" और परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत कानून "मौजूदा कानून" और "लागू कानून" होगा. प्रथा, उपयोग और वैधानिक कानून व्यक्तिगत कानून में इतने अटूट रूप से मिश्रित हैं कि उनके बाहर व्यक्तिगत कानून के अवशेष का पता लगाना मुश्किल होगा।

गैर-संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून को प्रतिरक्षित करने और उसे प्रथा से अलग समझने के बारे में नारसु में लिया गया निर्णय विस्तृत होने योग्य है।

भविष्य में किसी उपयुक्त मामले में पुनर्विचार।

102. प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में, हमारे जैसे संवैधानिक न्यायालय को एक अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ता है।

कार्य। परिवर्तनकारी निर्णय को न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत मामलों में उपचार प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा, इसे उन अंतर्निहित सामाजिक और कानूनी संरचनाओं को पहचानने और बदलने का प्रयास करना चाहिए जो संवैधानिक दृष्टि के खिलाफ प्रथाओं को कायम रखते हैं। व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक जांच के दायरे में लाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वतंत्रता के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बोलते हुए, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा:

"हमें यह स्वतंत्रता किस लिए मिल रही है? हमें यह स्वतंत्रता अपनी सामाजिक प्रणाली में सुधार करने के लिए मिल रही है, जो असमानताओं से भरी हुई है, असमानताओं, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो संघर्ष करती हैं।

हमारे मौलिक अधिकारों के साथ। *148*

147 एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, खंड। *I*, पृष्ठ *677 148* पर भारत की संसद, संविधान सभा बहस, खंड।

VII, पृष्ठ *781* पर भारतीय युवा वकील एएसएसएन। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का आधार रही विशेषताओं के आधार पर भेदभाव को कायम रखने वाली प्रथाओं को तटस्थ प्रतीत होने वाली कानूनी पृष्ठभूमि के हिस्से के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनका उपयोग व्याख्यात्मक जांच के लिए आंतरिक के रूप में किया जाना चाहिए, न कि बाहरी के रूप में।

हमारे सामने मामले ने सवाल उठाया है कि क्या सबरीमाला मंदिर से दस से पचास वर्ष की आयु की महिलाओं को बाहर रखने की संवैधानिक रूप से अनुमति है। समान पहुंच से इनकार करने में, यह प्रथा संविधान के तहत समान नागरिकता और मूल समानता से इनकार करती है। व्यक्तिगत गरिमा की प्रधानता एक न्यायपूर्ण और समतावादी संवैधानिक मार्ग पर किराए पर ली गई नाव के पाल में हवा है।

सामाजिक व्यवस्था।

एल देवता संवैधानिक अधिकारों के वाहक के रूप में

103. विद्वान वकील श्री जे साई दीपक ने आग्रह किया कि सबरीमाला मंदिर के अधिष्ठाता देवता, भगवान अयप्पा, संविधान के भाग *III* के तहत संवैधानिक अधिकारों के वाहक हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि देवता के ब्रह्मचर्य को संरक्षित करने का अधिकार एक संरक्षित संवैधानिक अधिकार है

और महिलाओं को प्रवेश करने और प्रार्थना करने से बाहर करने तक फैला हुआ है

सबरीमाला मंदिर। यह आग्रह किया गया था कि देवता का अपने धर्म का पालन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *26* से आता है और इस प्रथा में किसी भी बदलाव का देवता के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

104. कानून एक मूर्ति या देवता को एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है जो संपत्ति का मालिक हो सकता है और कानून के न्यायालय में मुकदमा कर सकता है और मुकदमा किया जा सकता है। में।

प्रमथ नाथ मलिक बनाम प्रद्युम्न कुमार मलिक *1 49*, द प्रिवी परिषद एक मूर्ति की प्रकृति और मूर्ति के कारण होने वाली सेवाओं से निपटती थी। न्यायालय के लिए बोलते हुए, लॉर्ड शॉ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"एक हिंदू मूर्ति, लंबे समय से स्थापित प्राधिकरण के अनुसार, हिंदुओं के धार्मिक रीति-रिवाजों पर आधारित है, और कानून की अदालतों द्वारा इसकी मान्यता, एक "न्यायिक इकाई" है। इसके साथ एक न्यायिक

स्थिति है मुकदमा करने और
मुकदमा चलाने की शक्ति "। *150*

योगेंद्र नाथ नस्कर बनाम आय आयुक्त

कर, कलकत्ता *51,* इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

150 इबिद, पृष्ठ *250* पर *151 (1969) 1* एस. सी. सी. *555 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" *6.*लेकिन जहाँ तक देवता प्रतिनिधि और प्रतीक के रूप में खड़ा है

दाता द्वारा इंगित विशेष उद्देश्य के बारे में, इसे एक कानूनी व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। सच्चा कानूनी दृष्टिकोण यह है कि केवल उसी क्षमता में समर्पित संपत्ति निहित है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि ऐसे कानूनी व्यक्ति के रूप में एक देवता पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, अगर ऐसे कानूनी व्यक्ति को आदर्श अर्थों में संपत्ति रखने और संपत्ति के लिए मुकदमा करने, किराया वसूल करने और बचाव करने की अनुमति है।

99 152

ऐसी संपत्ति. आदर्श अर्थों में।
बी. के. मुखर्जी ने अपनी मौलिक कृति 'द हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस' में

और चैरिटेबल ट्रस्ट इस प्रकार लिखते हैं:

"एक मूर्ति निश्चित रूप से एक न्यायिक व्यक्ति है और जैसा कि न्यायिक समिति ने प्रोमोथा बनाम प्रयुम्ना में कहा है, "इसे मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की शक्ति के साथ एक न्यायिक स्थिति प्राप्त है।" एक मूर्ति संपत्ति रख सकती है और जाहिर है कि वह इसके संबंध में मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। *[*इस प्रकार*]* एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में देवता को निस्संदेह संपत्ति स्थापित करने का अधिकार है।

अपने हितों की रक्षा के लिए मुकदमा "। *153*

105. कुछ कानूनों में 'व्यक्ति' शब्द की व्याख्या मूर्तियों को शामिल करने के लिए की गई है। हालाँकि, यह दावा करने के लिए कि एक देवता का वाहक है संवैधानिक अधिकार एक अलग मुद्दा है और यह आवश्यक नहीं है।

कुछ उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में देवता की स्थिति का परिणाम। केवल इसलिए कि एक देवता को वैधानिक कानून के तहत न्यायिक व्यक्तियों के रूप में सीमित अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि देवता

अनिवार्य रूप से संवैधानिक अधिकार हैं।

शिरूर मठ में न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने न्यायालय के लिए लिखा,

संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत अधिकारों के वाहक पर टिप्पणियां कीं:

"*14.*अब हम अनुच्छेद *25* पर आते हैं, जो, जैसा कि इसकी भाषा से संकेत मिलता है, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के लिए न केवल ऐसी धार्मिक मान्यता को स्वीकार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जिसे उसके निर्णय और विवेक से अनुमोदित किया जा सकता है, बल्कि ऐसे बाहरी कार्यों में अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए भी जो वह उचित समझता है और प्रचार करने के लिए भी।

या दूसरों की उन्नति के लिए अपने विचारों का प्रसार करें। यह सवाल उठाया जाता है कि क्या यहाँ "व्यक्ति" शब्द का अर्थ केवल व्यक्ति है या इसमें निगमित निकाय भी शामिल हैं।

152 इबिद, पृष्ठ *560* पर *153* बी के मुखर्जी "द हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट", पृष्ठ *257* पर,

धर्म का पालन या प्रचार नहीं किया जा सकता है; यह केवल व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है और क्या ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों का प्रचार करते हैं या जिन सिद्धांतों के लिए संस्था खड़ी है, वे अनुच्छेद *25* के उद्देश्यों के लिए वास्तव में मायने नहीं रखते हैं। यह विश्वास का प्रचार है जो संरक्षित है, चाहे प्रचार चर्च या मठ में हो, या मठ में हो।

एक मंदिर या पार्लर की बैठक।
*(*जोर दिया गया*)*

श्री ए. एस. नारायण दीक्षितुलु बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश *1 54,* इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया आंध्र प्रदेश की धारा *34,35,37,39* और *144* की संवैधानिकता

धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, *1987* जिसने अर्चकों, मिरासीदारों, गेमकारों के वंशानुगत अधिकारों को समाप्त कर दिया।

और अन्य पदधारकों। अधिनियम को कायम रखते हुए न्यायालय ने कहा:

"*85.*अनुच्छेद *25* और *26* धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इन लेखों में जिस धर्म का उपयोग किया गया है, उसे उसके सख्त और व्युत्पत्ति संबंधी अर्थों में समझा जाना चाहिए। धर्म वह है जो एक आदमी को उसके ब्रह्मांड, उसके निर्माता या महाशक्ति के साथ बांधता है। यह मुश्किल है और बल्कि अनुच्छेद *25* और *26* में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों 'धर्म' या 'धर्म के मामलों' को परिभाषित या सीमित करना असंभव है। अनिवार्य रूप से, धर्म व्यक्तिगत विश्वास और व्यक्तिगत संबंधों के विश्वास का मामला है।

एक व्यक्ति जिसे वह ब्रह्मांड के रूप में मानता है, उसका निर्माता या उसका निर्माता जो, उसका मानना है, असंवेदनशील प्राणियों और ब्रह्मांड की शक्तियों के अस्तित्व को नियंत्रित करता है। *1 55*

(जोर दिया गया*)*

106. अनुच्छेद *26* के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। यह अधिकार ए में निहित है

व्यक्तियों का संग्रह जो प्रदर्शित करता है *(i)* एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय का अस्तित्व*; (ii)* धार्मिक संप्रदाय और एक सामान्य आध्यात्मिक संगठन से संबंधित लोगों द्वारा साझा किया गया एक सामान्य विश्वास*; (iii)* एक विशिष्ट नाम का अस्तित्व और *(iv)* धर्म का एक सामान्य धागा। अनुच्छेद *25* विवेक की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार का अधिकार प्रदान करता है। विवेक, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में जो किसी व्यक्ति की मान्यताओं के आधार पर भावनाओं और संघों को उजागर करता है, केवल व्यक्तियों में रहता है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूल इकाई मानता है। संविधान के भाग *III* के तहत गारंटीकृत अधिकार तैयार किए गए हैं।

154 1996 9 एस. सी. सी. *548* *155* उदाहरण के लिए, पृष्ठों *592-593 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

व्यक्ति को उसकी मूल इकाई के रूप में मान्यता देने की दिशा में। व्यक्ति संविधान के भाग *III* के तहत अधिकारों का वाहक है। देवता धार्मिक कानून के उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक व्यक्ति हो सकता है और संपत्ति के अधिकारों का दावा करने में सक्षम हो सकता है। हालाँकि, संविधान के भाग *III* के उद्देश्य के लिए देवता एक 'व्यक्ति' नहीं है। जिस कानूनी कल्पना के कारण किसी देवता को न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता मिली है, उसे संविधान के भाग *III* के तहत अधिकारों के दायरे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

किसी भी मामले में, सबरीमाला मंदिर से महिलाओं का बहिष्कार व्यक्ति के धार्मिक और नागरिक अधिकारों दोनों को प्रभावित करता है। विरोधी

बहिष्करण सिद्धांत अनुच्छेद *25* और *26* पर आधारित दावे को अस्वीकार कर देगा जो महिलाओं को सबरीमाला मंदिर से बाहर करता है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अभ्यास में बाधा डालता है। यह संविधान के अति-कट्टर उदार मूल्यों और एक समान नागरिकता सुनिश्चित करने के इसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए है।

एम भविष्य के लिए एक रोडमैप

107. शिरूर मठ में निर्णय ने धर्म को शामिल करने के लिए परिभाषित किया

यह विवेक और विश्वास से परे है। अदालत ने माना कि धार्मिक प्रथाएं धर्म का उतना ही हिस्सा हैं। इसलिए, जहां किसी धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांत दिन के विशेष घंटों में समारोह या देवता को नियमित रूप से भोजन चढ़ाने का निर्देश देते हैं, यह धर्म का एक हिस्सा होगा। केवल यह तथ्य कि इन प्रथाओं में धन का खर्च शामिल

है, उनके धार्मिक चरित्र को नहीं खोएगा। यह नियम कि धर्म में सिद्धांत और समारोह शामिल हैं, अदालत को अनुमति देने में सक्षम बनाता है।

धर्म अपने सिद्धांतों के अनुसार अभिन्न या आवश्यक क्या है, यह तय करने में एक व्यापक स्वायत्तता है। शिरूर मठ के बाद रतिलाल में एक और निर्णय लिया गया। दोनों मामलों का फैसला एक ही वर्ष में किया गया था।

108. जैसे-जैसे न्यायालय का न्यायशास्त्र विकसित हुआ, दो अलग-अलग मुद्दे सामने आए। पहला धार्मिक और धार्मिक के बीच विभाजन था।

धर्मनिरपेक्ष। यह विभाजन अनुच्छेद *25 (2) (ए)* में परिलक्षित होता है जो राज्य को ऐसा कानून बनाने की अनुमति देता है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या "अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों" को विनियमित या प्रतिबंधित करेगा। हालाँकि, एक दूसरा विशिष्ट मुद्दा इस न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया था। यही था कि धर्म के लिए कोई प्रथा आवश्यक है या नहीं। जबकि धार्मिक बनाम धर्मनिरपेक्ष विभाजन को संवैधानिक पाठ में समर्थन मिलता है, न तो अनुच्छेद *25* और न ही अनुच्छेद *26* उन प्रथाओं के बारे में बात करता है जो हैं

धर्म के लिए आवश्यक। जैसे-जैसे इस न्यायालय का न्यायशास्त्र सामने आया, न्यायालय ने यह निर्धारित करने का कार्य ग्रहण किया कि कोई प्रथा धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है या नहीं। इसने दृढ़ संकल्प को दहलीज पर खड़ा कर दिया। कुछ ऐसा जो अदालत भारतीय युवा वकीलों को नहीं मानती है।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

धर्म के लिए आवश्यक होने के लिए अनुच्छेद *25* या अनुच्छेद *26* द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत धर्म के मामलों को धर्म के एक अनिवार्य हिस्से के साथ जोड़ा गया। कुरैशी *(1959)* में, एक संविधान पीठ *(*जिसमें न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़कर एक हिस्सा थे*)*

इस प्रथा की गैर-अनिवार्य प्रकृति पर जोर दिया और कहा कि बकरीद पर गायों की बलि देना मुस्लिम समुदाय के लिए एक आवश्यक प्रथा नहीं थी। दरगाह समिति *(1962)*, तिलकायत *(1964)* और शास्त्री यज्ञपुरुषदजी *(1966)*, न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने अदालत को यह निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखा कि क्या कोई प्रथा धार्मिक थी और यदि है, तो क्या इस प्रथा को धर्म के लिए आवश्यक या अभिन्न माना जा सकता है। दरगाह समिति में, न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़कर ने यह कहते हुए उस न्यायिक कार्य के प्रयोग को सही ठहराने की मांग की कि अन्यथा, ऐसी प्रथाएं जो "केवल अंधविश्वास" में उत्पन्न हुई होंगी और इसलिए, धर्म के लिए "बाहरी और अनावश्यक वृद्धि" होंगी, उन्हें धर्म के आवश्यक अंगों के रूप में माना जाएगा। शास्त्री यज्ञपुरुषदजी में, मुख्य न्यायाधीश गजेंद्रगडकर ने हिंदू धर्म के बारे में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो सैद्धांतिक रूप से इसे उन प्रथाओं से अलग करता है जिन्हें धर्म के तर्कसंगत दृष्टिकोण से अलग किया जा सकता है। इसके बाद जो परिणाम आया वह यह था कि एक औपचारिक स्तर पर, अदालत ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना जारी रखा जो यह तय करने में समुदाय की भूमिका पर विश्वास रखता है कि उसके धर्म का एक हिस्सा क्या है, एक अति अधिरोपित न्यायनिर्णायक है।

न्यायालय की भूमिका जो यह निर्धारित करेगी कि धर्म के लिए कुछ आवश्यक है या अनावश्यक। अवधूत द्वितीय के मामले में, न्यायालय द्वारा इस भूमिका की धारणा एक प्रथा को आवश्यक नहीं होने के रूप में अस्वीकार करने की अनुमति देने में सबसे आगे आई, हालांकि इसे संप्रदाय के संस्थापक द्वारा एक धार्मिक पाठ में निर्धारित किया गया था।

धर्म के लिए आवश्यक या अनावश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हुए, न्यायालय ने एक सुधारात्मक भूमिका ग्रहण की जो उसे उन प्रथाओं से धर्म को शुद्ध करने की अनुमति देगा जो धर्म के लिए आवश्यक थीं।

व्यक्तिगत गरिमा के लिए अपमानजनक। मंदिर में प्रवेश से बहिष्कार को ऐसे मामलों के रूप में माना जा सकता है जो धर्म का अभिन्न अंग नहीं थे। ऐसा करते समय, न्यायालय धर्म के बारे में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण स्थापित करेगा। यह तरीका समस्याग्रस्त है। एक धार्मिक समुदाय को यह परिभाषित करने की अनुमति देने का तर्क है कि उसके धर्म का एक आवश्यक पहलू क्या है, धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की स्वायत्तता की रक्षा करना है। इसकी रक्षा करना।

स्वायत्तता संविधान के उदार मूल्यों को बढ़ाती है। धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है या क्या नहीं है, इस बारे में सैद्धांतिक मुद्दों पर प्रवेश करके, न्यायालय को एक आवश्यक परिणाम के रूप में, एक धार्मिक आवरण को अपनाने की आवश्यकता है। न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या *[2018] 9* एस. सी. आर.

अभ्यास धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है। इसने न्यायालय को धर्म के बारे में एक सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाया है, भले ही यह धर्म और उस धर्म का पालन करने और उसे मानने वालों के विचारों के साथ संघर्ष कर सकता है। ऐसा करने के लिए न्यायालय की क्षमता और उस भूमिका की धारणा की वैधता संदिग्ध हो सकती है। न्यायालय न्यायनिर्णयनमे एकटा संवैधानिक *(*चर्चसँ भिन्न*)* भूमिकाक निर्वहन करैत अछि। धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है या क्या नहीं है, इस पर निर्णय लेना धार्मिक-धर्मनिरपेक्ष विभाजन और आवश्यक/अनावश्यक दृष्टिकोण के बीच के अंतर को धुंधला कर देता है। पूर्व का मूल पाठ अनुच्छेद *25 (2) (*ए*)* में है। उत्तरार्द्ध एक न्यायिक रचना है।

109. प्राधिकरण की अदालत द्वारा यह निर्धारित करने के लिए कि कोई प्रथा धर्म के लिए आवश्यक है या नहीं, इस धारणा ने हमारे

न्यायशास्त्र इस बात को दरकिनार करता है कि वास्तव में बहस का केंद्रीय मुद्दा क्या होना चाहिए। वह मुद्दा यह है कि क्या संविधान धर्म और धार्मिक संप्रदायों को ऐसी प्रथाओं को लागू करने का अधिकार देता है जो नागरिकों के एक समूह को बाहर करती हैं। बहिष्कार प्रार्थना और पूजा से संबंधित हो सकता है, लेकिन हो सकता है

उन मामलों पर विस्तार करें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा पर निर्भर करते हैं। जब संविधान अनुच्छेद *26* में धार्मिक संप्रदायों पर अधिकार प्रदान करता है तो संविधान समूह के अधिकारों को मान्यता देता है। फिर भी जिस मूल प्रश्न का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या धार्मिक संप्रदायों में विरासत में

मिले अधिकारों की मान्यता गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है जो संविधान की आत्मा को जीवंत करते हैं।

इस मुद्दे का विश्लेषण करते समय, यह याद दिलाना अच्छा होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे अनुच्छेद *25,26,27* और

28 यह एक स्टैंड अलोन राइट नहीं है। संविधान के ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर पूरे अध्याय का एक अभिन्न अंग हैं। मौलिक अधिकारों को मान्यता देने वाले संवैधानिक अनुच्छेदों को एक निर्बाध जाल के रूप में समझना होगा। साथ मिलकर वे संवैधानिक स्वतंत्रता की इमारत का निर्माण करते हैं। भाग *III* में मौलिक मानव स्वतंत्रताएँ असंगत या अलग-थलग नहीं हैं। वे एक साथ रहते हैं। यह केवल सामंजस्य में है कि वे मानव स्वतंत्रता के केंद्र के रूप में व्यक्ति के जीवन में एक यथार्थवादी भावना लाते हैं। तब किसी मूल्यवर्ग के अधिकार को उन व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए जिनके लिए इसके प्रत्येक सदस्य को भाग *III* में संरक्षित हक है।

110. मौलिक अधिकारों पर अध्याय के कई अनुच्छेदों को विशेष रूप से राज्य को संबोधित किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से, दूसरों के पास एक है

राज्य के साथ-साथ गैर-राज्य संस्थाओं के लिए क्षैतिज अनुप्रयोग। अनुच्छेद *15 (2)* में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ गारंटी दी गई है।

अनुच्छेद *17* भारतीय युवा वकील एएसएसएन। वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, उसका एक क्षैतिज अनुप्रयोग है जो राज्य के साथ-साथ गैर-राज्य संस्थाओं के खिलाफ भी उपलब्ध है। अनुच्छेद *23*, अनुच्छेद *24* और अनुच्छेद *25 (1)* क्षैतिज अधिकारों के उदाहरण हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करना है। ये सभी गारंटी अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं के साथ संतुलन में हैं जिन्हें संविधान मान्यता देता हैः अनुच्छेद *14* के तहत समानता, अनुच्छेद *19* के तहत स्वतंत्रता और अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद *25* के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार अन्य स्वतंत्रताओं के साथ पारस्परिक सह-अस्तित्व में होना चाहिए जो सबसे बढ़कर व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता की गारंटी देता है। अनुच्छेद *26* एक समूह के अधिकार-एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार की गारंटी देता है। द.

मौलिक अधिकारों पर एक अध्याय में एक समूह अधिकार का सह-अस्तित्व जो व्यक्ति को अपने ध्यान में सबसे आगे रखता है, बिना महत्व के मामला नहीं हो सकता है। क्या संविधान का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बदनाम करने की कीमत पर भी समूह अधिकारों के दावे को संरक्षित करना होता*?* क्या किसी समूह को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए-धार्मिक

अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत मूल्यवर्ग-इतना व्यापक कैनवास है जो मूल्यवर्ग को बहिष्करण का अभ्यास करने की अनुमति देगा जो विनाशकारी होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता*?* मेरे विचार में इसका उत्तर इस सरल कारण से नकारात्मक होना चाहिए कि ऐसा करना असंभव होगा।

उदार संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की कल्पना करते हुए साथ ही समूह के अधिकारों को बहिष्कार का अभ्यास करके और गरिमा के लिए अपमानजनक रीति-रिवाजों के माध्यम से उन मूल्यों की अवहेलना करने

की अनुमति देना। इस स्पष्ट विरोधाभास को यह मानते हुए हल किया जा सकता है कि अनुच्छेद *26* में समूह अधिकारों की मान्यता के बावजूद, संविधान ने कभी भी यह इरादा नहीं रखा है कि इन अधिकारों का दावा व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता को नष्ट कर दे। समूह अधिकारों को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है ताकि उन संप्रदायों के भीतर व्यक्तियों को पूर्ति और आत्मनिर्णय का एहसास करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। गौतम भाटिया *1 56* ने इस विषय पर एक मौलिक लेख में संक्षेप में कहा हैः

"हालांकि यह सच है कि अनुच्छेद *26 (*बी*)* समूहों को अधिकारों का वाहक बनाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संविधान ऐसा करने का आधार नहीं बताता है। यह स्पष्ट नहीं है कि समूहों को अनुमति दी गई है या नहीं।

इस कारण से अधिकार कि व्यक्ति केवल 'पसंद के संदर्भ' के भीतर आत्मनिर्णय और पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं

156 गौतम भाटिया, समुदाय से मुक्तिः व्यक्तिगत अधिकार, सामूहिक जीवन, राज्य

भारतीय संविधान के तहत अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, वैश्विक
संविधानवाद, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *(2016)*।

157 सी. टेलर, बहुसंस्कृतिवाद में मान्यता की राजनीतिः राजनीति की जाँच करना

मान्यता *(*ए गुटमैन एड।*)* प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस *(1994)*

समुदायों द्वारा प्रदान किया गया, या क्या संविधान समूहों के साथ व्यवहार करता है,

व्यक्तियों के साथ, समान के योग्य संवैधानिक इकाइयों के रूप में

चिंता और सम्मान। *158* भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि

महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तुओं तक व्यक्तिगत पहुंच को अवरुद्ध करने की कीमत पर भी समूह की अखंडता को जो महत्व दिया जाना चाहिए, वह केवल यह तय करके निर्धारित किया जा सकता है कि संविधान किस दृष्टिकोण को स्वीकार करता है।

तक "।

इस खंड में जिस विषय की पड़ताल की गई है, उससे प्रासंगिक भाटिया की थीसिस यह है कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत, जिसमें निश्चितता का अभाव है।

धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों को उजागर करना। यह तय करते समय कि धर्म के लिए क्या आवश्यक है या क्या आवश्यक नहीं है, अदालत ने उन क्षेत्रों में कदम रखा है जहां विशिष्ट धर्म के महत्व पर निर्णय लेने की क्षमता और वैधता दोनों का अभाव है। धर्म के आंतरिक सिद्धांत या विश्वास। उस निर्धारण को करने में, अदालत अनिवार्य रूप से एक बाहरी दृष्टिकोण लागू करती है। धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है या क्या

नहीं है, इस बारे में एक बाहरी परिप्रेक्ष्य को लागू करना संविधान के उदार मूल्यों के साथ असंगत है जो आस्था और विश्वास के मामलों में स्वायत्तता को मान्यता देते हैं।

111. प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और जगतेश्वर सिंह द्वारा आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत की इसी तरह की आलोचना की गई है।

सोही ने हाल ही में "भारत में धर्म की स्वतंत्रता" शीर्षक से एक प्रकाशन में कहाः वर्तमान मुद्दे और पादरी के रूप में कार्य करने वाला सर्वोच्च न्यायालय "। *159* इसी तरह, जैकलिन एल नियो ने "डेफिनिशनल इम्ब्रोग्लियोसः" शीर्षक वाले एक लेख में कहा। धार्मिक स्वतंत्रता निर्णय "*160* में धर्म और आवश्यक अभ्यास परीक्षणों की परिभाषा की आलोचना ने आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत की खामियों से निपटा है। लेखक ने नोट किया कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत जैसे परिभाषित परीक्षण प्रकृति में औपचारिक हैं, जिससे अदालत को संरक्षित और गैर-संरक्षित धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं के बीच एक मनमाना रेखा खींचनी पड़ती हैः

"सीमा खंडों के तहत प्रतिबंधों की अनुमति है या नहीं, इसकी जांच करके धार्मिक स्वतंत्रता के दावों पर निर्णय लेने और परिभाषा के माध्यम से दावों पर निर्णय लेने के बीच प्रमुख अंतर

158 आर भार्गव, बहुसंस्कृतिवाद, उदारवाद और लोकतंत्र में बहुसंस्कृतिवाद का परिचय *(*आर भार्गव और अन्य संस्करण*)*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2007) 159* फैजान मुस्तफा और जगतेश्वर सिंह सोही, भारत में धर्म की स्वतंत्रताः वर्तमान मुद्दे और पादरी के रूप में कार्य करने वाला सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी रिव्यू *(2017)*

160 जैकलिन एल नियो, निश्चित अस्पष्टताः धार्मिक स्वतंत्रता निर्णय में धर्म और आवश्यक अभ्यास परीक्षणों की परिभाषा की आलोचना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, वॉल्यूम। *16 (2018)* , पृष्ठ *574-595* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. पर।

वी. केरल राज्य *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

परीक्षण यह है कि बाद वाला यह निर्धारित करके धार्मिक स्वतंत्रता के दावे को रोकता है कि यह संवैधानिक गारंटी के दायरे से बाहर है, इससे पहले कि इस संबंध में कोई विचार किया जा सके।

अधिकार और प्रतिस्पर्धी अधिकारों या हितों के बीच उचित संतुलन। उन अदालतों में निश्चित परीक्षण अक्सर औपचारिक होते हैं।

मानदंडों के एक विशेष समूह का चयन करें और केवल इस बात पर विचार करके धार्मिक स्वतंत्रता के दावे पर निर्णय लें कि क्या धर्म, विश्वास या अभ्यास इन मानदंडों के भीतर आता है। ऐसा करने में, अदालतों को इसलिए कहा जा सकता है कि उनके बीच एक मनमाना रेखा खींचने का जोखिम है
संरक्षित और गैर-संरक्षित धर्म, विश्वास या प्रथाएं। *» 161*

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण को लागू करने में इस वैचारिक कठिनाई से जुड़ा योग्यता और वैधता का मुद्दा है

धार्मिक सिद्धांतों पर शासन करनाः

"जबकि धार्मिक अदालतों के लिए आंतरिक धार्मिक सिद्धांतों को लागू करना वैध हो सकता है, दीवानी अदालतें संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक वैधानिक और सामान्य कानून के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्थापित की जाती हैं। धार्मिक रूप से बहुलवादी समाज में, न्यायाधीश यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं सभी धर्मों पर धार्मिक विशेषज्ञता रखने के लिए न्यायिक क्षमता होना। " " *162*

वह दो चरणों के निर्धारण का सुझाव देती है जिसे इस प्रकार समझाया गया हैः

चरम मामलों में जहां स्पष्ट रूप से ईमानदारी, धोखाधड़ी या गुप्त उद्देश्य की कमी है। दूसरे चरण में, अदालतों को यह निर्धारित करने के लिए एक संतुलन, सम्मोहक कारण जांच, या आनुपातिकता विश्लेषण लागू करना चाहिए कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता का दावा अधिक महत्वपूर्ण है।
प्रतिस्पर्धी राज्य या सार्वजनिक हित "। *163*

धार्मिक सिद्धांतों का एक हिस्सा क्या है, इसके लिए एक अव्यावहारिक दृष्टिकोण

न्यायालय को निर्णय लेने के असहनीय कार्य से मुक्त करें।

धार्मिक ग्रंथ और सिद्धांत। हालाँकि, यह सम्मान जिसे धर्म माना जाता है, उन मौलिक सिद्धांतों के अधीन है जो इससे उभरते हैं।

इबिद, पृष्ठ *575,576* पर

इबिद, पृष्ठ *589* पर उदाहरण के लिए, पृष्ठ *591 [2018] 9* एस. सी. आर. पर।

संविधान के भाग *III* में स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की खोज।

अनुच्छेद *25 (1)* और अनुच्छेद *26* दोनों ही सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं। इन सीमाओं के तहत कार्य करना, यहां तक कि एक संप्रदाय की धार्मिक स्वतंत्रता भी एक बहिष्करण विरोधी सिद्धांत के अधीन हैः

"बहिष्करण विरोधी सिद्धांत में कहा गया है कि स्वायत्तता को सीमित करने के लिए संवैधानिक भेदभाव विरोधी बाहरी मानदंड लागू किया जाना चाहिए।

धार्मिक समूहों की ऐसी स्थितियों में जहां ये समूह बुनियादी वस्तुओं तक पहुंच को अवरुद्ध कर रहे हैं। *164* बहिष्करण विरोधी सिद्धांत इस प्रकार निर्धारित करता हैः

"..... कि राज्य और न्यायालय को धार्मिक समूह जीवन की अखंडता का सम्मान करना चाहिए *(*और इस प्रकार धार्मिक अनुयायियों के आंतरिक बिंदु को धार्मिक प्रथाओं के रूप और सामग्री के निर्धारक के रूप में मानना चाहिए*)* सिवाय इसके कि जहां विचाराधीन प्रथाएं धार्मिक समूह जीवन की अखंडता का सम्मान करती हैं।

व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन से इस तरह से बहिष्कृत करना जो उनकी गरिमा को बाधित करता है, या बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच को बाधित करता है।

सामान "। *165*

112. बहिष्करण विरोधी सिद्धांत किसी धर्म के अपने धार्मिक सिद्धांतों और सिद्धांतों को निर्धारित करने की क्षमता को उचित सम्मान देने की अनुमति देता है।

साथ ही, बहिष्करण विरोधी सिद्धांत यह मानता है कि जहां कोई धार्मिक प्रथा व्यक्तियों को इस तरह से बहिष्कृत करती है जिससे उनकी गरिमा बाधित होती है या बुनियादी वस्तुओं तक उनकी पहुंच बाधित होती है, तो धर्म की स्वतंत्रता को एक उदारतावादी के अति-प्राचीन मूल्यों को रास्ता देना चाहिए। संविधान। आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण को भविष्य में एक उपयुक्त मामले में, उपरोक्त कारणों के लिए फिर से बारीकी से देखने के योग्य होना चाहिए। वर्तमान में, इस फैसले ने कानून पर उठाए गए मुद्दों का फैसला किया है

जैसे वह खड़ा है।

एन निष्कर्ष

113. संविधान सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है। यह आक्रोश द्वारा चिह्नित इतिहास से एक विराम का प्रतिनिधित्व करता है और

कुछ पहचानों से जुड़ा भेदभाव और एक सेतु के रूप में कार्य करता है

एक न्यायपूर्ण और समान नागरिकता की दृष्टि। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और व्यक्तिगत पहचानों के मिश्रण से चिह्नित एक गहरे विभाजित समाज में

164 गौतम भाटिया, समुदाय से मुक्तिः भारतीय संविधान के तहत व्यक्तिगत अधिकार, सामूहिक जीवन, राज्य प्राधिकरण और धार्मिक स्वतंत्रता, वैश्विक

पृष्ठ *374* पर संवैधानिकता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *(2016)*

165 गौतम भाटिया, समुदाय से मुक्तिः भारतीय संविधान के तहत व्यक्तिगत अधिकार, सामूहिक जीवन, राज्य प्राधिकरण और धार्मिक स्वतंत्रता, वैश्विक

पेज *382* इंडियन यंग लॉयर्स एएसएसएन पर संवैधानिकता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *(2016)*।

वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

भेदभाव और उत्पीड़न के स्थलों के रूप में विशेषताएँ,

संविधान एक नई सामाजिक व्यवस्था की धारणा को चिह्नित करता है। यह सामाजिक व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को अपने प्रयासों के केंद्र में रखती है। के रूप में

संविधान की मूल इकाई, व्यक्ति वह केंद्र बिंदु है जिसके माध्यम से संविधान के आदर्शों को साकार किया जाता है।

निर्माताओं के सामने संतुलन सुनिश्चित करने का काम था

114. संविधान सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने, रक्षा करने और प्रचार करने के लिए समान अधिकार की रक्षा करता है। धर्म। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पालन करना, बिना किसी अपवाद के, सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की समान भागीदारी इस अधिकार की मान्यता है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में, निर्माताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिपति के अधीन कर दिया

संविधान के भाग *III* में समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अभिधारणा। महिलाओं की गरिमा को धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग से अलग नहीं किया जा सकता है। प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग भाग *III* के प्रावधानों में अंतर्निहित दृष्टि के अनुरूप तरीके से किया जाना है। पूजा में महिलाओं की समान भागीदारी एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की संवैधानिक दृष्टि में निहित है।

115. संविधान में स्वतंत्रता का विमर्श नहीं किया जा सकता है

भाग *III* में एक अनुच्छेद का अर्थ उस भाग से अलग करके जिसके भीतर यह स्थित है, इसके संदर्भ का खंडन किया गया। यहाँ तक कि धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार का प्रयोग भी संविधान के भाग *III* से अलग नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की प्रधानता वह धागा है जो अधिकारों की गारंटी के माध्यम से चलता है। में।

166 पंडित गोविंद बल्लभ पंत *(*सदस्य, संविधान सभा*)* ने एक भाषण में

संविधान सभा *24* जनवरी, *1947 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के भाग *III* में स्थित होने के कारण, सांप्रदायिक अधिकारों का प्रयोग उन अर्थहीन संवैधानिक संरक्षणों पर हावी नहीं हो सकता है जो एक उदार संविधान के व्यापक मूल्यों द्वारा सूचित किए जाते हैं।
116. संविधान उन लोगों के लिए समानता और न्याय पर आधारित एक परिवर्तित समाज प्राप्त करने का प्रयास करता है जो श्रेणीबद्ध असमानता में स्थापित पारंपरिक विश्वास प्रणालियों के शिकार हैं। यह उन सभी व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करने की गारंटी को दर्शाता है जिन्होंने व्यवस्थित भेदभाव, पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया है। इस संदर्भ में निर्मित, के खिलाफ निषेध

अस्पृश्यता सामाजिक संरचना के पदानुक्रम के आधार पर व्यक्तियों और समूहों के कलंक और बहिष्कार को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली गारंटी है। शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं को नियोजित किया गया है

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह को कायम रखना। संवैधानिक व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य गरिमा और मूल्य को स्वीकार करते हुए, इन धारणाओं को अस्पृश्यता के खिलाफ गारंटी और संविधान में निहित स्वतंत्रताओं द्वारा निषिद्ध किया गया है।

सामाजिक जीवन की तरह नागरिक जीवन में भी महिलाओं को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है।

रूढ़िवादी और सामाजिक बहिष्कार। धार्मिक जीवन में, बहिष्कृत पारंपरिक रीति-रिवाज वैधता का दावा करते हैं जो इसकी उत्पत्ति पितृसत्तात्मक संरचनाओं से होती है। भेदभाव के ये रूप परस्पर अनन्य नहीं हैं। सामाजिक और धार्मिक जीवन में पहचानों का प्रतिच्छेदन एक अनूठी पहचान पैदा करता है।

भेदभाव का एक रूप जो महिलाओं को संविधान के तहत समान नागरिकता से वंचित करता है। पारस्परिक भेदभाव के इन रूपों को पहचानना उनके खिलाफ संवैधानिक संरक्षण बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है।

प्रतिच्छेदन पहचान से जुड़ा भेदभाव। *117.* संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच बातचीत में, अधिकार अलग-थलग नहीं हैं। एक-दूसरे को ठोस सामग्री प्रदान करने में, वे एक सामंजस्य और एकता प्रदान करते हैं जो उन प्रथाओं के खिलाफ लड़ती है जो संविधान के मूल्यों-न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से अलग हैं। समानता की महत्वपूर्ण धारणाओं के लिए ऐतिहासिक भेदभाव की मान्यता और उपचार की आवश्यकता होती है जो कुछ निश्चित रूप से व्याप्त है।

पहचान। इस तरह की धारणा न केवल वितरण संबंधी प्रश्नों पर केंद्रित है, बल्कि उत्पीड़न और प्रभुत्व की संरचनाओं पर भी केंद्रित है जो इन पहचानों को समान जीवन में भागीदारी से बाहर करती हैं। समान जीवन का एक अनिवार्य पहलू सामाजिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी है। यह मामला संविधान के साथ हमारी बातचीत पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हमारे सार्वजनिक स्थानों के बारे में एक संवाद में, यह उठाता है

संविधान के तहत धर्म की सीमाओं का सवाल।

खोज भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

समानता के लिए इसकी सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाता है यदि महिलाओं को बाहर करने वाली प्रथाओं को स्वीकार्य माना जाता है। संविधान उन प्रथाओं की अनुमति नहीं दे सकता है, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं। पूजा में पूर्णता पाने के प्रत्येक महिला के अधिकार को बाहर करने और अस्वीकार करने के लिए धर्म एक आवरण नहीं बन सकता है। संविधान के समक्ष अपने भाषण में *25* नवंबर *1949* को विधानसभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इन प्रश्नों के उत्तर मांगेः हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे*?* हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे*? 167* के आगमन के अड़सठ साल बाद

संविधान, हमने माना है कि आस्था और पूजा के मामलों में समानता प्रदान करने में, संविधान महिलाओं को बहिष्कृत करने की अनुमति नहीं देता है। *118.* आस्था, आस्था और पूजा के मामलों में स्वतंत्रता को एक दयालु और मानवीय समाज का निर्माण करना चाहिए जो स्थिति की समानता से चिह्नित हो।

अपने सभी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान ने सामाजिक पदानुक्रम की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करते हुए, इसने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के एक युग की शुरुआत करने का प्रयास किया। संविधान के उदार मूल्य प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिकता प्रदान करते हैं। यह मान्यता देता है कि संविधान न केवल भेदभाव और पूर्वाग्रह की दृढ़ संरचनाओं को अक्षम करने के लिए मौजूद है, बल्कि उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी मौजूद है जो पारंपरिक रूप से समान नागरिकता से वंचित हैं। राष्ट्र के जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी इस आधार को कायम रखती है।

119. मैं मानता हूँ और घोषणा करता हूँ किः

1) भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय के गठन के लिए न्यायिक रूप से निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। संविधान का अनुच्छेद *26;*

2) धार्मिक पूजा से महिलाओं के बहिष्कार का दावा,

भले ही यह धार्मिक ग्रंथ में स्थापित हो, यह स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के संवैधानिक मूल्यों के अधीन है। बहिष्करण प्रथाएं संवैधानिक नैतिकता के विपरीत हैं*;*

3) किसी भी मामले में, सबरीमाला मंदिर से महिलाओं को बाहर रखने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत को इनकार करना चाहिए

उन प्रथाओं को संवैधानिक वैधता प्रदान करना जो महिलाओं की गरिमा और समान नागरिकता के उनके अधिकार का अपमान करती हैं*;*

4) मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता का एक रूप है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए अभिशाप है।

167 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर *25* नवंबर *1949 [2018] 9* एस. सी. आर. को संविधान सभा में एक भाषण में।

"शुद्धता और प्रदूषण" की धारणाएँ, जो व्यक्तियों को कलंकित करती हैं, का संवैधानिक क्रम में कोई स्थान नहीं है।

5) देवस्वम बोर्ड द्वारा *21* अक्टूबर *1955* और *27* नवंबर *1956* को जारी अधिसूचना में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

दस से पचास वर्ष की आयु के बीच, केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश का प्राधिकरण*)* अधिनियम *1965* की धारा *3* के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और अन्यथा भी असंवैधानिक हैं*;* और

6) हिंदू महिलाएं *1965* के अधिनियम की धारा *2* के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* के तहत हिंदुओं की एक 'धारा या वर्ग' का गठन करती हैं। *1965* के नियमों का नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम की धारा *3* के विपरीत एक प्रथा को लागू करता है। यह धारा *3* द्वारा स्थापित मंदिर में प्रवेश के अधिकार का सीधा उल्लंघन करता है। नियम *3 (*बी*) 1965* के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

स्वीकारोक्ति

समापन से पहले, मैं इस मामले में पेश होने वाले पक्षों के वकीलों-सुश्री इंदिरा जयसिंह, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री के. परासरन, श्री जयदीप गुप्ता, श्री वी. गिरी, श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ और श्री के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ वकील और श्री रवि प्रकाश गुप्ता, श्री जे. साई दीपक, श्री वी. के. बीजू और श्री गोपाल के प्रयासों को स्वीकार करता हूं।

शंकरनारायणन, विद्वान वकील। मैं एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन और श्री के राममूर्ति द्वारा प्रदान की गई निष्पक्ष सहायता को स्वीकार करता हूं। उनके ज्ञान और विद्वता ने मेरी अपनी शिक्षा को समृद्ध किया है।

इंदू मल्होत्रा, जे.

हस्तक्षेप के लिए आवेदन ने माना है कि वे लैंगिक समानता और न्याय, कामुकता और मासिक धर्म भेदभाव के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पंजाब राज्य में और उसके आसपास काम करने वाले लैंगिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा के बारे में पता चला है।

बरखा दत्त *(*एक महिला की सुगंध, हिंदुस्तान टाइम्स*; 1* जुलाई*, 2006),* शरवानी पंडित *(*टचिंग फेथ, टाइम्स ऑफ इंडिया*; 1* जुलाई*, 2006),* और वीर संघवी *(*कीपिंग द फेथ, लूजिंग आवर रिलिजन, संडे हिंदुस्तान टाइम्स*; 2* जुलाई*, 2006)* द्वारा लिखे गए तीन समाचार पत्र लेखों से केरल में सबरीमाला मंदिर।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

याचिकाकर्ताओं ने केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थलों के नियम *3 (*बी*)* की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

प्रवेश*)* नियम*, 1965 (*इसके बाद *"1965* नियम*"* के रूप में संदर्भित*),* जो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है

केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थलों की धारा *3*

(प्रविष्टि प्राधिकरण*)* अधिनियम*, 1965 (*इसके बाद *"1965* अधिनियम*"* के रूप में संदर्भित*)*।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने केरल राज्य, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को एक रिट ऑफ मैंडमस जारी करने का अनुरोध किया है।

सबरीमाला मंदिर की मुख्य थांथ्री और पठानमथिट्टा के जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला श्रद्धालु आयु वर्ग के बीच हैं

सबरीमाला मंदिर में बिना किसी प्रतिबंध के *10* से *50* वर्ष की आयु के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है।

2. याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ

याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व श्री आर. पी. गुप्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह ने किया। श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए जिन्होंने समर्थन किया

याचिकाकर्ताओं का मामला।

(i) रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान मामला

यह भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में *10* साल से *50* साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सदियों पुरानी प्रथा से संबंधित है।

1965 के नियम *3 (*बी*)* में संहिताबद्ध प्रथागत प्रथा

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा दिनांक *21* अक्टूबर, *1955* और *27* नवंबर, *1956* को जारी अधिसूचनाओं के साथ पढ़े गए नियम, संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *21* के परीक्षणों को पूरा नहीं करते हैं।

संविधान।

यह बहिष्करण प्रथा अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है क्योंकि वर्गीकरण का कोई संवैधानिक उद्देश्य नहीं है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह अकेले शारीरिक कारकों पर आधारित है, और किसी भी काम नहीं करता है।

वैध वस्तु।

((ii) प्रथागत प्रथा संविधान के अनुच्छेद *15 (1)* का उल्लंघन करती है।

क्योंकि यह केवल 'सेक्स' पर आधारित है।

यह प्रथा अनुच्छेद *15 (2) (*बी*)* का भी उल्लंघन करती है क्योंकि सबरीमाला मंदिर एक सार्वजनिक पूजा स्थल है जो खुला और समर्पित है *[2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनता के लिए और अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है
290 ए.

((iii) अनुच्छेद *25* किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

किसी भी धर्म की पूजा करना या उसका पालन करना।
1965 अधिनियम को 'सामाजिक सुधार के उपाय' के रूप में अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* में निहित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए पारित किया गया है। इस अधिनियम में महिलाओं के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कोई भी सार्वजनिक मंदिर।

(iv) 1965 के नियमों का नियम *3 (*बी*)* अधिनियम के विपरीत है।

महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है।

(v) याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एक धार्मिक संप्रदाय को अनिवार्य रूप से

निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- इसकी अपनी संपत्ति और स्थापना है जो उत्तराधिकार में सक्षम है।

उनके अनुयायियों द्वारा।

- इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है जो स्पष्ट रूप से किसी भी से अलग है।

धर्म की स्थापना की।

- इसके अनुयायियों का अपना समूह है जो एक अलग समूह से बंधे हैं।

विश्वास, अभ्यास, अनुष्ठान या विश्वास।

- इसके पास अपने स्वयं के प्रशासन का पदानुक्रम है, जिसके द्वारा नियंत्रित नहीं है

कोई भी बाहरी एजेंसी।

ऐसा माना जाता था कि भगवान अयप्पा के भक्त ऐसा नहीं करते हैं।

यह अनुच्छेद *26* के तहत एक धार्मिक संप्रदाय का गठन करता है क्योंकि उनका कोई सामान्य विश्वास या अलग नाम नहीं है। भगवान अयप्पा के भक्त कुछ विशिष्ट प्रथाओं के आधार पर एकजुट नहीं होते हैं। भारत के प्रत्येक मंदिर के अपने अलग-अलग अनुष्ठान हैं। यह क्षेत्र-दर-क्षेत्र भिन्न होता है। अनुष्ठानों और समारोहों में मामूली अंतर उन्हें एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं बनाता है।

भगवान अयप्पा के भक्त धार्मिक नहीं हैं।

इस मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण संतुष्ट नहीं हुए हैं। यह मानते हुए भी कि भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय हैं, अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत उनके अधिकार श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के अधीन होंगे। वी. मैसूर राज्य और *Ors.*[1]।

1 1958 एससीआर *895:*

ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *255* युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि किसी भी हिंदू मंदिर में जाने वाले सामान्य हिंदू अनुयायियों को छोड़कर कोई भी विशिष्ट अनुयायी नहीं हैं।

सरदार ना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया था। बॉम्बे राज्य *2*, राजा बीरा ओरे देब, वंशानुगत अधीक्षक, जगन्नाथ मंदिर, पी. ओ. जिला पुरी बनाम। उड़ीसा राज्य *3*, और एस. पी. मित्तल बनाम। संघ का

& Ors.4।

(vi) भले ही सबरीमाला मंदिर को एक धार्मिक संप्रदाय माना जाए, लेकिन महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

10 से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध, इस कथित धार्मिक संप्रदाय की मूल नींव नहीं है। अनुच्छेद *26* के तहत संरक्षित किए जाने वाले किसी भी कानून या प्रथा को संवैधानिक होना चाहिए।

वैधता।

(vii) बहिष्करण प्रथा अनुच्छेद *21* का उल्लंघन है, क्योंकि इसका महिलाओं पर कलंक लगाने का प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें प्रदूषित माना जाता है, जिसका उन पर भारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

और अनुच्छेद *21* के तहत उनकी गरिमा को कम करता है।

बहिष्करण प्रथा अनुच्छेद *17* का उल्लंघन है क्योंकि यह "अस्पृश्यता" का प्रत्यक्ष रूप है। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से बाहर रखा गया

मासिक धर्म पर आधारित मंदिर जैसे स्थान 'अस्पृश्यता' का एक रूप है। यह अनुच्छेद दोनों के खिलाफ लागू करने योग्य है

राज्य के साथ-साथ राज्य अभिनेता भी।

(viii) विद्वान न्यायमित्र श्री राजू रामचंद्रन ने कहा कि सबरीमाला मंदिर सार्वजनिक पूजा का स्थान है। यह है।

एक सांविधिक निकाय अर्थात त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा प्रबंधित और प्रशासित। उनके अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार एक सार्वजनिक मंदिर की स्थापना की जाती है, और इसके भक्तों के लाभ के लिए इसका रखरखाव किया जाता है। प्रवेश का अधिकार यहाँ से आता है

यह सार्वजनिक चरित्र है, और एक कानूनी अधिकार है जो मंदिर के अधिकारियों पर निर्भर नहीं है।

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड एक वैधानिक रूप से बनाया गया बोर्ड है।

त्रावणकोर के अधीन अधिकार-कोच्चि हिंदू धार्मिक

सप्लीमेंट *(2)* एससीआर *496:* ए. आई. आर *1962* एस. सी. *853*

4) 7 एससीआर *32:* ए. आई. आर *1964* एस. सी. *1501*

संस्थान अधिनियम, *1950,* और अनुच्छेद *290* ए के तहत भारत की समेकित निधि से वार्षिक भुगतान प्राप्त करता है। यह पूरी तरह से अनुच्छेद *12* में "अन्य प्राधिकरणों" के दायरे में आएगा, और मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

x) अनुच्छेद *25 (1)* के तहत पूजा का मौलिक अधिकार एक गैर-भेदभावपूर्ण अधिकार है, और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। एक महिला का भक्त के रूप में मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार उसकी पूजा के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है, और यह गारंटीकृत समानता के अधिकार का एक आवश्यक सहवर्ती है।

अनुच्छेद *15* द्वारा।

पूजा का गैर-भेदभावपूर्ण अधिकार इस पर निर्भर नहीं है

समाज कल्याण या सुधार के लिए राज्य की इच्छा अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत।

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* केवल एक सक्षम प्रावधान नहीं है, बल्कि एक मूल अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं के बहिष्कार को किसी भी धर्मग्रंथ के अभाव में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

प्रत्यर्थियों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

) बहिष्करण प्रथा के परिणामस्वरूप भेदभाव होता है

महिलाओं को एक वर्ग के रूप में, क्योंकि महिलाओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग को मंदिर में प्रवेश करने से बाहर रखा गया है। बेनेट कोलमैन में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "प्रभाव परीक्षण" पर निर्भरता रखना और

कं. और ओआरएस। वी. भारत संघ और *Ors.5,* उन्होंने प्रस्तुत किया कि भेदभाव केवल "लिंग" के आधार पर है क्योंकि मासिक धर्म की जैविक विशेषताएँ निम्नलिखित विशेषताओं से उत्पन्न होती हैं -

विशेष लिंग।

i) अनुच्छेद *17* शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं पर आधारित सभी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए "किसी भी रूप में" अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है। मासिक धर्म वाली महिलाओं का बहिष्कार उसी आधार पर है

उत्पीड़ित वर्गों के बहिष्कार के रूप में।

(ii) अनुच्छेद *25* और *26* में प्रयुक्त "नैतिकता" शब्द का उल्लेख है:

संवैधानिक नैतिकता, न कि नैतिकता की व्यक्तिगत या अनुभागित भावना। इसे अनुच्छेद *14,15,17* द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

38 , और *51* ए।

iii) विद्वान न्यायमित्र श्री रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया कि *1965* के अधिनियम का नियम *3 (*बी*) 1965* की धारा *3* के विपरीत है।

2 एस. सी. सी. *788* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

जहाँ तक यह रीति-रिवाजों और उपयोगों की रक्षा करना चाहता है, उस पर कार्य करें, जो धारा *3* विशेष रूप से लागू होती है। नियम *3* के लिए औचित्य परंतुक से धारा *3* तक नहीं आ सकता है, क्योंकि परंतुक की व्याख्या केवल श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप की जा सकती है। वी. मैसूर राज्य और
ओआरएस। *(* ऊपर*)*। यह धारा *4* के विपरीत है क्योंकि इसमें प्रावधान है कि इसके तहत बनाए गए नियम इसके खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं हो सकते हैं।

कोई भी खंड या वर्ग।

3. उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ

केरल राज्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने किया। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का प्रतिनिधित्व डॉ.

ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। मुख्य थंथरी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने किया। नायर सर्विस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया गया था

श्री के. परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। पंडलम के राजा का प्रतिनिधित्व श्री के. राधाकृष्णन ने किया था। श्री. जे. साई दीपक प्रतिवादी संख्या *18* और पीपल फॉर धर्म के नाम से मध्यस्थ की ओर से पेश हुए। श्री. राममूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए जिन्होंने प्रत्यर्थियों के मामले का समर्थन किया।

4. केरल राज्य ने वर्तमान रिट में दो हलफनामे दायर किए हैं।

याचिका.

केरल राज्य ने याचिकाकर्ताओं के कारण का समर्थन करते हुए *13* नवंबर, *2007* को एक हलफनामा दायर किया। हालाँकि राज्य ने प्रार्थना की

10 से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर सुझाव/विचार प्रस्तुत करने के लिए एक "उपयुक्त आयोग" की नियुक्ति। उक्त शपथ-पत्र में किए गए कुछ कथन

ध्यान देने योग्य हैं, और संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

..... इस प्रकार, सरकार वर्तमान प्रचलित प्रथा के खिलाफ एक स्वतंत्र निर्देश नहीं दे सकती है। तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर उक्त निर्णय *(*एस. महेंद्रन *(*उपरोक्त*)* में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय*)* की अंतिमता थी जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

भी।

..... इस प्रकार, सरकार की राय है कि किसी भी निकाय को नहीं होना चाहिए

पूजा करने के उनके अधिकार से प्रतिबंधित है, लेकिन इस पर विचार करते हुए

तथ्य यह है कि सबरीमाला में प्रवेश का मामला एक प्रथा है
उन्होंने इतने वर्षों तक पालन किया और विश्वास *[2018] 9* एस. सी. आर. से जुड़े रहे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और लोगों द्वारा स्वीकार किए गए मूल्य और चूंकि एक बाध्यकारी है

इस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले में सरकार ने महसूस किया कि

माननीय न्यायालय से एक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करने का अनुरोध किया जा सकता है

सभी महिलाओं के लिए खुला है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो
मंदिर बनाओ और पूजा करो।

(जोर दिया गया*)*

4 फरवरी, *2016* के बाद के अतिरिक्त शपथ पत्र में

राज्य द्वारा दायर, यह प्रस्तुत किया गया था कि *13* नवंबर, *2007* के पिछले हलफनामे में किए गए दावे गलती से समर्थन करने की मांग करते हैं

याचिकाकर्ता। यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार एस. महेंद्रन बनाम मामले में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति से भिन्न रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य। और उसमें जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए। यह दावा किया गया था कि प्रतिबंध लगाने की प्रथा

10 से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश मंदिर के रीति-रिवाजों और उपयोग का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है, जो संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के तहत संरक्षित है। एक धार्मिक प्रथा होने के नाते, यह रिजु प्रसाद शर्मा और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में संविधान के भाग *III* के अन्य प्रावधानों के तहत चुनौती से भी मुक्त है। वी. असम राज्य *& Ors.7*।

हालाँकि, तीनों के सामने सुनवाई के दौरान-न्यायाधीश

पीठ को निर्देश के समय यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य *13* नवंबर, *2007* के हलफनामे में बताए गए रुख को अपनाएगा।

5. प्रत्यर्थी संख्या *2*-त्रावणकोर द्वारा प्रस्तुतियाँ

देवस्वोम बोर्ड, प्रत्यर्थी सं. *4*-मंदिर की थांत्री, प्रत्यर्थी सं. *6*-नायर सर्विस सोसाइटी, प्रत्यर्थी सं. *18* और *19* का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर

केरल के प्रमुख मंदिर में हर साल *20* मिलियन से अधिक तीर्थयात्री और श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा और इस मंदिर द्वारा पालन की जाने वाली 'आचार', मान्यताओं और रीति-रिवाजों के अनुसार, *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

6 एयर *1993* केर *42*

7 (2015) 9 एस. सी. सी. *461* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

इसका श्रेय सबरीमाला मंदिर में देवता के प्रकट होने को दिया जाता है जो एक 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में है, जो सख्त तपस्या करता है, और ब्रह्मचर्य का सबसे गंभीर रूप है।

किंवदंती के अनुसार, यह माना जाता है कि सबरीमाला के अधिष्ठाता देवता भगवान अयप्पा का मानव प्रवास पंडलम में उनके पुत्र के रूप में हुआ था।

पंडलम के राजा, जिन्हें मणिकंदन के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें पंपा नदी के तट पर एक चमकीले चेहरे वाले शिशु के रूप में पाया, जिन्होंने अपने गले में एक मनका *('*मणि*')* पहना हुआ था। मणिकंदन के कारनामों और उपलब्धियों ने राजा और अन्य लोगों को उनकी दिव्य उत्पत्ति के बारे में आश्वस्त किया।

भगवान ने राजा से कहा कि वह एक मंदिर का निर्माण कर सकते हैं

सबरीमाला, पवित्र नदी पम्पा के उत्तर में, और वहाँ देवता की स्थापना करें। राजा ने विधिवत सबरीमाला में मंदिर का निर्माण किया और इसे भगवान अयप्पा को समर्पित किया। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के देवता थे एक 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' अर्थात एक शाश्वत ब्रह्मचारी के रूप में स्थापित।

माना जाता है कि भगवान अयप्पा ने सबरीमाला मंदिर की तीर्थयात्रा के तरीके के बारे में बताया था।

41-दिवसीय 'व्रतम' का पालन करना।

ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा ने स्वयं सबरीमाला मंदिर में देवता के साथ विलय करने के लिए जाने से पहले *41*-दिवसीय 'व्रत' किया था। तीर्थयात्री द्वारा की जाने वाली तीर्थयात्रा की पूरी प्रक्रिया भगवान अयप्पा की यात्रा को दोहराना है। इस मंदिर में पूजा का तरीका और तरीका जैसा कि स्वयं भगवान ने प्रकट किया है, 'स्थल पुराण' यानी 'भूतनाथ गीता' में वर्णित है।

41 दिवसीय "व्रतम" एक सदियों पुरानी प्रथा है और तीर्थयात्रियों द्वारा की जाने वाली प्रथा है जिसे "अय्यप्पन" कहा जाता है। इस 'व्रत' का उद्देश्य भक्तों को अनुशासित करना और आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए प्रशिक्षित करना है जिससे आत्म-बोध हो सके। इस मंदिर की तीर्थयात्रा शुरू करने से पहले, 'व्रतम' की एक प्रमुख आवश्यकता 'सतविक' जीवन शैली और 'ब्रह्मचर्य' का पालन करना है ताकि शरीर और मन को शुद्ध रखा जा सके। 'व्रत' की एक बुनियादी आवश्यकता भौतिकवादी दुनिया से हटना और आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखना है।

जब कोई तीर्थयात्री 'व्रत' करता है, तो तीर्थयात्री खुद को महिलाओं से अलग कर लेता है-घर के लोग, जिसमें उसकी पत्नी, बेटी,

या परिवार की अन्य महिला सदस्य।

"व्रतम" या तपस्या में शामिल हैं:

- अपने जीवनसाथी के साथ सभी शारीरिक संबंधों को त्यागना;

शराब, सिगरेट सहित कुछ भी मादक पदार्थ छोड़ना

और 'तामसिक' भोजन;

परिवार के बाकी सदस्यों से अलग एक अलग कमरे में रहना

या एक अलग इमारत;

- अपनी बेटी, बहन या अन्य युवा महिला रिश्तेदारों सहित दैनिक जीवन में युवा महिलाओं के साथ बातचीत करने से बचना।

अपना खाना खुद पकाना; दिन में दो बार स्नान करने सहित स्वच्छता का पालन करना।

प्रार्थना;

काले मुंडू और ऊपरी वस्त्र पहनना;

दिन में केवल एक बार भोजन करना;

- नंगे पैर चलना।

41 वें दिन, पूजा के बाद, तीर्थयात्री एक नारियल के साथ इरिमुडी *(*जिसमें चावल और अपनी यात्रा के लिए अन्य प्रावधान होते हैं*)* लेते हैं।

घी और पूजा की वस्तुओं से भरा हुआ*)* और देवता के दर्शन के लिए 'सन्निधानम' तक पहुंचने के लिए *18* सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तीर्थयात्रा शुरू करता है। इसमें पम्पा नदी से *3000* फीट की चढ़ाई करना शामिल है।

सन्निधानम, जो घने जंगलों के माध्यम से लगभग *13* किलोमीटर की चढ़ाई है।

आध्यात्मिक अनुशासन की इस प्रणाली के एक भाग के रूप में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को यह तीर्थयात्रा नहीं करनी चाहिए।

सदियों से। रिलायंस को राधिका द्वारा एक व्यापक शोध प्रबंध पर रखा गया था। इस मंदिर पर सेकर। *8* शोध प्रबंध के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

वे जंगलों के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं
सबरीमाला मंदिर। ब्रह्मचर्य पर यह जोर दिया जा सकता है

राधिका सेकर, तीर्थयात्रा की प्रक्रियाः अयप्पा संस्कृति और सबरीमलाई यात्रा *(*कार्लटन विश्वविद्यालय, ओटावा, ओंटारियो में स्नातक अध्ययन संकाय, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान विभाग; अक्टूबर *1987)*

डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

अन्य वन आत्माओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि

कहा जाता है कि यक्षों का उल्लेख पहले किया गया है कि वे ऋषियों की रक्षा करते हैं और

ब्रह्मचारी।

..... हालाँकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह समझा जाता है कि

ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों और मांस से दूर रहें, और भाग लें केवल धार्मिक कार्यों में। वह अपना काम जारी रख सकता है।

व्यवसाय, लेकिन हो सकता है कि वह सामाजिक उद्यमों में शामिल न हो।

अयप्पा को भी दिन में केवल एक बार *(*दोपहर में*)* खाने की आवश्यकता होती है।

और लहसुन, प्याज और बासी भोजन से बचने के लिए। शाम को,

वे फल या कुछ बहुत हल्का खा सकते हैं। जहाँ तक पोशाक की बात है कोड का संबंध है, इस दौरान कुछ हद तक लचीलेपन की अनुमति है

व्रतम काल। किसी के पेशे की प्रकृति नहीं है

हमेशा ड्रेस कोड में इस भारी बदलाव की अनुमति दें। उदाहरण के लिए,

सेना या पुलिस बल में अयप्पा अपने नियमित कपड़े पहनते हैं।

हालांकि, नीले बनियान और नंगे पैर पर जोर दिया जाता है। वास्तविक तीर्थयात्रा के दौरान।

..... ब्रह्मचर्य के नियम को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इसमें शामिल हैं

विचार और क्रिया में ब्रह्मचर्य। अयप्पाओं को देखने की सलाह दी जाती है

माताओं के रूप में उनसे बड़ी और छोटी सभी महिलाओं पर

बेटियाँ या बहनें। मासिक धर्म की वर्जनाएँ अब सख्ती से हैं

थोपा गया। यौन सहवास भी वर्जित है। इस दौरान

व्रतम, अय्यप्पा न केवल इन वर्जनाओं पर जोर देते हैं

सख्ती से पालन किया लेकिन वे एक कदम आगे बढ़ते हैं और जोर देते हैं

शारीरिक अलगाव। यह एक पत्नी, बेटी के लिए असामान्य नहीं है।

या बहन को उसके मासिक धर्म के दौरान दूर भेजा जाना है यदि कोई पुरुष सदस्य है

घर के लोगों ने व्रत लिया है।

(जोर दिया गया*)*

त्रावणकोर और कोच्चि राज्यों के सर्वेक्षण के संस्मरण में

लेफ्टिनेंट वार्ड और कॉनर द्वारा सबरीमाला मंदिर में प्रचलित प्रथा और उपयोग का संदर्भ दिया गया है। द.

सर्वेक्षण का प्रकाशन मूल रूप से *1893* में दो भागों में प्रकाशित किया गया था और

के सांख्यिकीय और भौगोलिक सर्वेक्षणों का विवरण देना

आनकोर और कोचीन राज्य। संदर्भ देने की मांग की गई थी

सर्वेक्षण से कुछ अंशः

"..... बूढ़ी औरतें और जवान लड़कियाँ मंदिर जा सकती हैं, लेकिन

जो युवावस्था प्राप्त कर चुके हैं और जीवन के एक निश्चित समय तक
संपर्क करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उस आसपास के सभी यौन संबंध

" 19

वह इस देवता के खिलाफ है।

(iii) Dr.Singhvisubmitted कि एक प्रथा पुरानी पुरातनता में शुरू हुई,

और बिना किसी रुकावट के प्राचीन काल से जारी है, एक बन जाता है उपयोग और प्रथा। रिलायंस,
इस संबंध में, निर्णयों पर रखा गया था

इवानलांगकी-ई-रिम्बैव। जयंतिया हिल्स जिला परिषद और अन्य। भीमाश्य और ओआरएस। वी. एल. आर. वी. द्वारा जानी *(श्रीमती)* आलिया जानवा *1 1,* और सालेख चंद *(मृत)*। सत्य गुप्ता *& Ors.*[1]*2*।

महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा और उपयोग

सबरीमाला मंदिर में *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग का पालन करना पूर्व संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद *13 (3) (ए)* के अनुसार, "कानून" में प्रथा या उपयोग शामिल है, और इसमें कानून का बल होगा।

एक वैध प्रथा की विशेषताएँ और तत्व यह हैं कि यह

यह प्राचीन अस्तित्व का होना चाहिए, यह उचित, निश्चित और निरंतर होना चाहिए। ऊपर बताए गए रीति-रिवाज और प्रयोग, धार्मिक विश्वास और प्रथाएं सबरीमाला मंदिर के लिए विशिष्ट हैं, और माना जाता है कि सदियों से इनका पालन किया जाता रहा है।

((iv) इस मंदिर में महिलाओं का बहिष्कार पूर्ण या पूर्ण नहीं है।

सार्वभौमिक। यह एक विशेष मंदिर में एक विशेष आयु वर्ग तक सीमित है, जिसका उद्देश्य देवता के चरित्र को संरक्षित करना है। *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग से बाहर की महिलाओं को सबरीमाला में पूजा करने का अधिकार है। मंदिर। उपयोग और अभ्यास देवता के पवित्र रूप और चरित्र को संरक्षित करने के लिए प्राथमिक है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इस प्रथा पर आपत्ति भगवान अयप्पा के उपासकों द्वारा नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही है।

(v) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि लगभग *1000* मंदिर हैं

भगवान अयप्पा की पूजा के लिए समर्पित, जहां देवता 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में नहीं हैं। उन मंदिरों में, पूजा का तरीका और तरीका सबरीमाला मंदिर से अलग है, क्योंकि देवता ने खुद को एक अलग रूप में प्रकट किया है। भगवान अयप्पा के अन्य मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, जहां सभी उम्र की महिलाएं देवता की पूजा कर सकती हैं।

9 9 लेफ्टिनेंट वार्ड और कॉनर, त्रावणकोर और कोच्चि के सर्वेक्षण का संस्मरण

राज्य *(*पहला पुनर्मुद्रण *1994,* केरल सरकार*)* पी। *137*

11 (2006) 13 एस. सी. सी. *627*

12 (2008) 13 एस. सी. सी. *119* भारतीय युवा वकील एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

(vi) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री परासरन ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध इस मंदिर की आवश्यक प्रथा और तीर्थयात्रा का एक हिस्सा है। इसका स्पष्ट रूप से उद्देश्य तीर्थयात्रियों को यौन संबंध से संबंधित किसी भी व्याकुलता से दूर रखना है, क्योंकि तीर्थयात्रा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक आत्म-अनुशासन के सफल अभ्यास के लिए सभी मामलों में परिस्थितियों का निर्माण करना है।

महिलाओं के प्रवेश पर *10* से *50* वर्ष तक सीमित प्रतिबंध,

सबरीमाला मंदिर में 'धर्म' और 'धार्मिक आस्था और व्यवहार' का मामला है, और सबरीमाला मंदिर के 'प्रतिष्ठा' *(स्थापना)* में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों के साथ-साथ देवता-भगवान अयप्पा की पूजा की प्रथा और उपयोग भी है।

(vii) इस तर्क के संबंध में कि यह प्रथा महिलाओं के लैंगिक समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, श्री वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रस्तुत किया कि यदि एक वर्ग के रूप में महिलाओं को भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है, तो यह सामाजिक भेदभाव के बराबर होगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। *10* साल से कम उम्र की लड़कियां और *50* साल के बाद महिलाएं इस मंदिर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं, और पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा, भगवान अयप्पा के अन्य मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

10 से *50* वर्ष की आयु के बीच महिलाओं का वर्गीकरण,

और समान आयु वर्ग के पुरुषों का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है, जो एक 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में भगवान की पहचान और अभिव्यक्ति को संरक्षित करना है।

(viii) यह उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि संरक्षित करने के लिए

देवता के चरित्र और सबरीमाला मंदिर में मूर्ति की पवित्रता को देखते हुए, केवल त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर सीमित प्रतिबंध लगाया जाता है। महिलाओं पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इस तरह की प्रथा देवता के 'निष्ठा' या 'नैष्टिक बुद्धि' के अनुरूप है। यह प्रथा के पीछे अंतर्निहित कारण होने के कारण, महिलाओं की गरिमा का कोई अपमान नहीं है। यह केवल देवता की अभिव्यक्ति और रूप की रक्षा करने के लिए है, जो पवित्र और दिव्य है, और भक्तों द्वारा की गई तपस्या को संरक्षित करने के लिए है। *(ix)* यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यह त्रावणकोर-कोचीन हिंदू की धारा *31* के तहत त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का कर्तव्य है।

मंदिर की प्रथा और उपयोग के अनुसार मंदिर का प्रशासन करने के लिए धार्मिक संस्थान अधिनियम, *1950*।

(x) यह प्रस्तुत किया गया था कि कानून और तथ्य के मुद्दों का निर्णय एक सक्षम दीवानी अदालत द्वारा दस्तावेजी और अन्य की जांच के बाद किया जाना चाहिए।

सबूत।

(xi) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री परासरन ने आगे कहा कि धर्म आस्था का विषय है। धार्मिक मान्यताओं को वे लोग पवित्र मानते हैं जो विश्वास रखें। आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था। शिरूर मठ *(ऊपर)* के श्री लक्ष्मींद्र स्वामीयर तीर्थ स्वामीयर, जिसमें एक अमेरिकी मामले से धर्म की परिभाषा निकाली गई थी, अर्थात 'धर्म' शब्द अपने निर्माता के साथ अपने संबंध के बारे में किसी के विचारों और उनके द्वारा लगाए गए सम्मान के दायित्वों का संदर्भ देता है।

उनका अस्तित्व और चरित्र और उनकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता "।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी श्री के मामले पर भरोसा किया

वेंकटरमण देवरू और अन्य। वी. मैसूर राज्य और अन्य। *(ऊपर)*

जिसमें इसे निम्नलिखित रूप में देखा गया:

"देवताओं के अलग-अलग रूप हैं और घर और मंदिरों में उनकी पूजा मोक्ष प्राप्त करने के कुछ साधनों के रूप में निर्धारित की जाती है।

तिलकायत में श्री गोविंदलालजी महाराज *etc.v*। राजस्थान राज्य और *Ors.*[1]*3*, जब भगवान कृष्ण की एक बच्चे के रूप में पूजा की जाती थी, तो पूजा के तरीके को अपनाने पर जोर दिया गया था।

धर्म केवल अपने लिए नैतिक नियमों की एक संहिता निर्धारित नहीं करता है।

अनुयायियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसमें अनुष्ठान और पालन, समारोह और पूजा के तरीके भी शामिल हैं जिन्हें धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है।

(xii) संविधान के अनुच्छेद *26* में 'धार्मिक संप्रदाय' शब्द का रंग 'धर्म' शब्द से लिया जाना चाहिए। और यदि ऐसा है, तो 'धार्मिक संप्रदाय' अभिव्यक्ति को एस. पी. मित्तल बनाम में निर्धारित तीन शर्तों को पूरा करना होगा। भारत संघ और अन्य। *(ऊपर):*

"*80. (1)* यह उन व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए जिनके पास मान्यताओं या सिद्धांतों की एक प्रणाली है जिसे वे अनुकूल मानते हैं।

(2) सामान्य संगठन; और
(3) एक विशिष्ट नाम से पदनाम "।

13 (1964) 1 582 ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1638* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. पर एस. सी. आर. *561*।

वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

धार्मिक मठों, धार्मिक संप्रदायों, धार्मिक निकायों, उप-संप्रदायों या उनके किसी भी वर्ग को धार्मिक संप्रदाय माना गया है। रिलायंस

आयुक्त में निर्णयों पर रखा गया था। , हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री शिरूर मठ *(ऊपर)* के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी; दरगाह समिति, अजमेर और अन्र। वी. सैयद हुसैन अली और अन्य। , *1 4* और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। टी. एन. और *Ors.*[1]*5* की स्थिति

श्री वेंकटरमण देवरू और ओआरएस के फैसले पर भरोसा करते हुए। वी. मैसूर राज्य और अन्य। डॉ. सिंघवी ने कहा कि इस सूत्रीकरण में धर्म एक बहुत व्यापक अवधारणा है, और इसमें शामिल हैं:

- मंदिरों के निर्माण से संबंधित औपचारिक कानून;

उसमें मूर्तियों की स्थापना;

- मुख्य देवता के अभिषेक का स्थान;

जहाँ अन्य देवताओं को स्थापित किया जाना है;

- देवताओं की पूजा का संचालन;

जहाँ उपासकों को पूजा के लिए खड़ा होना है;

शुद्धिकरण समारोह और उनके तरीके और तरीके

प्रदर्शन;

- जो पूजा के लिए प्रवेश करने के हकदार हैं; जहाँ वे खड़े होने और पूजा करने के हकदार हैं; और, पूजा कैसे की जानी है।

(xiii) उत्तरदाताओं द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भगवान अयप्पा के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय का गठन करते हैं, जो 'अयप्पन धर्म' का पालन करते हैं, जहां सभी पुरुष भक्तों को बुलाया जाता है। ' अयप्पन और *10* वर्ष से कम और *50* वर्ष से अधिक आयु की सभी महिला भक्तों को 'मलिकपुरम' कहा जाता है। एक भक्त को इसका पालन करना होता है

इस मंदिर के रीति-रिवाज और उपयोग, यदि उन्हें 'पथिनेटटुपाडिकल' पर चढ़ना है और सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना है।

'अय्यप्पास्वामी' की मान्यताओं और आस्थाओं का यह समूह और भगवान अयप्पा के उपासकों का संगठन एक विशिष्ट संगठन का गठन करता है।

धार्मिक संप्रदाय, विशिष्ट प्रथाओं के साथ। *(xiv)* यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में इस मंदिर की स्थिति का निपटारा एस. महेंद्रन बनाम मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से किया गया था। सचिव,

14 (1962) 1 एससीआर *383:* ए. आई. आर *1961* एस. सी *1402*

15 (2014) 5 एससीसी *75 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और अन्य। *(ऊपर)*। उच्च न्यायालय ने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों को दर्ज करने के बाद मामले का फैसला किया। तत्कालीन थंथरी-श्री नीलकंदरू, जिन्होंने देवता की स्थापना की थी, की उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. *6* के रूप में जांच की गई थी, जिन्होंने कहा था कि *1950* के दशक से बहुत पहले *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया था।

यह निर्णय इस मंदिर की स्थिति की घोषणा है

धार्मिक संप्रदाय, रेम में एक निर्णय है। उक्त फैसले को किसी भी पक्ष ने चुनौती नहीं दी है। इसलिए, यह याचिकाकर्ताओं सहित सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

इस न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित अवलोकन डॉ।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य। *(* ऊपर*)* पर भरोसा किया गया थाः

"घोषणा कि दीक्षितर धार्मिक संप्रदाय हैं
या उसकी धारा वास्तव में उनकी स्थिति की घोषणा है और

इस तरह की घोषणा करना वास्तव में एक निर्णय है।

(आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

(xv) अनुच्छेद *25* के विपरीत, जो अन्य प्रावधानों के अधीन है

संविधान का भाग *III*, अनुच्छेद *26* केवल सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है,

नैतिकता और स्वास्थ्य, और संविधान के अन्य प्रावधानों के लिए नहीं। नतीजतन, मूल्यवर्ग के मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद *14* या *15* के अधीन नहीं हैं।

अनुच्छेद *25 (1)* के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि उपासक

भगवान अयप्पा की अंतरात्मा की स्वतंत्रता, और अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। सबरीमाला मंदिर में पूजा करके अपनी आस्था व्यक्त करने के अधिकार की गारंटी तभी दी जा सकती है जब 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में देवता का चरित्र संरक्षित हो। यदि *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप देवता के चरित्र/प्रकृति में बदलाव आएगा, जो संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा गारंटीकृत अपने धर्म का पालन करने के भक्तों के अधिकार पर सीधे प्रभाव डालेगा।

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत भक्तों का अधिकार नहीं बनाया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद *14* और *15* के तहत मंदिर में प्रवेश करने के याचिकाकर्ताओं के दावे के अधीन, क्योंकि वे इस मंदिर के देवता में विश्वास का दावा नहीं करते हैं, बल्कि केवल सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं।

(xvi) अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* घोषणा करता है कि अनुच्छेद *25 (1)* में कुछ भी नहीं होगा

राज्य को समाज कल्याण और भारतीय युवा वकीलों के लिए कोई भी कानून बनाने से रोकें।

वी. केरल राज्य *[*इंदु मल्होत्रा, जे.*]*

सुधार या सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोल देना। के लिए 'खुला फेंकना' 'हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों का उद्देश्य समाज में जाति आधारित पूर्वाग्रहों और अन्यायों का निवारण करना था।

अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि रीति-रिवाजों और धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बनने वाले प्रयोगों को ओवरराइड किया जाना चाहिए। अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आस्था के आधार पर अधिसूचित अवधि के दौरान केवल एक सीमित प्रतिबंध है।

प्रथा और विश्वास, जो प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है।

(xvii) प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद *17* के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की याचिका पूरी तरह से गलत थी। वस्तु और अनुच्छेद *17* का मूल हिंदू धर्म में 'जाति' के आधार पर अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करना था। सबरीमाला मंदिर में ऐसी कोई जाति-आधारित या धर्म-आधारित अस्पृश्यता नहीं है।

सबरीमाला मंदिर में भक्तों द्वारा पालन किए जाने वाले रीति-रिवाज अनुच्छेद *17* के तहत अस्पृश्यता से जुड़ी किसी भी प्रथा से नहीं आते हैं। यह प्रथा किसी भी कथित अशुद्धता या अक्षमता पर आधारित नहीं है। अतः इस तर्क को अस्वीकार किया जा सकता था।

6. चर्चा और विश्लेषण

हमने विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनी हैं, और उनके द्वारा दायर दलीलों और लिखित प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6.1 . वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों के दूरगामी प्रभाव और निहितार्थ हैं, न कि केवल सबरीमाला मंदिर के लिए।

अर्चकों की नियुक्ति सहित मंदिरों के मामलों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन पर। उदाहरण के लिए, आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य के मामले में। वी. तमिल सरकार नाडू और अन्र। *16* , इस न्यायालय को नियुक्ति के मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा गया था

मदुरै के श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर के अर्चकों और व्यक्तिगत अर्चकों के एक संघ द्वारा दायर लिखित याचिकाओं में अर्चकों की संख्या।

16 (2016) 2 एससीसी *725 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लिंग के आधार पर सबरीमाला मंदिर द्वारा अनुसरण किया जा रहा है *10* से *50* वर्ष की आयु के दौरान महिलाओं के साथ भेदभाव।

7. अक्षमता और न्याय्यता

7.1 . संविधान का अनुच्छेद *25* सभी व्यक्तियों को गारंटी देता है कि

विवेक की स्वतंत्रता, और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार। हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग *III* के अन्य प्रावधानों के अधीन है। *7.2 .* मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद *32* के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, इस दलील

पर आधारित होना चाहिए कि इस मंदिर में पूजा करने के याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता सबरीमाला मंदिर के भक्त होने का दावा नहीं करते हैं, जहां भगवान अयप्पा के बारे में माना जाता है कि उन्होंने खुद को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट किया था। दीर्घकालिक धार्मिक प्रथाओं की वैधता निर्धारित करने के लिए एक संप्रदाय के रीति-रिवाज और उपयोग, एक संघ/हस्तक्षेपकर्ता के कहने पर जो विशेष रूप से सामाजिक विकास गतिविधियों में शामिल हैं।

महिलाओं के उत्थान से संबंधित गतिविधियों और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक होने में मदद करने के लिए इस न्यायालय से उन व्यक्तियों के कहने पर धार्मिक प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी जो इस धर्म को नहीं मानते हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए पूजा के अधिकार को विशेष अभिव्यक्ति में विश्वास की पुष्टि के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए

इस मंदिर में देवता।

7.3 . इस न्यूनतम आवश्यकता की अनुपस्थिति को केवल एक तकनीकीता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय की प्रथाओं को बदनाम करने के लिए एक चुनौती बनाए रखने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। धार्मिक मामलों में पी. आई. एल. की अनुमति देने से बाढ़ के द्वार खुल जाएंगे धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं पर सवाल उठाने के लिए मध्यस्थ, भले ही याचिकाकर्ता किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला न हो, या किसी विशेष मंदिर का उपासक न हो। अगर इस तरह की याचिकाओं पर विचार किया जाता है तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खतरे और भी गंभीर हो जाते हैं।

Dr.A.M. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से पेश हुए

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने विभिन्न धार्मिक संस्थानों की एक सचित्र सूची प्रस्तुत की, जहां प्राचीन काल से धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के आधार पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रवेश पर प्रतिबंध मौजूद हैं। *18*

17 रिट याचिका का अनुच्छेद *2*। *18* वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत गैर-मामला कानून सुविधा संकलन में अनुलग्नक सी-*8* में ऐसे पूजा स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है जहां महिलाएं नहीं हैं।

अनुमति दी गई।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

7.5 . अनुच्छेद *25 (1)* प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। *19* एक का अधिकार उस आस्था या मंदिर के सिद्धांतों के अनुसार, देवता की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति की पूजा करने के लिए व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा संरक्षित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष देवता में विश्वास करने का दावा करता है, तो उसे उस विश्वास के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्त किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, इस मंदिर के उपासक देवता के 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट होने में विश्वास करते हैं। भक्तों ने

इस मंदिर ने देवता की आवश्यक विशेषताओं के आधार पर इस मंदिर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं को चुनौती नहीं दी है।

7.6 . अपने धर्म का पालन करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है

संविधान के भाग *III* द्वारा इस बात की गारंटी दी गई है कि धर्म या धार्मिक प्रथाएं तर्कसंगत हैं या नहीं। धार्मिक प्रथाओं को अनुच्छेद *25* और *26 (*बी*)* के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है। अदालतें आम तौर पर धार्मिक प्रथाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती हैं, विशेष रूप से उस विशेष धार्मिक विश्वास या संप्रदाय से पीड़ित व्यक्ति की अनुपस्थिति में।

न्यूरेनबर्ग बनाम के हंस मुलर में। अधीक्षक, प्रेसिडेन्सी

जेल, कलकत्ता और *Ors.20,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति एक अनुच्छेद *32* के तहत विशेष कानून केवल तभी है जब वह इससे व्यथित हो।

इस सूची में नई दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह, हरियाणा के पेहोवा में भगवान कार्तिकेय मंदिर और राजस्थान के पुष्कर; विजयवाड़ा में भवानी दीक्षा मंडपम; असम में पटबाउसी सत्र; झारखंड के बोकारो में मंगला चंडी मंदिर शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत गैर-मामला कानून सुविधा संकलन में अनुलग्नक सी-*7* उन पूजा स्थलों को सूचीबद्ध करता है जहां महिलाओं को अनुमति नहीं है। इस सूची में राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर; केरल के कन्या कुमारी में भगती मां मंदिर; केरल में अट्टुकल भगवती मंदिर; केरल में चक्कुलाथुकावु मंदिर; और बिहार के मुजफ्फरपुर में माता मंदिर शामिल हैं।

19 एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानूनः ए क्रिटिकल कमेंटरी, वॉल्यूम। *II (*चौथा संस्करण। ,

पुनर्मुद्रण *1999),* पीजी पर। *1274* , पैरा *12.35*।

20 (1955) 1 एससीआर *1284:* ए. आई. आर *1955* एस. सी. *367*

7.7 . अनुच्छेद *25* के तहत राज्य की कार्रवाई के खिलाफ पूर्वाभास उत्पन्न हुए हैं,

और पी. आई. एल. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसे उदाहरणों की एक सचित्र सूची नीचे दी गई हैः
(i) आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास *v.*

श्री शिरूर मठ *(*उपरोक्त*)* के श्री लक्ष्मीद्र तीर्थ स्वामी, इस न्यायालय ने माथाधीपति या शिरूर मठ के वरिष्ठ के कहने पर अनुच्छेद *25* और *26* की व्याख्या की थी, जो इसके मामलों के प्रबंधन के प्रभारी थे। माथाधीपति हिंदू

धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों से व्यथित थे, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह अनुच्छेद *25* और *26* का उल्लंघन है।

((ii) श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य में। वी. मैसूर राज्य और

अनुच्छेद *26 (*बी*)* अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के अधीन है, श्री वेंकटरमण के मंदिर और उसके न्यासियों के कहने पर जो ज्ञात संप्रदाय से संबंधित थे। गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों के रूप में।

((iii) महांत मोती दास बनाम। एस. पी. साही, विशेष अधिकारी

हिंदू धार्मिक न्यास का प्रभार *& Ors.21*, इस न्यायालय ने माना

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, *1950* के तहत की गई कार्रवाइयों की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद *25* और *26* के तहत कुछ मठों या अस्थलों के महंतो के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

((iv) दरगाह समिति, अजमेर और अन्र में। वी. सैयद हुसैन अली और

ओआरएस। *(* ऊपर*)*, इस न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ ख्वाजा के मकबरे के खादिमों के कहने पर अनुच्छेद *25* और *26* को ध्यान में रखते हुए दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, *1955* की संवैधानिकता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था।

अजमेर का मोइन-उद-दीन चिश्ती। खादिम चिश्तिया सूफी नाम के एक धार्मिक संप्रदाय का हिस्सा होने का दावा करते थे।

(v) सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बम्बई राज्य

(ऊपर*)*, इस न्यायालय को बॉम्बे बहिष्कार निवारण अधिनियम, *1949* की संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए इस आधार पर कहा गया था कि यह याचिकाकर्ता, जो दाई-उल-मुतलक या दाउदी बोहरा समुदाय के प्रधान पुजारी थे, को अनुच्छेद *25* और *26* के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

(vi) बिजोए इमैनुएल और ओआरएस में। वी. केरल राज्य *& Ors.*[22]

"

ईसाई धर्म के एक संप्रदाय से संबंधित तीन बच्चे जिन्हें जेहोवा का *21 1959* सप *(2)* एससीआर *563* कहा जाता हैः ए. आई. आर *1959* एस. सी. *942*

22 (1986) 3 एस. सी. सी. *615* भारतीय युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

विविध आस्थाओं, मान्यताओं और परंपराओं वाले लोगों से युक्त एक बहुलवादी समाज में, धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं का मनोरंजन करना। किसी भी समूह, संप्रदाय या संप्रदाय के पालन से इस देश के संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को गंभीर नुकसान हो सकता है।

8. धर्म और धार्मिक प्रथाओं के मामलों में अनुच्छेद *14* की प्रयोज्यता

8.1 . धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं का परीक्षण केवल अनुच्छेद *14* की कसौटी और तर्कसंगतता के सिद्धांतों पर नहीं किया जा सकता है।

व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने के लिए। अनुच्छेद *25* के तहत समान व्यवहार किसी भी धर्म की आवश्यक मान्यताओं और प्रथाओं द्वारा सशर्त है। धर्म के मामलों में समानता को एक ही धर्म के उपासकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। *8.2 .* अनुच्छेद *14* के तहत वर्गीकरण की वैधता निर्धारित करने के लिए दोहरा परीक्षण है:

वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए; और

इसका इच्छित वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

विवादित कानून द्वारा प्राप्त किया गया।

कठिनाई अनुच्छेद *14* के तहत परीक्षणों को धार्मिक प्रथाओं पर लागू करने में है जो हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में भी संरक्षित हैं।

संविधान। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया समानता का अधिकार

अनुच्छेद *14* इस मंदिर के उपासकों के अधिकारों के साथ संघर्ष करता है जो संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार भी है। यह न्यायालय को धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं की तर्कसंगतता को निरूपित करने के लिए अनुच्छेद *14* के तहत न्यायिक समीक्षा करने के लिए मजबूर करेगा, जो न्यायालयों के दायरे से बाहर होगी। *9* एस. सी. आर. यह निर्धारित करना अदालतों का काम नहीं है कि इनमें से किस धर्म की प्रथाओं पर प्रहार किया जाए।

नीचे, सिवाय इसके कि वे सती की तरह हानिकारक, दमनकारी या सामाजिक बुराई हैं। *8.3 .* याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ इस विचार पर आधारित हैं कि यह प्रथा लैंगिक भेदभाव का गठन करती है।

महिलाओं के खिलाफ। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान मामला इस संप्रदाय या संप्रदाय के भक्तों के उन सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के अधिकार से संबंधित है, जिन्हें इस मंदिर की "आवश्यक" धार्मिक प्रथाएं माना जाता है।

8.4 . याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं ने तर्क दिया है कि *10* से *50* वर्ष का आयु वर्ग मनमाना है, और इसकी कठोरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद *14.* इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस आयु-सीमा का निर्देश ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है कि महिलाओं के प्रवेश पर सीमित प्रतिबंध का पालन किया जाए। *8.5 .* भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए लैंगिक समानता का अधिकार सभी उम्र की महिलाओं को उन मंदिरों में जाने की अनुमति देकर संरक्षित किया गया है जहां उन्होंने पूजा की है।

स्वयं को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट नहीं किया, और उन मंदिरों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में कहा है कि भगवान अयप्पा के *1000* से अधिक मंदिर हैं, जहां वे अन्य रूपों में प्रकट हुए हैं और यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

8.6 . याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं को यदि इसके वास्तविक प्रभाव में स्वीकार किया जाता है, तो वैधता निर्धारित करने में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करने के बराबर है।

धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का, जो अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का गठन करने का मुद्दा धार्मिक समुदाय को तय करना है।

9. अनुच्छेद *15* की प्रयोज्यता

ब्रह्मचारी '। *9.2 .* अनुच्छेद *15* के तहत अधिकार के संबंध में, एमिकस क्यूरी श्री राजू रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया था कि सबरीमाला मंदिर को "सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों" वाक्यांश में शामिल किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद *15 (2) (*बी*)* में होता है।

डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदु मल्होत्रा, जे।*]*

इस संबंध में, की बहसों का संदर्भ दिया जा सकता है

इस मुद्दे पर प्रतिनिधि सभा। संविधान के अनुच्छेद *15* से मेल खाने वाले अनुच्छेद *9* का मसौदा तैयार संदर्भ के लिए निकाला गया है:

जाति या लिंग-राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर नागरिक

उन्हें

(1) विशेष रूप से, कोई भी नागरिक केवल धर्म के आधार पर,

जाति, जाति, लिंग या उनमें से कोई भी, किसी भी विकलांगता के अधीन हो,

के संबंध में दायित्व, प्रतिबंध या शर्त

ए। दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और स्थानों तक पहुंच

सार्वजनिक मनोरंजन, या

बी। कुओं, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग

राज्य के राजस्व से पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर रखा गया

या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित।

(2) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगी

महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान। *23*

प्रोफेसर के. टी. शाह ने प्रतिस्थापन के लिए संशोधन संख्या *293* का प्रस्ताव रखा

ख-खंड *(क)* और *(ख)* निम्नानुसार हैं:

"सार्वजनिक उपयोग या रिसॉर्ट का कोई स्थान, पूरी तरह से या आंशिक रूप से बनाए रखा गया
राज्य के राजस्व से, या किसी भी तरह से सहायता प्राप्त,

राज्य या स्थान द्वारा मान्यता प्राप्त, प्रोत्साहित या संरक्षित

स्कूलों, कॉलेजों जैसे आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित, पुस्तकालय, मंदिर, अस्पताल, होटल और रेस्तरां, स्थान

सार्वजनिक मनोरंजन, मनोरंजन या मनोरंजन, जैसे थिएटर और सिनेमा-घर या संगीत कार्यक्रम-हॉल; सार्वजनिक उद्यान, उद्यान

या संग्रहालय; सड़कें, कुएं, तालाब या नहरें; पुल, चौकी और

तार, रेलवे, ट्रामवे और बस सेवाएँ; और

जैसे। " *24*

(जोर दिया गया*)*

भारत का संविधान, संविधान सभा की मसौदा समिति

ए *(*मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली, *1948)* एच. टी. पी. पर उपलब्ध है: //

139.60.114 : 8080 / जेएसपीयूआई/बिटस्ट्रीम/*123456789/966/7 /*

मौलिक*% 20* अधिकार*% 20% 285-12% 29.*पीडीएफप्रोफेसर के. टी. शाह का सीमेंट, संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर, *2010)*

3)

उपराष्ट्रपति ने संशोधन संख्या *296* को मतदान के लिए लिया, जिसे उपखंड *(ए)* को जोड़ने के लिए पेश किया गया था। संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया थाः

"सार्वजनिक मनोरंजन के शब्दों के बाद शब्द या स्थान

पूजा को शामिल किया जाए "। *25*

(जोर दिया गया और आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

श्री तजामुल हुसैन द्वारा संशोधन संख्या *301* का भी प्रस्ताव किया गया था।

शामिल करने के लिए: "उपखंड *(ए)* के अंत में पूजा स्थल ", धर्मशाला और मुसाफिर खान"। *2 6 26*

इन सभी प्रस्तावों पर मतदान किया गया और संसद द्वारा खारिज कर दिया गया।

संविधान सभा। *27* सभा ने इसे शामिल नहीं करना उचित समझा

मसौदा अनुच्छेद *9* के दायरे में पूजा स्थल या मंदिर

संविधान।

"मंदिरों" और "पूजा स्थलों" को जानबूझकर हटाया जाना।

मसौदे के अनुच्छेद *9 (1)* पर उचित विचार किया जाना चाहिए। विद्वान न्यायमित्र की यह दलील कि सबरीमाला मंदिर को अनुच्छेद *15 (2)* के तहत 'सार्वजनिक आश्रय स्थलों' के दायरे में शामिल किया जाएगा, स्वीकार नहीं की जा सकती है।

10. धर्म को ध्यान में रखते हुए मामलों में न्यायालयों की भूमिका

10.1 . हमारी धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था के तहत धर्म और धार्मिक प्रथाओं से संबंधित मामलों में न्यायालयों की भूमिका सुरक्षा प्रदान करना है

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत उन प्रथाओं के लिए जिन्हें भक्तों या स्वयं धार्मिक समुदाय द्वारा "आवश्यक" या "अभिन्न" माना जाता है।

बिजोए इमैनुएल और ओआरएस में। वी. केरल राज्य और अन्य। *(* ऊपर*)*, इस न्यायालय ने नोट किया कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत विचार अप्रासंगिक हैं

यह सुनिश्चित करना कि क्या किसी विशेष धार्मिक विश्वास या प्रथा को अनुच्छेद *25 (1)* के तहत गारंटीकृत संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियां धर्म के मामलों में इस न्यायालय की वास्तविक भूमिका को समझने में उपदेशक हैं:

" 19 ..... हम यहाँ लाथम, सी. जे. की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं।

एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा 'ज़ विट्नेस *v.* द.

राष्ट्रमंडल, ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय का एक निर्णय

मुखर्जी द्वारा उद्धृत, जे. शिरूर मठ मामले में। लाथम,

सी. जे. ने कहा थाः

25 उपराष्ट्रपति का वक्तव्य, संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर, *1948) 26* श्री मोहम्मद का वक्तव्य। ताहिर, संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर,

1948)

27 संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर, *1948)*

एक युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

संविधान एक समुदाय के भीतर धर्म की रक्षा करता है।

एक संविधान के तहत संगठित, ताकि इस तरह के संरक्षण की निरंतरता अनिवार्य रूप से इस तरह से संगठित समुदाय की निरंतरता मान ले। इस दृष्टिकोण से धार्मिक स्वतंत्रता का व्यवस्थित सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करना संभव हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रमंडल संसद इस विश्वास में एक कानून पारित करती है कि यह ऑस्ट्रेलिया की शांति, व्यवस्था और अच्छी सरकार को बढ़ावा देगी।

न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर कोई विचार कि क्या संसद द्वारा वह प्रश्न सभी वास्तविकता को हटा देगा

संवैधानिक गारंटी। उस गारंटी का उद्देश्य विधायिका की कार्रवाई के क्षेत्र को सीमित करना है। व्याख्या

और गारंटी का आवेदन, हमारे तहत नहीं हो सकता है

संविधान, संसद पर छोड़ दिया जाए। यदि गारंटी का कोई वास्तविक महत्व होना है तो इसका अर्थ निर्धारित करने और इसका उल्लंघन करने वाले कानूनों की अयोग्यता घोषित करके और उन्हें लागू करने से इनकार करके इसे प्रभावी बनाने के लिए न्याय की अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए अदालतों के पास यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी होगी कि क्या किसी विशेष कानून को समुदाय के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक कानून के रूप में उचित रूप से माना जा सकता है, या क्या, दूसरी ओर, यह एक कानून है। किसी भी धर्म के स्वतंत्र अभ्यास को प्रतिबंधित करने के लिए।

लाथम, सी. जे. ने यू. आर. टी. की जिम्मेदारी के बारे में कहा है कि ई-अदालत के कार्य के बारे में हमने जो कहा है, वह मौलिक अधिकारों के दावे की गारंटी के साथ मेल खाता है।

· अनुच्छेद *25* सामने रखा गया है।

20 ..... रतिलाल के मामले में हम यह भी देखते हैं कि मुखर्जी, जे. ने डावर को उपयुक्त माना, जे. ने निम्नलिखित टिप्पणियों में कहाः

मशेद जी वी. सूनाबाईः

यदि ज़ोरोस्ट्रियन समुदाय का यह विश्वास है-एक धर्मनिरपेक्ष न्यायाधीश उस विश्वास को स्वीकार करने के लिए बाध्य है-उस विश्वास पर निर्णय में बैठना उसके लिए नहीं है, तो उसे उस दाता के विवेक में हस्तक्षेप

करने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने धर्म की उन्नति के पक्ष में उपहार देता है और अपने समुदाय या मानव जाति का कल्याण।

ई. डावर द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, इस प्रश्न पर जे. का अवलोकन यह नहीं है कि क्या कोई विशेष धार्मिक विश्वास *[2018] 9* एस. सी. आर.

वास्तव में और कर्तव्यनिष्ठा से एक भाग के रूप में आयोजित किया जाता है

धर्म का पेशा या अभ्यास। हमारे व्यक्तिगत विचार और

प्रतिक्रियाएँ अप्रासंगिक हैं। यदि विश्वास वास्तविक है और

ईमानदारी से यह माना जाता है कि यह अनुच्छेद *25* के संरक्षण को आकर्षित करता है, लेकिन निश्चित रूप से, इसमें निहित अवरोधों के अधीन है।

(जोर दिया गया; आंतरिक उद्धरण और फुटनोट हटा दिए गए*)*

10.2 . इस समय दरगाह समिति, अजमेर में न्यायाधीश गजेंद्रगडकर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर विचार करना उचित होगा।

& एन. आर. वी. सैयद हुसैन अली और अन्य। *(* ऊपर*)*, और तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज आदि। राजस्थान राज्य और अन्य। *(* ऊपर*)*। दरगाह समिति में, अजमेर और अन्र। वी. सैयद हुसैन अली और अन्य। *(* ऊपर*)*, एक संदर्भ दिया गया था कि अंधविश्वास से उत्पन्न होने वाली प्रथाएं *"...* उस अर्थ में बाहरी हो सकती हैं, और स्वयं धर्म में अनावश्यक वृद्धि हो सकती हैं।"

इसी तरह तिलकायत में श्री गोविंदलालजी महाराज आदि। राजस्थान राज्य और अन्य। *(* ऊपर*)*, वरिष्ठ अधिवक्ता जी. एस. पाठक ने एडिलेड में लाथम, सी. जे. के बयान पर भरोसा करते हुए एक तर्क दिया था।

कंपनी ऑफ जेहोवा 'ज़ विट्नेस इनकॉर्पोरेटेड *v.* राष्ट्रमंडल

(ऊपर*)* कि *".* एक के लिए जो धर्म है वह दूसरे के लिए अंधविश्वास है।" *29* इस तर्क को गजेंद्रगडकर, जे. ने *".....* *30*

श्री एच. एम. सीरवई, जाने-माने संवैधानिक विशेषज्ञ और न्यायविद

'भारत का संवैधानिक कानून' शीर्षक से उनका मौलिक ग्रंथः 'ए क्रिटिकल कमेंटरी' ने टिप्पणी की है कि गजेंद्रगडकर, जे. ने दरगाह समिति, अजमेर और अन्र में टिप्पणी की है। वी. सैयद हुसैन अली और अन्य। *(* ऊपर*)* आज्ञाकारी हैं। यह मुखर्जी, जे. इन की टिप्पणियों से असंगत है।

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ का पिछला निर्णय। श्री शिरूर मठ *(*ऊपर*)* के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी और रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम में पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ। बॉम्बे राज्य *& Ors.*[31] *31.* श्री सीरवई निम्नलिखित टिप्पणी करते हैं:

28 (1962) 1 एससीआर *383:* ए. आई. आर *1961* एस. सी. *1402:* पैराग्राफ *33 29 (1964) 1* एस. सी. आर. *561:* ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1638,* पैराग्राफ *59 30 (1964) 1* एस. सी. आर. *561:* ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1638,* पैराग्राफ *59 31 1954* एस. सी. आर. *1055:*

एयर *1954* एससी *388 [*डी. आई. ए. एन. यंग लॉयर्स ए. एस. एस. एन.। वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

" 12.18 ..... हालाँकि ऐसा करना पूरी तरह से अनावश्यक था,

गजेंद्रगडकर, जे. ने कहाः

..... यह संयोग से सावधानी बरतने के लिए जगह से बाहर नहीं हो सकता है और यह ध्यान रखें कि अभ्यास में

प्रश्न को धर्म के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए, उन्हें उक्त धर्म द्वारा अपने आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए; अन्यथा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथाएं जो धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं हैं, वे भी धार्मिक रूप से पहने जाने के लिए उपयुक्त हैं और अनुच्छेद *26* के अर्थ के भीतर धार्मिक प्रथाओं के रूप में माने जाने का दावा कर सकते हैं। इसी तरह, भले ही धार्मिक प्रथाएं केवल अंधविश्वासों से उत्पन्न हुई हों और इस मायने में धर्म के लिए बाहरी और अनावश्यक वृद्धि हो सकती हैं। जब तक ऐसी प्रथाओं को किसी धर्म का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं पाया जाता है, तब तक अनुच्छेद *26* के तहत संरक्षण के लिए उनके दावे की सावधानीपूर्वक जांच की जा सकती है; दूसरे शब्दों में, संरक्षण को सीमित किया जाना चाहिए।

ऐसी धार्मिक प्रथाओं के लिए जो एक आवश्यक और एक

इसका अभिन्न अंग और कोई अन्य नहीं।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आदेशदाता शिरूर मठ मामले में न्यायमूर्ति मुखर्जी के फैसले के सीधे विपरीत है और न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करता है

जो अनिवार्य रूप से धर्म का मामला है, उस पर संप्रदाय। द.

अंधविश्वास प्रथाओं का संदर्भ केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता के एक वर्ग के लिए जो अंधविश्वास है वह दूसरे के लिए मौलिक धार्मिक विश्वास का विषय हो सकता है। इस प्रकार, लगभग *300* वर्षों तक एक वसीयतकर्ता की आत्मा के लिए जनता के लिए वसीयतों को अंधविश्वासी उपयोगों के रूप में शून्य माना गया था, जब तक कि बॉर्न बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा उस दृष्टिकोण को खारिज नहीं कर दिया गया था। कीन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस में निहित प्रावधानों जैसे प्रावधानों द्वारा संरक्षित धर्म के अभ्यास से निपटने में। *116* , राष्ट्रमंडल

ऑस्ट्रेलिया अधिनियम या हमारे संविधान के अनुच्छेद *26 (*बी*)* में, लाथम सी. जे. की टिप्पणियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहले उद्धृत किया गया है, अर्थात्, उन प्रावधानों को धर्म के सभी पहलुओं के संबंध में काम करने के रूप में माना जाना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के सत्य के बारे में समुदाय में अलग-अलग राय हो।

विशेष धार्मिक सिद्धांत या आचरण की अच्छाई किसी विशेष धर्म द्वारा या *[2018] 9* एस. सी. आर. के औचित्य के बारे में निर्धारित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गजेंद्रगडकर जे. ने भी दरगाह समिति के मामले में रतिलाल में जे. मुखर्जी की टिप्पणियों के साथ असंगत

गाँधी मामला, कि निर्णय जमशेदजीव में। सूनाबाई

द्वारा दिए गए संरक्षण के उपाय का संकेत दिया गया

अनुच्छेद *26 (*बी*) "*। *3 2*

(जोर दिया गया*)*

श्री सीरवई ने तिलकायत में इस न्यायालय की टिप्पणियों की भी आलोचना की

गोविंदलालजी महाराज आदि। राजस्थान राज्य और अन्य। *(* ऊपर*)* निम्नः

" 12.66 तिलकायत में श्री गोविंदलालजी बनाम। राजस्थान

जे. गजेंद्रगडकर ने फिर से आर्ट्स के तहत अधिकारों का विज्ञापन किया। *25 (1)* और *26 (*बी*)* और कहा कि अगर एक मामला स्पष्ट था

के आधार पर एक धार्मिक प्रथा होने के अपने दावे को अस्वीकार करना अतार्किक विचार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तविक प्रश्न

क्या धार्मिक संप्रदाय इसे एक के रूप में देखता है

इसके धर्म का अनिवार्य हिस्सा, और यह कितना भी तर्कहीन क्यों न हो

उन व्यक्तियों को दिखाई देता है जो उस धार्मिक विश्वास को साझा नहीं करते हैं, मूल्यवर्ग का दृष्टिकोण प्रबल होना चाहिए, क्योंकि, यह एक के लिए खुला नहीं है

अदालत को तर्कहीन के रूप में वर्णित करने के लिए जो एक का हिस्सा है

संप्रदाय का धर्म। मामले में वास्तविक निर्णय, कि

संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार एक धर्मनिरपेक्ष मामला था, है

सही है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि, जैसा कि मुखर्जी जे. ने बताया है,

कला. *26 (* ख*)* जब कला के साथ तुलना की जाती है। *26 ((c)* और *(d)* प्रदर्शन

कि धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के मामले अलग हैं और

किसी धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन से अलग

मूल्यवर्ग। धार्मिक मान्यताओं और मान्यताओं के बीच अंतर

ऐसे अभ्यास जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और प्रबंधन

एक धार्मिक संप्रदाय की संपत्ति जो हो सकती है एक सीमित सीमा तक नियंत्रित, अनुच्छेद द्वारा ही मान्यता प्राप्त है

और इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन यह अंतर प्रासंगिक नहीं है

सवाल यह है कि क्या एक धार्मिक प्रथा अपने आप में तर्कहीन है या धर्मनिरपेक्ष "। *33*

(जोर दिया गया*)*

I. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानूनः ए क्रिटिकल कमेंटरी, वॉल्यूम। *II (*चौथा संस्करण, *rint 1999),* पी पर अनुच्छेद *12.18*। *1267-1268*

पी पर अनुच्छेद *12.66* पर।

1283 डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

जे. डंकन एम. डेरेट, ओरिएंटल लॉज के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर, अपनी पुस्तक में "आवश्यक अभ्यास परीक्षण" को लागू करने में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं।

'आधुनिक भारत में धर्म, कानून और राज्य' शीर्षक इस प्रकार हैः

"दूसरे शब्दों में अदालतें यह निर्धारित कर सकती हैं कि एक अभिन्न अंग क्या है।

धर्म का हिस्सा क्या है और क्या नहीं है। आवश्यक शब्द अब इसमें है

इस उद्देश्य के लिए परिचित उपयोग। जैसा कि हम वहाँ एक संदर्भ होगा

जिसे धार्मिक समुदाय को निर्धारित करने की स्वतंत्रता है जो उसके विश्वास और व्यवहार के लिए 'आवश्यक' है, लेकिन व्यक्ति को यह निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है कि उसके धर्म के लिए क्या आवश्यक है,

यदि यह अन्यथा था और यदि कानून ने कोई सुरक्षा दी थी

इस आधार पर निर्धारित धर्म की रक्षा करने की राज्य की शक्ति

और सीधे अंत में होगा। इसलिए, अदालतें कर सकती हैं

कुछ भी गैर-आवश्यक के रूप में त्याग दें जो उनके लिए साबित नहीं होता है संतुष्टि-और वे धार्मिक नेता या किसी में नहीं हैं

इसके परिणामस्वरूप इसका कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं होगा। संविधान स्वतंत्र रूप से प्रचार करने, अभ्यास करने के लिए नहीं कहता है और

धर्म की अनिवार्यताओं का प्रचार करें, लेकिन यह इस तरह है

समझा जाता है "। *34*

(जोर दिया गया और आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

10.3 . रेजिना बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। के लिए राज्य सचिव

ए. टी. आई. एन. एंड एम्प्लॉयमेंट एंड *Ors.35* ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को अभिनिर्धारित मान्यताओं की वैधता या वैधता की जांच नहीं करनी चाहिए।ई वस्तुनिष्ठ मानकों या तर्कसंगतता का आधार। प्रासंगिक उद्धरण

हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"एक की पहचान करने में अदालत की भूमिका को स्पष्ट करना पहले आवश्यक है

अनुच्छेद *9* के तहत सुरक्षा का आह्वान करने वाला धार्मिक विश्वास। कब दावेदार के घोषित विश्वास की वास्तविकता एक मुद्दा है

अदालत जिन कार्यवाही की जांच करेगी और इस पर फैसला करेगी तथ्य के प्रश्न के रूप में। यह एक सीमित जांच है। न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए चिंतित है कि धार्मिक विश्वास का दावा किया जाए

अच्छे विश्वास सेः न तो काल्पनिक, न ही मनमौजी, और यह है कि

सिंडिकेट में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में नॉर्थक्रेस्ट वी. एम्सेलेम *(2004) 241* डी. एल. आर. *(*चौथा*) 1,27*, पैरा *52*।

लेकिन, स्पष्ट रूप से, यह न्यायालय के लिए शुरू करने के लिए नहीं है

अनकन एम. डेरेट, धर्म, कानून और भारत में राज्य *(1968)*, पी।

विचाराधीन धर्म या दावेदार का विश्वास किस हद तक है
दूसरों के विचारों के अनुरूप या उनसे अलग है

एक ही धर्म। धर्म की स्वतंत्रता अधीन विश्वास की रक्षा करती है।

एक व्यक्ति से। जैसा कि न्यायमूर्ति इयाकोबुची ने भी पृष्ठ *28* पर उल्लेख किया है, पैरा

54 , धार्मिक विश्वास अत्यधिक व्यक्तिगत है और आसानी से बदल सकता है।

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है।

अपनी धार्मिक मान्यताओं को बनाए रखना, चाहे वह कितना भी तर्कहीन हो या
वे कुछ लोगों को असंगत लग सकते हैं, चाहे वे कितने भी आश्चर्यजनक क्यों न हों। द.

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि

सिद्धांत, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जैसा कि में समझा गया है

कन्वेंशन राज्य द्वारा किसी भी सराहना को खारिज करता है

धार्मिक मान्यताओं की वैधता या जिस तरीके से ये

व्यक्त किए जाते हैंः मेट्रोपॉलिटन चर्च ऑफ बेसाराबिया बनाम मोल्डोवा
(2002) 35 ई. एच. आर. आर. *303,335,* पैरा *117*। की प्रासंगिकता

स्रोत सामग्री जैसे वस्तुनिष्ठ कारक, अधिक से अधिक, यह है कि वे

यह इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि क्या घोषित विश्वास वास्तव में है
आयोजित किया गया। ”

(जोर दिया गया और आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

10.4 . एडी सी. थॉमस बनाम। समीक्षा बोर्ड ऑफ द इंडियाना

रोजगार सुरक्षा प्रभाग, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट निपट रहा था

एक ऐसे मामले के साथ जहां याचिकाकर्ता, जिसने अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण अपनी नौकरी समाप्त कर दी थी, जिसने उसे उत्पादन कृषि में भाग लेने से मना किया था, को राज्य द्वारा बेरोजगारी मुआवजे के लाभों से वंचित कर दिया गया था। न्यायालय ने नोट किया कि एक योग्य विश्वास या अभ्यास का निर्धारण एक बहुत ही "कठिन और नाजुक कार्य" है, और एक संवैधानिक न्यायालय की भूमिका के बारे में निम्नानुसार कहा गया हैः

..... धार्मिक विश्वास या प्रथा क्या है इसका निर्धारण

यह अक्सर एक कठिन और नाजुक काम नहीं होता है। हालांकि,

उस प्रश्न का समाधान न्यायिक नहीं है।

विचाराधीन विशेष विश्वास या अभ्यास की धारणा;

धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार्य, तार्किक, सुसंगत होने की आवश्यकता नहीं है।

या प्रथम संशोधन के योग्य होने के लिए दूसरों के लिए समझने योग्य

संरक्षण।

450 अमेरिका *707 (1981)*

डायन यंग लॉयर्स ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

..... ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियाना अदालत ने भी महत्वपूर्ण बात कही है।

इस तथ्य को महत्व दें कि एक अन्य यहोवाह के गवाह के पास कोई नहीं था

टैंक बुर्जों पर काम करने के बारे में संदेह; उस दूसरे गवाह के लिए,

कम से कम, ऐसा काम शास्त्रों के अनुसार स्वीकार्य था। अंतर्विश्वास

एक विशेष पंथ का, और न्यायिक प्रक्रिया एकल है संबंध में इस तरह के मतभेदों को हल करने के लिए तैयार नहीं

धार्मिक खंड। विशेष रूप से इस संवेदनशील क्षेत्र में, यह नहीं है

न्यायिक कार्य और पूछताछ करने की न्यायिक क्षमता के भीतर चाहे याचिकाकर्ता या उसका साथी कर्मचारी अधिक सही ढंग से

उनके सामान्य विश्वास की आज्ञाओं को समझा। अदालतें हैं

धर्मशास्त्रीय व्याख्या के मध्यस्थ नहीं। "

(जोर दिया गया; आंतरिक उद्धरण, और फुटनोट हटा दिए गए*)*

इस दृष्टिकोण को यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था

विंग निर्णयः

- संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। एडविन डी. ली *3 7*, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

  यह न्यायिक कार्य और न्यायिक कार्य के भीतर नहीं है।

  हालाँकि, यह निर्धारित करने की क्षमता कि अपीलार्थी है या नहीं

  सरकार के पास अमीश की उचित व्याख्या है

  आस्था; अदालतें धर्मग्रंथ की व्याख्या के मध्यस्थ नहीं हैं।

  " 9

  (जोर दिया गया; आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

- रॉबर्ट एल. हर्नांडेज़ बनाम। आंतरिक राजस्व आयुक्त *3 8,*

जिसमें न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"..... केंद्रीयता पर सवाल उठाना न्यायिक व्यवस्था के दायरे में नहीं है

किसी विश्वास या वैधता के लिए विशेष मान्यताओं या प्रथाओं का

उन पंथों की विशेष वादियों की व्याख्याएँ।

(जोर दिया गया; आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

रोजगार प्रभाग, मानव संसाधन विभाग

ओरेगन बनाम। अल्फ्रेड एल. स्मिथ *3 9*, जिसमें स्कैलिया, जे. ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया हैः

"..... न्यायाधीशों के लिए यह निर्धारित करना अधिक उचित नहीं है कि
बाध्यकारी नियम लागू करने से पहले धार्मिक मान्यताओं की केंद्रीयता

मुक्त व्यायाम क्षेत्र में ब्याज परीक्षण, इसके लिए होगा

अमेरिका *252 (1982)*

अमेरिका *680 (1989)*

अमेरिका *872 (1990)*

[2018] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्हें लागू करने से पहले विचारों के महत्व को निर्धारित करना

स्वतंत्र भाषण के क्षेत्र में सम्मोहक रुचि परीक्षण। क्या*?*

कानून या तर्क के सिद्धांत को सहन किया जा सकता है

एक आस्तिक के दावे का खंडन करें कि एक विशेष कार्य है

उसके व्यक्तिगत विश्वास के केंद्र में*?* की केंद्रीयता का आकलन करना

विभिन्न धार्मिक प्रथाएं अस्वीकार्य के समान हैं।

विभिन्न के सापेक्ष गुणों का मूल्यांकन करने का व्यवसाय

धार्मिक दावे। जैसा कि हमने केवल पिछले कार्यकाल की पुष्टि की है, यह नहीं है

की केंद्रीयता पर सवाल उठाने के लिए न्यायिक केन के भीतर

किसी विश्वास के लिए विशेष विश्वास या अभ्यास, या इसकी वैधता

उन लोगों की विशेष वादियों की व्याख्याएँ

पंथ। बार-बार और कई अलग-अलग संदर्भों में हमने चेतावनी दी है कि अदालतों को स्थान निर्धारित करने के लिए अनुमान नहीं लगाना चाहिए

किसी धर्म में किसी विशेष विश्वास या किसी धर्म की संभाव्यता

धार्मिक दावा "।

(जोर दिया गया*;* आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

10.5 . बिजॉय इमैनुएल एंड ओआरएस में चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. की टिप्पणियाँ। वी. केरल राज्य और अन्य। *(* उपर्युक्त*)* अनुच्छेद *25* के तहत दिए गए संरक्षण की प्रकृति और उसकी व्याख्या करने में न्यायालय की भूमिका को समझने में शिक्षाप्रद हैं। चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. की राय से प्रासंगिक उद्धरण नीचे निकाला गया है:

" 18. अनुच्छेद *25* संविधान में विश्वास का एक अनुच्छेद है।

इस सिद्धांत की मान्यता में शामिल किया गया है कि वास्तविक परीक्षण

एक सच्चे लोकतंत्र की क्षमता एक महत्वहीन की भी होती है।

देश के संविधान के तहत अपनी पहचान खोजने के लिए अल्पसंख्यक। अनुच्छेद *25* की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखना होगा।

10.6 . के निर्णय से निम्नलिखित उद्धरणों का संदर्भ

खेहर, सी. जे. आई. शायरा बानो बनाम. भारत संघ *& Ors.40* भी है धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं से संबंधित मामलों में न्यायालयों की भूमिका के संबंध में निर्देशात्मक:

" 389. यह समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरह की चुनौती है। विभिन्न तर्कवादी प्रथाओं पर हमला करके उठाया जाएगा

विभिन्न आधारों पर विश्वास, सभी प्रकार के प्रबुद्ध लोगों पर आधारित

संवेदनाएँ। हमें सावधान रहना होगा ताकि हम अपना विवेक न पा सकें

धार्मिक प्रथाओं के हर नुक्कड़ और कोने में पार करते हुए, और व्यक्तिगत कानून। क्या एक न्यायपूर्ण आधार पर एक अदालत हो सकती है

40 (2017) 9 एस. सी. सी. *1.* युवा वकील एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

प्रयास करें, घोषणा करें कि विश्वास की बात को बदल दिया जाए, या

पूरी तरह से समाप्त?..... इस ज्ञान से उभर रहा है

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय स्पष्ट हैं, अर्थात्

धार्मिक दायरे में आने वाले मुद्दों की जांच करते हुए

प्रैक्टिस या पर्सनल लॉ, यह अदालत के लिए नहीं है कि वह

किसी ऐसी चीज़ का चुनाव करना जिसे वह दूरदर्शी मानता है।

या गैर-कट्टरपंथी। यह तय करना किसी अदालत का काम नहीं है

धार्मिक प्रथाएं विवेकपूर्ण थीं या प्रगतिशील या

प्रतिगामी। धर्म और व्यक्तिगत कानून को इस रूप में माना जाना चाहिए यह आस्था के अनुयायियों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

*(*जोर दिया गया और आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

10.7. के सहमत निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण

नप्पा रेड्डी, जे. एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ और अन्य। *(*ऊपर*)* है

न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में नहीं, जबकि धर्म से संबंधित मामलों के बारे में:

"2 ..... कुछ लोगों के लिए जो धर्म है वह दूसरों के लिए शुद्ध हठधर्मिता है और क्या

दूसरों के लिए धर्म कुछ अन्य लोगों के लिए शुद्ध अंधविश्वास है। लेकिन धर्म के बारे में मेरे विचार, मेरे पूर्वाग्रह और मेरी प्राथमिकताएँ,

यदि वे ऐसे हैं, तो वे पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। इस तरह के हैं विचार

विश्वसनीय, कट्टर, कट्टर और उत्साही। तो यह भी विश्वासी, भक्त, आचार्य, मौलवी, के विचार

पाद्रे और भिक्षु जिनमें से प्रत्येक अपने होने का दावा कर सकते हैं

केवल सच्चा या प्रकट धर्म। हम अपने उद्देश्य के लिए

समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोगों के बारे में क्या,

भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य, जिन्होंने अपने प्रत्येक

नागरिकों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने का अधिकार,

धर्म का पालन और प्रचार करें और जिन्होंने सब कुछ दिया है

धार्मिक संप्रदाय स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक प्रबंधन का अधिकार

धर्म और धार्मिक अभिव्यक्तियों से मतलब

मूल्यवर्ग। हम इन अभिव्यक्तियों से चिंतित हैं संविधान के अनुच्छेद *25* और *26* के अर्थ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

विवेक से जुड़ी कोई भी स्वतंत्रता या अधिकार स्वाभाविक रूप से होना चाहिए।

एक व्यापक व्याख्या और अभिव्यक्ति धर्म प्राप्त करें और इसलिए धार्मिक संप्रदाय की व्याख्या नहीं में की जानी चाहिए।

संकीर्ण, दबाने वाली भावना लेकिन एक उदार, विस्तृत तरीके से।

(जोर दिया गया और आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

10.8 . संविधान सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देता है।

कानून बनाना। इसलिए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* किसी वास्तविक विधान के संदर्भ के बिना लागू करने में सक्षम है। क्या*?*

अनुच्छेद *25 (2)* द्वारा अनुमति दी गई है जो उसमें निर्दिष्ट आधारों पर राज्य द्वारा बनाई गई कानून है, न कि न्यायिक हस्तक्षेप। *10.9 .* वर्तमान मामले में, *1965* का अधिनियम अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के अनुसरण में बनाया गया एक कानून है जो हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थलों को खोलने का प्रावधान करता है। *1965* के अधिनियम की धारा *3* के परंतुक में धार्मिक संप्रदायों या संप्रदायों के संबंध में धारा *3* में निहित सामान्य नियम की प्रयोज्यता के लिए एक अपवाद बनाया गया है, ताकि बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के उनके अधिकार की रक्षा की जा सके।

नियम *3 (*बी*)* धारा *3* के परंतुक को प्रभावी बनाता है क्योंकि यह ऐसे समय में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का प्रावधान करता है जब उन्हें प्रथा या उपयोग से सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

10.10 . उत्तरदाता पूजा करने के अधिकार का दावा करते हैं

सबरीमाला मंदिर अनुच्छेद *25 (1)* के तहत उनके धर्म के सिद्धांतों के अनुसार उनकी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार है। इन प्रथाओं को उस मंदिर के लिए आवश्यक या अभिन्न माना जाता है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में भगवान अयप्पा की पूजा करने के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा गारंटीकृत उनके अधिकार के साथ संघर्ष करेगा।

10.11 . अन्य क्षेत्राधिकारों में भी, जहां राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर चुनौती दी गई थी, न्यायालयों ने इससे परहेज किया है इसे इस आधार पर निरस्त करना कि यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे है।

10.12 . उदाहरण के लिए, चर्च ऑफ लुकुमी बाबलू आय बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय। हियालिया शहर, *4 1* एक पशु क्रूरता कानून

सिटी काउंसिल को फ्री एक्सर्साइज क्लॉज के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने कहाः

41 508 अमेरिका *520 (1993)*

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

"मुक्त व्यायाम खंड किस हद तक आवश्यक है

सरकार धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालने से बचेगीः परिभाषा

हमारे संबंधों से कुछ भी कम नहीं

व्यक्ति से सरकार का संवैधानिक लोकतंत्र,

और भगवान के लिए। 'तटस्थ, आम तौर पर लागू होने वाले कानून, के रूप में तैयार किए गए

भगवान और सरकार के बीच। हमारे मामले अब मौजूद हैं
प्रश्न के प्रतिस्पर्धी उत्तर जब सरकार, जबकि

धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों का पीछा करना किसी चीज़ की अवज्ञा करने के लिए मजबूर कर सकता है

धर्म के आदेशों पर विश्वास करता है।

(जोर दिया गया*)*

10.13 . धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए

क्योंकि न्यायालय किसी देवता की पूजा के रूप के संबंध में अपनी नैतिकता या तर्कसंगतता को लागू नहीं कर सकता है। ऐसा करने से अपने विश्वास और मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को नकार दिया जाएगा। यह धर्म, आस्था और मान्यताओं को तर्कसंगत बनाने के बराबर होगा, जो अदालतों के दायरे से बाहर है।

11. एक प्रतिभूति में धर्म के मामलों में संवैधानिक नैतिकता

राजनीति

11.1 . याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्रतिबंध लगाने की प्रथा

एक विशेष आयु वर्ग की महिलाएं समानता और गैर-भेदभाव के अंतर्निहित विषय के विपरीत हैं, जो संवैधानिक नैतिकता के विपरीत है। *1965* के नियमों के नियम *3 (*बी*)* को संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई है।

11.2 . भारत विविध धर्मों, पंथों का देश है।

जिनमें से प्रत्येक संप्रदाय की अपनी आस्थाएँ, विश्वास और विशिष्ट प्रथाएँ हैं। धर्मनिरपेक्ष राजनीति में संवैधानिक नैतिकता प्रत्येक व्यक्ति, समूह, संप्रदाय या संप्रदाय की अपनी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को समझेगी।

11.3 . संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित है

इस देश में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है। संविधान के भाग *III* में अनुच्छेद *25* विवेक की स्वतंत्रता को एक

उन सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है जो स्वतंत्र रूप से अपने-अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार के समान रूप से हकदार हैं। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग *III* के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

अनुच्छेद *26* प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी संप्रदाय को संस्थानों की स्थापना और रखरखाव के अधिकार की गारंटी देता है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करें

11.4 . संविधान के निर्माता इस देश के समृद्ध इतिहास और विरासत से अवगत थे कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति है, जिसमें विभिन्न धर्म और आस्थाएं हैं, जिन्हें अनुच्छेद *25* और *26* के दायरे में संरक्षित किया गया था। राज्य हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी, सिवाय इसके कि द्वारा प्रदान किया गया था संविधान का अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)*, जहां राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है।

11.5 . संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा संविधान के पाठ को रेखांकित करने वाले नैतिक मूल्यों को संदर्भित करती है, जो संविधान के सही अर्थ का पता लगाने और उसमें विचार किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपदेशक हैं।

11.6 . बहुलवादी समाज और धर्मनिरपेक्ष राजनीति में संवैधानिक नैतिकता यह दर्शाती है कि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों को अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपने विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता है। यह अप्रासंगिक है कि अभ्यास तर्कसंगत है या तार्किक। अदालतों द्वारा धर्म के मामलों में तर्कसंगतता की धारणाओं को लागू नहीं किया जा सकता है।

11.7 . इस संप्रदाय या संप्रदाय के अनुयायी, जैसा भी मामला हो सकता है

प्रस्तुत करें कि सबरीमाला मंदिर में इस देवता के उपासकों को व्यक्तिगत रूप से भी अपने विश्वास के सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद *25 (1)* के तहत अपने धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित है।

11.8 . समानता और गैर-भेदभाव निश्चित रूप से संवैधानिक नैतिकता का एक पहलू है। हालाँकि, समानता और गैर की अवधारणा

धर्म के मामलों में भेदभाव को अलग से नहीं देखा जा सकता है। हमारी संवैधानिक योजना के तहत, एक ओर समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, और दूसरी ओर एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद *25* और *26* द्वारा गारंटीकृत आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता है। संवैधानिक नैतिकता के लिए ऐसे सभी अधिकारों के सामंजस्य या संतुलन की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को मिटाया या कमजोर नहीं किया गया है।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य में पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ। वी. प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारत और *Anr.42* ने भाग *III* के तहत गारंटीकृत विभिन्न मौलिक अधिकारों को संतुलित करने के लिए एक संस्थान के रूप में इस न्यायालय की भूमिका पर प्रकाश डाला था। यह नोट किया गया था कि:

"*25.* शुरुआत में, यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं है

केवल मौलिक अधिकारों के प्रहरी भी

संविधान। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी एकल मूल्य, चाहे जो भी ऊँचा हो, एक को बनाए रखने का पूरा बोझ वहन नहीं कर सकता है।
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। हमारे आधार पर

संवैधानिक प्रणाली कई महत्वपूर्ण मूल्य हैं, जो सभी हमारी स्वतंत्रता की गारंटी देने में मदद करते हैं, लेकिन उन तरीकों से जो कभी-कभी संघर्ष करते हैं। हमारे संविधान के तहत, शायद, कोई भी मूल्य निरपेक्ष नहीं हैं। इसलिए, सभी महत्वपूर्ण मूल्यों को अन्य महत्वपूर्ण और अक्सर प्रतिस्पर्धी मूल्यों के खिलाफ योग्य और संतुलित होना चाहिए।

इस न्यायालय के निर्णय में विभिन्न मौलिक अधिकारों को संतुलित करने की संवैधानिक आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ, विधि मंत्रालय और *Ors.4*[3]।

आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी आनंदप्रसादजी में

महाराज और ओआरएस। वी. गुजरात राज्य और एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद *26* के संदर्भ में कहा कि यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संतुलन बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार

दूसरों के मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ सामंजस्य में सह-अस्तित्व। यह न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों, धार्मिक संप्रदायों या संप्रदायों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करे और उनका पालन करे।

उनकी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार धर्म।

12. धार्मिक संप्रदायवाद

12.1 . संविधान का अनुच्छेद *26* प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव और प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

43 (2016) 7 एससीसी *221* *44 (1975) 1* एससीसी *11 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धर्म के मामलों में उनके अपने मामले। अनुच्छेद *26* के तहत प्रदत्त अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, न कि संविधान के भाग *III* के किसी अन्य प्रावधान के अधीन है।

12.2 . एक धार्मिक संप्रदाय या संगठन को यह तय करने के मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है कि कौन से संस्कार और समारोह आवश्यक हैं।

उस धर्म के सिद्धांतों के अनुसार। अनुच्छेद *26* के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होने के अधिकार के प्रयोग पर एकमात्र प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तरदाताओं का कहना है कि सबरीमाला मंदिर के भक्त एक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का गठन करते हैं और संविधान के अनुच्छेद *26* के तहत संरक्षण का दावा करने के हकदार हैं।

12.3 . अनुच्छेद *26* न केवल धार्मिक संप्रदायों को संदर्भित करता है, बल्कि उनके संप्रदायों को भी संदर्भित करता है। अनुच्छेद *26* इस बात की गारंटी देता है कि प्रत्येक धार्मिक

संप्रदाय या उसके संप्रदाय को अन्य बातों के साथ-साथ धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा। इस अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बनाया गया है।

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और अन्य उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा है कि सबरीमाला मंदिर के अनुयायी एक विशिष्ट आस्था, अच्छी तरह से पहचानी जाने वाली प्रथाओं वाले धार्मिक संप्रदाय का गठन करते हैं, जिनका पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है। इस मंदिर के उपासक इस विश्वास के सिद्धांतों का पालन करते हैं, और उन्हें "अय्यप्पन" के रूप में संबोधित किया जाता है।

1955 और *1956* में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं में सबरीमाला मंदिर के भक्तों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है - "अय्यप्पन "।

समान वाक्यांश को देखते हुए, केवल *27* नवंबर, *1956* की अधिसूचना तैयार संदर्भ के लिए नीचे दी गई है:

सूचना

सबरीमाला के पूजनीय पवित्र और प्राचीन मंदिर के प्रतिष्ठा *(*स्थापना*)* में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों के अनुसार, सामान्य व्रत का पालन नहीं करने वाले अयप्पनों के साथ-साथ परिपक्वता प्राप्त करने वाली महिलाओं को दर्शन *(*पूजा*)* के लिए उपरोक्त मंदिर में प्रवेश करने की आदत नहीं थी। लेकिन हाल ही में, ऐसा

लगता है कि इस प्रथा और अभ्यास से विचलन हुआ है। इस महान मंदिर की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखने और पिछली परंपराओं को बनाए रखने के लिए, यह किया जाता है

अधिसूचित किया कि अयप्पन जो सामान्य वृथम भारतीय युवा वकीलों ए. एस. एस. एन. का पालन नहीं करते हैं।

वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

(व्रत*)* को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता है

पदिनेत्तम्पडी और दस से दस वर्ष की आयु की महिलाएँ

पचास को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया है।

अम्बलपुड़ा

सहायक देवस्वोन आयुक्त "।

27-11 - '56

(जोर दिया गया*)*

सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के उपासक

एक साथ मिलकर एक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का गठन होता है, जैसा कि मामला हो सकता है, एक सामान्य विश्वास का पालन करें, और समान विश्वास और प्रथाएं रखें। ये मान्यताएँ और प्रथाएँ इस विश्वास पर आधारित हैं कि भगवान अयप्पा ने खुद को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट किया था। द. प्रथाओं में *41*-दिवसीय 'व्रतम' का अयप्पन द्वारा पालन करना शामिल है, जिसमें महिलाओं-लोगों से संयम और एकांत का पालन करना शामिल है, जिसमें किसी के जीवनसाथी, बेटी या अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। इस तीर्थयात्रा में पवित्र नदी पम्पा में स्नान करना और गर्भगृह की ओर जाने वाली *18* पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ना शामिल है।

10 से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं पर प्रतिबंध

मंदिर में प्रवेश करने को इस संदर्भ में समझना होगा।

12.4 . अभिव्यक्ति "धार्मिक संप्रदाय" जैसा कि में व्याख्या की गई है

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री शिरूर मठ *(*ऊपर*)* के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, "एक ही नाम के तहत एक साथ वर्गीकृत व्यक्तियों का एक संग्रह था: एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय जिसका एक सामान्य विश्वास और संगठन है और जिसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया गया है। *45* न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय या उप-संप्रदाय को एक धार्मिक संप्रदाय कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे संप्रदायों या उप-संप्रदायों का एक विशिष्ट नाम होता है।

12.5 . एस. पी. मित्तल बनाम भारत संघ और अन्य। *(* ऊपर*)*, यह न्यायालय,

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम में निर्णय पर भरोसा करते हुए। शिरूर मठ *(*उपरोक्त*)* के श्री लक्ष्मींद्र स्वामीयर तीर्थ स्वामीयर ने माना कि संविधान के अनुच्छेद *26* में 'धार्मिक संप्रदाय' शब्द को शब्द से अपना रंग लेना चाहिए।

'धर्म ', और यदि ऐसा है, तो' धार्मिक संप्रदाय 'अभिव्यक्ति को तीन शर्तों को पूरा करना चाहिएः

> *"80. (1)* यह उन व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए जिनके पास एक प्रणाली है।
>
> उन मान्यताओं या सिद्धांतों को जो वे अपने लिए अनुकूल मानते हैं
>
> आध्यात्मिक कल्याण, अर्थात एक सामान्य विश्वास;

45 1954 एस. सी. आर. *1005,* पैराग्राफ *15 [2018] 9* एस. सी. आर.

(2) सामान्य संगठन; और
(3) एक विशिष्ट नाम से पदनाम "।

12.6 . कुछ अलग नोट पर, अयंगर, जे. सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम। बॉम्बे राज्य *(*ऊपर*)* अपने अलग में

निर्णय, इस शब्द को इसके सिद्धांतों, पंथों और सिद्धांतों की पहचान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य उस विश्वास की एकता सुनिश्चित करना है जो इसके अनुयायी मानते हैं, और धार्मिक विचारों की पहचान जो उन्हें एक समुदाय के रूप में एक साथ बांधती है।

12.7 . आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मामले *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय द्वारा धार्मिक संप्रदाय को दिया गया अर्थ, और

बाद के मामले एक जलडमरूमध्य-जैकेट सूत्र नहीं है, बल्कि एक कार्यशील सूत्र है। यह यह पता लगाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या कोई समूह एक समूह के अंतर्गत आएगा।

धार्मिक संप्रदाय है या नहीं।

12.8 . यदि कोई स्पष्ट विशेषताएँ हैं कि कोई संप्रदाय मौजूद है, जिसे अपनी मान्यताओं और प्रथाओं से अलग होने के रूप में पहचाना जा सकता है, और

एक ही धर्म का पालन करने वाले अनुयायियों का संग्रह, इसे 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में पहचाना जाएगा।

इस संदर्भ में, एस. पी. मित्तल बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले में न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी के सहमति वाले फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। भारत संघ और अन्य। *(* उपर्युक्त*)* जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित धार्मिक संप्रदाय की न्यायिक परिभाषा, एक वैधानिक परिभाषा के विपरीत, केवल एक स्पष्टीकरण है। यह देखने के बाद कि विवेक से जुड़ी किसी भी स्वतंत्रता या अधिकार की

व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए, और 'धर्म' और 'धार्मिक संप्रदाय' की अभिव्यक्तियों की व्याख्या "उदार, व्यापक तरीके से" की जानी चाहिए:

"21 ..... अभिव्यक्ति धार्मिक संप्रदाय को कम कठिनाई के साथ परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, जे. मुखर्जी, से मूल्यवर्ग शब्द का अर्थ उधार लिया

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश और इसे धार्मिक को परिभाषित करने के लिए अपनाया गया

एक ही नाम के तहत एक साथ वर्गीकृत व्यक्तियों के संग्रह के रूप में संप्रदाय, एक धार्मिक संप्रदाय या निकाय जिसका एक सामान्य विश्वास और संगठन है और एक विशिष्ट संगठन द्वारा नामित किया गया है।

नाम। रामानुज के अनुयायी,

मध्वाचार्य, वल्लभ के अनुयायी, चिस्टिया सूफियों को अदालत द्वारा धार्मिक संप्रदाय पाया गया है या माना गया है। यह देखा जाएगा कि इन संप्रदायों के पास नहीं है

उनके संस्थापक को छोड़कर विशिष्ट नाम-शिक्षक और डायन यंग लॉयर्स एएसएसएन।

वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

एक अस्पष्ट, बिना बुने हुए संगठन के अलावा कोई विशेष संगठन नहीं था

एक. इनमें से प्रत्येक के बारे में वास्तव में विशिष्ट विशेषता

संप्रदाय शिक्षक द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों में एक साझा विश्वास था।

संस्थापक। हम यहाँ उल्लेख करने का ध्यान रखते हैं कि जो कुछ भी हो

एक धार्मिक संप्रदाय की सामान्य विशेषताएँ हो सकती हैं - माना जाता है, सभी समान महत्व के नहीं हैं और निश्चित रूप से

धार्मिक निकाय की आम आस्था अधिक महत्वपूर्ण है

अन्य विशेषताएँ। धार्मिक संप्रदाय को ऋणी नहीं होना चाहिए

धर्म धार्मिक संप्रदाय से अधिक कुछ नहीं हो सकता है। यह विशेष रूप से छोटे धार्मिक समूहों के मामले में ऐसा हो सकता है।

या धर्मों का विकास करना, अर्थात, धर्मों को प्रारंभिक रूप में

स्टेज "।

(आपूर्ति और आंतरिक उद्धरणों पर जोर दिया गया*)*

12.9 . उत्तरदाताओं ने एक मजबूत और प्रशंसनीय मामला बनाया है कि सबरीमाला मंदिर के उपासकों के पास एक विशेषता है

ous संप्रदाय, या उसका संप्रदाय, गिने गए कारणों के लिए

नीचेः

आई. सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के उपासक

यह एक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का गठन करता है, जैसा कि मामला हो सकता है, 'अय्यप्पन धर्म' का पालन करता है। उन्हें नामित किया गया है।

एक विशिष्ट नाम से जिसमें सभी पुरुष भक्तों को बुलाया जाता है 'अयप्पन '; *10* वर्ष से कम आयु और *50* वर्ष से अधिक आयु की सभी महिला भक्तों को 'मलिकपूर्णम 'कहा जाता है। ए.

सबरीमाला मंदिर की अपनी पहली यात्रा पर तीर्थयात्री को एक कहा जाता है

'कन्नी अयप्पन '। भक्तों को संदर्भित किया जाता है

अय्यप्पस्वामी के रूप में '। एक भक्त को व्रत शुरू करने से पहले 'व्रत' का पालन करना होता है, और आचार संहिता का पालन करना होता है।

'सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए 'पथिनेट्टु पडीकल'।

ii. भक्त मान्यताओं, रीति-रिवाजों और प्रयोगों और आचार संहिता के एक पहचान योग्य समूह का पालन करते हैं जो प्राचीन काल से प्रचलित हैं और एक सामान्य विश्वास में स्थापित हैं। द.

इस मंदिर में पालन की जाने वाली धार्मिक प्रथाएं इस विश्वास पर आधारित हैं कि भगवान ने खुद को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट किया है। इसी निष्ठा के कारण *10* से *50* वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

जैसा कि मामला हो सकता है, एक आचार संहिता का गठन करता है, जो इससे संबंधित आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन का एक हिस्सा है। तीर्थयात्रा। में प्रचलित रीति-रिवाजों और उपयोगों के अनुसार

सबरीमाला मंदिर, *41*-दिवसीय 'व्रतम' एक शर्त है

उत्तरदाताओं का कहना है कि मान्यताओं और प्रथाओं को उनके बाद स्वयं देवता द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है

पंडलम के राजा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। द. भगवान की शिक्षाएँ इस के स्थल पुराण में लिखी गई हैं।

मंदिर, जिसे 'भूतनाथ गीता' के नाम से जाना जाता है।

प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली प्रथा और उपयोग का संदर्भ

10 से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएँ

त्रावणकोर के सर्वेक्षण के संस्मरण में प्रलेखित और कोचीन राज्य *1893* में दो भागों में प्रकाशित हुए और

1901 लेफ्टिनेंट वार्ड और कॉनर द्वारा लिखित।

ii. इस मंदिर के पास विशाल भूमि संपत्तियाँ थीं जिनसे

राज्य, राज्य के खजाने से मंदिर को वार्षिकी का भुगतान करने के दायित्व के अधीन, जैसा कि त्रावणकोर के महाराजा द्वारा *12* अप्रैल *1922* को जारी की गई देवस्वम उद्घोषणा *47* से स्पष्ट है, जिस पर श्री जे. साई दीपक द्वारा निर्भरता रखी गई थी, अधिवक्ता।

जब पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य का संघ में विलय हुआ था भारत का, भूमि के लिए वार्षिकी का भुगतान करने का दायित्व

संपत्तियों को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था।

वी. मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा किया जाता है।

यह भारत की संचित निधि से धन प्राप्त नहीं करता है।

जो इसे 'राज्य' या 'अन्य प्राधिकरणों' का चरित्र देगा।

संविधान के अनुच्छेद *12* के तहत।

किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद *290* ए किसी भी तरह से हटा नहीं देता है सबरीमाला मंदिर का सांप्रदायिक चरित्र, या

अनुच्छेद *26* के तहत मौलिक अधिकार।

नोट *9*

यू आर आई, जे. साई दीपक द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ, साबू *(*प्रतिवादी संख्या *18)* और पीपल फॉर धर्म *(*हस्तक्षेपकर्ता*)* की ओर से विद्वान अधिवक्ता।

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

12.10 . यह मुद्दा कि क्या सबरीमाला मंदिर एक 'धार्मिक संप्रदाय' का गठन करता है, या इसका एक संप्रदाय, तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल है। यह कानून की दृष्टि से तुच्छ बात है कि तथ्य के प्रश्न का निर्णय रिट कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या एक निश्चित संप्रदाय एक धार्मिक

संप्रदाय का गठन करता है या नहीं, एक दीवानी अदालत द्वारा अधिक उचित रूप से निर्धारित किया जाएगा, जहां दोनों पक्षों को अपने मामले को स्थापित करने के लिए प्रमुख साक्ष्य का अवसर दिया जाता है।

आर्य व्यास सभा और अन्य में। वी. हिंदू धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों और बंदोबस्ती के आयुक्त, हैदराबाद

& ओआरएस। *48*, इस न्यायालय ने नोट किया था कि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को खुला छोड़ने में सही था कि क्या याचिकाकर्ताओं ने एक धार्मिक संगठन का गठन किया था। जमीन पर एक सक्षम दीवानी अदालत द्वारा निर्धारण के लिए मूल्यवर्ग

कि यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न था जिसे अनुच्छेद *226* के तहत कार्यवाही में उचित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

12.11. इस न्यायालय ने भक्तों के एक समूह के अधिकारों की पहचान एक ही मंदिर के संदर्भ में एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में की है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(ऊपर) में, मूल्की में श्री वेंकटरमण मंदिर को एक सांप्रदायिक मंदिर माना जाता था, और गौड़ा सरस्वती ब्राह्मणों को एक धार्मिक संप्रदाय माना जाता था।

इसी तरह, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। तमिलनाडु राज्य *(ऊपर)* पोधु दीक्षितरों को एक धार्मिक संगठन के रूप में आयोजित किया गया था।

श्री सबनायगर मंदिर के संदर्भ में मूल्यवर्ग

12.12. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि मंदिर में आने वाले लोग न केवल हिंदू धर्म से हैं, बल्कि अन्य धर्मों से भी हैं धर्म, इस मंदिर के उपासक एक अलग धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करेंगे।

इस तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अन्य धर्मों के मंदिरों में जाना असामान्य नहीं है।

यह अपने आप में इस मंदिर के उपासकों के अधिकार को नहीं खोएगा जो एक धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का गठन कर सकते हैं।

12.13. संविधान एक धर्मनिरपेक्ष समाज में विविध धर्मों, पंथों, संप्रदायों और संप्रदायों के सह-अस्तित्व के लिए एक स्थान सुनिश्चित करता है। यह आवश्यक है कि 'धार्मिक संप्रदाय' शब्द को एक

48 (1976) 1 एससीसी *292 [2018] 9* एस. सी. आर.

व्याख्या जो एक बहुलवादी समाज के संवैधानिक उद्देश्य को आगे बढ़ाती है।

13. आवश्यक व्यवहार दस्तावेज

इस न्यायालय ने खर्च वहन करने के लिए 'आवश्यक अभ्यास' परीक्षण लागू किया है

धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण।

13.1 . 'आवश्यक अभ्यास' परीक्षण में तैयार किया गया था

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री शिरूर मठ *(ऊपर)* के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी।

परीक्षण को स्पष्ट करने से पहले, इस न्यायालय ने "अभ्यास" शब्दों पर ध्यान आकर्षित किया

धर्म। ऐसा करने में, यह लैथम के निर्णय के एक उद्धरण पर निर्भर था, एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवा विट्नेस इनकॉर्पोरेटेड बनाम में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के सी. जे. राष्ट्रमंडल। *49* जिस मूल उद्धरण पर भरोसा किया गया है, उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*"5.*कभी-कभी इस विषय पर चर्चाओं में यह सुझाव दिया जाता है कि

धर्म की स्वतंत्रता जो, हालांकि नागरिक सरकार को चाहिए

जैसा कि वह किसी भी कार्य के साथ प्रसन्न होता है जो अनुसरण में किए जाते हैं
स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना धार्मिक विश्वास

धर्म। मुझे इसे बनाए रखना मुश्किल लगता है।

एस की व्याख्या के लिए प्रासंगिक अंतर। *116.* द.

खंड धर्म के अभ्यास को स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है, और

इसलिए इसका उद्देश्य किसी के संचालन से बचाना है

राष्ट्रमंडल कानून अधिनियम जो के अभ्यास में किए जाते हैं

धर्म। इस प्रकार यह धारा स्वतंत्रता की रक्षा करने से बहुत आगे जाती है।

राय की। यह धार्मिक अनुसरण में किए गए कार्यों की भी रक्षा करता है।

धर्म के हिस्से के रूप में विश्वास। "

(जोर दिया गया*)*

इसके बाद इस न्यायालय ने 'आवश्यक अभ्यास परीक्षण' तैयार किया।

निम्नलिखित शब्दों में:

"20 ..... धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है

मुख्य रूप से सिद्धांतों के संदर्भ में पता लगाया जाना है

वह धर्म स्वयं। यदि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांत
हिंदू निर्धारित करते हैं कि उन्हें भोजन चढ़ाया जाना चाहिए।

49 67 सी. एल. आर. *116* युवा वकील ए. एस. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

दिन के विशेष समय पर मूर्ति, वह आवधिक समारोह एक निश्चित तरीके से किए जाने चाहिए।

वर्ष की अवधि या कि दैनिक पाठ होना चाहिए

पवित्र ग्रंथ या पवित्र अग्नि के लिए भेंट, ये सभी होंगे

धर्म के अंग माने जाते हैं. वे सभी धार्मिक हैं

व्यवहार करता है और धर्म के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए

अनुच्छेद *26 (*बी*)* का अर्थ।

..... 23 . इसलिए अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत एक धार्मिक संप्रदाय है।

या संगठन को मामले में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है

यह तय करना कि कौन से संस्कार और समारोह आवश्यक हैं

प्राधिकरण के पास अपने निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र है ऐसे मामलों में।

(जोर दिया गया*)*

13.2 . रतिलाल में 'आवश्यक अभ्यास परीक्षण' को दोहराया गया था।

चंद गांधी बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *50 ,* कहाँ का

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई "धर्म" की परिभाषा थी

आर. डी. यह माना गया था कि सभी धार्मिक प्रथाएं या धार्मिक मान्यताओं से संबंधित कृत्यों का प्रदर्शन उतना ही धर्म का हिस्सा था जितना कि विश्वास।

विशेष सिद्धांतों में झूठ। इस न्यायालय ने 'आवश्यक' को दोहराया

आई. एस. ई. एस. परीक्षण निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 13 ..... इस प्रकार अगर जैन या पारसी धर्म के सिद्धांत निहित हैं

कि कुछ संस्कार और समारोह किए जाने हैं

कि ये धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ हैं जो वाणिज्यिक या आर्थिक चरित्र केवल इसलिए क्योंकि उनमें व्यय शामिल होता है।

पुरोहितों के धन या रोजगार या विपणन योग्य का उपयोग

वस्तुएँ। किसी भी बाहरी प्राधिकारी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि

किसी भी तरह से वे प्रशासन की आड़ में पसंद करते हैं ट्रस्ट एस्टेट। हम इस संबंध में अवलोकन का उल्लेख कर सकते हैं

जमशेद जी बनाम के मामले में डावर, जे। सूनाबाई और

हालाँकि वे एक ऐसे मामले में बनाए गए थे जहाँ प्रश्न था

क्या किसी पारसी वसीयतकर्ता द्वारा संपत्ति की वसीयत

मुक्ताद जैसे समारोहों के सतत उत्सव का उद्देश्य

4) एससीआर *1055:*

आकाशवाणी *1954* एससी *388 [2018] 9* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

थैला, विएज़ाश्री, आदि, जो ज़ोरोस्ट्रियन द्वारा स्वीकृत हैं

और यह निस्संदेह ज़ोरोस्ट्रियन का विश्वास साबित होता है समुदाय,-एक धर्मनिरपेक्ष न्यायाधीश उस विश्वास को स्वीकार करने के लिए बाध्य है

-

यह उसके लिए नहीं है कि वह उस विश्वास पर निर्णय में बैठे, उसके पास नहीं है एक दाता के विवेक में हस्तक्षेप करने का अधिकार जो एक

जिसे वह उन्नति मानता है, उसके पक्ष में उपहार

ये अवलोकन हमारी राय में एक संकेत देते हैं संरक्षण का उपाय जो हमारे संविधान के अनुच्छेद *26 (*बी*)* द्वारा दिया गया है

संविधान "।

(जोर दिया गया और आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया*)*

13.3 . दरगाह समिति में, अजमेर और अन्र। वी. सैयद हुसैन अली

^ एस। *(* ऊपर*),* 'आवश्यक अभ्यास परीक्षण' पर चर्चा की गई थी

निम्नलिखित शब्दों में शीर्षक पीठः

" 33 ..... जबकि हम इस बिंदु से निपट रहे हैं यह बाहर नहीं हो सकता है

संयोग से सावधानी बरतने और पालन करने के लिए जगह बनाएँ

ताकि विचाराधीन प्रथाओं का उपचार किया जाए

धर्म के एक भाग के रूप में उन्हें उक्त धर्म द्वारा माना जाना चाहिए इसके अनिवार्य और अभिन्न अंग के रूप में; अन्यथा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष भी।

अभ्यास जो एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं हैं

धर्म धार्मिक रूप धारण करने के लिए उपयुक्त है और हो सकता है

भीतर धार्मिक प्रथाओं के रूप में माने जाने का दावा करें

अनुच्छेद *26* का अर्थ। इसी तरह, अभ्यास भी करता है

धार्मिक आस्थाएँ केवल अंधविश्वासों से पैदा हुई होंगी।

और उस अर्थ में बाहरी और अनावश्यक हो सकता है

स्वयं धर्म में वृद्धि। जब तक ऐसी प्रथाएं नहीं पाई जाती हैं किसी धर्म का अनिवार्य और अभिन्न अंग बनने के लिए

अनुच्छेद *26* के तहत संरक्षण के लिए दावा करना पड़ सकता है

ऐसी धार्मिक प्रथाओं तक सीमित जो आवश्यक हैं और यह इसका अभिन्न अंग है और कोई अन्य नहीं।

(जोर दिया गया*)*

इस न्यायालय ने 'आवश्यक अभ्यास परीक्षण' की पुष्टि की जैसा कि में निर्धारित किया गया है

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, भारतीय युवा कानून संगठन में हमारे निर्णय।

वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

मद्रास बनाम. श्री शिरूर मठ *(*ऊपर*)* के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी और रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। *(* ऊपर*)* जहाँ तक यह आवश्यक या अभिन्न प्रथाओं की पहचान करने के लिए धर्मों की स्वायत्तता पर जोर देता है।

13.4 . तिलकायत में श्री गोविंदलालजी महाराज आदि। की स्थिति

राजस्थान और ओआरएस। *(* ऊपर*),* यह स्पष्ट किया गया था कि अदालतें हस्तक्षेप करेंगी जहां प्रतिस्पर्धी धार्मिक प्रथाओं के रूप में प्रतिद्वंद्वी विवादों के संबंध में परस्पर विरोधी सबूत पेश किए जाते हैं। यह माना गया था कि:

" 57. इस सवाल को तय करने में कि क्या एक दिया गया धार्मिक

अभ्यास धर्म का एक अभिन्न अंग है या नहीं, परीक्षा

हमेशा यह होगा कि क्या इसे इस तरह से माना जाता है
समुदाय धर्म का पालन करता है या नहीं। इस सूत्र में हो सकता है

कुछ मामलों में इसके संचालन में कठिनाइयाँ होती हैं। मामला ले लीजिए।

भोजन या परिधान के संबंध में एक अभ्यास। अगर एक दिए गए में

कार्यवाही करते हुए समुदाय का एक वर्ग दावा करता है कि जबकि
कुछ संस्कार करना सफेद पोशाक का एक अभिन्न अंग है

स्वयं धर्म, जबकि एक अन्य वर्ग का तर्क है कि पीला

सफेद पोशाक नहीं बल्कि पोशाक धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।

अदालत इस सवाल का फैसला कैसे करेगी*?* इसी तरह का विवाद
भोजन के संबंध में उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में जहां परस्पर विरोध हो

प्रतिद्वंद्वी विवादों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि -

न्यायालय प्रतिस्पर्धी धार्मिक प्रथाओं के लिए सक्षम नहीं हो सकता है

उस सूत्र के अंधे अनुप्रयोग द्वारा विवाद को हल करें जो

समुदाय तय करता है कि कौन सा अभ्यास एक अभिन्न अंग है

अपने धर्म के बारे में, क्योंकि समुदाय अधिक बात कर सकता है

इसलिए, एक से अधिक आवाज और सूत्र टूट जाएंगे।
इस सवाल का फैसला हमेशा अदालत को करना होगा।

और ऐसा करने में, न्यायालय को यह पूछताछ करनी पड़ सकती है कि क्या

विचाराधीन अभ्यास चरित्र में धार्मिक है, और यदि है,

क्या इसे एक अभिन्न या आवश्यक हिस्सा माना जा सकता है
धर्म, और ऐसे मुद्दे पर न्यायालय का निष्कर्ष

हमेशा उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा

समुदाय की अंतरात्मा और उसके सिद्धांतों के लिए

धर्म "।

(जोर दिया गया*)*

13.5 . बिजोए इमैनुएल और ओआरएस में। वी. केरल राज्य और अन्य।

(ऊपर), इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक धार्मिक प्रथा के लिए *[2018] 9* एस. सी. आर. प्राप्त करना है।

अनुच्छेद *25 (1)* के तहत संरक्षण इस तरह के अधिकारों का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा "वास्तव में" और "कर्तव्यनिष्ठा से" आयोजित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने नोट किया था कि इस प्रकार

धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को लगातार रखा जाना चाहिए और "मूर्खतापूर्ण" नहीं होना चाहिए, और "विकृति" से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हुए, इसने फिर से पुष्टि की कि हमारे देश का संवैधानिक ताना-बाना धार्मिक मान्यताओं की अनुमति देता है और

कार्लोस फ्रैंक बनाम में अलास्का के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना भी शिक्षाप्रद होगा। अलास्का राज्य *3 1* जिसमें उपयोग एक अंतिम संस्कार में मूस के मांस का सेवन, एक धार्मिक समारोह, को धर्म में गहराई से निहित एक प्रथा माना गया था, जो सबूतों के आधार पर किया गया था।

जिला न्यायालय के समक्ष। अदालत ने नोट किया था कि अलास्का राज्य किसी भी सम्मोहक हित का वर्णन करने में विफल रहा है जो इसकी कटौती को उचित ठहराएगा, जिसके परिणामस्वरूप मामले को फ्रैंक के खिलाफ मूस के मांस के गैरकानूनी परिवहन के लिए शिकायत को खारिज करने के निर्देशों के साथ रिमांड पर लिया गया था। न्यायालय ने फ्रैंक के धार्मिक विश्वास की ईमानदारी के महत्व को रेखांकित किया था और कहा था कि यह पर्याप्त होगा कि अमेरिकी संविधान के तहत मुक्त व्यायाम खंड का संरक्षण प्राप्त करने के लिए एक प्रथा धार्मिक विश्वास में गहराई से निहित हो।

इस मंदिर के धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया होगा। यदि किसी विशेष मंदिर में किसी भी प्रथा का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है, और यह मंदिर का अभिन्न अंग है, तो इसे उस मंदिर की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा माना जाना चाहिए। *13.7 .* मंदिर थंथरी, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, और भगवान अय्यप्पा के विश्वासियों ने कहा है कि *10* से *50* वर्ष की अधिसूचित आयु के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर सीमित प्रतिबंध, एक धार्मिक प्रथा है जो इस मंदिर के सिद्धांतों के लिए केंद्रीय और अभिन्न है, क्योंकि देवता ने खुद को 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में प्रकट किया है।

51 604 पी. *2* डी *1068 (1979)*

13.8 . महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा

10 से *50* वर्ष के आयु वर्ग को एस. महेंद्रन बनाम मामले में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष संविधान के अनुच्छेद *15,25* और *26* का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई थी। सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य। *(ऊपर)*।

न्यायालय ने माना कि यह मुद्दा कि क्या अभ्यास एक अभिन्न अंग थे

धर्म का हिस्सा या नहीं, यह साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना था। उच्च न्यायालय ने तिलकायत श्री गोविंदलजी महाराज बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। राजस्थान राज्य *(उपर्युक्त)*, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह प्रश्न कि क्या यह प्रथा धार्मिक है, और क्या इसे धर्म का एक अभिन्न या आवश्यक हिस्सा माना जा सकता है, धर्म के सिद्धांतों के संबंध में अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर करेगा।

उच्च न्यायालय ने माना कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध

10 से *50* वर्ष की आयु के बीच प्राचीन काल से प्रचलित प्रथा के अनुसार था, और अनुच्छेद *15* का उल्लंघन नहीं था,

25 , और संविधान के *26.*

एक धर्म नैतिकता की एक संहिता निर्धारित कर सकता है, और अनुष्ठान भी निर्धारित कर सकता है,

अनुष्ठान, समारोह और पूजा के तरीके। ये व्रत

और अनुष्ठानों को भी धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यदि किसी धर्म के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि कुछ समारोहों को एक विशेष तरीके से निश्चित समय पर किया जाना है, तो वे समारोह धर्म के मामले हैं, और उन्हें एक धार्मिक विश्वास के रूप में संरक्षित किया जाना है।

उच्च न्यायालय ने तीन लोगों की गवाही पर विचार किया

ऐसे व्यक्ति जिन्हें मंदिर की प्रथाओं के बारे में प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत जानकारी थी। उनमें से एक मंदिर की तत्कालीन थांत्री थी, जो मंदिर की प्रथाओं के बारे में आधिकारिक रूप से गवाही दे सकती थी। बिनि।

व्यक्तिगत

ज्ञान का विस्तार *40* वर्ष से अधिक की अवधि तक किया गया। दूसरे शपथ पत्र की पुष्टि अयप्पा सेवा संघम के सचिव ने की थी, जो *60* वर्षों की अवधि से मंदिर के नियमित तीर्थयात्री थे। पंडलम महल के एक वरिष्ठ सदस्य ने भी पालन की जाने वाली प्रथा और मंदिर का निर्माण करने वाले महल के सदस्यों के विचारों के बारे में गवाही दी। इन गवाहों की गवाही ने स्थापित किया कि अधिसूचित आयु वर्ग के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की प्रथा का पालन पिछली कई शताब्दियों से किया जा रहा था।

उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि इसे लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण है

मंदिर की थंत्री, *[2018] 9* एस. सी. आर. द्वारा अपदस्थ युवा महिलाओं पर प्रतिबंध।

अन्य गवाहों के साथ-साथ यह भी था कि सबरीमाला मंदिर में देवता 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में थे, जिसका अर्थ है एक छात्र जिसे अपने गुरु के घर में रहना होता है, और वेदों का अध्ययन करना होता है, और अत्यंत तपस्या और अनुशासन का जीवन जीना होता है। देवता 'योगी' या 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की यह प्रथा पिछली कई शताब्दियों से प्रचलित है।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए निष्कर्ष निकालाः
"हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

(1) 10 वर्ष से अधिक और *50* वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियों पर चढ़ाई करने और सबरीमाला मंदिर में पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्राचीन काल से प्रचलित उपयोग के साथ।

(2) देवस्वम बोर्ड द्वारा लगाए गए इस तरह के प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद *15,25* और *26* का उल्लंघन नहीं करते हैं।

भारत।

(3) इस तरह का प्रतिबंध हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल *(*प्रवेश प्राधिकरण*)* अधिनियम, *1965* के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं है क्योंकि मंदिर में प्रवेश के मामले में हिंदुओं के बीच एक धारा और दूसरी धारा के बीच या एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि प्रतिबंध केवल एक विशेष वर्ग की महिलाओं के संबंध में है।

आयु वर्ग और महिलाओं को एक वर्ग के रूप में नहीं।

ऊपर दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को निर्देश दिया कि वह *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को त्रावणकोर की पवित्र पहाड़ियों पर चढ़ाई करने की अनुमति न दे।

तीर्थयात्रा के संबंध में सबरीमाला "। केरल उच्च न्यायालय के फैसले को आगे कोई चुनौती नहीं दी गई और यह अंतिम रूप ले चुका है।

अनुच्छेद *226* के तहत एक रिट याचिका का निर्णय करने वाले केरल उच्च न्यायालय के फैसले में निहित निष्कर्ष आर. ई. एम. में निष्कर्ष थे, और रेज़ जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होगा। *5 52* इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना उचित है कि यह न्यायालय, दरियाव और ओआरएस में। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। *53* , निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

52 डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। , *(2014) 5* एससीसी *75*। *53 (1962) 1* एससीआर *574:*

"*26.* अब हमें उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर अपना निष्कर्ष बताना चाहिए। हम मानते हैं कि

यदि अनुच्छेद *226* के तहत किसी पक्ष द्वारा दायर रिट याचिका है
एक विवादित मामले के रूप में गुण-दोष पर विचार किया जाता है और खारिज कर दिया जाता है इस प्रकार घोषित निर्णय बाध्य करना जारी रखेगा

जब तक इसे अपील द्वारा अन्यथा संशोधित या उलट नहीं किया जाता है, तब तक पक्षकार

या अन्य उचित कार्यवाहियों के तहत अनुमेय

संविधान। यह किसी पक्ष के लिए खुला नहीं होगा कि वह उक्त फैसले को नजरअंदाज करे और समान तथ्यों पर की गई मूल याचिका द्वारा अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय का रुख करे।
समान या समान आदेश या रिट।

इस प्रकार, तथ्य के ऐसे निष्कर्षों को अनुच्छेद *32* के तहत दायर याचिका में फिर से नहीं खोला जाना चाहिए।

13.9. ब्रह्मचर्य और तपस्या का अभ्यास सबरीमाला मंदिर में देवता की अनूठी विशेषता है। हिंदू देवताओं का भौतिक/लौकिक और दार्शनिक दोनों रूप होते हैं। एक ही देवता अलग-अलग भौतिक और आध्यात्मिक रूप रखने में सक्षम है।

या अभिव्यक्तियाँ। इनमें से प्रत्येक रूप की पूजा अद्वितीय है, और सभी रूपों की पूजा सभी व्यक्तियों द्वारा नहीं की जाती है।

किसी भी मंदिर में देवता का रूप सर्वोपरि होता है।

उदाहरण के लिए, नाथद्वारा के मंदिर में भगवान कृष्ण एक बच्चे के रूप में हैं। तिलकायत में श्री गोविंदलालजी महाराज बनाम। राजस्थान राज्य *(ऊपर)*, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि भगवान कृष्ण वह देवता थे जिनकी पूजा नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में की जाती थी। यह नोट किया गया था किः

"..... के सर्वोच्च महत्व और प्रभावकारिता में विश्वास करना

भक्ति, वल्लभ के अनुयायी पूजा में भाग लेते हैं और
निधि स्वरूपों या मूर्तियों की सेवाएँ दिन-प्रतिदिन इस विश्वास में की जाती हैं कि इस तरह का भक्ति आचरण अंततः उनके मोक्ष की ओर ले जाएगा।

पूजा में दो तत्व होते हैं-उपासक और पूजा करने वाला। अनुच्छेद *25* के तहत पूजा के अधिकार का दावा अनुपस्थिति में नहीं किया जा सकता है। देवता के उस विशेष रूप में जिसमें उन्होंने खुद को प्रकट किया है।

13.10 . धर्म आस्था का विषय है, और धार्मिक मान्यताओं को समान विश्वास रखने वालों द्वारा पवित्र माना जाता है। विचार, विश्वास और

विश्वास आंतरिक होते हैं, जबकि अभिव्यक्ति और पूजा इसकी बाहरी अभिव्यक्तियाँ होती हैं।

13.11 . सबरीमाला मंदिर के मामले में, अभिव्यक्ति एक 'नैष्टिक ब्रह्मचारी' के रूप में होती है। एक देवता में विश्वास, और

जिस रूप में उन्होंने खुद को प्रकट किया है, वह संविधान के अनुच्छेद *25 (1)* द्वारा संरक्षित एक मौलिक अधिकार है।

वाक्यांश "समान रूप से हकदार", जैसा कि अनुच्छेद *25 (1)* में मिलता है, का अर्थ यह होना चाहिए कि प्रत्येक भक्त को समान रूप से मानने, अभ्यास करने और करने का अधिकार है।

उस धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपने धर्म का प्रचार करें।

13.12 . वर्तमान मामले में, सबरीमाला मंदिर में देवता की ब्रह्मचारी प्रकृति का उत्तरदाताओं द्वारा स्थल में पता लगाया गया है इस मंदिर का पुराण 'भूतनाथ गीता' में वर्णित है। इन प्रथाओं के साक्ष्य *1893* और *1901* में दो भागों में प्रकाशित लेफ्टिनेंट वार्ड और कॉनर द्वारा लिखित त्रावणकोर और कोच्चि राज्यों के सर्वेक्षण *54* के संस्मरण में भी प्रलेखित हैं।

13.13 . *10* से *50* वर्ष की आयु के बीच महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की धार्मिक प्रथा, उत्तरदाताओं द्वारा पालन की जाने वाली 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' के अनुसरण में है। उक्त प्रतिबंध है

सबरीमाला मंदिर में लगातार इसका पालन किया जाता रहा है, जैसा कि त्रावणकोर और कोच्चि के सर्वेक्षण के संस्मरण से पता चलता है

स्टेट्स *1893* और *1901* में दो भागों में प्रकाशित हुआ। एस. महेंद्रन बनाम के मामले में केरल उच्च न्यायालय। सचिव, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य। *(* सुप्रा*)* ने निम्नानुसार अभिलिखित किया हैः

"इसलिए मंदिर में उपयोग के बारे में प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत जानकारी रखने वाले तीन व्यक्तियों की गवाही इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है। उनमें से एक मंदिर की थांथ्री है जो मंदिर में पालन किए जाने वाले उपयोग के बारे में आधिकारिक रूप से बोल सकती है। उनका ज्ञान *40* वर्ष से अधिक की अवधि तक फैला हुआ है। अयप्पा सेवा संघम के सचिव *60* वर्षों की अवधि से सबरीमाला मंदिर के नियमित तीर्थयात्री रहे थे। पंडलम महल के एक वरिष्ठ सदस्य ने भी

पालन की जाने वाली प्रथा और उसके दृष्टिकोण के बारे में गवाही दी

महल के सदस्य जिनसे एक समय में मंदिर संबंधित था। इसलिए इन गवाहों की गवाही होगी

54 सुप्रा नोट *9* भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

न के मंदिर में उपयोग को निर्णायक रूप से स्थापित करें

10 से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को पूजा करने की अनुमति

मंदिर। यह जरूरी है कि उस आयु वर्ग की महिलाएं थीं

मंदिर परिसर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है।

या तीर्थयात्रा के उद्देश्य से सबरीमाला की यात्रा करना।

(जोर दिया गया*)*

13.14 . वर्तमान मामले में, मंदिर का चरित्र

सबरीमाला सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं के आधार पर अद्वितीय है। देवता की अभिव्यक्ति और पूजा को संरक्षित करने के लिए पालन किया गया

उससे जुड़ा हुआ। इस धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय की पूजा के तरीके और तरीके में कोई भी हस्तक्षेप मंदिर के चरित्र को प्रभावित करेगा और इस मंदिर के उपासकों की मान्यताओं और प्रथाओं को प्रभावित करेगा।

13.15 . इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर,

उत्तरदाताओं ने निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय मामला बनाया है कि *10* से *50* वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रथा सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के भक्तों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसका पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है।

14. अनुच्छेद *17*

14.1 . याचिकाकर्ताओं का तर्क कि प्रतिबंध लगाया गया है

अधिसूचित आयु वर्ग के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर, संविधान के अनुच्छेद *17* के तहत 'अस्पृश्यता' के एक रूप के समान, इसके बाद बताए गए कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है।

14.2 . बहिष्करण के सभी रूप अस्पृश्यता के समान नहीं होंगे।

अनुच्छेद *17* जातिगत पूर्वाग्रह पर आधारित अस्पृश्यता से संबंधित है। शाब्दिक या ऐतिहासिक रूप से, अस्पृश्यता को कभी भी एक वर्ग के रूप में महिलाओं पर लागू करने के लिए नहीं समझा गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया अधिकार मंदिर प्रवेश आंदोलन में दलितों द्वारा दिए गए अधिकार से अलग है। एक निश्चित आयु वर्ग के भीतर महिलाओं पर प्रतिबंध, सबरीमाला मंदिर की ऐतिहासिक उत्पत्ति और मान्यताओं और प्रथाओं पर आधारित है।

14.3 . वर्तमान मामले में, अधिसूचित आयु वर्ग की महिलाएं हैं -

भगवान अयप्पा के अन्य सभी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी गई। इस मंदिर में अधिसूचित आयु वर्ग के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध देवता की अनूठी विशेषता पर आधारित है, न कि किसी सामाजिक बहिष्कार पर। मंदिरों और महिलाओं के प्रवेश के संदर्भ में दलितों के अधिकारों की तुलना करके तुलना पूरी तरह से की जानी चाहिए।

गलत धारणा और अस्थिर।

दलितों द्वारा दिया गया अधिकार व्यवस्थित सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ और सामाजिक स्वीकृति के अधिकार के अनुसरण में था।

मंदिर में प्रवेश के मामले में, सामाजिक सुधार वैधानिक सुधार से पहले हुआ था, न कि इसके विपरीत। सामाजिक सुधार का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महान धार्मिक और राष्ट्रीय नेताओं ने किया था। संवैधानिक नैतिकता लागू होने से बहुत पहले, सुधार सामाजिक नैतिकता पर आधारित थे।

14.4. प्रारूप संविधान का अनुच्छेद *11* हमारे वर्तमान संविधान के अनुच्छेद *17* से मेल खाता है। *55* संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद *11* पर संविधान सभा की बहस का अवलोकन यह दर्शाता है कि " अस्पृश्यता "हरिजनों द्वारा सामना किए जाने वाले जाति-आधारित भेदभाव को संदर्भित करता है, न कि महिलाओं को जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है।

बहस के दौरान, श्री वी. आई. मुनिस्वामी पिल्लई ने कहा थाः

"..... महोदय, जाति भेद के साधन के तहत, लोगों के एक निश्चित वर्ग को अस्पृश्यता की रस्सी के नीचे लाया गया है, जो सदियों से तथाकथित जाति हिंदुओं के अत्याचार के तहत पीड़ित हैं, और वे सभी लोग जो खुद को जाति भेद के रूप में पेश करते हैं।

जमींदारों और जमींदारों, और इस प्रकार की अनुमति नहीं थी

मनुष्य के लिए आवश्यक सामान्य प्राथमिक सुविधाएं।

महोदय, मुझे यकीन है कि इस खंड को अपनाने से कई हिंदू जो एक हरिजन हैं, जो एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हें लगेगा कि वे
समाज में ऊँचा किया गया है और अब इसमें जगह मिली है

समाज "। *56*

डॉ. मोनोमोहन दास, महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए निर्विवाद रूप से "अस्पृश्यता" के अर्थ को स्वीकार करते हुए जैसा कि इसके तहत इरादा किया गया था। संविधानः

"..... गाँधीजी ने कहा कि मैं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मेरा पुनर्जन्म होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक हरिजन के रूप में, एक अछूत के रूप में पैदा हो, ताकि मैं एक निरंतर संघर्ष का नेतृत्व कर सकूं, जो अत्याचार और अपमान के खिलाफ जीवन भर का संघर्ष हो।

इन वर्गों के लोगों पर।

55 " 11. " अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। "अस्पृश्यता" से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता का प्रवर्तन एक अपराध होगा।

कानून के अनुसार दंडनीय "।

भारत के संविधान का मसौदा, भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति *(*मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली, *1948)* यहां उपलब्ध हैः //

*14.139.60.114: 8080/*जेएसपीआई/बिटस्ट्रीम/*123456789/966/7*

मौलिक*% 20* अधिकार*% 20% 285-12% 29.*पीडीएफ

56 श्री वी. आई. मुनिस्वामी पिल्लई का वक्तव्य, संविधान सभा की बहस *(*नवंबर*)*

29 , 1948)

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

..... न केवल महात्मा गांधी, बल्कि महान व्यक्ति और

इस प्राचीन भूमि के दार्शनिक, स्वामी विवेकानंद, राजा

राम मोहन राय, रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य, जिन्होंने नेतृत्व किया

इस घृणित प्रथा के खिलाफ एक अथक संघर्ष,

आज उस स्वतंत्र भारत को देखकर बहुत प्रसन्न हों,
स्वतंत्र भारत ने आखिरकार इस घातक को समाप्त कर दिया है

भारतीय समाज के शरीर पर घाव "। *57*

श्री सीरवई ने अपनी मौलिक टिप्पणी में कहा है कि

"अस्पृश्यता की व्याख्या इसके शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थों में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि यह उस प्रथा को संदर्भित करता है जो भारत में हिंदुओं के बीच ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई थी। वह आगे कहते हैं कि अनुच्छेद *17* को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए - अस्पृश्यता *(*अपराध*)* अधिनियम, *1955*, जो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किए गए अपराधों को दंडित करता है। *58*

प्रोफेसर एम. पी. जैन भी अनुच्छेद *17* की व्याख्या इसी तरह करते हैं।

वह कहता हैः

"इसलिए, व्यक्तियों को अछूत भी माना जाता है।
अस्थायी रूप से या विभिन्न कारणों से, जैसे पीड़ा

एक महामारी या एक संक्रामक बीमारी, या सामाजिक

जन्म या मृत्यु, या सामाजिक बहिष्कार से जुड़े समारोह

जाति या अन्य विवादों के परिणामस्वरूप नहीं आता है

कला का दायरा। *17.* कला. *17* उन लोगों से संबंधित है जिन्हें माना जाता है

ऐतिहासिक घटनाक्रमों के दौरान अछूत "। *59*

14.5 . यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *17* के अभ्यास को संदर्भित करता है

याचिकाकर्ताओं के तर्क के अनुसार हिंदू समुदाय में हरिजनों या दलित वर्गों के लोगों के खिलाफ अस्पृश्यता, न कि महिलाओं के खिलाफ।

14.6 . अनुच्छेद *17* की पृष्ठभूमि को समझाते हुए, यह न्यायालय श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य मामलों में। वी. मैसूर राज्य और अन्य। *(* ऊपर*)* देखा गयाः

"23. ..... उन समस्याओं में से एक जो अभ्यास कर रही थी

इस अवधि के दौरान हिंदू समाज सुधारकों के मन

संविधान से पहले उनके बीच में अस्तित्व था

57 Dr.Monomohan दास का वक्तव्य, संविधान सभा की बहस *(29* नवंबर, *2010)*

1948)

58 एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानूनः ए क्रिटिकल कमेंटरी, वॉल्यूम। *I (*चौथा संस्करण। ,

पुनर्मुद्रण *1999)*, पी पर अनुच्छेद *9.418*। *691*

59 एम. पी. जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, *(*छठा संस्करण। , न्यायमूर्ति रूमा पाल द्वारा संशोधित और

समरादित्य पाल*; 2010)*, पृ.

पहुँच का अधिकार, विशुद्ध रूप से जन्म के आधार पर नहीं हो सकता है उचित माना जाता है और किसी भी ध्वनि पर बचाव किया जाता है

लोकतांत्रिक सिद्धांत, और सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे

समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। द. 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता का प्रवर्तन

कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

14.7 . अनुच्छेद की व्याख्या करने के लिए एक भी मिसाल नहीं दिखाई गई है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवाद किया गया तरीका।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि राज्य के वकील

ला ने इस प्रस्तुति का समर्थन नहीं किया।

15. 1965 के नियमों के नियम *3 (*बी*)* अधिनियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। *15.1 . 1965* के अधिनियम की धारा *3* इस प्रकार हैः

*" 3.*सार्वजनिक पूजा स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे और

हिंदुओं के वर्गः -इसके विपरीत कुछ भी नहीं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित या

प्रथा या उपयोग या किसी भी उपकरण के प्रभाव के आधार पर ऐसी कोई विधि या न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश,

सार्वजनिक पूजा जो आम तौर पर हिंदुओं के लिए या किसी के लिए भी खुली हो

उसकी धारा या वर्ग सभी वर्गों के लिए खुला होगा और

हिंदुओं के वर्ग; और किसी भी वर्ग या वर्ग का कोई हिंदू नहीं वर्ग को किसी भी तरह से रोका जाएगा, बाधित किया जाएगा या

सार्वजनिक पूजा के ऐसे स्थान में प्रवेश करने से हतोत्साहित किया गया है, या

वहाँ पूजा करने या प्रार्थना करने, या प्रदर्शन करने से

उसमें कोई भी धार्मिक सेवा, समान तरीके से और

किसी भी वर्ग या वर्ग के किसी भी अन्य हिंदू की तरह

इस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं या कर सकते हैंः

बशर्ते कि सार्वजनिक पूजा के स्थान के मामले में जो

किसी भी धार्मिक के लाभ के लिए स्थापित मंदिर है

मूल्यवर्ग या उसकी धारा, इस धारा के प्रावधान

उस धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के अधीन होगा या

धारा, यथास्थिति, मामलों में अपने स्वयं के मामले का प्रबंधन करने के लिए धर्म का "

(जोर दिया गया*)*

भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।*]*

1965 के नियमों के नियम *3* के प्रासंगिक उद्धरण को भी पुनः प्रस्तुत किया गया है।

नीचे दिया गया हैः

"नियम *3.* यहाँ उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग
सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान पर पूजा करने का अधिकार नहीं है

या किसी पवित्र टंकी, कुएँ, झरने या पानी में स्नान करें या उसका उपयोग करें।
सार्वजनिक पूजा स्थल से जुड़ा जलमार्ग

चाहे वह उसके परिसर के भीतर या बाहर स्थित हो, या कोई

एक पहाड़ी या पहाड़ी ताला, या एक सड़क, सड़क या सड़क सहित पवित्र स्थान

मार्ग जो उस स्थान तक पहुँच प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं

सार्वजनिक पूजा का *(*
ए*)*।

*(*ख*)* महिलाएँ ऐसे समय में जब वे प्रथा के अनुसार नहीं होती हैं।
और सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

*(*डी*)*। *(*ई*)*।

.....

*(*जी*)*।

*(*जोर दिया गया*)*

1965 के अधिनियम की धारा *3 (*बी*)* में प्रावधान है कि जनता का हर स्थान

ऐसी पूजा जो आम तौर पर हिंदुओं या उनके किसी भी वर्ग या वर्ग के लिए खुली हो, हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खुली होगी और किसी भी वर्ग या वर्ग के किसी भी हिंदू को किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक पूजा के ऐसे स्थान में प्रवेश करने या पूजा करने या प्रार्थना करने या उसमें कोई धार्मिक सेवा करने से बाधित या हतोत्साहित किया गया है, उसी तरह और उसी हद तक जैसे किसी भी वर्ग या वर्ग का कोई अन्य हिंदू प्रवेश कर सकता है, पूजा कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है या कर सकता है।

प्रदर्शन करें।

1965 के अधिनियम की धारा *3* के प्रावधान में एक अपवाद है।

किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके वर्ग के लाभ के लिए स्थापित मंदिर में सार्वजनिक पूजा की स्थिति में। मुख्य धारा के प्रावधान किसी धार्मिक संप्रदाय या धारा के धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के अधीन होंगे।

1965 के अधिनियम की धारा *2 (*सी*) 60* किसी भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उप-जाति, संप्रदाय या संप्रदाय को शामिल करने के लिए "धारा या वर्ग" को परिभाषित करती है।

जो भी हो। धारा *4 (1) 6 1,* सार्वजनिक पूजा के स्थान पर आदेशों और शिष्टाचार के रखरखाव और किए गए धार्मिक संस्कारों और समारोहों के उचित पालन के लिए विनियम बनाने का अधिकार देती है। उसमें। *1965* के अधिनियम की धारा *3* के प्रावधान में प्रावधान है कि ऐसा कोई भी विनियमन किसी भी हिंदू के खिलाफ इस आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी विशेष धारा या वर्ग से संबंधित है।

15.2 . परंतुक धारा *3* के लिए एक अपवाद बनाता है।

यह घोषणा कि सार्वजनिक पूजा स्थल सभी वर्गों और वर्गों के हिंदुओं के लिए खुले होंगे, पूर्ण नहीं है, लेकिन "धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने" के लिए एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के अधीन है।

धारा *3* को संवैधानिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहां विधायिका ने अनुच्छेद *25 (2) (*बी*)* के तहत एक सक्षम कानून बनाया है जिसे स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रथाओं के अधीन बनाया गया है।

अनुच्छेद *26 (*बी*)* के तहत मूल्यवर्ग।

15.3 . नियम *3 (*बी*)* इस मंदिर द्वारा पालन की जा रही पहले से मौजूद प्रथा और उपयोग की वैधानिक मान्यता है। नियम *3 (*बी*)* इसके दायरे में है। *1965* के अधिनियम की धारा *3* के प्रावधान के तहत, क्योंकि यह पूर्व-विद्यमान रीति-रिवाजों और उपयोगों को मान्यता देता है, जिसमें पिछली परंपराएं भी शामिल हैं जो मंदिर में प्राचीन काल से प्रचलित हैं। त्रावणकोर देवस्वोम

बोर्ड प्रस्तुत करता है कि ये प्रथाएं मंदिर के लिए अभिन्न और आवश्यक हैं।

15.4 . याचिकाकर्ताओं ने धारा *3* के प्रावधान को चुनौती नहीं दी है

किसी भी आधार पर असंवैधानिक होना। धारा *3* का परंतुक धार्मिक संप्रदायों या उनके संप्रदायों के मामलों में धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक अपवाद बनाता है।

15.5 . द्वारा *27* नवंबर*, 1956* को जारी अधिसूचना

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।

60 " 2. परिभाषाएँ*-(*ग*)* "वर्ग या वर्ग" में कोई भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उप-जाति, संप्रदाय शामिल हैं।

या जो भी मूल्यवर्ग "।

61 " 4. सार्वजनिक पूजा के स्थानों में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने और संस्कारों और समारोहों के उचित प्रदर्शन के लिए विनियम बनाने की शक्ति -

(1) न्यासी या सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रण और उस प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सार्वजनिक पूजा के

स्थान पर व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने और किए गए धार्मिक संस्कारों और समारोहों के उचित पालन के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी।

उसमें। "भारतीय युवा वकील ए. एस. एन. वी. केरल राज्य

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

एक प्रथा और अभ्यास के रूप में *10* से *55* वर्ष की आयु मंदिर की पवित्रता के लिए अभिन्न है, और संविधान के अनुच्छेद *13 (3) (ए)* के तहत कानून का बल है। एस. महेंद्रन बनाम में उच्च न्यायालय। सचिव,

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, तिरुवनंतपुरम और अन्य। *(* उपर्युक्त*)* ने उल्लेख किया कि महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की यह प्रथा पिछली कई शताब्दियों से प्रचलित है। इन प्रथाओं को *1965* के अधिनियम की धारा *3* के प्रावधान द्वारा संरक्षित किया गया है।

1965 के नियमों के नियम *3 (*बी*)* द्वारा प्रभावी।

15.6 . याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि नियम *3 (*बी*) 1965* अधिनियम की धारा *3* के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, *1965* अधिनियम की धारा *3* के प्रावधान पर विचार करने में विफल रहता है। धारा *3* सभी सार्वजनिक स्थानों पर लागू होती है। पूजा, जबकि परन्तुक किसी भी धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय के लाभ के लिए स्थापित मंदिरों पर लागू होता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों को खारिज कर दिया जाता है कि नियम *3 (*बी*) 1965* अधिनियम की धारा *3* के विपरीत है।

16. उपरोक्त विश्लेषण का सारांश इस प्रकार हैः

(i) रिट याचिका खड़े होने के अभाव में विचार किए जाने के योग्य नहीं है। इसमें शामिल याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के कहने पर उठाई गई शिकायतें गैर-न्यायोचित हैं।

(ii) अनुच्छेद *14* के तहत निहित समानता का सिद्धांत अनुच्छेद *25* द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देने पर हावी नहीं होता है।

((iii) धर्मनिरपेक्ष राजनीति में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ मौलिक अधिकारों के सामंजस्य से होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय का अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपने विश्वास और विश्वास का पालन करने का अधिकार शामिल है, चाहे वह अभ्यास तर्कसंगत हो या तार्किक।
(iv) उत्तरदाताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं ने एक प्रशंसनीय मामला बनाया है कि अयप्पन या सबरीमाला के उपासक

मंदिर धार्मिक होने की आवश्यकताओं को पूरा करता है
संप्रदाय या संप्रदाय, जो अनुच्छेद *26* द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण का हकदार है। यह तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है जिसका निर्णय एक सक्षम दीवानी अदालत के समक्ष किया जाना चाहिए।

अधिकार क्षेत्र।

संविधान के अनुच्छेद *17* के अधिसूचित दायरे के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध।*965* नियम किसी भी धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय के सार्वजनिक अधिकार के मामले में एक अपवाद नहीं है।

धर्म के मामलों में हवा।

कहा गया चर्चा और विश्लेषण, रिट याचिका

ऊपर बताए गए आधार।

ग्ली।

लिखित याचिका की अनुमति दी गई।